09 July 1998

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 9 जुलाई, 1998/ 18 आषाढ़, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
6	नीचे से 8	श्रा टा· गोविन्दन	श्री टी· गोविन्दन
59	नीचे से 6	निलम्बित	विलम्बित

399 कॉलम के अन्त में निम्न पाद-टिप्पण जोड़िए :
"अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।"

विषय-सूची

[द्वादश माला खंड-3 दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)]

अंक-18 गुरुवार, 9 जुलाई, 1998/18 आषाढ़ 1920 (शक)

विषय		कॉलम
वेनेजुएला के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	323 से 326	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	322 और 327 से 341	25-58
अतारांकित प्रश्न संख्या	3226 से 3449	58-337
सभा पटल पर रखे गए पत्र		338-341
राज्य सभा से संदेश		342
कृषि सम्बन्धी स्थायी समिति		342
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन		
रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति		342
पहला और दूसरा प्रतिवेदन		
पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी समिति		343
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन		
वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति		343
चौंतीसवां प्रतिवेदन		
उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति		343-344
तेईसवां, चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन		
समिति के लिए निर्वाचन		344
भारतीय पुनर्वास परिषद्		
कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		345
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मुद्दे के बारे में		345-377

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	378-385
(एक) जाम नगर, गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	378
(दो) मध्य प्रदेश के सागर जिले में इस क्षेत्र के खनिजों का उपयोग करने के लिए रॉक आधारित फैक्टरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	378-379
(तीन) पान मसाला और गुटका पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय गोयल	379
(चार) बिहार के पलामू क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रजमोहन राम	380
(पांच) फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी फसलों और किसानों को लाने के लिए नई फसल बीमा योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री विठ्ठल तुपे	380
(छह) देश में सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	380-381
(सात) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में समुद्री पर्यटन स्थल, दीघा तक पहुंचने के लिए दीघा-तुमलुक रेल लाइन को पूरा किए जाने और वहां तक एयर टैक्सियां चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुधीर गिरि	381
(आठ) "आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि मेहताब	381-382
(नौ) स्वदेशी कागज उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने और आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. कुप्पुसामी	382-383

विषय

कॉलम

(दस) जैव विविधता के संरक्षण सम्बन्धी उपबंधों को लागू करने के लिए जैव विविधता संबंधी अभिसमय के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता
प्रो. सैफुद्दीन सोज 383-384

(ग्यारह) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बचाने के लिए सुहेली नदी से गाद निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता
श्री रवि प्रकाश वर्मा 384

(बारह) महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव काटन फेडरेशन को देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता
श्री माधवराम पाटील 384

(तेरह) मेरठ और मवाना में और अधिक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता
श्री अमर पाल सिंह 385

नियम 193 के अधीन चर्चा 385-476

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

श्री बसुदेव आचार्य 385-400
श्रीमती सूर्यकांता पाटील 401-406
श्री जगत वीर सिंह द्रोण 406-413
श्री मोहन सिंह 413-416
डा. सरोजा वी. 416-420
श्री लालू प्रसाद 420-423
कुमारी ममता बनर्जी 423-428
श्रीमती जयन्ती पटनायक 428-431
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 431-435
श्री रूप चन्द पाल 435-439
श्री प्रभुनाथ सिंह 439-441
श्री शैलेन्द्र कुमार 442-444
श्री अनन्त गंगाराम गीते 444-446
श्रीमती गीता मुखर्जी 446-449
श्री एच. पी. सिंह 449
श्री आरिफ मोहम्मद खां 449-452
श्री टी. आर. बालू 452-455

विषय	कॉलम

श्री बिक्रम देव केशरी	455-457
श्री प्रमथेस मुखर्जी	457-460
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे	460-462
श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या	462-463
डा. उल्हास वासुदेव पाटील	463-465
प्रो. ए. के. प्रेमाजम	465-467
श्री हरपाल सिंह साथी	467-468
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	468-476
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव	476-478
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	

लोक सभा

गुरुवार, 9 जुलाई 1998/18 आषाढ़ 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 1.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

वेनेजुएला के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आरंभ में मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से वेनेजुएला के 'चेम्बर आफ डिप्टीज' के प्रथम 'वाइस-प्रेजीडेन्ट', महामहिम डिप्टी जूलियों केस्टिलो तथा डिप्टी गस्टावो टेरे ब्रिकनो का, जो इस समय हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

यह शिष्टमंडल बुधवार, 8 जुलाई, 1998 की रात्रि को बंगलौर से दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से वेनेजुएला गणतन्त्र के राष्ट्रपति, वहां की संसद और मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

डिफेंस इंजीनियरिंग अकेडमी

***323. श्री पी. शिव शंकर :**

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी जनशक्ति को बढ़ाने के लिए डिफेंस इंजीनियरिंग अकेडमी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या थलसेना में तकनीकी जनशक्ति की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिभाशाली युवाओं को थलसेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस समय सेना के तकनीकी संवर्गों में 3636 अफसरों की कमी है।

सेना के तकनीकी संवर्गों में अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(क) तकनीकी स्नातक संवर्ग

पहले, इस योजना के तहत भर्ती के लिए केवल इंजीनियरी स्नातक ही आवेदन कर सकते थे। अब नियमों में संशोधन किया गया है। अब इंजीनियरी डिग्री के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी सेना में तकनीकी अफसर के रूप में भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उन्हें अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने और इंजीनियरी डिग्री प्राप्त करने पर ही सेना में भर्ती किया जाता है।

(ख) विश्वविद्यालय प्रवेश योजना

जो छात्र डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं, वे इस योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकते हैं। अब पात्रता शर्तों में छूट दे दी गई है और अब इंजीनियरी पाठ्यक्रम के अंतिम से पहले के वर्ष वाले इस योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. तकनीकी संवर्गों में कमीशन दिए जाने के लिए चयन किए गए उम्मीदवारों को कमीशन दिए जाने पर दो वर्ष की पिछली तारीख की वरीयता दी जाती है।

4. योग्य युवाओं को सैन्य सेवाओं को कैरियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छवि निर्माण अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सेना को एक संपूर्ण कैरियर के रूप में सेना के विशिष्ट और सकारात्मक पहलुओं को उजागर करना है।

5. उपर्युक्त उपायों के चलते पिछले वर्षों की तुलना में 1998 से तकनीकी प्रवेश योजनाओं की भर्ती दर में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अत्यन्त महत्वहीन, साधारण और अत्यन्त अस्पष्ट उत्तर दिया है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है।

उन्होंने विभिन्न युद्ध लड़ते हुए विशेषकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में अपने साहस और प्रतिभा का परिचय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी सेना में सैनिकों की भारी कमी है। मन्त्री महोदय ने भी स्वीकार किया है सैनिकों की कमी है। उन्होंने उत्तर दिया है कि सरकार लोगों को भर्ती के लिए आवेदन देने के लिए उन्हें स्नातक की पढ़ाई पूरी करने से पहले अनुमति देकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मैं नहीं समझता यह किसी भी प्रकार उन्हें प्रोत्साहित करेगा। विभिन्न समाचार पत्र और यहां तक कि सेना से सम्बद्ध लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यदि आप साक्षात्कार के लिए उन्हें बुलाते हैं तो 75 प्रतिशत अभ्यार्थी विशेषकर तकनीकी दक्षता वाले लोग सेना के बजाय सिविल सेवाओं में जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि अन्य सेवाओं की तुलना में सेना में वेतन और प्रोत्साहन बहुत कम है।

मैं जानना चाहता हूं क्या सेना में सैनिकों की कमी है। यदि हां तो इस देश की सुरक्षा कहां है? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवयुवकों को प्रोत्साहित और आकर्षित करने के लिए सभी प्रयास किये जाएं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि हालांकि आधुनिक प्रौद्योगिकी में आज बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी सेना में यह पुरानी है। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि सेना में भर्ती किये जाने के लिए नवयुवकों, तकनीकीविदों और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी स्नातकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए ठोस और प्रभावी उपाय क्या हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सबसे पहले यह प्रश्न सेना में तकनीकीविदों की संख्या से संबंधित है ना कि सेना में सैनिकों की भर्ती से संबंधित है। यह मुख्य रूप से तकनीकीविदों की संख्या से संबंधित है।

इस क्षेत्र में कमी है और उस कमी को सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए इसमें कुछ अस्पष्टता नहीं है। मैंने कहा है कि तकनीकी संवर्ग में 3636 अधिकारियों की कमी है। मैंने उठाए जा रहे विभिन्न उपायों को भी सूचीबद्ध किया है।

एक बात तो इसमें जोड़ी नहीं गई है यह नई योजना के बारे में है जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। यह मुख्य रूप से भर्ती से संबंधित नहीं है लेकिन माध्यमिक स्कूल (10+2) अथवा स्कूल छोड़ने समय विद्यार्थियों को भर्ती किए जाने से संबंधित है। इसके पीछे विचार है कि इन नवयुवकों को भर्ती किया जाए, इंजीनियरिंग में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और सीधे सेवा में लगा दिया जाए जैसाकि आजकल राष्ट्रीय रक्षा एकादमी में किया जाता है जहां 10+2 के स्तर पर ही विद्यार्थियों की भर्ती की जाती है और उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस विशेष योजना और सभा पटल पर रखे गए विवरण में बताई गई अन्य योजनाओं के माध्यम से हमारे लिए कालावधि के भीतर पर्याप्त संख्या में भर्ती करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने कालावधि कहा है क्योंकि आज दिखाई देने वाली कमी को पूरा करने के लिए कुछ समय तो इसमें लगेगा ही।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरे पहले प्रश्न का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा पहला प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए। समय बर्बाद मत करिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या सेना में तकनीकीविदों की भारी कमी है? यह मेरा प्रश्न था। इन्होंने उत्तर दिया है कि कमी है लेकिन इन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि यह तकनीकीविदों की भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? यह सामान्य बात नहीं है। मैंने बताया था कि सेना में भर्ती होने के लिए तकनीकीविदों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि सिविल सेवाओं के कार्मिकों की तुलना में इनका वेतन और प्रोत्साहिन देने वाली चीजें बहुत कम हैं। इन्होंने मेरे मुख्य प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा बताई गई बात से सहमत नहीं हूं कि यहां पर प्रोत्साहन देने वाली चीजें नहीं है अथवा कि इनके वेतन सिविल सेवाओं में प्राप्त होने वाले वेतन से कम है। सेना में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है और मैं नहीं समझता कि यहां कोई भी ऐसा सदस्य है जो मुझे सुझाव दे रहा हो कि सेना को केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों की परिधि से बाहर रखना चाहिए। जब उनके वेतन मानों को निर्धारित किया जाता है तो कार्मिकों की शैक्षिक योग्यताओं, उनके द्वारा उठाए गए खतरों आदि को ध्यान में रखा जाता है। जहां तक सेना का संबंध है जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहे हों वहां कई प्रोत्साहन देने वाली चीजें भी है.... *(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : लेकिन कमी के बारे में क्या है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कालावधि में ऐसे कर्मियों की संख्या में कमी आई है। रिकार्ड से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कमी 1960 के शुरू के समय से होनी आरंभ हो गई थी और प्रशिक्षण सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण यह कमी कालावधि में बनी रही। अत: आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई जाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भर्ती करने की प्रक्रिया में वृद्धि की जाए। इसलिए मुझे तर्क करने में कोई मुद्दा नजर नहीं आता जिसे वह करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां कोई प्रोत्साहन नहीं है। लोग इसमें भर्ती होने के लिए आ ही रहे हैं।

मैं केवल एक उदाहरण दूंगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रतिवर्ष जो लोग भर्ती होते हैं उनकी संख्या 1.7 लाख है जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई संख्या 14,000 है और यह क्षमता..... *(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : तकनीकी लोगों के बारे में क्या है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इन पदों के प्रत्येक श्रेणी में भर्ती करने की क्षमता 330 है इसलिए यह प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं है। नौजवान इसमें भर्ती हो रहे हैं। हमें उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है और हम उन सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री सुब्बारामी रेड्डी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैंने केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मैं ही प्रश्न पूछने वाला पहला सदस्य हूं और इसलिए मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछना है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। ऐसी धारणा है कि बन्दूकों और उपस्करों के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति होने के बावजूद, सेना में अत्यन्त पुरानी बन्दूकें और अन्य उपकरण हैं और हमें उन्हें आधुनिक बनाना है। यही कारण है जिससे उत्साह से भरे और आधुनिक तकनीकी दिमाग वाले वे युवक जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हतोत्साहित होते हैं। इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई योजना बना रही है?

निसंदेह यह मेरी जानकारी है जो सही अथवा गलत भी हो सकती है। माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट कर सकते हैं जैसाकि उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि सेना में हतोत्साहित होने का कोई कारण नहीं है और उन्हें अच्छे वेतन दिये जो रहे हैं। मैं तो सुनी हुई बात के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं यदि माननीय मंत्री जी स्पष्ट करते हैं तो मैं उससे सहमत हो जाउंगा और वह अलग मुद्दा है।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह बजट आबंटन की व्यवस्था से पुरानी मशीनगनों अथवा उपस्कर को आधुनिक बनाने की योजना बना रहे हैं और आधुनिक कम्प्यूटर और प्रौद्योगीकी प्राप्त कर रहे हैं? वह ऐसा किस प्रकार करने जा रहे है? आधुनिक उपस्कर ही सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं और नवयुवकों के लिए एक मात्र प्रोत्साहन का कारण होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह चलती रहती है और यहां पर भी विद्यमान है।

मेजर जनरल भुवन चन्द खंडूड़ी, एवीएसएम : महोदय, प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 'नहीं'। इसका तात्पर्य है कि वह रक्षा इंजीनियरिंग अकादमी की स्थापना नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि 3636 अधिकारियों की कमी है। मैं आशा करता हूं कि यह कमी मुख्य रूप से कैप्टन और मेजर के पदों में है ना कि इस रैंक में। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके भाग (क) और (ख) का उत्तर 'नहीं' क्यों है? सरकार की रक्षा इंजीनियरिंग कालेज खोलने में अरुचि क्यों है? सेना में पहले से एक बहुत अच्छी संस्था – डिफेंस इंजीनियरिंग कालेज, पुणे में है जिसके पास पर्याप्त आधारभूत ढांचा है। इसी संस्था को डिफेंस इंजीनियरिंग कालेज में परिवर्तित करने के लिए बहुत कम अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

हमारे पास अधिकारियों की कमी है और सरकार सेना में भर्ती संबंधी मानदंडों को सरल बना रही है; सरकार धीरे-धीरे और लगातार मानदंडों को सरल बना रही है फिर भी लोग इसमें भर्ती होने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ, पुणे स्थित सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज में, जहां भर्ती की जाती है, भर्ती लेने वालों की काफी भीड़ लगी रहती है। हजारों उम्मीदवार वहां आते हैं परंतु केवल कुछ ही का चयन किया जाता है। सरकार रक्षा इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना क्यों नहीं करना चाहती है? विशेषरूप से इस तथ्य को दृष्टिगत हुए में सरकार से पूछना चाहता हूं कि सेना में भर्ती स्नातक के अंतिम वर्ष में किए जाने की शर्त में ढील देकर इसे एक वर्ष कम करने और अन्य कई सुविधाएं देने के बावजूद भी सरकार स्नातक स्तर पर प्रवेश देने में असमर्थ क्यों रही है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सेनायें अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षण दें और यह कार्य रक्षा इंजीनियरिंग कालेज को करना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह किन कारणों से इसे रक्षा इंजीनियरिंग कालेज, की स्थापना करने में असमर्थ है जो मूलत: कालेज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग के रूप में पुणे में पहले ही स्थित है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मंत्री जी ने उस प्रश्न का आंशिक उत्तर देते हुए यह कहा है कि पुणे में एक मिलिटरी कालेज है। इसके अतिरिक्त महु में मिलिटरी कालेज आफ टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और सिकन्दराबाद में मेकेनिकल इंजीनियरिंग कालेज है। माननीय सदस्य का मुद्दा केवल यह है कि हम एक और अन्य संस्थान क्यों नहीं खोलते? जैसा कि मैंने पहले अपने उत्तर में कहा था हम उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाएंगे जिससे एक वर्ष में प्रशिक्षित विद्यार्थियों को अपेक्षित संख्या में भर्ती किया जाए हमें नहीं लगता इसमें अन्य रुकावट है।

श्री टी. गोविन्दन : मैं अपने संसदीय क्षेत्र कासरगोड़ केरल स्थित प्रसिद्ध संस्थान नौ सेना अकादमी के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह नौ सेना अकादमी श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी जिसका शिलान्यास उन्होंने ही किया था। उस समय हमारे आदरणीय नेता श्री करुणाकरण जी वहां के मुख्य मंत्री थे। दुर्भाग्यवश पिछले 14 वर्षों से इस नौ सेना अकादमी का निर्माण कार्य का काम धीमी गति से चल रहा है। और सरकार का कहना है कि वह हमारे रक्षा तैयारी को मजबूत बनाने पर अत्याधिक महत्व दे रही है।

केरल में रक्षा क्षेत्र का केवल एक ही संस्थान है और वह है यह नौसेना अकादमी और इसकी प्रगति भी काफी धीमी है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री ने इस बजट में इस नौ सेना अकादमी के निर्माण हेतु कुछ निधि प्रदान की है या नहीं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और कैडेटों को प्रशिक्षण देने का कार्य कब शुरू होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : स्पष्ट रूप से कहें तो माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि यह पूर्वानुमान किया गया था कि .....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : आप यह बताएं कि तकनीकी अधिकारियों की कमी क्यों है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रश्न स्पष्ट रूप से तकनीकी अधिकारियों की कमी के बारे में पूछा गया है। हम नौ सेना अकादमी की चर्चा कर रहे हैं और इस बारे में भी स्पष्ट रूप से पूछा गया है। परंतु चूंकि यह प्रत्याशित था मैंने इस प्रश्न के संबंध में कुछ जांच की थी। यह सच है कि शिलान्यास वर्ष 1984 में किया गया था। इसका शिलान्यास भी अन्य कई शिलान्यासों की तरह ही था जो बिना कुछ सोचे समझे किए जाते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री टी. गोविन्दन : यह सच नहीं है।.....*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्दन : महोदय, इसका शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, माननीय मंत्री ने अपना उत्तर दे दिया है। कृपया इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और बैठ जाइए।

......*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए। आपको मेरा उत्तर सुनना चाहिए। मैंने कहा था कि इसका शिलान्यास भी वैसे ही एक शिलान्यासों में है जो बिना किसी योजना के किये जाते हैं।.....*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : यह किसी अन्य शिलान्यास की तरह नहीं है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कृपया धीरज रखिए और मेरा उत्तर सुनिए। आप कम से कम मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मुझे यह समझ नहीं आता.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री करुणाकरण जी आप उस समय मुख्य मंत्री थे। जहां तक बजट का प्रश्न है, मेरा कहना है कि इस परियोजना को 1995 में स्वीकृति दी गई थी। यह सच है।

एक माननीय सदस्य : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इससे फक पड़ता है क्योंकि माननीय मंत्री ने एक प्रश्न पूछा है। मुझे यही कहना था। मुझे यही कहना था। अन्यथा, रक्षा मंत्री पर आरोप लगेगा।.....*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : जब तक मंत्रिमंडल और योजना आयोग इसे स्वीकृति प्रदान नहीं करते। तब तक अकादमी इसे स्वीकृति नहीं देते। इसे स्वीकृति अगले वर्ष भी दी जा सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि .....*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रश्न यह है कि शिलान्यास 1984 में किया गया था और परियोजना को मंजूरी 1995 में मिली थी। यह निर्धारित समय के अनुसार 2001 में पूरी होगी। इसलिए आज से तीन वर्षों के बाद यह परियोजना पूरी हो जाएगी। आपको उस परियोजना के पूरा होने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

डा. सरोजा वी. : महोदय, मैं जानती हूं कि फ्रांस की सरकार लोगों की भर्ती 18 वर्ष की आयु में करती है तथा सभी प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सेना में लिया जाता है। वे 18-19 साल तक सेवा में रहते हैं और 35 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत हो जाते हैं। क्या भारत सरकार भी प्रशिक्षित कार्मिकों की भारी कमी को दूर करने तथा युवा और प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी ही नीति अपनाने पर विचार करेगी?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। यह तकनीकी दक्षता के बारे में है।

कर्नल सोना राम चौधरी : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय सशस्त्र सेनाएं काफी तकनीकी और परिष्कृत हो गई हैं। सशस्त्र सेनाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार और उपकरण काफी परिष्कृत हैं। इसलिए, हमें इस कमी को पूरा करने के लिए योग्य इंजीनियरों की आवश्यकता है। आज थल, जल और वायु सेना में भर्ती होने वाले अधिकांश इंजीनियरों के पास उन कालेजों से की डिग्रियां होती हैं जहां उन्होंने कैपिटेशन फीस देकर प्राप्त की हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे देखें कि पिछले पांच वर्षों में आई आई टी से पास कितने इंजीनियर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हुए हैं। मेरे विचार से आई आई टी के एक भी इंजीनियर ने सशस्त्र सेनाओं में भती नहीं ली है। भविष्य में दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में मेजर और कैप्टनों को जाना पड़ेगा। सेना में कुल 13,000 व्यक्तियों की कमी

में से 50 प्रतिशत कमी इंजीनियरों की है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि इस कमी को पूरा करने के अलावा अच्छे इंजीनियरों को इस सेवा में आकर्षित करने के लिए क्या आपका विचार फ्लाइंग आफिसरों को दिए जा रहे योग्यता वेतन तथा डाक्टरों को दिए जा रहे नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते की भांति उन्हें भी कोई योग्यता वेतन देने का विचार है? परंतु इंजीनियरों को उनके बराबर वेतन नहीं दिया जाता। इसीलिए कोई अच्छा इंजीनियर सेना में भर्ती नहीं लेता।

क्या डाक्टरों की तरह इंजीनियरों को भी प्रोत्साहन राशि देने की आपकी कोई योजना है?

मैंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अध्ययन किया है। जैसा कि मेजर जनरल खंडूडी ने कहा है कि मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। भारतीय सेना अकादमी देहरादून में सेना अधिकारी कमीशन आफिसर बनने के बाद ही वे वहां जाकर कोर्स करते हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि एक ऐसी अकादमी खोली जानी चाहिए जहां बारहवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग में भर्ती किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल चौधरी, आप कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है? इस पर चर्चा नहीं की जा रही है।

कर्नल सोना राम चौधरी : मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के बारे में है। दूसरा यह कि जैसा कि मेजर जनरल खंडूडी ने कहा है कि बारहवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को आकर्षित बनाने के लिए एक समर्थित अकादमी बनाने पर विचार करें ताकि सशस्त्र सेनाओं में अच्छे इंजीनियरों की भर्ती की जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जहां तक कालेज खोले जाने के प्रश्न का संबंध है, जैसा कि मैं उत्तर दे चुका हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि नई योजना जिसे स्वीकृति दी जा चुकी है, में यह व्यवस्था है कि बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की भर्ती की जायेगी बशर्ते कि वे 17 से 20 वर्ष की उम्र के हों। चयन प्रत्यक्ष रूप से सेवा चयन बोर्ड द्वारा होगा। उसके बाद उन्हें देहरादून में भारतीय सेना अकादमी में छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद वे मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज में अथवा दूर संचार अथवा इलैक्ट्रिकल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें भी चाहें, साढ़े तीन वर्ष के लिए प्रशिक्षण के लिए जाते हैं।

शेष छह महीने का इंजीनियरिंग कोर्स उनके कमीशन आफिसर बनने के बाद पूरा होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस योजना में आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे का ध्यान रखा आएगा अर्थात् यह ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को उसी आवश्यक शाखा में प्रशिक्षण मिले जिसमें वे कार्य करेंगे।

जहां तक प्रोत्साहन का संबंध है मैं नहीं समझता कि पर्याप्त संख्या में भर्ती न होने का कारण केवल प्रोत्साहन की कमी या वेतन ही है। यह लोकाचार है। जहां तक रक्षा सेवाओं का संबंध है, इसमें कुछ लोकाचार होना चाहिए है। और वह लोकाचार केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। अपितु एक तरह से राष्ट्रीय लोकाचार होना चाहिए जिसमें खतरे मोल लेने इत्यादि जैसी भावना को बढ़ावा दिया जाए।

पिछले कुछ वर्षों में लोग अधिक वेतन वाली नौकरियों की तरफ आकर्षित हुए हैं। जहां वे जीवन की सर्वोत्तम वस्तुएं खरीद सकते हैं। मैं यह बात तभी समझ गया था जब आपने आई आई टी इत्यादि के बारे में कहा था। आज आपके पास बहुराष्ट्रीय कंपनियां है जो देश में ही उच्च शिक्षा वाली इन संस्थाओं के द्वार पर खड़ी हैं और उन संस्थाओं के संचालकों के साथ सीधे संपर्क करके उन विद्यार्थियों के रिकार्ड देखकर उनके उत्तीर्ण होने से पहले ही उनकी भर्ती कर लेती है। अब, मैं यह नहीं मानता कि भारत सरकार का भारतीय रक्षा सेवाएं इस प्रकार की संस्कृति का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आचार व्यवहार का प्रश्न उठता है। जनता के मन में देशभक्ति और बलिदान की भावना पैदा की जानी चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि इस समय जब हम युवा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद या विश्वविद्यालय या कालेज स्तर पर ही सीधे प्रयास कर रहे हैं तो हमें इसका श्रेय मिलना चाहिए। हम इस समय की कमी को पूरा करेंगे।

मैं यह नहीं मानता कि यह केवल प्रोत्साहनों का प्रश्न है। प्रोत्साहन तो हैं ही। मैं समझता हूं कि वेतनमान कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी किसी ने शिकायत की हो।

आयुध कारखानों का वाणिज्यीकरण

*324. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों ने जो अब तक केवल रक्षा बलों की जरूरतों को ही पूरा करते थे, अब देश तथा विदेश में वाणिज्यिक बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें हथियार और गोला बारूद निर्यात किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) आयुध निर्माणियां मुख्यत: रक्षा मंत्रालय की मांग पूरी करती है। यह मांग पूरी करने के बाद ये निर्माणियां गृह मंत्रालय की आवश्यकताएं पूरी करती हैं तथा देश के भीतर और बाहर वाणिज्यिक अवसरों का भी उपयोग करती हैं।

वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान आयुध निर्माणियों द्वारा की गई आपूर्ति की मात्रा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल निर्माण	वाणिज्यिक बिक्री	
		घरेलू	निर्यात
1993-94	1915	78	9.5
1994-95	1986	106	7.1
1995-96	2307	134	19.0
1996-97	2561	132	9.6
1997-98	3043	168	14.6

हथियारों एवं गोली बारूद के लिए निर्यात के अवसर आस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, साइप्रस, जर्मनी, ग्रीस, केन्या, मलेशिया, मारीशस, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, स्वीडन, थाइलैंड, तुर्की तथा जिम्बाब्वे आदि में विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है। साथ ही मैं प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं और देश के उन सभी वैज्ञानिकों एंव सैनिकों का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके आज हमारे देश में पोकरण में परमाणु परीक्षण किया।

हमारे देश के आयुध कारखानों द्वारा निर्मित सामान एक विशाल उपलब्धि है। आज हम दुनिया के सामने सीना ताने खड़े हैं कि हम रक्षा संबंधी मामलों में आत्मनिर्भर हो गए हैं....(*व्यवधान*) आपको क्या तकलीफ हो रही है, यह बता दें । जब आप भाषण देते है तो हम सुनते हैं, आप भी सुनने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्रीमती शीला गौतम : मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारे देश में रक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयुध कारखानों में निर्मित सामान के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है? इसके साथ मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयुध कारखानों के वाणिज्यिकरण के लिए आपके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जहां तक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात है तो हम लोगों का निर्यात नहीं के बराबर है। पिछले साल हमने कुल मिलाकर 14.6 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। 1995-96 में सबसे अधिक 19 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। मुझे लगता है कि हम लोगों की नीति ऐसी रही है कि निर्यात की तरफ हम विशेष प्रयास नहीं कर पाए। हम मानते हैं कि वह नीति सही नहीं थी, क्योंकि जो हथियार या अन्य सामान हमारे सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक है, जो हमारे देश में नहीं बनते और बनते हैं तो अधिकतम नहीं बनते, उन्हें हम विदेश से खरीदते हैं और उस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करते हैं। जो छोटी चीजें हम बनाते हैं और जिनके लिए दुनिया में मार्केट है, उस दिशा में हम लोगों ने पहल नहीं की कि हम निर्यात करने की हालत में पहुंच पाएं। इसलिए हम लोगों का मामूली निर्यात रहा है। अगर औसत निकाला जाए तो शायद 10-12 करोड़ रुपये का हम पिछले पांच-छ: वर्षों में प्रतिवर्ष निर्यात कर पाए हैं। पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय और कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बीच संवाद चला था। जिसमें हमने अनेके निर्णय लिए। उसमें एक निर्णय यह भी था कि जो हमारी आर्डिनेंस फैक्टरी है तथा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रक्षा से जुड़े हुए आयुध तैयार करती हैं, उनको विश्व में जहां भी बेचना संभव हो, वहां बेचने के लिए हम लोग तैयार रहें। उसके लिए यदि कोई संस्था का निर्माण करने की जरूरत हो तो उसकी भी कल्पना उस बैठक में हुई थी। कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज और हमारे मंत्रालय के बीच हुई बैठक में तीनों सुरक्षा बलों के विभाग के अधिकारी भी थे, उसमें यह निर्णय लिया गया था। मुझे विश्वास है कि लोग काफी आयुध बना पाएंगे।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जून 1998 में रक्षा सहयोग पर व्यापक चर्चा के लिए एक भारतीय दल रूस की यात्रा पर गया था? क्या रूस हमीरे देश के आयुध कारखानों द्वारा निर्मित सामान का आयात करने पर राजी हो गई है और क्या सरकार भविष्य में इस अन्य देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा देगी, यदि हां तो कब और इसका ब्यौरा क्या है? अभी मंत्री जी ने 16 देशों का ब्यौरा दिया है, मैं उसको विस्तार से जानना चाहूंगी?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह प्रयास जारी रहेगा। रूस से जो हम लोगों का समझौता है उसमें मोटी-मोटी चीज जैसे टैक्नीक ट्रांसफर की आवश्यकता है, वह करेंगे और उसके लिए तत्काल जो चीजें खरीदने की जरूरत है, वह भी खरीदेंगे। इसी काम के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां गया था और हमने वह काम किया भी है। हमें विश्वास है कि जो टैक्नीक ट्रांसफर होगी और जो चीजें उसके तहत हम बनाएंगे, उनको विश्व के कुछ देशों में बेचना संभव होगा, लेकिन ये देश कौन से हैं और कितना बेच पाएंगे, उस पर आज की तारीख में बताना मुश्किल है।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, आयुध कारखानें खासतौर से

महाराष्ट्र में विदर्भ, नागपुर, भंडारा और चन्द्रपुर क्षेत्रों में हैं। ये कारखाने आधी से कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वहां के लोगों को काम नहीं है। क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में है? हम अत्याधुनिक शस्त्र आज भी बाहर से मंगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या ये अत्याधुनिक शस्त्र बनाने के लिए, उनका देश में उत्पादन करने के लिए यहां की कैपेसिटी को यूज करने वाले हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, कुल मिलाकर देश में 39 रक्षा कारखाने हैं, जिनमें से 10 महाराष्ट्र में है। माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इन सारे कारखानों में, केवल महाराष्ट्र में जो कारखानें हैं, उन्हीं में ही नहीं, बल्कि सारे कारखानों में उत्पादन की जो संभावना है, जो क्षमता है, उतना काम हो नहीं रहा है। उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह है कि ये कारखाने ऐसी सामग्री बनाते हैं, जो समर के लिए है। आम तौर पर जब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर इन कारखानों में क्षमता के मुताबिक कोई चीज पैदा करना उचित नहीं होता है। कल अगर कोई ऐसी स्थित निर्माण हो गई, जहां हमें हथियारों को इस्तेमाल करने की जरूरत है और हमने अगर यह क्षमता और उसके साथ वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती करने की बात कही, तो उसमें देश का नुकसान होना है। इसलिए आपको इस नुकसान को सहन करना होगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हम तो यह पसंद करेंगे कि ऐसी स्थिति बनी रहे और इन कारखानों की जो पूरी क्षमता है, वहां तक पहुंचने की हम लोगों को जरूरत न आए।

श्री दत्ता मेघे : वहां आधे से ज्यादा लोगों को काम नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैंने बताया कि बात सही है। दुनिया में कई आर्डिनेंस फैक्ट्रीज में यह बात बनी रहती है, क्योंकि आप तैयारी में रहते हैं और जब जरूरत पड़ेगी, तब काम मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री वी. वी. राघवन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विद्यमान आयुध कारखानों में निजी भागीदारी की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है? यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है तो क्या यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए ठीक होगा?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ऐसे भी कारखानें हैं जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं और जहां पर जौंगा बनाया जाता है। आज के दिन जबलपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री में जौंगा बनता है। देश में सामान्यतया यह मान्यता है कि इससे बढ़िया कोई भी व्हीकल नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वी. वी. राघवन : महोदय, मेरा प्रश्न अंग्रेजी में था। माननीय मंत्री जी कृपया अंग्रेजी में उत्तर दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे खेद है मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

आयुध कारखानों में हम कई चीजों का उत्पादन करते हैं जिसमें कपड़े भी शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों में ऐसे आयुध कारखाने हैं जहां हम वाहनों का भी उत्पादन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आज हम जिस जौंगा का उत्पादन कर रहे हैं वह वाहन क्षमता और ईंधन क्षमता दोनों ही दृष्टि से बाजार में सबसे अच्छे किस्म का वाहन है। वास्तव में, देखने के अलावा यह हर दृष्टि से सर्वोत्तम है। अत: ऐसे क्षेत्र हमेशा बने रहेंगे जहां अंतर क्रिया और सहयोग तथा संभवत: निगमित क्षेत्र के साथ समर्थन की संभावना होगी। उदाहरण के लिए इस समय, निगमित क्षेत्र वह सभी सामग्री का उत्पादन करता है जो आयुध कारखानों में या हमारे विभिन्न उपक्रमों में तैयार उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए अगर हम अनौपचारिक स्तर पर देखें तथा इसी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी-भागीदारी, प्रौद्योगिकी विकास, अधिक प्रभावी विपणन तथा अधिक प्रभावी उत्पादन को देखे तो मैं समझता हूं कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। यह उस सम्मेलन की कार्यसूची का हिस्सा था जो भारतीय उद्योगों के महासंघ और रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ था। हम उनके प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रतिवेदन हमें प्राप्त होंगे हम निर्णय ले लेगें।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष महोदय, अपने देश में देश के अन्दर खासतौर से जो छोटे वैपन्स हैं, उनकी डिमान्ड बढ़ती जा रही है। अपने देश के अन्दर आज भी जो हथियार बनाए जा रहे हैं, उसके मुकाबले में जो विदेशी हथियार हैं, चाहे वे पुराने ही हैं, हालांकि अब बैन लग गया है, अभी भी लोग उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, सरकार अपनी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ऐसे हथियारों की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? जैसा कि बताया गया है कि बाहर से कोई टैक्नोलाजी लाने की बातचीत चल रही है। अगर इस बारे में कोई बातचीत हुई है, तो वह कहां तक पहुंची है और कब तक इसमें सुधार हो सकता है? स्थिति यह है कि अपने देश के अन्दर इन हथियारों का मार्केट बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से अपने देश में आतंकवाद या कानून व्यवस्था बहुत जगहों पर खराब होती चली जा रही है। सुरक्षा के लिए लोग हथियार लेना चाहते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि वे क्वालिटी के कारण नहीं ले रहे हैं। इन दो चीजों के बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, छोटे हथियारों में सुधार के लिए जितनी टैक्नोलाजी की जरूरत है, वह हमारे देश में काफी है। इसमें जहां और भी सुधार करना संभव है, वहां सुधार करने का काम लगातार डिफेंस लेबोरेट्रीज में जारी है। मुझे नहीं लगता है कि छोटे हथियारों की टैक्नोलाजी हासिल करने के लिए हमें विश्व में कहीं जाने की विशेष जरूरत है, लेकिन अगर जरूरत महसूस होती है, वहां पर हम निश्चित ही कदम उठायेंगे।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आज अत्यंत महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की है कि वह हमारे आयुध कारखाने को निर्यातोन्मुखी बनाना चाहते हैं। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं और उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह मत है कि 40 में से अधिकतर आयुध कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वे लागत और उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं जिससे वे स्वयं कुशलता से उत्पादन नहीं कर पाते और इसलिए निर्यात की संभावना नहीं रहती। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह आयुध कारखानों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें रक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्योगों की तरह निगमित करने पर विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, हम इन विचारों पर काम कर रहे हैं जिनकी माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की है। जैसे ही और जब प्रस्तावों को तैयार किया जाएगा मैं सदन में आऊंगा अथवा उसकी घोषणा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक खेल निशानेबाजी भी है। इस देश में निशानेबाजी के लिए तमाम तरह की राइफलें, एयर राइफलें और पिस्टल्स की जरूरत अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए होती है। भारत में इस निशानेबाजी के खेल के लिए हम सामान बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। पिछले पचास वर्षों में हमारी डिफेंस आर्डिनेंस फैक्ट्रीज उस स्तर पर नहीं पहुंचा पाई है। यह अकेला खेल ऐसा है, जिसमें भारत ने कई बार कई अन्तरराष्ट्रीय टुर्नामेंट्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम रोशन किया है। कर्णी सिंह से लेकर जसपाल राणा तक विश्व विख्यात निशानेबाज इस देश ने पैदा किए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, निशानेबाजी अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बन्दूक, राइफल्स, रिवाल्वर्स, एयर राइफल्स, एयर पिस्टल्स उपलब्ध हों और निशानेबाजों को सस्ते दामों पर मुहैया की जा सकें, इस ओर क्या मंत्री जी ध्यान देंगे? साथ ही कारतूस की भी बहुत सख्त कमी है, उन्हें भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसकी भी क्या देश में व्यवस्था की जाएगी, ताकि भारत के निशानेबाज नाम कमा सकें?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में हमने पहले ही पहल की है और यह मामला कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी निर्यात, वाणिज्यिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आयुध कारखानों के सम्मुख मुख्य समस्या आधुनिकीकरण और पुरानी मशीनरी को बदलने की है। जिसके लिए आयुध कारखानों को पर्याप्त धन की आवश्यकता है। वर्तमान बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह समस्या बनी हुई है क्या मंत्री जी आयुध कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कही गयी धनराशि देने पर विचार करेंगे?

दूसरा जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है वे बहुत सी ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनकी उनके द्वारा बनाए जाने की अपेक्षा नहीं होती है और इसके लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है अथवा देश में पर्याप्त इकाईयां हैं। क्या मंत्री महोदय उन उत्पादों में कटौती करने पर विचार करेंगे जो आयुध कारखानों द्वारा बनाई जा रही है और उन्हें रक्षा क्षेत्र के लिए ही सीमित रखेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा अपने अनुपूरक प्रश्न में की गई बात अभी मंत्रालय के विचाराधीन है। आधुनिकीकरण की संभावना और इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों से इसे वंचित करना, उदाहरण के लिए, किसी को वस्त्र इत्यादि का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है, इस रिपोर्ट के विषय हैं। वह रिपोर्ट विचाराधीन है और शीघ्र ही हम इस पर निर्णय लेंगे।

जहां तक पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का संबंध है, मैं नहीं समझता कि जहां तक आयुध कारखानों की आवश्यकता अथवा रक्षा बलों का संबंध है, धनराशि प्रदान करने में कोई समस्या होगी।

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क युक्त दुकानें

*325. **श्री के. एस. राव** :

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का भारत में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें स्थापित करने के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके साथ-साथ उन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए बोलियां आमंत्रित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इससे पूर्व उन कुछ विदेशी कंपनियों की बोलियां स्वीकृत की थीं, जिनका मूल्यांकन करने का कार्य अंतिम चरण में था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें स्थापित करने से कुल कितनी धनराशि अर्जित होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ङ) कोई नई बोलियां आमंत्रित नहीं की गई हैं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पांच अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें चलाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहायता के लिए कन्सलटेंट कंसालीडेटरों हेतु 1995 में जारी विज्ञापन के प्रत्योत्तर में

बोलियां प्राप्त हुई थीं। इन बोलियों की जांच पड़ताल कर ली गई है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन शुल्क मुक्त दुकानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का सही-सही परिकलन इस समय नहीं किया जा सकता।

श्री के. एस. राव : माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में शुल्क मुक्त दुकानें चलाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहायता के लिए कन्सलटेंट/कंसालीडेटरों हेतु 1995 में जारी विज्ञापन के जवाब में निविदाएं प्राप्त हुई थीं। अध्यक्ष महोदय 1995 में प्राप्त हुई निविदाओं के लिए सरकार इस स्थिति में भी है कि निर्णय ले सके जबकि भारत में शुल्क मुक्त दुकानें खोलने के लिए लोगों ने अनुमति देने का निर्णय कर लिया गया है। सभी जानते हैं कि शुल्क मुक्त दुकानों से लाखों डालर की विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। दुबई, सिंगापुर और हांगकांग जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विमानपत्तनों में कुछ शुल्क मुक्त दुकानें है जहां लाखों डालर की विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है और भारतीय इन चीजों को खरीदने के लिए ही केवल वहां जा रहे हैं। यह देखकर दुख होता है कि तीन वर्षों से सरकार इस मामले में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं – हालांकि मैं नहीं समझता कि यह इनका दोष है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है – क्या वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे लिए इस अपमान को दूर करेंगे कि यह सरकार यह देश शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता अथवा शीघ्र कार्यवाही नहीं कर सकता। क्या आप आगे आएंगे/पहल करेंगे और इस देश के हित में शीघ्र कार्यवाही करने अथवा निर्णय लेने के लिए अपने तन्त्र को तैयार करेंगे?

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री के. एस. राव द्वारा व्यक्त की गयी चिंता को समझता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं हालांकि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें शीघ्रता से स्थापित की जानी चाहिए ताकि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अधिक कमाई की जा सके। विश्वव्यापी निविदा का मामला अधिक समय लगाने वाला मामला है। अत: यह प्रश्न कंसालीटेडरशिप और कन्सलटेंटशिप के बीच का है। अवधारणा में मतभेद है। असाधारण विलम्ब के संबंध में और अवधारणा में मतभेद क्यों हुआ के संबंध में मैं एक सदन के भीतर संक्षिप्त जांच करवाने जा रहा हूं।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए अधिक राजस्व अर्जित करने और बेहतर सुविधाओं के लिए शुल्क मुक्त दुकानें स्थापित करने के लिए हमें इस समस्या का हल निकालना चाहिए।

श्री के. एस. राव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन शुल्क मुक्त दुकानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का सही-सही परिकलन इस समय नहीं किया जा सकता। मैंने सही राशि के बारे में नहीं पूछा है। मैंने तो सिर्फ इन शुल्क मुक्त दुकानों को स्थापित करने से अर्जित की जाने वाली कुल राशि के बारे में ही पूछा था।

दुर्भाग्यवश, अधिकारियों ने भी इस मामले पर अपना दिमाग नहीं लगाया। बिना यह जानने हुए कि कुल कितनी राशि इससे सृजित की जा सकेगी वे किस प्रकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं?

महोदय, यदि माननीय मंत्री, श्री जेठमलानी इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें इसका परिकलन भी कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने पहले ही जवाब दे दिया है कि वे इस मामले की जांच कराने जा रहे हैं।

श्री के. एस. राव : महोदय, मंत्रालय में प्रत्येक अधिकारी के पास मूल्याकंन होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है यदि माननीय मंत्री जी इस सदन में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह कुछ नहीं कह सकते। इसका अर्थ यही लिया जाएगा कि उन्होंने और उनके अधिकारियों ने संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी रक्षा कीजिए। यह केवल किसी विषय पर प्रश्न पूछने और उत्तर प्राप्त करने का ही मामला नहीं है। मैंने वास्तविक राशि के बारे में भी पूछा था। मैंने तो केवल इसके द्वारा कमाई जाने वाले अनुमानित राजस्व के बारे में ही पूछा था। माननीय मंत्री अथवा मंत्रालय के अधिकारियों को मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर ध्यान देने तक की कोशिश नहीं की।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राजस्व की सही राशि के बारे में जानने के लिए कोई प्रयास किया था क्या यह लाखों में अथवा करोड़ों में होगी? क्या मंत्री जी को इसके बारे में कोई जानकारी है? यदि माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानते हैं तो वह इस सदन को क्यों नहीं बता देते हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री राव कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार : यदि इनके अनुपूरक प्रश्न में कोई प्रश्न होगा तभी मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री के. एस. राव : महोदय प्रश्न के भाग 'ग' में मैंने पूछा था कि "क्या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने इससे पूर्व उन कुछ विदेशी कंपनियों की निविदाएं स्वीकृत की थीं, जिनका मूल्यांकन करने का कार्य अन्तिम चरण में था।" लेकिन इसका जवाब उत्तर में नहीं दिया गया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस चरण में हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री के. एस. राव : महोदय, मैं इस प्रश्न का माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार आप माननीय मंत्री जी से विशेष और स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा करते हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मैंने गौर फरमाया था, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में विद्यमान शुल्क मुक्त दुकानें भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जा रही हैं जिसका 75 करोड़ रुपये का कारोबार है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को केवल 7.5 करोड़ रुपये वार्षिक प्राप्त हो रहा है। जबकि इन अंतर्राष्ट्रीय और विश्वव्यापी निविदाओं के माध्यम से खुलने वाली दुकानों की लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष 50 करोड़ है जिसका वर्णन हमने निविदा फार्म में किया हुआ है। इसलिए जब यह 50 करोड़ रुपये है तो यह इससे कुछ अधिक भी हो सकता है जिसका हमने हिसाब नहीं लगा सके हैं।

श्री के. एस. राव : यह क्रम अथवा ज्यादा हो सकता है लेकिन इसकी अनुमानित राशि क्या है?

श्री अनंत कुमार : यह बात है।

दूसरे, 1995 में विज्ञापन दिया गया था निविदाएं आमंत्रित की गई थीं वे अंतिम चरण में हैं जब हमने निविदाएं आमंत्रित की थीं तो विज्ञापन कंसलीडेटरशिप के लिए दिये गए थे। लेकिन अब नीति में एक परिवर्तन किया गया और हम इसे कन्सेशनरशिप के लिए भी देने को तैयार हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इस पर पुन: बातचीत की जाए।

श्री के. एस. राव : अधिक राजस्व के लिए!

श्री अनंत कुमार : यह स्वाभाविक है।

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : अध्यक्ष महोदय श्री के. एस. राव ने स्पष्ट रूप से दो प्रश्न पूछे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिससे भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि केवल 500 मदों पर विचार किया जाना था लेकिन इस समय 50,000 से भी अधिक मदें हैं जिनको निपटाना है। कुल मिलाकर यह भी पाया गया है कि वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य जो कि आई. टी. डी. सी. द्वारा आंके जा रहे हैं, वह अन्य देशों विमानपत्तनों जैसे कि फ्रैंक बर्ट, लंदन, सिंगापुर आदि पर मूल्यों की तुलना में बहुत कम है। अत: यह बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। जिससे भारत विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया है कि इस श्रेणी के केवल पांच अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। क्या शुल्क मुक्त दुकानों की मदों के निपटान के लिए इस श्रेणी के और अधिक विमानपत्तन शुरू करने की कोई योजना है? यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार विमानपत्तनों पर इन दुकानों में शुल्क मुक्त वस्तुओं से प्राप्त होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है अथवा क्या कदम उठा रही है अथवा उपाय कर रही है।

श्री अनंत कुमार : सर्वप्रथम, आज हमारे यहां पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। मैंने अनेक बार कहा कि पांच अन्य भी पूर्णत: इन शर्तों को पूरा करते हैं। कुछ और विमानपत्तन भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने का आह्वान किया है। हम ऐसे सभी विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें खोलने की संभावनाओं की जांच करेंगे। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा भारत सरकार की आय बढ़ाने के लिए अच्छा प्रबन्धन जरूरी है अर्थात् इन शुल्क मुक्त दुकानों का प्रबन्धन बाहरी लोगों को दिया जाए।

श्री ए. सी. जोस : माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि उनका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। लेकिन हमारे पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को देखते हुए मैं समझता हूं कि उनकी योजना वहां कारगर नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी शुल्क मुक्त दुकान के लिए कोई बढ़िया स्थान नहीं है। सर्वप्रथम उनके लिए बढ़िया स्थान उपलब्ध कराना होगा। नए उद्यम के रूप में और कंपनी अधिनियम के आधार पर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात कोचीन में एक नया विमानपत्तन बनाया जा रहा है। यहां काम ठीक प्रकार से चल रहा है यह लगभग पूरा होने वाला है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कोचीन में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में एक बड़ी शुल्क मुक्त दुकान के निर्माण में अपना योगदान करेगा? ऐसा केवल इसलिए भी तभी भारतीय विमानपत्तन कुछ और अधिक धनराशि एकत्र कर सकता है और कोचीन में बनाए जा रहे नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में एक शुल्क मुक्त दुकान का निर्माण कर सकता है।

श्री अनंत कुमार : 1996 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी और उसने पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में कुछ और स्थान की प्राप्ति के पहलू का अध्ययन किया था आई टी डी सी के प्रबन्धन में चलाई जा रही शुल्क मुक्त दुकानों के लिए पहले से उपयोग में लॉस जा रहे। 1626 वर्ग कि.मी. स्थान के अलावा हमने पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 1380 वर्ग कि.मी. अतिरिक्त स्थान निकाला है और उनके लिए हमने विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह एक मुद्दा है।

वरिष्ठ माननीय सदस्य के कोचीन में बनाए जा रहे विमानपत्तन के बारे में पूछे गए प्रश्न के संबंध में मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य सुझाव है क्योंकि मेरी भी यही राय है कि हमारे विमानपत्तनों को केवल विमानन क्रियाकलापों के जरिए ही राजस्व अर्जित न हो बल्कि गैर विमानन पहलूओं से भी राजस्व प्राप्त हो। इसलिए विमानपत्तन केवल उतरने और चढ़ने के लिए केवल प्लेटफार्म ही नहीं होने चाहिए। वहां महत्वपूर्ण केन्द्र माल खरीददारी और वाणिज्यिक लेन-देन के केन्द्र भी होने चाहिए।

श्री ए. सी. जोस : आप अब भी इसकी योजना बना सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है यहां शुल्क मुक्त दुकानों इसका एक हिस्सा बन गए हैं। हम कोचीन विमानपत्तन के संबंध में इसकी संभावनाओं इस पक्ष की सक्रियता पर विचार करेंगे कि और इसकी जांच करेंगे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, नागर विमानन मंत्रालय शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है। क्या यह विमानपत्तनों तक ही सीमित है? अथवा यह शुल्क से भी मुक्त है? में इस बारे में उनसे जानना चाहूंगा। इससे पहले कभी मैंने एक प्रश्न पूछा था और आपने मंत्री महोदय से लिखित में उत्तर देने के लिए निदेश दिए थे क्योंकि प्रश्न काल समाप्त हो गया था। मुझे अभी तक मंत्रालय से कोई जानकारी नहीं मिली है जबकि एक माह बीत चुका है। इन सब बातों के होते हुए मैं यह भी समझता हूं कि तिरूपति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 6 करोड़ रुपये दे चुका है। मैं नहीं चाहता कि कोई शुल्क मुक्त दुकान वहां बने लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय तिरूपति, चेन्नाई और हैदराबाद के बीच उड़ानों की आवा-जाही बढ़ाएं यद्यपि इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है तो भी मैंने यह पूछा था। चूंकि उन्होंने शुल्क मुक्त कहा था। मैंने पूछा था कि क्या वह एक 'शुल्क मुक्त' मंत्री भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इसका उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अनंत कुमार : मैं संविधान के प्रति और इस सभा के प्रति कर्तव्यबद्ध हूं। यद्यपि यह इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता, मैं माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री और माननीय श्री रेड्डी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति में और विमानपत्तन विभिन्न विमानपत्तनों के संबंध में मेरी आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू के साथ विस्तृत बैठक हुई थी। उन्होंने इस बारे में बहुत ही मदद की और अनुकूल रुख अपनाया ।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या आप मुख्य मंत्री से विमान उड़ानों की आवा-जाही बढ़ाने के लिए परामर्श कर रहे हैं?

श्री अनंत कुमार : मैं इस बात को कार्यवाही वृतांत में लाना चाहता हूं कि मैं आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं। वह आन्ध्र प्रदेश में विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाने और विमानन को जोड़ने के प्रयास में मेरे से हमेशा मिलते रहे हैं। हम तिरूपति विमानपत्तन के नवीनीकरण और उसका दर्जा बढ़ाने के बारे में 7.2 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना शुरू कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है। कि हम तिरूपति विमानपत्तन का दर्जा बढ़ा रहे हैं और इसे 1 नवंबर 1998 को अर्थात् 'आन्ध्र दिवस' पर चालू कर रहे हैं, इसे वहां की जनता को सौंप रहे हैं।

बालाजी के दर्शन के लिए तिरूपति के लिए और अधिक स्थानों से विमान चलाने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

रेलवे को हानि

*326. **डा. सुगुण कुमारी चलामेला** :

श्री के. पी. नायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को टिकट बुकिंग के लिए लगाए गए कम्प्यूटर में दोष आ जाने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान करोड़ों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार/डिवीजनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कम्प्यूटर पर आधारित टिकट मशीनों के जरिए अनारक्षित/सीजन टिकटों को जारी करने में बरती गई अनियमितताओं तथा उन मशीनों में आई खराबियों के कारण, रेलों को राजस्व की हानि उठानी पड़ी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. **सीज़न टिकट मुद्रण प्रणाली**

यह प्रणाली पश्चिम रेल के चर्चगेट स्टेशन पर संस्थापित की गई थी। इस प्रणाली में अनियमितता का पता सितंबर/अक्तूबर, 95 के दौरान लगा था जिसके कारण लगभग 40-50 लाख रुपये की हानि हुई। यह प्रणाली अब बंद कर दी गई है।

2. स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें

रेल कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप इस पर हुई राजस्व की अनुमानित हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे	स्टेशन का नाम	राजस्व के रिसाव की अनुमानित राशि
मध्य	पुणे, भांडुप और भोपाल	34,000 रुपए
उत्तर	इलाहाबाद	1.85 लाख
दक्षिण मध्य	सिंकदराबाद	1,660 रुपए

(ग) जी हां।

(घ) रेलों की बहुविभागीय समितियों द्वारा इन सभी मामलों की जांच की गई थी। सीजन टिकटों को जारी करने में पश्चिम रेलवे पर हुई जालसाजी से संबंधित एक मामले में सी. बी. आई द्वारा भी जांच

कराई गई थी। मंत्रालय द्वारा इन मशीनों की कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी, जिसमें वाणिज्यिक, वित्त तथा भंडार विभागों के अधिकारी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे पर सीजन टिकट मुद्रण मशीन के बारे में की गई जांच का मुख्य निष्कर्ष यह था कि प्रणाली का डिजाइन ही दोषपूर्ण था क्योंकि इसमें समुचित सुरक्षा प्रक्रिया न होने के कारण आपरेटर डाटा फाइल में, जिसमें लेनदेन का रिकार्ड होता है, फेरबदल कर सकता है।

उत्तर रेलवे के इलाहाबाद स्टेशन पर संस्थापित स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों में मशीनों के किसी भी काउंटर से जिन्हें केन्द्रीकृत गणना प्रणाली के अभाव में इन्टर लिंक नहीं किया गया था, धन वापस लेने की सुविधा का टिकट बाबुओं ने दुरुपयोग किया था। मध्य रेलवे के पुणे, भांडुप तथा भोपाल स्टेशनों पर टिकट बाबू ने प्रिन्टर में फेरबदल करने के लिए उसमें खाली पेपर डाल देते थे और पूर्व मुद्रित स्टेशनरी बचा लेते थे जिसका इस्तेमाल वे अधिक मूल्य के टिकट प्रिन्ट करने में करते थे और बुकिंग लिपिक बकाया राशि आपस में बांट लेते थे और दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद स्टेशन पर टिकट की वास्तविक कीमत के बजाय टिकट में वास्तविक राशि 2 रुपये दी जाती थी। शेष राशि आपरेटर ले लेते थे। अनियमितता का पता रिकार्ड की जांच करने पर लगा।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :

i) स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें पी. सी. पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

ii) रेलों के लिए कम्प्यूटरीकृत स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें विशेषज्ञता प्राप्त संगठनों द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

iii) स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों का आबंटन वेंडरों की पूर्व अर्हता के आधार पर सीमित निविदाओं पर आधारित होना चाहिए।

iv) वार्षिक अनुरक्षण करार का मानक फार्मेट निविदा शर्तो का भाग होना चाहिए। प्रणाली स्वत: निदानात्मक होनी चाहिए जो पुर्जो की जांच कर सके।

v) सभी तथ्य कम्प्यूटर में बैटरी पर आधारित हटाई जा सकने योग्य प्रोग्राम किए जाने वाली स्मृति (इरेजेबल प्रोग्रामेबल - एपरॉम) में होने चाहिए ताकि किसी भी समय इनको पुन: प्राप्त किया जा सके।

vi) वाणिज्यिक, यातायात और लेखा कार्यालय के कर्मचारी उचित रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए।

vii) गणना और निरीक्षण के लिए मानक संयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(ङ) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

i) पश्चिम रेलवे पर संस्थापित सीजन टिकट मुद्रण प्रणाली (स्टैप्स) बंद कर दी गई है।

ii) उपर पैरा (घ) में दी गई समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं।

iii) स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों में धन वापसी के लिए टिकटों को रद्द करने की सुविधा अब केवल उन्हीं काउंटरों में होगी जहां से टिकट जारी किया गया होगा।

iv) सी.बी.आई ने 7 रेल कर्मचारियों और तथा जिस कंपनी ने मशीन सप्लाई की थी, उसके एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए आरोप पत्र दायर किया है।

v) 17 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति का तथा 16 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी शास्ति का आरोप पत्र जारी किया गया है।

डा. सुगुण कुमारी चलामेला : मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का विस्तार से उत्तर देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या केलट्रोन कंपनी के लिए वही लाइसेंस मध्य, उत्तर और दक्षिण मध्य रेलवे में भी जारी है और यदि हां तो इसे रद्द क्यों नहीं कर दिया गया अथवा रोक क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि यह गरीब विकासशील देश इस प्रकार करोड़ों रुपए की हानि नहीं उठा सकता?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्या ने सिकन्दराबाद में सैल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन को लेकर जो गड़बड़ी हुई है, उसके बारे में जानना चाहा है। इसके उत्तर में मुझे बताना है कि उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है तथा उसी पुराने मैनुअल सिस्टम से काम चल रहा है। जहां तक केलट्रान कंपनी का सवाल है तो यह केरल राज्य की सरकारी कंपनी है, केरल राज्य सरकार का उपक्रम है। जहां तक सिक्यूरिटी सिस्टम इनवाल्व करने की बात है ताकि उसका मिसयूज न हो, इसमें क्या सुधार लाया जाये, इसके लिये उस कंपनी को सलाह दी जा रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डा. सुगुण कुमारी चलामेला, दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

डा. सुगुण कुमारी चलामेला : कोई और अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, सारे कम्प्यूटर्स को जानबूझकर बिगाड़ने का काम होता है। हर रेलवे स्टेशन पर टिकट्स की

ब्लैक मार्केटिंग का धन्धा होता है और रेल विभाग को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। इसमें एक रैकेट चलता है और लोग काला धंधा करन का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है? यदि है, तो क्या उन्होंने इस मामले की जांच करवाई है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, साफ्टवेयर में सुधार के लिये प्रयास जारी है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें धोखाधड़ी न की जा सके, इसमें इनबिल्ट सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है। जहां तक जांच का सवाल है, एक मामले में सी. बी. आई ने जांच की है और कुछ लोगों पर मुकदमा चल रहा है तथा बाकी लोगों पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सुखिन्दा क्रोम अयस्क खानें

***322. श्री नरेश पुगलीया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1998 के "दि स्टेट्समैन" में "प्रैशर टू क्लियर सुखिन्दा लीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र की वे कंपनियां, जिनका सुखिन्दा क्रोम अयस्क खानों का अधिग्रहण करने का विचार है, खानों को उन्हें सौंपने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा संबंधित राज्य सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में यथा परिभाषित किसी कंपनी या भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है। तथापि, उपरोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा खनन पटटा देने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। इन प्रावधानों के अनुसार कुछ कंपनियां सुकिन्दा घाटी में क्रोम अयस्क के लिए उन्हें खनन पट्टे देने हेतु उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध कर रही हैं।

2. उड़ीसा राज्य सरकार ने 24 जून, 1997 को खान मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें उड़ीसा की सुखिन्दा घाटी में 855.476 है. के बकाया क्षेत्र के 50% में क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टा देने का अनुमोदन मांगा गया था। यह क्षेत्र मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (टिस्को) को लघुकृत क्षेत्र के लिए दूसरे नवीकरण के पश्चात उपलब्ध था। राज्य सरकार ने मैसर्स इंडियन मैटल एंड फैरो अलाय (इम्फा) /इंडियन चार्ज क्रोम लि. (आईसीसीएल) मैसर्स इस्पात अलाय, मैसर्स फैरो अलाय कारपोरेशन लि. (फैकोर) और मैसर्स जिन्दल स्ट्रिम नामक चार पार्टियों के पक्ष में खनन पट्टा मंजूर करने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव 855.476 हैक्टे. क्षेत्र के सिर्फ 50% की मंजूरी के लिए था जबकि केन्द्र सरकार ने दिनांक 17 अगस्त, 1995 के आदेश द्वारा राज्य सरकार से कुल 855.476 हैक्टे. क्षेत्र के लिए उपरोक्त चार पार्टियों के पक्ष में खनन पट्टा देने हेतु प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया था।

3. जब राज्य सरकार का दिनांक 24 जून, 1997 का उपरोक्त प्रस्ताव विचाराधीन था उसी दौरान इस मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री एम. सी. महापात्रा की कथित तौर पर 27 सितम्बर 1997 को शास्त्री भवन के कार्यालय भवन से कूदने के कारण मृत्यु हो गई। वे इस मामले को देख रहे थे। पुलिस ने श्री महापात्रा की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों की जांच का मामला अपने हाथ में ले लिया। आरंभ में दिल्ली पुलिस ने और उसके बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की। बाद में गृह मंत्रालय ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। सुखिन्दा क्रोम अयस्क खानों का खनन पट्टा देने संबंधी प्रस्ताव के सभी मूल रिकार्ड सी. बी. आई. ने अपने हाथों में ले लिए और खनन पट्टा देने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करने के संबंध में आगे कोई कार्रवाई सी.बी.आई. द्वारा मूल रिकार्ड की वापसी के बाद ही की जाएगी। सी.बी.आई. अभी भी मामले की जांच कर रही है।

4. तत्पश्चात 30 मार्च, 1998 को एक और प्रस्ताव उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ जिसमें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (एम.एम.आर.एण्ड डी. एक्ट) की धारा 4(3) के अंतर्गत सुखिन्दा घाटी में 190.80 हैक्टे. क्षेत्र में क्रोम अयस्क का खनन कार्य शुरू करने (इसी क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने इससे पहले मैसर्स इम्फा /आई.सी.सी.एल. के पक्ष में खनन पटटे की मंजूरी के लिए सिफारिश की थी।) और खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 75 (2) के अंतर्गत उपरोक्त क्षेत्र में खनन कार्य करने के लिए मैसर्स इम्फा/आई.सी.सी.एल. को राज्य सरकार के एजेंट के रूप में नियुक्त करने संबंधी उनके प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के विचार मांगे गए थे। चूंकि राज्य सरकार का प्रस्ताव खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों के, विशेषकर इसी अधिनियम की धारा 4 (3) के अनुरूप नहीं पाया गया जो सिर्फ राज्य सरकार को खनन कार्य करने की अनुमति देता है परन्तु एजेंट के माध्यम से राज्य सरकार को खनन कार्य करने की अनुमति नहीं देता। अत: राज्य सरकार को यथोक्त प्रस्ताव 23 अप्रैल, 1998 को उन्हें लौटा दिया गया जिसमें केन्द्र सरकार के इस आशय के विचार को व्यक्त किया गया कि यह

प्रस्ताव खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

5. तत्पश्चात उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने दिनांक 17.6.1998 की अधिसूचना द्वारा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 75(1) के तहत यह अधिसूचित किया है कि राज्य सरकार का सुखिन्दा घाटी के जाजपुर जिले के कलिमा-पानी गांव में 119.08 हैक्टे. क्षेत्र के क्रोमाइट अयस्क के लिए खनन कार्य करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने दिनांक 17.6.1998 के आदेश द्वारा मैसर्स आई सी सी एल को 2 वर्ष या केन्द्र सरकार द्वारा उनके पक्ष में पट्टे के अनुमोदन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 75 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार के एक एजेंट के रूप में उपरोक्त क्षेत्र में क्रोम अयस्क के खनन कार्य करने हेतु कार्य करने की अनुमति भी दे दी है।

6. मैसर्स फैकार ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मैसर्स आई सी सी एल को राज्य सरकार के एजेंट के रूप में खनन कार्य करने के लिए कार्य अनुमति देने के बारे में राज्य सरकार के दिनांक 17.6.1998 के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है और इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है।

बंजर भूमि विकास कृतक बल

***327. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनरोपण के माध्यम से बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने के लिए किसी बंजर भूमि विकास कृतक बल (डब्ल्यू.डी.टी.एफ.) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी हां।

(ख) विभाग ने निम्नलिखित कार्यों सहित वनरोपण करके बंजरभूमि को पुन: उपजाऊ बनाने हेतु एक अनुशासित बल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बंजरभूमि विकास कृतिक बल का गठन 12.9.1994 को किया है :

– मृदा तथा नरमी संरक्षण
– पौधरोपण
– पौधरोपण का अनुरक्षण
– संरक्षण

इस बल में प्रादेशिक सेना की कमांड के तहत 300 भूतपूर्व सैनिक तथा सेना/प्रादेशिक सेना के 15 कार्मिकों का एक कोर ग्रुप शामिल है। लगभग 3.81 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 1170 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास करने के लक्ष्य के साथ बल को विशिष्ट रूप से मध्य प्रदेश राज्य में चंबल में बीहड़ों को विकसित करने के लिए तैनात किया गया है। किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे किसी बंजरभूमि विकास कृतिक बल का गठन नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए जवाहर रोजगार योजना की आरक्षित धनराशि

***328. श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने दस लाख कुओं की योजना तथा जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई) की निधि में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित 22.5 प्रतिशत राशि के बदले कम्यूनिटी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की योजनाएं क्रियान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के बालासोर और भद्रक राजस्व जिलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के नाम पर भूमि का कब्जा लेने के अधिकारों के संबंध में केन्द्रीय मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) यदि भूमि संबंधी कारणों से कुओं का निर्माण संभव न हो तो दस लाख कुओं की योजना, जो मुख्यत: खुले सिंचाई कुओं के लिये है, की निधियां, सिंचाई तालाबों, जल संरक्षण ढांचों जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं और छोटे और सीमांत किसानों की भूमि के विकास पर भी खर्च की जा सकती हैं। किसी भी वर्ष में योजना के अंतर्गत प्रयुक्त निधियों का कम से कम दो तिहाई हिस्सा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब छोटे और सीमांत किसानों पर खर्च किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों अर्थात् जिला परिषद्/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मध्य स्तरीय पंचायत और ग्राम पंचायत पर निर्धारित निधियों का 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की व्यक्तिगत लाभार्थी योजना पर खर्च किया जाए। सामान्यत: इन दिशा-निर्देशों को अनुपालन किया गया है और इससे बहुत अधिक विचलन की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि राज्यवार जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बौद्ध तीर्थस्थानों के लिए विमान सेवा

***329. श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध तीर्थ स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी को भी विमान सेवाओं से जोड़ने की योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, सारनाथ, कुशीनगर, तथा लुम्बिनी (नेपाल) की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की आवश्यकताएं वाराणसी हवाई अड्डे से पूरी की जा रही हैं क्योंकि यह हवाई अड्डा इन स्थानों के अधिक निकट है और यह मुम्बई, दिल्ली, आगरा, खजुराहो, काठमांडू तथा लखनऊ से भी जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

सफाई कार्यक्रम

***330. श्री माधव राव पाटील :**

श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अलग-अलग शौचालयों के निर्माण हेतु कोई केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना में प्रति एकक कितनी लागत निर्धारित की गई है और राज्य सरकारों को केन्द्र से कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी;

(ग) क्या भवन निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण राज्य सरकारों को निर्धारित दर पर ऐसे शौचालयों का निर्माण करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने विशेषकर महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को निर्धारित की गई प्रति एकक लागत सीमा और इसमें केन्द्र सरकार के अंशदान को बढ़ाने के लिए लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (च) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 से देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण जनता को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने की गति तेज करना, जागरूकता सृजन की आवश्यकता पैदा करना, आदि और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सब्सिडी देकर व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के अलावा कार्यक्रम में निम्नलिखित भी शामिल है :

(क) शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले स्वच्छ शौचालयों में बदलना।

(ख) महिलाओं के लिए ग्रामीण स्वच्छता परिसरों का निर्माण करना।

(ग) सैनिटरी बाजारों की स्थापना करना; और

(घ) जागरूकता सृजन के लिए अभियान चलाना, आदि

दिशा-निर्देशों के अनुसार 2500 रुपए की अधिकतम इकाई लागत निर्धारित की गई है। 80% इकाई लागत सब्सिडी के तौर पर होती है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान किया जाता है। 20% इकाई लागत लाभार्थियों को वहन करनी होती है।

लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। केवल कुछ राज्यों ने निर्धारित लागत सीमा के अंदर शौचालयों का निर्माण करने में कठिनाई व्यक्त की है।

यद्यपि महाराष्ट्र ने अभ्यावेदन दिया था लेकिन उनको सूचित किया गया था कि इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्पों के आधार पर विद्यमान लागत मानदंड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। राज्य सरकार को इस बात से भी अवगत करा दिया गया है कि कम लागत, उपयुक्त प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्पों की सीमा व्यापक है जिससे प्रति इकाई लागत को कम करने में सहायता मिल सकती है और इकाई लागत में और आगे वृद्धि करने से वास्तविक कवरेज कम हो जाएगा और 2500 रुपए से अधिक लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जानी चाहिए।

आमान परिवर्तन

***331. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मीटर गेज रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां मीटर गेज रेल लाइनें हैं और उनका राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मीटर गेज रेल लाइनों का चरणबद्ध योजना के अंतर्गत बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 31.3.1997 की (अद्यतन उपलब्ध) स्थिति के अनुसार देश में मीटर लाइन (मार्ग किलोमीटर) की कुल लम्बाई 17,044 किलोमीटर है।

(ख) मीटर लाइन वाले स्थानों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, मीटर लाइनों का राज्य-वार विभाजन नीचे दिया गया है :-

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मीटर लाइन की लंबाई (मार्ग कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1015
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1903
4.	बिहार	1427
5.	दिल्ली	22
6.	गुजरात	2532
7.	हरियाणा	322
8.	कर्नाटक	717
9.	केरल	117
10.	मध्य प्रदेश	500
11.	महाराष्ट्र	542
12.	मणिपुर	1
13.	मिजोरम	1
14.	नागालैंड	13
15.	राजस्थान	2916
16.	तमिलनाडु	2477
17.	त्रिपुरा	45
18.	उत्तर प्रदेश	2019
19.	पश्चिम बंगाल	463
संघ शासित क्षेत्र		
1.	पाण्डिचेरी	11
	जोड़	17044

(शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई मीटर लाइन नहीं है)

(ग) और (घ) सभी मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, इनमें से कुछ लाइनें रेलों द्वारा शुरू की गई एक-आमान परियोजना के अंतर्गत बड़ी लाइन में परिवर्तन हेतु कार्य योजना में शामिल हैं। इनमें से कुछ लाइनें पहले से ही बजट में शामिल हैं और उन पर कार्य चल रहा है। कार्य योजना में शामिल लाइनों तथा जिन पर कार्य चल रहा है, उन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य और रेलवे खंड का नाम	कार्य योजना में शामिल	बजट में शामिल जिन पर कार्य चल रहा है	टिप्पणी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
मुदखेड-आदिलाबाद (162 कि.मी.)	32.00	32.00	
तिरुपति-पकाला-काटपाडि	106.98	106.98	
गुतकल-धर्मावरम	101.54	50.54	धर्मावरम-कल्लुरु हटाया जाना है।
धर्मावरम-पकाला	227.42	227.42 @	
मलकाजगिरि-मौला अली	4.90	4.90	
गुंतकल-हांजपंट (भाग)	20.00	20.00	
मुदखेड-सिंकदराबाद	1179.79	179.79	
नौपाडा-गुनुपूर (90 कि.मी.)	36.00	36.00 @	
जनमपेट-भादन	19.93	19.93	
जोड़	728.56	677.56	

1	2	3	4
असम और पूर्वोत्तर राज्य			
धुब्री-फकीरग्राम	66.16		
बलियापाड़ा-भालुकपोंग	34.04		
रंगिया-मुरकोंगसेलक	449.88		
रंगापाड़ा नार्थ-तेजपुर	26.41		
लमडिंग-सिलचर	214.82	214.82	
बदरपुर-धर्मनगर-कुमारघाट	117.82		
बराईग्राम-दुल्लाबचेरा	28.85		
मकुम-डांगरी	30.77	30.77	
न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुडी बोगांइगांव (भाग)	73.00	73.00 @	
बोगांईगांव-गुवाहाटी	145		हटाया जाना है।
कटखल-भैराबी, सैरंग तक	83.57	83.57 @	
विस्तार के चरण-1 के रूप में			
जोड़	1270.32	402.16	
बिहार			
नरकटियागंज-वाल्मीकिनगर	59.09	59.09	
मानसी-सहरसा	43.67	43.67	
सहरसा-फारबिसगंज	110.68		
जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	259.11	259.11 @	
समस्तीपुर-खगड़िया	86.09	86.09 @	
समस्तीपुर-बछवाडा-बरौनी	48.7		हटाया जाना है।
रांची-लोहरदगा	70.14	70.14	
कटिहार-जोगबनी	108.00	108.00 @	
जोड़	785.48	626.10	
दिल्ली			
दिल्ली-रेवाड़ी	22.00	22.00	
जोड़	22.00	22.00	
गुजरात			
समदरी-भिलडी (225 कि.मी.)	43.00	43.00	
पाटन-मेहसाणा	39.65	39.65	
वीरमगाम-मेहसाणा	64.21	64.21	
राजकोट-वेरावल	186.56	186.56	

1	2	3	4
मलिया-मियाना-वांकानेर	96.75	96.75	
गांधीधाम-भुज	58.03	58.03	
सुरेन्द्रनगर-भावनगर, ढोला-ढासा-महुआ एंव सम्बद्ध	364.09	364.09	
धरन्द्रा-कुडा	33.00	33.00 @	
गांधीधाम-पालनपुर	313.00	313.00 @	
छोटी लाइनें	195		
जोड़	1393.29	1198.29	
हरियाणा			
रेवाड़ी-सादूलपुर (144 कि.मी.)	120.00	120.00 @	
दिल्ली-रेवाड़ी	52.92	52.92	
हिसार-बीकानेर (भाग)	41.00		
जोड़	213.92	172.92	
केरल			
कोल्लम-तिनकासी-विरुदनगर-तिनकासी-तिरुनेलवेल्लिक-त्रिचंदूर (357 कि.मी.)	102.00	102.00 @	
जोड़	102.00	102.00	
कर्नाटक			
मैसूर-चामराजनगर	60.78	60.78 @	
होजपेट-गुंतकल (भाग)	45.39	45.39	
सकलेशपुर-मंगलौर	146.70	146.70	
मंगलौर-ठोक्कूर	21.67		हटाया जाना है।
बायापनहल्ली-यशवंतपुर	18.00	18.00	
बीजापुर-गदग (300 कि.मी.)	19.15	190.15	
शिमोगा-तालुप्पा	97.28	97.28	
चिकबल्लापुर-बंगारपेट	85.00		
जोड़	664.97	558.30	
मध्य प्रदेश			
नौनेरा-भिंड	39.00	39.00	
नीमच-रतलाम	122.98	122.98	
इंदौर-खण्डवा	138.76		
रतलाम-इंदौर	118.65		
चन्द्रावती गंज-उज्जैन	22.96		

1	2	3	4
खण्डवा-अंकोला (भाग)	81		
जबलपुर-गोंडिया, बालाघाट-कटंगी सहित (283 कि.मी.)	255.79	255.79	
जोड़	779.14	417.77	
महाराष्ट्र			
मुदखेड़-आदिलाबाद (162 कि.मी.)	139.00	139.00	
मिरज-लातूर	325.91	325.91	
जबलपुर-गोंडिया, बालाघाट-कटंगी सहित (283 कि.मी.)	18.00	18.00	
शोलापुर-होटगी	16.00	16.00	
खण्डवा-पूर्णा	301.86		
पचौरा-जामनेर छोटी लाइन			
सिंकदराबाद-मुदखेड़	61.07	61.07	
जोड़	861.84	559.98	
उड़ीसा			
रूपसा-बांगरीपोसी	89.00	89.00	
नौपाड़ा-गुनुपुर	54.00	54.00 @	
जोड़	143.00	143.00	
राजस्थान			
बांदीकुई-आगरा	151.00	151.00	
लूनी-मुनाबाव	299.00	299.00	
श्रीगंगानगर-सरूपसर	126.00	126.00 @	
रेवाड़ी-रिंगस-फुलेरा	173.01		
समदरी-भिलड़ी (225 कि.मी.)	182.00	182.00	
बीकानेर-रतनगढ़-हिसार	267.11		
मारवाड़-मवली-बड़ीसद्री	233.66		
पीपर आर डी-बिलारा	41.14	41.14	
श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़	57.00		
जयपुर-फुलेरा-अजमेर	144.62		
चित्तौड़गढ़-नीमच	56		हटाया जाना है।
अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर	300.00	300.00	
रेवाड़ी-सदूलपुर (141 कि.मी.)	39.00	39.00 @	
जोड़	2069.54	1138.14	

1	2	3	4
तमिलनाडु			
मद्रास-त्रिची कॉर्ड	340.29	340.29	
दिंडीगुल-त्रिची	92.61	92.61	
अरकोणम-चेंगलपट्टू	63.00	63.00	
तंजाऊर-विषुपुरम	192.00	192.00 @	
कोल्लम-तिरूणवेल्लि-तिनकासी-विरुदनगर-तिरूणवेल्लि त्रिचंदूर (357 कि.मी.)	256.00	256.00 @	
विषुपुरम-पाँडिचेरी	38.00	38.00 @	
मदुरै-रामेश्वरम	161.00	161.00 @	
तंजाऊर-नागौर	85.00	85.00	
जोड़	1227.90	1227.90	
उत्तर प्रदेश			
बाल्मीकिनगर रोड-गोरखपुर	90.04	90.04	
मथुरा-अचनेरा	35.00	35.00	
गोण्डा-गोरखपुर लूप, आनदनगर-नौतनवा और ज्ञानसरी-जरवा	274.93	274.93 @	
कानपुर-कासगंज-मथुरा और बरेली-कासगंज	467.23	467.23	
काशीपुर-लालकुआं	58.34	58.34	
गोण्डा-बहराइच	60.34	60.34 @	
इंदारा-फेफना	50.31	50.31	
जोड़	1036.19	1036.19	
पश्चिम बंगाल			
न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव (भाग)	120.97	120.97 @	
बांकूरा-रैना-नगर	96	96 @	
जोड़	216.97	216.97	
कुल जोड़	11515.12	8499.28	

@ कार्य प्रगति में दर्शाया गया है क्योंकि यह बजट में शामिल है लेकिन अभी स्वीकृतियां प्राप्त की जानी हैं।

रेलगाड़ियों में अपराध और डकैती

***332. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में अपराध और डकैतियां रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में अपराध और तोड़फोड़ रोकने की रणनीति पर विचार करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की कोई संयुक्त बैठक बुलाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारत के संविधान के अंतर्गत 'पुलिस व्यवस्था' एक 'राज्य विषय' होने के कारण, चल रही

गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराध की रोकथाम का कार्य संबंधित राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है जिसे वे राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। रेल प्रशासन अपनी ओर से राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क और समन्वय बनाए रखता है और उन्हें रेलों पर अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

गाड़ियों में अपराध, चोरी और डकैती की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की पुनरीक्षा करने हेतु गृह मंत्रालय ने 8.4.1996 को एक बैठक आयोजित की थी। रेल मंत्रालय ने इस बैठक में एक "कार्य योजना" का सुझाव दिया था। यह कार्य योजना और अन्य सुझाव उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दिए गए थे।

(ख) रेल मंत्रालय ने रेलों में अपराध रोकने के लिए नीति पर विचार-विमर्श हेतु सितम्बर 1996 में सभी क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों और सभी राज्य सरकारों की रेलवे पुलिस के प्रमुखों की संयुक्त बैठक बुलायी थी। अगली संयुक्त बैठक अगस्त 1998 में बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) कार्य योजना और संयुक्त बैठक में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर राजकीय रेल पुलिस प्राधिकारियों द्वारा यथा-सूचित, निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :-

1) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना सरल और अपराध के शिकार हुए व्यक्तियों के अनुकूल बना दी गई है।

2) लंबित मामलों की छानबीन में राजकीय रेलवे पुलिस के प्राधिकारियों द्वारा तेजी लाई जा रही है।

3) राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा भगोड़े मुजरिमों के विरुद्ध विशेष छापे मारे जा रहे हैं।

4) कुछेक चुनिंदा गाड़ियों में चल पुलिस स्टेशन खोले गए हैं।

5) यात्रियों की सहायता के लिए पुलिस/रेल सुरक्षा बल के बूथ प्लेटफार्मों पर मुहैया कराए गए हैं।

6) भेद्य खंडों में विशेषकर रात्रि के दौरान, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रात्रिकालीन गाड़ियों का यथासंभव मार्गरक्षण किया जाता है।

7) अपराध आसूचना के आदान-प्रदान के लिए रेलों पर गतिशील अपराधियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

8) स्टेशन क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध विशेष संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं।

9) रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच आवधिक समन्वय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

10) रेल सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

आरक्षण सुविधाएं

***333. श्री पंकज चौधरी :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन स्थानों के जोनवार नाम क्या हैं जहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ख) उन स्थानों का जोनवार ब्यौरा क्या है, जहां वापसी यात्रा के लिए आरक्षण सुविधा भी उपलब्ध है;

(ग) उन स्थानों का जोनवार ब्यौरा क्या है जहां 1998-99 के दौरान कम्प्यूटरीकृत आरक्षण/वापसी यात्रा के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या यात्रियों की भारी भीड़ से निबटने के लिए कम्प्यूटरीकृत आरक्षण खिड़कियों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जोनवार निम्नलिखित स्थानों (स्टेशनों/स्थलों) पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

मध्य रेलवे

मुंबई सीएसटी	कल्याण	थाणे
कुर्ला (टी)	बेलापुर सीबीओ	लोनावाला
घाटकोपार	वासी	अंबरनाथ
पुणे	दक्कन जिमखाना	रविवारपेठ
खडकी	पुणे कैन्टोनमेंट	शंकरसेठ
चिंचवाड़	नागपुर	संथरा मार्केट
अजनी	वर्धा	भुसावल
नासिक	जलगांव	खंडवा
अमरावती	अकोला	मनमाड
नासिक सीबीओ	सोलापुर	गुलबर्गा
अहमदनगर	जबलपुर	सतना
कटनी	मदन महल	सौगोर

रीवा	इटारसी	भोपाल
हबीबगंज	बीना	आगरा कैंट
ग्वालियर	झांसी	मुरैना
मथुरा	फरीदाबाद	राजा की मंडी
बांदा		

पूर्व रेलवे

हावड़ा	सियालदह	न्यू कोईलाघाट
फेयरली प्लेस	दम दम जं.	बिधाननगर रोड
माजेरहाट	टालीगुंगे	बैंली
बालीगंज	शेवड़ाफुली	बागबाजार
चौरंगी	जादवपुर	साल्टलेक
सोनारपुर	नैहाटी	बारासात
कल्यानी	बंडेल	धनबाद
आसनसोल	पटना	महेन्द्रघाट
पटना दक्षिण	दानापुर	पटना असेम्बली
पटना सिटी	भागलपुर	जमालपुर
मुगलसराय	रानीगंज	दुर्गापुर
गया	बोलपुर	माल्दा
बर्धमान	कृष्णानगर	बहरामपुर
चित्तरंजन	पोर्ट ब्लेयर	

उत्तर रेलवे

आईआरसीए, नई दिल्ली	आई.टी.बी. नई दिल्ली	नई दिल्ली स्टेशन
दिल्ली स्टेशन	पार्लियामेंट हाउस	हजरत निजामुद्दीन
सरोजनी नगर	कीर्ति नगर	दिल्ली शाहदरा
कड़कड़डूमा	नौएडा	दिल्ली कैंट
न्यू आजादपुर	ओखला	सुप्रीम कोर्ट
आईजीआई एयरपोर्ट	लाजपत नगर	दिल्ली सरायरोहिला
अमृतसर	लखनऊ	कानपुर
जम्मू-तवी	इलाहाबाद	वाराणसी
अंबाला	बीकानेर	वाराणसी
गजियाबाद	लुधियाना	कालका
चंडीगढ़ (बस स्टैण्ड)	शिमला	देहरादून
ब्यास	जालंधर	मेरठ सिटी

श्रीगंगानगर	श्रीनगर (जीपीओ)	भटिंडा
सहारनपुर	फैजाबाद	हिसार
अलीगढ़	राय बरेली	पठानकोट
कानपुर (दूसरा प्रवेश)	इलाहाबाद (दूसरा प्रवेश)	चंडीगढ़ स्टेशन
जैसलमेर	भिवानी	हरिद्वार
फिरोजपुर	मुरादाबाद	बरेली
प्रयाग	पटियाला	मसूरी
देवबंद	पानीपत	महामंदिर
ऋषिकेश	गुड़गांव	बहादुरगढ़
लखनऊ (दूसरा प्रवेश)	अमृतसर (गोल्डन टैम्पल)	श्रीनगर कैंट
होशियारपुर	मंडी	रूड़की विश्वविद्यालय

पूर्वोत्तर रेलवे

गोरखपुर	बादशाहनगर	मऊ
सिवान	छपरा	समस्तीपुर
गोंडा	बरौनी	देवरिया सदर
मुजफ्फरपुर	काठगोदाम	बस्ती
रावतपुर	मंडुआडीह	इलाहाबाद सिटी
इज्जतनगर	हाजीपुर	दरभंगा
खगड़िया	सहरसा	लखनऊ सिटी
वाराणसी सिटी	लालकुआं	सोनपुर
आजमगढ़	नैनीताल	रक्सौल

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

गुवाहाटी	सिलीगुडी	न्यू कूच बिहार
अलीपुरद्वार	कटिहार	सिलचर
दीमापुर	तिनसुकिया	डिब्रूगढ़
पांडु	शिलांग	
इम्फाल	अगरतला	गंगटोक
ईटानगर	कोहिमा	आइजोल

दक्षिण रेलवे

मूर मार्किट काम्प्लैक्स	मद्रास बीच	मद्रास एगमूर
मांबलम	ताम्बरम	काटपाटी
आवड़ी	मद्रास एयरपोर्ट	अन्नानगर
पेरम्बूर	बेसेंट नगर	बेंगलूरुसिटी

बेंगलूरु कैंट	बेंगलूरु इंदिरा नगर	यशवंतपुर
माल्लेश्वरम	कोरमंगला	बनसंकरी
त्रिवेन्द्रम सेंट्रल	एर्णाकुलम	त्रिचूर
कोल्लम	अलवाय	चेंगानूर
कोट्टायम	कोचीन	गुरुवायूर
अलैप्पी	नागरकोइल	कन्याकुमारी
तिरुवल्ला	कोयंबटूर	मंगलौर
कन्नौर	सेलम	इरोड
कालीकट	पालघाट	पालघाट टाउन
कोयंबटूर नार्थ	तिरुप्पुर	तेल्लिचेरी
मेट्टूपालयम	तिरुर	मदुरै
तिरुनेलवेलि	तूतीकोरिन	रामेश्वरम
दिंडीगुल	विरुद्धनगर	तल्लाकुलम
तेनकासी	सेनगोट्टाई	शिवाकासी
त्रिरुचिरापल्ली	तंजावूर	पांडिचेरी
कुंबकोणम	मईलादुथुराई	चिंदमबरम
नागपट्टीनम	नागोर	सेलम टाउन
मैसूर	कावारत्ती	

दक्षिण मध्य रेलवे

सिकंदराबाद	हैदराबाद	रोईगुडा
दारुल शफा	अमीरपेट	कुकटपल्ली
ए.एस.राव नगर	काजीपेट	सरूर नगर
वारगंल	खम्माम	ए.पी. असेम्बली
काचीगुडा	नांदेड	जालना
औरंगाबाद	परभनी	विजयवाड़ा
बेंज सर्किल	नरसापुर	राजामुंदरी
भीमावरम टाउन	ओंगोल	तेनाली
इलूरू	नेल्लौर	काकीनाडा टाउन
गुंटूर	चिराला	सामलकोट
तिरुपति	तिरुमाला हिल्स	गुंतकल
रायचूर	धर्मावरम	पुट्टापर्ती
अनन्तपुर	कुड्डापाह	रेणिगुंटा
हुबली	होसपेट	बेल्लारी

बेलगाम	वासको	मडगांव
पणजी	कोल्हापुर	मिराज
सांगली		

दक्षिण पूर्व रेलवे

रवीन्द्र सदन	गार्डन रीच	शालीमार
भुवनेश्वर	कटक	पुरी
विशाखापत्तनम	रांची	बिलासपुर
रायपुर	टाटानगर	खड़गपुर
राउरकेला	बहरामपुर	पुरुलिया
चक्रधरपुर	दुर्ग	सम्बलपुर
बोकारो	एमवीपी कालोनी	राजुवाका
नवलबेस	गोंदिया	राउरकेला सीबीओ
आद्रा	बांकुरा	चंद्रशेखरपुर
आईआईटी खड़गपुर	मिदनापुर	इतवारी
बोकारो सीबीओ	विजयनगरम	झारसुगुडा
विशाखापत्तनम सुपर मार्किट		ओल्ड कोयलाघाट

पश्चिम रेलवे

मुंबई सेंट्रल	चर्चगेट	बोरीवली
सूरत	अंधेरी	साहर एयरपोर्ट
नवसारी	वलसाड	विरार
अहमदाबाद	गांधीनगर	वडोदरा
पदमावती काम्पलैक्स	मणिनगर	प्रतापनगर
आनंद	भरूच	नदियाड
साबरमती	गांधीग्राम	भावनगर
वेरावल	पोरबंदर	राजकोट
जामनगर	सुरेन्द्र नगर	इंदौर
उज्जैन	रतलाम	आबू रोड
गांधीधाम	न्यू भुज	फालना
उदयपुर	अजमेर	आगरा फोर्ट
कोटा	जयपुर	अलवर
गांधीनगर (जैपुर)	सीकर	

ऊपर उल्लिखित सभी स्थानों से यात्री आरक्षण प्रणाली, जिसके साथ ये संबद्ध हैं, के अंतर्गत सभी स्थानों से वापसी यात्रा आरक्षण

सुविधाएं उपलब्ध है। अब दिल्ली और सिकंदराबाद यात्री आरक्षण प्रणालियां नेटवर्क से संबद्ध कर दी गई हैं, इसलिए इन दोनों प्रणालियों पर सभी स्टेशनों/स्थानों पर सभी स्थानों से वापसी यात्रा आरक्षण सुविधाएं हैं।

(ग) निम्नलिखित स्टेशनों/स्थलों को 1998-99 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है :-

मध्य रेलवे	**पूर्व रेलवे**	**उत्तर रेलवे**
दमोह	कोडरमा	मंडी (अब शुरू कर दिया गया है)
मैहर	जसीडीह	नांगल डैम
बबीना	बरकाकाना	शाहजहांपुर
		रोहतक
		नैनी
		बी.एच.यू. वाराणसी

पूर्वोत्तर रेलवे	**पूर्वोत्तर सीमा**	**दक्षिण रेलवे**
फर्रुखाबाद	एमएलए हास्पेट दिसपुर	दावणगेरे
बलिया		शिमोगा
बहराइच		हासन
पीलीभीत		कराईकुडी
		कासरगोडे
		बंगारपेट

दक्षिण मध्य	**दक्षिण पूर्व रेलवे**	**पश्चिम रेलवे**
दिसपुर		
अनाकापल्ले	टेलको	भायंदर (अब शुरू कर दिया गया है)
निडदवोलू	साक्षी एरिया	साबरमती (अब शुरू कर दिया गया है)
	कोरबा	माउंट आबू
	हटिया	पालनपुर
	सिम्हाचलम	भीलवाड़ा

उपर्युक्त स्थानों के अलावा कुछ स्थान/स्टेशन और हैं जहां ऐसी सुविधाओं के लिए कार्य प्रगति पर है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू कर दी जाएंगी।

(घ) और (ङ) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्रों पर अतिरिक्त काउंटरों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये मानदंडों के अनुसार स्टेशनों पर मुहैया कराई जाती हैं बशर्ते संसाधन/निधियां उपलब्ध हों। एक नीतिगत निर्णय भी लिया गया है कि अब जिन स्टेशनों पर हर रोज 200 से अधिक आरक्षण होते हैं, वहां पर भी कम्प्यूटर केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी जबकि मौजूदा मानदंड प्रतिदिन 300 आरक्षणों का है।

[अनुवाद]

नगर परिवहन योजनाएं

***334. डा. सरोजा वी.**

श्री सी.पी. एम. गिरियप्पा :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण संस्थान द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार देश में नगर परिवहन परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों के लिए नगर परिवहन परियोजनाओं की सिफारिश की गई है और ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता मांगी जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय नागरीकरण संस्थान नाम का कोई सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन नहीं है। ऐसे किसी संगठन से इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने भी देश में शहरी परिवहन परियोजनाएं आरंभ करने का कोई सुझाव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंजर भूमि

***335. श्री मुकुल वासनिक :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना के समय राज्यवार कुल कितनी भूमि बंजरभूमि के रूप में निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या सरकार वहनीय तरीकों से बंजर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के लिए समुचित प्रौद्योगिकियां विकसित करने में सफल रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) विभिन्न एजेंसियों ने भूमि कटाव तथा भूमि अवक्रमण की समस्या से प्रभावित बंजरभूमि का क्षेत्र 38.4 मिलियन हैक्टयेर से लेकर 187 मिलियन हैक्टेयर तक होने का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड, जो 1985 में गठित किया गया था तथा बंजरभूमि विकास विभाग, जिसकी स्थापना जुलाई, 1992

में की गई थी, ने 1:50,000 के पैमाने पर दूर संवेदी उपग्रह इमेजरियों का उपयोग करके वैज्ञानिक आधार पर देश में बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद के सहयोग से राष्ट्रीय बंजरभूमि पहचान परियोजना के नाम से एक अध्ययन शुरू किया था। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ने अभी तक 241 जिलों के लिए जिला स्तरीय नक्शे तैयार करने का कार्य पूरा किया है। इन 241 जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 35.65 मि० हैक्टेयर है। तथा राज्यवार क्षेत्रफल का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तहत अनुसंधान संस्थाओं/संगठनों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने भूमि की गुणवत्ता और भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। कुछेक समस्याग्रस्त भूमि को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकियों को दर्शाने वाला विवरण, विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद द्वारा कवर किये गये 241 जिलों में बंजरभूमि के क्षेत्रफल को दर्शाने वाला विवरण।

(क्षेत्र मि. हैक्टयेर में)

क्रमांक	राज्य	कवर किये गये जिलों की संख्या	कवर किये जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्र	कुल बंजर-भूमि	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	19	24.677	3.88	19.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.722	0.162	22.43
3.	असम	2	1.522	0.868	57.02
4.	बिहार	16	10.687	1.622	15.16
5.	गोवा	2	0.037	0.006	16.75
6.	गुजरात	13	11.887	2.099	17.66
7.	हरियाणा	10	3.258	0.254	7.81
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1.338	0.505	37.72
9.	जम्मू और कश्मीर	3	2.035	0.983	48.32
10.	कर्नाटक	14	14.337	1.712	11.94
11.	केरल	6	1.969	0.098	4.95
12.	मध्य प्रदेश	45	44.344	6.971	15.72
13.	महाराष्ट्र	17	19.533	3.832	19.62
14.	मणिपुर	6	1.419	0.535	37.70
15.	नागालैंड	4	0.854	0.462	54.08
16.	उड़ीसा	13	15.568	2.134	13.71
17.	पंजाब	6	2.387	0.103	4.31
18.	राजस्थान	20	20.587	5.184	25.18
19.	तमिलनाडु	10	9.410	1.481	15.73
20.	उत्तर प्रदेश	28	14.232	1.490	10.47
21.	पश्चिम बंगाल	3	2.722	0.211	7.76
	योग	241	203.857	35.65	17.49

विवरण-II

बंजरभूमि की भू-स्थिति और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के तहत विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान, परिषद्, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों ने विभिन्न प्रकार की अवक्रमित बंजरभूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं बंजरभूमि की कुछेक श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकियां नीचे दी गई हैं।

1. रेतीला/मरुक्षेत्र :

वायु विखंडन और शैल्टर बैल्टों खुंटीदार घासपात, पट्टीनुमा, खेती, कृषि-वानिकी प्रणालियों आदि के द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्र में स्थिरता लाना।

2. झाडीशुदा अथवा बिना झाडी वाली भूमि/शीट कटाव क्षेत्र :

अपर्वतन बंधा लगाना, कन्टूर/भूमि को अनुस्तरीय सीढ़ीनुमा बनाना और खाइयां खोदना, रोक बांध बनाना, कटाव नियंत्रण के लिए संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना, जल एकत्रीकरण तथा भंडारण करना, तथा जैविक उपाय करना, तथा कृषि वानिकी प्रणलियां आदि अपनाना भी शामिल हैं।

3. झूम खेती :

निचली ढलानों पर कृषि फसलें उगाना, बीच वाली ढलानों पर बागवानी/पौधरोपण करना तथा ऊपर वाले स्थान पर घास एव पौधरोपण करना। कन्टूर/अनुस्तरीय बांध बनाना, भूमि को सीढ़ीनुमा बनाना, भूमि को अर्ध-चन्द्राकार रूप में तैयार करना, घास के बीच से जल मार्ग (नाली) निकालना, तथा गाद को रोकने वाले टैंक/भंडारण संरचनाएं आदि तैयार करना।

4. लवण प्रभावित भूमि :

(क) क्षारीय भूमि : बंध लगाना तथा भूमि समतल बनाना,

अच्छी गुणवत्ता वाले जल द्वारा जल प्लावन/सिंचाई कार्य करना, भूतल जल का निकास करना, जिप्सम और पाइराइट का उपयोग करना और इसके पश्चात विक्षालन करना, कृषि खाद देना तथा फसल उत्पादन करना।

(ख) लवणीय भूमि : भूमि को समतल बनाना तथा इसका वर्गीकरण करना, भूतल जल निकासी, कृषि खाद देना, फसल प्रबंधन तथा वृक्षों के रोपण हेतु वेधनी छेद तकनीक अपनाना।

(ग) अम्लीय भूमि : चूने की मात्रा बढ़ाना, कृषि खाद डालना तथा फसल प्रबंधन।

5. **जलाक्रांति वाला क्षेत्र :**

भूतल तथा उप-भूतल जल निकासी प्रणालियां, बायो ड्रेनेज तथा कृषि प्रबंधन प्रणालियां जिसमें उपयुक्त जंगली-बागवानी वाली घास की किस्मों का उगाना भी शामिल है।

6. **खड्ड वाला/बीहड़ी क्षेत्र :**

यांत्रिक उपाय जिनमें भूमि को समतल बनाना/सीढ़ीदार कन्टूर/अनुस्तरीय बंध लगाना, खड्डों के नियंत्रण हेतु शीर्ष संरचनाओं का निर्माण करना, खुले बोल्डर ढांचे, टोकरा कार ढांचे बनाना, स्पर बनाना, ड्राप संरचनाएं बनाना, घास पात लगाना आदि शामिल हैं। जैविक उपायों में कन्टूर वाटलिंग, जंगली-बागवानी पौधरोपण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई

***336. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि कोयला खानों से ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई का कार्य अग्रिम ढुलाई शुल्क के आधार पर किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, दिल्ली विद्युत बोर्ड, राज्य बिजली बोर्डो और निजी विद्युत केन्द्रों पर अलग-अलग कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलें, विद्युतगृहों और राज्य बिजली बोर्डों को भेजे जाने वाले कोयले के मालभाड़े के पूर्व भुगतान का निर्णय 1.10.1996 से कार्यान्वित कर रही हैं। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन से संबद्ध) के मामले में यह निर्णय 1.1.1997 से लागू किया गया है।

माल भाड़े का पूर्व भुगतान निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक के द्वारा किया जाता है:

i) माल भाड़े को भुगतान बुकिंग स्टेशन/रेलवे पर करके।

ii) बुकिंग करने वाली रेलवे पर 'केवल वजन' प्रणाली के आधार पर।

iii) गंतव्य स्टेशन पर मालभाड़े का अग्रिम में भुगतान करके।

रेलवे मालभाड़ा बिलों का बिजली कर्षण बिलों के साथ समायोजन करने की भी अनुमति दी जाती है।

(ग) 31.3.1998 को बकाया राशियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) (i) बकाये की देय राशि पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है। रेलवे को देय बकाया राशि का भुगतान कराने और उन पर जोर डालने के वास्ते राज्य बिजली बोर्डों और विद्युतगृहों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

ii) जब बकाया देय राशि वसूल करने के सामान्य प्रयास विफल हो जाते हैं तो रेलें ऐसे संगठनों को देय राशि, यदि कोई हो, का भी समायोजन करती है।

iii) विगत की बकाया राशि की भी वसूली की जा रही है और कुल परिव्यय के 15% की दर पर केन्द्रीय योजना सहायता मे विनियोग करके समायोजन किया जाता है और उसे भारतीय रेलों, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (बिजली सुविधा) और कोल इंडिया लिमिटेड को देय अनुपात के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता है।

विवरण

मार्च, 1998 के अंत में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युतगृहों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि (वास्तविक)

	संगठन का नाम	राशि (करोड़ रुपयों में)
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	शून्य
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	शून्य
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	6.68
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	1.19
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	9.23

	1	2
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	46.77
7.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	शून्य
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	12.0
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	2.68
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	शून्य
11.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	13.04
12.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1.69
13.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	16.63
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	4.97
15.	एन.टी.पी.सी./बदरपुर थर्मल पावर प्लांट	795.40
16.	एन.टी.पी.सी./अन्य*	16.42
17.	दामोदर घाटी निगम	1.24
18.	निजी विद्युतगृह - साबरमती	0.02
	जोड़	928.86

* दादरी, ऊंचाहार, रामगुण्डम, विन कहलगांव और शक्तिनगर।

रेलवे को राजसहायता

***337. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियो से परिचालन लागत से भी कम भाड़ा और किराया मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस संबंधा में हो रहे घाटों को पूरा करने के लिए राजसहायता देने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने राजसहायता के लिए मदों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मदों के लिए वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितनी राजसहायता दी गई और वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) हालांकि रेलें परिचालन लागत की पूर्ति पूरी तरह से माल और यात्री गाड़ियों के मालभाड़े और किराए से करती हैं, तथापि कतिपय रेल यातायात सामाजिक कारणों से परिचालनिक लागत से भी कम प्रभार पर ढोया जाता है। इन हानियों को सामान्यत: कतिपय सेवाओं पर अधिक प्रभार वसूल कर पूरा किया जाता है।

(ख) रेलों ने सामाजिक दायित्वों को वहन करने में हुई हानि के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) रेलों पर सामाजिक सेवा दायित्वों के वित्तीय प्रभाव के आकलन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(i) लागत से कम दरों पर ढोए गए आवश्यक पण्यों के परिवहन से हानि।

(ii) उन पैसेंजर और अन्य कोचिंग सेवाओं से हानि जिनके संबंध में रेलें आम व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हुए मूल्य में संयम बरतने की नीति अपना रही है।

(iii) ऐसी अलाभप्रद शाखा लाइनों से हानि जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता।

(iv) पिछले 15 वर्षों में यातायात के लिए खोली गई नई लाइनों से हानि।

(ङ) परिचालनिक लागत पर शुद्ध सामाजिक दायित्वों के वित्तीय प्रभाव 1995-96 में 1166 करोड़ रुपए 1996-97 में 1826 करोड़ रुपये और 1997-98 में 2852 करोड़ रुपये (अनुमानित) होने का अनुमान लगाया गया है। 1998-99 के आंकड़ों का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

फालतू भूमि

***338. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कुछ फालतू भूमि के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस फालतू भूमि को देश के कमजोर वर्गों तथा भूमिहीन लोगों को आबंटित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) सर्वेक्षण, भूमि रिकॉर्डों का रख-रखाव, भूमि पर अधिकार का निर्धारण, कृषि भूमि का हस्तांतरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण भी शामिल है, सहित भूमि प्रशासन राज्य सरकार के वैधानिक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, यह मंत्रालय अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के संबंध में विभिन्न राज्यों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करता है। राज्यों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, फालतू घोषित क्षेत्र कब्जे में लिये गये क्षेत्र, वितरित क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या से संबंधित राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारें कमजोर वर्गों और

भूमिहीन लोगों से संबंधित भावी लाभार्थियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का पात्रता शर्तें अपने कानून द्वारा निर्धारित करती हैं।

चूंकि मंत्रालय की भूमिका केवल समन्वय और सलाहकार की है इसलिए समय-समय पर राजस्व सचिवों, राजस्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि की पहचान, उसका कब्जा लेने, भूमि को अदालती मुकदमों से मुक्त कराने के लिए विशेष उपाय करने और निर्धारित अवधि में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के संपूर्ण वितरण के काम में तेजी लाई जा सके। उपर्युक्त उद्देश्य के लिये यह मंत्रालय प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण और प्रगति की तिमाही मानिटरिंग का वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित करता है।

विवरण

फालतू भूमि के वितरण के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फालतू घोषित	कब्जा लिया गया	लाभार्थियों को वितरित	कुल लाभार्थी
1	2	3	4	5	6 7
1.	आंध्र प्रदेश	791099	638107	576021	527864
2.	असम	612380	575837	483822	444761
3.	बिहार	415447	386505	304942	376644
4.	गुजरात	231330	158363	134988	31842
5.	हरियाणा	93347	88172	87377	27432
6.	हिमाचल प्रदेश	282581	281652	3340	4400
7.	जम्मू व कश्मीर	455575	450000	450000	450000
8.	कर्नाटक	267758	155118	118441	32047
9.	केरल	137973	95984	64765	147927
10.	मध्य प्रदेश	338778	306150	185624	72232
11.	महाराष्ट्र	730306	666190	556532	141119
12.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258
13.	उड़ीसा	177535	166150	155193	136224
14.	पंजाब	222594	105181	103545	28299
15.	राजस्थान	611009	567010	458734	80087
16.	तमिलनाडु	194658	171114	165922	137976
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1599	1424
18.	उत्तर प्रदेश	569400	537112	400843	359570
19.	पश्चिम बंगाल	1350538	1261859	1023863	2454027
20.	दा. व न. हवेली	9406	9305	6851	3353
21.	दिल्ली	1132	394	394	654
22.	पांडिचेरी	2326	1160	1023	1359
	कुल	7498997	6624992	5285501	5460499

[अनुवाद]

कपार्ट द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

*339. **श्री भर्तृहरि मेहताब :**

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और असम में लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु बनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और असम में लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) की सहायता से शुरू की गई परियांजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

उड़ीसा (लाख रुपये में)

	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1995-96	55	359.93	192.26
1996-97	123	275.75	162.16
1997-98	77	137.80	79.04
कुल	255	773.48	433.46

असम (लाख रुपये में)

	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1995-96	30	142.17	113.24
1996-97	32	286.70	39.26
1997-98	34	88.05	68.13
कुल	96	516.92	220.73

(ख) असम में स्वीकृत 96 परियोजनाओं में से लगभग 45 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष परियोजनाएं चालू हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के संबंध में 8 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 247 शेष परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को विभिन्न अवस्थाओं में मानीटर किया जाता है जैसे वित्त पोषण से पहले (वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन) निष्पादन के दौरान (मध्यावधि मूल्यांकन) और परियोजनाओं के पूरा होने के बाद (कार्य पश्चात मूल्यांकन) परियोजनाओं का मूल्यांकन नामिकाबद्ध परियोजना मूल्यांकन-कर्ताओं अर्थात् संस्थाओं, विशेषज्ञों या कपार्ट के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वायुदूत विमान सेवा प्रणाली की तरह विमान सेवाओं को आपस में जोड़ना

***340. श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर सहित अनेक हवाई पट्टियां जो वायुदूत विमान सेवाओं द्वारा उपयोग में लाई जाती थीं अब वायुदूत विमान सेवा के बंद हो जाने से बेकार पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन हवाई पट्टियों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं पर कुल कितनी लागत लगी हुई है;

(ग) क्या सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी विमान कंपनियों के माध्यम से वायुदूत विमान सेवा की पद्धति पर विमान सेवाओं को परस्पर जोड़ने के कार्य को पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। क्षमता में कमी और वहां पर सेवाओं के प्रचालन में हुई हानि के कारण वायुदूत के नेटवर्क में इनमें से अधिकांश स्टेशनों पर प्रचालन बंद कर दिए गए थे। चूंकि इनमें से कई विमानपत्तन/विमानक्षेत्र केवल कम क्षमता अथवा 50 सीटों वाले छोटे विमानों के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए इंडियन एयरलाइंस और अन्य अनुसूचित प्रचालकों के पास इन विमानों की कमी होने से इन स्टेशनों पर प्रचालन नहीं किया जा सकता है। इन निष्क्रिय विमानपत्तनों के संबंध में लगभग 245 लाख रुपये की कुल लागत लगी हुई है। इन विमानक्षेत्रों में पड़ी सभी परिसंपत्तियों में पूरी तरह से मूल्य ह्रास हुआ है। केवल भवन अपवाद है जिसका वार्षिक मूल्य ह्रास लगभग 3.10 लाख रुपये आता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, विमान कंपनी प्रचालक व्यवहार्यता और मार्ग आवंटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर अपने वाणिज्यिक विवेक पर नए स्टेशनों पर प्रचालन के लिए स्वतंत्र है।

भारत-म्यांमार सीमा के लोगों को परिवहन सुविधाएं

***341. श्री था. चौबा सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों ने मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर सड़कों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मौजूदा निर्देशों के अनुसार म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 25 किलोमीटर की पट्टी के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए सुरक्षा संबंधी कारणों से रक्षा मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। ये प्रतिबंध रक्षा मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण/सुधार देश की सुरक्षा की दृष्टि से उनके प्रभावों का मूल्यांकन किए बिना न किया जाए।

तथापि, मणिपुर सरकार रक्षा मंत्रालय से प्रत्येक मामले के आधार पर पूर्व स्वीकृति लेने के बाद उपर्युक्त पट्टी के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कर सकती है।

यहां के गांवों को ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत सामान्य मौसम में जीप चला सकने योग्य सड़क द्वारा जोड़ा गया है। मणिपुर सरकार वहां के क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार से आवेदन करती रहती है।

राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के पूर्ववृत्तों की जांच

3226. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी.आर.पी. और आर. पी. एफ. के सभी कर्मियों के सद्भावों और चरित्र संबंधी पूर्ववृत्तों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बलों में असामाजिक तत्व पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। सभी उम्मीदवार जो राजकीय रेल पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए अर्हक होते हैं, के सदाशयी

और पूर्ववृत्ती चरित्र की उनकी भर्ती से पहले पुलिस और जिला प्राधिकारियों से निरपवाद रूप से पुष्टि की जाती है।

(ख) जी नहीं। जिला प्राधिकारियों और पुलिस से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिए जाने और नियुक्ति की जाने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, यदि कोई कर्मचारी बाद में असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खानें

3227. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुरा अंगुजा खानें कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो वहां से उत्खनित प्रत्येक धातु का ब्यौरा क्या है और उसका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या खानों में विस्फोट के कारण रामपुरा अंगुजा खान क्षेत्र तथा इसके पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन दुष्कर हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान, रामपुरा-अगूचा खान से 1.85% सीसा और 12.11% जस्ता युक्त 1033865 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क का उत्पादन किया गया।

(ग) और (घ) नेशनल इंस्टीटयूट आफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार ने रामपुरा अगूचा खान के आस-पास के गांवों में स्थित इमारतों के लिए प्रकंपन की सुरक्षित सीमा के रूप में 5 एम एम/सैकंड पीक पार्टिकल विलोसिटी की सिफारिश की है। खान पर किये जा रहे विस्फोट प्रचालन इस सीमा के भीतर ही बताए गए हैं।

[अनुवाद]

शराब पीये हुए गार्ड ने कालका मेल को निलम्बित किया

3228. श्री के. एस. राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'ड्रंक गार्ड डिलेज कालका मेल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) 7.4.98 को 2311 अप कालका मेल गाड़ी का गार्ड गाड़ी के चलने से पूर्व दिल्ली मैन स्टेशन पर शराब के नशे में पाया गया था और इसके कारण गाड़ी की 55 मिनट अतिरिक्त रुकौनी हुई थी। गाड़ी के विलंब के कारण, उसे निलंबित कर दिया गया है और अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) ड्राइवरों तथा गार्डों द्वारा गाड़ी चलाने से पूर्व उनकी सांस विश्लेषक जांच की जा रही है।

बोकारो के स्कूलों के माध्यम में परिवर्तन

3229. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन जे पी सी एस समझौते के अनुसार हिन्दी माध्यम विद्यालय जिनमें बिहार विद्यालय शिक्षा समिति का पाठ्यक्रम चलता था और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, ऐसी हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को सी बी एस ई पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रबंध समिति द्वारा छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा इस समय हिन्दी माध्यम के किसी विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कामगारों को मजदूरी

3230. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के एच. एस. सी. एल. कामगारों को तीन माह से मजदूरी नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रम द्वारा सामना की जा रही चरमराती वित्तीय स्थिति के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के एच. एस. सी. एल. कामगारों को पिछले तीन माह से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका है। कर्मचारियों को यथाशीघ्र मजदूरी का भुगतान करने के लिए एच. एस. सी. एल. प्रबंधन कंपनी के कारोबार में वृद्धि करने और अपने ग्राहकों से बकाया लेनदारियों की वसूली हेतु प्रयास कर रहा है। एच. एस. सी. एल. की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार और अधिक कार्य आर्डर प्राप्त करने में एच. एस. सी. एल. की सहायता करने के लिए कदम उठा रही है। आशा है कि कारोबार में सुधार से अंततः कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

रेलवे की जमीन पर बूचड़खाना

3231. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दनकुनी-मौरीग्राम लिंक परियोजना के लिए कलकत्ता से लगभग 16-17 कि.मी. दूर मौरीग्राम में भूमि का अर्जन किया गया था;

(ख) क्या यह भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालीन पट्टे पर बूचड़खाने की स्थापना के लिए मुंबई की 'एल्लाना' के नाम से विख्यात 'फ्रीजेरियों कंजेरवा एल्लाना लिमिटेड' को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी घाट को हिन्टरलैंड से जोड़ना

3232. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट और हिंन्टरलैंड (रत्नागिरी-कोल्हापुर, सावंतवाडी-कोल्हापुर, कनवार-हुभ) के बीच अविद्यमान रेल संपर्को का पता लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ताकि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) **(i) कोल्हापुर-रतनागिरि और सावंतवाडि-कोल्हापुर**

कोंकण रेल संरेखण और भीतरी प्रदेश के बीच एक संपर्क मुहैया कराने के लिए कोल्हापुर से रत्नागिरि बरास्ता तालवाडे एक नई बड़ी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

जहां तक सावंतवाडि-कोल्हापुर नई लाइन का संबंध है, अभी तक न तो कोई सर्वेक्षण किया गया है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। किसी भी मामले में यदि कभी रतनागिरि-कोल्हापुर लाइन को शुरू किया जाएगा तो रतनागिरि के रास्ते कोल्हापुर और सांवतवाडि के बीच संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

(ii) हुबली-अंकोला नई लाइन

हुबली और अंकोला (कारवाड के निकट) एक नई बड़ी लाइन स्वीकृत कर दी गई है तो पूरा हो जाने के पश्चात कारवाड को भीतरी प्रदेश से जोड़ेगी।

94 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा चुका है और शेष भाग का कार्य प्रगति पर है जिसके सितम्बर 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 13 किलोमीटर की लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा।

आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली में पर्यटन काउन्टर

3233. **श्री सुरेन्द्र चेंगाग** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पर्यटन विकास सहकारिता लिमिटेड, जो अब राष्ट्रीय पर्यटन विकास सहकारिता के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1996-97 के दौरान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्नन पर काउन्टरों के आबंटन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी से संपर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास सहकारिता लिमिटेड, जो इसके प्रवर्तक सदस्यों में से था और वर्तमान समय में उक्त सहकारिता का प्रबंधन कर रहा है, की पूंजी कितनी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) 1996-97 में भारतीय पर्यटन विकास सहकारिता लिमिटेड का अनुरोध उन्हें 1995 में पूर्व स्वीकृत लाइसेंस की समयावधि बढ़ाने के लिए था जो यात्रा और पर्यटन संबंधी सेवाओं के लिए था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजामुन्द्री में पुल का हस्तांतरण

3234. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग राजामुन्दरी में गोदावरी नदी पर बने 130 वर्ष पुराने पुल को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम सहमति हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या नए प्रबन्ध की कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) जी नहीं। मामला अभी भी विचाराधीन है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग की गई धनराशि

3235. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ग्राम पंचायतों ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध के क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्राम पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी राष्ट्रीय स्तरर पर नहीं की जाती है। तथापि, दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद्, मध्य स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम प्रंचायतों को उनकी आबंटित निधियों में से 25 प्रतिशत अप्रयुक्त शेष राशि को अग्रेनित करने की अनुमति दी जाती है। यदि अग्रेनित की जाने वाली राशि किसी वर्ष विशेष में आबंटित निधि के 25 प्रतिशत से ज्यादा हो तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां जिला परिषदें अगले वर्ष में ग्राम पंचायतों/मध्य उत्तरीय पंचायतों को दूसरी किस्त रिलीज करते समय खर्च न की गई राशि के बराबर कटौती कर सकती है।

[अनुवाद]

विकलांग नागरिकों को वायुयान किराये में रियायत

3236. **श्री जोगेन्द्र कवाडे** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा भारतीय रेलवे की भांति शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन नागरिकों को हवाई किराए में रियायत प्रदान की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस अपने अन्तर्देशीय सैक्टरों और भारत-नेपाल सैक्टर पर दृष्टिहीन व्यक्तियों को किरायों में 50 प्रतिशत की छूट देती है। तथापि, एयरलाईन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किराए में कोई रियायत नहीं देती है। एअर इंडिया सहित कोई भी अन्तरराष्ट्रीय विमान कंपनी शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन व्यक्तियों को किराए में कोई रियायत नहीं देती है।

राजधानी एक्सप्रैस का किराया

3237. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी एक्सप्रैस द्वारा कालीकट से निजामुद्दीन जाने वाले यात्रियों से कोचीन से ही उतना किराया ले लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं, महोदय राजधानी एक्सप्रैस का कालीकट से निजामुद्दीन और एर्नाकुलम (कोचीन)से निजामुद्दीन तक का रेल किराया अलग-अलग है।

विमानपत्तन परामर्शदात्री समितियां

3238. **श्री सुशील कुमार सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न नगरों में विमानपत्तन परामर्शदात्री समितियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं तथा इनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग)इस समय, हवाई अड्डों पर विमानपत्तन सलाहकार समितियां गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

भुज में विमानपत्तन

3239. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भुज असैनिक विमानपत्तन के निर्माण हेतु 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनुवर्ती प्रावधान 40 करोड़ रुपये का किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या असैनिक विमानपत्तन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यह पूरा कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) भुज एयरपोर्ट पर एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) 47.29 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई है। भुज एयरपोर्ट पर सिविल एयर टर्मिनल के लिए एक मास्टर प्लान का नक्शा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक आर्किटेक्ट नियुक्त किया है। इस अवस्था में परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख बताना संभव नहीं है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियां

3240. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर का ध्यान दिनांक 24, फरवरी 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'स्टेंच मेक्स पैसेंजर्स सिक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) समाचार-पत्र में छपी खबर में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया है :-

1. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज साइड पर भारी मात्रा में यातायात अवरुद्ध होना।
2. अव्यवस्थित ढंग से वाहनों को खड़ा करना।
3. होटलों तथा अवैध एजेंसियों से दलालों की समस्या।
4. स्टेशन के बाहर पड़े कचरे तथा प्लेटफार्मों पर मलमूत्र तथा मैले से आने वाली असहनीय बदबू।
5. टैक्सी और टीएसआर के लिए प्री-पेड योजना-परेशानी का एक स्रोत।
6. वैध/अवैध भारवाहकों द्वारा परेशानी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेहरू रोजगार योजना

3241. श्री महेश कनोडिया :

श्री भीम दाहाल :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ग) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियों का प्रतिशत क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे) के अंतर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, शहरी मजदूरी रोजगार योजना (सूमे) के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या तथा आवास एवं आश्रय उन्नयन योजना (शासू) के अंतर्गत उन्नत रिहायशी इकाइयों की संख्या दर्शाने वाले विवरण-I क्रमशः II से IV तक संलग्न हैं।

(ग) नेहरू रोजगार योजना 1989 में आरंभ की गई थी तथा 30.11.1997 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों का संचित ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना

क्र.सं.	राज्य	उपलब्ध कराई गई राशि (लाख रु. में)		
		1995-96	1996-97	1997-98 (30.11.97 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	463.50	443.85	248.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.20	28.20	45.53
3.	असम	147.20	135.70	110.97

1	2	3	4	5
4.	बिहार	471.45	454.80	178.61
5.	गोवा	18.30	11.39	14.83
6.	गुजरात	215.90	77.72	76.61
7.	हरियाणा	111.99	84.75	59.99
8.	हिमाचल प्रदेश	66.15	60.15	28.14
9.	जम्मू व कश्मीर	77.88	62.70	43.46
10.	कर्नाटक	252.06	147.72	135.04
11.	केरल	154.60	149.25	92.88
12.	मध्य प्रदेश	508.25	396.95	371.35
13.	महाराष्ट्र	521.33	608.20	312.30
14.	मणिपुर	62.91	47.60	43.65
15.	मेघालय	31.80	29.30	29.53
16.	मिजोरम	27.58	21.85	31.81
17.	नागालैंड	3.50	-	-
18.	उड़ीसा	156.60	90.05	71.48
19.	पंजाब	105.60	103.60	83.67
20.	राजस्थान	330.37	271.25	208.28
21.	सिक्किम	28.46	22.70	17.15
22.	तमिलनाडु	563.49	478.00	223.31
23.	त्रिपुरा	26.41	21.75	34.21
24.	उत्तर प्रदेश	1138.89	1025.45	519.33
25.	पं. बंगाल	441.00	179.00	99.39
26.	अंड. व निको. द्वीप स.	16.70	15.00	9.38
27.	चंडीगढ़	12.03	9.35	7.18
28.	दादरा तथा नगर हवेली	9.65	6.07	5.23
29.	दमन व दीव	22.60	12.65	9.59
30.	दिल्ली	22.00	-	
31.	पाण्डिचेरी	18.60	-	9.05
	योग	6084.00	4995.00	3119.97

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की उपलब्धियां

(शहरी लघु उद्यम योजना)

लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1995-96	1996-97	1997-98 (30.11.97 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5701	18315	59709
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	813	-
3.	असम	-	-	-
4.	बिहार	14026	428	-
5.	गोवा	10	-	1023
6.	गुजरात	1777	1512	1159
7.	हरियाणा	1725	1644	1338
8.	हिमाचल प्रदेश	1334	108	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1489	2386	500
10.	कर्नाटक	-	4358	-
11.	केरल	1282	-	-
12.	मध्य प्रदेश	16019	16581	15281
13.	महाराष्ट्र	10649	13441	5968
14.	मणिपुर	-	-	-
15.	मेघालय	146	1415	-
16.	मिजोरम	40	-	130
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	6223	3408	-
19.	पंजाब	2133	3931	1344
20.	राजस्थान	9415	12140	5199
21.	सिक्किम	310	406	111
22.	तमिलनाडु	9857	26618	165
23.	त्रिपुरा	22	119	1676
24.	उत्तर प्रदेश	24893	24833	14426
25.	पं. बंगाल	17567	-	2055

1	2	3	4	5
26.	अंड. व निको. द्वी. स.	102	328	19
27.	चंडीगढ़	135	64	-
28.	दादरा तथा नगर हवेली	37	40	23
29.	दमन व दीव	213	245	59
30.	दिल्ली	-	518	192
31.	पाण्डिचेरी	211	616	266
	योग	125316	134267	110643

विवरण-III

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की उपलब्धियां

(शहरी मजदूरी रोजगार योजना)

सृजित श्रम दिवसों की संख्या *(लाख में)*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1995-97	1996-97	1997-98 (30.11.97 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.95	1.59	12.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.53	1.47	-
3.	असम	1.36	0.85	0.57
4.	बिहार	-	-	-
5.	गोवा	0.73	-	0.71
6.	गुजरात	0.78	0.38	0.30
7.	हरियाणा	0.09	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	0.53	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1.01	1.80	-
10.	कर्नाटक	-	0.70	-
11.	केरल	0.49	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	0.30	11.04
13.	महाराष्ट्र	20.02	-	-
14.	मणिपुर	-	-	-
15.	मेघालय	-	0.11	-
16.	मिजोरम	-	-	0.30
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	3.91	1.50	1.54
19.	पंजाब	3.08	-	0.35
20.	राजस्थान	1.93	1.15	1.20
21.	सिक्किम	-	0.78	0.50
22.	तमिलनाडु	2.19	2.52	-
23.	त्रिपुरा	0.12	-	0.41
24.	उत्तर प्रदेश	9.69	7.72	5.75
25.	पं. बंगाल	5.95	1.99	0.33
26.	अंड. व निको. द्वी. स.	-	0.02	0.03
27.	चंडीगढ़	0.10	-	0.11
28.	दादरा तथा नगर हवेली	-	0.01	-
29.	दमन व दीव	0.25	-	3.33
30.	दिल्ली	उ.न.	उ.न.	उ.न.
31.	पाण्डिचेरी	-	-	0.09
	योग	54.71	22.89	38.99

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

विवरण-IV

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की उपलब्धियां

(शहरी मजदूरी रोजगार योजना)

सृजित श्रम दिवसों की संख्या

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1995-96	1996-97	1997-98 (30.11.97 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3199	78658	5685
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	-		5801
4.	बिहार	9588	-	-
5.	गोवा	-	-	-
6.	गुजरात	-	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	-	637	-
9.	जम्मू व कश्मीर	-	2198	-
10.	कर्नाटक	-	-	-
11.	केरल	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	-	-	-
14.	मणिपुर	-	-	200
15.	मेघालय	-	203	-
16.	मिजोरम	888	875	1250
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	329	363	-
19.	पंजाब	4133	144	652
20.	राजस्थान	-	-	-
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	-	-	-
23.	त्रिपुरा	431	313	1726
24.	उत्तर प्रदेश	1186	8788	-
25.	पं. बंगाल	-	-	2900
26.	अंड. व निको. द्वी. स.	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	45	-	-
29.	दमन व दीव	-	-	-
30.	दिल्ली	उ.न.	उ.न.	उ.न.
31.	पाण्डिचेरी	-	-	-
	योग	22763	92179	18214

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

विवरण-V

नेहरू रोजगार योजना

		लक्ष्य (लाख में)	उपलब्धियां (लाख में)	प्रतिशतता उपलब्धि
1.	सूमें के अंतर्गत लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	8.47	10.17	120

1	2	3	4	5
2.	सूवे के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या	504.61	484.65	96
3.	शासू के अंतर्गत उन्नत रिहायशी इकाईयों की संख्या	7.98	4.75	60

टिप्पणी : योजना समाप्त होने के साथ ही सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से योजना के अंतर्गत 30.11.1997 तक की गई प्रगति संबंधी एक अंतिम रिपोर्ट भिजवाने का अनुरोध किया गया था। केवल 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट भेजी है। सभी राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद उपलब्धियों में और सुधार होने की संभावना है।

[अनुवाद]

जामा मस्जिद इलाके में इमारतें गिराना

3242. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र तथा मीना बाजार में कई दुकानों तथा अन्य ईमारतों को गिराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें वैकल्पिक स्थान दे दिए गए हैं या दिए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) डी. डी. ए. ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने जाने हैं।

(ख) दिन में फुटपाथ पर बैठने सहित लगभग 150-200 क्षेत्रों में अतिक्रमण हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डी डी ए के अनुसार उन लोगों को स्थल की वैकल्पिक आबंटन की कोई नीति नहीं है जिन्होंने व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है।

कर्मचारियों की कमी

3243. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सभी डिवीजनों में टिकट जांच और खान-पान कर्मचारियों कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों की भर्ती हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली का विकास और प्रगति

3244. श्री आसिफ मोहम्मद खां : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 50 वर्षों के दौरान दिल्ली का विकास और उसकी प्रगति सरकार के अनुमानों और योजनाओं के अनुरूप हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली के नियोजन और विकास संबंधी अनेक कार्यों को नहीं करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित वैकल्पिक स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण का पता लगाने के लिए दिल्ली में भूमि सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना प्राधिकरणों द्वारा अनुमानित दर की तुलना से भी दिल्ली की आबादी में अत्यंत अभिवृद्धि हुई है। इसलिए नियोजित अवस्थापना संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अत: विद्युत, जल, परिवहन, दूरसंचार, सीवरेज और रिहायशी एककों की आपूर्ति में गंभीर अवरोध आया है।

(ग) सरकार, दिल्ली के नियोजन और विकास संबंधी अनेक कार्यों को करने संबंधी प्रस्ताव से अलग रहने का कोई प्रस्ताव नहीं रखती है। नियोजन अनिवार्य रूप से सरकार का काम है। विकास कार्य सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य साझी प्रक्रिया हो सकती है।

(घ) सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम में निर्दिष्ट दो मिलियन आवास निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुक्रम में दिल्ली में आवास उद्योग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में दिनांक 19.6.1998 को सभी संबंधितों को आदेश जारी किये गये, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि भूमि एकत्र करने के लिए कम से कम कान्टीजियस भूमि की 30 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, लोगों का स्वामित्व वैध होगा। विकासकर्ताओं को कुल क्षेत्र के बाजार मूल्य का 20% आश्रय कोष में भुगतान करना होगा तथा 10% मकान कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तथा कम आय श्रेणी वर्ग के लिए होंगे।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

इन्टरलॉकिंग प्रणाली

3245. श्री रामनारायण मीणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेल पटरियों के लिए विभिन्न इंटरलाकिंग प्रणाली अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त प्रणाली को पुरानी तथा ग्रेड-I प्रणाली के स्थान पर अपनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य के लिए कोटा-बीना रेल लाइन को किस वर्ष में वार्षिक योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) विवरण-I में जोनवार ब्यौरे दिये गये हैं।

(ग) यातायात आवश्यकताओं के आधार पर मानक-I अंतर्पाशन प्रणाली का ग्रेडोन्नयन शुरू किया जाता है।

(घ) वे खंड, जिनका मानक-I अंतपर्शिन से ग्रेडोन्नयन किया जा रहा है, का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) इस खंड में 3 स्टेशनों (मध्य रेलवे के ऊर, पिपराइगांव और साधोरागांव) पर अंतर्पाशन के मानक का ग्रेडोन्नयन संबंधी कार्य प्रगति पर है, फिलहाल, इस खंड पर अन्य स्टेशनों के अंतर्पाशन के मानक का ग्रेडोन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

रेलवे	स्टेशनों की संख्या				
	मानक-III अंतर्पाशन	मानक-II अंतर्पाशन	मानक-I अंतर्पाशन	आशोधित गैर-अंतर्पाशन	जोड़
मध्य	551	-	55	60	666
पूर्व	479	-	72	33	584
उत्तर	660	23	331	78	1092
पूर्वोत्तर	240	-	134	113	487
पूर्वोत्तर सीमा	220	2	65	9	296
दक्षिण	430	16	193	15	654
दक्षिण मध्य	472	-	174	28	674
दक्षिण पूर्व	564	6	73	67	710
पश्चिम	475	60	202	95	832
जोड़	4091	107	1299	498	5995

विवरण-II

मानक-I अंतर्पाशन प्रणाली के ग्रेडोन्नयन के लिये चालू कार्य

1. उत्तर रेलवे

अम्बाला चंडीगढ़ खंड के 3 स्टेशनों पर मानक-I से मानक-III में सिगनल प्रणाली का ग्रेडोन्नयन। दो स्टेशनों पर कार्य शुरू कर दिया गया है और तीसरे स्टेशन पर कार्य प्रगति पर है।

2. दक्षिण मध्य रेलवे

निम्नलिखित खंडों के आमान परिवर्तन के दौरान मानक-I से मानक-III में सिगनल प्रणाली का बदलाव।

(क) गुंतकल मंडल का तिरुपति पकाला-काटपाडि खंड।

(ख) हैदराबाद मंडल का मुदखेड़-आदिलाबाद खंड।

मालगाड़ियों के स्टेशनों को सवारी गाड़ियों की लाइनों से जोड़ना

3246. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सभी मालगाड़ियो के स्टेशनों को सवारी गाड़ियों की लाइनों से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

3247. श्री विजय गोयल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) उस भूमि का कुल अनुमानित मूल्य कितना है जिस पर कि अनधिकृत कब्जा किया गया है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी भूमि अब ऐसे कब्जे से मुक्त करवाई है; और

(घ) बाकी बची अतिक्रमण की गई भूमि को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसमें देरी के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) 31.12.96 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की लगभग 1798 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत भूमि को हरी-भरी रखने, सेवाओं इत्यादि सहित विभिन्न उपयोगो के कारण इसके मूल्य का आकलन नहीं किया गया है।

(ग)

वर्ष	सुधार की गई भूमि
1996-97	लगभग 172 एकड़
1997-98	लगभग 137 एकड़

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए डी डी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करता है। तथापि कभी-कभी पुलिस बल आदि की अनुपलब्धता से बेदखली कार्रवाई में विलम्ब होता है। उसी प्रकार अवैध रूप से मकान में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के पश्चात् सार्वजनिक भूमि से झुग्गी, झोपडियां भी हटाई जाती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों/फ्लैटों का आबंटन रद्द किया जाना

3248. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों/फ्लैटों का आबंटन रद्द किये जाने के बारे में 4.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल सुविधाओं के अभाव के दुकानों/फ्लैटों का आबंटन किए जाने और आबंटियों से धन लिये जाने का क्या औचित्य था; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि दुकानों/फ्लैटों में मूल सुविधाएं प्रदान किए जाने तक आबंटियों से लिए गए धन पर ब्याज का भुगतान किया जाए और उन्हें फ्लैटों/दुकानों का कब्जा दिया जाए?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के लिए निर्धारित की गई तारीखों को देखते हुए उन फ्लैटों/दुकानों को अलाट कर दिया गया है, जहां मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त दुकानें जैसी हैं वैसी ही नीलाम/आबंटित की जाती हैं।

(ख) दुकानों के मामले में आबंटियों को मूल सुविधाएं मुहैया कराए जाने तक जमा की गई राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, फ्लैटों के मामले में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. हायर परचेज आबंटन के मामले में प्रत्येक मामले के आधार पर सेवाएं उपलब्ध होने तक मासिक किस्तें न देने की छूट दे दी गई।

2. नकद भुगतान के आधार पर आबंटन के मामले में मांगी गई राशि के देरी से अदायगी करने पर ब्याज का आधा हिस्सा अदायगी की तारीख तक या उस तारीख तक जब सुविधाएं मुहैया कर दी जाती हैं, उनमें जो भी पहले हो, माफ कर दिया जाए।

हुडको द्वारा सहायता

3249. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और आवास विकास निगम (हुडको) की नए क्षेत्रों में वित्त पोषण हेतु विविधिकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या हुडकों का विचार निजी बिल्डरों का भी वित्त पोषण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) हडको ने निम्नांकित क्षेत्रों में अपने व्यापार के विविधिकरण का प्रस्ताव किया है :

1. आवास सेक्टर में वित्त व्यवस्था :

हुडको मध्यस्थ एजेंसी व सहकारी समितियों के जरिए नए आवासों के निर्माण और पुराने आवासों की मरम्मत तथा उन्नयन के लिए नकद ऋण सुविधा का विस्तार कर रहा है। वैयक्तिक सम्पत्तियों को गिरवी रखने पर लाभार्थियों के लिए वैयक्तिक ऋण सुविधा विस्तार का प्रस्ताव है।

2. परियोजना प्रबन्धन एवं टर्न की परियोजनाओं में परामर्शदात्री सेवाएं

पूरी की गई परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के पश्चात् हडको परियोजना प्रबन्धन के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं के विस्तार संसाधन के रूप में भूमि-उपयोग तथा टर्न-की परियोजनाओं के माध्यम से रियल एस्टेट विकसित करने का विस्तार रखता है।

3. एस. पी. वीज/संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के जरिए शहरी अवस्थापना में संयुक्त उपक्रम भागीदारी को सुदृढ़ करना।

शहरी अवस्थापना सेक्टर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, एक दूसरा क्षेत्र होगा, जिसमें हुडको सह-प्रवर्तक एवं ऋणदाता के रूप में 'वाट' परियोजनाओं में भागीदारी का विचार रखता है।

(ग) और (घ) हुडको, भू-अधिग्रहण/अथवा भूमि विकास और कारपोरेट कार्यालयों सहित आवास व वाणिज्यिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए परियोजना से जुड़ी ऋण सहायता हेतु निजी निर्माताओं, विकासकर्त्ताओं और कारपोरेट सेक्टर एजेंसियों को ऋण देता है। ऋण की व्यापक सेवा-शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

निजी निर्माताओं, विकासकर्ताओं तथा कारपोरेट सेक्टर एजेंसियों का ऋण अनुदान हेतु दिशानिर्देश।

1. पात्रता

1.1 निजी निर्माता, विकासकर्त्ता तथा कारपोरेट सेक्टर एजेंसियां निजी निगमित कार्यालयों समेत भू अधिग्रहण और/अथवा आवास एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए परियोजना से जुड़ी ऋण सहायता के पात्र हैं।

1.2 निजी निर्माता/विकासकर्ताओं की वित्तीय दृश्य व्यवहार्य तथा तकनीकी दृश्य सुदृढ़ परियोजनाओं और सुदृढ़ पृष्ठ भूमि कारपोरेट सेक्टर एजेंसियों पर ही विचार किया जायेगा।

1.3 ऋण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना चाहिए और आवेदन शुल्क के रूप में हुडकों को देय बैंक ड्राफ्ट इसके साथ संलग्न होना चाहिए। प्रत्येक परियोजना के लिए 5 करोड़ तक के लिए ऋण अनुरोध के लिए आवेदन शुल्क 20,000 रुपये, 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के लिए 30,000 रुपये और 10 करोड़ से ऊपर के ऋण के लिए 40,000 रुपये का आवेदन शुल्क होगा। किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापिस

नहीं किया जायेगा भले ही हुडको प्रारम्भिक मूल्यांकन पर ही ऋण मंजूर न करने का निर्णय ले ले।

2. ऋण की सीमा

2.1 आवास परियोजना तथा वाणिज्यिक परियोजना के निर्माण और/अथवा भू-अधिग्रहण के लिए हुडको द्वारा ऋण सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी :

क. भू-अधिग्रहण

(i) आवास परियोजना के लिए विशिष्ट भू-अधिग्रहण -अधिग्रहण लागत का 50% अथवा 5 करोड़ रुपये जो भी कम हो।

(ii) वाणिज्यिक परियोजना के लिए सिर्फ भू-अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण लागत का 50% अथवा 7.50 करोड़ रुपये जो भी कम हो।

ख. आवास परियोजना

(iii) आवास परियोजना के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 50% अथवा 7.50 करोड़ रुपये जो भी कम हो।

(iv) भू-अधिग्रहण और निर्माण की मिश्रित स्कीम के लिए परियोजना लागत का 50% अथवा 7.50 करोड़ रुपये जो भी कम हो।

(v) हुडको बड़ी आवास परियोजनाओं को तभी ऋण देने पर विचार करेगी जब अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ उनका संघ हो साथ हो हुडको उनसे संतुष्ट हो और ऋण लेने वाली एजेंसी द्वारा उनकी पहचान की गई तो भी हुडको द्वारा ऋण सहायता 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : सामान्य रूप से हुडको की ऋण व्यवस्था ऊपर दी गई सीमा तक सीमित रहेगी। बशर्ते कि, तथापि हुडको प्रतिष्ठित ठोस वित्तीय पृष्ठभूमि वाली बड़ी परियोजनाओं, जिनका एक संघ हो तथा उनकी सेवा शर्ते हुडको को मान्य हो ऐसे मामलों में भी हुडको द्वारा प्रदत्त ऋण परियोजना लागत का 50% अथवा 25 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक होगी।

ग. वाणिज्यिक परियोजना

(vi) संयुक्त भूमि अधिग्रहण तथा वाणिज्यिक परियोजना के निर्माण के लिए-अधिग्रहण लागत का 50% अथवा 15 करोड़ रुपये जो भी कम हो।

(vii) वाणिज्यिक परियोजना के निर्माण के लिए- निर्माण लागत का 50% अथवा 15 करोड़ रुपये जो भी कम हो।

(viii) बड़ी वाणिज्यिक परियोजनाओं को हुडको सिर्फ संघ के रूप में आने पर वित्तीय सहायता देगा, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी पहचान की हो और हुडको इससे संतुष्ट हो, तो भी हुडको द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता 30 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगी।

टिप्पणी : हुडको की वित्तीय सहायता सामान्य रूप से ऊपर दी गई सीमा तक सीमित रहेगी। बशर्ते, तथापि हुडको प्रतिष्ठित तथा ठोस वित्तीय पृष्ठभूमि के निजी निर्माताओं/कारपोरेट एजेंसियों की बड़ी परियोजना को ऋण देने पर सहमत हो सकता है, बशर्ते कि वे संघ के रूप में आये और हुडको ऋण लेने वालों से संतुष्ट हो, तो भी ऋण परियोजना लागत का 50% अथवा 40 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

2.2 परियोजना लागत से भूमि की लागत, विकास की लागत, सभी यांत्रिक सेवाओं सहित भवन निर्माण, ए एंड एस प्रभार तथा निवेश पर पूंजीकृत ब्याज शामिल होंगे विभिन्न स्कीमों के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट ऋण की अधिकतम सीमा के अंतर्गत हुडको प्रत्येक परियोजना में वित्त सीमा का निर्धारण करेगा और परियोजना प्रोफाइल तथा समय-समय पर निर्धारित अन्य पैरामिटरों को ध्यान में रखते हुए ही हुडको यह निर्णय करेगा।

2.3 ऋण लेने वाली एजेंसी को हुडको को विश्वास दिलाना होगा कि वह परियोजना लागत की शेष राशि तथा बढ़ी हुई संभावित लागत को अपने संसाधनों से पूरा करने की स्थिति में है।

2.4 कारपोरेट सेक्टर एजेंसियों के संबंध में हुडको अन्य अर्जित ऋणो के लिए कंपनी के कुल खुलासे सहित कंपनी की निवल पूंजी की दुगुनी सीमा तक का वित्त पोषण करेगा।

3. सुरक्षा

3.1 अधिसूचित बैंक की गारंटी पर ऋण प्राप्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि हुडको को स्वीकार्य हो। अथवा इसमें विनिर्दिष्ट आनुषंगिक सुरक्षा सहित ऋण राशि के 200% के मूल्य से, जिसकी मार्किट कीमत कम न हो, ऐसी परियोजना भूमि के टाइटल डीड को जमा करने के द्वारा गिरवी रखने के माध्यम से। यदि परियोजना भूमि और निर्मित भवन का मूल्य पंजीकृत मूल्यांकन द्वारा गिरवी रखने की तारीख पर आंके गये मूल्य से कम है तो ऋण लेने वाली एजेंसी कोई दूसरी संपत्ति अथवा अपेक्षित राशि, जो कम राशि के 1 1/2 से कम न हो। हुडको परियोजना भूमि को भी गिरवी के लिए स्वीकार कर सकती है। बशर्ते कि ऋण लेने वाली एजेंसी तथा भूमि धारक के बीच विकास संबंधी करार हो और ये दोनों संयुक्त रूप से हुडको के पास गिरवी रखे। ऋण सुरक्षा के रूप में तीसरी पार्टी गिरवी नहीं रख सकती।

3.2 हुडको नियुक्त अधिवक्ता अथवा न्यायवादी के माध्यम से

परियोजना भूमि के टाइटल का पता लगायेंगी। टाइटल पता लगाने की लागत, कानूनी दस्तावेज की तैयारी, स्टाम्प शुल्क, पंजीयन प्रभार आदि का खर्च निजी निर्माता द्वारा वहन किया जाये।

3.3 आनुषंगिक सुरक्षा के रूप में लेनदार एजेंसी के प्रवतृकों की वैयक्तिक गारंटी उसी दशा में स्वीकार की जायेगी यदि उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि सुदृढ़ है और हुडको उससे संतुष्ट है। प्रवृतकों की वित्तीय सुदृढ़ता का पता लगाने के लिए उन्हें निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। (क) पिछले तीन वर्षों के आयकर व संपत्ति कर रिर्टनों की प्रतियां (ख) अनुमानित बाजार मूल्य सहित अर्जित अचल संपत्ति की सूची (ग) विगत में इनके द्वारा दर्शाये गये गारंटी कर्त्ताओं की सूची (घ) याचिक गारंटी के ब्यौरे (ङ) क्या याचिक गारंटी कर्त्ताओं की गारंटी उन्होंने स्वीकार की थी और (च) अपने बैंकरों के नाम व पते। यदि हुडको वैयक्तिक गारंटी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है तो ऋण लेने वाली एजेंसी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश की जा सकती है। यह आनुषंगिक सुरक्षा इस बात पर जोर नहीं देगी कि हुडको ऋण को अनुसूचित बैंक की गारंटी प्राप्त है।

3.4 पैरा 3.1 तथा 3.3 में बताई गई उक्त सुरक्षा के अलावा ऋण लेने वाली एजेंसी एक एसक्रो खाता खोलेगी। एसक्रो खाते का प्रचालन निम्नानुसार होगा :

1. ऋण लेने वाली एजेंसी प्रत्येक परियोजना के लिए बैंक में खाता खोलेगी, जो हुडको को स्वीकार्य हो।

2. ऋण लेने वाली एजेंसी यह सुनिश्चि करायेगी कि हुडको ऋण से संबंधित सभी प्राप्तियों और बिक्री प्राप्तियों को एसक्रो खाते में जमा करायेगी और सभी भुगतान इसी खाते से किये जायेंगे।

3. ऋण करार के अनुसार हुडको ऋण तथा ब्याज की अदायगियों से प्राप्त राशि पर धारणाधिकार बनाये रखेगा। इस खाते में किसी कमी को ऋण लेने वाली एजेंसी अपने संसाधनों से पूरा करेगी।

4. बैंक से अपेक्षा होगी कि वह भुगतान तथा प्राप्तियों के माह वार ब्यौरों को एसक्रो खाते में समाविष्ट करते हुए विस्तृत मासिक विवरण दर्शाये।

5. हुडको बैंक को सलाह देगा कि ऋण लेने वाली एजेंसी तथा बैंक से देय मूल तथा ब्याज की समय-समय पर अग्रिम अदायगी का यह निर्धारण करेगा। और ऋण तथा अन्य देय अदा न हो जाने पर मूलधन तथा ब्याज के लिए हुडको को खाते का धारणा-अधिकार देगा।

6. एसक्रो खाता तथा हुडको की अदायगियों सहित इसका प्रचालन को हुडको के क्षेत्रीय चीफ द्वारा मानीटर किया जायेगा।

ऋण की पहली किस्त लेने से पूर्व ऋण लेने वाली एजेंसी बैंक से एक पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें उक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण में एसक्रो खाता खोला जाता है और प्रत्येक तिमाही में हुडको सेवा ऋण के लिए आवश्यक राशि सीमा तक एसक्रो खाते में राशि पर हुडको को धारणा-अधिकार दिया जाता है।

3.5 जब भू-अधिग्रहण के लिए हुडको से ऋण अपेक्षित होता है और ऋण लेने वाली एजेंसी परियोजना भूमि को गिरवी रखने की स्थिति मे नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ऋण लेने वाली एजेंसी को हुडको को संतुष्ट होगा कि उन्हें भूस्वामी के बीच एक करार करना होगा। आबंटन सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया है और भूमि लागत का भुगतान करने पर सरकारी एजेंसी अधिग्रहीत की जा रही भूमि टाइटल स्थानान्तरण की स्थिति में है। ऐसे मामले में अराजक अवधि के लिए ऋण लेने वाली एजेंसी किसी दूसरी संपत्ति जो उसने अर्जित की हो अथवा बैंक से बैंक गारंटी, जिसे 6 माह ही अवधि के अन्दर गिरवी रखने के माध्यम से हुडको से ऋण प्राप्त कर सकेगा। आनुषंगिक सुरक्षा तथा एसक्रो खाता खोलने से संबंधित शर्तों, जिन्हें पिछले पैराग्राफ में दर्शाया गया है, भी ऐसे मामलों लागू होंगे।

3.6 यदि हुडको से ऋण सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए मांगा जाता है तो ऋण लेने वाली एजेंसी को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अपने निजी संसाधनों अथवा तीसरी पार्टी के जरिये इसका विकास करेगा। पहले मामले में एजेंसी को हुडको को संतुष्ट करना होगा कि अर्जित भूमि पर परियोजना कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधन जुटा लिये हैं और दूसरी स्थिति में ऋण लेने वाली एजेंसी हुडको के साथ करार करेगी जिसमें तीसरी पार्टी गवाह की भूमिका में होगी ताकि समयबद्ध ढंग से अर्जित भूमि का विकास किया जा सके और हुडको ऋण की अदायगी सुनिश्चित की जा सके।

4. ब्याज तथा आरंभ से अंत तक का शुल्क

4.1 आवास तथा वाणिज्यिक विकास के लिए निजी निर्माताओं कारपोरेट सेक्टर एजेंसियों के ऋण पर लागू ब्याज की दर हुडको द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दर के अनुसार होगी। इस समय ऐसे ऋणों के लिए ब्याज की प्रचलित दर 19 ½% प्रति वर्ष मूल तथा ब्याज की त्वरित अदायगी के लिए ½% की छूट दी जायेगी। इसके अलावा यह 4.1.1 से 4.1.3 के जरिये विनियमित होगी यदि कारपोरेट सेक्टर अपने निजी उपयोग के लिए अपने कारपोरेट कार्यालयों को हाथ में लेने का विचार रखता है तो ब्याज की दर 18.5% (सकल) तथा 18.0% (निवल) होगी।

4.1.1 तथापि ऋण लेने वाली एजेंसी ईडब्लयू एस/एल आई जी आवास को हाथ में लेती है, और लागत अधिकतम सीमा/अधिकतम कीमत सीमा तथा अन्य क्षेत्र सीमायें जो सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसियों से हुडको द्वारा वित्त पोषित ई डब्लयू एस/एल आई जी स्कीमों के लिए लागू मानदंडों को अपनाती है और इन ई डब्ल्यू एस/एल आई जी यूनिटों का निपटान भी सार्वजनिक आवास एजेंसी के माध्यम से है तो हुडको की ऋण सहायता सार्वजनिक आवास एजेंसियों के लिए लागू सेवा शर्तों पर रियायत के साथ उपलब्ध हो सकती है। ब्यौरे निम्नानुसार है :-

श्रेणी	लागत की अधिकतम सीमा	ऋण की अधिकतम सीमा	वित्त की सीमा	ब्याज दर सकल %	ब्याज दर निबल %	अदायगी अवधि (वर्ष)
ई डब्ल्यू एस	35000	25000	90	9.5	9	10
एल आई जी	100000*	70000	85	13.5	13	10

* मूल्य की अधिकतम सीमा।

** प्रायद्वीप क्षेत्रों पहाड़ी क्षेत्रों दुर्गम क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश के लिए 25% वृद्धि लागत/कीमत की अधिकतम सीमा तथा ऋण की अधिकतम सीमा के संदर्भ में अनुमत्य है।

4.1.2 यदि निजी सैक्टर ई डब्लयू एस/एल आई जी आवास को हुडको के मानदंडों के अनुसार हाथ में लेता है और सीधे इनका निबटान करता है तो 10 वर्ष की पुन: अदायगी अवधि समेत 15.5% (सकल) अथवा 15% (निवल) की दर से ऋण दिया जायेगा।

4.1.3 उसी प्रकार ऋण लेने वाली एजेंसी एम आई जी/एच आई जी आवास को हाथ में लेती और लागत प्रति डी यू 10.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो निम्नांकित रियायती दरों पर हुडको द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

श्रेणी	लागत की अधिकतम सीमा	ऋण की अधिकतम सीमा	ब्याज दर सकल %	ब्याज दर निबल %
एम आई जी	1000000	300000	17	16.5
एच आई जी	1000000	500000	17.5	17

टिप्पणी : यदि किसी एम आई जी/एच आई जी यूनिटों की लागत 10 लाख रुपये से अधिक है तो ब्याज की दर 4.1 के अनुसार होगी।

4.2 लागू ब्याज के अलावा ऋण लेने वाली एजेंसी द्वारा ब्याजकर (सरकारी नियमों के अनुसार का भुगतान भी किया जायेगा। ब्याज पर लागू दर के अलावा चूक की दशा में 2½% अतिरिक्त ब्याज देय होगा। हुडको को अधिकार होगा कि प्रत्येक ऋण वितरण से पूर्व किसी स्तर पर वह ब्याज दर को कम अथवा ज्यादा कर सकें।

4.3 ऋण लेने वाली एजेंसी मंजूरी पत्र प्राप्ति पर तत्काल मंजूर की गई ऋण राशि का 1.25% आरम्भ से अन्त तक का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के जरिये हुडको को भुगतान करना होगा/ दी गई ऋण राशि इसे वसूल नहीं किया जायेगा तथापि यदि कोई ऋण लेने वाली एजेंसी रियायती शर्तो पर ऋण के लिए आवेदन करती है तो ऐसे मामलों में तो निम्नांकित पैमाने के अनुसार कुल ऋण राशि पर आरंभ से अंत तक का शुल्क देना होगा लेकिन इसे मंजूरी पत्र प्राप्त होने पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिये अदा करना होगा और इसे ऋण राशि से वसूल नहीं किया जायेगा।

श्रेणी	आरंभ से अंत तक का शुल्क
ई डब्ल्यू एस स्कीमें	0.50% ऋण राशि
एल आई जी स्कीमें	1.00% ऋण राशि

यदि निजी क्षेत्र/कारपोरेट सेक्टर आवास/वाणिज्यिक परियोजनाओं में किफायती/नई तकनीकों का शुभारंभ करता है तो आरंभ से अंत तक के शुल्क में 0.25% की छूट दी जायेगी।

5. पुन:अदायगी।

5.1 निजी निर्माताओं/कारपोरेट सेक्टर एजेंसियों के लिए ऋण पुन:अदायगी की अधिकतम अवधि हुडको द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि के अनुसार होगी। तथापि इस समय भूमि अधिग्रहण स्कीमों के लिए ऋण के मामले में अधिकतम पुन:अदायगी अवधि तीन वर्ष की होगी, इसमें एक वर्ष की ऋण स्थान अवधि भी शामिल है। आवास एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण हेतु ऋण अदायगी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी। इसमें निर्माण अवधि के दौरान ऋण स्थान अवधि 18 माह से अधिक नहीं होगी। तथापि निजी सेक्टर द्वारा ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवास के मामले में पुन:अदायगी अवधि 10 वर्ष की होगी। तथापि हुडको द्वारा तय अधिकतक पुन: अदायगी अवधि और ऋण करार में समाविष्ट अवधि अपनिवर्तनीय रहेगी।

6. विविध

6.1 संबंधित स्थानीय निकाय तथा आयोजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना आकार एवं भवन डिजायन को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाये और यदि आवेदन स्तर पर अपेक्षित अनुमोदन उपलब्ध नहीं है तो पहली किस्त जारी होने से पहले इन्हें प्रस्तुत कर दिया जाये। परियोजना के उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के साक्ष्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जाये।

6.2 मंजूरी के लिए आवेदन के समय ऋण लेने वाली एजेंसी चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा पूर्णतय: सत्यापित, परियोजना व्यय के विस्तृत ब्यौरे प्रस्तुत करेगी।

6.3 ऋण लेने वाली एजेंसी परियोजना भूमि से संबंधित ऋण आवेदन के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, विगत 3 वर्षों के लिए इसका लेखा परीक्षा, हुडको के संतोष और इनके बैंक्सों के नाम के लिए आयकर बेदाकी प्रमाण पत्र सहित इसके पूर्ण वित्तीय पक्ष की जांच करेगा।

6.4 छोटे तथा मझोले कस्बों में वरीयता से कम आकार के प्लाटों/रिहायशी एककों सहित आवास के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

6.5 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित रिहायशी आवास रिक्त न हो हडको तैयार मांग के लिए ही वित्त प्रदान करता है।

7. कार्यवाही और प्रबंधन

7.1 ऋण आवेदन में उपयुक्त प्रणाली अथवा सहकारिता आधार पर अथवा स्थानीय, प्राधिकरण में से किसी एक की सेवाओं सहित काम्प्लेक्स प्रबंधन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने वाली कार्यप्रणाली संबंधी ब्यौरे शामिल होंगे।

7.2 ऋण आवेदन हुडको को किसी भी क्षेत्रीय प्रादेशिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

लेवल क्रासिंगों पर अनधिकृत स्टॉल

3250. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत स्थानीय स्टेशनों की लेवल क्रॉसिंग पर अनधिकृत स्टालों के निर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ढांचों के कारण उत्पन्न मार्ग अवरोध से दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन स्टॉलों को शीघ्रता से हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सी. एस. सी. मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना

3251. श्री एन जे. राठवा : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. एस. सी. मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम पुरी (जनता फ्लैटों) में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई अनेक दुकानें खाली पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये दुकानें कब तक आबंटित किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सी.एस.सी मादीपुर-पश्चिम पुरी और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनता फ्लैटों में कुछ दुकानें खाली पड़ी हैं।

(ख) आज की तारीख तक दिल्ली विकास प्राधिकरण अनेक बार नीलामी बिक्री के प्रयासों के बावजूद निम्नलिखित कारणों से इन दुकानों की सुपुर्दगी नहीं कर सकी है :-

i) लोगों का अनाकर्षण; और

ii) जनता फ्लैटों के आबंटियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रिहायशी सम्पत्ति का दुरुपयोग।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

राउरकेला हवाईपट्टी का विकास

3252. श्री जुआल उराम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला हवाईपट्टी का विकास करके वहां हवाई सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। राउरकेला की हवाईपट्टी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की है जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

एअर इंडिया के लंबित विवाद

3253. श्री सुधीर गिरि : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई और दिल्ली के सहायक श्रम आयुक्त के पास लम्बित एअर इंडिया के विवादों के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें सुलझाने के लिए एअर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एअर इंडिया और इसके कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों के संबंधित

औद्योगिक विवाद के कुल 18 मामले मुम्बई और दिल्ली के सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) के सम्मुख समझौते के लिए लम्बित पड़े हैं। तथापि, जहां व्यवहार्य होता है, एअर इंडिया का प्रबन्धक वर्ग इन विवादों को सुलझाने के लिए कार्रवाई करता है।

चासनाला बर्नपुर रोपवे

3254. श्री मोइनुल हसन : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चासनाला बर्नपुर रोपवे को चालू रखने पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और उसका क्या औचित्य है;

(ख) क्या रोपवे टूट गया है और इसे समाप्त करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) चासनाला बर्नपुर रोपवे का प्रचालन बन्द कर दिया गया था क्योंकि यह अत्यधिक असुरक्षित एवं आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया था। संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत के लिए 34 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया था। उपरोक्त निवेश के बावजूद ढुलाई की लागत रेल द्वारा ढुलाई की लागत से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। इस्को के एक रूग्ण कम्पनी होने के कारण यह धन की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है। अत: कोयले की ढुलाई रेल द्वारा करना व्यवहार्य विकल्प था। रोपवे की परिसम्पत्तियों के एक भाग का इस्को में उपयोग किया जा रहा है और शेष परिसम्पत्तियों का निपटान नीलामी द्वारा किया जाएगा।

शताब्दी एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

3255. श्री सत्य पाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ने अपने गन्तव्य स्थानों पर पिछले कुछ महीनों से विलम्ब से पहुंचना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी 1998 से अब तक कितने दिन शताब्दी एक्सप्रेस चंडीगढ़ और दिल्ली विलंब से पहुंची है और कितने-कितने विलम्ब से पहुंची है;

(ग) उसके क्या कारण है; और

(घ) इस रेलगाड़ी के अपने गन्तव्य स्थानों पर सही समय पर पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। जनवरी 98 को छोड़कर विगत कुछ महीनों के दौरान 2011/2012 दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस का समय-पालन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है।

(ख) जनवरी, 1998 के दौरान गाड़ी 31 दिन चली और 11 दिन इसका समय-पालन खराब रहा।

(ग) इस गाड़ी के देरी से चलने के कारण पटरी में दरार, खतरे की जंजीर खींचे जाना, खराब मौसम, आन्दोलन आदि रहे हैं।

(घ) गहन जांच और विभिन्न स्तरों पर दैनिक निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निरीक्षकीय और अधिकारी दोनों स्तरों पर समय-पालन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

घरेलू वायु परिवहन क्षेत्र का विकास

3256. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की विदेशी और भारतीय कुछ एयर लाइनों का विचार घरेलू विमान यातायात क्षेत्र को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) मौजूदा नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जबकि भारत में पंजीकृत निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों को घरेलू विमान परिवहन क्षेत्र के विकास में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तथापि, विदेशी विमान कंपनियों को घरेलू विमान परिवहन क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी रखने की, अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

भोपाल से विमान सेवा

3257. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल से नागपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और लखनऊ के लिए कोई विमान सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों को भोपाल से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। क्षमता संबंधी कठिनाइयों के कारण इस समय इंडियन एयरलाइंस की भोपाल से नागपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर तथा लखनऊ के लिए सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता तथा मार्ग आबंटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्यधीन अपने नेटवर्क में इन स्थानों सहित नए स्थानों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एक बार प्रयोग में आने वाली प्यालियों के बदले छोटी प्यालियां

3258. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे खरीदी गयी 150 मि.ली. के मानक आकार की एक बार प्रयोग में आने वाली प्यालियों को चोरी-छिपे छोटी प्यालियों से बदल दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) इस घोटाले के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) इस मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) जी नहीं। स्टेशनों पर और गाड़ियों में वेंडरों द्वारा घटिया कपों में काफी/चाय बेचने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। ऐसे वेंडरों पर जुर्माना लगाया गया था और घटिया कपों को जब्त कर लिया गया था तथा उन्हें नष्ट कर दिया गया था। वेंडरों द्वारा घटिया कपों के उपयोग को रोकने के लिए बार-बार जांच की जा रही है। हानि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

3259. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 'कपार्ट' के माध्यम से महाराष्ट्र में स्वैच्छिक संगठनों को स्थलवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) इन संगठनों के विरुद्ध अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कपार्ट द्वारा महाराष्ट्र में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई। वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कपार्ट ने सूचित किया है कि उक्त अवधि में उसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में स्वैच्छिक संगठनों को कपार्ट द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम तथा पता	स्थान/जिला	स्वीकृत राशि (रुपये)
1	2	3	4
	1996-97		
1.	सेंटर फार साईंस फार विलेजस, मगन संग्रहालय, कोम्मारप्पा रोड	वर्धा	22,03,250.00
2.	राजीव ग्रामीण विकास मंडल उमरधारी, मुखेड़	नांदेड	25,000.00
3.	युवा विकास प्रतिष्ठान, विकास वर्धना बी-9, गुरूकुल	अहमदनगर	2,00,000.00
4.	इंस्टीट्यूट फार रूरल डेवलेपमेंट एंड सोशल सर्विस, साधना मायादेवी नगर	जलगांव	2,00,000.00
5.	नेशनल इंस्टीट्यूट फार रूरल इंटीग्रेटड डेवलेपमेंट मोरिना अपार्टमेंट कंपाउड, जुहू	बम्बई	2,00,000.00
6.	संधी निकेतन शिक्षण संस्थान भडगांव, मुखेड़	नांदेड	2,00,000.00
7.	जीवन संस्थान, 6 श्री अपार्टमेंट 917/16 गनेशवाड़ी	पुणे	2,00,000.00
8.	एफार्म, रायसोनी पार्क	पुणे	65,88,910.00
9.	सतपुड़ा विकास मंडल	जलगावं	8,19,800.00
10.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एजेकूशन (आई. आई. ई.) जे. पी. नायक पथ	पुणे	21,59,555.00
11.	विज्ञान आश्रम, पाबल	पुणे	12,50,000.00

1	2	3	4
12.	काल भैरव शिक्षण प्रसारक मंडल, सरूर	पुणे	20,000.00
13.	एप्रोप्रिएट रूरल टैक्नालाजी इंस्टीट्यूट 6, कोयना अपार्टमेंट, कोथुर्द	पुणे	4,17,000.00
14.	सेंटर फार साईंस हचज विलिजेस	वर्धा	4,17,000.00
15.	प्रभात शिक्षण प्रसारक मंडल गोबर्धननगर रोड, वजीराबाद	नांदेड	6,21,810.00
16.	विकास प्रतिष्ठान	सतारा	1,76,400.00
17.	डेवलमेंट थ्रू रिसोर्स आर्गनाइजेशन	पुणे	1,28,075.00
18.	सोशियों इकोनोमी डेवलेपमेंट ट्रस्ट	प्रभनी	1,13,600.00
19.	वरूण शिक्षा संस्था	नागपुर	4,14,000.00
20.	कंट्कर एजूकेशन सोसाइटी	नांदेड	1,20,175.00
21.	सुविदे फाउंडेशन	अकोला	48,070.00
22.	अजय शैक्षणिक संस्था	लातूर	2,40,350.00
23.	रामी वोलेंटरी आर्गेनाइजेशन फार होलिस्टिक डेवलेपमेंट	अमरावती	2,49,350.00
24.	नांदेड जिला खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल	नांदेड	1,09,169.00
25.	सोसाइटी फार एजूकेशन इन वैल्यूज एंड एक्शन	औरंगाबाद	1,11,826.00
26.	जन सेवा	औरंगाबाद	1,20,174.00
27.	बहुउद्देशीय समाज कल्याण मंडल	नागपुर	1,20,174.00
28.	तिरूप ग्राम विकास संस्था	अमरावती	1,20,174.00
29.	सोशल सैंटर	अहमदनगर	1,35,780.00
30.	विधर्भ हैंडीक्राफ्ट आर्टीसेंस वेलफेयर एसोसिशएन	नागपुर	1,33,500.00
31.	युवा विकास प्रतिष्ठान	अहमदनगर	1,21,250.00
32.	इन्दिरा युवा मंडल	औरंगाबाद	53,100.00
33.	मानव विकास मंडल	उस्मानाबाद	27,500.00
34.	ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय	नांदेड	27,500.00
35.	सागरपुत्र शिक्षण प्रसारक मंडल	नांदेड	27,500.00
36.	मागसवर्गीय प्रियदर्शिनी विकास मंडल	शिवाजीनगर	27,500.00
37.	श्री मंडवेश्वर ग्राम विकास संस्था	अहमदनगर	27,500.00
38.	ग्रामीण विकास मंडल	लातूर	27,500.00
39.	श्री कमलेश्वर ध्यान प्रसारक भागनी मंडल	लातूर	27,500.00
40.	लेट उल्हास भेमोरियल ट्रस्ट	नांदेड	27,500.00
41.	राजमाता जिलासाहेब विकास प्रतिष्ठान	लातूर	27,500.00
42.	वूमैन वेलफेयर सोसायटी	बीड	27,500.00
43.	महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्था	लातूर	27,500.00

1	2	3	4
44.	विधायक केन्द्र	लातूर	27,500.00
45.	श्री विट्ठल शिक्षण प्रसारक मंडल	लातूर	27,500.00
46.	सम्बोधि शिक्षण प्रसारक मंडल	परभनी	27,500.00
47.	अभिरूचि साहित्य कला और शैक्षणिक संस्था	भंडारावती	27,500.00
48.	लोक विकास मंडल	नांदेड	27,500.00
49.	श्री जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडल	नांदेड	27,500.00
50.	तुकई कृषि अवाम वन विकास मंडल	अहमदनगर	27,500.00
51.	शारदा महिला मंडल	गौरी गांव	27,500.00
52.	इन्द्राणी युवक करीदा शिक्षण संस्था	अमरावती	27,500.00
53.	श्री योगेश शिक्षण प्रसारक मंडल	नागपुर	27,500.00
54.	समित्रा युवक मंडल	अहमदपुर	27,500.00
55.	महात्मा फूली शिक्षण संस्था	नांदेड	4,77,225.00
56.	प्रभात शिक्षण प्रसारक मंडल	नांदेड	3,97,687.00
57.	भागीरथ शिक्षण संस्था	नांदेड	4,45,410.00
58.	पब्लिक प्रोगेशिव डेवलेपमेंट सर्कल	नांदेड	4,45,400.00
59.	जीवन संस्था	पुणे	95,445.00
60.	कुनतूरकर एजूकेशन सोसायटी	नांदेड	3,97,687.00
61.	मैसर्स श्याम बैनेगल शादरी फिल्म्स, दादर	बम्बई	85,80,000.00
62.	मैसर्स शकील प्रोडेक्शन असरफ स्डीटस, महोम	बम्बई	1,30,000.00
	1997-98		
63.	जन सेवा संस्था	औरंगाबाद	50,000.00
64.	प्रेरणा प्रतिष्ठिान	सतारा	58,12,852.00
65.	वनाराई पीपल्स मूवमेंट फार ग्रीन इंडिया	पुणे	10,10,975.00
66.	धरामित्र, बैंक आफ इंडिया कालोनी	वर्धा	14,73,500.00
67.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन	पुणे	7,50,750.00
68.	मुनिवर अबद चेरीटेबल ट्रस्ट	बम्बई	2,42,886.00
69.	प्रभात शिक्षण प्रसारक मंडल	नांदेड	4,02,130.00
70.	कुनतूरकर एजूकेशन सोसायटी	नांदेड	2,40,350.00
71.	प्रिय दर्शनी महिला और बाल कल्याण प्रतिष्ठान	पुणे	1,16,000.00
72.	युवा विकास प्रतिष्ठान	अहमदनगर	2,21,374.00
73.	श्री सिद्धेश्वर ज्ञान प्रसारक शिक्षण मंडल	लातूर	27,500.00
74.	सर्वांगीन मानव अविकास संस्था	लातूर	1,95,000.00
75.	सोसायटी फार एजूकेशन इन वलनस एंड एक्शन	औरंगाबाद	28,000.00
76.	कुनतूरकर एजूकेशन सोसायटी	नांदेड	2,77,200.00

[अनुवाद]

पान के पत्तों की ढुलाई

3260. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेल में विभिन्न ट्रेनों के साथ एस एल आर एस को अनियमित रूप से जोड़े जाने के कारण मेचेदा और पांसकुड़ा रेलवे स्टेशनों से देश के विभिन्न भागों में पान की ढुलाई के मामले में पान के उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां तो वी. पी. यू. और वीपी रेक उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। रेलवे को पान के उत्पादकों की कठिनाइयों की जानकारी है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे ने पान व्यापारियों के परामर्श से यथेष्ट कदम उठाए हैं और पांसकुडा तथा मेचेदा स्टेशनों पर कार्यक्रम बद्ध आधार पर वी.पी./एस.एल.आर. निर्धारित किए गए हैं जिन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। बहरहाल, वी. पी. की कमी के कारण कभी-कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है।

श्रमिक सामग्री अनुपात का निर्धारण करना

3261. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जवाहर रोजगार योजना, ई. ए. एस. आदि जैसी विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादित करने में श्रमिक और सामग्री के लिए 60 : 40 का अनुपात निर्धारित किया है;

(ख) क्या स्थायी भवनों के निर्माण में सामग्री लागत में हुई वृद्धि के कारण श्रमिक और सामग्री अनुपात बनाए रखना और इसके सही लेखे रखना व्यावहारिक नहीं है;

(ग) क्या विभिन्न सरकारों ने केन्द्र सरकार से श्रमिक और सामग्री के 60:40 अनुपात में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं। इनके कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य श्रमपरक कार्यों को शुरू करके ग्रामीण गरीब को मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यक्रमों के तहत निधियों का 60% मजदूरी के भुगतान पर खर्च किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। श्रमिक सामग्री अनुपात में संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्यों के अनुरोध की मंत्रालय में जाच की जा रही हैं।

कोलार में विमानपत्तन का निर्माण

3262. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कोलार के निकट एक बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूमि पर वायुपत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कोलार के पास लगभग 389 एकड़ रक्षा भूमि का उपयोग वायुसेना अपनी संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए कर रही है।

(ख) और (ग) इस भूमि पर हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल रक्षा मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा घटिया किस्म की वस्तुएं परोसना

3263. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर और शताब्दी एक्सप्रेस में घटिया किस्म का मिनरल वाटर, भोजन, चाय और अन्य वस्तुएं परोसे जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) जी हां। कानपुर विभागीय खानपान यूनिट के मुख्य खानपान निरीक्षक इंचार्ज को बदल दिया गया है। कानपुर में और शताब्दी एक्सप्रैस में खानपान सेवाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पानी की नियमित और अचानक नमूना जांच की जाती है।

[अनुवाद]

काउंटर मैगनेट सिटी योजना

3264. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'काउंटर मैगनेट सिटी' योजना के अंतर्गत शहरों के विकास के लिए कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इसके लिये, शहर-वार, कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) काउंटर मैगनेट सिटी योजना के अंतर्गत देश में शहरों के विकास की कोई योजना नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर के कस्बों के विकास के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम है ताकि वे काउंटर मैगनेट के रूप में कार्य करें।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने विकास की दृष्टि से निम्नांकित 5 कांउटर मैगनेट क्षेत्रों का चयन किया है।

(i) बरेली (उ.प्र.) (ii) कोटा (राजस्थान)

(iii) पटियाला (पंजाब) (iv) हिसार (हरियाणा)

(v) ग्वालियर (म.प्र.)

(ग) 1997-98 के दौरान बरेली काउण्टर मैगनेट टाउन के विकास के लिए 13.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

[हिन्दी]

आपात काल के युद्ध सैनिकों के लिए आरक्षण

3265. श्री मोहन सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में आपातकाल के दौरान भर्ती किए गए सेना के जवानों और अधिकारियों के लिए सिविल और सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा का लाभ सेना के उन जवानों और अधिकारियों को भी दिया गया है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भाग लिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई कब तक किए जाने की आशा है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 1962 में भारत-चीन युद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अफसरों की कमी पूरी करने के लिए अफसरों की विशेष भर्ती की गई थी, ये अफसर अल्पावधियों के लिए भर्ती किए गए थे और ये "आपातकाल कमीशन प्राप्त अफसर" के रूप में जाने जाते थे। 01.11.1962 से 10.01.1968 के बीच भर्ती किए गए ऐसे अफसरों के पुनर्वास के लिए समूह 'क' और 'ख' सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराया गया था, क्योंक ये अफसर राष्ट्र की पुकार के जवाब में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हुए थे और उन्होंने जान-बूझकर उन अवसरों का परित्याग कर दिया था जो उन्हें सिविल जीवन में उपलब्ध थे। यह सुविधा उन अफसरों के लिए उपलब्ध नहीं है जो 1968 के बाद भर्ती किए गए थे क्योंकि उन्होंने सेना सेवा अपनी आजीविका के रूप में अपनाई थी। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में कोई विशेष भर्ती नहीं की गई थी।

2. 1962, 1965 और 1971 (बांग्लादेश युद्ध) के दौरान भर्ती किए गए जवानों के लिए कोई विशेष पुनर्वास योजना नहीं बनाई गई थी, क्योंकि उनकी भर्ती नियोजन की सामान्य शर्तों पर की गई थी।

[अनुवाद]

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से सशस्त्र बलों में भर्ती

3266. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से थल सेना, वायु सेना और नौसेना में विभिन्न श्रेणियों में भर्ती की दर में सुधार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख)

थलसेना

पूर्वोत्तर राज्यों से सेना में भर्ती की दर बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित भर्ती कार्यालय को निम्नलिखित कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैः-

1. पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष भर्ती अभियान के संबंध में पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करना।
2. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापक भर्ती कार्यक्रम बनाना।
3. भर्ती रैलियां आयोजित करते समय सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त क्षेत्र को कवर करना सुनिश्चित करना।
4. वर्तमान भर्ती वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त रिक्तियां आबंटित की गई हैं।

वायुसेना

वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची के आधार पर किसी भी राज्य को कोई कोटा आबंटित किए बिना की जाती है। दूरस्थ स्थानों/कम भर्ती वाले क्षेत्रों में भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं।

नौसेना

नौसेना के पास पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से भर्ती की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दार्जिलिंग में हवाई अड्डा

3267. कुमारी ममता बनर्जी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में छोटा हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राज्य सरकार दिसम्बर, 1997 में निर्धारित एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति के अनुरूप प्रस्ताव के संबंध में पहल कर सकती है।

खान-पान सेवा और पर्यटन निगम

3268. श्री ए. सी. जोस :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे रेल यात्रियों के लिए एक नई खान-पान सेवा और पर्यटन गठित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निगम कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम का गठन करने के बारे में मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने संबंधी नोट को अन्य मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् निगम का गठन किया जाएगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वस्तुओं की खरीद के मानदंड

3269. श्री भीम दाहाल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सामग्रियां/वस्तुएं खरीदने के लिए अपनाई गई प्रणाली/मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में प्रणाली/मापदंड का उल्लघंन करने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाही की गई है; और

(घ) खरीद प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सामग्रियों, वस्तुओं, सामानों आदि को प्रतियोगी आधार पर निविदाएं मांगकर अथवा डी. जी. एस. एंड डी दर संविदा के मार्फत खरीदता है। सामान्यतया ये दरें, बाजार की दरों से अधिक नहीं होती। तथापि, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, तो सरकार के निर्देशानुसार सुपर बाजार अथवा केन्द्रीय भंडार से खरीदी जाती है, जिसका क्रय मूल्य कई बार बाजार के मूल्य से अधिक होता है। इस मामले में कोई सरकारी जांच नहीं की गई क्योंकि खरीददारी, नियमों, मैनुअल तथा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

(घ) चूंकि कार्य-प्रक्रिया का अनुपालन सुस्पष्ट ढंग से हो रहा है, इसलिए इस संबंध में कोई और कदम उठाने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

हुडको ऋण

3270. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें गृह निर्माण के आवेदकों में वितरण हेतु 'हुडको' द्वारा ऋण दिया जाता है;

(ख) इन एजेंसियों द्वारा आवेदकों को ऋण दिए जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) राज्य आवास बोर्ड, स्लम क्लियरेंस बोर्ड, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं और विभिन्न नैगयिक/सहकारी समितियां और सामुदायिक आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों ग्रामीण और नगर आवास और शहरी विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हुडको से वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं। स्टाफ आवास स्कीमों के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही पात्र हैं।

(ख) हुडको, परियोजनाओं के निर्माण कार्यान्वयन के लिए ऋण मुहैया करता है। न कि लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए

पुनर्वित्तपोषण हुडको से उधार लेने वाली एजेंसियां, जो मुख्यत: राज्य आवास/जल/मलजल व्ययन बोर्ड/प्राधिकरण, नगरपालिका परिषद्/निगम है, परियोजनाएं कार्यान्वित करने और भूमि/प्लाट को विकसित करने अथवा मकानों के निर्माण के पश्चात् उन्हें लाभार्थियों को आबंटित करने के लिए हुडको से धन लेती हैं।

ऋण वितरण अथवा मकानों या प्लाटों को विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है और इसे राज्य सरकार तैयार करती है।

(ग) परियोजनाओं प्रगति और कार्यान्वयन की गति के आधार पर उधार लेने वाली एजेंसियों को हुडको ऋण वितरित करता है। परियोजना स्थलों का आवधिक निरीक्षण और उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से भी प्रगति की मानीटरिंग की जाती है। उधार लेने वाली एजेसियों द्वारा प्रक्रिया पूरी कर लेने पर हुडको ऋण वितरित करता है।

परती भूमि सुधार योजना

3271. श्री जय सिंहजी चौहान : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश किसान परती भूमि सुधार योजना के लाभों से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। बंजरभूमि विकास विभाग में कोई बंजरभूमि सुधार योजना नहीं है। तथापि, बंजरभूमि विकास विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए एक समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत 72 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस योजना के तहत, क्षेत्रीय कार्यकलाप बुनियादी स्तर पर प्रयोक्ता समूहों, स्वयं-सहायता समूहों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और संबंधित वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लाभान्वित हो रहे हैं।

(ग) कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए समुदाय की उच्च स्तर पर भागीदारी की आवश्यकता होती है। वाटरशेड संघ, वाटरशेड समिति, प्रयोक्ता समूहों, स्वयं-सहायता समूहों का गठन किया जाता है। कार्यक्रमों की निगरानी और निरीक्षण राज्य और केन्द्रीय स्तर पर किया जाता है।

[अनुवाद]

खारेपन को दूर करने संबंधी योजनाएं

3272. श्री वी. सत्यमूर्ति : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक तमिलनाडु सरकार को पेयजल के खारेपन को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि मंजूर तथा वास्तव में जारी की गई;

(ख) खारेपन को दूर करने की कितनी पूर्ण योजनायें चल रही हैं तथा इनमें से कितनी योजनाएं कार्य नहीं कर रही हैं;

(ग) क्या 53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बन रही मुक्कयूर खारेपन को दूर करने के संयंत्र संबंधी योजना पूरी हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 की वित्त पोषण पद्धति के आधार पर 10.75 करोड़ रुपये की लागत से रामनाथपुरम जिले में नारीप्पयूर के लिए एक मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एक डिसएलीनेशन संयंत्र के लिए मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के लिए 1995-96 में 5.3750 करोड़ रुपये और 1997-98 में 1.6875 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

(ख) भारत सरकार ने तमिलनाडु में 21 डिसएलीनेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसमें से 20 संयंत्र स्थापित और चालू कर दिए गए थे और शेष एक संयंत्र अभी स्थापित किया जाना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 6 डिसएलीनेशन संयंत्र स्थापित किए गए थे और उनके कार्य करने की सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम के नारीप्पायुर में स्थापित डिसएलीनेशन संयंत्र की क्षमता को एक मिलियन लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 17.1 मिलियन (लगभग) प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है स्थापन कार्यों में अच्छी प्रगति होने की सूचना है और सितम्बर, 1998 तक इसके चालू होने की उम्मीद है।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास

3273. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के लिए राज्यों को सीधे शत-प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरंभ से राज्यवार विशेषकर कर्नाटक राज्य के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के लिए राज्यों को सीधे शत-प्रतिशत सहायता अनुदान देने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की हालत

3274. श्री मोती लाल वोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली भोपाल-नागपुर-राजनंदगांव-दुर्ग-रायपुर बिलासपुर के बीच चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों में खराब प्रबंधन और खस्ता हालत से संबंधित संसद सदस्यों का मई, 1998 में कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गाड़ी में से खाली स्थानों पर पड़े दुर्गंध भरे कूड़े को हटाने की कोई योजना विचारार्थ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा इन सवारी डिब्बों को कब तक बदल दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) शिकायत श्री मोती लाल वोरा संसद सदस्य द्वारा 1.5.1998 के पत्र संख्या शून्य में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में खराब वातानुकूल, खराब रखरखाव तथा गंदगी के बारे में थी।

(ग) और (घ) जी हां। रेलवे का यह सतत् प्रयास रहता है कि यात्रियों को अधिक साफ-सुथरा और स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जाए। गाड़ियों में और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में उचित रख-रखाव और सफाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) बिलासपुर में रेक अनुरक्षण के दौरान सवारी डिब्बों की अच्छी तरह से सफाई और शौचालयों की कीटनाशक दवा से सफाई की जाती है।

(ii) रास्ते में सफाई सेवा प्रदान करने के लिए नामित स्टेशनों पर मोबाइल जेट क्लीनिंग संयंत्रों का उपयोग।

(iii) अधिकारी स्तर पर निरीक्षणों और 'अपनी रेक योजना अपनाएं' इत्यादि जैसे विशेष अभियान के जरिए सवारी डिब्बों की हालत पर कड़ी निगरानी।

जहां तक इस गाड़ी के सवारी डिब्बों को बदलने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि इस गाड़ी में कोई गतायु अथवा आवधिक ओवरहाल के लिए अपेक्षित सवारी डिब्बे नहीं चल रहे हैं और वे अपने उपयोगी जीवन के भीतर हैं।

दोहरीघाट से बलरामपुर तक रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

3275. श्री इन्द्रजीत मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरीघाट तथा बलरामपुर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था किंतु इस पर बाद की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू रेल बजट में इस कार्य को शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ होने और कब पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) दोहरीघाट से सहजनवां तक 1977 और 1989 में और खलिलाबाद से बलरामपुर तक 1979 में अलग-अलग सर्वेक्षण शुरू किए गए थे और उनसे पता चला है कि लाइनों पर संभावित यातायात बहुत कम था। इन लाइनों के समग्र रूप से अलाभप्रद प्रकृति के होने तथा संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए ये परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई थीं।

रेलवे लाइनों का बदलना

3276. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री आर. एस. गवई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता के समय रेल लाइनों की लम्बाई कितनी थी;

(ख) इसके पश्चात रेल लाइनों की लम्बाई में कितनी बढ़ोतरी की गई;

(ग) राज्यवार कितनी पुरानी रेलवे पटरियों को बदला गया; और

(घ) राज्यवार कितनी रेलवे लाइनों को अभी तक बदला गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलपथ (मार्ग किलोमीटर) के आंकड़े प्रति वर्ष 31 मार्च को रखे जाते हैं। अत: 31 मार्च 1948 को भारतीय रेलों का मार्ग किलोमीटर 54,693 कि.मी. था।

(ख) 31.3.97 (नवीनतम उपलब्ध) को मार्ग किलोमीटर

62,725 कि.मी. है जो 31.3.1948 से 8032 मार्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ) स्वतंत्रता से बदले गए पुराने रेलपटथ की लम्बाई के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, विगत दस वर्षो के दौरान कुल 31,652 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया। 1.4.1997 (नवीनतम उपलब्ध) को 10,957 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण होना बकाया था। रेलपथ नवीकरण तथा बकाया नवीकरण के बारे में सूचना राज्य वार नहीं रखी जाती बल्कि रेलवे वार रखी जाती है।

[अनुवाद]

घर ग्राम तथा पुरुलिया के बीच नई रेल लाइन बिछाया जाना

3277. श्री बीर सिंह महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में घर ग्राम तथा पुरलिया के बीच नई रेल लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) झारग्राम से पुरुलिया (130 कि.मी.) तक नई लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद ही ब्यौरा उपलब्ध होगा।

[हिन्दी]

सतना-वयोहारी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

3278. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीवा (मध्य प्रदेश) को रेल लाइन से जोड़ने के लिए सतना-वयोहारी के बीच रेल लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त रेल लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान बजट में कोई प्रावधान किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सैक्शन पर निर्माण संबंधी कार्य कब तक पूरा होने की आशा है;

(घ) क्या सरकार का विचार रीवा को नई दिल्ली के साथ सीधे जोड़ने के लिए अतिरिक्त नई रेल सेवा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त नई रेल सेवा को कब तक शुरू किए जाने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी हां। सतना-ब्यौहारी बरास्ता रीवा नई लाइन के लिए एक सर्वेक्षण 1990-91 में किया गया था। बहरहाल, योजना आयोग ने केवल सतना-रीवा नई लाईन परियोजना की स्वीकृति दी थी जिसे पूरा कर दिया गया था और जिसे 1993 में यातायात के लिए खोल दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, ललितपुर-सतना, रीवा-सिधी-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो से एक नई बड़ी लाइन जिसका सरेखण सतना-रीवा के अंतर्गत आता है को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है, आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात यह कार्य शुरू किया जाएगा। 1997-98 और 1998-99 के दौरान इस कार्य के लिए क्रमशः 0.01 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

3279. श्री थावरचन्द गहलोत :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संयंत्र-वार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र में अलग-अलग लोहे, इस्पात और लोहा मिश्र धातु की कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिनको लोहा, इस्पात और लोहा मिश्र धातु का निर्यात किया गया तथा यह निर्यात प्रत्येक धातु का कितनी मात्रा और किस दर पर निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश-वार आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस दर और कितनी मात्रा में आयात किया गया?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित

कच्चे लोहे इस्पात और मिश्र/बेदाग इस्पात की मात्रा निम्नानुसार थी :

कच्चा लोहा			(मात्रा : हजार टन)
	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)
सेल	622	681	784
इस्को	420	352	402
आर आई एन एल	771	700	521
गौण उत्पादक	1060	1570	1689
परिसज्जित इस्पात (कार्बन)			
सेल	7146	6796	6670
इस्को	268	280	259
आर आई एन एल	1340	1452	1615
टिस्को	1833	2008	1904
गौण उत्पादक	10816	12184	12642
मिश्र/बेदाग इस्पात			
सेल	235	264	248
गौण उत्पादक	1186	1610	1615

(ख) 1997-98 के दौरान लोहे और इस्पात के देशवार निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

देश	1997-98 (अनंतिम)			
	कच्चा लोहा		इस्पात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
ऑस्ट्रेलिया	35.8	23.39	20.7	22.56
बंगलादेश	-	-	15.1	19.95
बेल्जियम	-	-	-	-
कनाडा	-	-	14.6	19.83
चीन (हांगकांग सहित)	-	-	22.9	31.85
इंडोनेशिया	117.8	53.27	169.4	15.66
इटली	176.8	93.26	59.6	149.53
जापान	150.5	78.61	80.3	84.79
कोरिया	50.8	25.16	48.9	44.80
मलेशिया	46.8	25.18	69.6	66.18
मेक्सिको	55.7	27.92	12.2	12.94
म्यामांर	-	-	40.7	42.06
नेपाल	-	-	136.4	135.43
न्यूजीलैंड	-	-	6.2	6.86
फिलीपीन्स	-	-	36.9	33.68
सउदी अरब	-	-	54.1	59.89
सिंगापुर	-	-	16.9	18.35
स्पेन	-	-	43.3	47.85
श्रीलंका	-	-	77.8	80.13
ताइवान	27.5	13.63	183.1	163.23
थाइलैंड	37.1	18.85	82.0	70.18
टर्की	-	-	25.0	26.03
यू ए ई	-	-	31.2	39.68
यू के	-	-	59.8	78.06
यू एस ए	85.1	45.45	181.8	215.86
वेनेजुएला	-	-	10.8	12.45
अन्य/मध्य पूर्व	-	-	224.1	323.47

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोहे और इस्पात की मदों के देशवार और मदवार आयात की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित अनुलग्नकों में दिए गए हैं :

(i) 1995-96 के दौरान देशवार और मदवार आयात की मात्रा - विवरण-I

(ii) 1995-96 के दौरान देशवार और मदवार आयात का मूल्य - विवरण-II

(iii) 1996-97 के दौरान देशवार और मदवार आयात की मात्रा - विवरण-III

(iv) 1996-97 के दौरान देशवार और मदवार आयात का मूल्य - विवरण-IV

(v) अप्रैल-दिसंबर, 1997 के दौरान देशवार और मदवार आयात की मात्रा-विवरण-V

(vi) अप्रैल-दिसंबर, 1997 के दौरान देशवार और मदवार आयात का मूल्य-विवरण-VI

विवरण-1

1995-96 के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों के माध्यम से लोहा एवं इस्पात का देशवार आयात

(हजार टन)

देश	कार्बन स्टील (दोयम/दोषपूर्ण सहित)																						
	सेमीज	बार एंड रोड्स	स्क्रप्ट.	रेले. मैटिरि.	फ्लैट्स	एच.आर. सीट्स स्ट्रिप्स	एच.आर. क्वाक्ल्स/सीट्स	सी.आर. क्वाक्ल्स/सीट्स	जीपी/जीसी सीट्स	इलैक्ट. सीट्स	टीएम बीपी	टिन प्लेट्स	टिन प्लेट डब्ल्यू/डब्ल्यू	टिन फ्री स्टील	कुल	एलोय/स्टेनलैस	पाइप एंड फिटिंग्स	मैल्टिंग स्क्रेप	कच्चा लोहा	स्पंज लोहा	फैरो एलोय	मिश्रित एलोय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अर्जेन्टीना	-	-	-	-	-	-	1.1	3.5	-	-	-	0.3	1.8	-	7.1	-	10.7	-	-	-	0.3	-	18.1
आस्ट्रेलिया	22.8	-	-	-	0.8	-	18.0	1.7	0.2	0.4	-	0.3	3.2	-	77.2	0.8	0.5	13.0	-	-	-	0.3	91.3
आस्ट्रिया	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.4	0.1	0.2	-	-	-	-	0.9	0.5	0.5	-	-	-	-	0.2	2.1
बेल्जियम	-	0.1	-	-	11.8	1.1	40.6	3.1	-	-	0.7	0.6	3.3	0.8	62.1	3.8	0.3	4.1	-	-	0.3	1.1	71.7
ब्राजील	26.4	0.8	-	-	0.1	0.1	2.7	0.2	0.1	1.8	6.1	15.8	5.0	3.1	62.2	3.3	1.9	-	-	-	0.3	0.1	67.8
कनाडा	-	-	-	-	-	-	0.6	0.2	-	0.6	-	-	0.1	-	1.5	1.1	0.1	4.1	-	-	0.1	0.1	7.0
चीन	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	0.5	1.2	-	6.0	-	1.9	1.4	20.6
सी आई एस	83.0	9.7	1.0	-	37.4	0.2	229.3	16.4	0.1	36.2	-	0.1	0.5	-	413.9	7.0	4.8	1.0	-	-	8.6	1.0	436.3
चेक	-	-	-	-	5.2	1.5	-	2.3	-	-	-	-	-	-	9.0	-	7.4	-	-	-	-	-	16.4
ई.सी.	-	-	0.1	-	1.9	-	3.1	10.2	0.2	1.0	1.4	1.2	5.6	1.7	26.4	1.0	0.5	1.0	-	-	-	0.5	29.4
फिनलैंड	-	-	-	-	1.3	0.8	-	0.6	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	2.7
फ्रांस	0.2	0.6	-	-	5.8	2.8	5.1	4.1	0.2	3.8	8.7	0.4	2.7	2.1	36.5	1.0	2.8	0.2	-	-	-	1.6	42.1
जर्मनी	9.6	7.1	0.4	-	41.6	9.9	46.1	54.9	1.1	14.6	1.1	2.4	2.8	4.4	196.0	23.4	4.9	11.9	-	-	0.2	2.1	238.5
हालैंड		0.5	-	-	-	0.1	12.3	8.7	-	0.4	1.4	4.1	8.3	0.8	36.6	3.0	0.1	27.1	-	-	0.8	0.2	67.8
[illegible]	-	-	-	-	0.5	4.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	0.1	27.1	-	-	0.8	0.2	67.8
ईरान	97.3	-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	106.1	-	-	-	-	-	-	-	106.1
इटली	-	0.2	-	-	2.6	-	12.6	1.0	-	7.3	0.8	0.8	7.4	0.7	33.4	5.7	7.9	0.1	-	-	-	1.0	48.1
जापान	23.0	4.8	0.5	-	4.1	6.1	47.9	44.4	4.5	18.2	15.1	2.8	5.2	2.6	179.2	9.4	21.3	32.4	-	-	-	2.3	244.6
कोरिया	1.9	3.8	0.4	-	4.3	4.7	11.0	17.5	0.4	4.7	2.1	3.1	2.4	-	56.3	7.5	7.8	0.3	-	-	-	1.0	72.9
कुवैत	1.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5	-	-	-	-	1.6	0.1	0.5	52.0	-	-	-	0.3	54.5
मैक्सिको	-	-	-	-	-	-	11.0	-	0.2	-	1.0	-	0.3	-	12.5	-	4.5	-	-	-	-	-	17.0
पोलैंड	10.8	0.1	-	-	0.5	0.7	0.5	1.0	-	0.8	-	0.8	0.3	-	15.5	0.3	-	-	-	-	-	-	15.8
रोमानिया	6.0	-	-	-	3.2	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	8.2	-	-	-	0.1	-	21.3
सिंगापुर	-	0.1	-	-	0.3	0.8	0.1	0.5	0.1			0.7	2.0	-	4.6	-	1.7	53.3	-		-	0.1	59.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
स्लोवाक गण.	-	-	-	-	0.6	3.0	12.9	15.0	-	0.9	-	-	0.3	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-	32.7
दक्षिण अफ्रीका	0.4	-	0.1	-	0.1	-	62.5	1.1	0.6	-	4.2	0.5	3.6	0.4	73.5	0.2	0.1	12.8	1.6	-	3.9	0.2	92.3
स्पेन	-	-	1.9	-	0.2	-	-	0.8	0.1	-	-	0.2	1.1	0.2	4.5	2.3	1.7	-	-	-	-	0.6	9.1
श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.6	-	-	-	-	35.6
स्वीडन	-	0.7	-	-	1.7	0.2	0.6	0.4	-	1.0	-	-	0.1	-	4.7	3.3	1.1	0.4	-	2.2	-	0.5	12.5
स्वीटजरलैंड	10.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	-	0.1	-	-	10.5	0.2	0.1	-	-	-	1.1	0.1	12.0
यू.ए.ई	2.1	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.8	-	-	-	-	3.1	-	0.3	95.0	-	-	-	-	98.4
यू.के.	0.1	1.2	4.3	15.5	2.9	0.1	38.5	6.8	0.2	7.5	1.9	7.7	15.3	5.0	107.0	2.8	2.5	125.6	-	-	0.2	3.1	242.2
यू.एस.ए.	0.2	0.3	0.2	-	0.3	0.2	28.3	11.8	0.2	12.5	3.1	5.5	31.6	8.8	103.0	2.5	4.7	389.8	-	-	0.2	1.5	501.7
अन्य	3.8	1.9	2.1	0.3	8.5	0.5	22.5	21.6	2.6	4.2	0.3	0.1	6.9	-	75.3	0.9	2.7	103.1	0.1	-	8.0	4.0	194.1
कुल	298.4	32.0	11.0	15.8	145.4	36.9	850.9	228.0	10.9	117.7	47.9	47.5	108.8	30.6	1783.8	80.6	100.8	873.8	7.7	2.2	26.0	23.6	2898.5

विवरण-II

1995-96 के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों के माध्यम से लोहा एवं इस्पात के देशवार आयात का मूल्य

(सीआईएफ मूल्य करोड़ रुपए)

देश	कार्बन स्टील (दोयम/दोषपूर्ण सहित)																						
	सेमीज	बार एंड रोड्स	स्क्रप्ट.	रेले. मैटिरि.	फ्लैट्स	एच.आर. सीट्स स्ट्रिप्स	एच.आर. क्वायल्स/ सीट्स	क्वायल्स/ सी.आर. सीट्स	जीपी/ जीसी सीट्स	इलैक्ट. सीट्स	टीएम बीपी	टिन प्लेट्स	टिन प्लेट डब्ल्यू/डब्ल्यू	टिन फ्री स्टील	कुल	एलोय/ स्टेनलैस	पाइप एंड फिटिंग्स	मैल्टिंग स्क्रेप	कच्चा लोहा	स्पंज लोहा	फैरो एलोय	मिश्रित एलोय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अर्जेन्टीना	-	-	-	-	-	-	0.95	3.79	-	-	-	0.82	2.21	-	7.77	-	34.93	-	-	-	1.24	-	43.94
आस्ट्रेलिया	19.63	-	-	-	2.20	-	64.45	2.73	0.29	0.68	-	0.29	3.23	-	93.50	6.03	2.05	8.82	-	-	-	1.51	111.91
आस्ट्रिया	-	0.90	-	-	0.22	-	-	0.95	0.06	0.59	-	-	-	-	2.72	8.89	1.83	-	-	-	-	2.59	16.03
बेल्जियम	-	0.09	-	-	35.97	2.17	57.55	3.80	-	-	0.80	0.57	4.41	1.32	106.68	28.96	1.78	1.91	-	-	5.77	7.40	162.50
ब्राजील	25.37	2.00	-	-	0.14	0.11	3.64	0.78	0.22	7.99	13.44	37.88	9.40	6.86	107.83	11.27	3.37	-	-	-	1.31	3.33	127.11
कनाडा	-	-	-	-	-	-	0.71	0.53	-	0.94	-	-	0.18	-	2.36	6.47	0.25	2.89	-	-	2.85	0.60	15.42
चीन	-	-	-	-	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.36	1.55	2.85	-	4.41	-	12.30	8.17	39.64
सी आई एस	71.86	10.34	0.61	-	42.26	0.21	271.64	16.66	0.20	87.25	-	0.15	0.56	-	501.74	29.08	11.35	0.58	-	-	68.71	8.39	619.85
चेक	-	-	-	-	9.50	2.35	-	4.57	-	-	-	-	-	-	16.42	-	19.80	-	-	-	-	-	36.22
ई.सी.	-	-	0.10	-	5.36	-	4.39	10.22	0.66	1.82	1.21	1.29	6.26	1.74	33.05	6.04	1.75	0.48	-	-	-	0.93	42.25
फिनलैंड	-	-	-	-	3.04	1.74	-	1.34	-	-	-	-	-	-	6.12	-	-	-	-	-	-	-	6.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
फ्रांस	0.52	1.82	-	-	15.07	5.78	7.72	4.98	0.21	17.91	15.51	0.51	4.00	3.41	77.44	6.65	14.88	0.19	-	-	-	8.12	107.28
जर्मनी	8.00	14.40	0.78	-	95.96	19.96	71.56	120.36	2.06	41.73	1.20	6.26	3.56	8.80	394.63	127.09	36.36	10.53	-	-	0.84	27.21	596.66
हालैंड	-	1.67	-	-	-	0.08	14.01	11.33	-	0.71	1.93	4.17	9.19	1.12	44.21	10.83	0.57	22.25	-	-	3.10	1.30	82.26
हंगरी	-	-	-	-	0.78	6.61	1.10	-	-	-	-	-	-	-	8.49	-	-	-	-	-	-	-	8.49
ईरान	84.53	-	-	-	-	-	11.07	-	-	-	-	-	-	-	95.60	-	-	-	-	-	-	-	95.60
इटली	-	0.75	-	-	4.66	-	16.27	1.25	-	19.04	0.78	1.00	8.87	0.67	53.29	42.46	37.85	0.24	-	-	-	15.57	149.41
जापान	17.38	12.89	1.16	-	10.38	10.30	73.75	95.85	12.93	78.71	26.51	4.60	6.58	2.74	353.78	62.43	96.88	20.56	-	-	-	40.50	574.15
कोरिया	1.31	9.84	1.04	-	7.28	8.64	16.02	37.11	0.97	15.61	4.44	7.70	3.58	-	113.54	21.53	22.119	0.73	-	-	-	4.69	182.63
कुवैत	0.74	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.70	-	-	-	-	1.51	0.50	0.60	35.29	-	-	-	0.17	38.07
मैक्सिको	-	-	-	-	-	-	14.62	-	0.85	-	0.91	-	0.33	-	16.71	-	15.82	-	-	-	-	-	32.53
रोमानिया	5.11	-	-	-	4.87	-	3.99	-	-	-	-	-	-	-	13.97	-	18.11	-	-	-	0.74	-	32.82
पोलैंड	10.54	0.15	-	-	0.97	0.78	0.49	2.20	-	2.42	-	0.87	0.33	-	18.75	0.84	-	-	-	-	-	-	19.59
सिंगापुर	-	0.21	-	-	0.73	0.89	0.08	0.90	0.36	-	-	0.89	2.09	-	6.16	-	5.64	31.74	-	-	-	0.83	44.36
स्लोवाक गण.	-	-	-	-	0.47	4.69	17.24	28.17	-	2.24	-	-	0.34	-	53.16	-	-	-	-	-	-	-	53.15
दक्षिण अफ्रीका	0.26	-	0.16	-	0.10	-	74.37	1.29	0.70	-	5.11	0.50	6.05	0.56	89.10	1.45	1.02	8.99	1.73	-	15.50	0.47	118.26
स्पेन	-	-	2.70	-	0.39	-	-	1.92	0.20	-	-	0.30	1.49	0.28	7.28	15.24	11.35	-	-	-	-	2.01	35.88
श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.58	-	-	-	-	20.58
स्वीडन	-	4.89	-	-	4.61	0.34	2.05	1.60	-	1.55	-	-	0.20	-	15.24	29.75	11.87	0.20	-	2.60	-	13.21	72.87
स्वीटजरलैंड	8.29	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.51	-	0.12	-	-	9.42	0.70	0.49	-	-	-	3.97	1.27	15.85
यू.ए.ई.	1.45	-	-	-	-	-	-	0.22	-	1.42	-	-	-	-	3.09	-	0.50	55.84	-	-	-	-	59.43
यू.के.	0.08	3.11	7.87	37.46	4.85	0.18	42.41	10.88	0.48	18.76	2.51	12.30	27.41	5.37	173.67	35.55	20.21	85.40	-	-	1.41	17.	333.49
यू.एस.ए.	0.16	0.57	0.44	-	1.90	0.50	38.90	11.89	0.45	22.53	4.08	7.80	37.16	10.00	136.38	11.55	26.49	252.20	-	-	1.26	18.74	446.62
अन्य	4.96	4.79	3.65	-	10.11	1.67	27.31	47.87	8.02	11.40	0.70	0.26	10.05	-	130.79	5.48	7.12	58.61	0.05	-	72.19	10.98	256.22
कुल	280.18	68.42	18.51	37.46	272.18	67.00	838.29	423.78	28.66	334.51	79.13	88.28	147.48	42.87	2704.74	470.34	407.91	618.03	6.19	2.60	191.19	!95.24	4596.24

विवरण-III

1995-96 के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों के माध्यम से लोहा एवं इस्पात के देशवार आयात का मूल्य

(हजार टन)

देश	कार्बन स्टील (दोयम/दोषपूर्ण सहित)																						
	सेमीज	बार एंड रोड्स	स्क्रप्ट.	रेले. मैटिरि.	प्लेट्स	एच.आर. सीट्स क्वाक्ल्स/स्ट्रिप्स	एच.आर. क्वाक्ल्स/सीट्स	सी.आर. क्वायल्स/सीट्स	जीपी/जीसी सीट्स	इलैक्ट. सीट्स	टीएम बीपी	टिन प्लेट्स	टिन प्लेट डब्ल्यू	टिन फ्री डब्ल्यू स्टील	कुल	एलॉय/स्टेनलैस	पाइप एंड फिटिंग्स	मैल्टिंग स्क्रेप	कच्चा लोहा	स्पंज लोहा	फैरो एलॉय	मिश्रित एलॉय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अर्जेन्टीना	-	0.6	-	-	-	-	-	3.9	-	-	0.5	-	1.5	-	6.5	-	25.3	-	-	-	0.3	-	32.1
आस्ट्रेलिया	0.5	-	-	-	-	-	1.7	1.0	-	0.2	-	0.5	2.3	-	6.2	0.4	-	23.4	-	-	-	0.3	30.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आस्ट्रिया	-	0.1	-	-	0.1	-	23.0	2.3	-	0.1	-	-	-	-	25.6	0.5	0.7	0.5	-	-	0.1	0.4	27.8
बेल्जियम	1.3	0.6	0.1	-	5.7	0.3	107.5	6.1	0.1	0.3	0.5	0.4	4.0	0.7	127.6	6.7	0.4	-	-	-	0.1	1.8	136.6
ब्राजील	20.3	2.6	-	-	1.2	0.3	-	3.2	-	0.2	4.5	10.0	1.8	2.7	46.8	5.0	0.7	-	-	-	0.8	1.2	54.5
कनाडा	-	-	-	-	-	0.2	0.4	3.2	1.6	0.3	-	0.8	1.0	0.5	8.0	1.9	6.0	20.0	-	-	0.1	0.1	36.1
चीन	0.3	0.9	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	1.4	1.8	14.0	0.2	12.7	-	0.2	1.5	31.8
सी आई एस	85.4	0.1	-	0.1	30.6	-	97.3	11.8	-	26.7	1.6	-	3.3	-	256.9	0.6	12.6	0.7	-	-	6.0	0.3	277.1
चेक	-	-	0.5	-	0.2	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.1	12.3	-	-	-	-	-	13.7
ई.सी.	-	-	0.4	-	0.8	-	1.8	9.4	0.1	2.4	2.6	2.9	7.0	2.5	29.9	1.0	2.9	48.1	-	-	-	0.2	82.1
फिनलैंड	-	-	-	-	1.9	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.3	8.9	-	-	-	-	-	-	11.2
फ्रांस	-	0.2	-	-	2.1	0.6	106.8	3.4	0.6	4.7	3.5	1.0	2.1	1.9	126.9	2.0	3.2	0.2	-	-	0.2	1.6	134.1
जर्मनी	-	4.9	0.4	0.2	39.5	4.7	69.5	75.0	2.7	9.8	1.2	5.0	7.4	4.4	224.7	8.2	9.8	25.3	-	-	0.1	2.9	271.0
हालैंड	-	0.3	-	-	-	0.6	30.7	13.5	0.1	0.5	0.1	5.9	13.9	0.9	66.5	0.9	0.1	1.3	-	-	1.8	0.2	70.8
हंगरी	-	-	-	-	-	2.3	1.2	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	3.5
ईरान	94.0	-	-	-	0.7	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	96.2	-	0.4	-	-	-	-	-	96.6
इटली	-	0.6	-	-	4.3	-	32.2	3.9	-	6.7	-	1.9	4.5	0.2	54.3	1.6	13.7	-	-	-	-	1.0	70.6
जापान	5.1	3.5	1.3	-	9.5	2.2	25.8	80.9	5.4	19.8	10.6	6.0	4.5	3.6	178.2	16.5	25.4	7.3	-	-	-	3.2	230.6
कोरिया	-	4.5	0.9	0.2	0.9	2.6	23.2	37.7	0.4	1.8	1.9	2.5	1.7	-	78.3	7.8	1.3	0.8	-	-	-	0.7	88.9
कुवैत	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.0	72.6	-	-	-	0.2	74.9
मैक्सिको	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	9.1	-	-	-	-	0.2	9.4
पोलैंड	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	1.1	-	2.3	0.1	-	-	-	-	-	-	2.4
रोमानिया	-	-	-	-	4.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	3.8	-	-	-	0.1	-	8.9
सिंगापुर	2.2	3.2	-	-	0.2	0.9	0.1	1.3	0.1	0.2	-	0.4	1.4	-	10.0	0.2	0.3	71.4	-	-	0.1	0.3	82.3
स्लोवाक गण.	-	-	-	-	-	2.0	0.6	20.1	-	0.1	-	-	0.1	-	22.9	0.2	0.1	-	-	-	-	-	23.2
दक्षिण अफ्रीका	1.9	-	2.1	-	1.3	1.1	23.9	4.4	0.3	0.3	0.3	2.3	2.8	-	40.7	3.0	-	17.3	2.7	-	4.0	1.8	68.5
स्पेन	16.9	-	9.5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	2.1	0.2	28.9	6.9	2.0	-	-	-	-	0.3	38.1
श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	-	-	-	0.1	52.4
स्वीडन	-	0.4	-	-	1.4	0.4	0.6	0.4	-	1.2	-	0.1	0.1	-	4.6	3.6	0.5	0.4	-	1.1	0.5	0.5	11.2
स्वीटजरलैंड	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	-	0.3	-	0.1	-	-	-	0.8	-	1.2
यू.ए.ई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.1	0.1	-	0.6	-	0.9	104.6	-	-	-	0.7	106.8
यू.के.	1.8	1.5	11.6	14.5	2.8	-	45.8	7.1	-	4.3	0.8	9.3	5.8	2.5	107.8	13.1	2.8	272.1	-	-	-	5.2	401.0
यू.एस.ए.	-	-	-	-	0.1	-	1.2	12.8	0.1	13.7	4.9	8.3	32.9	10.8	84.8	3.8	2.2	356.7	-	-	3.4	1.6	452.5
अन्य	4.5	2.2	2.1	-	7.5	0.7	33.6	5.2	0.5	4.6	0.5	1.7	6.1	0.6	69.8	6.9	3.1	89.6	-	-	3.7	3.0	176.1
कुल	235.3	26.2	29.1	15.0	115.5	19.9	628.8	306.9	12.0	98.9	33.5	59.8	107.6	31.5	1720.0	101.6	154.7	1164.8	15.4	1.1	22.3	29.3	3209.3

विवरण-IV

1996-97 (अनंतिम) के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों के माध्यम से लोहा एवं इस्पात का देशवार आयात

(हजार टन)

देश	कार्बन स्टील (दोयम/दोषपूर्ण सहित)																					
	सेमीज	बार एंड रोड्स	स्क्रैप	रेल. मैटिरि.	फ्लैट्स	एच.आर. सीट्स स्ट्रिप्स	एच.आर. क्वायल्स/सीट्स	सी.आर. क्वायल्स/सीट्स	जीपी/जीसी सीट्स	इलैक्ट. सीट्स	टीएम बीपी	टिन प्लेट्स	टिन प्लेट डब्ल्यू/डब्ल्यू	टिन फ्री स्टील	कुल	एलोय/ स्टेनलैस	पाइप एंड फिटिंग्स	मैल्टिंग स्क्रैप	कच्चा लोहा	स्पंज लोहा	फैरो एलोय	मिश्रित एलोय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अर्जेन्टीना		0.85	-	-	-	-	-	3.77	-	-	0.99	-	2.29	-	7.90	-	83.60	-	-	-	1.60	-	93.10
आस्ट्रेलिया	0.39	-	-	-	-	-	1.76	1.60	-	0.28	-	0.58	2.71	-	7.32	2.36	-	14.58	-	-	-	0.58	24.84
आस्ट्रिया		1.19	-	-	0.27	-	25.47	3.51	-	0.41	-	-	-	-	30.85	7.50	2.40	0.35	-	-	1.46	2.72	45.28
बेल्जियम	1.10	0.88	0.24	-	19.85	0.42	125.87	7.73	0.25	1.42	0.61	0.55	5.47	1.00	165.39	34.97	2.89	-	-	-	1.32	13.20	217.77
ब्राजील	21.21	4.84	-	-	2.22	0.48	-	6.22	-	1.29	9.53	26.93	3.96	6.84	83.69	13.14	3.80	-	-	-	4.01	3.94	103.51
कनाडा	-	-	-	-	-	0.17	0.89	3.96	1.57	0.53	-	1.56	0.97	0.54	10.19	7.49	11.67	12.49	-	-	2.85	0.61	45.10
चीन	0.47	2.07	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	2.80	8.76	34.73	0.10	8.80	-	1.80	5.51	62.60
सी आई एस	84.24	0.29	-	0.79	34.00	-	95.27	15.09	-	70.12	1.47	-	4.04	-	305.31	2.54	23.46	0.61	-	-	33.00	0.69	296.61
चेक	-	-	0.66	-	0.45	0.40	0.38	-	-	-	-	-	-	-	1.89	0.37	28.09	-	-	-	-	-	30.36
ई.सी.	-	-	0.78	-	1.35	-	2.58	9.17	0.11	4.98	2.48	3.08	7.94	2.48	34.96	5.01	11.44	30.63	-	-	-	0.14	52.23
फिनलैंड	-	-	-	-	4.03	0.49	0.13	-	-	-	-	-	-	-	4.65	39.37	-	-	-	-	-	-	44.02
फ्रांस	-	1.00	-	-	7.15	1.00	121.63	4.90	0.56	28.35	7.10	2.61	3.90	3.91	182.10	10.99	19.21	0.12	-	-	0.92	9.03	222.37
जर्मनी	-	7.11	1.33	0.82	82.97	8.09	85.26	132.75	6.33	30.42	1.17	10.78	9.26	8.00	384.29	34.51	45.16	15.47	-	-	0.85	44.33	524.71
हालैंड	-	0.60	-	-	-	1.03	32.85	12.81	0.14	0.86	0.22	6.42	18.28	1.13	74.34	2.66	0.27	4.45	-	-	9.04	1.78	92.44
हंगरी	-	-	-	-	-	3.62	1.50	-	-	-	-	-	-	-	5.12	-	-	-	-	-	-	-	5.12
ईरान	77.27	-	-	-	1.09	-	1.17	-	-	-	-	-	-	-	79.53	-	0.37	-	-	-	-	-	73.90
इटली	-	3.01	-	-	7.37	-	39.87	6.34	-	20.66	-	1.96	5.43	0.22	84.88	8.58	37.73	-	-	-	-	10.19	141.46
जापान	3.87	10.71	2.49	-	20.85	3.55	39.77	169.71	13.45	90.01	17.02	16.03	6.61	6.87	400.98	79.54	100.03	4.85	-	-	-	32.50	617.90
कोरिया	-	8.12	1.59	0.44	1.88	4.49	25.93	85.44	0.40	7.40	4.38	6.17	2.86	-	149.10	22.19	3.45	0.56	-	-	-	3.31	178.81
कुवैत	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74	-	0.96	40.48	-	-	-	0.10	42.28
मैक्सिको	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.12	-	25.21	-	-	-	-	0.49	26.82
पोलैंड	-	-	0.29	-	-	-	-	-	-	1.86	-	0.51	1.12	-	3.78	0.46	-	-	-	-	-	-	4.24
रोमानिया	-	-	-	-	6.66	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	7.22	-	9.23	-	-	-	0.15	-	18.80
सिंगापुर	1.45	4.14	-	-	0.45	1.07	0.15	1.25	0.11	1.38	-	0.40	1.70	-	12.11	0.52	2.99	43.52	-	-	0.24	0.82	80.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
स्लोवाक गण.	-	-	-	-	-	2.77	0.73	36.10	-	0.34	-	-	0.16	-	40.10	0.49	0.20	-	-	-	-	-	40.79
दक्षिण अफ्रीका	1.04	-	2.95	-	3.00	1.09	21.87	5.23	0.25	0.88	0.43	4.38	4.72	-	45.34	13.53	-	10.94	2.75	-	10.23	3.11	86.40
स्पेन	22.32	-	13.45	-	-	-	-	0.53	-	-	-	-	4.70	0.29	41.30	35.89	14.70	-	-	-	-	2.20	94.90
श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.54	-	-	-	-	28.54
स्वीडन	-	2.35	-	-	4.30	0.75	2.06	1.89	-	1.67	-	0.11	0.11	-	15.24	29.29	6.78	0.24	-	1.44	1.99	3.94	56.92
स्विटजरलैंड	-	-	-	-	-	-	-	0.60		0.47	-	0.10	-	-	1.17	-	0.30	-	-	-	3.97	-	5.44
यू.ए.ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	-	0.10	0.10	-	1.43	-	1.13	60.05	-	-	-	1.01	63.62
यू.के.	2.61	4.18	19.35	35.35	6.73	-	46.35	11.83	-	11.04	1.17	10.62	11.27	3.00	164.51	81.44	12.72	170.59	-	-	-	21.54	460.94
यू.एस.ए.	-	-	-	-	0.25	-	2.00	15.03	0.10	31.10	6.45	10.63	41.36	12.32	119.24	16.85	9.19	218.85	-	-	47.73	15.66	427.32
अन्य	5.56	4.01	3.22	-	11.69	1.29	41.24	4.33	0.80	10.29	0.58	1.99	9.01	0.66	94.97	22.00	18.18	51.43	-	-	29.93	24.76	241.27
कुल	222.27	66.45	46.36	38.40	216.96	31.28	714.74	528.80	24.06	316.99	53.75	106.60	148.11	47.28	2681.03	480.45	509.89	709.81	11.55	1.44	150.89	202.16	4628.46

विवरण-V

अप्रैल-दिसम्बर, 97 (अनंतिम) के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों के माध्यम से लोहा एवं इस्पात का देशवार आयात

(हजार टन)

देश	कार्बन स्टील (दोयम/दोषपूर्ण सहित)																						
	सेमीज	बार एंड रोड्स	स्क्रैप.	रेले. मैटिरि.	फ्लैट्स	एच.आर. सीट्स स्ट्रिप्स	एच.आर. क्वायल्स/सीट्स	सी.आर. क्वायल्स/सीट्स	जीपी/जीसी सीट्स	इलैक्ट. सीट्स	टीएम बीपी	टिन प्लेट्स	टिन प्लेट डब्ल्यू/	टिन फ्री डब्ल्यू स्टील	कुल	एलोय/ स्टेनलैस	पाइप एंड फिटिंग्स	मैल्टिंग स्क्रेप	कच्चा लोहा	स्पंज लोहा	फैरो एलोय	मिश्रित एलोय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अर्जेन्टीना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	0.1	-	6.4
आस्ट्रेलिया	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.2	-	0.4	1.4	-	2.4	0.1	-	0.3	-	-	-	0.1	2.9
आस्ट्रिया	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.1	-	-	0.4	-	1.0	0.4	0.1	-	-	-	0.1	0.1	1.7
बेल्जियम	-	-	-	-	3.8	0.2	21.6	6.0	0.1	0.2	0.3	0.4	3.4	0.7	36.7	3.7	0.1	-	-	-	0.1	0.6	41.2
ब्राजील	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	8.6	2.3	1.8	13.4	1.4	0.1	-	-	-	0.3	0.6	15.8
कनाडा	-	0.3	-	-	0.2	0.4	0.2	4.7	0.3	0.4	0.1	0.8	1.0	-	8.4	0.4	-	23.6	-	-	-	0.3	32.7
चीन	0.4	0.1	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.9	4.9	1.1	-	-	-	2.0	0.9	9.8
सी आई एस	70.3	11.0	-	-	58.8	0.2	244.1	15.0	0.1	19.1	-	0.2	0.4	-	418.2	1.6	2.7	0.7	-	-	5.2	0.4	428.8
चेक	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.5	-	-	-	-	-	0.7
ई.सी.	-	-	0.4	-	-	-	1.8	,8.1	0.1	1.2	0.8	1.2	9.8	1.3	24.7	0.4	0.3	0.9	-	-	-	-	26.3
फिनलैंड	-	-	-	-	1.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	1.6	7.1	-	-	-	-	-	0.2	8.9
फ्रांस	-	0.5	-	-	3.8	-	22.7	3.1	0.1	2.3	0.3	0.6	2.3	1.2	36.9	1.1	0.8	-	-	-	0.4	1.4	40.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
जर्मनी	-	6.5	0.4	-	30.3	2.1	33.7	53.8	3.9	7.5	0.6	2.5	13.7	2.9	157.9	13.5	21.6	1.0	-	-	0.2	1.4	196.6
हालैंड	-	0.6	-	-	-	1.2	15.6	13.3	-	0.6	0.1	3.4	10.4	0.6	45.8	1.2	-	-	-	-	0.4	0.1	47.5
ईरान	90.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.7	-	-	-	-	-	-	-	90.7
इटली	-	0.1	-	-	12.2	-	-	1.2	-	4.3	-	0.5	4.1	-	22.4	1.3	1.9	-	-	-	-	0.9	26.5
जापान	3.1	2.6	-	-	0.4	3.0	16.6	43.6	4.8	12.8	1.0	6.4	2.8	2.9	100.0	7.8	25.4	4.1	-	-	-	2.9	140.2
कोरिया	4.9	2.7	0.2	0.3	0.8	6.2	40.6	35.1	1.4	0.2	-	0.2	0.7	-	93.3	5.4	0.2	-	-	-	-	0.4	99.3
कुवैत	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	48.6	-	-	-	0.1	49.0
मैक्सिको	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4
रोमानिया	-	-	-	-	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	-	2.5	-	-	-	-	-	16.9
सिंगापुर	2.3	2.1	-	-	1.0	0.1	2.1	1.5	0.1	-	-	0.1	0.6	-	9.9	0.1	-	65.5	-	-	-	0.5	76.0
स्लोवाक गण.	-	-	-	-	-	0.3	9.9	16.5	-	0.1	-	-	-	-	26.8	0.1	0.2	-	-	-	-	-	27.1
दक्षिण अफ्रीका	1.9	-	0.9	-	0.8	1.0	72.6	6.4	0.5	-	0.1	2.1	1.3	0.1	87.7	0.3	-	27.5	2.6	-	5.4	1.3	124.8
स्पेन	5.3	-	2.4	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.1	2.4	1.1	11.6	2.8	1.6	0.5	-	-	-	0.1	16.6
श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	37.0	-	-	-	-	37.1
स्वीडन	-	0.3	-	-	2.9	0.2	1.6	1.8	0.1	1.8	-	-	0.1	-	8.8	0.6	0.2	5.4	-	0.9	0.1	0.3	16.3
स्वीटजरलैंड	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.4	0.2	-	20.9	-	-	0.7	-	22.2
यू.ए.ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-	0.2	-	2.4	90.4	-	-	-	0.2	93.2
यू.के.	5.8	0.9	0.6	-	3.2	1.6	12.1	2.2	0.1	2.2	1.4	5.0	9.3	1.6	46.0	7.7	0.4	233.1	-	-	0.1	1.6	288.9
यू.एस.ए.	-	0.3	-	-	0.3	0.1	0.2	11.6	0.6	8.1	2.4	9.0	29.3	6.4	68.3	3.3	0.6	93.4	-	-	2.9	0.3	168.8
अन्य	7.6	0.7	1.5	-	1.6	0.3	29.3	0.4	0.5	2.7	0.2	2.5	9.0	0.9	57.2	12.0	1.4	52.8	-	-	1.8	2.3	127.5
कुल	192.3	29.3	6.4	0.3	136.1	17.1	524.7	225.9	12.7	64.6	7.2	44.1	104.8	21.5	1387.0	77.4	72.0	705.7	2.6	0.9	19.8	17.0	2282.4

विवरण-VI

अप्रैल-दिसम्बर, 97 (अनंतिम) के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों के माध्यम से लोहा एवं इस्पात का देशवार आयात

(करोड़ रुपए)

देश	कार्बन स्टील (दोयम/दोषपूर्ण सहित)																						
	सेमीज	बार एंड रोड्स	स्क्रप्ट.	रेले. मैटिरि.	फ्लैट्स	एच.आर. सीट्स स्ट्रिप्स	एच.आर. क्वायल्स/ सीट्स	सी.आर. क्वायल्स/ सीट्स	जीपी/ जीसी सीट्स	इलैक्ट. सीट्स	टीएम बीपी	टिन प्लेट्स	टिन प्लेट डब्ल्यू/डब्ल्यू	टिन फ्री स्टील	कुल	एलोय/ स्टेनलैस	पाइप एंड फिटिंग्स	मैल्टिंग स्क्रेप	कच्चा लोहा	स्पंज लोहा	फैरो एलोय	मिश्रित एलोय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अर्जेन्टीना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.57	-	-	-	0.32	-	16.89
आस्ट्रेलिया	-	-	-	-	-	-	-	0.84	-	0.50	-	0.56	1.84	-	3.74	0.30	-	0.30	-	-	-	0.52	4.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आस्ट्रिया	-	-	-	-	-	-	-	1.11	-	0.12	-	-	0.53	-	1.76	5.38	0.24	-	-	-	2.27	0.89	10.54
बेल्जियम	-	-	-	-	10.24	0.40	24.00	9.54	0.23	0.29	0.32	0.50	4.91	0.87	51.30	11.76	0.38	-	-	-	2.16	4.33	69.93
ब्राजील	-	1.03	-	-	-	-	-	-	-	1.83	-	22.30	4.38	3.64	33.18	4.02	0.38	-	-	-	1.76	2.38	41.72
कनाडा	-	0.26	-	-	0.18	0.40	0.27	9.44	0.31	0.84	0.11	0.82	1.13	-	13.76	1.29	-	13.30	-	-	-	1.10	29.45
चीन	0.31	0.47	-	-	0.46	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	1.36	8.15	2.86	-	-	-	8.31	5.29	25.97
सी आई एस	68.70	11.58	-	-	64.53	0.21	264.50	17.47	0.10	48.50	-	0.60	0.77	-	476.96	3.30	7.18	0.40	-	-	19.33	2.29	509.46
चेक	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-	1.22	-	-	-	-	-	1.54
ई.सी.	-	-	0.69	-	-	-	1.57	8.23	0.22	2.94	0.79	1.42	11.60	1.47	28.93	6.11	1.70	0.50	-	-	-	-	37.24
फिनलैंड	-	-	-	-	2.69	-	-	0.52	-	-	-	-	-	-	3.21	30.55	-	-	-	-	-	0.54	34.30
फ्रांस	-	1.14	-	-	7.95	-	28.29	4.28	0.10	11.57	0.36	0.83	3.46	1.70	59.68	6.44	3.20	-	-	-	0.98	6.62	76.92
जर्मनी	-	8.60	0.95	-	48.28	3.98	41.76	78.17	8.24	20.26	0.55	6.14	18.76	6.01	241.70	52.60	77.19	0.82	-	-	0.99	9.41	382.71
हालैंड	-	1.38	-	-	-	1.41	19.08	12.94	-	1.16	0.10	3.56	12.55	0.60	52.78	3.12	-	-	-	-	5.01	1.15	62.06
ईरान	81.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.44	-	-	-	-	-	-	-	81.44
इटली	-	0.86	-	-	20.60	-	-	3.08	-	14.16	-	0.57	4.85	-	44.12	3.81	12.71	-	-	-	-	7.10	67.74
जापान	2.66	8.57	-	-	0.87	4.81	24.66	80.50	11.74	54.40	0.88	15.01	3.92	6.28	214.30	35.30	102.59	2.93	-	-	-	15.84	371.06
कोरिया	3.91	5.71	0.30	0.50	1.70	10.60	50.30	70.50	5.56	1.07	-	0.44	1.08	-	151.67	16.50	0.44	-	-	-	-	2.70	171.31
कुवैत	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.20	27.50	-	-	-	0.10	27.94
मैक्सिको	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.84	-	-	-	-	-	3.84
रोमानिया	-	-	-	-	18.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.04	-	7.35	-	-	-	-	-	25.39
सिंगापुर	1.86	2.32	-	-	1.82	0.11	2.18	1.63	0.19	-	-	0.25	0.91	-	11.27	0.38	-	39.56	-	-	-	1.92	53.13
स्लोवाक गण.	-	-	-	-	-	0.44	13.32	29.43	-	0.17	-	-	-	-	43.36	0.26	0.55	-	-	-	-	-	44.17
दक्षिण अफ्रीका	2.06	-	1.34	-	1.60	1.06	81.53	8.46	0.58	-	0.12	3.28	1.61	0.30	101.94	1.48	-	16.27	2.40	-	12.57	3.39	138.05
स्पेन	6.62	-	3.49	-	-	-	-	1.61		-	-	0.21	3.47	1.60	17.00	17.30	6.07	0.32	-	-	-	0.45	41.14
श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	0.14	-	-	21.77	-	-	-	-	21.91
स्वीडन	-	2.14	-	-	7.30	1.10	5.68	7.12	0.19	2.65	-	-	0.17	-	26.35	6.51	2.92	3.19	-	1.33	0.57	4.60	45.47
स्वीटजरलैंड	-	0.22	-	-	-	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	1.20	1.00	-	12.77	-	-	2.48	-	17.45
यू.ए.ई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	0.19	-	-	0.89	-	4.26	53.50	-	-	-	1.22	59.87
यू.के.	5.27	5.69	1.20	-	5.56	1.60	14.21	4.84	0.53	7.30	1.76	6.38	16.74	2.38	73.46	43.22	4.03	143.76	-	-	1.27	7.51	273.25
यू.एस.ए.	-	0.75	-	-	0.45	0.11	0.44	17.58	0.62	21.62	3.15	11.08	38.15	7.40	101.35	14.42	2.86	57.30	-	-	47.49	2.78	226.20
अन्य	5.05	2.13	2.67	-	8.68	0.40	25.42	0.73	0.69	9.77	0.63	4.01	13.25	1.12	74.55	47.07	7.18	30.62	-	-	7.94	15.77	183.13
कुल	177.88	52.85	10.64	0.50	200.95	26.95	597.21	368.16	29.30	200.97	8.77	78.15	144.20	33.37	1929.90	320.27	266.02	424.81	2.40	1.33	113.45	97.90	3156.08

[हिन्दी]

रेल यात्रियों को सुविधायें

3280. डा. प्रभा ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे देश के विभिन्न भागों से इस वर्ष राजस्थान के अजमेर शहर में 'गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती' के 786वें विशेष उर्स के अवसर पर नमन करने के लिए आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष उर्स मेला के दौरान व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए उर्स कमेटी के सदस्यों और रेलवे विभाग के नोडल अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की जानी होती है। इस वर्ष भी तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उर्स समिति के समन्वय से प्रबंध किए जाएंगे।

एअर इंडिया का निजीकरण

3281. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरस्त हो जाने के परिणामस्वरूप एअर इंडिया को 1.3.94 से पब्लिक लि. कंपनी में परिवर्तित कर दिया है। यह पूर्ण रूपेण सरकार के स्वामित्व में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलांइस में विमानों और कर्मचारियों का अनुपात

3282. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व की चार अग्रणी एअरलाइनों के मुकाबले इंडियन एअरलाइंस में विमानों और कर्मचारियों का अनुपात क्या है; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस को विश्व की चार अग्रणी एअरलाइनों की भांति चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) इंडियन एयरलाइंस में प्रति विमान कर्मचारियों का अनुपात तथा साथ ही साथ विश्व की कुछ अग्रणी एयरलाइनों का प्रति विमान कर्मचारियों का अनुपात इस प्रकार है:-

	एयरलाइन का नाम	प्रति विमान कर्मचारियों का अनुपात
1.	ब्रिटिश एयरवेज	215
2.	एयर फ्रांस	277
3.	के.एम.एल.	240
4.	थाई एयरवेज	303
5.	इंडियन एयरलाइन्स	400

अधिकांश विदेशी एयरलाइनें इंजीनियरिंग और अनुरक्षण सुविधाएं, यात्री/कारगो/ग्राउण्ड हैंडलिंग तथा इसी प्रकार के कई कार्यकलापों अर्जन साधन (ठेका इत्यादि) प्राप्त कर लेती है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है:- (1) मार्गों की पुर्नसंरचना,(2) लाभ केन्द्रों का सृजन,(3) अर्न्तराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि, (4) पायलेटों के प्रशिक्षण पैटर्न में परिवर्तन, (5) एलायंस एयर का सृजन, (6) यात्री सेवाओं में सुधार, (7) कंपनी की शक्ति के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार द्वारा सामूहिक छवि में सुधार, (8) मार्किट शेयर में सुधार हेतु प्रगतिशील मार्किटिंग रणनीतियां, (9) भर्ती तथा पूंजी व्यय पर कठोर नियंत्रण, (10) केलकर समिति द्वारा संस्तुत पूर्व स्थिति बहाली रणनीतियां।

जामनगर में चक्रवात के कारण रक्षा प्रतिष्ठानों को क्षति

3283. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर तथा काण्डला में जून, 1998 में आए चक्रवात ने इस क्षेत्र में वायुसेना, नौसेना तथा थलसेना के ठिकानों को भारी क्षति पहुंचाई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क)जी, हां।

(ख) सेना, नौसेना और वायुसेना की आकलित क्षति की राशि 13.21 करोड़ रुपये है।

उड़ीसा में घामरा नदी पर पत्तन का निर्माण

3284. श्री खारबेल स्वाईं : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में व्हीलसी द्वीप पर नवनिर्मित मिसाइल परीक्षण बेस के निकट धामरा नदी के मुहाने पर एक बड़े पत्तन के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय के संवेदनशील मिसाइल परीक्षण बेस पर इसके प्रभाव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) स (ग) सरकार इस बात से अवगत है कि उड़ीसा सरकार द्वारा धामरा नदी पर एक पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। नव निर्मित रेंज सुविधाएं इस प्रस्तावित पत्तन से हटकर हैं। इसलिए रेंज सुविधाओं पर इस पत्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उड़ीसा में पेयजल आपूर्ति के लिए विदेशी/हुडको द्वारा सहायता

3285. श्री तथागत सत्पथी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के ढेनकनाल तथा अंगल शहरों में पेयजल आपूर्ति तथा जल-व्ययन परियोजनाओं के लिए विदेशी/हुडको द्वारा सहायता प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख): उड़ीसा में ढेनकनाल तथा अंगल सहित कुछ शहरी क्षेत्रों में 139.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर क्षेत्रीय जल आपूर्ति हेतु एक प्रस्ताव सरकार को मिला था, जिसकी 1997-98 के दौरान ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फंड (ओ ई सी एफ), जापान से विदेशी सहायता हेतु सिफारिश की गई थी। हालांकि ओ.ई.सी.एफ. ने वित्तपोषण के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

हुडको सहायता के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा सीधे ही हुडको को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। हुडकों ने बताया है कि क्रमशः 1358.56 लाख रुपये तथा 1234.65 लाख रुपये की अनुमानत लागत वाली ढेनकनाल तथा अंगल जल आपूर्ति योजनाओं के लिए क्रमशः 950.96 लाख रुपये तथा 864.26 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ये योजनाएं उड़ीसा जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) हुडको से सहायता प्राप्त परियोजनाएं तीन वर्ष के अंदर पूरी होने की संभावना है।

गुंटकल-बेंगलूर रेल लाइन का दोहरीकरण

3286. श्री एच. जी. रामुलू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटकल-बेंगलूर बड़ी लाइन खण्ड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) गुंतकल और गूंती के बीच पहले ही एक दोहरी लाइन है। धर्मावरम और पेनूकोण्डा के बीच बरास्ता पुत्तापर्ति एक नई लाइन का निर्माण करके दोहरीकरण करने का प्रस्ताव है जो अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् शुरू करने हेतु 1997-98 के बजट में पहले ही शामिल है जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल गूती-धर्मावरम और पेनूकोण्डा बेंगलूरू खण्ड के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुसावल आयुध कारखाने की उत्पादन क्षमता

3287. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुसावल आयुध कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भूमि के संबध में प्रभावित परिवारों द्वारा भुसावल आयुध कारखाने में रोजगार हेतु प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) भुसावल स्थित आयुध निर्माणी प्रति वर्ष लगभग 8 लाख गोलीबारूद के लिए स्टील के बक्सों, तेल एवं स्नेहकों के लिए बैरेलों तथा स्टील के अन्य डिब्बों का निर्माण कर सकती है। 200 लीटर वाले बैरेलों के लिए सेना की मांग में कमी आ जाने के कारण पिछले तीन वर्षो के दौरान निर्माणी की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। तथापि, गोली बारूद के लिए नए बक्सों का उपयोग शुरू हो जाने से वर्ष 1998-99 के दौरान निर्माणी की पूरी क्षमता का उपयोग होने की संभावना है।

बताया गया है कि 40 व्यक्तियों ने निर्माणी से इस आधार पर

रोजगार की मांग की कि आवासों के निर्माण के लिए उनकी भूमि का अर्जन कर लिया गया है; रोजगार कार्यालय ने उनका नाम प्रायोजित किया तथा उन्हें रोजगार दे दिया गया था। आयुध निर्माणी बोर्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 1980 से रोजगार से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों में कमी

3288. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रति परिवार निवेश को बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि परियोजनाओं की गुणवत्ता तथा लाभार्थी की बेहतर आय सुनिश्चित की जा सके। फलत: समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी के लिए मामूली सी अधिक वार्षिक रिलीज करने पर प्रति व्यक्ति अधिक सब्सिडी की आवश्यकता होती है, जिससे लाभार्थियों की संख्या में कुछ कमी हो जायेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अभियंताओं की संख्या

3289. **श्री कड़िया मुण्डा :**

श्री इन्द्र नाथ भगत :

डा. सी. पी. ठाकुर :

श्री रामटहल चौधरी :

श्री अजीत जोगी :

श्री जोगेन्द्र कवाडे :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में श्रेणी-वार कुल कितने अभियंता कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभियंताओं का प्रतिशत क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणी के बकाया रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	कुल सं.	संख्या अनु. जाति	संख्या अनु.ज. जाति	प्रतिशत अनु. जाति	प्रतिशत अनु.ज. जाति	पिछला बकाया अनु. जाति	पिछला बकाया अनु.ज. जाति	पिछला बकाया अ.पि. वर्ग	पिछला बकाया समाप्त करने के लिए कारण/की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इंजीनियर सदस्य	1	-	-	-	-	-	-	-	पद 3/97 से पूर्व और चयनित था
2.	मुख्य इंजीनियर (सी)	8	-	-	-	-	-	-	-	और ऐसा कोई आरक्षित पद नहीं था।
3.	मुख्य इंजीनियर (ई)	1	-	-	-	-	-	-	-	तथापि 31.3.97 के संशोधन के तहत
4.	अधीक्षण इंजीनियर (सी)	30	-	-	-	-	-	-	-	पद और चयनित हो गया और 5
5.	अधीक्षण इंजीनियर (ई)	3	-	-	-	-	-	-	-	रिक्त पदों में से सहा. इंजीनियर (ई/
6.	कार्यपालक इंजीनियर (सी)	17	13	1	11.11	0.9	-	-		एम) के दो पद अनुसूचित जाति की
7.	कार्यपालक इंजीनियर (ई)	17	2	-	11.80	शून्य	-	-	-	श्रेणी से भरे गये।
8.	सहायक इंजीनियर (सी)	510	74	3	14.50	0.6	6	8	-	
9.	सहायक इंजीनियर (ई/एम)	72	10	-	13.90	शून्य	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जूनियर इंजीनियर (सी)	1406	110	-	7.82	शून्य	101	105	-	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित काडर
11.	जूनियर इंजीनियर (ई/एम)	192	17	-	8.85	शून्य	12	14	-	रिव्यू समिति की सिफारिशों के अनुसार जूनियर इंजीनियर पद पर भर्ती को रोका गया है। तथापि, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जे.इ. (इ/एम) की श्रेणी में 1989 में 9 अभ्यार्थियों का चयन किया गया, 7/1997 को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। जू.ई. (सिविल) और जू.ई. (ई/एम) श्रेणी में पिछड़े वर्ग की बकाया रिक्ति/कमी को शून्य माना जाएगा, चूँकि 1986 से जूनियर इंजीनियर (सिविल) पद में कोई भर्ती नहीं की गई। जूनियर इंजीनियर (इ/एम) श्रेणी में वर्ष 1989 में अंतिम भर्ती की गई। पिछड़े वर्ग का आरक्षण सितंबर, 1993 से ही किया गया।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण

3290. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री वैको :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

श्री जुआल उराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरनान जोन/डिवीजनवार किन-किन रेलवे स्टेशनों का विस्तार उन्नयन/जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण/विकास किया गया;

(ख) उस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरन किन-किन रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सभी भारतीय रेलों पर विभिन्न श्रेणियों के 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशन का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह जहां कहीं आवश्यक होता है स्थिति के आधार पर किया जाता है। स्टेशन वार खर्च नहीं रखा जाता है। 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान इस पर हुआ खर्च क्रमश: 87.98 करोड़ रुपये, 87.96 करोड़ रुपये तथा 89.33 करोड़ रुपये था।

चालू प्रमुख आधुनिकीकरण कार्य तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चालू वर्ष के लिए अनुमोदित नए कार्यों से संबंधित सूचना रेलवे बजट प्रलेखों के साथ प्रस्तुत की गई निर्माण, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम, भाग-II में शामिल की गई है। चालू वर्ष के दौरान रेलवे स्टेशनों के उन्नयन नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। इसमें से 1998-99 के दौरान नए निर्माण कार्यों के लिए 18.78 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इस्पात विकास निधि

3291. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए इस्पात विकास निधि से उपलब्ध करायी गई अनुदान की राशि अथवा ऋण कितना है;

(ख) क्या सरकार ने ऋणों के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए इस्पात विकास निधि से उपलब्ध करवाई गई अनुदान की राशि अथवा ऋण निम्नानुसार है :

1995-96

50.00 लाख रुपये - अनुदान

1996-97

19.30 लाख रुपये - अनुदान

1997-98

19.20 लाख रुपये - अनुदान

(ख) ऋण के संवितरण के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रक्षा संबंधी उपयोग के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजा

3292. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने इलाहाबाद-बमरौली हवाई अड्डे के लिए उभारी गांव और इलाहाबाद कौशाम्बी सड़क के साथ वाली भूमि का बड़ा हिस्सा अधिग्रहीत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि के लिए अपेक्षित मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इलाहाबाद-कौशाम्बी सड़क के स्थान पर जनता के लिए कोई अन्य सड़क बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वायुसेना बमरौली के प्रयोग के लिए 1945-46 में अन्य गांवों के साथ उमारी गांव, न कि उभारी गांव में तथा इलाहाबाद-कौशांबी रोड के आस-पास 648.61 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी। भूमि के बदले पूरे मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायुसेना द्वारा इलाहाबाद कौशांबी रोड़ के बदले आम जनता के लिए किसी अन्य रोड के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामवासियों के लिए वायुसेना क्षेत्र में से अपनी भूमि तक जाने के लिए एक पगडंडी मौजूद है।

[अनुवाद]

दिल्ली में रेलवे भूमि का अतिक्रमण

3293. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री पी. आर. किन्डिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1998 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रेलवे स्टेशन्स पेराडाइज इन हैल फार एन्क्रोचर्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में 1500 करोड़ रुपये मूल्य की 357 हेक्टेयर महत्वपूर्ण रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) क्या रेल अधिकारी न केवल अतिक्रमण की गई भूमि को वापस पाने में ही नहीं बल्कि और अतिक्रमण को रोकने में भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं;

(ग) क्या रेल भूमि तथा कुछ रेल प्लेटफार्मो पर इस तरह के अतिक्रमण से यात्री सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, जहां अतिक्रमण प्लेटफार्म के बहुत समीप होता है वहां किसी सीमा तक सदाशयी रेलवे यात्रियों को परेशानी होती है।

(घ) रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाना एक सतत् प्रक्रिया है और सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

चार्टर्ड विमानों पर किया गया खर्च

3294. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा विगत दो वर्षों में प्रति वर्ष चार्टर्ड विमानों पर किए गए वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कोई विमान भाड़े पर नहीं लिया गया।

[अनुवाद]

श्रीनगर विमानपत्तन का उन्नयन

3295. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री एम. राजैया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर विमानपत्तन को उन्नयन के लिए बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) श्रीनगर हवाई अड्डा जो भारतीय वायु सेना का है, को रनवे के पुन: सतहलेपन कार्य हेतु दिनांक 8.6.98 से उड़ान संबंधी प्रचालनों के लिए अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। असैनिक उड़ानें अवंतिपुर एयरफोर्स स्टेशन से प्रचालित की जा रही हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वायु सेना ने अवंतिपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं मुहैया की हुई हैं।

[हिन्दी]

आर.ए.सी. और प्रतीक्षा सूची के टिकटों के लिए निर्धारित मानदंड

3296. श्री रामनन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्ट और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आर. ए. सी. तथा प्रतीक्षा सूची के बदले टिकट देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या वातानुकूलित श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के आर. ए. सी. तथा प्रतीक्षा सूची के टिकटधारक यात्रियों को कई बार द्वितीय श्रेणी में तथा खड़े-खड़े भी यात्री करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय का विचार कुल शायिकाओं तथा आरक्षित सीटों के अनुपात में आर. ए. सी. तथा प्रतीक्षा सूची के टिकटों की संख्या को रेग्यूलेट करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) आर ए सी और प्रतीक्षा सूची टिकटों को जारी करने के लिए निर्धारित मानदंड इस प्रकार है :

आरएसी

दर्जा	प्रति सवारी डिब्बा में आरएसी यात्रियों के लिए निर्धारित *शायिकाओं की संख्या*	प्रति सवारी डिब्बा में आरएसी स्थान मुहैया कराए जाने वाले *यात्रियों की संख्या*
1	2	3
पहला दर्जा वातानुकूल	कोई नहीं	कोई नहीं
दूसरा दर्ज वातानुकूल	2	4
पहला दर्जा	2	4
तृतीय वातानुकूल	2	4
कुर्सीयान	कोई नहीं	कोई नहीं
शयनयान	5	10

प्रतीक्षा सूची

दर्जा	प्रतीक्षा सूची की अधिकतम सीमा
पहला दर्जा वातानुकूल/ एग्जीक्यूटिव क्लास	30
द्वितीय दर्जा वातानुकूल	100
पहला दर्जा	30
तृतीय वातानुकूल/कुर्सीयान	300 * चलती गाड़ी में एक वातानुकूल 3 टियर/कुर्सीयान के मामले में 75
शयनयान दर्जा	400

(ख) आरएसी वाले यात्रियों के लिए उपयुक्त सीट का आबंटन किया जाता है जिसे वे गाड़ी में प्रवेश करके प्राप्त कर सकते है। उन्हें पुष्टिशुदा यात्रियों के गाड़ी में न चढ़ने के कारण खाली शायिका मुहैया कराई जाती है। प्रतीक्षा सूची टिकट धारी यात्रियों को आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

(ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

इस्पात उद्योग का विकास

3297. श्री चन्दू लाल अजमीरा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग इस वर्ष पहली बार जी. डी. पी. विकास दर की तुलना में न्यूनतम दर पर आया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की तुलना में परिष्कृत (कार्बन) इस्पात की वृद्धि दर निम्न प्रकार थी:

	वृद्धि दर	@ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (1980-81 के मूल्यों के आधार पर)
1995-96	20.08%	7.2%
1996-97	6.2%	7.5% (क्यू.)
1997-98(पी)	(-) 0.7%	5.0% (ए)

पी - अनंतिम क्यू - त्वरित अनुमान

ए - अग्रिम अनुमान

@ स्रोत: 1997-98 का आर्थिक सर्वेक्षण

(ख) और (ग) इस्पात क्षेत्र की वृद्धि सामान्यत: अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर और विशेषत: औद्योगिक उत्पादन एवं अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर होती है।

1997-98 के दौरान इस्पात क्षेत्र में कम वृद्धि होने के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल है:

(i) इस्पात खपत क्षेत्रों में इसकी कम मांग,

(ii) देश में समग्र आर्थिक गिरावट,

(iii) प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में सरकारी निजी क्षेत्र द्वारा कम निवेश,

(iv) परिष्कृत इस्पात के सीमा शुल्क में कमी करने के कारण आयात से कड़ी स्पर्धा; और

(v) विशेषकर सी आई एस और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से देश में परिष्कृत इस्पात का पाटन।

1998-99 के बजट में प्रस्तावित अवसंरचना के विकास, आवास, ऊर्जा और राजमार्गों के लिए आबंटन बढ़ाने से इस्पात की मांग बढ़ने की आशा है।

[हिन्दी]

डोलोमाइट का भण्डार

3298. श्री डी. एस. अहिरे : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डोलोमाइट खनिज किन-किन राज्यों में पाया जाता है;

(ख) महाराष्ट्र में डोलोमाइट के भंडार कहां-कहां पाए जाते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में खनिज की उपलब्धता का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) डोलोमाइट भंडार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं।

(ख) डोलोमाइट भंडार महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, नागपुर और येवतमल जिलों में पाए जाते हैं।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, खनिज भंडार का गवेषण करने के लिए स्वतंत्र है। खान विभाग के अंतर्गत, एक अधीनस्थ संगठन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लि., खनन और भू-विज्ञान राज्य निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में डोलोमाइट सहित खनिजों के अन्वेषण और गवेषण कार्य करते हैं जोकि एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

गांधी नगर में एयर बेस स्टेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण

3299. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्थित गांधी नगर में छावनी और पूर्ण सुविधा संपन्न एयर बेस स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला इस समय किस चरण पर है; और

(ख) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार ने अस्थाई रूप से दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय स्थापित करने के लिए 3,23,63,363 रुपये की लागत पर 106.25 एकड़ भूमि अधिगृहीत की है। गुजरात सरकार से अधिगृहीत किए गए भवनों के विस्तार/फेरबदल करने के लिए 4.00 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

इस समय गांधी नगर में छावनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर और टुमकुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

3300. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा बंगलौर और टुमकुर के बीच रेल लाइन में दोहरीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोहरीकरण कार्य कब शुरू होगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं, बहरहाल, यशवंतपुर से तुमकुर तक दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) 80 करोड़ रुपए की लागत से यशवंतपुर-तुमकुर के दोहरीकरण का कार्य 1997-98 के बजट में इस प्रावधान के साथ शामिल किया गया है कि आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, कार्य शुरू होने तथा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद निधियां आबंटित की जा सकती हैं।

हवाई अड्डे पर टर्मिनल सुविधाएं

3301. श्री चेतन चौहान : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुछ विमानपत्तनों में अतिरिक्त उड़ानें चलाने के लिए विद्यमान टर्मिनल सुविधाओं के अलावा और टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भोपाल, भुवनेश्वर, कालीकट, कोयम्बटूर, दीमापुर, गोवा, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जोधपुर, लेह, लखनऊ, नागपुर, रायपुर तथा बड़ोदरा स्थित घरेलू विमानपत्तनों पर 182.93 करोड़ रुपये की लागत से विकसित सुविधाएं मुहैया की हैं। आगरा, बंगलौर, बागडोगरा, गुवाहाटी, इम्फाल, कारगिल, पटना, पोर्ट ब्लेयर, सिल्चर, तिरूपति तथा तेजपुर विमानपत्तन पर 128.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी कार्यों को भी शुरू किया गया है।

मुम्बई, कलकत्ता तथा त्रिवेन्द्रम जैसे अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 155.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर/भवनों के निर्माण कार्य को हाथ में लिया जा चुका है। इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर 45.07 करोड़ रुपये की लागत से यात्री लाउंज तथा एक नये टर्मिनल का निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

बौद्ध स्थलों को रेल लाइन से जोड़ना

3302. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी बौद्ध स्थलों को रेल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार कितने बौद्ध स्थलों को रेल से जोड़ा जा चुका है; और

(ग) भगवान बुद्ध की निर्वाणस्थली कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को अब तक रेल से न जोड़ने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। धार्मिक स्थलों को रेल संपर्क से जोड़ना एक मानदंड है, लेकिन संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सभी धार्मिक स्थलों को रेल संपर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है। बौद्धों के बहुत से महत्वपूर्ण स्थल रेल संपर्क से जुड़े हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि कुशीनगर रेल संपर्क से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, तथापि यह जिला मुख्यालय पडरौना (कुशीनगर से लगभग 25 कि.मी.) देवरिया (कुशीनगर से लगभग 25 कि.मी.) और गोरखपुर (कुशीनगर से लगभग 60 कि.मी.) के निकट है जो रेल संपर्क से सीधे जुड़े हुए हैं। ये स्टेशन अर्थात् पडरौना, गोरखपुर, देवरिया कुशीनगर के साथ सड़क द्वारा भलीभांति जुड़े हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में कुशीनगर के रास्ते देवरिया से पडरौना तक एक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् इस लाइन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाली फ्लैट

3303. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल सुविधाओं के अभाव में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने फ्लैट खाली रहे;

(ख) टाइप-वार और स्थान-वार ये फ्लैट कब से खाली हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) सरकार इन फ्लैटों में मूल सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बिजली न होने के कारण विभिन्न श्रेणियों में निर्मित 16219 फ्लैट खाली पड़े हैं। इन फ्लैटों का टाईपवार, स्थानवार ब्यौरा तथा वह अवधि जब से ये खाली पड़े हैं, विवरण में दिया गया है।

(ग) मांग पत्र जारी करते समय लागू कीमत के आधार पर फ्लैट आबंटित किए जाते हैं।

(घ) प्रत्येक मामले में दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बिजली उपलब्ध कराए जाने के बारे में लक्षित तारीखें सलंग्न विवरण में दी गई हैं।

इन फ्लैटों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ विभिन्न स्तरों पर डी डी ए द्वारा नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं।

दिल्ली नगर निगम द्वारा जल आपूर्ति और मल निकासी सेवाएं न मुहैया कराने तक टयूबवैल के द्वारा जल आपूर्ति और मल निकासी के लिए आक्सीजन टैंक बनाकर डी डी ए ने अंतिम व्यवस्था की है।

विवरण

खाली फ्लैटों के विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	एस. एफ. एस.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता	कुल फ्लैटों की संख्या	जब से खाली हैं	अनुपलब्ध सेवाएं	तकनीकी सदस्यों के साथ दिनांक 13.6.98 को हुई अन्तिम बैठक में दिये गये नए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कोंडली घरौली में	-	176	-	-	176	6/95	विद्युत उपलब्ध नहीं है।	10.7.98
	एम.आई.जी. फ्लैट	-	192	-	-	192	3/95	-वही-	-वही-
		-	128	-	-	128	3/95	-वही-	-वही-
		-	120	-	-	120	8/96	-वही-	-वही-
		-	180	-	-	180	8/96	-वही-	-वही-
		-	152	-	-	152	8/96	-वही-	-वही-
		-	176	-	-	176	8/96	-वही-	-वही-
2.	गाजीपुर में 189 स्ववित्त	101	-	-	-	101	6/96	-वही-	31.7.98
	पोषित	88	-	-	-	88	12/96	-वही-	-वही-
3.	मयूर विहार पोकेट-2/फेज-I में एम.आई.जी./एल.आई.जी.	-	124	-	124	248	3/96	-वही-	30.6.98 (निर्माणाधीन)
4.	पीरागढी के पास (1)	177	-	-	-	177	3/97	-वही-	31.7.98
	(2)	-	148	-	-	148	12/96	-वही-	-वही-
5.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-21 पाकेट-4	-	-	240	0	240	6/95	-वही-	8/98
6.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-22 पाकेट-12	-	-	176	-	176	6/95	-वही-	9/98
7.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-22 पाकेट-16	-	-	136	-	136	3/95	-वही-	-वही-
8.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-22 पाकेट-16 ए	-	-	136	-	136	3/95	-वही-	-वही-
9.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-22 पाकेट-17	-	-	136	-	136	3/95	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-22 पाकेट-15	-	-	176	-	176	6/95	-वही-	15.10.98
11.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-23 पाकेट-1	-	288	-	-	288	3/95	-वही-	15.11.98
12.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-23 पाकेट-2	-	288	-	-	288	3/95	-वही-	15.11.98
13.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-4	-	225	-	-	225	3/95	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 1/99 तक पूरे होने की संभावना है।
14.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-24	-	288	-	-	288	3/95	-वही-	-वही-
15.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-23	-	270	-	-	270	3/95	-वही-	-वही-
16.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-1	-	-	176	-	176	6/95	-वही-	31.10.98
17.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-10	-	-	176	-	176	6/95	-वही-	30.11.98
18.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-13	-	-	176	-	176	6/95	-वही-	-वही-
19.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-25	-	-	176	-	176	3/95	-वही-	-वही-
20.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24 पाकेट-26	-	-	292	-	292	3/95	-वही-	-वही-
21.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-25 पाकेट-8-9	-	-	250	-	250	3/95	-वही	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 2/99 तक पूरे होने की संभावना है।
22.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-25 पाकेट-1	-	-	282	-	282	3/95	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i)	रोहिणी फेज-III सेक्टर-23								
	पाकेट-3	-	288	-	-	288	3/95	-वही-	15.11.98
(ii)	रोहिणी फेज-III सेक्टर-21								
	पाकेट-7	-	270	-	-	270	4/96	-वही-	11/98
(iii)	रोहिणी फेज-III सेक्टर-24								
	पाकेट-4	-	45	-	-	45	4/96	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 1/99 तक पूरे होने की संभावना है।
23.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-23								
	पाकेट-6	288	-	-	-	288	12/96	-वही-	31.8.98
24.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-23								
	पाकेट-7	144	-	-	-	144	3/97	-वही-	-वही-
25.	शेख सराय	104	-	-	-	104	3/97	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 1/99 तक पूरे होने की संभावना है।
26.	द्वारका फेस-I नसिरपुर								
	पाकेट-9	-	-	68	174	242	3/95	-वही-	30.9.98
27.	द्वारका नसिरपुर								
	पाकेट-6	-	246	82	-	328	3/96	-वही-	11/98
28.	द्वारका सेक्टर-II	-	144	-	-	144	3/97	-वही-	15.8.98
	167 फ्लैट (एमआईजी)								
29.	सेक्टर-II पाकेट-2 द्वारका	-	198	-	-	198	12/96	-वही-	10/98
30.	सेक्टर-II पाकेट-3 द्वारका	-	198	-	-	198	12/96	-वही-	15.7.98
31.	सेक्टर-6 पाकेट-1 द्वारका	212	-	-	-	212	12/96	-वही-	10/98
32.	सेक्टर-1 पाकेट-1 द्वारका	136	-	-	-	136	12/96	-वही-	15.9.98
	312 एसएफएस								
33.	सेक्टर-4 पाकेट एमएलयू	228	-	-	-	228	12/96	-वही-	11/98
34.	सेक्टर-5 पाकेट एमएलयू	167	-	-	-	167	12/96	-वही-	10/98
35.	सेक्टर-5 पाकेट एमएलयू	197	-	-	-	197	12/96	-वही-	10/98
36.	पाकेट-6 नसीरपुर द्वारका	-	184	-	-	184	12/96	-वही-	9/98
37.	सेक्टर-13 द्वारका	-	628	-	-	628	12/96	-वही-	10/98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	सेक्टर-14 द्वारका	-	360	-		360	12/96	-वही-	11/98
39.	सेक्टर-17 द्वारका	-	292	-	-	292	12/96	-वही-	12/98
40.	सेक्टर-3 द्वारका		456	152		608	3/97	-वही-	11/98
41.	सेक्टर-7 द्वारका	182			-	182	3/97	-वही-	11/98
42.	सेक्टर-12 में 151 एसएफएस और 182 एमआईजी	-	182	-	-	182	3/97	-वही-	10/98
43.	सेक्टर-13 द्वारका में 486 एमआईजी और 223 एलआईजी	176	126	224	-	526	3/97	-वही-	7/98
44.	सेक्टर-22 द्वारका में 424 एसएफएस	672	-	-	-	672	3/97	वही-	25.6.98
45.	टोडापुर	-	-	-	56	56	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 12/99 तक पूरे होने की संभावना है।
46.	जसोला	752	-	-	-	752	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 3/99 तक पूरे होने की संभावना है।
47.	बंसत कुंज में साधारण वास	6		6	-	12	3/98	-वही	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 10/98 तक पूरे होने की संभावना है।
48.	शालीमार बाग पाकेट-ए ब्लाक-डी	200		-	-	200	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 8/99 तक पूरे होने की संभावना है।
49.	नरेला सेक्टर-बी 4 पाकेट-3	-	-	-	512	512	3/98	-वही-	-वही-
50.	नरेला सेक्टर-बी 4 पाकेट-9			-	280	280	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 8/99 तक पूरे होने की संभावना है।
51.	मयूर विहार पाकेट-4	-	20	20	-	40	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 12/98 तक पूरे होने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	द्वारका (क) सेक्टर-14 पाकेट-बी	-	-	864	-	864	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 3/99 तक पूरे होने की संभावना है।
	(ख) सेक्टर-12	151		-	-	151	3/98	-वही-	10/98
	(ग) सेक्टर-9 (468 के अलावा)	164	-	-	-	164	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 12/98 तक पूरे होने की संभावना है।
	(घ) सेक्टर-1 पाकेट-1	176	-	-	-	176	3/98	-वही-	15.9.98
	(ङ) सेक्टर-9 (468 के अलावा)	144	-	-	-	144	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 12/98 तक पूरे होने की संभावना है।
	(च) सेक्टर-13	176	-	-	-	176	3/98	-वही-	7/98
	(छ) नसीरपुर पाकेट-6		96	-	-	96	3/98	-वही-	डीवीबी द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए 12/98 तक पूरे होने की संभावना है।

कुल योग : 16219

[अनुवाद]

दिफू से करांग तक रेलवे संपर्क

3304. श्री था. चौबा सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिफू (असम) से करांग (मणिपुर) का और इम्फाल को रेल संपर्क परियोजना से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) चालू बजट के दौरान और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इम्फाल को रेल से जोड़ने के लिए पहले चरण में दिफू और करांग के बीच रेल लिंक के निर्माण के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

(ख) कार्य को बजट में शामिल कर लिया गया है तथा आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

(ग) स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही निधि मुहैया करायी जा सकेगी।

(घ) योजना आयोग से और अधिक संसाधन प्राप्त करने तथा उन्हें इस परियोजना के संतोषजनक प्रगति के लिए आबंटन करने के प्रयास किए जायंगे। स्वीकृति मिल जाने पर कार्य शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

रेल लाइन को हटाना

3305. श्री गौरी शंकर चतुर्भज बिसेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालाघाट (मध्य प्रदेश) में संबंगी से काटंगझारी तक की रेल पटरी जो कि काफी लंबे समय से प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, को हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलवे लाइन को हटाने के लिए निविदायें आमंत्रित की गई हैं; और

(ग) उक्त रेल पटरी को कब तक हटा लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है और न ही इसे उखाड़ने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क के भंडार

3306. श्री अन्नत कुमार हेगड़े :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री वैको :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लौह अयस्कों के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार उपलब्ध कुल अनुमानित लौह अयस्क भंडार कितना है;

(ग) क्या सरकार ने खनन के कारण पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वार कुद्रेमुख लौह अयस्क और वी. आई. एस. एल. (भद्रावती) से उत्सर्जन के कारण भद्र नदी में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। गवेषण एक सतत् गतिविधि है। 1.4.1995 को हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के राज्यवार अनुमानित भंडार नीचे दिए गए हैं :

इकाई : मिलियन टन

राज्य का नाम	कुल प्राप्य निक्षेप
1	2
हेमेटाइट	
संपूर्ण भारत	10052
आंध्र प्रदेश	51
बिहार	2657
गोवा	745
कर्नाटक	1072
मध्य प्रदेश	1998
महाराष्ट्र	227
उड़ीसा	3293
राजस्थान	9
मैग्नेटाइट	
संपूर्ण भारत	3408
आंध्र प्रदेश	418
बिहार	5
गोआ	164
कर्नाटक	2784
केरल	36
राजस्थान	नगण्य
तमिलनाडु	1

(ग) निजी तथा सरकारी दोनों अभिकरणों द्वारा पर्यावरण घटकों का अध्ययन किया गया है।

(घ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) के तहत राज्य सराकर द्वारा खनन पट्टा देने से पहले केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना एक पूर्व आवश्यकता है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मंजूर खनन योजना में एक पर्यावरणात्मक प्रबंध योजना भी शामिल है। इस प्रकार प्रत्येक प्रचलानरत खान में, पर्यावरणात्मक घटकों का अध्ययन किया गया है तथा उनकी भारतीय खान ब्यूरों द्वारा नियमित तौर पर देख-रेख की जा रही है। फ्रांस की बी आर जी एम के तहत उत्तरी गोवा खनिज क्षेत्र की लौह अयस्क खानों में सहयोग मद है जिसके लिए पर्यावरणात्मक प्रबंध योजना तैयार करना आवश्यक होगा।

(ङ) भद्र नदी में प्रदूषण दूर करने के लिए निरोधक उपाय किये गए हैं। वे हैं (1) चैक बंधों की श्रृंखला के अलावा दो लघु बांधों का निर्माण तथा अच्छी डिजाइन की ड्रेनेज प्रणाली (2) कुदरेमुख होल के दिशा परिवर्तन चैनल का निर्माण (3) लक्ष्य प्रपात पर बांध का निर्माण, पछोड़नों को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस परियोजना क्षेत्र के प्रवेश तथा निकासी दोनों स्थलों पर भद्र नदी के जल की गुणवत्ता की नियमित तौर पर देख-रेख करता है।

मैसर्स वी. आई. एस. एल. की केम्मान्नुगुंडी लौह अयस्क खानों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों में अपशिष्ट ढेरों पर वृक्षारोपण तथा अपशिष्ट ढेरों पर बंध बनाना शामिल हैं। वी. आई. एस. एल. ने प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए उत्प्रावक परिष्करण संयंत्र तथा सीवेज परिष्करण संयंत्र स्थापित किये हैं।

यात्री रेलगाड़ी को हटाया जाना

3307. श्री नेपाल चन्द दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की करीमगंज - दुल्लावचेरा रूट पर आने-जाने वाली दो यात्री रेलगाडियों को हाल ही में हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलगाड़ियों के उक्त पेयर को कब तक फिर से शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। बहरहाल, करीमगंज-दुल्लावचेरा एक जोड़ी पैसेंजर 1.9.1991 से सेवा से हटा दी गई थी।

(ख) कम लोकप्रियता।

(ग) कम लोकप्रियता के कारण इस गाड़ी को पुन: चलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

3308. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया :

श्री रंजीव बिस्वाल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन जिलों को शामिल किया गया है और इस संबंध में राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें कितनी खर्च की गई;

(ग) नौंवी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार डी. पी. ए. पी. के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और जिलों को लाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजें हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) गुजरात और उड़ीसा के सूखा प्रवण क्षेत्रों में किन-किन योजनाओं को शुरू किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल जिलों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं। फिलहाल कार्यक्रम को वाटरशेड परियोजना आधार पर इन सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि, राज्य सरकारों के सदृर्श अंश और खर्च की वर्षवार राज्यवार स्थिति विवरण-II में दी गई है।

(ग) योजना आयोग ने अभी तक नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्यों ने कार्यक्रम में कुछ और ब्लॉकों को शामिल करने के प्रस्ताव भेजे हैं। चूंकि ये प्रस्तावित ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल किए जाने संबंधी मानदंड पूरा नहीं करते थे इसलिए इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया।

(च) गुजरात और उड़ीसा पहले से ही सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल हैं और कार्यक्रम को इन राज्यों में भी वाटरशैड परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन राज्यों में कोई अलग योजना प्रस्तावित नहीं है।

विवरण-I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की राज्यवार सूची

	राज्य		जिले
	1		2
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अदीलाबाद
		2.	चित्तूर
		3.	कुडप्पा
		4.	कुरनूल
		5.	खम्माम
		6.	मेडक
		7.	महबूब नगर
		8.	नालगौंडा
		9.	प्रकाशम
		10.	रंगारेड्डी
		11.	श्रीकाकुलम

1		2	
2.	बिहार	1.	भबुआ
		2.	दुमका
		3.	देवघर
		4.	धनबाद
		5.	बोकारो
		6.	गढ़वा
		7.	गौडा
		8.	हजारीबाग
		9.	चतरा
		10.	जमुई
		11.	मधुबनी
		12.	नवादा
			पलामू
		14.	रोहतास
		15.	सीतामढ़ी
		16.	साहिबगंज
3.	गुजरात	1.	अहमदाबाद
		2.	अमरेली
		3.	भड़ौच
		4.	भावनगर
		5.	जूनागढ़
		6.	पंचमहल
		7.	साबरकंठा
		8.	दा डांग
		9.	वडोदरा
		10.	वलसाड
4.	हिमाचल प्रदेश	1.	बिलासपुर
		2.	सोलन
		3.	ऊना
5.	जम्मू व कश्मीर	1.	डोडा
		2.	उधमपुर
6.	कर्नाटक	1.	बेलगाम
		2.	बीदर
		3.	बंगलौर
		4.	चिकमंगलूर
		5.	चित्रदुर्ग
		6.	धारवाड़
		7.	गुलबर्गा
		8.	हासन
		9.	कोलार
		10.	मैसूर
		11.	तुमकुर
7.	मध्य प्रदेश	1.	बैतूल
		2.	भिंड
		3.	बस्तर
			बिलासपुर
		5.	छिंदवाड़ा
		6.	धार
		7.	देवास
		8.	दमोह
		9.	दुर्ग
		10.	पूर्वी निमड़
		11.	गुना
		12.	झाबुआ
			जबलपुर
		14.	पन्ना
		15.	रीवा
		16.	राजनदगांव
		17.	रायसेन
		18.	राजगढ़
		19.	रतलाम
		20.	शिवपुरी
		21.	शाजापुर
		22.	सिओनी

1			2
		23.	शहडौल
		24.	सिधि
		25.	प. निमाड़
8.	महाराष्ट्र	1.	अहमदनगर
		2.	औरंगाबाद
		3.	अकोला
		4.	अमरावती
		5.	बुलधाना
		[illegible]	बीड़
		7.	चंद्रपुर
		8.	धूली
		9.	गढ़चिराली
		10.	जलगांव
		11.	जालना
		12.	[illegible]
		13.	नाग[illegible]
		14.	नांदेड
		15.	नासिक
		16.	उस्मानाबाद
		17.	पुणे
		18.	परभनी
		19.	संगली
		20.	सतारा
		21.	शोलापुर
		22.	यवतमल
9.	उड़ीसा	1.	बोलंगीर
		2.	सोनपुर
		3.	ढेंकनाल
		4.	कालीहांडी
		5.	नौपाडा
		6.	फुलबनी
		7.	बौद्ध

1			2
		8.	चाड़गढ
10.	राजस्थान	1.	अजमेर
		2.	भरतपुर
		3.	बांसवाड़ा
		4.	डुंगरपुर
		5.	झालावाड़
		6.	कोटा
		7.	बैरन
		8.	सवाई माधोपुर
		9.	टोंक
		10.	उदयपुर
11.	तमिलनाडु	1.	चिदम्बरनर
		2.	कोयम्बटूर
		3.	डींडीगुल
		4.	धर्मपुरी
		5.	कामाराजर
		6.	उत्तरी अरकाट (अम्बेडकर)
			उत्तरी अरकाट [illegible] तिरुवन्नामल्ली [illegible]
		8.	पासुममुथुरामलिंगम
		9.	रामानाथापुरम
		10.	सलेम
		11.	तिरूचिरापल्ली
		12.	कारूर दीरन (चिन्नामल्ली)
		13.	पिरमबल्लूर (तिरूवालूवर)
		14.	तिरूनलविल्ली
		15.	पुदुकोटि
12.	उत्तर प्रदेश	1.	इलाहाबाद
		2.	अल्मोड़ा
		3.	बहराइच
		4.	बांदा
		5.	चमौली

1	2	
	6.	गढ़वाल (पौड़ी)
	7.	घोंडा
	8.	हमीरपुर
	9.	महोबा
	10.	जालौन
	11.	झांसी
	12.	लखीमपुर खेड़ी
	13.	ललितपुर
	14.	मिर्जापुर
	15.	पिथौरागढ़
	16.	सीतापुर
	17.	सोनभद्रा
	18.	टिहरी गढ़वाल
13. पं. बंगाल	1.	बांकुरा
	2.	बीरभूम
	3.	मिदनापुर
	4.	पुरूलिया

विवरण-II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) 1992-93

(रुपये लाख में)

राज्य	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश	कुल निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	631.50	601.50	1233.00	1479.47
2. बिहार	382.87	467.82	850.69	579.51
3. गुजरात	371.44	404.77	776.21	787.68
4. हरियाणा	67.50	67.50	135.00	142.14
5. जम्मू व कश्मीर	166.80	176.18	342.98	332.29
6. कर्नाटक	571.55	571.78	1143.33	1272.39
7. मध्य प्रदेश	404.50	404.50	809.00	685.34
8. महाराष्ट्र	627.35	671.50	1298.85	1247.66
9. उड़ीसा	430.47	245.15	675.62	563.41
10. राजस्थान	256.99	330.78	587.77	635.70
11. तमिलनाडु	365.26	365.26	730.52	660.34
12. उत्तर प्रदेश	693.00	693.00	1386.00	1271.36
13. पश्चिम बंगाल	165.15	156.13	311.28	296.73
कुल	5124.38	5155.87	10280.25	9954.02

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) 1993-94

(रुपये लाख में)

राज्य	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश	कुल निधियां	उपयोग
1. आंध्र प्रदेश	1201.50	1231.50	2433.00	2405.17
2. बिहार	434.11	305.10	739.21	880.28
3. गुजरात	559.12	559.12	1118.24	1193.91
4. हरियाणा	101.25	101.25	202.50	203.75
5. जम्मू व कश्मीर	111.37	111.37	222.74	403.84
6. कर्नाटक	846.46	840.14	1686.60	1608.81
7. मध्य प्रदेश	575.39	575.39	1150.78	1339.18
8. महाराष्ट्र	967.54	1007.25	1974.79	1825.91
9. उड़ीसा	421.17	357.00	778.17	1125.74
10. राजस्थान	519.51	395.50	915.01	729.92
11. तमिलनाडु	682.17	682.17	1364.34	1074.30
12. उत्तर प्रदेश	1036.53	1036.54	2073.07	1943.94
13. पश्चिम बंगाल	229.88	212.59	442.47	432.17
कुल	7686.00	7414.92	15100.92	15166.92

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) 1994-95

(रुपये लाख में)

राज्य	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश	कुल निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	1093.86	1093.86	2187.72	2354.86
2. बिहार	568.13	300.00	868.13	631.87
3. गुजरात	617.35	617.35	1234.70	1190.74
4. हरियाणा	112.50	112.50	225.00	224.25
5. जम्मू व कश्मीर	266.75	266.75	533.50	502.73

1	2	3	4	5
6. कर्नाटक	1034.00	1034.00	2068.00	1718.74
7. मध्य प्रदेश	672.50	672.50	1345.00	1065.34
8. महाराष्ट्र	1109.00	1109.00	2218.00	2382.51
9. उड़ीसा	516.50	516.50	1033.00	889.83
10. राजस्थान	426.50	426.50	853.00	1013.03
11. तमिलनाडु	622.12	622.12	1244.24	1396.35
12. उत्तर प्रदेश	1148.78	1148.78	2297.56	2091.18
13. पश्चिम बंगाल	302.86	302.86	605.72	671.58
कुल	8490.85	8222.72	16713.57	16133.01

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) 1995-96

(रुपये लाख में)

राज्य	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश	कुल निधियां	उपयोग
1. आंध्र प्रदेश	2106.55	2106.55	4213.10	2103.00
2. बिहार	724.71	724.71	1449.42	374.56
3. गुजरात	1013.96	1013.96	2027.92	774.80
4. हिमाचल प्रदेश	66.50	66.50	133.00	43.26
5. जम्मू व कश्मीर	260.29	260.29	520.58	477.58
6. कर्नाटक	1159.04	1159.04	2318.08	1454.99
7. मध्य प्रदेश	1938.70	1938.70	3877.08	1534.48
8. महाराष्ट्र	1721.31	1721.31	3442.62	1677.22
9. उड़ीसा	403.84	403.84	807.68	715.21
10. राजस्थान	643.77	643.77	1287.54	1001.99
11. तमिलनाडु	532.49	532.49	1064.98	1307.86
12. उत्तर प्रदेश	1093.16	1093.16	2186.32	1763.30
13. पश्चिम बंगाल	230.33	230.33	460.66	205.21
14. हरियाणा	15.41	15.41	30.82	24.81
कुल	11910.06	11910.06	23820.12	13458.27

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) 1996-97

(रुपये लाख में)

राज्य	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश	कुल निधियां	उपयोग
1. आंध्र प्रदेश	2619.63	2619.63	5239.26	4312.74
2. बिहार	34.00	34.00	68.00	258.22

1	2	3	4	5
3. गुजरात	731.06	731.06	1462.12	1175.84
4. हिमाचल प्रदेश	194.00	194.00	388.00	185.28
5. जम्मू व कश्मीर	198.00	198.00	396.00	63.80
6. कर्नाटक	493.55	493.55	987.10	1185.52
7. मध्य प्रदेश	2118.94	2118.94	4237.88	1648.10
8. महाराष्ट्र	1260.73	1260.73	2521.46	2271.68
9. उड़ीसा	295.00	295.00	590.00	454.08
10. राजस्थान	152.00	152.00	304.00	458.03
11. तमिलनाडु	1223.56	1223.56	2447.14	1210.71
12. उत्तर प्रदेश	1649.57	1649.57	3299.14	2457.43
13. पश्चिम बंगाल	28.29	28.29	56.58	313.90
14. हरियाणा	1.86	1.86	3.72	12.77
कुल	11000.19	11000.19	22000.38	16008.10

अतिरेक रक्षा भंडार का निपटान

3309. श्री एम. राजैया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरेक रक्षा भंडार में "भंडारण" शब्द के अंतर्गत कौन-सी मदें उपलब्ध हैं, प्रत्येक मद की लागत क्या है और ये मदें कल्याणकारी/धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थानों को भुगतान के आधार पर किन स्थानों पर उपलब्ध हैं;

(ख) अतिरेक रक्षा भंडार में 'वाहन' शब्द के अंतर्गत कौन-सी मदें उपलब्ध हैं, प्रत्येक मद की लागत क्या है और ये मदें उपर्युक्त संस्थानों को भुगतान के आधार पर किन स्थानों पर उपलब्ध हैं; और

(ग) इन मदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कल्याणकारी/धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाओं के वास्ते "स्टोर्स" शब्द के तहत अधिशेष रक्षा भंडार से उपलब्ध मदों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। ये मदें जिन स्थानों पर उपलब्ध हैं, वे विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(ख) उन मदों का ब्यौरा, जो 'वाहन' शब्द के तहत अधिशेष रक्षा भंडार से उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक मद की लागत विवरण-III में दर्शाई गई हैं। उपर्युक्त निकायों को भुगतान के आधार पर ये मदें जिन स्थानों पर उपलब्ध हो सकती हैं, वे विवरण-IV में दर्शाए गए हैं।

(ग) इन मदों के लिए आवेदन प्रक्रिया का ब्यौरा विवरण-V में दर्शाया गया है।

विवरण-I

जो मदें "स्टोर्स" शब्द के तहत अधिशेष रक्षा भंडार से कल्याणकारी/धर्मार्थ/शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उनकी सूची इस प्रकार है :

1. कम्बल
2. ऊनी ब्लाउज
3. बूट एंकल रबर
4. कोट और टोपियां डब्ल्यू पी
5. कवर डब्ल्यू पी
6. दरियां
7. ग्रेट कोट
8. ओवरआल्स कम्बिनेशन
9. गर्म कमीज
10. सूती ट्राउजर्स
11. स्लिपिंग बैग
12. तौलिए
13. मच्छर दानियां
14. बैड शीटें

उपर्युक्त मदें, प्रत्येक डिपो के पास उपलब्ध वर्तमान वोकेबुलरी रेट के आधार पर, डिपो कमांडेंट की एक लाख रुपये तक की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर, उक्त संस्थाओं, बाढ़ वाले क्षेत्रों तथा सरकारी विभागों को निःशुल्क जारी की जाती हैं।

विवरण-II

क्रम सं.	डिपो	वे राज्य जिससे संबंधित संगठन/संस्थाएं डिपो पर निर्भर रहेगी
1	2	3
1.	आर्डनेंस डिपो, आवडी	(क) आंध्र प्रदेश (ख) तमिलनाडु (ग) कर्नाटक (घ) केरल
2.	आर्डनेंस डिपो, तेलंगांव दभाडे	(क) महाराष्ट्र (ख) गोआ (ग) गुजरात (घ) संघ शासित क्षेत्र दीव और दमन
3.	6 फील्ड आर्डनेंस डिपो, मार्फत 56 एपीओ	राजस्थान
4.	आर्डनेंस डिपो, शकूरबस्ती	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5.	11 फील्ड आर्डनेंस डिपो, मार्फत 56 एपीओ	हरियाणा
6.	223 एडवान्स्ड बेस आर्डनेंस डिपो	पंजाब
7.	1 फील्ड आर्डनेंस डिपो, मार्फत 56 एपीओ	जम्मू तथा कश्मीर (बनिहाल के दक्षिण में)
8.	2 फील्ड आर्डनेंस डिपो, मार्फत 56 एपीओ	जम्मू तथा कश्मीर (बनिहाल के उत्तर में)
9.	आर्डनेंस ट्रांसिट ग्रुप, पठानकोट	हिमाचल प्रदेश
10.	सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, आगरा	पश्चिमी उत्तर प्रदेश
11.	सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, कानपुर	पूर्वी उत्तर प्रदेश
12.	आर्डनेंस डिपो, इलाहाबाद	बिहार
13.	सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, जबलपुर	मध्य प्रदेश
14.	सेंट्रल व्हीकल डिपो, पानागढ़	उड़ीसा/पश्चिम बंगाल, (कलकत्ता और उसके पश्चिम की ओर का इलाका)
15.	5 फील्ड आर्डनेंस डिपो, मार्फत 56 एपीओ	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता/सिक्किम के पूर्व का इलाका)
16.	222 एडवांस्ड बेस आर्डनेंस डिपो	असम/ नागालैंड/ मणिपुर/ अरुणाचल प्रदेश/ मिजोरम/ मेघालय/ त्रिपुरा

विवरण-III

वाहनों और उनके मूल्यों की सूची, जिन पर ये कल्याणकारी/धर्मार्थ/शैक्षिक संस्थाओं को आबंटित किए जा सकते हैं।

क्रम सं.	वाहन की किस्म	1.4.98 से 31.3.99 तक के लिए नियत मूल्य
1	2	3
1.	मोटर साइकिल सोलो 350 सी सी आर/ई	10,900 रुपये

1	2	3	
2.	कार 250 किग्रा. 4 x 4 जीएस एम एंड एम सीजे 3बी	28,136	रुपये
3.	कार 250 किग्रा 4 x 4 जीएस एनएसएन 60	20,487	रुपये
4.	ट्रक 1 टन 4 x 4 जी एस एनएसएन	36,162	रुपये
5.	ट्रक 1 टन 4 x 4 जी एस एनएसएन	33,042	रुपये
6.	ट्रक 1 टन 4 x 4 रेडियो रिले एन एस एन	26,500	रुपये
7.	ट्रक 1 टन 4 x 4 वाटर 1000 लीटर एन एस एन	31,821	रुपये
8.	ट्रक 1 टन 4 x 4 एन एस एन एफ ए टी	32,430	रुपये
9.	ट्रक 1 टन 4 x 4 एनएसएन एफ ए टी (अंबेसडर)	33,750	रुपये
10.	ट्रक 1 टन 4 x 2 जी एस टाटा	2,05,100	रुपये
11.	लॉरी 3 टन 4 x 2 टी एम बी	1,21,250	रुपये
12.	लॉरी 3 टन 4 x 2 बस बाडी टीएम बी 312	1,58,577	रुपये
13.	लॉरी 3 टन 4 x 2 टिप्पिंग टी एम बी 312	1,40,833	रुपये
14.	लॉरी 3 टन 4 x 4 जीएसटी एम बी 312	1,65,162	रुपये
15.	लॉरी 5 टन अशोक लेलैंड	1,28,461	रुपये
16.	लॉरी 6.5 टन 4 x 2 एलपीटी टाटा	1,24,647	रुपये
17.	लॉरी 6.5 टन 4 x 2 एलपीटी टाटा 1210 ई/42	1,26,883	रुपये
18.	लॉरी 6.5 टन 4 x 2 एलपीटी 1210 ई बस बाडी	1,70,000	रुपये
19.	लॉरी 3 टन 4 x 4 जीएस शक्तिमान	85,147	रुपये

विवरण-IV

वे डिपो जहां से वाहन लिए जा सकते हैं : वाहनों की सुपुर्दगी कल्याणकारी धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाओं को निम्नलिखित डिपुओं से की जाती है:

1. सेंट्रल व्हीकल डिपो, पानागढ़ (पश्चिम बंगाल)
2. आर्डनेंस डिपो, आवड़ी चेन्नई (तमिनलाडु)
3. सेंट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी
4. आर्डनेंस ट्रांसिट ग्रुप पठानकोट
5. सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, छिवकी (उत्तर प्रदेश)
6. 41 व्हीकल कंपनी, गुवाहाटी (असम)

विवरण-V

1. कल्याणकारी/धर्मार्थ/शैक्षिक संस्थाओं को सामान के आबंटन की प्रक्रिया : अप्रयोज्य वस्त्र मदें नियुक्त किए जाने के लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगठन, जिनमें धर्मार्थ/ कल्याणकारी/शैक्षिक संगठन भी शामिल हैं, की मांगे जिनमें मदें और उनकी मांग दर्शाई गई हों और उनके साथ संगठन/संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत् प्रमाणित इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न हो कि ये मदें उस संगठन के वास्तविक उपयोग के लिए चाहिए न कि किसी अफसर/स्टाफ के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। वह मांग ऐसे प्रमाणपत्र के साथ, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त/जिला प्रशासन प्रभावी के माध्यम से भेजी जाती है, जो न केवल इस संगठन की स्वेच्छा को प्रमाणित करता है अपितु उसकी मांग के औचित्य और विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए वे मदें चाहिए, के बारे में भी सूचित करता है। संबंधित संगठन द्वारा यह वचन भी दिया जाता है कि ये मदें बेचे जाने के लिए नहीं हैं। मांग की छानबीन करने की जिम्मेदारी संबंधित डिपु के कमांडेंट/ओ सी की है और मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यदि मांग अस्वीकार्य पाई जाती है तो उसे इसे नामंजूर करने का प्राधिकार भी है।

2. वाहनों के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया : पंजीकृत/मान्यता प्राप्त कल्याणकारी/धर्मार्थ/शैक्षिक संस्थाएं 5 वर्ष के एक ब्लाक में फालतू रक्षा भंडार से 6.5 टन का एक ट्रक/लॉरी 4 x 2 टाटा एल पी टी 121 ओ, ई, एक जीप और एक मोटर साइकिल के लिए प्राधिकृत हैं। आवेदन निम्नलिखित प्रमाणपत्रों सहित सीधे ही भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है :

(i) संगठन/संस्था के प्रमुख इस आशय का प्रमाण पत्र कि

वाहन उस संगठन के वास्तविक उपयोग के लिए चाहिए न कि इसके अधिकारियों/स्टाफ के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए।

(ii) यह कि इस संस्थान द्वारा इस अनुरोध से पहले तीन वर्ष के भीतर कोई वाहन नहीं लिया गया है।

(iii) यह कि निर्मुक्त किया गया वाहन निर्मुक्त किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर बेचा नहीं जाएगा।

यह अनुरोध सामान्यत: राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग के माध्यम से आवश्यकताओं का पूर्णत: औचित्यपूर्ण दर्शाते हुए किया जाना चाहिए। संगठनों की सदाशयता और आवश्यकताओं का औचित्य संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के समकक्ष अधिकारी अथवा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस सत्यापन में, संगठन के तुलनपत्रों एवं लेखाओं की जांच-पड़ताल करने के बाद, विशेषकर उसकी वित्तीय स्थिति और उसकी पूंजी निवेश करने की क्षमता का सत्यापन किया जाना शामिल है।

रक्षा संगठन के अंतर्गत आने वाले संगठनों, अनुसंधान एवं विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय के मामले में मेजर जनरल रैंक के अफसर अथवा समकक्ष अफसर द्वारा भी यही सत्यापित किया जाता है कि संगठन की मांग वाजिब है और मांगे गए वाहनों की वस्तुत: कल्याणकारी सुख-सुविधाओं/शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है तथा संगठन के तुलन-पत्रों एवं लेखाओं की जांच पड़ताल किए जाने के मुताबिक उसकी वित्तीय स्थिति और उसकी पूंजी निवेश करने की क्षमता है। विरचना मुख्यालयों के मामले में सत्यापन का कार्य संबंधित विरचना मुख्यालय का कम से कम मेजर जनरल रैंक का अफसर करता है।

जीप के सिवाय शेष वाहन एक ही टाइप, एक ही मेक, एक ही माडल, एक ही श्रेणी के वाहनों के लिए समय-समय पर यथा निर्धारित अद्यतन औसत नीलाम बिक्री दर पर मुहैया किए जाते हैं। जीप के मामले में एक ही टाइप, एक ही मेक, एक ही माडल और एक ही श्रेणी की जीप के लिए समय-समय पर यथानिर्धारित अद्यतन औसत नीलामी बिक्री दर के 50% मूल्य पर केवल एक जीप मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और जीप पूर्ण औसत नीलामी बिक्री दर तथा विभागीय खर्च पर मुहैया कराई जाएगी।

संगठन के प्रतिनिधि द्वारा वाहन संबंधित डिपुओं से लिए जाते हैं।

सामान्यत: एक ही संगठन को तीन वर्ष की अवधि में एक बार ही वाहन मुहैया किए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

ग्राहक सेवा 'एक्सेस'

3310. श्री पी. उपेन्द्र :

श्री रंजीव बिस्वाल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने 'एक्सेस' नामक एक नया ग्राहक सेवा कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के बारे में यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को नया प्रतिमान प्रदान करने और उसकी शिकायत हैंडलिंग प्रणाली में सुधार की दृष्टि से 8 मई, 1998 से 'एक्सेस' नामक एक फीडबैक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह स्कीम पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक्सेस कार्ड के प्रत्येक लेखक को व्यक्तिगत जवाब मिले। यह स्कीम इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिए गए एक प्रारंभिक पत्र के साथ आरंभ की गयी जिसमें यात्रियों से इन सेवाओं में सुधार के लिए अपने सुझाव तथा विचार देने का अनुरोध किया गया था।

(ग) यात्रियों की प्रतिक्रिया अपूर्व रही। पहले महीने में यात्रियों से लगभग 5000 एक्सेस कार्ड प्राप्त हुए थे, जो इससे पहले प्राप्त किए गए सुझाव कार्डों की तुलना में काफी ज्यादा हैं।

महाराष्ट्र में पानी की किल्लत

3311. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री रमेश ठाकुर :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1998 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमे कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के गांवों और गंदी बस्तियों में रहने वाले 50 मिलियन लोगों को पानी की अत्यधिक किल्लत का सामना करना पड़ा रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव भेजा है, और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धनराशि मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पेयजल राज्य का विषय है। राज्यों से अलग-अलग ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने की अपेक्षा है तथा उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार राज्य की कवर न की गई सभी ग्रामीण बसावटों को नौवीं योजना अवधि के दौरान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

3312. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत एक वर्ष से रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेवार कारकों का पता लगाने के लिए कोई आकस्मिक निरीक्षण किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को सुचारू बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कोई गिरावट नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं और अच्छी हालत में हैं, विभिन्न स्तरों पर रेलवे अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। इन निरीक्षणों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जहां कहीं आवश्यक होता है, निवारक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मुहैया कराई गई सेवाओं को साफ-सुथरा रखने और उनमें सुधार करने के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सेवा सुधार दल गठित किए गए हैं। इन दलों में विभिन्न विभागों के अधिकारी/पर्यवेक्षी कर्मचारी होते हैं और ये दल स्टेशन, मंडल और मुख्यालय स्तरों पर कार्य करते हैं।

(ङ) सभी स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विभिन्न सुविधाएं यथा प्रतीक्षालय, बैठने की जगह, पीने का पानी, शौचालय और मूत्रालय, बुकिंग व्यवस्थाएं, वाटर कूलर, प्रतीक्षा कक्ष, ढके हुए सायबान आदि की व्यवस्था हेतु स्टेशनों पर यातायात की यात्रा पर आधारित मानदंड निर्धारित किये गये हैं। निधि का वर्ष दर वर्ष सुविधाओं के लिए आबंटन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधाओं के लिए कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के माध्यम से गाड़ियों में आरक्षण की सुविधा को 31.3.98 तक 339 स्थानों में बढ़ा दिया गया है जो कुल आरक्षित स्थान का लगभग 95% है। दूरभाष पूछताछ, बेहतर घोषणा और प्रदर्श प्रणाली के लिए अन्तः संपर्क ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली (आई वी आर एस) मुहैया कराकर पूछताछ कार्यालयों को उन्नत किया जा रहा है।

यात्री सुविधाओं से संबंधित यात्रियों की शिकायतों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रालय, क्षेत्रीय और मंडल रेलवे मुख्यालयों में निगरानी कक्षों की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

3313. **श्री प्रदीप कुमार यादव** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1998 तक शहरों के विकास के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और यह राशि राज्यवार किस योजना शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है;

(ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश को इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) मार्च 1998 तक गत तीन वर्षों के लिए कस्बों के विकास हेतु केन्द्रीय अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1998-99 के लिए राशि का राज्यवार आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसी से अभी तक केन्द्रीय अनुदान नहीं दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान, मार्च 1998 तक, केन्द्रीय अनुदानों की राज्यवार अवमुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

		योजना शीर्ष के अंतर्गत जारी निधियां	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रमुख शीर्ष 2217 शहरी विकास आई डी एस एम टी	प्रमुख शीर्ष 2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता ए यू डब्ल्यू एस पी
		(लाख रुपये में)	
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	863.01	-

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.00	104.45
3.	असम	151.86	308.05
4.	बिहार	195.00	94.50
5.	गोवा		9.20
6.	गुजरात	657.52	97.30
7.	हरियाणा	82.00	250.88
8.	हिमाचल प्रदेश	65.00	144.38
9.	जम्मू और कश्मीर	92.50	80.26
10.	कर्नाटक	740.34	227.54
11.	केरल	448.25	137.39
12.	मध्य प्रदेश	603.79	954.63
13.	महाराष्ट्र	1140.99	480.85
14.	मणिपुर	85.50	206.03
15.	मिजोरम	57.00	70.66
16.	मेघालय	30.60	97.82
17.	नागालैंड	39.00	86.69
18.	उड़ीसा	157.00	344.99
19.	पंजाब	134.00	121.76
20.	राजस्थान	464.00	715.27
21.	सिक्किम	18.00	0.00
22.	तमिलनाडु	393.50	309.58
23.	त्रिपुरा	94.75	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	867.00	1893.86
25.	प. बंगाल	531.90	71.56
26.	दादरा नगर हवेली	5.00	-
27.	दमन और दीव	15.00	-
	कुल	7961.51	6807.65

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अनुदानों मेगा सिटीवार अवमुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	शहर	परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए प्रमुख शीर्ष – 3600 तथा व्यवहार्यता अध्ययन तथा अनुसंधान आदि के लिए प्रमुख शीर्ष 2217 के वास्ते योजना के अंतर्गत राशि जारी की गई। (करोड़ रुपये में)
1.	मुम्बई	48.89
2.	कलकत्ता	46.55
3.	चेन्नई	41.87
4.	हैदराबाद	39.51
5.	बंगलौर	36.88
	कुल	213.70

विदेशी मुद्रा के भुगतान पर रेल पास

3314. श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा के भुगतान पर रेल पास जारी करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस निर्णय को कब से क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस निर्णय को क्रियान्वित किए जाने के पश्चात् अब तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई है तथा कितने पास अब तक जारी किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) भारतीय रेलों ने 1.5.1977 से "इंडरेल पास" नाम की एक योजना शुरू की थी। भारतीय रेलों द्वारा इण्डरेल पास, विशेषकर विदेश में रह रहे भारतीयों तथा विदेशियों की सुविधा के लिए अभिकल्पित तथा शुरू किए गए थे। अमरीकी डालर, पाउंड स्टरलिंग तथा अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के भुगतान पर इण्डरेल पास खरीदा जा सकता है।

1996-97 के दौरान 10,500 इण्डरेल पास की बिक्री से 8,15517 अमरीकी डालर की राशि अर्जित की गई थी। यूरो ट्रेन एक्सप्लोरर पास को इण्डरेल पास से बदलने के लिए एक अन्य योजना शुरू की गई है।

[अनुवाद]

मुंगेर-शाहपुर-कमाल रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3315. श्री अनूपलाल यादव :

श्री राजवंशी महतो :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मुंगेर-शाहपुर-कमाल मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेल लाइन को बरास्ता उत्तर प्रदेश गया तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विस्तार कार्य कब तक आरंभ और पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। मुंगेर में गंगा पर रेल पुल का निर्माण कार्य 1997-98 के बजट में शामिल कर लिया गया है और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। एक बार कार्य पूर्ण होने पर मुंगेर बड़ी लाइन द्वारा साहिबपुर कमाल से जुड़ जाएगा।

(ग) से (ङ) साहिबपुर कमाल तथा मुंगेर पहले ही गया से बड़ी लाइन द्वारा क्रमश: बरौनी, लक्खीसराय तथा जमालपुर, क्यूल के रास्ते जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी लाइन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है।

चेन्नई हवाई अड्डे पर ए. सी. मशीनरी

3316. श्री वैको : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई हवाई अड्डे पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने का कार्य लम्बे समय से प्रतीक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) चेन्नई हवाई अड्डे पर 14.5.1998 को पहले ही एक नई वातानुकूलन मशीनरी संस्थापित कर दी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली-भोपाल के बीच रेल दुर्घटनाएं

3317. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली और भोपाल के बीच कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इसमें सरकारी संपत्ति को क्या नुकसान हुआ है;

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान दिल्ली और भोपाल के बीच 32 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान इन दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति की हुई क्षति का आकलन लगभग 5.75 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई है और इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

(घ) गाड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।
2. दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए सिगनल प्रणाली में आशोधन किया जा रहा है।
3. मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।
4. रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाइटेम्पिंग और मिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।
5. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालान संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेख यान और सुवाह्य त्वरणमापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।
6. कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।
7. धुरी की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरी में दोषों का पता लगाने हेतु नेमी ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।

8. बिना चौकीदार वाले समपारों की सीटी बोर्डों/गति रोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

9. सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

10. यात्री गाडियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं।

11. ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

12. विशिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13. गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कमी पाई जाती है, उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

14. कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें जबलपुर तक बढ़ाना

3318. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर तक प्रचालित की जा रही इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें जबलपुर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों का विस्तार कब तक किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धा-अवस्था पेंशन योजना

3319. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री उपेन्द्र नाथ नायक :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य वार वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार वृद्धा अवस्था पेंशन की दर को संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एन ओ ए पी एस के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 46396.79 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इसमें से 36278.88 लाख रुपये रिलीज किए गए थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान 32706.31 लाख रुपये (अनन्तिम) का उपयोग किया गया है। राज्यवार आबंटन और रिलीज के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मानक शुरू किया है। 65 वर्ष और इससे अधिक उम्र के असहाय व्यक्तियों कोक 75 रुपये प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान के लिए राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार 75 रुपये प्रतिमाह से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए और अधिक उदार मानदंड अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, इस अन्तराल को वे अपनी निजी निधियों से पूरा करें। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केवल हाल में लगभग तीन वर्षों से चलाई जा रही है और अनेक राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित लाभार्थियों की संख्या के संबंध में अधिकतम सीमा प्राप्त करनी है और संसाधनों का दबाव भी है। इस प्रकार हाल में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

वर्ष : 1997-98 (लाख रुपये में)

योजना : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4327.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	15.26
3.	असम	656.14	333.25
4.	बिहार	7248.38	5265.32
5.	गोआ	10.30	7.73
6.	गुजरात	825.77	369.99

1	2	3	4
7.	हरियाणा	352.87	274.96
8.	हिमाचल प्रदेश	108.58	119.78
9.	जम्मू व कश्मीर	248.98	138.24
10.	कर्नाटक	2959.63	1771.37
11.	केरल	1352.52	815.67
12.	मध्य प्रदेश	4584.53	5848.39
13.	महाराष्ट्र	2347.96	2882.25
14.	मणिपुर	97.34	33.69
15.	मेघालय	94.54	34.07
16.	मिजोरम	37.44	21.72
17.	नागालैंड	66.46	37.18
18.	उड़ीसा	2652.62	2550.36
19.	पंजाब	341.64	170.82
20.	राजस्थान	1030.50	495.33
21.	सिक्किम	22.47	6.72
22.	तमिलनाडु	3668.18	3681.74
23.	त्रिपुरा	146.02	124.32
24.	उत्तर प्रदेश	9617.40	8676.49
25.	पश्चिम बंगाल	3312.50	2758.14
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2.81	0.00
27.	चंडीगढ़	6.08	2.92
28.	दादरा व नगर हवेली	2.81	1.41
29.	दमन व दीव	1.88	0.94
30.	दिल्ली	177.84	177.84
31.	लक्षद्वीप	0.94	0.47
32.	पाँडिचेरी	14.04	35.10
	कुल	46396.79	36278.88

खनिज संपदा की खोज

3320. श्री गुरूदास कामत : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में खनिज संपदा की खोज के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ख) क्या सरकार प्राप्त परिणामों से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, पिछले तीन वर्ष के दौरान आयामी पत्थर, एलीमेंटस आफ प्लेटीनम ग्रुप, रेयर-अर्थ एलीमेंटस तथा कोयले के प्रारंभिक अन्वेषण के अलावा, आधार धातु, स्वर्ण तथा मैग्नीज अयस्क के लिए अनेक गवेषण किये हैं।

इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत् हैं :

1. नागपुर जिले के पारसोदा ब्लाक तथा बोल्दा जूनेवानी क्षेत्र में क्रमशः 210 मीटर तथा 600 मीटर स्ट्राइक लैग्थ में मैग्नीज अयस्क पिंड की पुष्टि की।
2. महाराष्ट्र में भंडारा जिले के गोरारा ब्लाक में 1.2% तांबे वाले 0.7 मिलियन टन अयस्क का अनुमान लगाया गया है।
3. नागपुर जिले के पारसोरी पश्चिम ब्लाक में अनुमानित 5.23 ग्राम/टन औसत ग्रेड वाले 0.137 मि. टन स्वर्ण अयस्क और किटारी ब्लाक में 0.5 ग्राम/टन औसत ग्रेड वाले 1.2 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क वाले छोटे-छोटे स्वर्ण भंडारों की पुष्टि की गई।
4. क्षेत्रीय आकलन से नागपुर, भंडारा, गढ़चिरोली, चन्दरपुर तथा नांदेड़ जिलो में तीन ब्लाकों में 30 वर्ग किमी क्षेत्र में वाणिज्यिक ग्रेड के आयामी पत्थर की पुष्टि हुई है।
5. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, चन्दरपुर तथा वर्धा जिलों में कोयले के लिए क्षेत्रीय गवेषण किया है तथा राजूरा-माणिकगढ़ में 158.00 मिलियन टन कोयले और पलाशबन क्षेत्रों में 300.00 मिलियन टन कोयले का अनुमान लगाया है।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम ई सी एल) ने केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सी एम पी डी आई एल) और कोयला मंत्रालय की ओर से पिछले तीन वर्षों के दौरान चन्दरपुर तथा नागपुर जिलों में कोयले का गवेषण किया तथा उससे 131.40 मिलियन टन के निक्षेप की पुष्टि की।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

3321. श्री तारिक अनवर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने संगठनों को काली सूची में डाला गया है;

(ग) क्या इनका गठन तत्कालिक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था;

(घ) इन संगठनों द्वारा समाज के निर्धन वर्गों के विकास के लिए कितनी धनराशि का आबंटन और उपयोग किया गया;

(ङ) इन गैर-सरकारी संगठनों पर नियंत्रण रखने वाले कुछ लोगों द्वारा कितनी धनराशि की हेराफेरी की गई; और

(च) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् जो ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देती है, ने इसके आरंभ होने से लेकर 31.3.1998 तक 6401 गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी है।

(ख) कपार्ट ने सूचना दी है कि 31.3.1998 तक की स्थिति के अनुसार 248 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया था।

(ग) गैर सरकारी संगठनों के निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि कपार्ट ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है। जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन है।

(घ) कपार्ट की शुरूआत से लेकर 31.3.1998 तक कपार्ट ने गैर सरकारी संगठनों के जरिए इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 475.04 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इस राशि में से वस्तुत: 349.75 करोड़ रुपये गैर सरकारी संगठनों को जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च) विभिन्न कृत्याकृत्यों, जिसमें कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा 2.42 करोड़ रुपये की निधियों के दुरुपयोग की आशंका भी शामिल है, से कपार्ट ने ऐसे 248 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला है जिन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। इसके अलावा विभागीय जांच भी शुरू की गई है और मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। साथ ही कपार्ट ऐसे 128 गैर सरकारी संगठनों को सहायता नहीं दे रहा है, जिन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाला गया है।

[हिन्दी]

काष्ठ शायिकाओं का उपयोग

3322. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल लाइनों के किनारे बड़ी संख्या में वर्षों से पड़ी, अब सड़ती-गलती जा रही तथा चोरी की जा रही उन काष्ठ शायिकाओं का कोई मूल्यांकन किया है कि जिन्हें ठोस और टिकाऊ शायिकाओं से बदल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तो क्या पूर्वान्चल क्षेत्र में लकड़ी के इन स्लीपरों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्लीपरों का उपयोग कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, रेलपथ नवीकरण से विनिर्मुक्त लकड़ी के कुछ स्लीपर विभिन्न कारणों की वजह से रेलपथ के साथ पड़े रहते हैं। बहरहाल, आकस्मिक नवीकरण के उपयोग के लिए इन्हें बाद में छांट लिया जाता है। तथा तदनुसार इन्हें संबंधित स्टेशनों/डिपुओं जहां-कहीं आवश्यकता होती है, को भेज दिया जाता है।

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ मदें छंटाई तथा डिपो को भेजने के लिए कार्य स्थल पर पड़ी रहती हैं।

(ग) जी हां, पूर्वांचल क्षेत्र सहित भारतीय रेलों पर लकड़ी के इन स्लीपरों का उपयोग आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

(घ) विनिर्मुक्त सेवा योग्य स्लीपरों को एक वर्ष के भीतर उपयोग में लाया जाएगा।

अयोध्या में उपरिपुल का निर्माण

3323. श्री मित्रसेन यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में रेल फाटक पर उपरि पुल का निर्माण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लेवल क्रासिंग पर उपरिपुल का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-खेडब्रह्मा के बीच रेलगाड़ियों की गति

3324. श्रीमती निशा अ. चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद-खेडब्रम्हा रेलवे लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों की गति बहुत धीमी है, यदि हां, तो इस रेलवे लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों की स्वीकृत गति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों से कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। इस खंड पर अनुमेय गति 50 कि. मी. प्रति घंटा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सवारी डिब्बों का जोड़ा जाना

3325. डा. संजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी से मुंबई जाने वाली सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में दो सवारी डिब्बे अमेठी रेलवे स्टेशन के लिए जोड़े जाते थे, जो अब नहीं जोड़े जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सवारी डिब्बे पुन: कब से जोड़े जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंजनों की उपलब्धता

3326. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक लोको-शेड में जोनवार तथा आमानवार कितने भाप/डीजल/विद्युत के इंजन हैं;

(ख) क्या अतिरिक्त पुर्जों की कमी तथा उनका आवधिक ओवरहाल नहीं किए जाने के कारण भाप के इंजनों की हालत खराब हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनके स्थान पर डीजल इंजन लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) कुछ पर्यटन आरक्षण वाले खंडों को छोड़कर भारतीय रेलों पर डीजल/बिजली रेल इंजनों की उपलब्धता के आधार पर सन् 2000 तक भाप रेल इंजनों को बदले जाने की संभावना है।

विवरण

(क) 1.4.1998 को प्रत्येक शेड में जोनवार तथा आमानवार उपलब्ध भाप/डीजल/बिजली रेल इंजनों की संख्या नीचे दी गई है :

भाप रेल इंजन (मीटर लाइन)

रेलवे	शेड	रेल इंजनों की संख्या
1	2	3
दक्षिण	कुन्नूर	8
पश्चिम	महू	4
पश्चिम	बांकानेर	11
पश्चिम	जेतल्सर	5
भाप रेल इंजन (छोटी लाइन)		
पूर्वोत्तर सीमा	तिनधरिया	5
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू जलपाईगुडी	5
पूर्वोत्तर सीमा	कुर्सियांग	2
पूर्वोत्तर सीमा	दार्जिलिंग	2
डीजल रेल इंजन (बड़ी लाइन)		
मध्य	इटारसी	147
मध्य	न्यू कटनी जंक्शन	177
मध्य	झांसी	77
मध्य	पुणे	121
मध्य	कल्याण	50
मध्य	कुर्ला	76
मध्य	आगरा	24
पूर्व	हावड़ा	47
पूर्व	बेलियाघाट	45
पूर्व	बर्धवान	77
पूर्व	अंडाल	94
पूर्व	पतरातु	117

1	2	3
पूर्व	मुगलसराय	42
पूर्व	जमालपुर	58
पूर्व	बामनगाच्छी	34
उत्तर	तुगलकाबाद	141
उत्तर	लुधियाना	144
उत्तर	लखनऊ	103
उत्तर	भगत-की-कोठी	50
उत्तर	मुगलसराय	36
उत्तर	शकूरबस्ती	112
पूर्वोत्तर	गोंडा	109
पूर्वोत्तर सीमा	मालदा टाउन	53
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू गुवाहाटी	51
दक्षिण	इरोड	143
दक्षिण	कृष्णा राजापुरम	65
दक्षिण	तोंडियारपेट	64
दक्षिण	एर्णाकुलम	35
दक्षिण	गोल्डन रॉक	26
दक्षिण-मध्य	काजीपेट	142
दक्षिण-मध्य	गूत्ती	136
दक्षिण-मध्य	गुन्तकल	77
दक्षिण-मध्य	मौला अली	20
दक्षिण-मध्य	विजयवाड़ा	35
दक्षिण-पूर्व	विशाखापत्तनम	186
दक्षिण-पूर्व	बोंडामुडा	123
दक्षिण-पूर्व	बोकारो स्टील सिटी	55
दक्षिण-पूर्व	खड़गपुर	121
दक्षिण-पूर्व	रायपुर	71
पश्चिमी रेल	रतलाम	139
पश्चिमी रेल	वतवा	108
पश्चिमी रेल	गांधीधाम	4
पश्चिमी रेल	बांद्रा	30
पश्चिमी रेल	आबूरोड	60

1	2	3
मीटर लाइन		
पूर्वोत्तर	गोंडा	53
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	72
पूर्वोत्तर सीमा	सिलीगुड़ी	71
पूर्वोत्तर सीमा	लमडिंग	55
दक्षिण	गोल्डन रॉक	150
दक्षिण-मध्य	गुन्तकल	13
दक्षिण-मध्य	मौला अली	35
दक्षिण-मध्य	गदग	9
पश्चिम	साबरमती	150
पश्चिम	गांधीधाम	24
पश्चिम	फुलेरा	61
छोटी लाइन		
मध्य	नेरल	6
मध्य	ग्वालियर	11
मध्य	धौलपुर	3
मध्य	कुर्डवाडी	13
मध्य	मुर्तजपुर	3
मध्य	पचौरा	2
उत्तर	कालका	13
उत्तर	पठानकोट	15
दक्षिण-पूर्व	मोतीबाग	52
दक्षिण-पूर्व	रायपुर	5
दक्षिण-पूर्व	रांची	8
दक्षिण-पूर्व	नौपाडा	2
दक्षिण-पूर्व	बरीपाडा	3
पश्चिम	प्रतापनगर	22

बिजली रेल इंजनों की रेलवेवार/आमानवार संख्या

रेलवे	शेड	1.4.98 को रेल इंजनों की संख्या
1	2	3
मध्य	भुसावल	122
	झांसी	129

1	2	3
	इटारसी	123
	अजनी	145
	न्यू कटनी	74
	कल्याण	130
	जोड़	723
पूर्व	आसनसोल	148
	मुगलसराय	146
	गोमोह	131
	जोड़	425
उत्तर	कानपुर	139
	गाजियाबाद	139
	जोड़	278
दक्षिण	अरकोणम	152
	ताम्बरम (मी.ला)	20
	जोड़	172
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा	150
	लालागुडा	153
	जोड़	303
दक्षिण पूर्व	टाटा	147
	भिलाई	150
	बोंडामुंडा	98
	वालतेरु	112
	जोड़	507
पश्चिम	तुगलकाबाद	120
	बड़ौदा	133
	वलसाड	72
	जोड़	325
	बड़ी लाइन	2713
	मीटर लाइन	20
	कुल जोड़	2733

हल्के लड़ाकू विमानों का विकास

3327. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किस तिथि से हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) का विकास आरंभ किया तथा इसे पूरा किए जाने की निर्धारित तिथि क्या है और इसे पूरा किए जाने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) परियोजना में गति लाने हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक योजनाएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) हल्का युद्धक वायुयान परियोजना (एलसीए) 1983 में मंजूर की गई थी। संभाव्यता अध्ययनों और विस्तृत परियोजना परिभाषा के आधार पर सरकार ने वायुसेना में सन् 2005 तक हल्का युद्धक वायुयान शामिल करने की परिकल्पना करते हुए पूरे पैमाने की इंजीनियरी विकास के पहले चरण के लिए अप्रैल 1993 में मंजूरी दी थी। पहला स्वदेशी हल्का युद्धक वायुयान पहले ही तैयार हो चुका है और उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत भू-विशेषता परीक्षण किए जा रहे हैं। आशा है कि यह वायुयान वर्ष 1999 की दूसरी तिमाही में पहली उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के कार्यकलापों पर अत्यंत उच्च स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि विकास कार्यक्रम का पालन किया जा सके और हल्का युद्धक वायुयान सन् 2003 तक वायुसेना में शामिल किया जा सके।

(ख) प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के अलावा हल्के वायुयान के दो अतिरिक्त आदिरूपों का चालू चरण में निर्माण किया जा रहा है जिससे कि उड़ान परीक्षण और मूल्यांकन में तेजी लाई जा सके ताकि हल्का युद्धक वायुयान भारतीय वायुसेना में सन् 2003 तक शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हाल ही में लगाई गई पाबंदियों का प्रत्युपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय दल गठित किया गया है।

भद्रावती विमानपत्तन

3328. श्री मंजुनाथ अयानूर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में शिमोगा जिले में भद्रावती में बारहमासी विश्वेसरैय्या हवाई पट्टी/विमानपत्तन को शुरू करने का कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हवाई पट्टी विमानपत्तन के रूप में विकसित किए जाने के लिए उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, द्वारा तकनीकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ठेकरागुड़ी में उपरिपुल का निर्माण

3329. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में नगांव के निकट ठेकरागुड़ी में रेल उपरिपुल के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक निर्माण कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) लागत में भागीदारी के आधार पर ठेकरागुड़ी में ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव पर तकनीकी तौर पर विचार किया जा रहा है। नक्शे और अनुमान तैयार किये जो रहे हैं। बहरहाल, लक्ष्य तभी निर्धारित किया जाएगा जब इनकी स्वीकृति मिल जाएगी।

ए. बी. बी. रेल इंजन की प्राप्ति

3330. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्राप्त किये गये ए. बी. बी. रेल इंजन (डब्ल्यू ए. पी.-5 और डब्ल्यू ए. जी.-9) प्रचालन के लिये तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाये गये हैं और इनमें व्यापक पैमाने र सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों के अनुसार थाइरिस्टर रेल इंजन हमारे प्रचालन के लिए अधिक उपयुक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो ए. सी.-3 फेज ए. बी. बी. रेल इंजन के क्रयादेश देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। ए बी बी रेल इंजन राजधानी गाड़ियों और भारी माल गाड़ियों सहित महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में कार्य कर रहे हैं और विशिष्टियों के अनुसार निष्पादन कर रहे हैं। बहरहाल, वास्तविक कार्य स्थिति के आधार पर इन रेल इंजनों में कुछ छोटे आशोधन करने आवश्यक समझे गए हैं जिन्हें संविदा के उपबंध के अनुसार ए बी बी में शामिल किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय रेलों पर सार्वभौमिक परिचालन के लिए थाइरिस्टर रेल इंजन उपयुक्त नहीं पाए गए हैं क्योंकि वे अधिक हारमोनिक करंट पैदा करते हैं जिससे सिगनलिंग ट्रैक सर्किट में व्यवधान पैदा होती थी। दूसरी ओर थ्री फेस ड्राइव वाले रेल इंजन ज्यादा कुशल और बेहतर हैं क्योंकि रिजनरेशन तथा कम अनुरक्षण लागत के कारण इनमें कम ऊर्जा की खपत के लाभ की विशेषता अंतर्निहित है।

पहाड़गंज में अनधिकृत निर्माण

3331. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री अनधिकृत निर्माण के बारे में 11 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2425 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पहाड़गज के मलिन क्षेत्र मुल्तानी ढांडा में अनधिकृत निर्माण करने वाले लोगों की शिकायतें किस तारीख को प्राप्त हुई और दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत उन्हें ढहाने के आदेश कब पारित हुए;

(ख) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों, जिसमें दिल्ली नगर निगम भी शामिल है, को किस तारीख को निर्देश दिए गए;

(ख) क्या संपत्ति संख्या 9854-9855 के आस-पास की संपत्ति भी अनधिकृत है;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या इस मलिन क्षेत्र में मालिक/मूल आबंटिती/कब्जा धारक ने भी ऐसा ही निर्माण कार्य किया है; और

(च) यदि हां, तो किस अधिनियम के अंतर्गत यह सब कुछ किया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कालीकट विमानपत्तन पर कार्गो परिसर

3332. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कालीकट में कार्गो परिसर की स्थापना के लिये पिछले एक साल से एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्करों को इकट्ठा किया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कार्गो परिसर कब तक तैयार कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। मालाबार चेम्बर आफ कामर्स के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निर्यात संबर्धन के लिए निर्यात कार्गो की प्रोसेसिंग और सीमा शुल्क संबंधी अनुमति हेतु, कालीकट विमानपत्तन पर एक निर्यात

केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र में (1) निर्यात कार्गो की जांच हेतु एक्सरे जांच मशीन, (2) फार्कलिफ्ट (3) तोल मशीन (4) सुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हैंडट्रालियों की व्यवस्था है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 73 लाख रुपये (उपस्कर पर 60 लाख रुपये और भवन पर 13 लाख रुपये) खर्च किए हैं।

मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक उद्यम जो कार्गो का अभिरक्षक है इस समय विमानपत्तन से बाहर कार्य कर रहा है। सीमाशुल्क विभाग द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निर्यात केन्द्र पर क्लीयरेंस संबंधी सुविधा का विस्तार करने की स्थिति में निर्यात केन्द्र का उपयोग निर्यात कार्गो की प्रोसेसिंग तथा क्लीयरेंस हेतु किया जा सकता है।

पटना से विमानों की उड़ानें

3333. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे स्थान कौन-कौन से हैं जो इस समय इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों द्वारा पटना से जुड़े हैं;

(ख) गत तीन माह के दौरान इन उड़ानों पर यात्रियों के औसतन भार से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पटना से अन्य गन्तव्य स्थानों के लिए अतिरिक्त उड़ानों को शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) पटना के लिए दिल्ली, लखनऊ, रांची तथा कलकत्ता से सीधी उड़ान है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर का पटना से/को मौजूदा सेवाओं पर सीट गुणक निम्नवत है :

उड़ान संख्या	मार्च, 98	अप्रैल 98	मई 98
आईसी-725	40.8	49.9	66.1
आईसी-809	70.1	78.6	84.2
आईसी-411	56.6	55.5	61.4

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लुटियन जोन एरिया

3334. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री लुटियन जोन के निर्माण के बारे में दिनांक 11.6.96 अतारांकित प्रश्न संख्या 2406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विधिवत अनुमोदित और 12.4.96 को परिचालित मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत संदर्भाधीन प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में यथा वर्णित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/संपत्ति निदेशालय कार्यवाही करते हैं; और

(ग) छोटे मकानों में अतिरिक्त रिहायशी स्थान की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12.4.96 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11011/2/95 निर्माण-I द्वारा दिशा-निर्देश परिचालित किए गए थे और उसकी एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया दिनांक 23.12.93 के का. ज्ञा. सं. 22011/2/90 पालिसी-III में दी गई है, जिसकी एक प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है। संपदा निदेशालय द्वारा आबंटित आवास में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जब कभी कोई अनधिकृत कार्य पाता है तो उसकी सूचना संपदा निदेशालय को देता है जो आबंटन नियमावली (एस आर. 317-बी-21) और इसके तहत जारी कार्यकारी निर्देशों के अनुसार नोटिस में दी गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए आबंटन रद्द करने के लिए नोटिस जारी करता है। दिनांक 19.1.96 के का.ज्ञा. 12035/8/91 पालिसी-II की प्रति विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ग) छोटे मकानों में रिहायशी आवास में परिवर्धन करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

भारत सरकार

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

सं. 11011/2/95 डब्ल्यू-I नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय : लुटियन के बंगला जोन में मंत्रियों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/सचिवों के सरकारी बंगलों में वृद्धि/सुधार हेतु दिशा-निर्देश।

मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर यह कहने का निदेश हुआ है कि नई दिल्ली में लुटियन के बंगला जोन (एल बी जेड) में निर्माण कार्य करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यथा अनुमोदित दिशानिर्देशों की एक प्रति आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

2. कृपया यह सुनिश्चित करें कि लुटियन के बंगला जोन में सभी निर्माण कार्य इन दिशानिर्देशों के अनुरूप ही हों।

हस्ता/-

(सुरेन्द्र पाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. निर्माण महानिदेशक, केलोनिवि (श्री के.के. मदान)
2. मुख्य इंजीनियर (न.दि.जो) -I केलोनिवि (श्री के. के. खन्ना)
3. मुख्य इंजीनियर (न.दि.अंचल-II) केलोनिवि (श्री गुलजार सिंह)
4. मुख्य इंजीनियर (न.दि.जो.-III) केलोनिवि (श्री रविन्द्र लाल) सेवा भवन आर.के.पुरम, नई दिल्ली
5. निदेशक (दिल्ली प्रभाग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

लुटियन बंगला जोन के मूल स्वरूप के प्रतिरक्षण की जरूरत

भारत की राजधानी दिल्ली की तीन खास विशेषताएं हैं :

1. प्राचीर बद्ध (पुरानी दिल्ली) शाहजहांनाबाद
2. लुटियन की नई दिल्ली
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का विकास।

नई दिल्ली का नागरी डिजाइन स्वरूप, जिसका डिजायन राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के समय (1911) सर एडविन लुटियन द्वारा बनाया गया था, मूलत: उद्यान नगरी (गार्डन सिटी) अवधारणा पर आधारित था।

स्वाधीनता के बाद दिल्ली मास्टर प्लान (1962) के बावजूद दिल्ली का बड़े पैमाने पर असंगत तथा अनियोजित ढंग से विकास हुआ।

लुटियन दिल्ली, जिसमें आज भी हरे-भरे क्षेत्रों और बंगलों की भरमार है, के नागरी अभिकल्प की सौन्दर्यमूलक गुणवत्ता के संरक्षण और अनुरक्षण की दृष्टि से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 8.2.1988 को लुटियन बंगला क्षेत्र के लिए 2300 हैक्टेयर के बंगला दायरे हेतु पृथक मानक बनाये गये थे।

लुटियन बंगला जोन के मूल स्वरूप को बनाए रखने की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है :

- इस क्षेत्र की विशिष्ट ऐतिहासिक महत्ता के साथ अनूठी शान है।
- इस क्षेत्र की एक प्रमाणित पहचान चमक-दमक और संकल्पना है।
- विरल भवनों एवं भरपूर हरियाली वाले इलाकों की नैसर्गिक गुणवत्ता न केवल समूचे सौन्दर्यमूलक पर्यावर्शी को अपितु समग्र इलाकाई परिवेश को चार चांद लगाने वाली कहलाती है।

उपर्युक्त के आलोक में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/सचिवों के निवास बंगलों में परिवर्तनों और परिवर्द्धनों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है :

1. मौजूदा भवन रेखा के अनुसार आहता का अनुरक्षण करना होगा और किसी अतिरिक्त ढांचे की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार परिवर्तन/परिवर्द्धन की ऊंचाई भवन की मौजूदा उंचाई से अधिक नहीं होगी।
2. तथापि, सुरक्षा के प्रयोजन हेतु प्रवेश मार्ग के निकट आमुख आहते में संतरी पोस्ट/गार्ड रूम/फ्रिस्किंग शेड का प्रावधान करना होगा। वे ढांचे अस्थायी प्रकृति/सुवाध किस्म के होंगे जिनकी मियाद अधिकतम 5 वर्ष होगी।
3. रंग-रोगन (कलर स्कीम) का निर्धारण स्थल परिवेश के आधार पर वास्तुकों द्वारा किया जाएगा।
4. चहारदीवारी/गेट का डिजाइन सुरक्षा संबंधी जरूरतों के अनुसार तथा स्थल व निकटवर्ती भवनों के माफिक होगा।
5. मौजूदा बंगलों में कमरों/अतिरिक्त शौचालयों आदि में पार्टिशन करके अतिरिक्त रूप से आधुनिकीकरण किया जा सकता है तथा बाह्य स्वरूप को अक्षुण रखते हुए ढांचागत व्यवहार्यता और केबिनेट मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों/समकक्ष अधिकारियां की जरूरत के आधार पर अतिरिक्त कमरे/स्थल का सृजन किया जा सकता है।
6. यदि अतिरिक्त जरूरतें मौजूदा बंगलों में उपलब्ध सुविधाओं से अधिक हों तो उनका प्रावधान स्थलगत शर्तों के आधार पर विवरण 'क' (1,2) के अनुसार भीतर तथा पिछले आहते में ही किया जा सकेगा न कि आमुख आहते में।
7. 3000 से 8000 वर्गफीट कुर्सी क्षेत्र वाले विभिन्न टाइप के बंगले मौजूद हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के तहत मौजूदा बंगलों का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रत्येक बंगले का डिजायन वास्तुकों द्वारा मौजूदा स्थलगत शर्तों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से बनाना होगा।
8. लुटियन बंगला जोन के वृक्षदार स्वरूप को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य होगा कि कोई वृक्ष न काटा जाए और इस जोन में मौजूद समानान्त किस्मों के अधिक वृक्षारोपण करने पर बल दिया जाए।
9. बंगला प्लाटों का भूपरिदृश्य बंगले के समग्र स्वरूप के अनुसार होगा तथा डिजाइनों का अनुमोदन संबंधित मुख्य वास्तुक/वरिष्ठ वास्तुक द्वारा किया जाएगा।

विवरण-क (एक)

लुटियन बंगला जोन में मंत्रियों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/भारत सरकार के सचिवों के बंगलों में सुधार हेतु दिशानिर्देश

लुटियन बंगला जोन में निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों में इन बंगलों में अतिरिक्त निर्माण का प्रावधान नहीं है।

तथापि, कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रियों/उच्चतम न्यायायल के न्यायाधीशों/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/भारत सरकार के सचिवों के बंगलों में जहां कुर्सी क्षेत्र मंत्रियों/जजों तथा सचिवों की पात्रता से कम हो, अतिरिक्त रिहायशी वास, कार्यालय वास तथा सुरक्षा कर्मियों हेतु वास के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान करना होग। ऐसी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रियों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/भारत सरकार के सचिवों के बंगलों में निम्नलिखित अनुसार अस्थायी आवास का प्रावधान किया जा सकता है।

अतिरिक्त रिहायशी वास

इस समय, एक मंत्री 4498 वर्ग फीट कुर्सी वाले बंगले का पात्र है। यदि मंत्री का टाइप-VII अथवा नीचे की टाइप का बंगला आबंटित किया जाता है तो एक बेडरूम के साथ संलग्न शौचालय तथा बहुप्रयोजनीय एक अस्थायी खुले शेड के साथ अधिकतम 500 वर्ग फीट कुर्सी क्षेत्र का अतिरिक्त निर्माण किया जा सकता है बशर्ते कि 4498 वर्ग फीट समग्र अधिकतमक सीमा में अस्थायी मानक वाले निर्माण का प्रावधान हो।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/भारत सरकार के सचिव

यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत सरकार के सचिवों को उनकी पात्रता से नीचे की टाइप के आवास आबंटित किए जाते हो तो अस्थायी मानक वाले अधिकतम 500 वर्ग फीट के रिहायशी प्रयोजन हेतु अतिरिक्त निर्माण का प्रावधान किया जा सकता है।

कार्यालय वास

मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वास हेतु बंगले में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार से भी पोर्टेबल ढांचे खड़े करके 5 वर्ष की मियाद वाले कार्यालय स्थल का प्रावधान किया जा सकता है। यह वास इस प्रकार मुहैया किया जाना है :

कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

क्षेत्रफल 46.45 वर्ग मी./500 वर्ग फीट

आवास दो कमरे तथा एक शौचालय

सुरक्षा संबंधी प्रयोजन :

(क) गार्ड रैस्ट रूम : निम्नलिखित स्वरूप में मुहैया कराए जाएंगे।

(i) केबिनेट मंत्री : गार्ड रूम (2+8) तथा स्नानाघर तथा शौचालय

(ii) राज्य मंत्री : गार्ड रूम (1+4) तथा स्नानाघर और शौचालय

(ख) फ्रिस्किंग रूम/पी एस ओ शेड : एक कमरा

(ग) संतरी पोस्ट : सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के अनुसार सुरक्षा पोस्टों की संख्या

सारांश : मंत्रियों, जजों तथा भारत सरकार के सचिवों को मुहैया कराये जाने वाला अतिरिक्त रिहायशी कार्यालय वास इस प्रकार होगा।

अतिरिक्त वास टाइप	कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री/ उप मंत्री/उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	सचिव भारत सरकार	मानक*
रिहायशी	46.45 वर्ग मीटर (500 वर्ग फीट)	46.45 वर्ग मी. (500 वर्ग फीट)	अस्थायी
कार्यालय	46.45 वर्ग मीटर (500 वर्ग फीट)	-	सेमी पोर्टेबल
सुरक्षा			
(i) गार्ड रेस्ट रूम	33.75 वर्ग मी. - कैबिनेट - (365 वर्ग फीट) मंत्रियों के लिए (250 वर्ग फीट) अन्य के लिए		सेमी पोर्टेबल
(ii) फ्रिस्किंग रूम/ पी एस ओ शेड	9.2 वर्ग मी. (100 वर्ग फीट)	-	पोर्टेबल
(iii) संतरी पोस्टें	2 वर्ग मी. (20 वर्ग फीट)	-	पोर्टेबल

* मानकों के लिए विवरण क-दो देखें।

विवरण-क-दो

विनिर्देशन

क. पांच वर्ष तक के समय हेतु अस्थायी ढांचे के लिए (अतिरिक्त रिहायशी वास हेतु)

नींव ईटों से नींव तैयार करना।

फर्श/किनारे/कार्यालय हेतु पी सी सी/मोजाइक, शौचालय हेतु टाइलें और बरामदे डाडो के लिए कोटा पत्थर

(i) मुख्य ढांचा : ईटों के साथ मिट्टी के गारे से चिनाई और सीमेंट का पलस्तर।

(ii) खिड़कियां : ग्रिल वाली लोहे की खिड़कियां

दरवाजे : उपयुक्त शहर सहित टी-आयरन/प्रैस्ड स्टील की चौखट

छत : उपर्युक्त जल निषेध सहित टी-आयरन चौखटों पर बालू सीमेंट के स्लैब

अथवा

ए सी/सी जी आई सीट की छत सहित उपयुक्त कृतिम छत

लागत : 4000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (अक्तूबर, 95 की स्थिति अनुसार) के विनिर्देशन से ऊपर।

ख. अर्ध-सुबाह्य ढांचे के लिए (अतिरिक्त कार्यालय और सुरक्षा वास हेतु) ढांचा कुर्सी क्षेत्र रखा गया माइल्ड स्टील चौखट ढांचा।

ग्लेडिंग : रोधन सहित बाहर फ्लैक्सों बोर्ड और जिप्सम बोर्ड अथवा नोवोपैन अन्दर।

छत : ए सी /सी जी आई सीट वाली कृतिम छत। बाहरी शेड से लिए फाइबर ग्लास की छत।

लागत : लागत लगभग 6527/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (अक्तूबर, 1995 के अनुसार

विवरण-II

सं. 22012/2/90--पोल-III

भारत सरकार

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली 23.12.1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी आवास/लोक परिसरों में अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा से संबंधित मामलों के निपटान की कार्य विधि।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी 11 अगस्त, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/5/92 भूमि प्रभाग (डी ओ-1) तथा सरकारी भूमि पर ऐसे अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा को हटाने में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय के नियंत्रण में अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा को हटाने और पता लगाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की जिम्मेदारी को नये सिरे से लिया गया है।

2. सरकारी भूमि पर और निचला तल और उससे जुड़े भूमि पर स्थित सरकारी भवन, सभी प्रयोजन के लिए सरकारी कालोनियों में स्थित सड़कें, पार्क, शौचालय, खेल मैदानों के अंतर्गत आने वाली भूमि सहित, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में, उस भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा की सूचना मिलने पर इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। सामान्य पुल रिहायशी वास/व्यवसायिक परिसरों के आबंटितियों से अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा संबंधी सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से मिलने पर संपदा निदेशालय ऐसे सामान्य पूल के रिहायशी/वाणिज्यिक परिसरों के आबंटियों के विरुद्ध आबंटन रद्द करने संबंधी कार्रवाई करता है। अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा, चाहे वह व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा हो अथवा अन्य आबंटितियों द्वारा अवैध कब्जा हो, को हटाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की है। सामान्य क्षेत्रों में जैसे सड़कें पार्कों, जिसे स्थानीय निकाय को नहीं सौंपा गया है, जो विशेष रूप से आबंटिती पर आरोप नहीं लगाये जाने योग्य आबंटन न किये गये सरकारी कालोनियों की भूमि पर अवैध कब्जा/अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ही सौंपी गयी है।

3. सरकारी कालोनियों/सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जा को पता लगाने, और हटाने की जिम्मेदारी का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	अनधिकृत निर्माण के प्रकार	क्षेत्र का नाम जहां ऐसा अवैध निर्माण हुआ	पता लगाने और सूचना/हटाने की जिम्मेदारी	निरसन/बेदखली कार्रवाई की जिम्मेदारी
1	2	3	4	5
1.	अनधिकृत निर्माण	संपदा निदेशालय द्वारा आबंटित रिहायशी क्वार्टर/दुकान के अन्दर	के.लो.नि.वि.	संबंधित व्यक्ति को परिसर से बेदखल करने और बेदखली कार्यवाही प्रारंभ करने और आबंटन निरसन करने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की है।
2.	अनधिकृत निर्माण	विशेष रिहायशी क्वांटर/दुकान से जुड़े क्षेत्र स्थान में परिचित आबंटिति/दुकानदार द्वारा कब्जा	के.लो.नि.वि.	परिसर से संबंधित व्यक्ति को बेदखल व बेदखली कार्यवाही प्रारंभ करने और आबंटन निरसन की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की है।
3.	अनधिकृत निर्माण	रिहायशी क्वार्टर के सामान्य गलियारे पर/विशेष क्वार्टर से अलग	के.लो.नि.वि.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

1	2	3	4	5
		अथवा विशेष आबंटिति और आंतरिक सड़क जिसे स्थानीय निकायों को नहीं सौंपी गई है।		
4.	अनधिकृत निर्माण/ अवैध कब्जा	विशेष क्वाटर/दुकानों से जुड़ी हुई खुली जमीन जो खुला स्थान नहीं है। अथवा आवास/ बाजार के सामान्य गलियारे के रूप में नहीं है।	आई और डी ओ/ के.लो.नि.वि. वि.भू. स्वामित्व एजेंसी	आई और डी ओ/ के.लो.नि.वि. भू-स्वामित्व एजेंसी
5.	अनधिकृत निर्माण/ अवैध कब्जा	सड़कें/भूमि/खुला स्थान सार्वजनिक स्ट्रीट के रूप में घोषित स्थान जिसे स्थानीय बोर्ड को सौंपा गया।	भू-स्वामित्व एजेंसी	भू-स्वामित्व एजेंसी

टिप्पणी : जहां भी यह पाया जाता है कि आबंटिति ने किसी अवैध कब्जा (विद्युत आपूर्ति जैसे) को बढ़ावा दिये हैं उस पर संपदा निदेशालय द्वारा उचित जांच पड़ताल के बाद आबंटन निरसन करने और बेदखली कार्रवाई की जाएगी।

4. उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21.5.1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संपदा निदेशालय का है।

5. इसे सचिव, शहरी विकास मंत्रालय से अनुमोदन मिला है।

(आर.डी. सहाय)

उप निदेशक (संपदा)

सेवा में,

1. महानिदेशालय (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन, टाउन हाल।
3. प्रशासक, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, नई दिल्ली।
4. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली।
6. भूमि और विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, भूमि व भवन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विकास भवन, नई दिल्ली।
8. सभी मंत्रालयों/भारत सरकार के विभाग।
9. सभी राज्य सरकार।

प्रति सूचनार्थ :

1. शहरी विकास मंत्री/राज्य मंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव।
2. सचिव के निजी सचिव।
3. ए. एस. (एन पी एस) के निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (निर्माण व प्रशासन) संयुक्त सचिव (आवास) के निजी सचिव।
6. डी डी (ए-I) डी डी (ए-II) डी डी (ओ)
7. सभी आबंटन अनुभाग/ए डी मार्केट-I व II ए डी (ओ) /ए डी (क्षेत्र) एल ओ (एम. पी.)
8. संपदा निदेशालय के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय स्टेशन।

(दर्शन लाल)

सहायक निदेशक, संपदा

विवरण-III

सं. 12035/8/91-नीति-II

भारत सरकार

संपदा निदेशालय

दिनांक 19.1.96

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सामान्य पूल रिहायशी आवास के अवैध निर्माण।

एस आर-317-बी-21 के प्रावधानों के अनुसार यदि एक अधिकारी, जिसको एक रिहायशी आवास आबंटित किया गया है, इस

आवास के किसी भाग में अवैध निर्माण/अतिक्रमण कर लेता है, संपदा निदेशालय किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्वाग्रह के बिना जो उसके खिलाफ की जा सकती है, आबंटी को एक मास के अन्दर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस देकर आबंटन निरस्त कर सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न आबंटन अनुभाग अवैध निर्माण हटाने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, जिन्हें इन आदेशों के जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर हटाना है और निरस्तीकरण के आदेश विशेषरूप से इनके बाद जारी किए जाते हैं।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि यह विशेष रूप से नोटिस में बताया जाए कि यदि नोटिस जारी करने की तारीख से एक माह के अन्दर अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है कि तो नोटिस की एक माह की अवधि की समाप्ति की तारीख से आबंटन निरस्त हुआ माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि निरस्त किया गया समझे जाने की तारीख से अवैध निर्माण हटाया जाने और इस तथ्य की के.लो.नि.वि. विभाग द्वारा पुष्टि किए जाने तक अनुज्ञप्ति शुल्क की हर्जाना दर वसूल की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रयोगार्थ एक मानक प्रपत्र को तैयार किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

हस्ता-/

संपदा उप निदेशक (नीति)

सेवा में,

1. सभी आबंटन अनुभाग/प्रादेशिक अनुभाग/सभी संपदा सहायक निदेशक (लेखा)।
2. सभी संपदा उप निदेशक, संपदा निदेशालय।
3. संपदा निदेशालय के सभी प्रादेशिक अनुभाग।

प्रति प्रेषित :

संपदा निदेशक-1/11/संपदा निदेशक एच.एस. के निजी सचिव।

1. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)....................मंत्रालय/विभाग

2. सहायक इंजीनियर, के लो नि वि पूछताछ कार्यालय............ को इस अनुरोध के साथ इस पत्र के जारी होने की तारीख के एक माह बाद मकान का निरीक्षण करके यह सूचना दें कि क्या अवैध निर्माण हटा दिया गया है या नहीं, जिससे हम आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

3. कार्यपालक इंजीनियर

के. लो. नि. वि. मंडल सं. .... नई दिल्ली।

सं. ....

भारत सरकार

संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक ....

सेवा में,

....

....

....

नई दिल्ली।

विषय : क्वार्टर सं. .... में, जो श्री/श्रीमती/कु. .... के दखल में है, अवैध निर्माण/अतिक्रमण

यह रिपोर्ट मिली है कि श्री/श्रीमती/कु. .... ने क्वार्टर नं. .... में निम्नलिखित अवैध निर्माण कर लिया है।

1.

2.

3.

2. अतः श्री/श्रीमती/कु. .... को निदेश दिया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर अवैध निर्माण हटा दें। अवैध निर्माण को हटाने का तथ्य इस निदेशालय और संबंधित के.लो.नि.वि. कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए जिसके न करने पर एस. आर.-317-बी-21 के प्रावधानों के अनुसार एक माह की नोटिस अवधि की समाप्ति की तारीख से आबंटन निरस्त किया गया समझा जाएगा। अनुज्ञप्ति शुल्क की हर्जाना दर, निरस्त समझे जाने की तारीख से अवैध निर्माण हटाने तक या क्वार्टर खाली करने तक जिसके लिए लोक परिसर अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली की कार्यवाही की जाएगी, प्रभारित की जाएगी।

इस पत्र की पावती भेजें।

संपदा सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित :

सेवा में,

1. अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)

....

.... मंत्रालय/विभाग

2. सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय को इस अनुरोध सहित कि इस पत्र के जारी होने के एक माह बाद मकान का निरीक्षण करें और सूचित करें कि अनधिकृत निर्माण को हटाया गया है कि नहीं ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3. कार्यालय इंजीनियर, के.लो.नि.वि. डिवीजन नं. .... नई दिल्ली।

रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

3335. श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने के बारे में 7 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2571 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों तथा प्रसारण माध्यमों के लिए रेल विभाग द्वारा जारी की गयी सभी प्रेस विज्ञप्तियों का प्रकाशन और प्रसारण अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा 26 नवंबर, 1996 को जारी प्रेम विज्ञप्ति किन-किन प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा प्रसारण माध्यमों के केन्द्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में रेलों का उपयोग करने वालों को सरकार द्वारा सूचना देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे अवसरों पर जारी प्रेस विज्ञप्तियों का अधिकतम प्रचार सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया दोनों के साथ संपर्क करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

डी. डी. ए. फ्लैटों का आबंटन

3336. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. डी. ए. फ्लैटों का दो-दो बार आबंटन करने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान 217 डीडीए फ्लैटों का दोहरा आबंटन किया गया, जिनका स्थानवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जांच करने पर यह पाया गया कि कर्मचारियों द्वारा भूल से गलत डाटा भर दिए जाने के परिणामस्वरूप दोहरे आबंटन के अधिकतर मामले हुए हैं। जिन मामलों में जांच के बाद यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर ऐसे दोहरे आबंटन किए गए हैं तो उन मामलों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सतर्कता विभाग में भेज दिया गया है। 8 मामलों में चेतावनी/अभिलेख चेतावनी दी गई है तथा 6 मामलों में लघु शासित के लिए चार्जशीट दी गई है। 21 मामलो में जांच का काम चल रहा है।

विवरण

उन श्रेणी की सूची जहां दोहरे आबंटन किए गए हैं।

क्रम सं.	स्थान	मामलों की संख्या
1.	दिलशाद गार्डन	06
2.	रोहिणी	56
3.	पुल पहलाद पुर	05
4.	द्वारका	16
5.	जहांगीरपुरी	01
6.	सराय खलील	02
7.	झिलमिल	03
8.	कोंडली घरोली	103
9.	पीतम पुरा	02
10.	मयूर विहार	01
11.	जसौला	02
12.	हस्तसाल गांव	11
13.	पश्चिम पुरी	04
14.	वसंत कुंज	01
15.	चिल्ला गांव	04
	कुल	217

'सारस' विमान

3337. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तनेजा एरोस्पेस लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में हल्के परिवहन विमान सारस को विकसित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विमान का परिचालन कब से आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां। हल्के परिवहन विमान 'सारस' का विकास तनेजा एरोस्पेस लिमिटेड, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा अन्य साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम में किया जा रहा है।

(ख) और (ग) हल्के परिवहन विमान का स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया गया है तथा विस्तृत डिजाइन का कार्य प्रगति पर है। नमूना प्रमाणीकरण संभवत वर्ष 2001 तक पूरा कर लिया जायेगा जिसके बाद विमान को प्रचालन में लगाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

पश्चिम पुरी में पार्क का अतिक्रमण

3338. श्री एन. जे. राठवा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पुरी पाकेट-2 (जनता फ्लैट) तथा मादीपुर गांव के बीच स्थित पार्क का भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

किराये के लिये संपत्ति

3339. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजधानी क्षेत्र में किराये के लिए उपलब्ध संपत्ति का अनुमानित प्रतिशत क्या है, जिसके किराये की उच्च सीमा 3500 रुपये प्रतिमाह से अधिक होने के कारण दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 की परिधि में नहीं आती है;

(ख) क्या किराये पर दी गई कम से कम 50 प्रतिशत संपत्ति के मामले में इस कानून को सार्थक बनाने के लिए किराये की उच्च सीमा को युक्तिसंगत स्तर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार को पगड़ी प्रणाली के अंतर्गत चल रही गलत प्रथाओं की जानकारी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) मंत्रालय, किराए पर उपलब्ध ऐसी संपत्ति के आंकड़े एकत्र नहीं करता, जिसके किराये की उच्च सीमा, 1988 में संशोधित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में निर्धारित 3500 रुपये प्रतिमाह से अधिक होने के कारण, दिल्ली किराया अधिनियम की परिधि में नहीं आती। तथापि, 1993 में एन.एस.एस.ओ. द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण (सैम्पल सर्वे) एन. एस. एस.-49 वां) के अनुसार मासिक किराया व औसत किराया तथा परिवारों का प्रतिशत इस प्रकार था :

मासिक किराया (रुपये)	औसत किराया	परिवारों का प्रतिशत
0-50	21.00	10.30
50-100	69.00	24.50
100-250	176.00	07.50
250-500	364.00	23.90
500-800	637.00	13.60
800 और उससे अधिक	1382.00	08.40

(ख) वर्तमान में उपर्युक्त मासिक किराए की उच्च सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि 3500 रुपये की मौजूदा सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय श्रेणी के किराएदार तथा एम आई जी श्रेणी के अधिकतर किराएदार शामिल होंगे।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों में पगड़ी प्रणाली के बारे में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है।

विमानन सुरक्षा निदेशालय की स्थापना

3340. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान सुरक्षा के अतिक्रमण की जांच करने के लिए विमानन सुरक्षा निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय के मुख्य कार्य क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। विमानन सुरक्षा निदेशालय का मुख्य कार्य होगा :-

(1) दुर्घटना से बचने के क्रियाकलाप,

(2) विमानन में बेहतर मानक प्राप्त करने के लिए खतरे की पहचान तथा उन्मूलन प्रणाली का आरंभ करना,

(3) हवाई अड्डों पर तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना,

(4) हवाई अड्डों पर हुई घटनाओं की जांच करना,

(5) जांच कार्य में नागर विमानन महानिदेशक या कानूनी रूप से नियुक्त किसी अन्य दुर्घटना जांच बोर्ड की सहायता करना।

रॉलिंग मिलें

3341. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में रॉलिंग मिलें बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को बंद होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार आदान लागत, विद्युत शुल्क में वृद्धि आदि जैसे अनेक कारणों से 1061 पुनर्बेल्लन इकाइयों में से 396 इकाइयों के बंद होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) चूंकि इस्पात उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है और नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है अत: इसका भविष्य पूर्णत: बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उद्योग में अलग-अलग कंपनियों का भविष्य अनेक घटकों, जिनमें प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनाई गई बाजार नीति शामिल हैं, पर निर्भर करता है। तथापि, 1998-99 के बजट में आयात शुल्क, आवास और अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में घोषित किए गए उपायों के फलस्वरूप इस्पात की मांग की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

अमरीका द्वारा रक्षा मंत्री को निमंत्रण

3342. डॉ. टी. सुब्बरामी रेड्डी :

श्री चन्दू लाल अजमीरा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी रक्षा सचिव ने उन्हें द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत हेतु निमंत्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री को मई, 1998 के शुरू में अमरीकी रक्षा सचिव से परस्पर सुविधानुसार निर्धारित समय में अमरीका का दौरा करने का निमन्त्रण प्राप्त हुआ था। इस दौरे के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है।

सेना के आतिशबाजी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत की जांच

3343. श्री मोइनुल हसन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 18 अप्रैल, 1998 को कलकत्ता रोविंग क्लब के लॉन में छोड़ी गई आतिशबाजी एक युवक के सिर पर लगने से हुई मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच के निष्कर्ष क्या रहे एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) दिनांक 19 अप्रैल, 1998 को कलकत्ता स्थित रोविंग क्लब के लॉन में एक युवक की मृत्यु जो संभवत: वहां पर आयोजित आतिशबाजी प्रदर्शन के दौरान हुई की घटना की जांच सेना एवं सिविल प्राधिकरण दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यह जांच अंतिम चरण में है और शीघ्र ही पूरी होने वाली है।

रक्षा मंत्रालय की भूमि का अतिक्रमण

3344. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण वाली भूमि में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई, विभिन्न पार्कों और खुली जमीन पर अतिक्रमणों तथा असैनिकों द्वारा बहुमंजिली इमारतों को कुकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह बनाए जाने के कारण उत्पन्न हुए परिस्थितिकीय असंतुलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रक्षा संपदा महानिदेशालय को इस समस्या से सख्ती से निपटने के लिए कोई आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में पर्यावरण को हो रही क्षति को रोकने के लिए आवधिक देखरेख हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) किसी भी रक्षा भूमि के अंतर्गत अनधिकृत रूप से वृक्ष काटकर गिराए जाने, अवैध रूप से कब्जा किए जाने और अनधिकृत रूप से निर्माण किए जाने की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण शीघ्र कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, नाजायज कब्जों तथा अवैध निर्माण से निबटने के लिए मंत्रालय ने विविध एजेंसियों को अनुदेश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड

3345. श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की नई दिल्ली में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की 23वीं बैठक 13.6.98 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) कोर अवस्थापना घटकों जैसे कुशल दूरसंचार तंत्र देने, राजमार्ग नेटवर्क सुधारने, बिजली संयंत्र लगाने और बिजली ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क, रेल नेटवर्क आदि का विकास, विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, पर चर्चा की गई। एक "कामन इकानोमिक

जोन" के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संरचना करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया ताकि इस सारे क्षेत्र में वस्तुओं सेवाओं के लिए एवं समानकर और शुल्क ढांचा तैयार हो सके और सदस्य राज्यों में इसमें कोई मिलता न रहे तथा क्षेत्र से संतुलित विकास किया जा सके।

भारत-अमरीका संयुक्त सामरिक सैन्य अभ्यास

3346. **श्री पी. शिव शंकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने संयुक्त सामरिक सैन्य अभ्यास करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम दौर की कोई चर्चा हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अब स्थगित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारत सरकार ने अमरीकी सेना के साथ तीन चरणों में संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन किया जाना मई, 1998 में अनुमोदित कर दिया था। अभ्यास का पहला चरण जुलाई/अगस्त, 1998 में हवाई में आयोजित किया जाना था। दूसरे और तीसरे चरण के अभ्यास अक्तूबर/नवबंर 1998 में भारत में किए जाने वाले थे।

(घ) और (ङ) भारत द्वारा 11 और 13 मई, 1998 को किए गए भूमिगत परमाणु विस्फोटों के परिणामस्वरूप अमरीकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने भारत के साथ सभी सैन्य आदान-प्रदानों पर रोक लगाने की घोषणा की है। इस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में निकट भविष्य में अमरीका के साथ किसी भी सशस्त्र बल या रक्षा संबंधी आदान-प्रदान की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है।

खड़गपुर वॉलटेयर सैक्शन का विद्युतीकरण

3347. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेल के अंतर्गत खड़गपुर-वॉलटेयर और विशाखापत्तनम सेक्शन पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य की प्रगति धीमी चल रही है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों से इस कार्य के लिए निर्धारित धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं; और

(घ) रेल लाइनों का संशोधित समय-सीमा के भीतर विद्युतीकरण करने के लिए कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) खड़गपुर-विशाखापत्तनम खंड का विद्युतीकरण खड़गपुर-भुवनेश्वर और भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम विद्युतीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल है। खड़गपुर-भुवनेश्वर खंड का विद्युतीकरण बोल्ट योजना के अंतर्गत निजी वित्त पोषण से 1995-96 में प्रारंभिक रूप से स्वीकृत किया गया था परंतु बोली दाताओं द्वारा अधिक दर कोट करने के कारण यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका। निर्माण, परिचालन, पट्टा और हस्तांतरण योजना के अंतर्गत इस परियोजना के लिए निर्धारित निधियों का 1995-96 और 1996-97 में उपयोग नहीं किया जा सका। अत: इस परियोजना को बोल्ट योजना से निकाल दिया गया और रेलवे वित्त पोषण के अंतर्गत शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया तथा रेल बजट 1997-98 में सम्मिलित किया गया। जहां तक भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम खंड का संबंध है, इसे अनुमोदित कर दिया गया है और रेल बजट 1997-98 में शामिल किया गया।

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत 602.46 करोड़ रुपये है। वर्ष 1997-98 के दौरान 40.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 1998-99 के बजट में 96.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। समूचे खंड को पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2002 है।

[हिन्दी]

बाराबंकी-छपरा रेल लाईन का दोहरीकरण

3348. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत बाराबंकी-छपरा रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका दोहरीकरण कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) बाराबंकी-छपरा में क्षमता की वृद्धि अशंत: दोहरीकरण और अंशत: आमान परिवर्तन द्वारा की जा रही है। मुजफ्फरपुर-गोरखपुर के बीच दोहरीकरण नरकटियागंज-खड्डा-गोरखपुर लाइन के आमान परिवर्तन द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो 1998-99 में पूरा होगा। गोरखपुर और गोंडा के बीच दोहरीकरण गोरखपुर-गोंडा लूप के आमान परिवर्तन द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। गोंडा-बाराबंकी के बीच गोंडा और जरवाल रोड के बीच दोहरीकरण शुरू किया गया है। जबकि गोरखपुर-नरकटियागंज के बीच आमान परिवर्तन मार्च, 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है, अन्य परियोजनाओं का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

गन्दी बस्ती निवासियों को मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान

3349. श्री माधव राव पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे की भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) 1993 में, रेल मंत्रालय रेलपथ के बाहर की मध्य रेखा से 15 मीटर के सुरक्षित जोन से बाहर पड़ने वाली रेलवे भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी वासियों के लिए नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु महाराष्ट्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत था, बशर्ते कि सुरक्षित जोन के अंतर्गत पड़ने वाली भूमि .. झुग्गी-झोपड़ीवासियों को महाराष्ट्र सरकार पहले उपाय के रूप में हटाए तथा बाकी भूमि से सुरक्षित जोन को अलग करने के लिए चहारदीवारी का निर्माण करने की वचनबद्धता दे।

कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके अभी तय नहीं किए गए हैं।

नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना

3350. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :

श्री भर्तृहरि मेहताब :

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री वैको :

क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले इस्पात संयंत्रों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्रों को कितनी निधियां आबंटित की गईं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए क्या उपबंध किए गए हैं;

(ग) उपरोक्त इस्पात संयंत्रों के लिए संयंत्र वार कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है; और

(घ) इन इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क), (ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई नया/ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12 इस्पात परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के मौजूदा इस्पात संयंत्रों नामत: स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना परिव्यय नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

कंपनी का नाम	1998-99 के लिए योजना परिव्यय	नौवीं योजना के लिए योजना परिव्यय (1997-97 से 2001-02)
सेल	2375.00	15000.00
आर आई एन एल	164.00	1202.00

विवरण

सरकारी/निजी क्षेत्र में नई/ग्रीन फील्ड इस्पात परियोजनाएं

क्र.सं.	इकाई का नाम	अपेक्षित/अधिग्रहीत भूमि (एकड़)	कार्यान्वयन में प्रगति/स्थिति
1	2	3	4
कर्नाटक			
1.	जिंदल विजय नगर स्टील लिमिटेड	3695	कार्यान्वयनाधीन मिल: चालू अन्य इकाइयां: सित.98 अक्तू. 98
2.	बल्लारी एस एंड ए लि.	302.04	कार्यान्वयनाधीन अक्तूबर, 98
3.	मुकुंद लिमिटेड	150.54	कार्यान्वयनाधीन मध्य, 1998
तमिलनाडु			
4.	साउदर्न आई एंड एस कारपोरेशन लि.	522	कार्यान्वयनाधीन इस्पात गलनाशाला जून, 98 बेल्लन मिल: सित. 98

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
5.	एस जे के स्टील कारपोरेशन लि.	640	कार्यान्वयनाधीन सित. 99
6.	कुमार मेट. का. लि.	अनुपलब्ध	कार्यान्वयनाधीन सित. 99
महाराष्ट्र			
7.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	700	कार्यान्वयनाधीन चरण : I जुलाई 98 चरण : II अप्रैल 99
8.	ऊषा इस्पात लिमिटेड	600	कार्यान्वयनाधीन मई, 99
उड़ीसा			
9.	राजिंदर स्टील लि.	अनुपलब्ध	कार्यान्वयनाधीन इस्पात गलनशाला: मार्च, 95 तप्त बेल मिल : दिसंबर, 98
11.	नोवा स्टील्स (आई) लि.	वही	कार्यान्वयनाधीन अनुपलब्ध
उत्तर प्रदेश			
12.	मालविका स्टील लि.	700	कार्यान्वयनाधीन चरण: I अक्तूबर 98 चरण: II अप्रैल, 99

एम. बी. टी. परियोजना लागत में वृद्धि

3351. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में 15.50 करोड़ रुपये लागत की एवं वर्ष 1987 में लागत वृद्धि के पश्चात् 280.80 करोड़ रुपये लागत की एम. बी. टी. परियोजना को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में लागत वृद्धि के कारणों का पता लगाने हेतु सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम थे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) हमने लागत वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है और पाया है कि लागत में वृद्धि, गुणात्मक अपेक्षाओं जैसे मारक शक्ति संरक्षण और गतिशीलता में बाद में किए गए परिवर्तन तथा सेना द्वारा अधिक संख्या में आदिरूपों और उत्पादनपूर्व श्रृंखला के टैंकों के विनिर्माण को शामिल करते हुए परियोजना के क्षेत्र में काफी परिवर्तन करने के कारण हुई। अर्जुन जैसी मुख्य परियोजना, जिसकी निर्माणावधि काफी लंबी है, के लिए गुणात्मक अपेक्षाताओं में इस प्रकार के परिवर्तन सामान्य हैं ताकि विकास और थोक उत्पादन के दौरान उसे अप्रचलित होने से बचाया जा सके।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

3352. श्री पकंज चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक पृथक वाणिज्यिक एकक बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन पृथक अस्तित्व के रूप में गठन किया गया है जिसमें यह अपेक्षित है कि प्राधिकरण अपने कार्यो को पूरा करने के संबंध में जहां तक संभव हो व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

[अनुवाद]

बॉक्साइट का उत्पादन

3353. डा. सरोजा वी. :

श्री आर. एस. गवई :

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बॉक्साइट की खानें कहां-कहां स्थित हैं तथा राज्यवार प्रत्येक खान की क्षमता क्या है;

(ख) या देश में कुछ नई बॉक्साइट खानें खोजी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खोजे गए प्रत्येक नए क्षेत्र में अनुमानित बॉक्साइट भंडार की अनुमानित मात्रा कितनी है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) देश में बॉक्साइट खानों के उत्पादन सहित उनकी राज्यवार एवं जिला वार स्थिति संलग्न विवरण में दी है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बॉक्साइट के किसी नए भंडार का पता नहीं लगाया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

बॉक्साइट उत्पादन करने वाली खानों की सूची 1997-98

(मात्रा टन में)

राज्य	जिला	मालिक का नाम	खान का नाम	गांव	उत्पादन (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
बिहार	गुमला	अशोक कुमार पोदार	नर्मा	नर्मा	17285
बिहार	गुमला	बी. एन. महेन्दु	अमीतापानी	अमीतापानी	17144
बिहार	गुमला	बी. पी. अग्रवाल	अमीतापामी (बी.पी.)	अमीतापानी	26599
बिहार	गुमला	चन्द्रकांत टी. पोपट	हुरूप	हुरूप	13250
बिहार	गुमला	गयाचन्द प्रसाद अग्रवाल	कुजाम	कुजाम	28862
बिहार	गुमला	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	गुरदारी	गुरदारी अम्बाकोना	128560
बिहार	गुमला	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	जलीम एंड शैनाई	जमील एंड शैनाई	7172
बिहार	गुमला	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	शेरेनगोग	शेरेनगोग टुगू	180900
बिहार	गुमला	जगमोहन लाल गुप्ता	चिरोडीह	शाखा मापनी	एन. ए.
बिहार	गुमला	एम. पी. मिनरल	लुपंगपाठ	लुपंगपाठ	6560
बिहार	गुमला	मदन मोहन प्रसाद सिंह	चिरोडीह	जहाडीह	48700
बिहार	गुमला	मदन मोहन प्रसाद सिंह	नर्मा	नर्मा	8350
बिहार	गुमला	महुआ, मिलान करनपुरा कोलमाइन	बिमराला	बिमराला	एन. ए.
बिहार	गुमला	माइथान सैरेमिक प्रा. लि.	न्यूअमटिपानी	अमटिपानी	एन. ए.
बिहार	गुमला	नेशनल सीमेंट माइंस इंडस्ट्रीज लि.	अमटिपानी	अमटिपानी	एन. ए.
बिहार	गुमला	ओ. पी. गुप्ता एंड कंपनी	जोभीपाट	नर्मा	25400
बिहार	गुमला	पी. के. पोदार	जिलिंगसीरा	जिलिंगसीरा और गुडार	8103
बिहार	गुमला	पी. एस. गर्ग	चिरोडीह	चिरोडीह	19608
बिहार	गुमला	राजहंस रिफ्रैक्ट्रीज(प्रा.) लि.	अमटिपानी	अमटिपानी	4315
बिहार	गुमला	शिवाजी तिवारी	चिरोडीह	चिरोडीह	टी. डी.
बिहार	गुमला	सारदा माइका माइनिंग कं.	लंगराटंड	लंगराटंड	15
बिहार	गुमला	ठमेश प्रसाद अग्रवाल	सरका एंड शेरांगडाग	सरका एंड शेरांगडाग	15177
बिहार	गुमला	बी. एच. पाठक	बाहगढ़	बाहगढ़	एन. ए.
बिहार	लोहारडागा	अरबिन्द कुमार सिंह	चापी	चापी	15300
बिहार	लोहारडागा	गंदर्भा ओरोक	पाखर	पाखर	2461
बिहार	लोहारडागा	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	पाखर (98.25ए.सी.)	पाखर	89761
बिहार	लोहारडागा	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	पाखर (84.38 ए.सी.)	पाखर	35435

1	2	3	4	5	6
बिहार	लोहारडागा	इंडियन एल्युमिनियम कं.लि.	बागरूहिल	बागरू एंड भुसार	322906
बिहार	लोहारडागा	जयवन्ती कुमारी भगत	पाखर	पाखर	11150
बिहार	लोहारडागा	मदनमोहन प्रसाद सिंह	बागरू	बागरू	3060
बिहार	लोहारडागा	मिनरल्स एंड मिनरल्स लि.	मंदुआपाठ	सालिया	1103
बिहार	लोहारडागा	मिनरल्स एंड मिनरल्स लि.	पाखर	पाखर	35855
बिहार	लोहारडागा	श्रीमती बीना पाणी अग्रवाल	टुमू	टुमू	9516
बिहार	लोहारडागा	श्रीमती लीला देवी	बानोबार	बानोबार	11801
गोवा	दक्षिणी गोवा	प्रवीन कुमार एस. घोसालिया	शक्ति एगएल-4	बेलिम बेतुल	30921
गोवा	दक्षिण गोवा	प्रवीन कुमार एस. घोसालिया	महावीर एगएल-5	काबो-डी-रामा	648
गुजरात	जामनगर	अरून कुमार गोवर्धनदास माखन	वीरपुर	वीरपुर	1230
गुजरात	जामनगर	भारत अब्रेसिव एंड कैमिकल्स इंड.	कैनेडी	कैनेडी	1445
गुजरात	जामनगर	बाम्बे मिनरल सप्लाई कं. (प्रा.)लि.	करमकुंड	गेवास	एन. ए.
गुजरात	जामनगर	बाम्बे मिनरल सप्लाई कं. (प्रा.)लि.	नन्दना	नन्दना	16519
गुजरात	जामनगर	बाम्बे मिनरल सप्लाई कं. (प्रा.)लि.	असोता मेवास	मोता असोता मेवास	169733
गुजरात	जामनगर	बाम्बे मिनरल सप्लाई कं. (प्रा.)लि.	करनधार	मेवास	एन. ए.
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	महादेविया क्रम सं. 241	महादेविया	410
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	मेवास क्रम सं. 212/1	मेवास	873
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	ए.बी. असोता-238	असोता	1056
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	मुहादेविया (कल्याणपुर) एस. 259	महादेविया	3565
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	मेवास क्र.सं. 146/147	गांटा असोता	2962
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	राजा तलाब मेवास (211)	मेवास	200
गुजरात	जामनगर	कार्बोरूडम यूनिवर्सल लि.	महादेविया 259/70	महादेविया	–
गुजरात	जामनगर	गुजरात मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	मेवास	मेवास	12351
गुजरात	जामनगर	गुजरात कैल्साइड बाक्साइट एंड रिफ्रेक्ट्रीज	मेवास (212/पी)	रान	3015
गुजरात	जामनगर	हरजीवन पुरूशोत्तम धनकी	महादेविया (261)	महादेविया	108
गुजरात	जामनगर	हरजीवन पुरूशोत्तम धनकी	मेवास 437	मेवास	18678

1	2	3	4	5	6
गुजरात	जामनगर	एम्पीरियल माइनिंग सिंडिकेट	नवाद्रा	नवाद्रा	एन. ए.
गुजरात	जामनगर	एम्पीरियल माइनिंग सिंडिकेट	कैनेडीज नवादा	कैनेडीह	एन. ए.
गुजरात	जामनगर	एम्पीरियल माइनिंग सिंडिकेट	कैनेडी पिपडी	कैनेडी	एन. ए.
गुजरात	जामनगर	कांतिलाल एम. मेहता	महादेविया	महादेविया	2354
गुजरात	जामनगर	कांतिलाल एम. मेहता	गंधवी	गंधवी	-
गुजरात	जामनगर	मिनरल्स एंड मिनरल्स कारपोरेशन	रान (419) (क्र.सं.171)	रान	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	मिनरल्स एंड मिनरल्स कारपोरेशन	नन्दना	नन्दाना	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	मिनरल्स एंड मिनरल्स कारपोरेशन	नन्दाना (529/838)	नन्दाना	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	मिनरल्स एंड मिनरल्स कारपोरेशन	रान (क्र.सं. 421)	रान	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	श्रीमती मंजुला बैन आर. थनकी	लुसारी	वीरपुर	-
गुजरात	जामनगर	नरेश पी. माखेचा	हबरादी	हबरादी	2712
गुजरात	जामनगर	नरेश पी. माखेचा	मोटा असोता	मोटा असोता	-
गुजरात	जामनगर	नटराज सेरेमिक एंड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	पीलीधार	पीलीधार	11273
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	वीरपुर III	वीरपुर	20231
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	नन्दाना II (431)	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	रठाडी (139 पार्ट)	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	सुराधार II (190)	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	तालावढ़ी	मेवास	2003
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	सुराधार I (191)	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	नन्दाना I	नन्दाना	9156
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मोरधार II	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मोरधार I	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मेवास 4	मेवास	87
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मेवास III	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मेवास II	मेवास	40
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मेवास I	मेवास	5382
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	मेवास वी (207/पी)	मेवास	11566
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	वर्दा III	मेवास	1142
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	करमकुंड माइन II	मेवास	334
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	करमकुंड I	मेवास	–
गुजरात	जामनगर	आॅरियन्ट अब्रेसिव लि.	वीरपुर-4	वीरपुर	–

1	2	3	4	5	6
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	वरादा-4	मेवास	27
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	लाम्बा (30 पार्ट)	लाम्बा	–
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	कोठारिया (330 पार्ट)	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	अवारियर II	मेवास	1091
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	अवारियर I	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेमिव लि.	वीरपुर II (72, 73)	वीरपुर	–
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	वीरपुर I (17)	वीरपुर	–
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	वरादा II	मेवास	111
गुजरात	जामनगर	आँरियन्ट अब्रेसिव लि.	वरादा I (330 पार्ट)	मेवास	297
गुजरात	जामनगर	परशुराम पोट्टरी वर्क्स कं. लि.	मेवास	मेवास	टी. डी.
गुजरात	जामनगर	प्रभुदास विट्ठल दास	वीरपुर (कैनेडी) II	वीरपुर	7320
गुजरात	जामनगर	प्रभुदास विट्ठल दास	मेवास (कैनेडी)	मेवास	9411
गुजरात	जामनगर	प्रभुदास विट्ठल दास	कैनेडी	कैनेडी	एन. ए.
गुजरात	जामनगर	रघुवंशी रिफ्रेक्टरीज	वीरपुर (रतकुंड)	वीरपुर	839
गुजरात	जामनगर	रमणीकलाल थांकी	सुलतानी	वीरपुर	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास (396)	मेवास	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	रा नाला	रण	3210
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास (148)	मेवास	13371
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	लाम्बा 2	लाम्बा बांदर	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	हदमातिया 121	हदमातिया	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	नन्दना क्र.सं. 199	नन्दना	1854
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	असोता (238)	लसोता	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास क्षेत्र (227/228)	मेवास	908
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास क्र.सं. 214	मेवास	-

1	2	3	4	5	6
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	महादेविया (क्र.सं. 119)	महादेविया	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	लाम्बा I (415/पी)	लाम्बा	2998
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास क्र.सं. 412	मेवास	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	केनेडी क्षेत्र (508)	केनेडी	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	केनेडी लाल 505/पी	केनेडी	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	हदमातिया क्षेत्र	हदमातिया	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट • एंड एलाइड इंड.	रण	रण	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास क्र.सं. 330	मेवास	22311
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	रण नाला	रण	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	मेवास क्र.सं. 138	मेवास	67762
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र केलसाइन बाक्साइट एंड एलाइड इंड.	राजातालाब क्र.सं. 208/407	मेवास	7420
गुजरात	जामनगर			केनेडी	9662
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र सीमेंट लि.	रण	रण	-
गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र ट्रेडरस	बनकोदी	बनकोदी	523
गुजरात	जामनगर	श्री नटराज सेरामिक एंड केमिकल इंड. लि.	हाबरदी क्र.सं. 186	हाबरदी	-
गुजरात	जामनगर	श्री नटराज सेरामिक एंड केमिकल इंड. लि.	हाबरदी क्र.सं. 182	हाबरदी	-
गुजरात	जामनगर	श्री नटराज सेरामिक एंड केमिकल इंड. लि.	हाबरदी क्र.सं. 174	हाबरदी	-
गुजरात	जामनगर	विनोद जे. पान्ड्या	लाम्बा भाटिया	लाम्बा भाटिया	एन. ए.

1	2	3	4	5	6
गुजरात	जूनागढ़	दोलार राय मूलजी भाई थांकी	तुक्दा	तुक्दा (मियानी)	1741
गुजरात	जूनागढ़	नखिल कुमार आर. थांकी	केशव क्र.सं. 490	केशव	1077
गुजरात	जूनागढ़	नरेश पी. मेखोचा	विशवदा (50)	विशवदा	6153
गुजरात	जूनागढ़	नरेश पी. मेखोजा	विशवदा (30)	विशवदा	3195
गुजरात	जूनागढ़	सौराष्ट्र मिनरल (पी) लि.	पालखाड़ा	पालखाड़ा	7272
गुजरात	खेड़ा	अरविन्द कुमार जे. पबारी	अमृतपुर	अमृतपुर	200
गुजरात	खेड़ा	अरविन्द कुमार जे. पबारी	सावली	सावली	-
गुजरात	खेड़ा	अरविन्द कुमार जे. पबारी	सलोद	सलोद	-
गुजरात	खेड़ा	अरविन्द कुमार जे. पबारी	पोर्दा	पोर्दा	-
गुजरात	खेड़ा	दोशी नरेन्द्र कुमार जयसिंहलाल चिन्तामन	सोरना	सोरना	-
गुजरात	खेड़ा	जे. के. साधू	तय्यबपुर	तय्यबपुर	37
गुजरात	खेड़ा	जे. के. साधू	अमृतपुर	अमृतपुर	26
गुजरात	खेड़ा	जे. के. साधू	रोडवाली (तय्यपुर)	तय्यपुर	36
गुजरात	खेड़ा	जे. के. साधू	पोर्दा	पोर्दा	30
गुजरात	खेड़ा	मनोरइनवेस्टमेंन्ट्स कं. प्रा. लि.	कपाडवंज कस्बा	कपाडवंज	एन.ए.
गुजरात	खेड़ा	राजेश मंगललाल पटल	महेन्द्र	तय्यपुर	-
गुजरात	खेड़ा	श्रीमती पी. एच. जोशी	डाकोरवाडओल्ड	डाकोर	28
गुजरात	खेड़ा	श्रीमती पी. एच. जोशी	मातावाली	डाकोर	29
गुजरात	खेड़ा	श्रीमती पी. एच. जोशी	नाहरेवाली	डाकोर	21
गुजरात	खेड़ा	श्रीमती पी. एच. जोशी	पी.एच.डी. वाली	डाकोर	57
गुजरात	खेड़ा	विनोद कुमार जे. पबारी	सलोद 409/पी	सलोद 409/पी	254
गुजरात	खेड़ा	विनोद कुमार जे. पबारी	सलोद 438 (डुंगरी)	सलोद	156
गुजरात	खेड़ा	विनोद कुमार जे. पबारी	सलोद 439/पी हवलदार	सलोद 439/पी	-
गुजरात	खेड़ा	विनोद कुमार जे. पबारी	सलोद (ओल्ड)	सलोद	-
गुजरात	कच्छ	जी.एम.डी.सी.	गुनियासार	गुनियासार	-
गुजरात	कच्छ	जी.एम.डी.सी.	वान्ध 1		
गुजरात	कच्छ	जी.एम.डी.सी.	वान्ध 2		
गुजरात	कच्छ	गुजरात मिनरल डवलपमेंट कोरपोरेशन लि.	नरेदी 2	नरेदी-2	4226
गुजरात	कच्छ	गुजरात मिमरल डवलपमेंट कोरपोरेशन लि.	नांदरा	नांदरा	-

1	2	3	4	5	6
गुजरात	कच्छ	गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कोरपोरेशन लि.	रातादिया	रातादिया	175
गुजरात	कच्छ	ओरियंट अब्रेसिव लि.	राततालाब	मोती बलाचू	6825
गुजरात	साबरकांठा	श्रीमती बिमला बेन एस पटेल	धर्मेन्द्र	अमबलियरा	956
गुजरात	साबरकांठा	विजय कुमार अम्बु भाई पटेल	वाप	सुल्तानपुर	एन. ए.
कर्नाटक	बेलगाम	डालचन्द्र बहादुर सिंह	डिबीएस 'ए' और बोखुर	नौगे और हंगगिरगे	7070
कर्नाटक	बेलगाम	डालचन्द्र बहादुर सिंह	डिबीएस 'बी'	बिजगरनी और बोकनूर	900
केरल	कोल्लम	कावेरी केमिकल्स प्रा. लि.	कावेरी		4764
मध्य प्रदेश	बस्तर	एम.पी.स्टेट माइनिंग कार. लि.	केसल	कुवे	180
मध्य प्रदेश	बिलासपुर	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	फुटकापहाड़	पीपी फारेस्ट एरिया	57200
मध्य प्रदेश	जबलपुर	लक्ष्मीदास राम जी	टिकुरी रोड साइड	टिकुरी	96529
मध्य प्रदेश	जबलपुर	प्रहलाद राय अग्रवाल	साईकिया	सैकिया	एन. ए.
मध्य प्रदेश	जबलपुर	सत्यवान अग्रवाल	टिकारिया 28.31	टिकारिया	-
मध्य प्रदेश	जबलपुर	सावित्री मिनरल्स	टिकारिया	टिकारिया	एन. ए.
मध्य प्रदेश	जबलपुर	शंकरलाल विश्वकर्मा	पडवार	पडवार	-
मध्य प्रदेश	जबलपुर	सारदाप्रसाद जयसवाल	मोहला	मोहला	299
मध्य प्रदेश	जबलपुर	श्रीमती अरुणा देवी बजाज	पडवार	पडवार	820
मध्य प्रदेश	जबलपुर	श्रीमती शंकुतला गुप्ता	सरसवाही	सरसवाही	एन. ए.
मध्य प्रदेश	जबलपुर	श्रीमती शंकुतला कोहद	छपरा	छपरा	एन. ए.
मध्य प्रदेश	जबलपुर	टी सी डून्ने	बरगवान (2.750 है.)	बरगवान	8099
मध्य प्रदेश	कांडला	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	रक्तीदादर	खुरखरीदादर	36359
मध्य प्रदेश	कांडला	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	नन्हूदादर	करनजीए फोरस्ट रेंज	38057
मध्य प्रदेश	रेवा	असलाम हुसैन	टिकर	टिकर	15056
मध्य प्रदेश	रेवा	जयलाल भारतलाल	कुमहारा-जदूवानी	कुमहारा-जदूवानी	339
मध्य प्रदेश	रेवा	एम.पी. मिनरल सप्लाई कं.	कुमहारा-जदूवानी	कुमहारा-जदूवानी	1925
मध्य प्रदेश	रेवा	एम.पी. मिनरल सप्लाई कं.	सलैया	सलैया	2951
मध्य प्रदेश	रेवा	एम.पी. मिनरल सप्लाई कं.	चौरा	चौरा	1366
मध्य प्रदेश	रेवा	राकेश एजेंसीज	छुट्टी जागीर	छुट्टी जागीर	910

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	रेवा	राकेश एजेंसीज	कुमलारा जुडवानी	कुमलारा जुडवानी	-
मध्य प्रदेश	सतना	बंसल खनिज उद्योग	बिजाहरी	बिजाहरी	30
मध्य प्रदेश	सतना	बंसल खनिज उद्योग	कुशियारा	कुशियारा	720
मध्य प्रदेश	सतना	बंसल खनिज उद्योग	रसोईया 40एसी	रसोइया	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	हरीया मिनरल सप्लाई कं.	सरभंगा 84.28 एसी	सरभंगा	-
मध्य प्रदेश	सतना	हरीश मिनरल सप्लाई कं.	सरभंगा 42.64 एसी	सरभंगा	-
मध्य प्रदेश	सतना	हरीश मिनरल सप्लाई कं.	कोठारकोठर	कोठारकोठार	-
मध्य प्रदेश	सतना	हरीश मिनरल सप्लाई कं.	जोकार	सीकर	-
मध्य प्रदेश	सतना	हीरालाल रामेश्वर प्रसाद	खदरी 40 एमाइन	खदरी	560
मध्य प्रदेश	सतना	इस्माइल एंड संस	कुबरी नं. 2	कुबरी	एन. ए.
मध्य प्रदेश	सतना	कृष्णादास टीकाराम	अर्गत (6.00)	अर्गत	-
मध्य प्रदेश	सतना	कृष्णादास टीकाराम	अर्गत (6.00ए)	अर्गत	174
मध्य प्रदेश	सतना	कुंजीलाल ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल	बोराई	बोराई	एन. ए.
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	घाटानिया (13.43)	घाटानिया	4214
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	नौगांव 23.60	नौगांव	-
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	घाटानिया (11.84) अब 9.50	घाटानिया	375
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	मोरगढ़		14883
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	हुकूत	हुकूत	एन. ए.
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	कोठारा-कोठार	कोठाराकोठार	-
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	सिद्ध कोठर	सिद्ध कोठर	447
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	मुकुट (4.75)	मुकट	30
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	घाटानिया (4.15)	घाटानिया	241
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	उदाली	उदाली	1188
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	नौगांव 19.09		-
मध्य प्रदेश	सतना	एम. पी. मिनरल सप्लाई कं.	चन्नेहरा		टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	मध्य भारत मिनरल प्रोसेसिंग प्रा. कं.	करियादेवरी	करियादेवरी	108 (नया)
मध्य प्रदेश	सतना	मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार. लि.	नैरो हिल	मधवाझर	4489
मध्य प्रदेश	सतना	मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार. लि.	तामर	तामर	14879
मध्य प्रदेश	सतना	मेकल मिनरल	करिगोही (5.24)	करिगोही	140
मध्य प्रदेश	सतना	मुंगहारी			620
मध्य प्रदेश	सतना	मुख्तार अहमद सिद्दीकी	सरभंगा (25.00)	सरभंगा	-

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	सतना	निसार अहमद सिद्दीकी	सरभंगा 25 एसी	सरभंगा	-
मध्य प्रदेश	सतना	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	सूरोन (35 ए)	सूरोन	-
मध्य प्रदेश	सतना	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	सूरोन (25 ए)	सूरोन	-
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	सिद्धकोठर 30.00	सिद्धकोठर	2543
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	पागरकलां	पागरकलां	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	नौगांव 27.50	नौगांव	
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	नौगांव 16.13 (8.08)		टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	सरभंगा के न. 7		टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	बवाई (बोरूई)	बोरूई	808
मध्य प्रदेश	सतना	राकेश एजेंसीज	सरभंगा नं. 7	सरभंगा	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	पामरिया (83)	नौगांव	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	सरभंगा	सरभंगा	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	अमूवा	अमूवा	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	पुख्ता			5810
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	सुरेहटी	नौगांव	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	पामरिया (81/82)	नौगांव	475
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	छोटी पामरिया	नौगांव	टी. डी.
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	घटनिया	घटनिया	210
मध्य प्रदेश	सतना	रामचन्द्र बंसल	बटहरा	बटहरा	545
मध्य प्रदेश	सतना	सिवोरतनलाल अग्रवाल	पागरकल्ला (21.19ए)	पागरकल्ला	एन. ए.
मध्य प्रदेश	सहडोल	हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि.	अमरकंटक	अमरकंटक	51213
मध्य प्रदेश	सिधि	कृष्णदास टीकाराम	बीरपुर (6.014ए)	बीरपुर	161
मध्य प्रदेश	सिधि	कृष्णदास टीकाराम	नईकिन (10.82)	नाईकिन	1859
मध्य प्रदेश	सिधि	कृष्णदास टीकाराम	नईकिन (2.84)	नाईकिन	1270
मध्य प्रदेश	सरगुजा	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	मैनपट	कमलेश्वरपुर	152850
मध्य प्रदेश	सरगुजा	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	कुडग	कुडग	12756
मध्य प्रदेश	सरगुजा	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार. लि.	मैनपट	बरीमा	110251
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इंडियन एल्युमिनियम कं. लि.	कासरसदा	भोगोली	13473
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इंडियन एल्युमिनियम कं. लि.	इंदरंज		16
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इंडियन एल्युमिनियम कं. लि.	दुर्धावड़ी	पडसाली	554907
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इंडियन एल्युमिनियम कं. लि.	नागरटसवडी	अवंडी, अम्बोली	-
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	पद्मावती माइनिंग कंपनी	कसरडे	कसरडे	826

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	स्वाति मिनरल्स	उडागिरि	उडागिरि	253700
उड़ीसा	कोरापट्ट	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	पंचमटमाली	पंचमटमाली	26616586
उड़ीसा	सुन्दरगढ़	उड़ीसा इंडस्ट्रीज लि.	तांत्र	तांत्र	एन. ए.
उड़ीसा	सुन्दरगढ़	रूंपटा संस (प्रा.) लि.	सन इंदपुर	सन इंदपुर	-
उड़ीसा	सुन्दरगढ़	सुरेन्द्र नाथ मोहंती	केजेएसटी	जलदीही	-
तमिलनाडु	नामाक्कल	एल. नागामुराली	गोथा	अरियूर नाडु	14380
तमिलनाडु	नीलगिरिस	आर. मुथ्थुस्वामीपुत्र रंगास्वामी	कामधेनु	थुम्मापट्टी	27179
तमिलनाडु	नीलगिरिस	एस. मोहम्मद हुसैन	एल्युमिना	इलादा, कोडानाड कं. गिरि	एन. ए.
तमिलनाडु	सलेम	मद्रास एल्युमिनियम कं. लि.	सेवराय	यौरकौड	119769
तमिलनाडु	सलेम	मद्रास एल्युमिनियम कं. लि.	कोल्ली हिल्स (1583)	सेलूरनाडु	74346
तमिलनाडु	सलेम	मद्रास एल्युमिनियम कं. लि.	कोल्ली हिल्स (736)	वजहानवधा नाडु	-
तमिलनाडु	सलेम	मद्रास एल्युमिनियम कं. लि.	कोल्ली हिल्स (408)	अरियूर नाडु	-

पी. : अनंतिम — : शून्य उत्पादन

एन. ए. : रिर्टन प्राप्त नहीं हुई। टी. डी. : अस्थाई रूप से रोक दिया गया।

पश्चिम बंगाल में विमान सेवाएं पुनः आरंभ करना

3354. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में दिनहादा, बेलूरघाट और मालदा के लिए एलाइंस एयर लाइंस की विमान सेवाएं पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा जेट विमान बेड़े के साथ प्रचालन के लिए इन सैक्टरों पर पर्याप्त यातायात नहीं है। कम क्षमता के विमानों की कमी और संबंधित प्रचालन कर्मीदल को भी इन मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा सेवा के प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाती है। निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता के आधार पर अपने नेटवर्क में कूच-बिहार, बलूरघाट और मालदा जैसे नए स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एस. ए. सी और एम. बी. टी. परियोजना पर अमरीकी प्रतिबंधों का प्रभाव

3355. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अमरीका के निर्णय से पहले से विलम्बित हल्के लड़ाकू विमान और मुख्य अर्जुन युद्ध टैंक पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक;

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस सहायता में किस हद तक कटौती किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे हमारे सैन्य प्रणलियों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) इन प्रतिबंधों से मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन तथा हल्का लड़ाकू विमान कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर मामूली प्रभाव को राष्ट्रीय दल द्वारा सघन प्रयासों के जरिए दूर किया जा रहा है।

(ग) भारत को सैन्य सामान की बिक्री बंद कर दी गई है। अमरीकी युद्ध सामग्री-सूची के अंतर्गत वाणिज्यिक बिक्री के लिए निर्यात का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया है। कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित दोनों सेनाओं के बीच के कार्यक्रम तथा एक-दूसरे के यहां सरकारी दौरों को रोक दिया गया है।

(घ) अमरीकी सरकार चालू रक्षा अनुसंधान एवं विकास

कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित कुछ पुर्जों, उप-एसेम्बलियों तथा परीक्षण उपकरण देने के लिए इंकार कर सकती है। वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण मदों का स्वदेश में विकास करने हेतु पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

आगरा निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्री

3356. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सायं 7.35 पर निजामुद्दीन से आगरा कैंट को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर काफी कम संख्या में यात्री जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और ज्यादा राजस्व कमाने के लिए तथा दैनिक यात्रियों की सुविधा देखते हुए उक्त रेलगाड़ी के प्रस्थान समय में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) आगरा और निजामुद्दीन के बीच यह गाड़ी बहुत लोकप्रिय है। विगत गणना के अनुसार इस गाड़ी का अधिभोग 95% था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 4003/4004 निजामुद्दीन-आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस की समय सारणी में परिवर्तन के बारे में रेलों से कोई मांगें नहीं है। परिचालिक कठिनाइयों के कारण इस गाड़ी के प्रस्थान समय और परिवर्तन फिलहाल व्यवहार्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं के रिक्त पद

3357. श्री मोहन रावले : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं के रिक्त पदों के बारे में 23.7.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अक्तूबर, 1996 से पूर्व कार्यपालक अभियंताओं के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नतियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 29 अक्तूबर 1996 के कार्यपालक अभियंता के ग्रेड में हुई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कार्यपालक इंजीनियरों के ग्रेड में 29.10.96 से पूर्व की रिक्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। चेन्नई के प्रशा. अधिकरण ने श्री आनन्द्रम और अन्य (ओ ए सं. 295/95, 493/95) के मामले में अपने दिनांक 4.9.97 के निर्णय में पहले की गई नियमित प्रोन्नतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है क्योंकि डिप्लोमाधारी सहायक इंजीनियर की प्रोन्नतियां 1972 में यथा संशोधित भर्ती नियमावली 1954 में निर्धारित "रिकार्ड में उत्कृष्ट पात्रता के पात्रता" मानदंड, जिसे उच्चतम न्यायालय ने जे. एन. गोयल और अन्य के मामले (1990 की सिविल अपील सं. 5363) में अपने दिनांक 14.1.97 के निर्णय में सही ठहराया है, कि अनुसार नहीं की गई है। दिनांक 23.7.97 के अतारांकित प्रश्न सं. 138 के उत्तर में उल्लिखित नियमित प्रोन्नति के लिए पहले के प्रस्ताव को संघ लोक सेवा आयोग से वापस ले लिया कार्यपालक इंजीनियर (सि) के ग्रेड में 1980 के बाद और कार्यपालक इंजीनियर (ई) के ग्रेड में 1977 के बाद पहले ही की जा चुकी नियमित प्रोन्नतियों की समीक्षा के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को 12.5.98 को भेजा दिया गया है। 1994-95 से 28.10.96 तक की गई तदर्थ प्रोन्नतियों को नियमित करने के लिए भर्ती नियमावली के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को अलग प्रस्ताव भेजा गया है क्योंकि ये संशोधन से पूर्व विद्यमान थे। संघ लोक सेवा आयोग ने विभागीय प्रोन्नति समिति अभी नहीं बुलाई है।

(ग) और (घ) प्रधान पीठ, के प्रशा. अधिकरण दिल्ली ने अपने दिनांक 12.5.98 (ओ. ए. सं. 146/97 में एम ए सं. 505/98 एम ए 591/98) के आदेश में निर्देश दिया है कि 29.10.96 के बाद की अवधि की रिक्तियों, जिन्हें 1995 की भर्ती नियमावली के अनुसार भरा जाएगा, पर प्रोन्नतियां करने से पहले 1996 से पूर्व की सभी रिक्तियों को 1954 के भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाए। 29.10.96 के बाद की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया, 1993-94 तक पहले की गई प्रोन्नतियों और उसके पश्चात् 1994-95 से 28.10.96 की रिक्तियों पर की गई नियमित प्रोन्नतियों की समीक्षा पूरी होने के बाद ही की जाएगी।

भुवनेश्वर विमानपत्तन

3358. श्री खारबेल स्वाइन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भुवनेश्वर विमानपत्तन के आसपास कई बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन के मालिकों ने इन निर्माण कार्यों को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने विमानपत्तन की सुरक्षा और उसके कार्यकरण के संबंध में बनाए गए विनियमों का उल्लंघन किया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। आवश्यक अनुमति पहले ही क्रमशः अप्रैल, 1997 और जनवरी, 1998 में दे दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर आवास योजना

3359. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक पंजीकृत व्यक्तियों को श्रेणीवार कुल कितने फ्लैट आबंटित किए गए;

(ग) पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन शीघ्र न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों की संख्या 20,000 है।

(ख) पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक आबंटित फ्लैटों की श्रेणीवार कुल संख्या इस प्रकार है:

एम आई जी - 2111

एल आई जी - 3192

जनता - 2988

(ग) और (घ) डी डी ए ने सूचित किया है कि भूमि की उपलब्धता में कमी तथा बिजली और पानी जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं, को देखते हुए, जो अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जानी हैं, ऐसी स्थिति में सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के आंबटन की समय सारणी दर्शाना संभव नहीं है।

पनधारा परियोजनाएं

3360. श्री एच. जी. रामुलू : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान राज्यवार कितनी पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की कुल लागत कितनी-कितनी है; और

(ग) 1998-99 के दौरान राज्यवार कितनी पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) बंजरभूमि विकास विभाग पनधारा (वाटरशेड) नाम से परियोजनाएं स्वीकृत नहीं करता है। तथापि, वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार क्रियान्वित किए जाने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) स्कीम के तहत वर्ष 1997-98 के दौरान 45 समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान स्वीकृति दिए जाने के लिए प्रस्तावित वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) जिला परिषदों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों तथा वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ उनकी अनुरूपता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

	जिले का नाम	कुल लागत (लाख रुपये में)
	1	2
आंध्र प्रदेश		
1.	चित्तूर (परियोजना-4)	450.00
2.	मेडक	496.48
3.	निजामाबाद (परियोजना-2)	500.00
4.	श्रीकाकुलम	500.00
5.	कुडप्पा (परियोजना-2)	500.00
अरुणाचल प्रदेश		
1.	पश्चिम कामेंग	60.00
असम		
1.	कारबी आंगलोंग	245.20
गुजरात		
1.	जूनागढ़	480.00
हिमाचल प्रदेश		
1.	सोलन (परियोजना-2)	499.52
2.	सिरमौर	499.00
हरियाणा		
1.	पानीपत	478.88
जम्मू और कश्मीर		
1.	ऊधमपुर (परियोजना-2)	500.00

1	2
कर्नाटक	
1. मांड्या (परियोजना-2)	500.00
2. गुलबर्गा	474.00
3. चित्रदुर्गा	500.00
4. बेल्लारी	485.60
महाराष्ट्र	
1. पारभानी	381.60
मणिपुर	
1. इम्फाल (पश्चिम)	267.00
2. सेनापति	55.72
3. सेनापति (परियोजना-2)	400.00
मध्य प्रदेश	
1. गुना	243.60
2. सियोनी	280.00
3. नरसिंगपुर.	280.00
4. मंदसौर	280.00
5. गूना (परियोजना-2)	337.96
नागालैंड	
1. मोकोचुंग	480.00
उड़ीसा	
1. झारसुगुडा	288.64
2. कालाहांडी (परियोजना-3)	493.48
3. बलांगिरि (परियोजना-2)	496.00
4. कोरापुट (परियोजना-4)	481.80
5. मयूरभंज	496.00
6. ढेनकनाल (परियोजना-3)	244.64
राजस्थान	
1. झुनझुनु	168.00
2. झालावार (परियोजना-2)	394.24
सिक्किम	
1. पूर्व सिक्किम (परियाजना-3)	222.76
2. उत्तर सिक्किम (परियोजना-2)	480.00
तमिलनाडु	
1. डिंडिगुल	200.00
उत्तर प्रदेश	
1. उन्नाव	481.64
2. टिहरी गढवाल	484.76
3. सोनभद्र	404.26
4. रायबरेली (परियोजना-2)	484.00
5. उन्नाव (परियोजना-2)	482.16
6. सुल्तानपुर	481.56
7. झांसी (परियोजना-2)	495.00
8. झांसी (परियोजना-3)	400.00

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा विज्ञापन संबंधी सहायता

3361. श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री विजय कुमार 'विजय' :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा किन-किन पत्र-पत्रिकाओं, स्मारिकाओं को विज्ञापन संबंधी सहायता दी गई;

(ख) यह विज्ञापन किस दर पर दिए गए थे;

(ग) पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ पत्रिकाओं को सहायता न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी पत्रिकाओं को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) पर्यटन को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पत्रिकाओं को विज्ञापन संबंधी सहायता दी जाती है जो दो विमानकंपनिगों द्वारा निर्धारित परिचालन/पाठ्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तथापि,

बजटीय अवरोधों के कारण, पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सभी पत्रिकाओं को विज्ञापन सहायता देना व्यवहार्य नहीं है।

राजस्थान में रेल लाइनों का आमान परिवर्तन

3362. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में छोटी मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित करने संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास गत तीन वर्षों से लंबित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) फिलहाल, राजस्थान में निम्नलिखित परियोजनाएं लंबित हैं :

1. श्रीगंगानगर - सरूपसर का आमान परिवर्तन

2. रेवाड़ी - सादुलपुर का आमान परिवर्तन

इन कार्यों को बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है परंतु योजना आयोग और आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को शुरू किया जाना है जिसके लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

दिल्ली के नजदीक हवा में विमानों का टकराना

3363. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्ष से अधिक समय पूर्व आधी रात के वक्त दिल्ली के नजदीक हुई वायु दुर्घटना की जांच किस चरण में है;

(ख) अनावश्यक देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक जांच पूरी कर ली जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) 12 नवबंर, 1996 को दिल्ली के निकट चरखी दादरी में सऊदी अरेबियाई बोइंग-747 और कजाखिस्तान आईएल-78 विमान के बीच मध्य आकाश में हुई टक्कर की जांच (जो दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी द्वारा की गई) पहले ही पूरी हो चुकी है। जांच पड़ताल द्वारा जुलाई, 1997 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। जांच अदालत द्वारा की गयी जांच में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ था।

ओझा समिति का प्रतिवेदन

3364. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओझा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सिफारिशों का क्रियान्वयन कोंकण रेल निगम द्वारा पूरी-पूरी तरह से किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जस्टिस ओझा समिति ने कोंकण रेलवे द्वारा अपनाए गए संरेखण की पुष्टि करते समय अतिरिक्त इनपुट यथा पुल निकास, सड़क क्रासिंग, भूमि दायरे, बाड़ आदि में वृद्धि की सिफारिश की थी। सिफारिशों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

	सिफारिश		की गई कार्रवाई
1.	मिट्टी संबंधी कार्यों में कमी करने के लिए जुआरी और माण्डोवी पुलों के वायडक्टों को बढ़ाकर जल निकासी मार्गों में वृद्धि।	1.	पूर्णत: अनुपालन किया गया।
2.	ओल्ड गोवा सुरंग को यथासंभव रेलवे भूमि में स्थानांतरित करना।	2.	अनुपालन किया गया। एक मोड़ की व्यवस्था की गई है और यथासंभव सीमा तक संरेखण स्थानांतरित किया गया है और पूरी सुरंग में क्रंकीट की दीवार और छत की व्यवस्था की गई है।
3.	दीवार द्वीप में और मिट्टी हटाना बंद करना।	3.	अनुपालन किया गया। जस्टिस ओझा समिमि की रिपोर्ट के बाद दीवार द्वीप में मिट्टी नहीं खोदी गई है।
4.	अलग-थलग स्थलों पर मडगांव और उत्तोरडा के बीच रेलपथ के साथ-साथ बाड़ लगाना।	4.	अनुपालन किया गया। जहां कहीं अपेक्षित था, चहारदीवारी का निर्माण किया गया है।

सिफारिश		की गई कार्रवाई
5.	उत्तोरडा, मजौरडा, कलाडा, नूवेम, बेतूल, फेरिलैम, दूवेरालियाम और मडगांव में ऊपरी पुलों और ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण।	5. अनुपालन किया गया। जस्टिस ओझा समिति की सिफारिशों के अनुसार ऊपरी पैदल पुलों और ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था कर दी गई है।
6.	क्रास जलनिकासी व्यवस्था के लिए पर्याप्त जल निकासी मार्गों की व्यवस्था।	6. अनुपालन किया गया। पर्याप्त क्राम जल निकासी की व्यवस्था की गई है।
7.	संकरी खाड़ी में नौकाओं के संचलन के लिए बनाए गए पुलों हेतु अतिरिक्त निकासी।	7. अनुपालन किया गया।
8.	कृषकों द्वारा उनकी खाद सामग्री और पशु लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त मार्ग और रास्ते।	8. जहां कहीं औचित्यपूर्ण था, आरसीसी पाइपों को स्लैब गर्डरों से बदल दिया गया है।

(ख) जस्टिस ओझा समिति की सभी सिफारिशें लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत पर कोंकण रेलवे द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र की बिक्री का लक्ष्य

3365. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा विभिन्न उत्पादों की बिक्री के संबंध में कितना लक्ष्य रखा गया था तथा उसकी प्राप्ति कहां तक की गई; और

(ख) करों तथा उपकर के रूप में बिहार सरकार पर कुल कितनी राशि बकाया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 (मई, 98 तक) के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के कच्चे लोहे और विक्रेय इस्पात के संबंध में घरेलू बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई है:

(इकाई : हजार टन)

मद	1997-98		1998-99 (मई, 1998 तक)	
	लक्ष्य	घरेलू बिक्री	लक्ष्य	घरेलू बिक्री
कच्चा लोहा	101	189.9	18	31
विक्रेय इस्पात	2730.0	2422.8	282.2	305.9

(ख) करों और उपकरों के रूप में बिहार सरकार को कोई राशि देय नहीं है। तथापि विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष केन्द्रीय बिक्री कर/बिहार बिक्री कर के संबंध में कुछ मामले लम्बित हैं।

[अनुवाद]

विक्रांत संग्रहालय योजना

3366. श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युद्धपोत 'आई एन एस विक्रांत' को नौसेना स्मारकों के संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखने का है;

(ख) क्या इसे नीलामी के द्वारा कबाड़ियों को दे दिए जाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भा. नौ. पो. विक्रांत को मैरिटाइम म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किए जाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान में मिग-29 दुर्घटनाग्रस्त

3367. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान (मिग-29) 4 जून, 1988 को राजस्थान में जैसलमेर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें हताहत असैनिकों और सैनिकों की संख्या क्या थी तथा संपत्ति की कितनी हानि हुई थी;

(घ) प्रत्येक पीड़ित को कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) 04 जून, 1998 को जैसलमेर के निकट भारतीय वायुसेना का कोई भी मिग-29 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। तथापि, इसी दिन जैसलमेर के निकट एक मिग-21 वायुयान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब भारतीय वायुसेना के एक पायलट को एक चार वायुयानों के अभ्यास में नं. 2 के रूप में पोखरण रेंज पर उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया था। वह पायलट जब तीसरा चक्कर लगा रहा था तब अन्य सदस्यों ने आक्रमण की दिशा में आग का एक बड़ा गोला देखा जिसकी बाद में नं. 2 वायुयान के रूप में पहचान की गई।

इस दुर्घटना में पायलट को छोड़कर अन्य कोई सिविलियन/सैनिक हताहत अथवा घायल नहीं हुआ था। इसमें सिविल संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई थी।

मृतक पायलट के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि तथा मृत्यु हो जाने पर मिलने वाले लाभ दिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) तथा (च) जी हां। तथापि, साक्ष्य ने मिलने के कारण जांच अदालत दुर्घटना के स्पष्ट कारणों का पता लगाने में असमर्थ रही है क्योंकि वह वायुयान दुर्घटना के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती में धोखाधड़ी

3368. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कुछ सेना के अधिकारियों की मिलीभगत से सशस्त्र सेनाओं में भर्ती में धोखाधड़ी किए जाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और भविष्य में ऐसे अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भर्ती किए जाने में तथाकथित धोखाधड़ी के संबंध में सात व्यक्तियों के गिरफ्तार होने के बारे में लखनऊ में दिनांक 27.4.98 को प्रकाशित समाचार पत्रों में कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे। इस बारे में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

देश में रेल फाटक

3369. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौकीदार सहित और चौकीदार रहित रेलवे फाटकों की राज्यवार तथा जोनवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे रेलवे फाटकों पर हुई रेल दुर्घटनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण चौकीदार रहित रेलवे फाटकों का होना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में अधिक चौकीदार रहित और चौकीदार सहित रेलवे फाटकों को खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) देश में चौकीदार वाले 16218 और चौकीदार रहित 24299 समपार हैं। राज्यवार और जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य	समपारों की संख्या		रेलवे	समपारों की संख्या	
	चौकीदार वाले	चौकीदार रहित		चौकीदार वाले	चौकीदार रहित
1	2	3	4	5	6
असम	385	1040	मध्य		
आंध्र प्रदेश	1199	1546	पश्चिम मध्य	1809	1665
बिहार	1345	2027	पूर्व	1301	992
दिल्ली	56	5	उत्तर		
गुजरात	1490	2928	उत्तर मध्य	3179	4399
हरियाणा	534	519	पूर्वोत्तर		
हिमाचल प्रदेश	45	290	पूर्व मध्य	1528	3254
जम्मू और कश्मीर	16	36	पूर्वोत्तर सीमा	662	1668
कर्नाटक	667	1067	दक्षिण		
केरल	413	227	दक्षिण पश्चिम	2194	2560

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	1243	1767	दक्षिण मध्य	1511	2014
महाराष्ट्र	1135	1538	दक्षिण पूर्व		
मणिपुर	1	1	पूर्व तटीय	1030	3620
मिजोरम	1	1			
उड़ीसा	268	1131	पश्चिम		
पंजाब	744	1053	उत्तर पश्चिम	3004	4127
राजस्थान	1405	2225	जोड़	16218	24299
तमिलनाडु	1258	1566			
त्रिपुरा	1	36			
उत्तर प्रदेश	2867	3702			
प. बंगाल	1114	1579			
चंडीगढ़	6	2			
पांडिचेरी	9	9			
गोवा	14	3			
नागालैंड	2	1			
जोड़	16218	24299			

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर दुर्घटना संबंधी आंकड़े रेलवे जोनवार रखे जाते हैं और राज्यवार नहीं। विगत तीन वर्षों में चौकीदार वाले और चौकीदार रहित समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के जोनवार आंकड़े निम्नानुसार हैं :

रेलवे	1995-96		1996-97		1997-98		जोड़	
	चौ. वा.	चौ. र.	चौ. वा.	चौ. र.	चौ. वा.	चौ. र.	चौ.वा.	चौ. र.
मध्य	2	4	4	2		1	6	7
पूर्व	2	-	4	1	1	-	7	1
उत्तर	5	9	4	6	3	10	12	25
पूर्वोत्तर	1	4	1	11	2	8	4	23
पूर्वोत्तर सीमा	1	2	-	-	2	2	3	4
दक्षिण	2	11	1	10	1	9	4	30
दक्षिण मध्य	2	9	2	8	1	6	5	23
दक्षिण पूर्व	1	2	2	2	4	5	7	9
पश्चिम	-	9	2	4	2	9	4	22
मेट्रो	-	-	-	-	-	-	-	-
कोंकण	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	16	50	20	40	16	50	52	144

चौ. वा. - चौकीदार वाले चौ. र. - चौकीदार रहित

(घ) चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाएं मुख्यत: सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं जो इन गेटों पर उपलब्ध सड़क चिन्हों और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में अंतर्विष्ट शर्तों पर भी ध्यान देने में असफल रहते हैं।

चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलों द्वारा निम्नानुसार उपाय किए गए हैं :

1. समपार के पहुंच मार्गों पर समुचित सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को समपार फाटक की मौजूदगी की जानकारी मिल सके।

2. समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधकों/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को गति धीमी करने की याद आ सके।

3. समपारों के पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। समपार फाटक पर गाड़ी गुजरते समय गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बोर्ड से सीटी बजाना अपेक्षित होता है कि ताकि आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ता को सावधान किया जा सके। यह जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं कि क्या ड्राइवर वास्तव में सीटी बोर्ड से सीटी बजाता है।

4. बिना चौकीदार वाले समपार फाटकों पर संरक्षा में सुधार के लिए कुछ चुनिन्दा समपार फाटकों पर परीक्षण के आधार पर प्रोटोटाइप इलैक्ट्रानिक श्रव्य-दृश्य चेतावनी उपकरण लगाए गए हैं।

5. सड़क उपयोगकर्ता अभी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तीव्र गति से अनभिज्ञ हैं। 90 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चल रही गाड़ी प्रति सेंकड 25 मीटर कवर करती है। यद्यपि सड़क उपयोगकर्ता यह समझता है कि गाड़ी 150 मीटर दूर है तथापि समय की दृष्टि से यह केवल 6 सेकंड दूर होती है। विभिन्न प्रचार उपायों से इस संदेश को उन तक उत्तरोत्तर रूप से पहुंचाया जा रहा है।

6. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टीवी पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

7. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं। अत: राज्य सरकारें, ड्राइवर लाइसेंस विशेषतया ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के चालकों को जारी करते समय गहन

जांच करके सहायता कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सभी मुख्य सचिवों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

9. योजनाबद्ध आधार पर अत्यधिक यातायात के घनत्व वाले समपारों को उत्तरोत्तर रूप से सिगनलों से अंतर्पाशित किया जा रहा है।

10. समपार फाटकों को अंतर्पाशित करने के अलावा, सभी चौकीदार वाले समपार फाटकों पर उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन की भी व्यवस्था की जा रही है।

11. गेटमैन की सतर्कता की जांच के लिए नियमित रूप से अचानक जांच और रात्रि निरीक्षण किए जाते हैं।

12. रेल जन सतर्कता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

13. ग्राम पंचायत कार्यालयों में समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त हुई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

14. रिटेल पैट्रोल पंपों पर समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए आईओसी/एचपीसी/बीपीसी से भी अनुमति प्राप्त हो गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, हां। 'निक्षेप' शर्तों पर चार नये चौकीदार वाले समपारों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं। राज्यवार और जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	समपारों की संख्या	रेलवे	समपारों की संख्या
असम	1	उत्तर	
केरल	2	उत्तर-मध्य	1
उत्तर प्रदेश	1	पूर्वोत्तर सीमा	1
		दक्षिण	
		दक्षिण पश्चिम	2
जोड़	4		4

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण

3370. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे साइकिल स्टैंड के ठेकेदारों ने न्यूटाउन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की रेलभूमि के समूचे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है;

(ख) कब से इस रेल भूमि का अतिक्रमण हुआ है; और

(ग) रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रेलवे में तदर्थ नियुक्तियां

3371. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में तदर्थ नियुक्तियां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिसंबर, 1994 से जून, 1996 और जुलाई, 1996 से दिसम्बर, 1997 के बीच श्रेणीवार ऐसी नियुक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति

3372. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेल यात्री सेवा एजेंट नियुक्त किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंटों की नियुक्ति के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) इस समय भारतीय रेलों पर 645 रेल यात्री सेवा एजेंट कार्यरत है। रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति की शर्तें रेल यात्री सेवा एजेंट नियमों में दी गई हैं जिसे 5.12.1985 के गजट अधिसूचना सं. 579 के तहत अधिसूचित तथा 26.5.93 की अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया था।

योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है :

(i) आवेदक के पास आयकर क्लियरेंस का नवीनतम प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(ii) आवेदक के पास शहर में पर्याप्त सुविधाओं वाला सही ढंग से अनुरक्षित कार्यालय और परिसर होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में ग्राहक समा सकें।

(iii) आवेदक नैतिक चरित्रहीनता वाले आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए।

लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने का शुल्क 1200/- रुपये और उसी स्टेशन पर किसी भी अतिरिक्त लाइसेंस का शुल्क 600/- रुपये होगा।

लाइसेंस जारी करने या उसका नवीकरण करने का प्रत्याभूति निक्षेप (सिक्योरिटी डिपाजिट) 5000/- रुपए नकद और इसके अतिरिक्त 15,000/- रुपए की बैंक गारंटी होगी। उक्त निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

ऐसे लाईसेंस की अवधि 3 (तीन) वर्ष की होगी और इसके समापन के बाद नवीकरण कराया जा सकता है।

विदेशी एयरलाइनों द्वारा सेवाओं का विस्तार

3373. श्री रामदास आठवले : क्या नागर **विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विदेशी एयरलाइनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन एयरलाइनों का विचार अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है और विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए वायु मार्ग कौन-कौन से हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारत के लिए/से होकर प्रचालन करने वाली विदेशी विमान कंपनियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) जबकि इनमें से कुछ विमान कंपनियों को अतिरिक्त यातायात अधिकार प्रदान किये गये हैं, वास्तविक रूप से और अधिक उड़ानों का लगाया जाना संबंधित विमान कंपनियों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

उन विमान कंपनियों के नाम जो भारत के लिए/से होकर प्रचालन कर रही हैं-

1. एयरोफ्लोट
2. एयर फ्रांस
3. एयर मारीशस
4. अलितालिया
5. एयर उक्रेन
6. एरियाना अफगान एयरलाइंस
7. एयर लंका
8. एयर मालदीव
9. एयर सैशल्स
10. ऑल निपोन एयरवेज
11. अर्मेनिया एयरलाइंस
12. एशियाना एयरलाइंस
13. ऑस्ट्रियन एयरलाइंस
14. बेलीव्यू एयरलाइंस
15. ब्रिटिश एयरलाइंस
16. रायल ब्रुनई एयरलाइंस
17. बीमान बंगलादेश एयरलाइंस
18. सी पी ए (कैथे पैसिफिक एयरवेज)
19. डेल्टा
20. ड्रुक एयर
21. एल आल (एयरलाइन आफ इजराइल)
22. इजिप्ट एयर
23. इथोपियन एयरलाइंस
24. इमीरेट्स अमीरात
25. गल्फ एयर
26. ईरान एयर
27. जापान एयरलाइंस
28. के एल एम
29. केन्या एयरवेज
30. कोरियन एयर
31. कुवैत एयरवेज
32. किर्गिस्तान एयरलाइंस
33. लुफ्थांसा
34. एम ए एस (मलेशियन एयरलाइंस)
35. मिडल ईस्ट एयरलाइंस

36. नार्थ वेस्ट एयरलाइंस
37. ओमान एयर
38. पी आई ए (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस)
39. क्वांटास
40. कतर एयरवेज
41. रायल जोर्डियन
42. आर एन एसी (रायल नेपाल एयरलाइंस)
43. स्कैंडिनेवियन एयरवेज सिस्टम
44. सऊदिया
45. सिरियन अरब एयरलाइंस
46. सिंगापुर एयरलाइंस
47. साऊथ अफ्रीकन एयरवेज
48. स्विस एयर
49. टोरोम
50. थाई एयरवेज
51. तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस
52. यूनाईटेड एयरलाइंस
53. उजबेकिस्तान एयरवेज
54. यूमेनिया

[अनुवाद]

विश्राम कक्ष का प्रभार

3374. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल विश्राम कक्षों की दरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस वृद्धि के खिलाफ कोई पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्रामकक्षों के प्रभार 1.1.1998 से पहले ही संशोधित कर दिए गए हैं। विश्राम कक्षों के प्रभार शहर के स्तर, स्टेशन के आसपास के होटलों में लिए जा रहे प्रभारों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए गए थे, प्रभारों में संशोधन करते समय, रेलों को कतिपय अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की भी सलाह दी गई है;

(ग) इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में रक्षा मंत्रालय की भूमि

3375. श्री के. पी. नायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सिकन्दराबाद और हैदराबाद छावनियों में रक्षा मंत्रालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में आंध्र प्रदेश के साथ पत्राचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि के बदले भूमि के आधार पर रक्षा मंत्रालय की भूमि के आदान-प्रदान के लिए राज्य सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा रक्षा भूमि नीति के अनुसार रक्षा भूमि का अंतरण 'भूमि के लिए भूमि' के सिद्धांत पर नहीं अपितु 'समतुल्य मूल्य पर भूमि की अदला-बदली' के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य सरकार को इसकी जानकारी सितंबर, 1997 में दे दी गई थी।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3376. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंदिया से जबलपुर तथा बालाघाट से कटांगी तिरोरी के आमान परिवर्तन की आधारशिला तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा 17 नवंबर, 1997 को क्रमशः बालाघाट (म.प्र.) तथा गोंदिया (महाराष्ट्र) में रखी गई;

(ख) यदि हां, तो आधारशिला रखने के बाद क्या प्रगति हुई;

(ग) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान उपर्युक्त आमान परिवर्तन कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उपर्युक्त आमान परिवर्तन को नौंवी योजना में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक उक्त आमान परिवर्तन कार्यो को शुरू होने और पूरा कर लेने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) बालाघाट-कटंगी सहित गोंदिया-जबलपुर का आमान परिवर्तन शुरू करने हेतु अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। बड़ी लाइन के अनुकूल अपेक्षित बदलाव तय करने के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। कार्य अभी उन मार्गों पर शुरू किया जा रहा है जहां संरेखण में परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक कटंगी से तिरोही (20 कि.मी.) लाइन के विस्तार का संबंध है एक टोहो इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण रपट उपलब्ध होने के पश्चात् ही लाइन पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) 1997-98 - 1 करोड़ रुपये

1998-99 - 20 करोड़ रुपये

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा में कार्य प्रस्तावित है। लगभग पांच वर्ष के समय में कार्य के पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

लामडिंग बदरपुर सैक्शन का आमान परिवर्तन

3377. श्री नेपाल चन्द्र दास :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी सीमांत रेलवे के लामडिंग बदरपुर सैक्शन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान इस संबंध में स्वीकृत की गई और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) 1997-98 में इस परियोजना के लिए 33.84 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आबंटन किया गया था। बाद में 2.00 करोड़ रुपये का अंतिम आबंटन रखा गया था जिसमें से 1997-98 में 1.16 करोड़ रुपये का वास्तविक उपयोग कर लिया गया था।

(ग) 40 करोड़ रुपए।

(घ) बदरपुर-सिलचर में समतल खंड के लिए मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों के लिए ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

लामडिंग से बदरपुर तक 170 किमी के शेष भाग के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण मैसर्स राइट्स को सौंपा गया है।

भर्ती केन्द्र

3378. श्री मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां भर्ती केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या ऐसे और भर्ती केन्द्र खोले जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सेना

(क) से (ग) देश में कुल मिलाकर 12 जोनल भर्ती कार्यालय और 58 शाखा भर्ती कार्यालय तथा दिल्ली कैंट में एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय हैं जो इस प्रकार हैं :

(क)	जोनल भर्ती कार्यालय	पंजाब
1.	शाखा भर्ती कार्यालय अमृतसर	पंजाब
2.	शाखा भर्ती कार्यालय फिरोजपुर	पंजाब
3.	शाखा भर्ती कार्यालय पटियाला	पंजाब
4.	शाखा भर्ती कार्यालय लुधियाना	पंजाब
5.	शाखा भर्ती कार्यालय जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
6.	शाखा भर्ती कार्यालय श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
(ख)	जोनल भर्ती कार्यालय अंबाला	हरियाणा
1.	शाखा भर्ती कार्यालय रोहतक	हरियाणा
2.	शाखा भर्ती कार्यालय हिसार	हरियाणा
3.	शाखा भर्ती कार्यालय चरखी दादरी	हरियाणा
4.	शाखा भर्ती कार्यालय पालमपुर	हिमाचल प्रदेश
5.	शाखा भर्ती कार्यालय हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
6.	शाखा भर्ती कार्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश
7.	शाखा भर्ती कार्यालय मंडी	हिमाचल प्रदेश

(ग)	जोनल भर्ती कार्यालय लखनऊ	उत्तर प्रदेश
1.	शाखा भर्ती कार्यालय लैंसडौन	उत्तर प्रदेश
2.	शाखा भर्ती कार्यालय अलमोड़ा	उत्तर प्रदेश
3.	शाखा भर्ती कार्यालय मेरठ	उत्तर प्रदेश
4.	शाखा भर्ती कार्यालय बरेली	उत्तर प्रदेश
5.	शाखा भर्ती कार्यालय वाराणसी	उत्तर प्रदेश
6.	शाखा भर्ती कार्यालय आगरा	उत्तर प्रदेश
7.	शाखा भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
8.	शाखा भर्ती कार्यालय अमेठी	उत्तर प्रदेश
(घ)	जोनल भर्ती कार्यालय कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
1.	शाखा भर्ती कार्यालय सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल
2.	शाखा भर्ती कार्यालय बेहरामपुर	पश्चिम बंगाल
3.	शाखा भर्ती कार्यालय कटक	उड़ीसा
4.	शाखा भर्ती कार्यालय संभलपुर	उड़ीसा
5.	शाखा भर्ती कार्यालय बेरहमपुर	उड़ीसा
6.	शाखा भर्ती कार्यालय कटिहार	बिहार
(ङ)	जोनल भर्ती कार्यालय दानापुर	बिहार
1.	शाखा भर्ती कार्यालय मुज्जफपुर	बिहार
2.	शाखा भर्ती कार्यालय रांची	बिहार
3.	शाखा भर्ती कार्यालय गया	बिहार
(च)	जोनल भर्ती कार्यालय अजमेर	राजस्थान
1.	शाखा भर्ती कार्यालय जोधपुर	राजस्थान
2.	शाखा भर्ती कार्यालय अलवर	राजस्थान
3.	शाखा भर्ती कार्यालय कोटा	राजस्थान
4.	शाखा भर्ती कार्यालय झुनझुनू	राजस्थान
(छ)	जोनल भर्ती कार्यालय जबलपुर	मध्य प्रदेश
1.	शाखा भर्ती कार्यालय रायपुर	मध्य प्रदेश
2.	शाखा भर्ती कार्यालय ग्वालियर	मध्य प्रदेश
3.	शाखा भर्ती कार्यालय मऊ	मध्य प्रदेश
4.	शाखा भर्ती कार्यालय भोपाल	मध्य प्रदेश
(ज)	जोनल भर्ती कार्यालय शिलांग	मेघालय
1.	शाखा भर्ती कार्यालय नारंगी	असम
2.	शाखा भर्ती कार्यालय जोरहाट	असम
3.	शाखा भर्ती कार्यालय सिल्चर	असम
4.	शाखा भर्ती कार्यालय कोहिमा	नागालैंड
(झ)	जोनल भर्ती कार्यालय पुणे	महाराष्ट्र
1.	शाखा भर्ती कार्यालय मुंबई	महाराष्ट्र
2.	शाखा भर्ती कार्यालय नागपुर	महाराष्ट्र
3.	शाखा भर्ती कार्यालय कोल्हापुर	महाराष्ट्र
4.	शाखा भर्ती कार्यालय औरंगाबाद	महाराष्ट्र
5.	शाखा भर्ती कार्यालय अहमदाबाद	गुजरात
6.	शाखा भर्ती कार्यालय जामनगर	गुजरात
(ञ)	जोनल भर्ती कार्यालय बेंगलूर	कर्नाटक
1.	शाखा भर्ती कार्यालय मंगलूर	कर्नाटक
2.	शाखा भर्ती कार्यालय बेलगांव	कर्नाटक
3.	शाखा भर्ती कार्यालय त्रिवेन्द्रम	केरल
4.	शाखा भर्ती कार्यालय कालीकट	केरल
(ट)	जोनल भर्ती कार्यालय मद्रास (चेन्नई)	तमिलनाडु
1.	शाखा भर्ती कार्यालय तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु
2.	शाखा भर्ती कार्यालय कोयम्बतूर	तमिलनाडु
3.	शाखा भर्ती कार्यालय सिंकदराबाद	आंध्र प्रदेश
4.	शाखा भर्ती कार्यालय गुंतूर	आंध्र प्रदेश
5.	शाखा भर्ती कार्यालय विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
(ठ)	जी आर डी कुनराघाट	उत्तर प्रदेश
1.	शाखा भर्ती कार्यालय लेबांग	सिक्किम
(ड)	स्वतंत्र भर्ती कार्यालय	दिल्ली कैंट

वायुसेना

वायुकर्मी चयन केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :

1.	ए एस सी	अबांला
2.	ए एस सी	नई दिल्ली
3.	ए एस सी	कानपुर
4.	ए एस सी	बैरकपुर
5.	ए एस सी	जोधपुर
6.	ए एस सी	बम्बई
7.	ए एस सी	बेंगलूर
8.	ए एस सी	तांबरम

9. ए एस सी भुवनेश्वर

10. ए एस सी बिहटा

11. ए एस सी गुवाहाटी

12. ए एस सी सिंकदराबाद

13. ए एस सी कोचीन

नौसेना

नौसेना निम्नलिखित नौसेना भर्ती स्थापनाओं के जरिए नौसेनिकों की भर्ती करती है :

कलकत्ता	चेन्नई	चिल्का (उड़ीसा)
कोयम्बतूर	देहरादून	दिल्ली
जामनगर	कोची	लोनावाला (महा.)
मुंबई	पोर्ट ब्लेयर	वास्को-द-गामा (गोवा)
विशाखापट्टनम		

इसके अतिरिक्त नौसेना भर्ती दल नौसैनिकों की भर्ती के लिए निम्नलिखित वायुकर्मी चयन केन्द्रों का भी लाभ उठा रही है :

अंबाला	बेंगलूर	गुवाहाटी
जोधपुर	पटना (बिहार)	कानपुर
सिकंदराबाद		

गंगटोक (सिक्किम) और मोरेह (मणिपुर) में शाखा भर्ती कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वायुसेना और नौसेना का और भर्ती केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी सहयोग से प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम

3379. **श्री एम. राजैया** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में 1997-98 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा कितनी बाह्य सहायता प्राप्त की गई और उसका स्रोत क्या था;

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की सामान्य परिषद् के वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यकारी परिषद् का गठन किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1997-98 के दौरान संस्थान को कोई बाह्य सहायता प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, संस्थान अंतर्राष्ट्रीय पाठयक्रमों/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/समूहों के लिए आयोजित प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों, परामर्श, अनुसंधान अध्ययनों, प्रायोजित कार्यक्रमों आदि के लिए फीस लेता है। इस संबंध में 1997-98 के दौरान संस्थान द्वारा प्राप्त की गई राशि तथा उसके स्त्रोत के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की सामान्य परिषद् के वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) संस्थान की कार्यकारी परिषद् का गठन संस्थान नियमावली, 1991 के नियम 10 के अनुरूप होता है। कार्यकारी परिषद् में सरकारी सदस्य तथा गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। सरकारी सदस्य कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य के रूप में बने रहते हैं जबकि गैर-सरकारी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित किए जाते हैं। रिक्ति को भरने की कार्रवाई शुरू की गई है। वर्तमान कार्यकारी परिषद् के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा 1997-98 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से कराए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे निम्नानुसार है :

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे का नाम	प्रायोजक
1	2	3
1.	श्रीलंका के अधिकारियों का पहला अध्ययन और दौरा	श्रीलंका सरकार
2.	ग्रामीण महिलाओं के लिए आय सृजन गतिविधियां चयन, आयोजना तथा कार्यान्वयन	संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

1	2	3
3.	ग्रामीण आवास पर एस. ए. ए. आर. सी. कार्यशाला	-वही-
4.	श्रीलंका के अधिकारियों का दूसरा अध्ययन और दौरा	श्रीलंका सरकार
5.	आर्थिक विकास में ग्रामीण उद्योग संवर्धन	संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
6.	विकासशील देशों में स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास	-वही-
7.	यू. एन. डी. पी. कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अध्ययन दौरा	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मजदूरी का उन्मूलन तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन

2. परामर्श अनुसंधान परियोजनाएं

क्र.सं.	परामर्श अनुसंधान अध्ययन परियोजना का नाम	प्रायोजक
1.	उपभोक्ता सलाहकार सर्वेक्षण	विदेशी विकास एजेंसी
2.	नेपाल और म्यांमार में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्रों में स्थायित्व मामले	एशिया और प्रशांत समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र
3.	कर्नाटक में विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठन सहायता कार्यक्रम का मूल्यांकन	विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र
4.	विश्व खाद्य कार्यक्रम की सृजित निधियों में से खाद्य-सहायता और परिसंपत्तियों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन	-वही-
5.	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में बाल मजदूरी संबंधी तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की परियोजनाओं का मूल्यांकन	अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन

विवरण-II

1997-98 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/समूहों, आयोजित प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों, परामर्श अनुसंधान अध्ययनों, प्रायोजित कार्यक्रमों आदि के लिए फीस के रूप में प्राप्त की गई राशि और उसके स्रोतों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	प्राप्ति की तारीख	कार्यक्रम/परियोजना का नाम	प्रायोजित संगठन	राशि (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	2.5.97	श्रीलंका के ग्रामीण विकास अधिकारियों का अध्ययन और दौरा	श्रीलंका सरकार	3,96,000
2.	4.5.97	एशिया और प्रशांत के लिए गरीबी उन्मूलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	इफको-एशियन ग्रामीण पुनर्गठन कार्यक्रम	3,55,000
3.	27.5.97	बाल मजदूरी के समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम-कार्रवाई कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन	3,76,000
4.	13.8.97	उपभोक्ता सलाहकार सर्वेक्षण	विदेशी विकास एजेंसी	3,40,000

1	2	3	4	5
5.	26.9.97	कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्य-नीति	फोर्ड फाउंडेशन नई दिल्ली	54,28,700
6.	12.11.97	श्रीलंका के भागीदारों का अध्ययन और दौरा	श्रीलंका सरकार	2,35,800
7.	3.12.97	महिलाओं को रोजगार	ब्रिटिश कौंसिल डिवीजन, नई दिल्ली	66,600
8.	5.1.98	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना तथा निगरानी नीति	ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली	2,58,100
9.	5.1.98	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम परियोजनाएं	समन्वयक, बाल मजदूरी के निष्कासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, आई. एल. ओ. नई दिल्ली	3,84,649
10.	18.2.98	एस.ए.ए.आर.सी. कार्यक्रम के भागीदार	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हैदराबाद	3,45,725
11.	26.3.98	खाद्य सहायता परिसंपत्तियों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन	विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र, नई दिल्ली	99,000
			कुल	82,85,874

विवरण-III

सामान्य परिषद् के सदस्य

श्रेणी नियम विवरण			सदस्य का नाम
1 2 3			4
3 (1)	संस्थान का अध्यक्ष	(1)	श्री बाबागौडा पाटील ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली-110001 (स्वतंत्र प्रभार, पदेन)
3 (2)	संस्थान के दो उपाध्यक्ष	(1)	रिक्त (पदेन)
		(2)	डॉ. एन. सी. सक्सेना, आई. ए. एस. सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 (पदेन)
3 (3)	ग्रामीण विकास/पुर्ननिर्माण और सम्बद्ध क्षेत्रों में भारत में कार्यरत गैर-सरकारी संस्थाओं से चार व्यक्ति	(1)	श्री एन. रामजी, महा निदेशक

1	2	3	4
			कपार्ट, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, जान-5, (कोर-ग), दूसरी मंजिल लोधी रोड, नई दिल्ली-5
			(2) डा. पी. एन. मुखर्जी टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, पोस्ट बाक्स सं. 8313 देवनार, मुम्बई-400088
			(3) प्रो. एस. एस. चक्रवर्ती निदेशक, आर. के. मिशन लोक शिक्षा परिषद् नरेन्द्रपुर 743508, द. 24 परगना जिला (प. बंगाल)
			(4) प्रो. जी. पार्थ सारथी, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट एंड फाइनान्सियल स्टडीज, मववालावनी पालम, विशाखापटनम-530017 आंध्र प्रदेश
3	(4)	नौ प्रसिद्ध व्यक्ति, जिन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसमें एक या दो गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हैं।	(1) श्री पी. एस. अप्पु, आई. ए. एस. (सेवानिवृत) 410, 2ए क्रास, 11वां मेन, तीसरा ब्लाक, कोरमंगला, बंगलूर-560034
			(2) प्रो. सी. एच. हनुमंतराव, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग, 240/बी, रोड नं. 18 जुबली हिल्स, हैदराबाद-500002
			(3) श्री पी. कोट्टैयया, अध्यक्ष नाबार्ड स्टर्लिंग सेंटर, डा. एनी बेसेंट रोड, मुम्बई- 400018
			(4) श्रीमती वंग गीता, अध्यक्ष, जिला परिषद्, पूर्वी गोदावरी जिला, काकीनाडा-533001 आंध्र प्रदेश
			(5) डा. एच. जी. हेगड़े अध्यक्ष, बी.ए.अर्इ.एफ., बी.ए.आई.एफ. डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, डा. मणिभज देसाई नगर, एन. एच. -4 वर्जे पुणे- 411029
			(6) श्री किल्लना जानकीरामराजु, पूर्व ओनरेरी मजिस्ट्रेट, हयातीनगरम,

1	2	3	4
			गुजरातीपेट, श्रीकाकुलम जिला-532001 आंध्र प्रदेश
			(7) श्री कादियाला राघव राव, अध्यक्ष, जिला परिषद्, कृष्णा जिला, मछलीपटट्नम-521001 आंध्र प्रदेश
			(8) श्री आई. एस. राव, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) महानिदेशक, अम्बेडकर इंस्टीटयूट आफ सोशल साइंसेस, एम एम ओ डब्ल्यू, मध्य प्रदेश
			(9) रिक्त
3	(5)	अखिल भारतीय पंचायत परिषद व भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ से एक-एक व्यक्ति	(1) रिक्त (2) रिक्त
3	(6)	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ	(1) डा. (श्रीमती) अरमैती देसाई, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यू.जी.सी. बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110001 (पदेन) (2) प्रो. एस. रिपपोचे, अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ, और निदेशक, सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ, वाराणसी-221007 (पदेन)
3	(7)	सचिव, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन और मंत्रालय में संस्थान से सम्बद्ध संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार तथा सचिव, कृषि मंत्रालय	(1) डा. पी. एल. संजीवरेड्डी, भाप्रसे, सचिव (रीपा) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली-110001 (पदेन) (2) श्री अनिल कुमार, भाप्रसे संयुक्त सचिव (प्रशासन) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 (पदेन) (3) श्री एम. शंकर, भाप्रसे, संयुक्त सचिव (वित्त) तथा वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 (पदेन)

1	2	3	4
			(4) श्री कमल पांडे, भाप्रसे, सचिव, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली (पदेन)
3	(8)	शिक्षा और कल्याण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा योजना आयोग के सचिवों अथवा उनके द्वारा नामित जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हों।	(1) श्री पी. आर. दास गुप्ता आई. ए. एस., सचिव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1 (पदेन) (2) श्री अरविंद वर्मा, आई. ए. एस. सचिव (कार्मिक) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-1 (पदेन) (3) सचिव योजना आयोग, योजना भवन नई दिल्ली-1 (पदेन)
3	(9)	ग्रामीण विकास/पुनर्निर्माण के प्रभारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पांच सचिव या विकास आयुक्त, बारी-बारी से	(1) श्री सी. अर्जुन राय, आई. ए. एस. प्रधान सचिव ग्रामीण/विकास/पंचायती राज आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद-500022 (2) श्री आर. परशुराम, आई. ए. एस. सचिव, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल-462004 (3) श्री अशोक नारायण, आई. ए. एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायत ग्रामीण तथा ग्रामीण विकास विभाग, गुजरात सरकार, ब्लाक सं. 5, दूसरा तल सचिवालय गांधीनगर-382010

1	2	3	4
			(4) श्री सतेन्द्रनाथ घोष, आई. ए. एस. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पं. बंगाल सरकार राईटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता-1
			(5) श्री आई. पी. सुब्राथन, आई. ए. एस. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1
3	(10)	संघ राज्य और संघ राज्य विधान मंडलों के 7 सदस्य लोक सभा से 2 राज्य सभा से एक, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में 4 (जो बारी-बारी से 4 जोनल परिषदों का प्रतिनिधित्व करें)	(1) रिक्त (2) रिक्त (3) रिक्त (4) रिक्त (5) रिक्त (6) रिक्त (7) रिक्त
3	(11)	विश्व विद्यालयों के 3 कुलपति	(1) कुलपति आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्व विद्यालय राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030
			(2) कुलपति इंदिरागांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी इगनू काम्पलैक्स मदानगढ़ी, नई दिल्ली-68
			(3) कुलपति मणिपुर विश्वविद्यालय मणिपुर-795003
3	(12)	महानिदेशक द्वारा बारी-बारी से निर्धारित संस्था के 3 निदेशक जो 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालते हैं।	(1) डा. बी. सुधाकर राय निदेशक (सी.आर.आई.ई.) एन. आई.आर.डी. राजेन्द्र नगर हैदराबाद-500030

1	2	3	4
			(2) डा. डी. सेन निदेशक (सी ई टी ओ टी) एन आई आर डी राजेन्द्र नगर हैदराबाद-500030
			(3) डा. (श्रीमती) असवारी मोइदीन निदेशक (सी डब्ल्यू डी) एन आई आर डी, राजेन्द्र नगर हैदराबाद-500030
3(13)	संस्था का महानिदेशक		(1) श्री आर सी चौधरी, आई ए एस महानिदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 (पदेन)

विवरण-IV

कार्यकारी परिषद् के सदस्य

(क)	सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग जो संस्थान के उपाध्यक्षों में से एक हैं, कार्यकारी परिषद् का चेयरमैन होगा।	1.	डा. एन. सी. सक्सेना, भाप्रसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की कार्यकारी परिषद् का चेयरमैन और सचिव, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
(ख)	संस्थान का महानिदेशक जो वाइस चेयरमैन होगा	1.	श्री आर. ए. सी. चौधरी, भाप्रसे महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद-30
(ग)	सचिव (रीपा) संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, जो संस्थान से संबंधित हैं।	1.	डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, भाप्रसे सचिव (रीपा) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
		(2)	श्री अनिल कुमार, भाप्रसे संयुक्त सचिव (प्रशासन) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली-110001

		(3)	श्री एम. शंकर, भाप्रसे अतिरिक्त सचिव (वित्त) और वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
(घ)	पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने ग्रामीण विकास/पुनर्निर्माण और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है, जो सामान्य परिषद के सदस्यों में से संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।	1. 2. 3. 4. 5.	रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त
(ङ)	दो सदस्य जो सामान्य परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों में से संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।	1. 2.	रिक्त रिक्त

विशेष आंमत्रित व्यक्ति

1. श्री के. ए. एच. सुब्रहमणियम, भाप्रसे
   आयुक्त और सचिव,
   ग्रामीण विकस विभाग, बिहार सरकार
   पटना-800001
2. श्री आर. परशुराम, भाप्रसे
   सचिव, मध्य प्रदेश सरकार,
   पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग
   मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल-4
3. श्री सिराज हुसैन, भाप्रसे,
   सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
   पंचायती राज विभाग, लखनऊ
4. श्री एम. आर. श्रीनिवास मूर्ति, भाप्रसे
   सचिव,
   ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग,
   कर्नाटक सरकार,
   सचिवालय, एम. एस. बिल्डिंग, बंगलौर
5. श्री अशोक नारायण, भाप्रसे, अतिरिक्त मुख्य सचिव,
   ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत,
   ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग,
   गुजरात सरकार, ब्लाक नं. 5 द्वितीय तल,
   सचिवालय, गांधीनगर-382010

केरल के पोन्नानी शहर में रेल नेटवर्क

3380. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोन्नानी शहर (दक्षिण रेलवे, पलक्काद, डिवीजन, केरल) को रेलवे नेटवर्क में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

रक्षा सेवाओं का पुर्नगठन

3381. श्री पी. उपेन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेनाध्यक्ष ने हाल ही में देश में उच्चतर रक्षा संगठनों के पुनर्गठन और तीनों सेनाध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों को कम करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा सेनाओं का सुदृढ़ीकरण और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन एक सतत् प्रक्रिया है तथा तीनों सेना मुख्यालयों से इस संबंध में समय-समय पर सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं।

1994 में नई प्रबंधन कार्यनीति के अंतर्गत राजस्व व्यय के लिए नौसेना को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थी। इसी प्रकार की वित्तीय शक्तियां सेना और वायुसेना को अप्रैल, 1997 में प्रदान की गई हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पायलट

3382. श्री महेश कनोडिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पायलटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पायलटों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा और अधिक संख्या में अन्य पिछड़ो को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) इस समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कुल 62 पायलट कार्यरत हैं।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के 16 पायलट एयर इंडिया में और 15 पायलट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के पायलटों के लिए रखी गई रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान शुरू किये जाते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सेना भर्ती केन्द्र

3383. श्री आर. एस. गवई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में अमरावती जिले में सेना भर्ती केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक खोल दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों को रांची होते हुए बोकारो तक चलाना

3384. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली उड़ान संख्या आई-सी. 809 और 810 को रांची होते हुए बोकारो (बिहार) तक चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के नियंत्रणाधीन बोकारो का रनवे केवल 5000 फुट है जिसमें कम भार वर्गीकरण संख्या है। यह केवल छोटे प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त है। छोटी क्षमता वाले विमानों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस हवाई अड्डे से सेवाओं का प्रचलन संभव नहीं है। निजी प्रचालकों को बोकारो सहित नये स्टेशनों को व्यवहार्यता के आधार पर अपने नेटवर्क में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

देवनगर में सरकारी क्वार्टर

3385. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देवनगर नई दिल्ली-5 में सरकारी क्वार्टरों का आबंटन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाली मकान कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) देव नगर क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए सामान्य पूल आवास के निर्माण के लिए पड़ी खाली भूमि का उपयोग करने के लिए एक योजना है। यहां पर 453 टाइप सी के क्वार्टर थे (जिन्हें 'ई' टाइप के क्वार्टर भी कहा जाता है) इनमें से दूसरी जगह आवास देकर 90% मकानों को खाली करवा लिया गया। इन खाली मकानों और भूमि की निगरानी की जा रही है और ये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण में है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त 'ग' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिंडिगुल-त्रिचिरापल्ली रेल लाइन

3386. श्री वैको : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिन्डिगुल त्रिचिरापल्ली रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन पर कितना खर्च किया गया है; और

(ग) उक्त रेल लाइन के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) डिंडीगुल-तिरूचिरापल्ली का आमान परिवर्तन कार्य पहले से ही प्रगति पर है। आमान परिवर्तन ब्लाक अगस्त, 1998 में प्रारंभ करना निर्धारित है।

(ख) परियोजना की लागत 89.36 करोड़ रुपये हैं। 31.3. 1998 तक खर्च की गई राशि 27.85 करोड़ रुपये है तथा 1998-99 में मुहैया कराया गया परिव्यय 61.51 करोड़ रुपये है।

(ग) उपरोक्त लाइन चालू वित्त वर्ष में पूरी हो जाएगी।

चंडीगढ़ से उड़ानें

3387. श्री सत्य पाल जैन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ से और अधिक उड़ानें शुरू करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार चंडीगढ़ और दिल्ली तथा चंडीगढ़ से मुम्बई, अहमदाबाद आदि जैसी राज्यों की अन्य राजधानियों को दैनिक उड़ानों से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विमान क्षमता की तंगी के कारण फिलहाल इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर की चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच अपनी सेवाएं बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा जेट विमान बेडे से प्रचालन करने हेतु चंडीगढ़-मुम्बई और चंडीगढ़-अहमदाबाद सेक्टरों पर यातायात संभावना पर्याप्त नहीं है। तथापि, विमानकंपनियों के प्रचालक, सरकार के मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्ययीन रहते हुए, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को देखते हुए विशेष स्थानों को विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

कटनी में लोकोशेड

3388. श्री दादा बाबूराम परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत कटनी में एन. के. जे. लोकोशेड की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में शहरों का विकास

3389. श्री राम कृष्ण बाबा पाटील : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन अधिसूचित क्षेत्र समितियों और नगर पालिकाओं के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें समेकित लघु और मध्यम शहर विकास योजना के अंतर्गत विकास के लिए शामिल किया गया है तथा उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) योजना के अंतर्गत राज्य के कितने नए शहरों को लाने का विचार है तथा अभी हाल ही में कितने शहरों को इसके अंतर्गत लाया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) छोटे एवं मझोले दर्जे के कस्बों को समन्वित विकास योजना (आई डी एस एम टी) के तहत अब तक महाराष्ट्र के 96 कस्बों को शामिल किया गया है और 3916.92 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है जिसके नगरवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1997-98 के दौरान राज्य के किसी नए कस्बे का नाम प्रस्तावित तथा अनुमोदित नहीं किया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य को आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के नगर-वार ब्यौरे (1979-80 से 31 मार्च, 1998 तक)

क्र.सं.	नगर का नाम	प्रदान की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	मन्नोड़	42.94
2.	बारशी	43.90
3.	पारली बैजनाथ	41.80
4.	यवतमाल	44.11
5.	सतारा	40.00
6.	रैनागिरी	40.00
7.	कतोल	42.34
8.	अमलनेर	45.93
9.	परभानी	42.00
10.	कामटी	42.22
11.	किनवत	40.00
12.	उस्मानाबाद	43.03
13.	मोरशी	41.77
14.	हिंगनघाट	42.64
15.	जालना	40.00
16.	अम्बेजोगई	42.81
17.	सेलू	42.59
18.	दिगरस	42.14
19.	भंदारा	42.70
20.	वाशिम	44.10
21.	इस्लामपुर	42.84
22.	बारामती	42.36
23.	पढ़ारपुर	46.00
24.	रामटेक	43.86
25.	नीलांगा	44.88
26.	चिपलून	39.75
27.	अकोट	54.00
28.	तुलजापुर	48.75
29.	वर्धा	52.00
30.	इगतपुरी	48.41
31.	पुसोद	52.38
32.	कराद	46.00
33.	बीड़	49.50
34.	चंद्रपुर	46.00
35.	गढ़चिरौली	39.50
36.	गोंदिया	46.00
37.	घोपड़ा	46.00
38.	खेमगांव	40.51
39.	नारखेद	39.50
40.	मलकापुर	46.00
41.	ननदरबार	46.00
42.	पैथान	38.00
43.	चालीसगांव	38.97

1	2	3
44.	हिंगोली	36.00
45.	बुलडाना	36.00
46.	नांडेड	46.00
47.	सावनेर	46.00
48.	अचलपुर	46.00
49.	जलगांव	99.57
50	श्रीरामपुर	85.00
51.	शीरपुर वारवाडे	40.00
52.	वानी	41.00
53.	अम्बाड	36.00
54.	अहमदनगर	101.50
55.	कोपरगांव	55.00
56.	लादूर	60.00
57.	फलेतान	41.13
58.	संगमनेर	42.00
59.	सांगली	40.00
60.	धुले	40.00
61.	मुखड	12.00
62.	पचादरा	48.00
63.	वरोड़ा	48.00
64.	भसांवल	107.00
65.	देगलूर	48.00
66.	गढिंगलाज	23.00
67.	परतूर	48.00
68.	बसामाध नगर	21.00
69.	वीटा	18.00
70.	मन्वाध	23.00
71.	महाड़	27.00
72.	कागल	16.00
73.	औसा	23.50
74.	डोडेछा वारवाहे	35.00
75.	गोरई	36.00
76.	सावंतवाही	32.50
77.	मूर्तिजापुर	31.50
78.	रोगांव	27.00
79.	परोला	36.00
80.	तमसेर	14.00
81.	अलीबाब	8.00
82.	पुलगांव	14.00
83.	उमरेद	14.00
84.	वैजापुर	14.00
85.	इचालकारंजी	70.00
86.	वाई	30.00
87.	अंजनगांव सुर्जी	30.00
88.	मेहकार	30.00
89.	कलांब	16.00
90.	दरयापुर	19.00
91.	अमरावती	90.00
92.	शहादा	30.00
93.	नवापुर	30.00
94.	करूडवाड	26.00
95.	संगोला	30.00
96.	घाटजी	16.00
	योग	3916.92

महाराष्ट्र में माल डिब्बों की आवश्यकता

3390. श्री गुरूदास कामत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अनेक ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए गए;

(ख) क्या आवश्यकता को पूरी करने हेतु माल डिब्बे पर्याप्त थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राम नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न थर्मल पावर संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	आपूर्ति
1995-96	2680
1996-97	2990
1997-98	3135

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत गोल्ड माइन लिमिटेड को बंद किया जाना

3391. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घाटे में चल रही कर्नाटक की कोलार स्थित भारत गोल्ड माइन लिमिटेड को बंद करने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कंपनी को लाभ कमाने वाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) जो खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एक रूग्ण कंपनी है तथा 1992 से इसका मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बीआई एफ आर) के समक्ष हैं। जून, 1997 के दौरान सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सह-प्रवर्तक (प्रवर्तकों) के प्रवेश से, संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से बी. जी. एम. एल. के पुनर्वास की संभावना का पता लगाने का निर्णय किया। तदनुसार, एक समिति गठित की गई जिसने अब अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। बी. जी. एम. एल. का भविष्य रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

खुर्जा और रोहतक के बीच रेलवे लाइन

3392. **प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुर्जा से रोहतक तक बरास्ता पलवल रिवाड़ी क्षेत्रीय बाई-पास लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अनुमोदित हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक आरंभ और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

अमेठी स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा

3393. **डा. संजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस में अमेठी रेलवे स्टेशन का आरक्षण कोटा समाप्त कर दिए जाने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अमेठी स्टेशन के लिए उक्त आरक्षण कोटा बहाल करने का है; और

(ग) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) अमेठी स्टेशन पर वाराणसी-देहरादून जनता एक्सप्रेस में पहले से उपलब्ध आरक्षण कोटे को वापिस ले लिया गया था क्योंकि इसका व्यवहारिक उपयोग कुछ नहीं था। हाल में इस कोटे को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन पर कोटे का पूरा उपयोग हो रहा है और कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में भी रह जाते हैं।

मुंबई हवाई अड्डे की जमीन पर अतिक्रमण

3394. **श्री के. एस. राव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई हवाई अड्डे के आस-पास नागर विमानन मंत्रालय के एक बहुत बड़े भू-भाग पर लाखों झुग्गी-झोंपड़ी वासियों ने पिछले बीस साल से अधिक समय से कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है इस पर इस समय अनुमानतः कितने झुग्गी-झोंपड़ी वासियों ने कब्जा कर रखा है;

(ग) क्या इन झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास हेतु नई जगह का चयन करने के लिए निर्णय लेने हेतु महाराष्ट्र सरकार के

आवास मंत्रालय और केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय के बीच हाल ही में मुंबई में एक बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग 160 एकड़ भूमि पर जरीमाढ़ी, सेवानगर, विजय नगर, शास्त्री नगर, बेल बाजार, काजू पाडा, शाहदेश नगर, क्रांति नगर, इंदिरा नगर, आजाद नगर, न्यू अगड़ीपाड़ा, पुराना अगड़ीपाड़ा, गावदेवी नगर, डा. अम्बेडकर नगर, संजय नगर, गांधी नगर, सुभाष नगर, तथा आशा नगर नामक गांवों में लगभग 80,000 झोपड़ पट्टी वासियों ने कब्जा किया हुआ है।

(ग) तथा (घ) मुंबई में फरवरी और मई, 1998 में महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच झोपड़पट्टी निवासियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से स्थानांतरित करने/उनका पुनर्वास करने के बारे में बैठकें आयोजित की गई थीं।

[हिन्दी]

रेलवे में भर्ती

3395. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व रेलवे में नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रतिबंध को नजरअंदाज करके विभिन्न रेलवे मंडलों में कुछ नियुक्तियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो मंडल और श्रेणी वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) रेलों पर समूह 'ग' और 'घ' की कोटियों में नई भर्ती पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बहरहाल, जहां कहीं आवश्यक होता है, बोर्ड का पूर्व अनुमोदन करने के बाद रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा समूह 'घ' में सीधी भर्ती की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार पर व्यय

3396. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मनमाने ढंग से प्रचार-प्रसार पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनमें से प्रत्येक उपक्रम के द्वारा कितना पैसा प्रचार-प्रसार पर खर्च किया गया; और

(ग) इस खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का विचार है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है;

(लाख रुपए)

	1995-96	1996-97	1997-98
सेल	1767.00	19. 7.00	994.00
मेकन	40.40	25.83	35.84
मॉयल	0.84	0.40	0.20
एन एम डी सी	8.35	4.11	4.47
सिल	1.15	0.82	2.04
बी आर एल	3.22	1.99	1.60
के आई ओ सी एल	73.48	31.20	67.58
एम एम टी सी	22.49	4.05	1.86
आर आई एन एल	352.00	267.00	शून्य
एच एस सी एल	8.09	3.49	3.65
एफ एस एन एल	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) कड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में प्रचार पर व्यय करना अपरिहार्य है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ग्राहकों, निवेशकों और आम जनता के अनुसार अपनी छवि बनानी पड़ती है, विशेष रूप से उस समय जबकि इनके प्रतिस्पर्धी भी प्रचार के विभिन्न रूपों का अत्यधिक सहारा लेते हों। तथापि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपना प्रचार व्यय न्यूनतम रखने और इसे उन अभियानों और कार्यकलापों तक सीमित रखने के लिए प्रयास करते हैं जो बिक्री संवर्धन, छवि बनाने और संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक हों।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में कोयले के डिपो

3397. श्री एन. जे. राठवा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में कोयले के

डिपुओं के संबंध में 27 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के संदर्भ मे दिए गए आश्वासन के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) दिनांक 27 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 478 में दिए गए आश्वासन के बारे में सूचना पहले ही संलग्न विवरण के अनुसार 1.6.1995 को सभा पटल पर रख दी गई है।

विवरण

दसवीं लोक सभा का XIवां सत्र, 1994 शहरी विकास मंत्रालय

पूर्ति की तारीख........................

प्रश्न संख्या और तारीख	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	अभ्युक्ति
श्री धर्मपाल सिंह मलिक का दिनांक 27.7.94 का अतारांकित प्रश्न सं.478	**डीडीए कालोनियों में कोल डिपो** दिनांक 9 अगस्त, 1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 4666 के उत्तर के संदर्भ में पूछा गया कि : "डीडीए कालोनियों में विशेषत: संदर्भित प्रश्न में दिए गए स्थल सं. 3 में कोयला डिपो के विकास में हुई प्रगति ?"	सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कोयला डिपो स्थल सं.3 पाकेट-II पश्चिमपुरी में रत्ना कोल डिपो के नाम से चलाने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट तथा पूर्णत: अस्थायी आधार पर श्रीमती रत्ना देवी को दिनांक 20.2.82 के पत्र सं. 1(382)81/कार्या. के द्वारा आबंटित किया गया था। वर्ष 1987 में यह ज्ञात हुआ कि श्रीमती रत्ना देवी ने अनधिकृत रूप से 10 दुकानों का निर्माण किया है तथा आबंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण कर इन दुकानों को किराए पर दे रखा है। प्लाट से ही लगा क्षेत्र एसएफएस फ्लैटों के निर्माण के लिए अपेक्षित था। चूंकि रत्ना देवी ने अनधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण किया था, दुकानों को गिराने संबंधी कार्रवाई की गई तथा कोल डिपो के लिए आबंटित प्लाट से संबंधित लाइसेंस एग्रीमेंट रद्द कर दिया। श्रीमती रत्ना देवी ने वैकल्पिक स्थल हेतु अनुरोध किया जिसकी जांच करवाई गई किंतु, पाटी के अविश्वसनीय होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थल हेतु अनुरोध को नकार दिया गया।	संबद्ध प्राधिकरणों से सूचना प्रतीक्षित थी।

भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश

3398. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय हवाई क्षेत्र में अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु नए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से क्या जवाब मिला है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डी. डी. ए. के स्टोर में चोरी

3399. श्री नरेश पुगलीया :

डा. सरोजा वी. :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मिस्टीरियस थेफ्ट एट डी डी ए स्टोर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में आजादपुर में डी डी ए के केन्द्रीय स्टोर 8.5.98 को 165 किग्रा. भारी तथा 5.5 मीटर लम्बाई वाले 49 कास्ट आयरन पाइपों की चोरी की सूचना दी गई है।

(ग) से (ङ) डीडीए ने बताया है कि जहांगीरपुरी थाने में 8.5.1998 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही जांच-पड़ताल के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

अलीगढ़ को विमान सेवा से जोड़ना

3400. श्रीमती शीला गौतम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ को विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अलीगढ़ में विमानपत्तन का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लखनऊ मंडल में सफाई कर्मचारियों की भर्ती

3401. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19, 20 और 21 मार्च, 1997 को उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं बरती गई थीं;

(ख) क्या तीन चौथाई पदों को ऊंची जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुआयामी लघु अंतरिक्ष यान 'अवतार' का डिजाइन तैयार करना

3402. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्वः ईधन भरण बहुआयामी लघु अंतरिक्ष यान 'अवतार' का डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विनिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस यान को उत्पादन कब से शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा

अनुसंधान तथा विकास संगठन ने रियूजेबल एयर ब्रीथिंग वाहन 'हाइपर प्लेन' का संकल्पनात्मक डिजाइन तैयार किया है। यह अंतरिक्ष यान परंपरागत रनवे से उड़ान भरेगा और अपने स्क्रेमजैट इंजन से मैक 4 से मैक 8 की गति पकड़ेगा। हाइपर प्लेन के प्रदर्शक रूपांतर का नाम 'अवतार' रखा गया है।

(ग) 'अवतार' अभी संकल्पनात्मक चरण में है। अवतार के विकास के लिए सक्षमता बनाने हेतु शैक्षिक संस्थानों को शामिल करते हुए कतिपय प्रौद्योगिकीय तत्वों का विकास आरंभ हो चुका है।

[हिन्दी]

रेल विभाग में खिलाड़ियों की भर्ती

3403. श्री पंकज चौधरी :

श्री चेतन चौहान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने की दृष्टि से रेल विभाग में खुले विज्ञापनों के जरिए प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की भर्ती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कें

3404. श्री मुकुल वासनिक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किए जाने की योजना है और [illegible] संबंध में राज्यवार कुल कितना आबंटन किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : भारत सरकार राज्यों में बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कों की लम्बाई के आधार पर योजनाएं नहीं बनाती है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। फिलहाल इस मंत्रालय के पास ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किंसी भी प्रकार की निधियां उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित की है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत 1998-99 के लिए निधियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मैत्री आवास योजना

3405. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको के पास देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भवन निर्माण हेतु 'मैत्री आवास योजना' के लिए ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार क्या ब्यौरा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा आरंभ की गई मैत्री हाउसिंग स्कीम, राज्य सेक्टर स्कीम है। केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस स्कीम में केरल में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए एक लाख आवास निर्माण का प्रावधान है। हडको ने मैत्री हाउसिंग स्कीम के तहत अब तक 81900 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 155.61 करोड़ रुपये की ऋण राशि सहित 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत आवास की वित्त व्यवस्था पद्धति इस प्रकार है-

हडको ऋण	19,000	रुपये
राज्य सरकार सब्सिडी	9,000	रुपये
लाभार्थी अंशदान	1,000	रुपये
स्वयं सेवी संगठन अंशदान	1,000	रुपये
योग:	30,000	रुपये

मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग

3406. श्री खारवेल स्वाइन :

श्री गिनगी एन. रामचन्दन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के विभिन्न, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान जनवरी, 1991 से मई, 1998 तक भारतीय वायुसेना के विमानों से की गई हवाई यात्राओं तथा इन सरकारी एवं निजी यात्राओं पर हुए खर्च का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वायुसेना के विमानों के प्रयोग के लिए पूर्व मंत्रियों, प्रधान मंत्रियों तथा अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों पर वर्तमान में कितनी राशि बकाया है, तथा ये कब से देय है;

(ग) बकाया राशि की वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं तथा इस दिशा में नये सिरे से क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या यात्राओं को सरकारी तथा गैर-सरकारी श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु कोई प्रक्रिया विद्यमान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार को इस तरह के दुरुपयोग को किस तरह रोकने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री तथा रक्षा उप-मंत्री सरकारी कार्यों के निर्वाह के लिए भारतीय वायुसेना के वी. आई. पी. उड़ानों के उपयोग के हकदार हैं। हवाई यात्रा और तत्संबंधी व्यय के संबंध में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों सहित भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों से की गई गैर-सरकारी यात्रा संबंधी बकाया राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सघन प्रयास के परिणामस्वरूप वर्ष 1997-98 में 121.07 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है। बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित वसूली की कार्रवाई के अलावा विशेष वसूली अभियान भी चलाया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रधान मंत्री के सिवाय कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति गैर-सरकारी यात्राओं के लिए भारतीय वायुसेना की अति विशिष्ट व्यक्ति के लिए वायुयानों का उपयोग करने के लिए प्रधिकृत नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	मंत्री का नाम	बकाया राशि (रुपये में)	लंबित अवधि
1	2	3	4
1.	श्री सी. एम. इब्राहिम नागर विमानन	28,13,333	अगस्त, 1997
2.	श्री कमल नाथ पर्यावरण एवं वन	2,77,692	जनवरी, 1995
3.	कुमारी शैलजा शिक्षा एवं संस्कृति	2,00,000	फरवरी, 1996
4.	श्री वी. चतुर्वेदी राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री का कार्यालय)	7,83,335	फरवरी से जुलाई, 96
5.	श्री पी. आर. कुमारमंगलम संसदीय मामले	3,26,232	अक्टूबर, 1995
6.	श्री मतंग सिंह संसदीय मामले	13,05,000	फरवरी, 1998
7.	श्री वी. सी. शुक्ल जल संसाधन	4,60,336	मई, 1994
8.	श्री पी. वी. आर. नायडू जल संसाधन	92,083	नवंबर, 1995
9.	श्री वी. एस. रामूवालिया कल्याण	4,67,500	दिसंबर, 1997
10.	श्री आर. एल. भाटिया विदेशी मामले	3,35,849	अक्टूबर, 1995
11.	स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पूर्व प्रधान मंत्री	1,86,17,280	जनवरी से फरवरी, 1990
12.	श्री वी. पी. सिंह पूर्व प्रधान मंत्री	2,25,679	अक्टूबर, 1990
13.	श्री चन्द्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री	5,91,31,476	जुलाई से सितंबर, 1991
14.	श्री पी. वी. नरसिम्हाराव पूर्व प्रधान मंत्री	5,52,40,647	अक्टूबर, 1995 से मई, 1996
15.	श्री एच. डी. देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री	26,48,164	दिसंबर, 1996
16.	श्री आई. के. गुजराल पूर्व प्रधानमंत्री	3,95,986	मार्च, 1998

गाड़ियों में नए शयनयान सवारी डिब्बे लगाया जाना

3407. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित कंपोजिट प्रथम श्रेणी और शयनयान श्रेणी को समाप्त कर वर्तमान शयनयान श्रेणी में दिन के समय भी बीच की बर्थ और साइड की बर्थ को हटाकर दरवाजे सहित चार बर्थ वाले केबिन और दो बर्थ वाले कूपे वाले शयनयान श्रेणी वाले सवारी डिब्बों को आरंभ करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का प्रस्तावित कम्पोजिट क्लास जिसमें पहले ही प्रथम श्रेणी को समाप्त करने के कारण यात्रियों की कमी है, में सीमित स्थान के मद्देनजर, प्रथम श्रेणी के यात्रियों की समस्या को किस प्रकार सुलझाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। एक नए अभिकल्प का कोच विकसित किया जा रहा है जिसमें एक छोर पर 2 उच्च श्रेणी के चार शायिकाओं वाले केबिन और शेष द्वितीय श्रेणी भाग में शयनयान श्रेणी की 56 शायिकाएं होंगी। प्रोटोटाइप डिब्बों का सफलतापूर्वक विकास, करने के बाद ऐसे कोचों को सेवा में लगाया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोट्टूर-हरिहर तथा मुनीराबाद-महबूबनगर रेल लाइन

3408. श्री एच. जी. रामुलू :

श्री के. येरननायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के रेल बजट में कोट्टूर-हरिहर तथा मुनीराबाद-महबूबनगर रेल लाइनों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या आबंटित धनराशि को किसी दूसरी जगह लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कोट्टूर-हरिहर के लिए 5 करोड़ रुपये और मुनिराबाद-महबूबनगर रेल लाइन के लिए 0.01 करोड़ रुपये हैं।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में ओवर/अन्डर ब्रिज का निर्माण

3409. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा लेवल क्रासिंग पर ओवर/अन्डर ब्रिज के निर्माण हेतु कुछ प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) राज्य में निर्माणाधीन ओवर/अन्डर ब्रिजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पुलों के निर्माण हेतु 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

	1		2
1.	बैसगोदाम (जयपुर) में समपार सं. 85 और 220 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	1.	ऊपरी सड़क पुल 19.1.1996 को खोल दिया गया है।
2.	रिंगस के समपार सं. 107 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	2.	रेलों का हिस्सा 31.12.1997 को पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों पर भी कार्य पूरा हो गया है।
3.	सेवार में समपार सं. 238 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	3.	कार्य चालू है, 10% प्रगति हो चुकी है।
4.	कोटा में समपार सं. 109 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	4.	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। सामान्य व्यवस्था आरेखण पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	जोतवारा में धर का बालाजी में समपार सं. 87 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	5.	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। रेलों के हिस्से के कार्य के लिए संविदा आमंत्रित कर दी गई है। राज्य सरकार ने भी पहुंच मार्गो पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
6.	गतोर जगतपुरा गांधी नगर (जयपुर) में समपार सं. 216 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	6.	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। रेलों के हिस्से के कार्य के लिए संविदा आमंत्रित कर दी गई है और कार्य शुरू हो चुका है।
7.	किशनगढ़ में समपार से. 28 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	7.	राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक पूर्वापेक्षाएं अभी पूरी की जानी हैं जिसके पश्चात् योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और

1		2
		कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
8.	सुरतगढ़-भटिंडा खंड में हनुमानगढ़ में समपार सं. 71/ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	8. राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक पूर्वापेक्षाएं अभी पूरी की जानी है।
9.	बसनी सलवास खंड में बसनी स्टेशन के निकट समपार सं. सी/209 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (निक्षेप कार्य)	9. राज्य सरकार ने अभी तक प्रोफाइल रूपरेखा और संक्षिप्त अनुमान स्वीकार नहीं किए हैं क्योंकि कार्य निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जाना है।
10.	पाली-मारवाड़ के निकट जोधपुर-मारवाड़ खंड में समपार सं. सी/38 के स्थान पर निचला सड़क पुल (निक्षेप कार्य)	10. रेलों ने प्रोफाइल रूपरेखा स्वीकृत कर दी है। कार्य निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा औपचारिक आवश्यकताएं अभी पूरी की जानी हैं।
11.	जोधपुर के निकट राय-का-बाग और महामंदिर के बीच पओटा 'सी' रोड समपार सं. सी-3 के स्थान पर निचला सड़क पुल।'	11. कार्य 1997-98 में स्वीकृत कर दिया गया है। रेलों के हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के हिस्से के कार्य की प्रगति 70% है।

(ग) 1. सेवार में ऊपरी सड़क पुल

2. कोटा में ऊपरी सड़क पुल

3. धर का बालाजी में ऊपरी सड़क पुल

4. गांधी नगर (जयपुर) में ऊपरी सड़क पुल

5. जोधपुर के निकट राय का बाग और महामंदिर के बीच पओटा 'सी' रोड पर निचला सड़क पुल।

प्रगति और अन्य ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के क्र. सं. 3, 4, 5, 6 और 11 में उल्लिखित के अनुसार है।

(घ) 1995-96 - 30.00 लाख

1996-97 - 44.13 लाख

1997-98 - 155.51 लाख

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

3410. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इनके विमानों की उड़ानों और उनकी मरम्मत पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं की कोई जांच करायीं गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इसमें जान और माल की कितनी क्षति हुई?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का एक विमान अर्थात् भिलाई इस्पात संयंत्र का बीच-क्राफ्ट किंग एयर एफ-90 (वी टी ई एल जैड) दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी उड़ानों और मरम्मत पर निम्नलिखित व्यय हुआ था :

(लाख रुपये)

वर्ष	ईंधन	मरम्मत एवं अनुरक्षण*	कुल
1995-96	22.90	75.19	98.09
1996-97	18.60	55.93	74.53
1997-98			
(2.2.98 तक)	13.44	97.16	110.60

* मरम्मत एवं अनुरक्षण प्रभारों में मूल्य ह्रास, बीमा प्रीमियम, वेतन और प्रशासनिक व्यय शामिल है।

(ग) और (घ) दुर्घटना की जांच करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक (डी जी सी ए) नागर विमानन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) पायलट सहित 'सेल' के 6 पदाधिकारियों की जानें गईं तथा विमान और सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

[अनुवाद]

ड्राइवर रहित रेलगाड़ियां

3411. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'ड्राइवरलेस ट्रेन्ज सी ग्रीन लाइट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ड्राइवर रहित रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किया जायेगा; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। यह भावी विकल्प के लिए एक लेख है जो विकसित सूचना प्रणाली और उन्नत सुविधाओं से वास्तविकता बन सकती है। देश में ऐसी कोई सुविधा अभी तक विकसित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कटक में रेल यार्ड का निर्माण

3412. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में रेलवे यार्ड का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) कटम में रेलवे यार्ड पहले से ही विद्यमान है, आगामी वर्षों में बढ़े हुए यातायात को सम्हालने के लिए कटक-पारादीप दोहरीकरण परियोजना के भाग के रूप में इसका और विकास किया जाएगा जिसका दोहरीकरण पूरा हो जाने के बाद संचलन किया जाएगा।

विमानपत्तन पर पोर्टर सुविधाएं

3413. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर वरिष्ठ नागरिकों, हड्डी रोगों के मरीजों की सहायता के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा निजी विमान सेवाओं की भांति पोर्टर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर पोर्टर सुविधाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) एयर इंडिया को जब कोई अनुरोध किया जाता है तब वह वरिष्ठ नागरिकों तथा हड्डी रोगों के मरीजों की सहायता के लिए पोर्टर सुविधाएं मुहैया कराती है। जबकि इंडियन एयरलाइंस पोर्टर सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, लेकिन विमानकंपनी ने हवाई अड्डों पर अकेले अव्यस्कों वरिष्ठ नागरिकों, व्हील चेयर यात्रियों तथा ऐसे यात्री जिन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता हो उनकी सहायता के लिए यात्री सेवा काउंटर खोले हुए हैं। जबकि हवाई अड्डों पर निःशुल्क लगेज ट्रालियां उपलब्ध हैं किसी प्रकार की कोई अन्य पोर्टर सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में रिक्त पद

3414. श्री रामशकल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में वर्तमान समय में श्रेणीवार कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि इन पदों पर नियुक्ति के समय आरक्षण नीति का पालन किया जाए?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना एकत्र होते ही यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा कर्मियों को मकान किराया भत्ता

3415. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे वेतन आयोग के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी से आवास उपलब्ध न कराए जाने संबंधी प्रमाण पत्र (एन ए सी) उपलब्ध कराने की शर्त पर रक्षा कर्मियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान करने के आदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सक्षम प्राधिकारियों ने इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कर्मियों के पास सरकारी आवास नहीं है, ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने को रोक रखा है अथवा इससे इंकार किया है और जबकि अन्य स्थानों पर ऐसे कर्मियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान जारी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के उपचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी ने कतिपय स्पष्टीकरण मांगे हैं जो जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

मैंगनीज संयंत्रों की स्थापना

3416. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के अधीन फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी है;

(ख) भारबेली, बालाघाट में मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के निर्माणाधीन फैरो मैंगनीज संयंत्र की क्षमता कितनी है; और

(ग) यह संयंत्र कब तक पूरा हो जाएगा?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) मैंगनीज ओर इंडिया (लि.) द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भारवेली खान पर 10,000 टन वार्षिक क्षमता का एक फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। संयंत्र संबंधी अधिकांश कार्य पूर्ण हो गया है और बहुत जल्दी इसे चालू किया जाएगा।

स्कूलों/कालेजों में एन. सी. सी. का प्रशिक्षण

3417. श्री मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विश्वविद्यालयों और कालेजों की राज्यवार संख्या क्या है जहां एन. सी. सी. का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या एन. सी. सी. के छात्रों में समुचित प्रशिक्षण का व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में समस्त शहरी और ग्रामीण स्कूलों और कालेजों में एन. सी. सी. एवं जूनियर एन. सी. सी. प्रशिक्षण आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के व्यय के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करती हैं। केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए धन की व्यवस्था करती है (1) राष्ट्रीय कैडेट कोर में सेवारत सभी सैन्य कार्मिकों (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के राज्य निदेशालयों में सेवारत सिविलियन कार्मिकों के वेतन और भत्ते (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिटों के उपकरण, (4) प्रशिक्षण गोलाबारूद और (5) राष्ट्रीय कैडेट कोर के विभिन्न कैंपों पर होने वाले व्यय का 50%।

राज्य सरकारें निम्नलिखित के लिए धन की व्यवस्था करती हैं: (1) राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालयों और यूनिटों के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर के एसोसिएट अफसरों के प्रशिक्षण (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के लिए धुलाई और पोलिशिंग भत्ते (4) मोटर वाहनों के वास्ते पेट्रोल तेल और स्नेहक (5) राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालयों द्वारा अधिकार में लिए गए भवनों का किराया और (6) राष्ट्रीय कैडेट कोर के विभिन्न कैंपों पर होने वाले व्यय का 50%।

(घ) और (ङ) फिलहाल केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

उन विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या जिनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्र.सं.	राज्य/सं. राज्य क्षेत्र का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या	कालेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	254
2.	बिहार	5	228
3.	दिल्ली	4	51
4.	गुजरात	5	219
5.	दीव एवं दमन	-	
6.	दादरा एवं नगर हवेली		-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	2	30

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	7	299
9.	गोवा	1	18
10.	केरल	4	168
11.	लक्षद्वीप	-	-
12.	मध्य प्रदेश	11	242
13.	असम	2	99
14.	महाराष्ट्र	14	615
15.	अरुणाचल प्रदेश	1	3
16.	मेघालय	1	9
17.	मिजोरम	1	2
18.	मणिपुर	1	12
19.	नागालैंड	-	8
20.	त्रिपुरा	1	8
21.	उड़ीसा	4	115
22.	पंजाब	4	212
23.	हरियाणा	3	133
24.	हिमाचल प्रदेश	3	40
25.	चंडीगढ़	1	16
26.	राजस्थान	5	131
27.	तमिलनाडु	11	279
28.	पांडिचेरी	1	11
29.	अंडमान निकोबार	–	2
30.	उत्तर प्रदेश	20	1154
31.	पश्चिम बंगाल	6	191
32.	सिक्किम	-	1
	जोड़	126	4550

[अनुवाद]

मरियान-जौनपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3418. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में मरियान तथा जौनपुर के बीच मीटर गेज रेल लाइन है तथा मरियान के समीप अन्य सभी बड़ी रेल लाइनें हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 58 कि.मी. लम्बी इस मीटर गेज रेल लाइन को कब तक बड़ी रेल लाइन में बदलने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। मरियाहु-जौनपुर पहले से ही बड़ी लाइन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि उत्पाद विपणन समिति

3419. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कृषि उत्पाद विपणन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को पुन: शुरू करने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूतपूर्व रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग

3420. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या रक्षा मंत्री 'मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमान का उपयोग' के बारे में 4 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्य 1314 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व रक्षा मंत्री द्वारा वायुसेना के विमान के उपयोग पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ख) क्या उनके द्वारा किए गए स्थानों की रक्षा संबंधी कोई प्रासंगिकता है और यदि हां, तो वहां किया गया सरकारी कार्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा मंत्री द्वारा वायुसेना के विमान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई नियम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन दौरों पर हुए खर्च की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : पूर्व रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना की वी आई पी फ्लाइटों के इस्तेमाल पर कुल व्यय 41.57 करोड़ रुपए आंका गया है।

(ख) दिए गए उत्तर में निर्दिष्ट सभी मात्राएं सरकारी बताई गई हैं।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए मौजूदा अनुदेश भारतीय वायुसेना के वायुयानों की वी आई पी फ्लाइटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

3421. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और उसके लिए गठित परवर्ती कार्य दल के गठन और निदेश पद का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त के गठन के बाद से अब तक हुई बैठकों और उनमें की गई परिचर्चाओं के निष्कर्ष का बैठकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य दल द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने 24 अगस्त, 1990 को एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा विदेश मंत्री इसके सदस्य थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सैन्य तथा आर्थिक क्षेत्रों में बदलते हुए बाहरी परिवेश तथा घरेलू हालातों के मध्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने के लिए समन्वित नजरिए का विकास करना था क्योंकि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है।

2. 14 अप्रैल, 1998 को सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना, भूमिका और कार्य निर्धारित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है जिसके अध्यक्ष श्री के. सी. पंत और सदस्य श्री जसवंत सिंह, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा संयोजक एयर कमोडोर जसजीत सिंह निदेशक (आई डी एस ए) हैं।

3. इस सुरक्षा परिषद की केवल एक ही बैठक दिसंबर, 1990 में हुई थी तथा अधिकांशतः इसने कोई कार्य नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपनी पहली बैठक में अपनी भूमिका और कार्य से संबंधित सामान्य मुद्दों तथा सुरक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित कार्य बलों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।

4. कार्य बल ने पहले ही सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

जेट एयरवेज का अनुरोध

3422. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस धारक जेट एयरवेज ने सरकार से व्यापक, सतत् तथा संगत नागर विमानन नीति तैयार करने तथा इसे पारदर्शी रूप से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वतंत्र विनियामक विमानन प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) विमानन विशेषज्ञों तथा विभिन्न विमान कंपनी प्रचालकों से सुझाव/विचार आमंत्रित करने के उपरांत, सरकार नागर विमानन संबंधी राष्ट्रीय नीति का एक बृहत प्रारूप तैयार कर रही है।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादों का निर्यात

3423. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की अत्यधिक संभावनाएं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीयों की क्षमताएं और लागत फायदे रक्षा उत्पादों और इंजीनियरी सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए लाभदायक हैं। तथापि, विश्वभर में रक्षा बजट में कटौती किए जाने और कड़ी प्रतिस्पर्धा होने से निर्यात प्रगति में रुकावट आई है। इसके बावजूद, रक्षा निर्यात में सतत् वृद्धि दर्ज की गई है जोकि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात
1994-95	76.25
1995-96	96.00
1996-97	143.48
1997-98	186.27

(ख) और (ग) आयुध निर्माणी बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने उन उत्पादों और लक्ष्य बाजारों का पता लगाया है जिनके लिए उन्होंने अन्य तथा दीर्घकालिक कार्ययोजनाएं तैयार की हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में सहभागिता, सतत् प्रचार अभियान, भारतीय एयरोस्पेस प्रदर्शनी, एयरोइंडिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों से परस्पर विचार-विमर्श तथा संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देना शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के अग्रिम आयात लाइसेंस की नीलामी

3424. **श्री के. एस. राव** : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) की अग्रिम आयात के लाइसेंस का मूल्य कितना है;

(ख) क्या मेटल एंड स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एस टी सी) ने 'सेल' और 'वी एस पी' की अग्रिम आयात लाइसेंसों की नीलामी में प्रमुख विक्रेता एजेंट के रूप में कार्य किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें एम एस टी सी को 'सेल' और 'वी एस पी' के मुख्य विक्रेता एजेंट के कार्य से अलग किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सेल और वी एस पी के लिए इस प्रणाली को पारदर्शी और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) गत तीन वर्षों, अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) के अग्रिम आयात लाइसेंसों का मूल्य लगभग 1980.43 करोड़ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) अग्रिम आयात लाइसेंसों के निपटान की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और लाभप्रद बनाने के लिए सेल और वी एस पी द्वारा उपाय किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में कोयला डिपो

3425. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे. जे. कालोनियों, जनता फ्लैट कालोनियों, स्ववित्त पोषित कालोनियों तथा एल आई जी और एम आई जी कालोनियों में कोयला डिपो के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) द्वारा आबंटित किए गए स्थलों का आज की तिथि के अनुसार क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थायी आधार पर, पट्टे पर और लाइसेंस शुल्क आधार पर आबंटित स्थलों की योजनावार संख्या क्या है;

(ग) क्या आबंटियों द्वारा लाइसेंस शुल्क इत्यादि सहित अन्य देनदारियों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो आज तक उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी देनदारियां बकाया हैं;

(ङ) दि.वि.प्रा. द्वारा अपनी योजनानुसार और आबंटियों के अनुरोध पर अब तक परिवर्तित किए गए स्थलों की संख्या क्या है;

(च) क्या सभी कोयला डिपो अपने लाइसेंस करारों के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो लाइसेंस धारकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों का ब्यौरा क्या है तथा तत्पश्चात् क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित कोयला डिपो स्थलों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :

1. नरायणा में श्री के. सी. सेठी को आबंटित कोयला डिपो प्लाट सं. जी-1 (लाइसेंस फीस आधारित)
2. नारायणा डब्ल्यू एच एस, नरायणा रिहायशी चरण-2 में श्री प्रदीप मोहन को आबंटित कोयला डिपो प्लाट (पट्टा आधारित)
3. विवेक विहार में श्री अशोक आहलूवालिया को आबंटित कोयला डिपो प्लाट सं. 3 (पट्टा आधारित)
4. युसूफ सराय में श्री सुरेन्द्र नाथ, पूर्व कैप्टन को आबंटित कोयला डिपो (पट्टा आधारित)
5. नारायण में मैसर्स उप्पल कोल कंपनी को आबंटित कोयला डिपो प्लाट (लाइसेंस फीस आधारित)
6. नारायणा में मैसर्स सहरावत कोल कंपनी को आबंटित कोयला डिपो प्लाट (लाइसेंस फीस आधारित)
7. हौजखास में श्री रमेश चन्द शर्मा को आबंटित कोयला डिपो (पट्टा आधारित)
8. पश्चिमपुरी, पाकेट-III, प्लाट सं. 3 पर श्रीमती रत्ना देवी को आबंटित (रद्द) कोयला डिपो प्लाट (लाइसेंस फीस आधारित)।

(ग) और (घ) कुछ आबंटी लाइसेंस फीस अदा नहीं कर रहे हैं। मांगपत्र जारी किए गए थे परंतु भुगतान करने की बजाए उन्होंने मांग

के विरुद्ध न्यायिक मामले दायर किए हैं। ऐसे आबंटियों के पास बकाया राशि न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई स्थल परिवर्तन नहीं किया है।

(च) से (ज) कोयले की आपूर्ति न होने के कारण कुछ आबंटियों ने अन्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्थल परिवर्तन का अनुरोध किया है। कोयला डिपो स्थल सं. III पश्चिमपुरी दुरुपयोग/अनधिकृत निर्माण के कारण रद्द कर दिया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्व-वित्त पोषित स्कीम फ्लैटों के निर्माण के लिए कब्जा ले लिया है।

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3426. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को भुगतान की गयी उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन राशि और इसके उत्पादकता पर प्रभाव के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इंडियन एयरलाइंस प्रबंधन को निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कहां तक स्वीकार किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट की जांच की गई है और उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन स्कीमों की समीक्षा करने का फैसला किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये स्कीमें सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हैं।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन

निजी प्रचालकों के आने से इंडियन एयरलाइंस के कुशल और प्रशिक्षित लोग इंडियन एयरलाइंस छोड़कर जाने लगे जिससे विमानों का उपभोग बहुत ही न्यून रहा। फलस्वरूप मार्केट भागीदारी में कमी आयी। (वर्ष 1995-96 में घटकर 56 प्रतिशत रह गई) यात्रियों की संख्या में कमी आयी वर्ष 1991-92 के 8.9 मिलियन से घटकर 1994-95 में 7.6 मिलियन) तथा वार्षिक निवल हानि 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हुई। इस स्थिति से उबरने के लिए इंडियन एयरलाइंस को पूर्व स्थिति बहाली के लिए रणनीति बनानी पड़ी तथा इसका कार्यान्वयन करना पड़ा। पूर्व स्थिति बहाली की इस रणनीति में एक बात यह भी थी कि "बढ़ी हुई उत्पादकता के आधार पर यूनियनों के साथ समझौता किया जाए।"

पूर्व स्थिति बहाली रणनीति में उठाए गए विभिन्न कदमों तथा किए गए समझौतों के फलस्वरूप 258 करोड़ रुपये की निवल हानि घट कर वर्ष 1997-98 में 45 करोड़ रुपये का निवल लाभ हो गई। विमानों की उपलब्धता में वृद्धि हुई तथा विमान उपभोग भी अब 2600 घंटे प्रति विमान प्रतिवर्ष के स्वीकार्य औसत से अधिक है।

औसत पायलट घंटे वर्ष 1993 में 50 घंटे थे जो बढ़कर 75 घंटे हो गए। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन के साथ हुए समझौते में 80 घंटे प्रतिमाह की सीमा बांधी गई है। इसे देखते हुए यह बहुत ऊंचा औसत है।

वर्ष 1995 में कमांडरों की उपलब्धता 17 थी जो वर्ष 1996 में 59 हो गई और इनकी कमी पूरी तरह समाप्त हो गई।

सशस्त्र सेनाओं में सिविल सेवा अधिकारियों को शामिल करना

3427. श्री नरेश पुगलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेना मुख्यालय के सिविल सेवा अधिकारियों ने सरकार को सशस्त्र सेनाओं में ऐसी जगह सिविलियन अधिकारियों को शामिल करने के लिए कोई विस्तृत अभ्यावेदन दिया है जहां तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय बड़ी संख्या में सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक, प्रशासनिक और गैर-तकनीकी पदों पर विराजमान हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन अफसर एसोसिएशन ने अभ्यावेदन दिया है कि सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अंतरसेवा संगठनों में नियुक्तियों के अयोधीकरण के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा कार्यान्वयन किया जाए। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 33.16 में यह सुझाव दिया है कि रक्षा मंत्रालय को एक समिति का गठन करना चाहिए ताकि सशस्त्र सेनाओं और अंतरसेवा संगठनों के विभिन्न विंगों में मौजूदा असैनिक योधी अनुपात का पुनरीक्षण किया जा सके और असैनिकीकरण के लिए पदों का पता लगाया जाए। इस मुद्दे पर अभी विचार किया जाना है।

दक्षिण अफ्रीका के लिए सीधी उड़ान

3428. श्रीमती शीला गौतम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के लिए सीधी उड़ान शुरू करने संबंधी अनुमति देने वाले प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एयर इंडिया के पास पहले ही भारत-दक्षिण अफ्रीका विमान सेवा करार के अधीन दक्षिण अफ्रीका के लिए सीधे विमान सेवाओं के प्रचालन के अधिकार हैं। तथापि, यात्रियों की संख्या में कमी के कारण, इस समय सेवाओं का प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

सशस्त्र बलों में भर्ती

3429. श्री हरी केवल प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सेना के तीनों अंगों में पर्याप्त सैनिक हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) हमारी रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में पर्याप्त सैनिक हैं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चालू रेल परियोजनाएं

3430. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही तथा शुरू की जा रही नई परियोजनाओं का राज्यवार और जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान परियोजनावार कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमजीवी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

3431. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस के दिनांक 21 मई, 1998 को पूर्व रेलवे के बक्सर-मुगलसराय सेक्शन पर पटरी से उतर जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना में मारे गए/घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है और सरकार की कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। 21 मई, 1998 को पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के चौसा और गहमर स्टेशनों के बीच 2401 अप श्रमजीवी एक्सप्रेस के 8 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना का कारण रेलपथ की खराबी है।

(ग) इस दुर्घटना में एक यात्री को मामूली चोट आई। इस दुर्घटना में 65,000 रुपये की सरकारी संपत्ति की हानि का अनुमान लगाया गया था।

(घ) दुर्घटना की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी।

(ङ) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार रेलपथ की बकलिंग के कारण दुर्घटना हुई।

रेल मंत्री के अतिथियों पर किया गया व्यय

3432. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर, 1994 से जून, 1996 तथा जुलाई, 1996 से दिसंबर, 1997 की अवधि के दौरान रेल मंत्री और उनके अतिथियों के खाने तथा जलपान पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रेल मंत्री तथा उनके अतिथियों पर रेलवे विश्रामगृहों, प्रतीक्षा गृहों तथा रेस्तराओं को कितनी धनराशि वहन करनी पड़ी; और

(ग) इस धनराशि को किस खाते से खर्च किया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सशस्त्र बलों के लिए मकान किराया भत्ता

3433. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते की सुविधा सशस्त्र बलों को उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार किए जाने वाले पक्षपात के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को, उन्हीं नियत मानों के अनुसार, मकान किराया भत्ता अदा किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं जिनकी अधिसूचना सिविलियन कर्मचारियों के लिए जारी की गई है। बशर्ते कि विद्यमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनके वास्ते आवास की व्यवस्था नहीं की जा सकती हो और निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हो :

(i) अफसर को किसी भी प्रकार का आवास आबंटित नहीं किया गया हो–इसमें एकल आवास, पृथक परिवार आवास, मार्गस्थ आवास भी शामिल हैं।

(ii) अफसर मैस में नहीं रहता हो, जहां इमदादी किराए लागू होते हों।

(iii) अफसर ने किसी भी आबंटित आवास को लेने से इंकार नहीं किया हो इसमें पृथक परिवार आवास भी शामिल हैं चाहें वह उसे आबंटित किया गया हो या उसके वास्ते किराये पर लिया गया हो।

2. सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को मकान किराया भत्ता देना पहली बार प्रारंभ किया गया है। उपर्युक्त शर्तें सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के वास्ते ही निर्धारित की गई हैं क्योंकि सिविलियन कर्मचारी इन सुविधाओं के हकदार नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र को हुई हानि

3434. श्री मोहन सिंह :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को संयंत्रवार कितना-कितना लाभ हुआ अथवा कितनी-कितनी हानि हुई;

(ख) इन कंपनियों को घाटा होने के कारण क्या थे; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी/निजी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ/हुई हानि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये)

कंपनी का नाम	लाभ (+) हानि (-)	
सरकारी क्षेत्र		
1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	(+)	149
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	(-)	419*
निजी क्षेत्र		
1. मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	(+)	322.08
2. मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड	(+)	24.70
3. मैसर्स लायड स्टील इंडस्ट्री	(-)	58.81
4. मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	(+)	55.17
5. मैसर्स जिन्दल आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	(+)	31.24
6. मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	(+)	73.31

* सरकार द्वारा 27.5.98 को दी गई वित्तीय राहतों को ध्यान में रखने से पूर्व।

(ख) हानि के मुख्य कारणों में आदान लागतों में वृद्धि, निर्यात और घरेलू बाजार में मांग में मन्दी, पूंजी संबद्ध उच्च प्रभार अर्थात् ब्याज और मूल्य ह्रास तथा अर्थ व्यवस्था में सामान्य मन्दी होना शामिल है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. उत्पादन संबंधी गत्यावरोधों को दूर करने के लिए क्रान्तिक क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियां लागू करना।
2. उत्पाद मिश्र का सुधार करना।
3. आर आई एन एल के ब्याज के बोझ को कम करने के लिए उसके पूंजीगत आधार पर पुर्नसंरचना करना।
4. इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास, आवास, विद्युत और राजमार्गों के लिए 1997-98 के बजट में प्रस्तावित आबंटन में वृद्धि करना।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

3435. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं तथा लागत और विकास गतिविधियों पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1997-98 से एक जुलाई, 1998 तक के दौरान रेल द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के द्वारा सेवा निवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग

3436. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेवानिवृत्त निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनकी सेवाएं गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गईं और प्राप्त की जा रही हैं;

(ख) इन अधिकारियों से किन विषयों पर सलाह प्राप्त की गई और प्राप्त की जा रही है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को ऐसे विषयों पर विशेषज्ञता प्राप्त है जिन पर वे अपनी सलाह दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये कार्य अपूर्ण रह गए हैं; और

(ङ) इनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए इनको कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क), (ख) और (ङ) विगत दो वर्षों के दौरान उन सेवानिवृत्त निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों (अतिरिक्त निदेशक/महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक) जिनकी सेवाएं स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा ली गई और ली जा रही है, के नामों और उन विषयों जिनके संबंध में इन अधिकारियों द्वारा सलाह ली गई थी और ली जा रही है तथा उनकी सेवाओं को लेने के लिए दी गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संबंधित अधिकारी अपने लंबे सेवाकाल के दौरान ऐसे ही विषयों पर कुछ समय तक काम कर चुके हैं तथा जिन विषयों पर उनसे सलाह ली गई उन पर उन्हें संबद्ध अनुभव है। वे विशिष्ट कार्यों में मुख्यत: इस संगठन के साथ घनिष्ठता, इस क्षेत्र में विशिष्ट पहल करने में सहायता तथा बाहरी एजेंसी को लगाने की तुलना में लागत प्रभाविता के कारण लगे हुए थे/हैं। इन निर्धारित कार्यों में इन अधिकारियों के व्यापक अनुभव को कुछ उन चालू कार्यों के विशिष्ट क्षेत्रों के संवर्धन और अभिवृद्धि में उपयोग में लाना जिनको नेमी रूप से नहीं लिया गया था/लिए गए हैं।

विवरण

विगत दो वर्षों में सेल द्वारा लाभ पर लगाए गए सेवानिवृत्त निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (अतिरिक्त निदेशक/महा प्रबंधक/कार्यकारी निदेशक की सूची

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद	अवधि जिसके लिए नियुक्त किए गए	पारिश्रमिक	क्षेत्र जिनमें उनकी सेवाएं ली गईं
1	2	3	4	5	6
1.	ए के राव	ई डी (परि.) सी ओ	10.3.98 से 9.9.98	14,500 रुपए प्रतिमाह	असम में दागांव में हाट डिप गैलब्रेनाइजिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने में विशिष्ट क्षेत्र में सहायता करना।
2.	एल ए के सिन्हा	ई डी एंड सी एस निगम कार्यालय	10.3.98 से 9.9.98	14,500 रुपए प्रतिमाह	निम्नलिखित के संबंध में सलाह देना: (क) विलयन/अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे (ख) संगम अनुच्छेद में संशोधन, और (ग) कागजातों का प्रारूपण/शेयर विभाग और पी डी एस हेतु आई एस ओ 9002 के लिए पद्धतियों का विकास।

1	2	3	4	5	6
3.	एन दास	ई डी (प्रोज एंड मोड) आर एस पी	4.3.98 से 3.8.98	12,000 रुपए प्रतिमाह	अचल/अधिशेष/स्पेयरेबुल माल सूची में कमी के लिए योजना तथा विशेषत: उच्च मूल्य वाली मदों के आदानों के लागत क्षेत्र में लागत में कमी।
4.	जे एस सालूजा	ई डी (सेलकोन) सी ओ	2.8.97 से 30.7.98	14,500 रुपए प्रतिमाह	भारत और विदेशों में लोहा एवं इस्पात उद्योगों में तप्त धातु के उत्पादन के लिए रोमेल्ट प्रक्रिया को शुरू करना और उपयोग करना। रोमेल्ट सेल इंडिया लि. सेल के एक संयुक्त उद्यम का मुख्य कार्यकारी।
5.	पी के सिन्हा	महा प्रबंधक (विधि) सी एम ओ	1.11.96 से 3.5.98 4.5.98 से एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।	15,000 रुपए प्रतिमाह	सी एम ओ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/जहाजरानी, विदायन आदि विवादों को निपटाने में कानूनी सलाह देना।
6.	डी पी वाजपेयी	महाप्रबंधक (खान) वी एस पी	2.8.97 से 1.8.98	13,000 रुपए प्रतिमाह	रोघ्राट परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों में सलाह देना और इस परियोजना के संबंध में सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
7.	आर नारायणन	महा प्रबंधक (एमएम) डी एस पी	19.3.97 से 18.8.98	13,000 रुपए प्रति माह	डी एस पी आधुनिकीकरण पैकेज को समाप्त करने संबंधी करार।
8.	ए सी मंडल	ई डी (प्रोजेक्ट) डी एस पी	23.3.98 से 22.6.98	14,500 रुपए प्रतिमाह	98 और 99 की प्रथम तिमाही के दौरान कोयले के सीमित आबंटन को ध्यान में रखते हुए डी एस पी की धमन भट्टी के प्रचालन के नीति निरूपण में सहायता करना।
9.	एस बनर्जी	महाप्रबंधक (एफ एंड ए) इस्को	2.6.97 से 1.12.97	13,000 रुपए प्रतिमाह	इस्को, उज्जैन की प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में व्यवस्था को कारगर बनाना।
10.	पी एन सिंह	निदेशक (कार्मिक)	1.11.97 से 30.4.98	15,000 रुपए प्रतिमाह	उत्पादकता एवं निष्पादन से संबंद्ध मजदूरी के लिए नीतियां तैयार करने में परामर्श देना। हाल ही में न्यायालय द्वारा की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए सेल में ठेका श्रमिक के प्रबंधन का अध्ययन करना।

1	2	3	4	5	6
11.	जी एस खुटिया	ई डी (कार्य) सी ओ	1.9.97 से 28.2.98	14,500 रुपए प्रतिमाह	पारादीप पतन से सेल संयंत्रों को उन्नत आयातित कोयले के संचलन हेतु समन्वय। वारसुआ और काल्टा से लौह अयस्क डले/चूरे की गुणवत्ता पर आर एम डी और आर एस पी के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि तीन-चार रैक प्रतिदिन की दर से संचलन सुनिश्चित हो सके। आर एम डी खानों के वानिकी संबंधी स्वीकृति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई।
12.	सी डी चटर्जी	ए डी (उपोत्पाद) सी ओ	1.6.97 से 29.5.98	10,000 रुपए प्रतिमाह	ठोस अपशिष्ट प्रबंध और इस्पात स्क्रैप पुनर्बेलन आदि संबंधी परियोजना।
13.	डा. पी के राव	ई डी (सी ई टी)	12.8.96 से 11.8.97	16,000 रुपए प्रतिमाह	निम्नलिखित पैकेजों को मानीटर करना : - बी एस पी पर सिंटर प्लान 3 - बी एस पी और बी एस एल पर कौल डस्ट इंजक्शन - रोमेल्ट प्रौद्योगिकी पर जे बी - जे बी एस एल की सी एच एस जी प्रणाली
14.	ए के विस्वास	ई डी (परि)	17.5.96 से 16.10.96	54,000 रुपए शुल्क रिपोर्ट के लिए 36,000 रु.	परियोजना मैनुअल को अद्यतन बनाना।
15.	वाई पी शर्मा	प्रबंध निदेशक डी एस पी	2.1.96 से 1.6.96	12,000 रुपए प्रतिमाह	ए एस पी के लिए उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधार योजना।
16.	एस बालाकृष्णन	ई डी (पी एंड ए) सी ओ	1.1.96 से 31.12.96	10,8000 रुपए (समेकित)	ठेका श्रमिक पर अध्ययन।
17.	एस सी सूरी	ई डी (व्यापार नियोजन) सी ओ	4.10.96 से 3.10.97	9,000 रुपए प्रतिमाह	सेल की निवेश योजना तैयार करना, प्रबंधकीय परस्पर संयंत्रों के जरिए लाभ और वृद्धि संबंधी अध्ययन को समन्वित करना।

[अनुवाद]

"मुंबई-औरंगाबाद-जयपुर-दिल्ली" मार्ग पर असंतोषजनक विमान सेवा

3437. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-औरंगाबाद-जयपुर और दिल्ली और इन स्थानों से वापिस मुम्बई की विमान सेवा संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु औरंगाबाद के लिए निजी विमान सेवा शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) एलांयस एयर प्रतिदिन मुम्बई-औरंगाबाद-उदयपुर-जयपुर-दिल्ली सेक्टर पर बी-737 विमान सेवा प्रचलित करती है जबकि वह मुम्बई-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली मार्गों पर सप्ताह में तीन दिन बी-737 विमान सेवा प्रचालित करती है। इंडियन एयरलाइंस मुंबई-अहमदाबाद-जयपुर-कलकत्ता और वापसी मार्ग पर सप्ताह में तीन दिन ए-320 विमान सेवा प्रचालित करती है। जेट एयरवेज भी दैनिक बी-737 विमान सेवा द्वारा दिल्ली/मुम्बई के साथ औरंगाबाद को भी जोड़ती है।

विमान कंपनियां मार्ग आबंटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्यधीन यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

सरकारी आवास को रखने संबंधी अनुमति

3438. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके तहत किसी सरकारी कर्मचारी की पूर्वोत्तर राज्यों में नियुक्ति के पश्चात उसे दिल्ली में आबंटित आवास को अपने पास रखने की अनुमति होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां। उत्तर-पूर्वी राज्यों में तैनाती पर वहीं आवास बनाए रखने की अनुमति हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस बारे में कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

सिगनलिंग प्रणाली

3439. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आधुनिक सिगनलिंग प्रणाली आरंभ करके रेल के सुरक्षा उपायों को समुन्नत बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा आधुनिक सिगनलिंग प्रणाली आरंभ करने से दुर्घटनाओं को रोकने में कितनी सहायता मिली है;

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1997 के बीच कुल कितने सिगनलों की स्थापना की गई है; और

(ङ) 1998 तक स्थापित किए जाने वाले आधुनिक सिगनलिंग प्रणाली का अन्य प्रस्ताव कौन सा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलों पर आधुनिक सिगनल प्रणाली तथा अन्य संरक्षा उपाय जैसे रेलपथ परिपथन, पैनल अंतर्पाशन, रूट रिले अंतर्पाशन, सालिड स्टेट अंतर्पाशन, धुरा कांउटर द्वारा खंड की जांच, दूसरे दूरस्थ सिगनल अपनाने आदि पर बल दिया गया है।

(ग) आधुनिक सिगनल उपस्कर जैसे रेलपथ परिपथन, रूट जिले अंतर्पाशन, पैनल अंतर्पाशन, दूसरे दूरस्थ सिगनल, धुरा काउंटर से अंतिम गाड़ी की जांच इत्यादि से मानवीय विफलताओं को कम करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती हैं। बहरहाल, आधुनिक सिगनल प्रणाली से किस सीमा तक रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिली है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है।

(घ) अप्रैल-दिसंबर, 1997 के दौरान बड़ी संख्या में आधुनिक सिगनल और संरक्षा प्रणाली स्थापित की गई जैसे 114 स्टेशनों में रनथ्रू लाइनों पर उल्लंघन चिन्ह (एफ एम) से उल्लघंन चिन्ह (एफ एम) तक रेलपथ परिपथन, 125 स्टेशनों पर सीधे भाग पर उल्लंघन चिह्न से ब्लाक खंड सीमा (बी एस एल) तक, 75 स्टेशनों पर लूप लाइनें और 75 स्टेशनों पर उल्लंघन चिन्ह से ब्लाक सीमा खंड (टर्नआउट), 92 स्टेशनों पर पैनल अंतर्पाशन, 5 स्टेशनों पर रूट रिले अंतर्पाशन, एक पर सालिड स्टेट अंतर्पाशन, 4 स्टेशनों पर धुरा काउंटर से अंतिम गाड़ी की जांच तथा 81 स्टेशनों पर दूसरा दूरस्थ सिगनल।

(ङ) 1998 के दौरान भारतीय रेल पर काफी संख्या में आधुनिक सिगनल प्रणाली स्थापित करने अर्थात् 91 स्टेशनों में रन थ्रू लाइनों पर उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक रेलपथ परिपथन, 202 स्टेशनों पर उल्लघंन चिन्ह से ब्लाक खंड सीमा (सीधे) तक, 102 स्टेशनों पर उल्लंघन चिन्ह से ब्लाक सीमा खंड (टर्न आउट) और 60 स्टेशनों पर लूप लाइन, 100 स्टेशनों पर पैनल अंतर्पाशन, 5 स्टेशनों पर रूट रिले अंतर्पाशन, 2 स्टेशनों पर सालिड स्टेट अंतर्पाशन, 5 स्टेशनों पर धुरा काउंटर से अंतिम गाड़ी परीक्षण तथा 100 स्टेशनों पर दूसरा दूरस्थ सिगनल, का प्रस्ताव है।

दिल्ली छावनी क्षेत्र में रक्षा विभाग की भूमि/भवन

3440. श्री के. एस. राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी क्षेत्र (गोपीनाथ बाजार) में भूमि/भवनों, जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो गयी है, का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तारीख और किन शर्तों पर मूल रूप से पट्टे पर दिया गया था;

(ख) वर्तमान में कितने परिवार उन भवनों में रह रहे हैं और उनकी दखलकारी की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली छावनी प्राधिकरण ने उपर्युक्त भवनों को खाली करवाने के लिए उनमें रह रहे व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन भवनों में रह रहे व्यक्तियों ने उस नोटिस के खिलाफ हाल ही में कोई प्रदर्शन/धरना दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) दिल्ली छावनी क्षेत्र (गोपीनाथ बाजार) में स्थित जिन भवनों/भूमि का पट्टा समाप्त हो गया है उनका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सर्वे सं.	पट्टे की अवधि की तारीख प्रारंभ	मध्य	शर्तें व निबंधन
1.	52/1	01.02.33	31.01.93	छावनी भूमि प्रशासन नियम 1925 की अनुसूची के अनुसार
2.	52/2	01.02.33	31.01.93	-वही-
3.	52/5	01.03.27	28.02.87	-वही-
4.	52/7	01.05.31	30.04.91	-वही-
5.	52/8	01.09.30	31.08.90	-वही-
6.	52/9 (दो भागों में उप विभाजित)	01.10.28	30.09.88	-वही-
7.	52/10	15.07.30	14.07.90	-वही-
8.	52/16	14.11.57	13.11.92	छावनी भूमि प्रशासन नियम 1937 अनुसूची IX के अनुसार
9.	52/14	25.05.25	24.05.74	वर्ष 1912 की छावनी संहिता के प्रपत्र 'ग' के अनुसार

(ख) इन भवनों में रहने वाले परिवारों की संख्या 225 हैं। इनमें से 42 परिवार अप्राधिकृत कब्जाधारी हैं तथा शेष के पट्टे समाप्त हो गए हैं।

(ग) और (घ) सर्वे सं. 52/14 के 42 अप्राधिकृत कब्जाधारियों को बेदखली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे के द्वारा लोक शिकायतों का निपटान

3441. श्री नरेश पुगलीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने लोक शिकायतों के निपटान में हो रही देरी के बारे में चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जोनल अपर रेलवे के महाप्रबंधकों की कांफ्रेस में लोक शिकायत निवारण तंत्र को कारगर बनाने के लिए जोर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन सी समयबद्ध कार्य योजना बनाई जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। क्षेत्रीय रेलों पर जन शिकायत निवारण तंत्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए 21.4.98 को बोर्ड कार्यालय में अपर महाप्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऐसी बैठकें साधारणतया मंत्रिमंडल सचिवालय, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग से प्राप्त संदर्भों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों यथा मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सामान्य जनता से प्राप्त शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखने के लिए वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने सभी अपर महाप्रबंधकों विशेषकर उत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधकों को सभी पुराने मामलों को अविलंब निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेश दिया है।

(ग) बैठक के दौरान, जन शिकायत तंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य रूप से बल दिया था। शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से जन शिकायत निवारण तंत्र को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

(1) यात्रियों तथा अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के प्रति शिष्ट व्यवहार करने के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) मंडल एवं क्षेत्रीय स्तरों पर दिन निर्धारित किए गए हैं जिन पर आम जनता अपनी शिकायतों को मौके पर ही निपटान के लिए जन शिकायत अधिकारियों से मिल सकती है।

(3) बोर्ड कार्यालय में कार्यपालक निदेशक, जनशिकायत जो मंत्रालय में जन शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य कर

रहे हैं और शिकायत संबंधी मामले देख रहे हैं। जनता का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय उनसे मिल सकता है।

(4) जन शिकायत अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर क्षेत्रीय रेलों की समय सारणियों में प्रकाशित किए गए हैं जिन पर मुख्यालयों में अपर महाप्रबंधक और मंडल कार्यालयों में अपर मंडल रेल प्रबंधकों से शिकायतों के बारे में संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों पर निगरानी रखने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों में निगरानी कक्षों का गठन किया गया है। शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायतें लिखित में देने के अलावा टेलीफोन और फैक्स पर भी दे सकते हैं।

(5) स्टेशनों, गाडियों और जनता से संपर्क रखने वाला अन्य सभी महत्वपूर्ण संस्थापनाओं में शिकायत रजिस्टर और जन शिकायत पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है।

(6) जनता को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों और रेल मंत्रालय में जन शिकायत से संबंधित अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नम्बर समय-समय पर सभी अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं।

(7) आम जनता के लाभ के लिए रेल भवन में कंप्यूटरीकृत सुविधा कांउटर खोला गया है जो जून, 1997 से कारगर ढंग से कार्य कर रहा है। आम जनता के लाभ के लिए क्षेत्रीय रेलों को सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों और मंडल मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत सुविधा काउंटर खोलने के लिए भी कहा गया है।

जन शिकायतों के निपटान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है और क्षेत्रीय रेलों को प्रत्येक किस्म की शिकायतों के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निपटारा करने का कहा गया है।

भारत को विमान बेचने पर अमरीकी प्रतिबंध का प्रभाव

3442. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बोईंग कंपनी ने यह कहा है कि अमरीकी सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध का भारत में एयरलाइंसों को विमान बेचने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, बोईंग इंडिया प्रेसिडेंट ने बताया है कि भारत के परमाणु विस्फोट के बाद, अमरीकी प्रतिबंधों का भारत में बेचे जाने वाले बोईंग विमानों की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया है कि यद्यपि प्रतिबंधों के बाद अमरीकी निर्यात-आयात बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होगा तथापि वित्त के अन्य वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होंगे।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार योजनाएं

3443. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में चल रही रोजगार योजनाओं के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनके लिए राज्यवार कितना धन प्रदान किया गया और प्रति वर्ष आज तक कुल कितने श्रम दिवस सृजित किये गये?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) (क) यह मंत्रालय अक्तूबर, 1989 और नवबंर, 1995 से क्रमशः नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा था। इन दोनों योजनाओं को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 1.12.97 से देश में लागू की गई "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" में शामिल कर लिया गया था।

(ख) नेहरू रोजगार योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई केन्द्रीय राशि और उसके अधीन सृजित किए गए श्रम दिवसों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोई श्रम दिवस सृजित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कोई मजदूरी रोजगार घटक नहीं है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1996 तक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के मजदूरी रोजगार घटक के अधीन मध्य प्रदेश और दादर और नगर हवेली की सरकारों द्वारा क्रमशः 1.71 लाख और 0.20 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध कराई गई राशि (लाख रुपये) 1995-96	1996-97	1997-98 (30.11.97 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	463.50	443.85	248.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.20	28.20	45.53
3.	असम	147.20	135.70	110.97
4.	बिहार	471.45	454.80	178.61
5.	गोआ	18.30	11.39	14.83
6.	गुजरात	215.90	77.72	76.61
7.	हरियाणा	111.99	84.75	59.99
8.	हिमाचल प्रदेश	66.15	60.15	28.14
9.	जम्मू व कश्मीर	77.88	62.70	43.46
10.	कर्नाटक	252.06	147.72	135.04
11.	केरल	154.60	149.25	92.88
12.	मध्य प्रदेश	508.25	396.95	371.35
13.	महाराष्ट्र	521.33	608.20	312.30
14.	मणिपुर	62.91	47.60	43.65
15.	मेघालय	31.80	29.30	29.53
16.	मिजोरम	27.58	21.85	31.81
17.	नागालैंड	3.50	-	-
18.	उड़ीसा	156.60	90.05	71.48
19.	पंजाब	105.60	103.60	83.67
20.	राजस्थान	330.37	271.25	208.28
21.	सिक्किम	28.46	22.70	17.15
22.	तमिलनाडु	563.49	478.00	223.31
23.	त्रिपुरा	26.41	21.75	34.21
24.	उत्तर प्रदेश	1138.89	1025.45	519.33
25.	पश्चिम बंगाल	441.00	179.00	99.39
26.	अंड. निको. द्वीप समूह	16.70	15.00	9.38
27.	चंडीगढ़	12.03	9.35	7.18
28.	दादरा एवं नगर हवेली	9.65	6.07	5.23
29.	दमन व दीव	22.60	12.65	9.59
30.	दिल्ली	22.00	-	-
31.	पांडिचेरी	18.60	-	9.05
	कुल	6084.00	4995.00	3119.97

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए लक्ष्य एवं प्राप्त लक्ष्य

(शहरी मजदूरी रोजगार की योजना)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	संघ/राज्य क्षेत्रों के नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य (30.11.97 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2.18	1.95	2.18	1.59	1.87	12.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.26	0.53	0.18	1.47	0.20	-
3.	असम	1.13	1.36	1.13	0.85	0.85	0.57
4.	बिहार	2.80	-	2.80	-	1.20	-
5.	गोवा	0.09	0.73	0.05	-	0.08	0.71

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	1.22	0.78	0.65	0.38	0.46	0.30
7.	हरियाणा	0.69	0.09	0.48	-	0.42	-
8.	हिमाचल प्रदेश	0.36	0.53	0.36	-	0.08	-
9.	जम्मू व कश्मीर	0.45	1.01	0.31	1.80	0.19	-
10.	कर्नाटक	1.38		1.48	0.70	1.21	-
11.	केरल	0.94	0.49	0.94	-	0.79	-
12.	मध्य प्रदेश	3.42	-	2.38	0.30	2.06	11.04
13.	महाराष्ट्र	1.81	20.02	3.62	-	1.61	-
14.	मणिपुर	0.47	-	0.33	-	0.20	-
15.	मेघालय	0.16	-	0.16	0.11	0.10	
16.	मिजोरम	0.17	-	0.12	-	0.17	0.30
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	1.08	3.91	1.08	1.50	0.47	1.54
19.	पंजाब	1.01	3.08	1.01	-	0.87	0.35
20.	राजस्थान	2.76	1.93	1.92	1.15	1.69	1.20
21.	सिक्किम	0.13	-	0.09	0.78	0.06	0.50
22.	तमिलनाडु	3.72	2.19	2.59	2.52	1.09	-
23.	त्रिपुरा	0.17	0.12	0.72	-	0.18	0.41
24.	उत्तर प्रदेश	7.53	9.69	7.53	7.72	3.35	5.75
25.	पश्चिम बंगाल	2.00	5.95	2.00	1.99	0.85	0.33
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.03	-	0.04	0.02	0.01	0.03
27.	चंडीगढ़	0.06	0.10	0.07	-	0.02	0.11
28.	दादरा व नगर हवेली	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-
29.	दमन व दीव	0.09	0.25	0.10	-	0.01	3.33
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
31.	पांडिचेरी	0.10	-	-	-	-	0.09
	कुल	36.22	54.71	34.35	22.89	20.10	38.99

विवरण-III

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम और शहरी क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	
		जारी की गई राशि 1997-98	अंतरिम आबंटन 1998-99	जारी की गई राशि 1997-98	अंतरिम आबंटन 1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	537.13	812.4	265.17655	544.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.99	39.82	शून्य	17.50
3.	असम	306.37	469.45	171.51315	323.03
4.	बिहार	321.71	463.67	136.13304	310.62
5.	गोआ	12.44	16.64	3.00074	11.18
6.	गुजरात	310.42	469.51	189.43795	314.49
7.	हरियाणा	70.73	79.92	11.54022	58.44
8.	हिमाचल प्रदेश	45.04	43.44	शून्य	20.50
9.	जम्मू व कश्मीर	52.54	50.68	शून्य	18.60
10.	कर्नाटक	435.88	659.32	282.38034	441.98
11.	केरल	147.49	223.08	55.50229	149.57
12.	मध्य प्रदेश	598.28	897.40	291.39860	601.86
13.	महाराष्ट्र	806.85	1220.38	467.37257	795.60
14.	मणिपुर	70.71	108.35	39.73950	74.79
15.	मेघालय	47.15	72.22	26.09331	46.15
16.	मिजोरम	47.15	72.22	22.48032	47.74
17.	नागालैंड	38.60	54.17	3.72732	31.82
18.	उड़ीसा	141.99	214.78	70.92211	144.00
19.	पंजाब	63.73	79.92	शून्य	53.73
20.	राजस्थान	243.81	368.79	68.90170	247.24
21.	सिक्किम	15.01	14.48	शून्य	5.50
22.	तमिलनाडु	579.53	876.59	339.97198	587.75
23.	त्रिपुरा	58.93	90.27	31.04640	60.47
24.	उत्तर प्रदेश	780.42	1180.42	345.50885	791.56
25.	पश्चिम बंगाल	321.98	486.99	174.15306	326.48

1	2	3	4	5	6
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34.06	22.35	33.10	75.78
27.	चंडीगढ़	48.42	55.88	-	
28.	दादरा व नगर हवेली	-	5.59	7.00	13.78
29.	दमन व दीव	34.05	11.18	16.00	34.44
30.	दिल्ली	29.70	164.61	-	-
31.	पांडिचेरी	5.86	25.39	16.80	31.00
	कुल	6240.97	9350.00	3018.90	6170.00

मोतिया खान क्षेत्र में डी. डी. ए. के फ्लैटों की लागत

3444. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15.5.98 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'डी डी ऐज बोल्ट फ्राम ब्लू फार 84 अलाटीज इन मोतिया खान एरिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस समाचार में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मोतिया खान के आबंटियों द्वारा मुख्यतया तीन प्रकार की शिकायतें की गई हैं :

(i) फ्लैटों का मूल्य निर्धारण;

(ii) निर्माण में विलबं; तथा

(iii) लिफ्टों का काम न करना।

डी डी ए ने बताया है कि इन फ्लैटों के आबंटिती फ्लैटों के मूल्य निर्धारण के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में गए हैं और यह मामला न्यायाधीन है। स्थल पर झुग्गी समूह होने और अवमृदा की स्थिति ठीक न होने के कारण फ्लैटों के निर्माण में विलंब हुआ। दिनांक 31.8.96 तक स्ववित्त पोषित योजना के 84 फ्लैटों वाले दो ब्लाकों (8 मंजिलें) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। लिफ्ट के न चलने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि एक ब्लाक में दो लिफ्टों के परिचालन के लिए अपेक्षित अनुमोदन मिल गया है तथा दूसरे ब्लाक में शेष दो लिफ्टों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन मिलना अभी बाकी है। दिल्ली अग्निशमन सेवा से अगस्त, 1998 तक अनुमोदन मिलने की संभावना है।

रेल परियोजनाओं का उद्‌घाटन

3445. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्‌घाटन के कार्यों को चालू बजट में शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमान परिचारिकाओं की सेवानिवृत्ति आयु

3446. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री भीम दाहाल :

श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने के अनुक्रम में सरकार का विचार एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की विमान परिचारिकाओं की भी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक निश्चित आयु के बाद विमान परिचारिकाओं को केबिन कर्मी दल के सदस्य के रूप में चलने की अनुमति प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने विमान परिचारिकाओं सहित, अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष कर दी है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस अपनी विमान परिचारिकाओं को सेवा निवृत्ति की आयु तक कर्मीदल सदस्य के रूप में उड़ानों में शामिल होने की अनुमति देती है। एयर इंडिया में विमान परिचारिकाओं को, चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर, 50 वर्ष की आयु तक उड़ान ड्यूटी दी जाती है और इसके पश्चात् उन्हें ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है।

अल्युमिनियम का मूल्य

3447. **डा. विजय सोनकर शास्त्री** :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

डा. सरोजा वी. :

क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अपरिष्कृत अल्युमिनियम के खरीददारों को एल. एम. ई. की प्रचलित औसत मूल्य 1400 अमरीकी डॉलर प्रति टन की तुलना में लगभग 1700 अमरीकी डालर प्रति टन देना होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या इसका कारण अपरिष्कृत अल्युमिनियम धातु की अधिक लागत होना है जो अर्द्धनिर्मित उत्पादों के भारतीय विनिर्माताओं को देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अर्द्धनिर्मित अल्युमिनियम उत्पादनों जैसे स्टील फाइल एसट्रश्जन की घरेलू मांग में 1996-97 की तुलना में 1997-98 में 15 प्रतिशत की कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जून, 1998 मे अपरिष्कृत (आनॅराट) एल्यूमिनियम का औसत एल. एम. ई. मूल्य 1308 प्रति मीट्रिक टन (एम टी) अमरीकी डालर था। अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम के आयातकों को भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क, विशेष काउंटरवेलिंग शुल्क और टर्मिनल हैंडलिंग प्रभार के रूप में अतिरिक्त लागत देनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप 1308 अमरीकी डालर के एल. एम. ई. के मूल्य पर अर्द्धनिर्मित उत्पादों के भारतीय निर्माताओं को आयातित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम की उतरायी लागत लगभग 1842 प्रति मी. टी. अमरीकी डालर पड़ती है। इसकी तुलना में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा जून, 1998 के दौरान उत्पादित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य 73166 प्रति एम. टी. था (1 अमरीकी डालर=43 रुपये की विनिमय दर से लगभग 1702 अमरीकी डालर के बराबर) अत: देश में उत्पादित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य आयातित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम की उतराई लागत के मुकाबले कम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश में उत्पादित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य आयातित अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम की उतराई लागत की अपेक्षा कम है। तथापि, बाजार शक्तियां एम. एम. ई. मूल्यों में उतार-चढ़ाव, मांग आपूर्ति स्थिति कर और अन्य वाणिज्यिक कारकों से अर्द्धनिर्मित उत्पादों के देश के निर्माताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले अपरिष्कृत (ऑनराट) एल्यूमिनियम का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ङ) चूंकि अधिकांश गौण उत्पादक /रि-रोलर /एक्सट्रूडर असंगठित क्षेत्र में हैं इसलिए पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, तीन प्रमुख गौण उत्पादकों अर्थात् भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी (इंडाल्को) और हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी (हिंडाल्को) जिनका रोल्ड शीट्स फायल और एक्सट्रूजन में पर्यात बाजार हिस्सा है, ने 1996-97 के मुकाबले 1997-98 में रोल्ड शीट्स में 16.2% फॉयल में 7.4% और एक्सट्रूजन में 8.9% की संवृद्धि दर (अनन्तिम) प्राप्त की।

(च) एल्यूमिनियम उद्योग में संवृद्धि दर अधिकांशत: अर्थव्यवस्था में सामान्य संवृद्धि पर निर्भर करती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण कोर

3448. **श्री सुनील खां** : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर से 'सेल कोर' हेतु आदेश को वापस लेने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे द्वारा उक्त आदेश वापस लिए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में इस्पात और माल डिब्बा दोनों उद्योगों को नुकसान हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर से 'सेल कोर' हेतु दिए गए किसी आदेश को रेलवे द्वारा वापिस नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रूस के दौरे पर गया रक्षा प्रतिनिधि मंडल

3449. श्री मोहन सिंह :

श्री एम. राजैया :

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 जून, 1998 को भारत रूस रक्षा सहयोग पर व्यापक चर्चा करने के लिए किसी उच्च स्तरीय भारतीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने मास्को का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूसी एस यू. 30 विमान की आपूर्ति में अनिश्चितकालीन विलंब है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) भारतीय नौसेना के लिए खरीदी गई नई रूसी पनडुब्बी की विनिर्दिष्टियां क्या हैं, तथा इन पर कितना खर्च आया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रूसी संघ के प्रथम उप रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 15 से 19 जून 1998 के दौरान रूस का दौरा किया तथा रक्षा खरीदारियों से संबंधित मुद्दों सहित रूस के साथ सभी प्रकार के रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने तथा बढ़ावा देने के संदर्भ में मास्को में विचार-विमर्श किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सन् 2010 तक सैन्य तकनीकी सहयोग के दीर्घकालीन कार्यक्रम से संबंधित करार के मसौदों-पाठ को भी अंकित रूप दिया गया था। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग से संबंधित कार्य-कलापों के ब्यौरे प्रकट करना देश की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) तथा (घ) कुछ विलंब हुआ है। विलंब को कम करने के प्रयास किए जो रहे हैं।

(ङ) इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना देश की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 942/98]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 943/98]

दिल्ली विकास संशोधन नियम की एक प्रति और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन आदि।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास (सलाहकार परिषद के गैर सरकारी सदस्यो को भत्ता देना) संशोधन नियम 1998 जो 23 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 944/98]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 945/98]

(दो) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 946/98]

रेल यात्री संशोधन नियम और रेलवे रोड टैरिफ नियम, 1997 सैन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) रेल यात्री (टिकटों को रद्द करना और किराये का प्रतिसंदाय) संशोधन नियम, 1998 जो 9 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेलवे रैड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1997 जो 31 दिसंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेलवे रैड टैरिफ (56वां संशोधन) नियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 947/98]

(2) (एक) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 948/98]

(4) (एक) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 949/98]

(6) (एक) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 950/98]

(8) (एक) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 951/98]

(10) 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति प्रवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उनके द्वारा भरे जाने में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 952/98]

(11) 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति प्रवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उनके द्वारा भर जाने में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 953/98]

(12) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति प्रवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उनके द्वारा भरे जाने में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 954/98]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 955/98]

(3) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 956/98]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 957/98]

(5) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 958/98]

अपराह्न 12.½ बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 4 जुलाई, 1998 को पारित किए गए लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री के. येरननायडु (श्री काकुलम) : मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में समिति का दसवां प्रतिवेदन।

(दो) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.1½ बजे

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) वर्ष 1997-98 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(दो) रक्षा मंत्रालय का अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री पवन सिंह घाटोवाड (डिब्रुगढ़) : मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग से संबंधित 1997-98 की अनुदानों की मांगों के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित 1997-98 की अनुदानों की मांगों के बारे में दसवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 1997-98 की अनुदानों की मांगों के बारे में नौवें प्रतिवेदन (ग्याहरवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12. 2½ बजे

[अनुवाद]

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

तेइसवां प्रतिवेदन

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : मैं इस्पात विभाग (इस्पात और खान मंत्रालय) की अनुदानों की मांगो (1998-99) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के तेइसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील (इरन्दोल) : मैं खान विभाग (इस्पात और खान मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री कोनिजैटी रोसैया (नरसारावपेट) : मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय पुनर्वास परिषद

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्रीमती मेनका गांधी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम,* 1992 की धारा 3(3) (ज) और 4(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 3(3) (ज) और 4(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 7 जुलाई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 जुलाई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मुद्दे के बारे में

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री शरद पवार का नाम पुकारा है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, कृपया बैठ जाइए। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। उनके बाद में आपका नाम पुकारूंगा।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, उनके बाद में आपको बुलाऊंगा।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं जो देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ श्री जेठमलानी ने कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। यदि आपने आज का 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' देखा है तो शीर्षक है : जेठमलानी : नीड टू रिव्यू कोटा पोलिसी (आरक्षण नीति की समीक्षा की आवश्यकता - जेठमलानी) इस समाचार शीर्षक में कहा गया है :

"भाजपा की संवैधानिक सुधार करने की इच्छा की पैरवी करते हुए केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री राम जेठमलानी ने कहा कि अनुच्छेद 356 में संशोधन करने तथा आरक्षण के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।" ...(*व्यवधान*)

इसमें आगे कहा गया है :

"मंत्री जी ने टिप्पणी की कि आरक्षण का प्रावधान गणतंत्र के पहले 50 वर्षों के लिए किया गया था और देश की स्वतंत्रता की अर्द्ध सदी पूरी हो चुकी है, हमें यह देखना होगा कि क्या आरक्षण जारी रखा जाए।

महोदय, इसमें बड़ी समस्या यह है कि मंत्री जी कह रहे हैं .. ..(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दो, आपके नेता पहले ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द खंडूड़ी वी एस एम (गढ़वाल) : इसके आगे की दो लाइनें और पढ़ ली जाएं ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

श्री शरद पवार : महोदय, इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं : "हमें यह देखना होगा कि क्या आरक्षण जारी रखा जाए।" यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। महोदय, संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया? ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आप उनको सुनिये... (*व्यवधान*)

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आप लीडर आफ अपोजीशन को बोलने दीजिए। ..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, यदि आप संविधान को देखें इसकी उद्देशिका में कहा गया है:

हम, भारत के लोग भारत को एक *संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य* बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय.... प्राप्त कराने के लिए... दृढ़ संकल्प होकर....।"

इसमें आगे कहा गया है -

"प्रतिष्ठा और अवसर की समता"

महोदय हमारी स्वाधीनता के पचास वर्ष पूरे हो चुके हैं।

क्या हमारा देश उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पर ये दलित जातियां विशेष रूप से अनुसूचित जातियां और जनजातियां सामाजिक न्याय प्राप्त करने की स्थिति में हैं? क्या आज इस देश में उनके साथ समान बर्ताव किया जा रहा है? मैं नहीं समझता कि इस बारे में देश में कोई दो राय हो सकती हैं, समझ आ गया है कि इस बारे में कोई निश्चित दृष्टिकोण अपनाया जाए। मैं जानता हूं कि स्वाधीनता के पचास वर्ष पूरे हो गए हैं। यह समय है कि संविधान में संशोधन किया जाए और इस प्रावधान को और समय के लिए बढ़ाया जाए। आरक्षण के प्रावधान के विस्तार का सुझाव देने के बजाए उन्होंने कहा "हमें समीक्षा करनी होगी।" उन्होंने यह भी कहा, "हमें देखना होगा कि क्या आरक्षण जारी रखा जाए। यह बहुत गंभीर बात है। मेरे विचार से सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। संभव है आरक्षण का प्रावधान समाप्त करने की भाजपा की गुप्त कार्यसूची हो। किंतु यह देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं मांग करता हूं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।......(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री मोहन सिंह मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री राम विलास पासवान।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी और संसदीय कार्य मंत्री को भी बोलने की अनुमति दूंगा। आप एक-एक करके बोलिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने श्री पासवान को बोलने की अनुमति दी है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने श्री पासवान का नाम पुकारा है। श्री जोशी, कृपया बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पासवान का नाम पुकारा है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना चाहते हैं।

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): जी हां। ..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, यह भारत का सर्वोच्च सत्ता संपन्न संसद भवन है और पार्टियां आती-जाती रहती हैं। सरकार हमेशा सरकार होती है। वह न कांग्रेस की होती है और न भारतीय जनता पार्टी की होती है। सरकार, भारत की सरकार होती है और जो भारत की सरकार होती है वह संविधान की कसम खाती है कि संविधान के अनुरूप आचरण करेगी, लेकिन जो सरकार संविधान के विपरीत आचरण करे, उसे अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम संविधान का रिव्यू करेंगे, तो हमारे मन में यह आशंका होती थी कि वीकर सैक्शंस के जो लोग हैं, उनके अधिकारों को ये छीनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने जब उस दिन यह कहा कि हमारा नैशनल एजेंडा ही मेरा एजेंडा है उसके अलावा कोई दूसरी एजेंडा नहीं है, तो हम लोगों को संतोष हुआ और यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। अभी एस सी एस टी फोरम की मीटिंग हुई और उसमें सभी दलों के सांसद थे। उसमें इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था, उसको खत्म कर दिया गया है, जो ठीक नहीं है। सभी दलों के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस संबंध में सभी लोग पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री से बात करेंगे।

महोदय, श्री रामजेठमलानी जी का कल जो बयान आया है, वह ठीक नहीं है। राम जेठमलानी जी कोई जूनियर मिनिस्टर नहीं हैं, वे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और संविधान के जानेमाने विशेषज्ञ हैं जो संविधान की रोज व्याख्या करते हैं। यदि वे संविधान के रिव्यू की बात करते, तो हमें दुख नहीं होता, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सीधे रिजर्वेशन के संबंध में कहा है, उससे सरकार की नीयत साफ हो जाती है। अब इसकी एक ही रेमेडी है और वह यह है कि प्रधानमंत्री यहां आकर क्लैरीफिकेशन दें।

महोदय, रिजर्वेशन कोई आजाद भारत की देन नहीं है। यह अंग्रेजों के जमाने से ही चलता आया है और यह 1935 से लागू हुआ। यह पूना पैक्ट के तहत आया है। आजाद भारत का जो रिजर्वेशन है वह पालिटिक्ल रिजर्वेशन है जिसे हर 10 साल बाद रिव्यू किया जाता है और फिर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। जहां तक जाब रिजर्वेशन का संबंध है, उसको खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है और अब तो उसमें मंडल कमीशन भी जुड़ गया है। मैं इस सदन के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान के साथ किसी को खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अत: मेरी मांग है कि या तो प्रधान मंत्री सदन में आकर साफ क्लैरीफिकेशन दें अन्यथा हमें जेठमलानी जी के इस्तीफे की मांग करनी पड़ेगी। आज भारत सरकार स्वयं पूरे देश के जो एस सी एस टी, ओ बी सी और वीकर सैक्शंस के लोग हैं, उनके कठघरे में हैं।

इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, इसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कोई मामला नहीं है.... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के साथ हजारों वर्षों से अमानवीय व्यवहार हो रहा है।.... *(व्यवधान)* इन शोषितों को बराबरी पर लाने के लिए रिजर्वेशन किया गया है...... *(व्यवधान)* मेरी सरकार इस रिजर्वेशन को जारी रखने के पक्ष में है। जब तक ये जातियां बराबरी पर न आ जाएं। तब तक रिजर्वेशन का क्लाज़ हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वैको का नाम भी पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : प्रधानमंत्री जी यहां आकर स्पष्ट मत दें। .....*(व्यवधान)*

श्री मदनलाल खुराना : राज्य सभा में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन सिंह को बोलने के लिए कहा है। उन्हें अपना निवेदन पूरा करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय इस सरकार का असल चेहरा उजागर हो गया है। हम लोगों का शुरू से ही यह इल्ज़ाम था।.....*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : यह तो ज्यादती है.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन सिंह को बोलने के लिए कहा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : इसमें सरकार का कोई पक्ष नहीं है, माफी मांगिए ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इस सरकार की असल सूरत उजागर हो गई है। हम प्रारंभ से ही इस बात का इल्जाम लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी चातुर्य वर्ण की संरक्षक है....*(व्यवधान)* डा. अम्बेडकर को गालियां लिखकर किताब लिखने वाले व्यक्ति को इन्होंने राज्य सभा का सदस्य बनाया है.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। श्री अजीत जोगी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : संसदीय लोकतंत्र में सरकार का सामूहिक दायित्व है। यदि यह सरकार गंभीर है तो श्री जेठमलानी को अभी त्यागपत्र देना चाहिए, यह हम मांग करते हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : वरना संसदीय लोकतंत्र में एक मंत्री की कही हुई बात पूरी केबिनेट की कही हुई बात मानी जाती है। इस सरकार का इरादा, इस सरकार की भावना का भंडाफोड़ हो गया।....*(व्यवधान)* इनके इरादे के बारे में हमें जानकारी हो गई। इसलिए हम कहना चाहते हैं, यदि प्रधानमंत्री जी सचमुच इस संवैधानिक अधिकार को, जिसको भारत के राष्ट्रपिता ने अपनी महान कुर्बानी के बाद इस देश के चार्तुवर्ण को खत्म करने के लिए, सामाजिक ताकतों को न्याय देने के लिए दिया था, आज यह सरकार उसे खत्म करने जा रही है, इसलिए प्रधान मंत्री जी या तो श्री जेठमलानी को केबिनेट से बर्खास्त करें, वरना मैं इस पूरी सरकार के त्याग-पत्र की मांग करना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)* यह दलित विरोधी सरकार है, उनके अधिकार को छीनने वाली सरकार है, चातुर्वर्ण की समर्थक सरकार है, मैं यह इल्जाम लगाना चाहता हूं और श्री जेठमलानी जी को कैबिनेट से हटाने की मांग करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य कृपया संक्षेप में बोलिए क्योंकि पहले ही अनेक सदस्य इस मामले को उठा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष जी, हमारे मन में

जो शंका थी, यह सरकार जिसको आज तक 106 दिन हुए हैं, यह सरकार शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स विरोधी सरकार है और ... (*व्यवधान*) जो संविधान...(*व्यवधान*)

श्री अजीत जोगी : दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी।...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : वह भी हम पहले कह चुके हैं और आज यह साफ हो गया है....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उन्होंने पहले ही कह दिया है कि यह सरकार संविधान की समीक्षा करेगी। वे संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान की समीक्षा करना चाहते हैं कि क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए या नहीं... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अगर उनके कैबिनेट मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बात कही है ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : माफी मांगो, जो कहा है, उसके लिए माफी मांगो।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सरकार की सामूहिक रूप से कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ....(*व्यवधान*) एक मंत्री एक वक्तव्य दे रहा है और दूसरा कोई और वक्तव्य दे रहा है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे की बात भी इनको सुननी पड़ेगी। ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.24 बजे

(इस समय डा. रवि मल्लू तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, अब बहुत हो चुका। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय डा. रवि मल्लू और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार जी, अपने सदस्यों से कहिए कि वे अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान पर जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया और श्री जोगी, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं। श्री आचार्य, कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री को सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री नायडू कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री खंडूरी, अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी सदन में आए हैं। जो पालिसी स्टेटमेंट रिजर्वेशन के बारे में राम जेठमलानी जी ने प्रेस कांफ्रेंस में दिया और उन्होंने जो बात कही, उसमें सरकार का निश्चित स्टेंड क्या है, यह देशवासियों के सामने आना चाहिए। इतने बड़े महत्वपूर्ण इश्यू पर सरकार की कोई अलग राय हो सकती है, एक जिम्मेदार मिनिस्टर जिनको संविधान विशेषज्ञ कहा जाता है, ऐसा स्टेंटमेंट दे सकते हैं, इस बारे में प्रधान मंत्री जी को बात साफ करनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछना है। आप कृपया मुझे अनुमति दें......(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप पहले अपने स्थान पर बैठ जाएं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मुझे एक छोटी सी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय हमें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। 69 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में, क्या सरकार के समक्ष संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है या नहीं। हमें सरकार की विचार धारा को देखना होगा। डा. अम्बेडकर को ब्रिटिश समर्थक कहने वाले एक व्यक्ति को हाल ही में भाजपा द्वारा राज्य सभा का टिकट दिया गया है...मैं श्री अरुण शौरी के बारे में कह रहा हूं। यह बात दर्शाती है कि वे वास्तव में चातुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री को 69 प्रतिशत आरक्षण के बारे में सरकार की सोच को स्पष्ट करना चाहिए.. *(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन (डिन्डीगुल) : महोदय ए. आई ए. डी. एम. के. को मौका दिया जाने के बारे में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी बुलाऊंगा। मैं सभी नेताओं को अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री वैको : महोदय, विपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने सही समय पर सही मुद्दा उठाया है।......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बात को समझने की कोशिश कीजिए यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री वैको : सामाजिक न्याय के मामले में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में श्री राम विलास पासवान द्वारा एक आपत्ति की है।

उसी दिन राजनीतिक दलों के नेता श्री शरद पवार और श्री मुलायम सिंह यादव ने भी यही विचार प्रकट किए थे।

उसी दिन माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने स्पष्ट रूप से सरकार की नीति को और सभी सहयोगी पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रीय एजेंडे में स्वीकार की गई नीतियों को स्पष्ट किया था कि सरकार पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित जोगी, यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित जोगी, कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री वैको : यह मेरा दृष्टिकोण है। मैं आपकी नीति को जानता हूं। आपने आरक्षण के लिए क्या किया है? .. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृतान्त में और कोई बात सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्री वैको : फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्रिमंडल के एक सदस्य श्री राम जेठमलानी द्वारा ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं जिससे सरकार की नीति के बारे में आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। यह सही है कि यह कहा जा सकता है कि वह उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने श्री वैको को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री वैको : यदि यह रामजेठमलानी के व्यक्तिगत विचार हैं तब भी उन्हें ऐसे विचार नहीं व्यक्त करने चाहिए।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको दूसरे वक्ताओं को भी सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपको दूसरे पक्ष की भी बातों को सुनना चाहिए।

श्री वैको : हम जानते है कि आरक्षण पाने और सामाजिक न्याय पाने के लिए असीम बलिदान दिए गए। पिछले दिन सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह वर्तमान 69 प्रतिशत आरक्षण की रक्षा करेगी।....*(व्यवधान)* परंतु जब आपने विनिर्णय दिया तब आपने वर्तमान में चल रहे आरक्षण को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए। इसलिए यदि श्री रामजेठमलानी अपने वक्तव्य जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है का खंडन नहीं करते है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

मैं इस मुद्दे पर श्री शरद पवार का समर्थन करता हूं।....... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी नेताओं के विचार सुनना चाहता हूं। कृपया थोड़ा धीरज रखें।

(व्यवधान)

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अत्यावश्यक है। सरकार का

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय एजेंडा भी इस बात पर जोर देता है कि इस प्रावधान का सभी अन्य पिछड़ी जातियों तक विस्तार किया जाना चाहिए। इसका विस्तार राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाना चाहिए जोकि इस आरक्षण नीति को लागू कर रही है। सरकार राष्ट्रीय एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : ऐसा कहने वाले आप कौन होते हैं? ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यह बात टीक नहीं है। मैंने श्री आर. मुथैया को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जायें। आपको दूसरा पहलू भी देखना चाहिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

श्री आर. मुथैया : यदि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय एजेंडे के खिलाफ कुछ कहा है तो मैं समझता हूं कि उन्हें अपने पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने आपको मौका दिया था। आप यह बात उठा चुके हैं। अब मुझे दूसरे पक्ष को भी सुनना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत हो चुका।

(*व्यवधान*)

श्री आर. मुथैया : मैं समझता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगे। एक मंत्री महोदय हमारे अपने राष्ट्रीय एजेंडे के खिलाफ कुछ भी कह सकता है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर हमारे माननीय प्रधान जी द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि श्री रामजेठमलानी ने हमारे अपने राष्ट्रीय एजेंडा के विरुद्ध कुछ कहा है तो उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। यह मेरा विचार है। मेरा अनुरोध है। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। .... (*व्यवधान*)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, इससे दो मुद्दे जुड़े हैं। इस सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे के अनुसार उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार आरक्षण नीति की अनुरक्षा जारी रखेगी...(*व्यवधान*) श्री अजित जोगी कृपया रुकें। इस विषय पर मैं आपसे ज्यादा रुचि रखता हूं। हमारा समर्थन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का है आपको नहीं ....(*व्यवधान*) कृपया बैठ जाएं। आप जल्दी में क्यों हैं? मेरी पार्टी आपसे ज्यादा प्रतिबद्ध है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए और मेरी बात सुनिएँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि इससे दो मुद्दे जुड़े हैं। एक मुद्दा यह है। उसी मंत्रिमंडल के श्री राम जेठमलानी ने आरक्षण नीति की समीक्षा के संबंध में कल अपने विचारों को प्रकट किया था। परंतु देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मन में एक बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। इसीलिए विपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने माननीय प्रधानमंत्रीजी से स्पष्टीकरण मांगा है और प्रधानमंत्री महोदय को अवश्य ही स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं समझता हूं वे स्थिति स्पष्ट करेंगे। इससे यह विवाद समाप्त हो जाएगा। महोदय आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। .... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। .... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह जो कह रहे हैं उसके सिवा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया और श्री जोगी, आप सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। यह अच्छी बात नहीं है। यह सब क्या है?

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित जोगी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह सब क्या हो रहा है?

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री कांतिलाल भूरिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने बोलने के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह से कहा है।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।...... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोती लाल वोरा यह शून्य काल है! कृपया इस बात को समझें। श्री सुरेन्द्र सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

(*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने सांसद या राजनैतिक दल यहां मौजूद हैं ये सभी चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो। इस मुल्क को आज़ाद हुए 50 साल हो गए हैं। यहां पासवान जी और अजीत जोगी जी बैठे हैं, क्या ये नहीं जानते कि जो गरीब हरिजन हैं, जो मजदूरी करता है, जिसके पास जमीन नहीं है जो दूसरे काम करते हैं उनकी एक थिंकिंग है।....(*व्यवधान*) इस बात का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन वे लोग यह महसूस करते हैं, आम हरिजन यह महसूस करता है कि जिस परिवार ने हरिजन होने का 50 साल फायदा उठाया है और इस सदन में ही नहीं, यह तो राजनैतिक अधिकार है।

एक ही परिवार में रिजर्वेशन की वजह से एक आई. ए. एस. और एक आई. पी. एस. आया, वे ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, इसका रिव्यू होना चाहिए। जिन लोगों को आज तक रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, ये लोग आगे आकर कहें कि उन गरीब आदमियों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। 30-30 साल चुनाव लड़ने के बाद भी ऐसे सांसद हैं जो रिजर्वड् सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं..... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह जो कह रहे हैं उसके सिवा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द सिंह (भिवानी) : यहां ऐसे भी हरिजन सांसद हुए है जो ओपन सीट से चुनाव लड़ते थे। .... (*व्यवधान*)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, कोई भी व्यक्ति आरक्षण के विरुद्ध नहीं है और सरकार की नीयत भी ऐसी नहीं है जिससे लगे कि ऐसा है। लेकिन इस सदन में जिस ढंग से राजनीतिक दृष्टिकोण से हंगामा खड़ा किया जा रहा है.... (*व्यवधान*)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : यह राजनीतिक मामला नहीं है, यह संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान ने अधिकार दिया है। इस तरह से बातें करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : हम कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करेंगे कि हम किसी के बोलने के समय व्यवधान पैदा नहीं करते हैं।.... (*व्यवधान*) आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं भी आपके नेता को इस सदन में बोलने नहीं दूंगा।....(*व्यवधान*) नहीं तो जब मैं बोल रहा हूं तब आप आराम से सुनिये, बैठ कर सुनिये। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जो कह रहे हैं उसके सिवा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा .... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं यह क्या हो रहा है। श्री जोगी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के इन पचास वर्षों में पूर्व सरकारों और आज की सरकार की यह नीति रही है कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सच कहा जाए तो आज आरक्षण का अपहरण होता है। जो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुए, वहां से राम विलास पासवान जी जैसे लोग जीत कर आते हैं। अगर बेटे की नौकरी का सवाल है तो राम विलास पासवान जी के बेटे जैसे लोगों को नौकरी मिलती है। इस मामले में निश्चित तौर पर समीक्षा करने की जरूरत है। उसके आधार पर गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। उसका आधार आर्थिक होना चाहिए। इसलिए संविधान की समीक्षा की जरूरत है और वह होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के एक माननीय मंत्री श्री राम जेठमलानी के बयान से देश के करोड़ों गरीबों के मन में आशंका उत्पन्न हो गई है कि इस सांप्रदायिक सरकार का करैक्टर ही दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। यह आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है और संविधान को बदलने की साजिश है। मंत्री पद पर बैठे लोग देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वह तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करें। संविधान में करोड़ों गरीबों, दलितों और पिछड़ों को जो अधिकार मिला है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसको दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। करोड़ों लोगों के मन में यह आशंका है कि यह सरकार संविधान को बदल कर तोड़ कर आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर सकती है। यह चीज साफ होनी चाहिए। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों किसी भी कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रकट किया गया कोई विचार या की गई कार्रवाई या आचरण मंत्रीमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी को प्रकट करता है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से माननीय विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार की स्थिति का स्पष्टीकरण देने के संबंध संक्षिप्त वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोलेंगे।

(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.48 बजे

(इस समय श्री टी. आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपने-अपने स्थानों पर बैठिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. आर. बालू आप अपनी बात कहने की अनुमति देने के लिए अध्यक्षपीठ को बाध्य नहीं कर सकते। यह कोई तरीका नहीं है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपने स्थान पर जाकर बैठ जायें फिर अपनी बात कहें।

अपराह्न 12.49 बजे

(इस समय श्री टी. आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

श्री शरद पवार : महोदय, हमारी डी. एम. के. की ओर से एक अनुरोध है कृपया डी. एम. के. के एक प्रतिनिधि और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया जिसकी स्थापना बाबासाहेब डा. अम्बेडकर द्वारा की गई थी, को बोलने का एक अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय नेताओं से अनुरोध करता हूं कि क्या एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष को इस तरह से बाध्य करना उचित है?

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : हमें इसके लिए खेद है।.... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, मैं कई बार से आपको देख रहा हूं। आपको अवसर देने के लिए अध्यक्षपीठ को बाध्य करने का यह तरीका उचित नहीं है। आपको प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध करता हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

श्री टी. आर. बालू (मद्रास-दक्षिण) : यह एक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है.... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय, यह एक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है सदन में सदस्य के व्यवहार का?....... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सिर्फ एक मिनट के लिए सुन लीजिए....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि वे यहां पर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वे तमिलनाडु में किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री टी. आर. बालू : अध्यक्ष महोदय यह एक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है जिसे आज हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने उठाया है पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। .... (*व्यवधान*)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू तो बोल रहे उसके सिवा कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

श्री टी. आर. बालू : अध्यक्ष महोदय मैं अध्यक्षपीठ का अत्यधिक सम्मान करता हूं।.......(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, ऐसा आचरण सभा में नहीं किया जाना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, शहरी कार्य और रोजगार मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचार, उस समय जब वे दौरे पर थे; अत्यधिक

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निन्दनीय है। मंत्री महोदय ने यह बयान दिया कि आरक्षण के मुद्दे की पूर्ण समीक्षा और इसे बदलना अपेक्षित है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद कोई संसद के द्वारा बनाई गई विधि को बदलने की कोशिश करे। इससे देश की एकता और अखण्डता प्रभावित होगी।......(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सदन सिर्फ इतना चाहता है कि बालू जी अपनी बात शुरू करने से पहले

[अनुवाद]

वे माफी मांगे और फिर अपनी बात रखें।.... (*व्यवधान*)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उन्होंने पहले ही कहा कि वे अध्यक्षपीठ का अत्यधिक सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले माफी मांग ली है।

श्री मधुकर सरपोतदार : किसी को भी सदन में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आपका सम्मान हमारा सम्मान है।.... (*व्यवधान*)

श्री टी. आर. बालू : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों दलित और उत्पीड़ित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में स्थापित प्रावधानों को अभी जारी रखा जाना चाहिए और उनकी अनुरक्षा की जानी चाहिए। सरकार द्वारा ऐसी किसी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ....(*व्यवधान*) जनता इसकी अनुमति नहीं देगी। ...(*व्यवधान*)

अपराह्न 01.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने माफी मांगी है, आप अपनी सीट पर बैठिये।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इस सरकार ने सामाजिक न्याय की भावना को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की हितों की रक्षा से जुड़े भारतीय संविधान के प्रावधानों को समीक्षा करने और उन्हें बदलने की धृष्टता की है.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई बात नहीं सुन रहे हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : हर कोई केवल अपनी बात कहना चाहता है और किसी की भी रुचि यह सुनने में नहीं है कि दूसरा क्या कह रहा है।

(*व्यवधान*)

श्री टी. आर. बालू : विपक्ष तथा बहुमत संबंधित मंत्री महोदय की इस विशेष नीति को अनुमति नहीं होगी। यह भाजपा सरकार के दृष्टिकोण का परिचायक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक स्पष्ट उत्तर देने और यह कहने का अनुरोध करता हूं क्या वे इसकी समीक्षा करेंगे या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण को आगे जारी रखेंगे?

मैं संबंधित मंत्री महोदय, जिन्होंने यह कहा कि आरक्षण प्रणाली की समीक्षा की जाएगी के खिलाफ कार्यवाई की मांग करता हूं। यह संबंधित मंत्री के लिए शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं कि उस मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और इस सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

श्री आर. एस. गवई (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल संबंधित बातों को उठाना चाहता हूं।....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पार्टियों के सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। हमें समय का भी ध्यान रखना है। कृपया इस बात को समझिए।

(*व्यवधान*)

श्री आर. एस. गवई : महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को उचित समय पर उठाया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री राम जेठमलानी द्वारा दिया गया वक्तव्य अनुचित और असंवैधानिक है, गलत समय पर दिया गया और भारतीय संविधान की भावनाओं के अनुरूप है।

विपक्ष के नेता ने संविधान की, उद्देशिका सम्बन्धित बिन्दु पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और हमें न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बनाए रखना होगा। वास्तव में संविधान की समीक्षा जिसे कार्यसूची में शामिल किया जा रहा है, अप्रासंगिक है योंकि भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने पहले से ही संविधान में संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 के माध्यम से एक प्रावधान उपलब्ध कराया है। हम अभी तक संविधान में संशोधन करते रहे हैं संविधान की समीक्षा और संशोधन-प्रक्रिया में काफी अन्तर है।

संविधान में उपबंधित संशोधन की प्रक्रिया नीति निदेशक सिद्धान्तों, मूल अधिकारों और संविधान की उद्देशिका की भावना के अनुरूप होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गवई, इसे चर्चा का रूप देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री आर. एस. गवई : मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं कभी भी अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं हुआ हूं।

मैं कभी भी सभा के बीचों-बीच में नहीं आया हूं मैं एक अनुशासित सदस्य हूं। मुझे खेद है कि आप मुझे इस मुद्दे को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मेरा कहना है कि श्री जेठमलानी का वक्तव्य असंवैधानिक है। संविधान की उद्देशिका, नीति निदेश सिद्धान्तों और मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे हैं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

तीसरी बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह संसदीय प्रणाली के बारे में है, सरकार या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किंतु श्री राम जेठमलानी द्वारा दिया गया वक्तव्य मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के उस संयुक्त उत्तरदायित्व का हनन है और यह एक गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य भी है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ये देखें कि मंत्री जिम्मेदारी से वक्तव्य दें, इसलिए मैं मांग करता हूं कि वे मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में एक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एजेंडा में स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण लागू रहेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिन बैकवर्ड्स की इंकम एक लाख रुपये से ज्यादा है उनके लिए आपने आरक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात जिनकी इंकम एक लाख रूपये से ज्यादा है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह से हरिजनों में भी ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने इसका बैनिफिट लिया है और वे इंकम टैक्स देते हैं, उनके लिए भी आरक्षण को बैन करना चाहिए, जिससे कि गरीब हरिजनों को इसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्दन (क्विलोन) : इस मामले के बारे में मुझे मेरी पार्टी के विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस मामले में दो प्रश्न शामिल है। पहला प्रश्न सरकार की नीति का है। विश्वास मत के समय ही हमें आशंका थी कि सरकार की कोई गुप्त कार्यसूची है। यह गुप्त कार्यसूची अब सार्वजनिक हो रही है, यह गुप्त कार्यसूची की मदों में से एक है जिसे भाजपा ने राष्ट्रीय एजेंडा में छिपाए रखा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है या नहीं। मंत्रिपरिषद के एक सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य की जिम्मेदारी स्वयं सरकार को लेनी चाहिए। इसलिए, जैसा कि श्री वैको ने कहा है यह किसी मंत्री विशेष के व्यक्तिगत विचार नहीं हैं। अतः प्रधानमंत्री को एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि क्या सरकार की नीति आरक्षण नीति जारी न रखने की है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आरक्षण नीति जारी रहनी चाहिए, प्रश्न यह है कि क्या सरकार को राय है कि यह पहले ही पूर्णव्यक्ति तक पहुंच गया है। उस बात को भी सभा में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह खास मंत्री सदैव सभा से बाहर वक्तव्य देते रहते हैं। यहां तक कि सभा का सत्र चल रहा हो तब भी। इसमें सभा के विशेषाधिकार का मामला शामिल है। कल जब सत्र चल रहा था तो वे प्रेस को वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने यह वक्तव्य सरकार की नीति के बारे में दिया, वे सभा में आकर उस वक्तव्य को दे सकते थे। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्थिति स्पष्ट करें, मैं उस मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने का आग्रह भी करता हूं.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. चन्दूमाजरा,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. चन्दूमाजरा का नाम पुकारा है, आपका नाम नहीं पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर सर, जहां तक गरीब और दलित लोगों को सोशल, इकनॉमिक और पॉलिटीकल तौर पर प्रोटैक्शन देने का सवाल है, उनके अधिकार जहां कहीं भी छीने जाते हैं, तो उसमें चिन्ता होना कुदरती बात है। यदि ऐसी कोई चिन्ता हाउस में है, तो वह सही है। मगर उस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। पहले तो मैं माननीय जेठमलानी जी के बयान के बारे में कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के साथ सिरोमणि अकाली दल का साथ होगा, वह सरकार किसी भी रूप में किसी गरीब, किसी मजलूम और किसी दुखी को कभी नाराज नहीं कर सकती। उनके अधिकार प्रोटैक्ट रहेंगे। यह हमारा इतिहास है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हमने गरीब और दुखी लोगों के लिए अपने सिर दिए हैं। हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है। जब इमरजैंसी में सरकार फांसी का फंदा लेकर सब लोगों के गले में डालने जा रही थी, तो हमने अपनी गर्दन उस फंदे में डाल दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के साथ सिरोमणि अकाली दल है उस सरकार से उन गरीब और दलितों को डरने की जरूरत नहीं है। उनके अधिकार पूरी तरह प्रोटैक्ट होंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो माननीय चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने कही कि जिन लोगों के लिए यह रिजर्वेशन नीति बनाई गई, उनकी स्थिति क्या है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह तो कुदरती तौर

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर इस हाउस में आज यह चर्चा चल गई वरना हम इस विषय पर कभी भी हाउस में चर्चा नहीं कराते। अब यदि गरीबों को ऊँचा उठाना चाहते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, उन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ देना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूर जानकारी लेनी चाहिए कि बीतें 50 वर्षों में रिजर्वेशन का लाभ किन-किन लोगों ने उठाया और सही रूप में इस सुविधा का लाभ किस प्रकार दिया जा सकता है और उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राम जेठमलानी जी के बारे में कहना चाहता हूं। लीडर आफ दि अपोजीशन ने जो बयान पढ़ा, उसके मुताबिक राम जेठमलानी जी ने कहा है कि आरक्षण के मामले को रिव्यू करेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए बोल रहे हों। उसके ऊपर हम क्यों चर्चा करें। जो सही बात है, प्रधान मंत्री जी क्लेरिफिकेशन दे देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष के नेता को धन्यवाद देती हूं, मुझे आशा है, जब प्रधानमंत्री उत्तर देंगे तो वे न केवल वास्तविक नीति जो वे इस मामले में अपनाना चाहते हैं, के बारे में उत्तर देंगे अपितु वे इस बारे में भी उत्तर देंगे कि उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी।.... .(*व्यवधान*)

इसके साथ ही मैं आरक्षण के बारे में एक और प्रश्न उठाना चाहती हूं जो मेरी राय में इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है ....(*व्यवधान*) इस मुद्दे को बिगाड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इसका पूर्ण समर्थन करती हूं। मुझे आशा है आप लोग भी पूर्ण समर्थन देंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर कल विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसलिए मैं दोनों मुद्दों को जोड़ रही हूं। अन्यथा मैं उन मुद्दों को नहीं जोड़ती।....(*व्यवधान*)

हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि 33 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 15 प्रतिशत किए जाने के बारे में पहले ही कुछ आपत्तियां उठाई जा चुकी हैं। आज के 'दि हिन्दू' में एक प्रमुख खबर छपी है.... (*व्यवधान*) आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि जब वे उत्तर देंगे तो हमें आश्वासन देंगे कि इस 33 प्रतिशत आरक्षण को कम नहीं किया जाएगा, और इस बारे में विधेयक सभा के इसी सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा।....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोकदल का सांसद हूं और हमारी पार्टी श्री वाजपेयी जी को बाहर से समर्थन दे रही है। लेकिन आप जानते होंगे कि मैं उस पार्टी के नेता का नेतृत्व कर रहा हूं, श्री देवी लाल जिन्होंने हमेशा गरीब, दलित, मजदूर और किसानों के लिए आवाज उठाई है। आज भी एक ऐसा मौका आया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात बतानी चाहिए कि वे दलितों के कितने हक में है क्योंकि पहले भी यह कहा गया था कि एक मुखौटा है और एक मुख है।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. इन्दौरा यह चर्चा नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? कृपया उसे व्यक्त करें।

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा : हमारे नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। जब-जब मुख से श्री वाजपेयी जी, दलितों के हित की बात करेंगे बोलेगा, हम श्री वाजपेयी जी के साथ रहेंगे। लेकिन जब भी दलितों के खिलाफ आवाज उठेगी, हमें इस पर सोचना पड़ेगा और हम इस बात को उठायेंगे।.... (*व्यवधान*)

श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, आपोजीशन के लीडर श्री शरद पवार ने जो मुद्दा उठाया है और श्री जेठमलानी ने जो स्टेटमेंट दी है, वह बहुत सीरियस मामला है और उस स्टेटमेंट से देश के दलित, शैडयूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड और माईनौरिटीज के लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार का नैशनल एजैंडा बना था, उसमें कहा गया था कि एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के लोगों की रिजर्वेशन चालू रहेगी। सरकार को इस बात को क्लेरीफाई करना चाहिए। हम उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कन्डैम करते हैं और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दें जिससे यह वातावरण दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तपुजा) : महोदय, मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देना चाहिए। वस्तुत: हमने सोचा था कि सरकार विपक्ष द्वारा इस मामले को उठाने से पहले ही सभा में एक वक्तव्य दे देगी। यह एक नीतिगत मामला है तथा इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए - श्री जेठमलानी ने यह भी कहा कि वे भाजपा की नीति को दोहरा रहे हैं - विपक्ष द्वारा इस मामले को सभा में उठाने से पूर्व ही सरकार को वक्तव्य दे देना चाहिए था।

महोदय, संविधान बहुत स्पष्ट है और इसका आशय भी बहुत स्पष्ट है, हमारी पार्टी मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का कड़ा विरोध करती है और माननीय प्रधानमंत्री से वक्तव्य देने और स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह करती है।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस समय इस सभा के सदस्य बहुत उत्तेजित हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें

उन वर्गों को संरक्षण देना चाहिए जो युगों से वंचित रहे हैं। किन्तु साथ ही मैं श्री सिंह से भी सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि 50 वर्षों तक उस वर्ग के एक खास भाग ने सारा लाभ उठाया और शेष लोगों को इससे वंचित किया गया। यदि सरकार इस संदर्भ में समीक्षा करनी चाहती है तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती है....(*व्यवधान*)

श्री सानछुआ खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दशा में सुधार करना होगा।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है।

श्रीमती कृष्णा बोस : हम किसी को भी वंचित नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को अब तक वंचित रखा गया उनका ख्याल रखना होगा। पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए.....(*व्यवधान*)

श्री सानछुआ खुंगुर बैसीमुथियारी : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना होगा।....(*व्यवधान*)

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं श्री जेठमलानी का पूर्ण समर्थन नहीं कर रही हूं किंतु उनकी इस बात का समर्थन कर रही हूं कि कुछ लोगों को वंचित किया गया है।

मैं उस बात का भी समर्थन करती हूं जो श्रीमती गीता मुखर्जी ने यहां कहा है, क्या मैं महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रही एक महिला की धीमी आवाज उठा सकती हूं? माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य पिछड़े वर्गों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वे कौन हैं? पचास प्रतिशत भारतीय महिलाएं पिछड़ी हैं, महिलाएं देश में सर्वाधिक पिछड़ी हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उनकी ओर ध्यान दे, मेरे जो सहयोगी सांसद आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य सभी वर्गों और सभी धर्मों की महिलाओं से है। समग्र दृष्टि से महिलाएं पिछड़ी हुई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कृपया इस पहलू को ध्यान में रखें। एक टूटे रिकार्ड की तरह हमने प्रधानमंत्री का आश्वासन सुना कि महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में पारित किया जाएगा, हमें कितनी बार यह सुनना पड़ेगा? हमें पुनः ऐसा टूटा रिकार्ड न सुनना पड़े। आज के समाचार पत्रों में भी यह सुर्खियों में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल के ....(*व्यवधान*) ठीक हैं, वे हमारे बाद में बोल लें।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

कुमारी किम गंगटे : महोदय मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहती हूं ....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जरा स्थिर रहिये।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के आने के पहले जो सवाल उठा था, उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अजित जोगी जी की महती कृपा से मैं अपनी बात नहीं कह सका। उनकी विशेष अनुकंपा हो गयी। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री था. चौबा सिंह (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए इन्हें इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए....(*व्यवधान*) कृपया इन्हें बोलने का मौका दें।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : जो माननीय सदस्य शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के टिकट पर चुनकर आते हैं, उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके राइट को प्रोटैक्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : हम इस संदर्भ में सदन को ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बुलाऊंगा। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय अपनी बात नहीं कह सका। अजित जोगी जी ने मुझको उस समय बोलने नहीं दिया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विषय पर सरकार की राय रखेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि....(*व्यवधान*)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : दलित विरोधी श्री राम जेठमलानी को बर्खास्त करो। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, हर समय आप सदन के कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आप को प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। मैंने श्री नीतिश कुमार जी को बोलने की अनुमति दी है और आप अनावश्यक रूप से उन्हें तंग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आवश्यक समझता हूं कि मैं इस संबंध में अपनी कुछ राय रखूं। मैंने आपसे समय लिया है और प्रधानमंत्री जी से भी अपनी बात कहने के लिए इजाजत ली है। अभी यहां सवाल उठा है, राम जेठमलानी जी ने कल 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में कोई बात कही है, उसको लेकर चर्चा हुई। जहां तक मेरी समझ है किसी भी कीमत पर इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता। यह मेरी साफ समझदारी है। रही बात इस सवाल पर चर्चा छेड़ने की तो सरकार की तरफ से सारी स्थिति प्रधानमंत्री जी रखेंगे। मैं नहीं बोलता, लेकिन संयोग से हमारी पार्टी के दो सांसदों ने खड़े होकर इस विषय पर बोलते हुए कुछ ऐसी बात कह दी, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण का सवाल है, किसी भी कीमत पर हमारी समता पार्टी उसमें किसी भी प्रकार की छेड़ा-छाड़ी करने के पक्ष में नहीं है, न ही होनी चाहिए। जहां तक उन्होंने बोलते हुए उसके इम्प्लीकेशन की तरफ ध्यान दिए बगैर हमारी साथी ने कुछ कह दिया है जसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्रीमी लेयर की कमेटी बैठी, जैसे कांग्रेस की सरकार ने किया था।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने उसका भी विरोध किया था।

श्री नीतीश कुमार : वह क्रीमी लेयर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, वहां से बैठकर एक बार नहीं, दर्जनों बार हमने विरोध किया था। लेकिन क्रीमी लेयर के साथ वह आरक्षण लागू हुआ। एक जगह गलती हो गई और पिछड़े वर्गों को क्रीमी लेयर के साथ आरक्षण लागू हुआ, लेकिर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए किसी भी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, इस पर किसी भी राय को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : जो क्रीमी लेयर है उसे हटाया जाना चाहिए...ऐसा हमारा आग्रह है।

श्री नीतीश कुमार : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थिति स्पष्ट कर देना मुनासिब समझा। इसलिए बीच में आपसे इजाजत लेकर और प्रधान मंत्री जी से इजाजत लेकर मैंने अपनी बात रखी है। जहां तक समता पार्टी का सवाल है, नेशनल एजेंडा में यह बात साफ तौर पर उल्लिखित है और उससे हम सब लोग बंधे हुए हैं कि किसी भी सूरत में इस सवाल पर कोई दो राय नहीं हो सकतीं, पूरा देश और सदन इस पर एकमत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे सवालों पर पोलिटिक्ल माइलेज लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : धन्यवाद महोदय, मुझे विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री को भी माननीय मंत्री जी श्री राम जेठमलानी के वक्तव्य जो आज के समाचार पत्र में छपा है, के बारे में उतने ही चिन्तित होने चाहिए। लेकिन महोदय, आज समस्या है कि सरकार के आदेश माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किये जो रहे हैं। ये आदेश नागपुर स्थित कुछ अन्य सुदूर स्त्रोतों से निकाले जा रहे हैं। यही कारण है महोदय, जिस दिन से इस सरकार ने पदभार ग्रहण किया है हमें संविधान की संवीक्षा के बारे में सुनने को मिल रहा है और अब संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उपायो की संवीक्षा की गई है जैसा कि जहां तक संविधान के प्रावधानों का संबंध है इसके लिए हम बाध्य हैं उन बाध्यताओं के जवाब में ये उपाय किये गये हैं ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की प्रगति की जा सके। लेकिन जो पुराने सामाजिक अनुक्रम का नेतृत्व बनाए रखना चाहते हैं जो इस देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत को जानवरों से अधिक बुरी तरह और लोगों में कम समझते हैं के इस छिपे कार्यसूची की परवाह किये बिना यह वक्तव्य दिया है। वे इस संविधान को बदल देना चाहते हैं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार और संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। वे संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त करना चाहते हैं जिसने दलित वर्ग के समुदायों के लोगों में समानता की भावना, गौरव की भावना सम्मान की भावना और प्रतिष्ठा की भावना दी है.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खां, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, जितने वे बुद्धिहीन है उतने की अश्रव्य हो जाए। इस सदन में पहली बार मुझे यह देखने को मिल रहा है जरा सत्ता पक्ष द्वारा गुंडापन बहाल किया जा रहा है। वे विपक्ष को चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है. .*(व्यवधान)* महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, हमें आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले - मूल्य वृद्धि – पर चर्चा करनी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक और टिप्पणी करता हूं। इस सभा के एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया था। मैं इस सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश में दलित वर्ग 'हरिजन' शब्द के प्रयोग का विरोध करते हैं। इसके बदले में दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ अन्य शब्दावली का प्रयोग किया जा

सकता है। जब 'हरिजन' कहते हैं तो आप ढोंगी और सरपरस्त लगते हैं। हम यह ढोंगी और परपरस्ती का व्यवहार नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस शब्द का प्रयोग किया जाए। ..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विजयशंकर (मैसूर) : हरिजन शब्द प्रयोग नहीं कर सकते है, लेकिन हरिजन शब्द यहां पर बार-बार प्रयोग हो रहा है।..... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। लेडी मेम्बर को बोलने का मौका दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हरिजन शब्द इस्तेमाल नहीं करवाइए। इसके लिए आप डायरैक्शन दे दीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी किम गंगटे : जब से इस लोकसभा का सत्र आरंभ हुआ है मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य को कभी तंग नहीं किया है जब वह बोल रहा होता है क्योंकि मैं परामर्श और तर्कशक्ति में विश्वास रखते हैं। मैं पुन: इस समय इस बात को दोहराना चाहती हूं कि हमें इस माननीय सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है मुझ जैसे व्यक्ति को जो चिल्लाने में विश्वास नहीं रखता, को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों और महिलाओं के मामलों पर हमारे लिये राजनीतिक प्रतिबंध और विभक्त करने वाली सीमा नहीं है। इस बात का सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों मुझसे सहमत होंगे क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम चुनकर इस माननीय सदन में आए हैं। जहां तक उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का संबंध है हम सभी कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन क्या हम वास्तव में उनके दिली हितेशी हैं अथवा उनके लिये चिन्तित हैं?

महोदय, मैं इस माननीय सदन में कहना चाहती हूं कि पिछले कई वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहा है। आज भी हम सप्ताह के सभी दिनों में देश के उस भाग में यात्रा नहीं कर सकते। हमें केवल मणिपुर जाने के लिए सप्ताह में केवल दो सीधी उड़ानें प्राप्त हैं यदि हम रेलगाड़ी से जाना चाहते हैं तो हमें अपने गन्तव्य तक पहुंचने में 4-5 दिन लग जाते हैं। कई सभाओं के कारण आप सड़क के रास्ते नहीं जा सकते।

मैं सरकार के साथ-साथ विपक्ष से भी अनुरोध करूंगी कि वे अधिक समय व्यर्थ गंवाने के बजाय इस समस्या पर अधिक ध्यान दें। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि महिलाओं की ओर भी ध्यान दें क्योंकि वे अपने कई अधिकारों से वंचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी किम गंगटे : मुझे कुछ शब्द और कहने दीजिए फिर मैं समाप्त करूंगी।

मैं सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष से भी अनुरोध करती हूं कि वे पिछड़े वर्गों के प्रति भेदभाव करने के बजाय उनकी ओर ध्यान दें और उन्हें सुविधाएं प्रदान करें। मैं कहती हूं कि आप भेदभाव उत्पन्न करते हैं आप इससे सहमत हो अथवा ना हो। ऐसी टिप्पणियां इस सदन में पुन: सुनाई नहीं देनी चाहिए। पिछड़े वर्गों के साथ-साथ अन्य कमजोर वर्गों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना पक्ष अत्यंत स्पष्ट करें ताकि आरक्षण कभी रोका ना जा सके। यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ये पिछड़े वर्ग अन्य लोगों ने बराबर नहीं आ जाते। ...... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय महोदय, कई नेताओं ने काफी अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने एक टिप्पणी भी की है।

(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं अपने दल का दृष्टिकोण अभिलिखित करने के लिए केवल एक मिनट का समय लूंगी।..(*व्यवधान*) मैं आपकी आभारी रहूंगी। ..(*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य : आप किस प्रकार उन्हें अनुमति दे सकते हैं? ..(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, वह इस सदन की वरिष्ठ सदस्या है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : असल में, मैं अपने दल के विचार व्यक्त करना चाहती हूं। ..(*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य : वह पहले ही बोल चुकी हैं।...... (*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यंत गंभीर मामला है। मैं इससे असहमत होना नहीं चाहती हूं मुझे खेद है कुछ माननीय सदस्यों ने जब अपने विचार व्यक्त किये उस समय मैं यहां उपस्थित नहीं थी इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं ..(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मंत्रिमंडल की सारी जिम्मेदारी होती है। मैं प्रत्येक का सम्मान करती हूं।

लेकिन किसी एक व्यक्ति से इस प्रकार की टिप्पणी देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि चाहे उनका पक्ष कुछ भी हो, संविधान के अनुसार आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण जारी रहें केवल गरीब लोग ही लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लोगों का एक वर्ग ही लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। हमें देखना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में से गरीब लोगों को वास्तव में जिनके लिए आरक्षण रखा गया है अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह हमारा दृष्टिकोण है।

दूसरे अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए। कृपया इस बात का ध्यान भी रखें कि अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षण दें। ..(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। 'हरिजन' शब्द का प्रयोग न करें। उसके स्थान पर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कहा जा सकता है।

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जवाब देने का अनुरोध करता हूं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री आचार्य, कृपया उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी बाद में जवाब देंगे। श्री राम जेठमलानी इस मामले से सम्बद्ध हैं कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया शांत रहिए।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मेरे पांच मिनट बोलने के बाद सभी माननीय सदस्य, जो समझते हैं कि मैंने कुछ गलत बोला है तो वे एक साथ उठकर मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे पुरस्कृत करेंगे। परंतु अगर आप धैर्य के साथ सुने और स्पष्ट करें तो आप इसे पसंद करेंगे और जो मैंने कल कहा है आप मुझे उसके लिए पुरस्कृत करेंगे।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री रामजेठमलानी : महोदय, कल जो कुछ मैंने कहा उसे स्पष्ट करने से पहले मैं अपने निजी विचार के आधार पर दो बातें कहना चाहता हूं। सामान्यतया मैं अपने किसी भी स्तर पर प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करने से परहेज करता हूं परंतु मैं स्वयं आत्म-नियंत्रण से अलग रहता हूं।

महोदय, मैं डा. अम्बेडकर का आदर और सम्मान करने वाला छात्र हूं और मैं उनके द्वारा बनाए गए संविधान, जो देश में किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक पवित्र है, का आदर करता हूं।

महोदय, यह सम्मानीय सभा मेरी उपलब्धियों से अवगत है। मैं उस समय से मंडल का समर्थक रहा हूं जब लोगों ने मंडल के बारे में बोलना तो शुरू किया था परंतु इसे लागू न करने के बारे में नहीं बोला था। माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं जो इस देश में पिछड़े वर्ग के प्रति मेरे समर्थन के बारे में जानते हैं। इसी पृष्ठभूमि को लेकर कल एक प्रेस कांफ्रेस में यह आम आरोप लगाया गया था कि "आपका दल और आपकी सरकार संविधान में फेरबदल करना चाहती है।"

यह संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : आप किस पार्टी से संबद्ध हैं?..... (*व्यवधान*)

श्री राम जेठमलानी : कृपया भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। ..(*व्यवधान*) महोदय, संविधान के प्रति पूरे आदर के साथ मैंने कहा है कि संविधान अब भी नश्वर मनुष्यों द्वारा बनाया गया दस्तावेज है और नश्वर मनुष्यों द्वारा बनाए गए संविधान की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि संसद ने पिछले पचास वर्षों में संविधान के पहले ही सैकड़ों बार संशोधित किया है।

मुझे यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि मैं आरक्षण चाहता हूं। मैंने प्रेस कांफ्रेस में कहा था आरक्षण कम से कम तीस या चालीस साल तक जारी रहनी चाहिए। जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आखिरी व्यक्ति को मर्यादा, स्थान और उच्च वर्ग लोगों जैसी आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा।

परंतु जब मुझ पर संविधान में फेरबदल का आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण अब समाप्त होने वाला है क्योंकि आपने यह संविधान में निर्धारित किया है कि आप यह हर दस वर्षों में करते हैं। हमने इसे पन्द्रह से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस और अब चालीस से पचास वर्ष तक बढ़ा दिया था। परंतु अब वे पचास वर्ष समाप्त होने वाले हैं। अगर आप इसे साठ, सत्तर, अस्सी तक बढ़ाते हैं तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा। ..(*व्यवधान*) इसलिए प्रति दस वर्षों में संविधान में कुछ संशोधन करना अनिवार्य है।

मैंने इस तरह स्पष्ट किया था और अखबारों में इस तरह रिपोर्ट छपी है। परंतु कुछ अखबारों में इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से बातें

गलत हो जाती हैं। पूरी प्रेस मौजूद थी और मेरी पूरी स्पीच कल दूरदर्शन पर दिखाई गई थी और इसकी विडियों रिकार्डिंग भी हुई थी। माननीय सदस्य चाहें इसे देख सकते हैं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सभी पिछड़े वर्गो के समर्थन में बोलने वाला मैं कोई नहीं हूं और इस बारे में यहां बैठे लोग मेरा रिकार्ड जानते हैं। मानवता के इस प्रताड़ित वर्ग के बारे में मेरी भावना के विरुद्ध कोई कानाफूसी भी करे तो मुझे हैरानी होती है। मैं यह मानता हूं कि जब तक मानवता के इस भाग को हमारे सर्वोत्तम उच्च स्तर तक नहीं उठाया जाता तब तक आरक्षण जारी रहेगा। ..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के बारे में सदन में हमेशा एक राय रही है। मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान इसकी ताईद करेंगे। जब-जब आरक्षण की सीमा समाप्त होने लगी, उसे बढ़ाया गया। उस काम में सारे सदन ने सहयोग दिया। इसलिए आरक्षण के सवाल पर यह सदन बंट जाए, यह अच्छा नहीं है। जो दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, परिगणित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, वे किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनकी शताब्दियों के उत्पीड़न के कारण क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। जिस समाज में समता नहीं है, जो विषमता से बना समाज है, उसमें आरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम तत्काल समाज को नहीं बदले सकते, जैसा दिखायी देता है कि समाज को बदलना कठिन होगा तो आरक्षण को बनाए रखना होगा। हम उस आरक्षण को बनाए रखने का समर्थन करेंगे और आप भी समर्थन करेंगे।

नेशनल एजेंडा में हमारी नीति स्पष्ट है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 50 परसैंट की सीमा लगायी गई थी। कुछ राज्यों ने 50 परसैंट की सीमा से अधिक रिजर्वेशन दिया हुआ है। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। चव्हाण साहब ने सब दलों की एक मीटिंग बुलायी थी। हमने इसका समर्थन किया कि जिन राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन है, उसको बनाए रहने देना चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में इस बात का पूरी तरह से उल्लेख है कि जहां 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण है, उसे सुरक्षित तथा बरकरार रखना होगा।

जेठमलानी जी ने यहां अपना स्पष्टीकरण दिया।

श्री बसुदेव आचार्य : हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कभी संतुष्ट होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राम विलास पासवान : आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी बहुत सी जगहों में रिजर्वेशन आलरेडी खत्म हो गया है। मैंने इस सवाल को पहले भी उठाया था। आप इसे देख लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जरूर देखा जाएगा। इस सवाल को लेकर सदन विभाजित न हो, मैं उत्तेजना समझ सकता हूं, मगर उत्तेजना एक सीमा में होनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है......(*व्यवधान*)

जहां तक महिलाओं का सवाल है, मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं। 33 फीसदी से कम महिलाओं का आरक्षण हो, इससे हम सहमत नहीं हैं। उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण होना चाहिए। हमने कल सब दलों की बैठक बुलायी है। मुझे विश्वास है कि उसमें सब दलों की राय से यह तय होगा कि सदन में विधेयक लाया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : उसे पारित किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह पारित तब होगा, जब लाया जाएगा।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री ए. के. प्रेमाजम (बड़ागरा) : हम चाहते हैं कि संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए क्योंकि राष्ट्र को यह पता होना चाहिए कि इस विधेयक के विरोध में कौन से लोग है। यद्यपि इस संबंध में कोई आम सहमति नहीं है फिर भी इसे सदन में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने 15 परसेंट की बात नहीं कही है।.....(*व्यवधान*) मैं आपसे सहमत हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए। मुझे विश्वास है कि इसमें सब का समर्थन प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.45 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.38 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.38 बजे पुन: समवेत हुई।

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए***)**

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, क्या

सरकार ने त्यागपत्र दे दिया है? सरकार का एक भी मंत्री नहीं है... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बंडारू दत्तात्रेय यहां उपस्थित हैं। श्री मदन लाल खुराना यहां उपस्थित हैं।

अब यह सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(*व्यवधान*)

श्री ए. सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया कोई अन्य मामला न उठाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह शून्य काल नहीं है।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : हम मूल्य वृद्धि का मामला अपराह्न 3.00 बजे उठाएंगे।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैंने आपको इसकी अनुमति नहीं दी है।

(*व्यवधान*)

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं। लगभग छह लाख डाक कर्मचारी, जिसमें दो महासंघ शामिल हैं आज से हड़ताल पर हैं। उन्होंने सरकार के समक्ष दस बातों वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है सरकार ने उनके साथ कभी बातचीत नहीं की है।.. (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों के अतिरिक्त किसी अन्य मामला पर चर्चा नहीं होगी।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं कहना चाहता हूं कि यहां आने से पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने मुझे सूचित किया है कि वह तीन बजे इस हड़ताल के बारे में यूनियंस के लीडर्स से मिल रही हैं..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री चंदेश पटेल।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : मैंने श्री चंदेश पटेल को बुलाया है। श्री चंदेश पटेल द्वारा उठाए जा रहे मामलों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अपराह्न 2.41 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जामनगर, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन एक अति लोक महत्व का मामला संसद में रख रहा हूं।

1 जून, 1998 को गुजरात में जामनगर एवं अन्य जगह जो भयंकर आंधी, तूफान आया उससे 90 प्रतिशत टेलीफोन बंद पड़े हैं। टेलीफोन के खंभों के तार टूट गये हैं। ग्राम विरनार तालुके के माइक्रोवेव टावर टूट गये हैं। टेलीफोन तंत्र कार्य करने में नाकामयाब है। अत: टेलीफोन विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश है तथा आंदोलन भी शुरू कर दिया है।

टेलीफोन विभाग के अधिकारी अपने ग्राहकों की फरियाद नहीं सुनते।

ओप्टीकल फाइबर केबल सभी तालुक तक नहीं जोड़ा है इसकी वजह से इन कमिंग एवं आउट गोइंग लाइनें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से घंटो तक जिला केन्द्रों से तालुका केन्द्रों तक बात नहीं हो सकती है।

सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि ग्राम्य विभागों की टेलीफोन सेवा पूर्ववत् चालू हो जाए, ऐसा कदम फौरन उठाइये।

(दो) मध्य प्रदेश के सागर जिले में इस क्षेत्र के खनिजों का उपयोग करने के लिए रॉक आधारित कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, बुन्देलखंड की माटी से जुड़े मेरे संसदीय क्षेत्र सागर जिले में राक फास्फेट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि खनिज पदार्थों के विपुल भंडार उपलब्ध हैं किंतु इतने

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विशाल भंडार होने के बाद भी इन खनिजों का उपयोग करने के लिए कोई कारखाने केन्द्र सरकार द्वारा नहीं लगाये गये हैं। छोटे-मोटे व्यापारियों के द्वारा इनका निर्यात देश के अन्य राज्यों को किया जाता है जहां इनका तरह-तरह से उपयोग किया जाता है। अगर केन्द्र सरकार द्वारा रॉक फास्फेट का विशाल कारखाना लगाया जाए तो इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा तथा यहां के लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को अपने हाथ में लेकर खनिजों का उपयोग करने की योजना क्रियान्वित करने हेतु यहां कारखानों की स्थापना करने की पहल प्रारंभ करे।

(तीन) पान मसाला तथा गुटका पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान गुटका व पान मसाला से स्वास्थ्य पर होने वाली हानि की ओर दिलाना चाहता हूं।

लाटरी की तरह यह बीमारी भी सारे देश में फैलती जा रही है। युवा, बच्चे बुजुर्ग यहां तक कि महिलायें भी इसकी लत से छूटी हुई नहीं है। संसद में स्वयं पिछली लोक सभा में सरकार ने स्वीकार किया था कि पान मसाला गुटका उद्योग 1992 में जहां 200 करोड़ था, वहीं 1997 से बढ़कर 1000 करोड़ तक पहुंच गया है।

यह सरकार जहां पूरे देश में लाटरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बधाई की पात्र है, वही मैं अपील करना चाहता हूं कि गुटका व पान मसालों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टो से यह साबित हो चुका है कि गुटका व पान मसाला स्वास्थ्य के लिए खराब है। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि स्वयं इसकी पैकिंग पर लिखा होता है "गुटका व पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।"

सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मार्च 1997 के आदेश के बाद गुटका व पान मसाला के दुष्परिणामों के बारे में जो 17 अगस्त 1994 को एक्सपर्ट कमेटी महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत गठित की थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ व उस पर क्या अमल किया गया, सदन यह जानना चाहता है?

गोवा, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश की सरकारों ने गुटका व पान मसाला के बढ़ते सेवन पर चिंता व्यक्त की है, क्या कुछ और प्रदेशों की सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा है?

मैं सरकार से अपील करता हूं कि लाटरी की तरह गुटका व पान मसाला, तम्बाकू पर भी संसद में विधेयक लाकर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगायें।

(चार) बिहार के पलामू क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिहार राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : महोदय, बिहार के पलामू प्रमंडल जो कि लगातार वर्ष 1991 से सुखाड़ की चपेट में आ रहा है, हर वर्ष सैकड़ों व्यक्ति भूख से मर जाते हैं एवं पशुधन भी चारा एवं पानी के अभाव से मर जाते हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल यह क्षेत्र उड़ीसा के कालाहांडी से ज्यादा ही सूखाड़ से प्रभावित रहता है। वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पलामू का दौरा सूखाग्रस्त स्थिति को देखने हेतु किया था और कई राहत कार्य की घोषणा उन्होंने की थी परंतु सब बेकार हुआ। उनकी किसी भी घोषणा पर अमल नहीं हुआ। इस स्थिति में सरकार से मेरा आग्रह है कि वहां की सुखाड़ की समस्याओं के समाधान हेतु वहां की औरंगा सिंचाई योजना, कनहर सिंचाई योजना को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक सहायता एवं छोटे-छोटे चैकडैम आदि बनाने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगकर उचित सहायता दें अथवा एक रिलीफ पैकेज दिया जाए।

(पांच) फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी फसलों और किसानों को लाने के लिए नई फसल बीमा योजना शुरू करने की आवश्यकता

श्री विट्ठल तुपे (पुणे) : महोदय, सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत केवल वे किसान ही शामिल किए गए हैं जिन्होंने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया हो और यह योजना केवल कुछ फसलों तक ही सीमित है। वे किसान जो कि किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के ऋणी नहीं है इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। दूसरे इस योजना के तहत केवल दस हजार रुपये तक की क्षति को ही शामिल किया गया है जबकि यह सर्वविदित है कि जब भी किसी राज्य में किसी भी कारण फसल का नुकसान होता है तो वह लाखों में आंका जाता है जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल में कई राज्यों में हुई फसल क्षति है जिसके परिणामस्वरूप कई किसानों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द नई फसल बीमा योजना जिसमें सभी किसान एवं सभी फसलें शामिल हों, लागू की जाएं।

[अनुवाद]

(छह) देश में सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, भारत एक परमाणु शक्ति बन गया है तथापि देश में एक करोड़ से अधिक लोगों को अभी तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है।

जबकि सच यह है कि इस काम के लिए योजना निधियों में करोड़ों रुपये निर्धारित किए गए हैं पिछले साल 90,000 बस्तियों के लिए 2,800 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे।

एक बस्ती में लगभग 50 ऐसे परिवार हैं जिन्हें इसके अंतर्गत नहीं लिया गया तथा उनके लिए शुद्ध पेयजल का कोई साधन नहीं है। गांवों के लिए शुद्ध पेयजल देने का सरकार का मानदंड प्रतिदिन प्रति-व्यक्ति कम से कम चार लीटर शुद्ध पेयजल देने का है।

हाल ही में देश में लगभग 130 ब्लाकों की पहचान की गई है। जहां सिंचाई और अधिकांश हैंड पंप 30 से 35 मीटर जमीन के नीचे खोदे जाने की वजह से पानी की कमी है। परंतु कभी-कभी 100 मीटर या इससे भी गहरे किए गए बोर-वेलों से भी पानी निकलता। एक अन्य समस्या यह है कि टयूब वेल या बोर वेल जैसे पेयजल के साधनों का उचित रख-रखाव नहीं होता।

देश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी हम एक करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। इसलिए इसकी तुरंत आवश्यकता है और वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि दो वर्षो के अंदर देश में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम का उल्लेख करें ताकि उसके युद्धस्तर पर कार्यान्वयन के लिए अभी से आवश्यक उपाय किए जा सकें।

(सात) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में समुद्री पर्यटन स्थल, दीघा तक पहुंचने के लिए दीघा-तुमलुक रेल लाइन को पूरा किए जाने और वहां एयर टैक्सियां चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में दीघा उड़ीसा से लगा हुआ एक खूबसूरत समुद्री भ्रमण स्थल है। देश भर के सैंकड़ों पर्यटक इस भ्रमण स्थल पर आते हैं। परंतु यहां पहुंचने के लिए बसों और प्राइवेट कारों के अलावा और कोई परिवहन का साधन नहीं है। इस पर्यटन स्थल को सुन्दर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने वहां एक जलागार का निर्माण किया है परंतु इसे अभी पर्यटकों के लिए खोला जाना है। अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण लोगों को दीघा आने का अवसर नहीं मिलता।

उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दीघा-तुमलुक रेल लाइन को पूरा किया जाए और एयर टैक्सियों की व्यवस्था की जाए ताकि पर्यटक तथा वहां रोज आने वाले लोग बिना कठिनाई के वहां पहुंच सकें।

(आठ) 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि मेहताब (कटक) : महोदय, 1999 तक सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। लेकिन इस योजना हेतु आबंटित धनराशि का कम उपयोग होने के कारण इस योजना के लिए 1998-99 के बजट प्रस्तावों में कटौती की गई है। इसके लिए 1997-98 के बजट में 135 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे परंतु एक करोड़ से भी कम रुपयों खर्च किए गए हैं। इसके फलस्वरूप 1998-99 के प्रस्तावों में इस स्कीम के लिए केवल 60 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं को मजबूत करने और उनमें सुधार किए बिना 'सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा' मात्र एक नारा बनकर रह जाएगी। आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में आधार संरचना को सुधारने के लिए 1987 में शुरू की गई थी। परंतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह मानता है कि इसे प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के भवन के लिए कम से कम दो कमरे प्रदान करने का उद्देश्य अभी पूरा करना है। स्कूल के कमरों के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत कमरों का काम ही पूरा किया गया है जबकि कई राज्यों में शिक्षण और शिक्षण सामग्री के लिए खर्च न की गई काफी राशि है।

इस योजना के अंतर्गत कक्षाओं के कमरों के निर्माण में विलंब, अध्यापकों की भर्ती में विलंब धनराशि का कम उपयोग और राज्यों द्वारा कार्यक्रमों का घटिया प्रबंधन हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में शीघ्र उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

(नौ) स्वदेशी कागज उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने और आयातित अखबारी कागज पर सीमाशुल्क बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (उत्तर मद्रास) : महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण स्वदेशी कागज उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक एवं अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में अपंग हो गया है। भारतीय कागज उद्योग में विद्युत तथा पूंजी की बहुत अधिक मात्रा खर्च होती है तथा इसमें उत्पादन आरंभ होने में भी काफी समय लग जाता है। इसलिए भारतीय कागज विनिर्माता विदेश विनिर्माताओं की अपेक्षा अलाभप्रद स्थिति में है। अत: स्वदेशी अखबारी कागज और कागज उद्योग की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है।

वर्ष 1994 में बी. आई. सी. पी. के द्वारा किए गए न्यूजप्रिंट उद्योग के तकनीकी आर्थिक अध्ययन में स्वदेशी न्यूजप्रिंट उद्योग को एक उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। बी. आई. सी. पी. ने आयातित न्यूज प्रिंट पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाये जाने की भी सिफारिश की है। वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय न्यूजप्रिंट को बचाने के लिये माल जमा करने पर शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की है।

तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड जिसका आई. डी. बी. आई. सह-प्रमोटर है, पर्यावरण की दृष्टि से अपनी किस्म का एक विरल

संयंत्र हैं। क्योंकि इसमें लकड़ी की लुगदी के स्थान पर खोई (बगास) का इस्तेमाल किया जाता है। इन मिलों को बनाए रखने के लिए विशेषतया वर्तमान मंदी की स्थिति में उत्पाद शुल्क से छूट बहुत आवश्यक है।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. कालैगनार ने पहले ही माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिख दिया है जिसमें उन्हें यह अनुरोध किया है कि वे इस तथ्य पर विचार करें और स्वदेशी उद्योग को शुल्क में छूट दें तथा आयातित न्यूजप्रिंट पर सीमा शुल्क में वृद्धि करें।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि खोई पर आधारित संयंत्रों से उत्पादित कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाए और आयातित न्यूजप्रिंट पर सीमाशुल्क बढ़ाया जाए ताकि स्वदेशी उद्योग को रुग्ण होने से बचाया जा सके।

(दस) जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपबंधों को लागू करने के लिए जैव विविधता संबंधी अभिसमय के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : महोदय, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें अनेक किस्म की जैव-विविधता है। भारत जैव विविधता वाला एक ऐसा विशाल देश है जिसमें 80,000 ज्ञात प्राणी और 49,000 ज्ञात वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए इस विशाल जैव-विविधता का संरक्षण करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय करारों में जैविक विविधता संबंधी समझौता जो कि वर्ष 1993 से लागू है एक विशिष्ट घटना है चूंकि इसमें पहली बार आनुवंशिक संपत्ति में प्रवेश करने और लाभों में भागीदार बनने के लिए इक्विटी और नैतिकता के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

जैव विविधता संबंधी समझौते के मुख्य उद्देश्य हैं; जैव विविधता का संरक्षण जैविक संपत्ति का सही इस्तेमाल और लाभ का समान बंटवारा।

इस समय भारत के जैविक संसाधनों को सुरक्षित रखने का कोई कानून नहीं हैं अब यह बात सभी जानते हैं कि मूल्यवान पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों को प्राय: देश के बाहर ले जाया जाता है। कुछ प्रजातियां लुप्त होने वाली है।

कुछ समय पूर्व श्री एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

मैंने इस वर्ष 1 अप्रैल को जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एक कानून बनाने के आग्रह के साथ प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था परंतु ऐसा लगता है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे जैव-विविधता संबंधी समझौते पर कानून बनाने और जैविक-विविधता के संरक्षण संबंधी प्रावधान को प्रभावी बनाने को प्राथमिकता प्रदान करें।

(ग्यारह) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बचाने के लिए सुहेल नदी से गाद निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : जनपद खीरी में स्थित वन्य पशु अभ्यारण दुधवा नेशनल पार्क को सुहेली नदी में बालू जमाव (सिल्टिंग) से भारी अवरोध उत्पन्न हो गया है तथा नदी का पानी संरक्षित वन क्षेत्र और बाहरी कृषि क्षेत्रों में फैल जाने से भारी जल भराव हो गया है। फलस्वरूप सैचुरी क्षेत्र में विगत कई वर्षों से बाढ़ आने से हजारों की तादाद में दुर्लभ बारहसिंगों की डूब कर मरने से मौतें हुईं तथा कई अन्य संरक्षित प्रजातियों का निवास खत्म हो गया है। बाहरी क्षेत्रों में हजारों एकड़ की कृषि योग्य भूमि दलदल में परिवर्तित हो रही है। जिससे कृषक तबाह हो रहे हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अपेक्षा है कि सुहेली नदी की रेत की सफाई के लिए डिसिल्टिंग प्रोजेक्ट बनाकर शीघ्र ही कार्य चालू कराएं अन्यथा दुधवा नेशनल पार्क का मूल उद्देश्य (बारहसिंगों का संरक्षण) समाप्त हो जाएगा।

[अनुवाद]

(बारह) महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव कॉटन फेडरेशन के देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री माधवराव पाटील (नासिक) : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास संघ को देय.बकाया राशि की अदायगी का मामला राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा भारत सरकार दोनों के समक्ष उठाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर, 1992 तथा 2 जनवरी, 1996 के अपने पत्रों के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया था। इसी मुद्दे को 9 जनवरी, 1996 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष चर्चा के लिए उठाया गया था। उसके बाद यह मामला पुन: 4 अगस्त, 1996 को मुंबई में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री तथा मुख्य मंत्री के बीच हुई बैठक में उठाया गया। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही है कि वह एन. टी. सी. द्वारा बकाया राशि की शीघ्र अदायगी न किये जाने के मामले की जांच करें।

महोदय, एन. टी. सी. द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास संघ को 174.19 करोड़ रुपये देने हैं क्योंकि उसने संघ से समय-समय पर कपास भी खरीद की है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एन. टी. सी. को निर्देश दे कि वह बकाया देय राशि की अदायगी यथाशीघ्र करे।

(तेरह) मेरठ और मवाना में और अधिक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यात्रियों को रेलवे आरक्षण में कम्प्यूटर की कमी होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। सिर्फ तीन खिड़की ही मेरठ सिटी स्टेशन पर कम्प्यूटर मशीनों से कार्य कर रही हैं। यह बहुत बड़ा कैंटोनमेंट क्षेत्र भी हैं अत: रेल मंत्री जी से मेरे दो अनुरोध हैं -

1. मेरठ शहर में दो प्राइवेट क्षेत्र में कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र खोले जाएं।
2. मवाना तहसील हेड क्वार्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर में कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र यहां पर भी खोलने की अनुमति दी जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री इन्द्र नाथ भगत (लोहरदगा) : महोदय, झारखंड/वनांचल अलग प्रांत की चिरप्रतिक्षित मांग को लेकर झारखंड क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद क्षेत्रीय कांग्रेस के पदाधिकारीगण जन्तर-मन्तर में धरने पर बैठे हैं। यह मांग झारखंड के तीन करोड़ लोगों के विकास से संबंधित है। आज आजादी के 50 वर्ष के बाद भी खान, खनिज जंगल तथा अकूल संपत्ति से परिपूर्ण झारखंड के लोग बेरोजगारी एवं भुखमरी के शिकार हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। यहां के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक शोषण भी हो रहा है। जिससे यहां के आदिवासी एवं खदानों में काफी असंतोष है। यहां की भाषा संस्कृति तथा रीति रिवाज में बिहार के अन्य हिस्सों से भिन्न है।

अत: मैं सरकार से इस अति लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र झारखंड अलग राज्य के गठन की मांग करता हूं।

अपराह्न 3.01 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

सभापति महोदय : अब, हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दी। वास्तव में मैंने इस सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन 'आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य' पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैंने सोचा कि इस 106 दिन पुरानी सरकार की निन्दा का यह सही मामला है। इस सरकार के सत्ता में आने के 106 दिनों में लगभग सभी वस्तुओं और विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यदि आप कोई ऐसी वस्तु खरीदना चाहते हैं जो कि आपने एक दिन पहले भी खरीदी हो तो आपको उसके लिए अधिक कीमत देनी पड़ती है अथवा कम से कम एक रुपया अधिक देना पड़ता है। यह स्थिति केवल सब्जियों के साथ नहीं है बल्कि सभी वस्तुओं के साथ है।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो एक किलोग्राम सरसों के तेल की क्या कीमत थी? उसकी कीमत 35 रुपये थी और आज उसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। मैं माननीय खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री, श्री बरनाला का साक्षात्कार सुन रहा था जो कि यह बता रहे थे कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। उनके अनुसार इसका कारण पैदावार में कमी हैं। महोदय, निश्चय ही पैदावार में कमी हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि बहुत कम है। हम कभी दो प्रतिशत वृद्धि से अधिक प्राप्त नहीं कर सके। हमारी जनसंख्या वृद्धि हमारे खाद्य उत्पादन में हो रही वृद्धि से अधिक हैं।

विशेष रूप से पिछले वर्ष उत्पादन में काफी गिरावट आई है। सरकार यह जानती थी। जब यह सरकार सत्ता में आइ तो वह जानती थी कि तिलहनों, खाद्य तेल और गेहूं के उत्पादन में भी कमी होगी।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस वर्ष अधिक उत्पादन के कारण हमारा गेंहू का भंडार ठीक है लेकिन गेहूं की कीमतें पहले ही दोगुनी हो गई हैं और ऐसा ही रहा तो यह 20 रुपये प्रतिकिलो हो जायेंगी। साधारण चावल की क्या कीमत है? मैं बासमती चावल की बात नहीं कर रहा हूं। आम लोग यहां तक कि उच्च मध्यम वर्ग भी बासमती चावल इस्तेमाल नहीं कर सकता है। साधारण चावल की क्या कीमत है? यह 15 रुपये किलो है।

यही स्थिति चीनी की भी है। पिछली सरकार ने चीनी की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए महाजन समिति गठित की थी। महाजन समिति गठित करने का क्या उद्देश्य है? महाजन समिति की मुख्य सिफारिश थी कि चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटा लिया जाए। मैंने सिफारिश पर विचार किया है। मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति ग्रंथालय में उपलब्ध है। मुझे वह प्रति नहीं मिली। मुझे महाजन समिति की सिफारिश के संबंध में सरकार का निर्णय नहीं मालूम है। उन्होंने इसे स्वीकार भी नहीं किया है और अस्वीकार भी नहीं किया है। सरकार का क्या निर्णय है? क्या सरकार चाहती है कि हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चीनी का वितरण जारी रहे? जहां तक कि महाजन समिति की रिपोर्ट का संबंध है सरकार ने अपना निर्णय स्पष्ट नहीं किया है? हमारी आशंका यह है

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि यह सरकार बड़े-बड़े व्यापारियों सट्टेबाजों, जमाखोरों, काला-बाजारियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों की मदद से सत्ता में आई है और वे समझते हैं कि केन्द्र में उनकी अपनी सरकार है। इसलिए वे स्वतंत्र हैं और सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। वे आम लोगों कर्मचारियों के दुख को नहीं समझ रहे हैं। वे इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उड़ीसा के कालाहांडी तथा कोरापुट क्षेत्रों के लोगों का क्या होगा। निर्धन लोगों का क्या होगा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कृषकों का क्या होगा? आज जो स्थिति है यह आज से पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी. पी. आई.) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू. पी. आई.) में महंगाई की प्रवृति इतनी अधिक कभी नहीं थी। क्या यह उत्पादन में कमी के कारण हुआ है? उत्पादन में कमी क्यों हुई। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी न केवल खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री है वे उर्वरक तथा रसायन मंत्री भी हैं। कम से कम गोरखपुर, बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, नामरूप और तालचेर के छः उर्वरक एकक अब बंद हो चुके हैं।

मंत्री महोदय इसे बेहतर जानते हैं। सभा में हम इस बात के लिए संघर्ष करते रहे हैं कि इन उर्वरक इकाईयों को फिर से चलाया जाये। हम 2,300 करोड़ रुपये खर्च कर यूरिया का आयात कर रहे हैं।

पिछली सरकार द्वारा एक पैकेज तैयार किया गया था। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप स्थित इकाइयों के पुर्ननवीकरण के लिए मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी थी।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आचार्य जी, दो साल तक आप भी सरकार में थे, उस समय तो आपने आनंद लिया और आप बोले नहीं। अब तीन महीने में आपको परेशानी हो रही है।....(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : भूतपूर्व खाद्य मंत्री यहां बैठे हैं, हमारी पार्टी का रोल क्या था, वे जानते हैं। हम चिल्लाते रहे कि फर्टिलाइजर उद्योग है, उसका जीर्णोद्धार करो।.....(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : क्या आप बंधुआ थे जो उनके साथ बोल रहे थे।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजवीर सिंह, उन्हें टोकिए मत।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया उर्वरक इकाइयों के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास कीजिए। मैं यह बता रहा हूं कि उत्पादन में कमी क्यों आयी है।

[हिन्दी]

क्यों हमारे खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई है। हम बाहर से उर्वरक मंगा रहे है। और हमारा उर्वरक उद्योग बन्द है।

[अनुवाद]

हम 2200 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। परन्तु हम यूरिया के आयात के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। एक टन यूरिया भी नहीं आया लेकिन हम 133 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : 133 करोड़ रुपये का क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य : हम भी एक्सपोज किये थे। हमको बोलने दीजिए।.....(*व्यवधान*) ऐसा मत बोलिये।.....(*व्यवधान*) उनको मालूम नहीं है। आपको बोलना है तो आपको खड़ा होकर बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजवीर सिंह, कृपया उन्हें न टोकें। वे आपका नाम नहीं ले रहे हैं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं तो इनकी मदद कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार किंचित मात्र भी गम्भीर नहीं है। यह हाल ही में किए गए बम विस्फोटों का परिणाम है। यह विश्व व्यापार संगठन के कारण है। कुल मिलाकर यह इन सभी बातों का परिणाम है।

मेरे पास आवश्यक वस्तुओं की मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर के आंकड़ें हैं। बिना आलू के हम सब्जी नहीं बना सकते। प्रत्येक सब्जी को बनाने के लिए आपको आलू चाहिए। यह बात कम से कम पश्चिम बंगाल एवं बिहार के मामले में बिल्कुल सही है।

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसादजी, हम तो अगल-बगल हैं। आप चुप बैठे हैं, जरा आवाज उठाओ।

सभापति महोदय : आचार्य जी, आप किसी का नाम मत लीजिए, नहीं तो वे भी बोलना शुरू कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आलू के सम्बन्ध में मुद्रास्फीति क्या है, जानते हैं आप? आलू के सम्बन्ध में मुद्रास्फीति की दर 325.8 की सीमा तक है? आप आलू कैसे खा पाएंगें?

हमें लगभग प्रत्येक सब्जी को बनाने के लिए प्याज की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना प्याज के सब्जी नहीं बन सकती। इस के लिए मुद्रास्फीति की दर में कितनी वृद्धि हुई है? यह 32.9 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : ये तो प्याज खाते ही नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कौन?

श्री राजवीर सिंह : सोमपालजी।

श्री बसुदेव आचार्य : वे तो हमारे जैसे ही शाकाहारी है, हम पहले खाते नहीं थे, अब खाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य : सुबह हमें एक कप चाय की आवश्यकता पड़ती है । चाय को क्या हो गया है? इस की मुद्रा स्फीति 26.6 प्रतिशत है। महोदय, आप भी एक दिन में कम से कम छह चाय पीते होंगे। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में होता हूं तो मैं कम से कम 10-12 बार चाय पीता हूं। फिर से, बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद एक ओर जहां उत्पाद शुल्क में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी दूसरी ओर उन्होंने सीमा शुल्क में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। उन्होंने ब्लेंडेड चाय पर भी उत्पाद शुल्क में कमी कर दी थी। यदि आप रसगुल्ला खरीदते हैं तो आपको आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

के. सी. दास के मार्किट से रसगुल्ला ले लीजिए। आजकल डायबिटिज के पेशेंटस भी रसगुल्ला खाते हैं।

[अनुवाद]

आपने इसे कम नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री विधेयक पेश करते समय उत्पाद शुल्क को कम करने का प्रस्ताव लाएंगे या नहीं। मेरा अनुरोध है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि न की जाए।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पेट्रोल के मूल्य में मात्र एक रुपये की वृद्धि के बारे में घोषणा की थी। उनके बजट भाषण के तुरंत बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 5 रुपये, कलकत्ता में 4.50 रुपये और केरल में 5 रुपये बढ़ गया था। यूरिया के मूल्य को बढ़ाया गया था और बाद में पचास पैसे घटाया गया। मैंने कभी भी यूरिया के दाम में एक किलोग्राम पर एक रुपये की बढ़ोतरी नहीं देखी।

[हिन्दी]

हमने कभी नहीं सुना था कि एक किलो पर एक रुपया बढ़ा हो अगर दाम बढ़ाने ही थे तो एक बोरी या एक क्विंटल पर बढ़ाए जाते।...(*व्यवधान*)

श्री रामवीर सिंह : यह आपत्तिजनक बात है। जिस चीज के दाम बढ़े ही नहीं हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दाम बढ़ गए। वह ऐसा कह कर सदन और देश को गुमराह कर रहे हैं। सी. पी. एम. वाले आज तक हिन्दुस्तान को गुमराह करते रहे हैं। आप इनसे बच कर रहें।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं सरसों के तेल पर आता हूं।

[हिन्दी]

अगर मछली नहीं होगी तो अच्छा खाना नहीं होगा। मछली की सब्जी सरसों के तेल के बिना बन नहीं सकती।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं आपको ऐड्रेस करूंगा।

[अनुवाद]

मैं 9.5.98 को जो मूल्य प्रचलित थे उनकी बात कर रहा हूं। सरसों के तेल की मुद्रा स्फीति की दर क्या थी? यह 16.65 प्रतिशत थी। अब यही वृद्धि 100 प्रतिशत है। आजकल एक किलो सरसों का तेल 60 रुपये में बेचा जा रहा है। इतने महंगे दामों पर गरीब आदमी इसे कैसे खरीद पाएंगे?

दालों की क्या स्थिति है? मैं मछली की बात नहीं कर रहा हूं परंतु नमक। नमक में मूल्य वृद्धि दर 10.7 प्रतिशत है। दालों का मूल्य, अरहर, मूंग और उसके बाद मशहर इन सबका भाव बढ़ गया। और इनमें वृद्धि की दर 25 से 30 प्रतिशत से कम नहीं है।

सब्जियों के मूल्यों की क्या स्थिति है? मैं आलू और प्याज की बात कर चुका हूं। टमाटर तो संसद सदस्यों की पहुंच से बाहर हो गया है। गरीब आदमियों, कृषि मजदूरों और श्रमिकों जन सामान्य और दलितों की तो बात ही छोड़िए।

[हिन्दी]

यह 40 रुपये कौन खायेगा? इस सरकार का क्या होगा?

[अनुवाद]

वे मूल्यों पर अंकुश नहीं लगा सकते। वे मूल्यों पर अकुंश कैसे लगाएंगे? उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता है अपने सहयोगी दलों को खुश करना। सारा समय उनकी सहयोगी पार्टियों ए. आई. ए. डी. एम. के. तृणमूल कांग्रेस और समता के तुष्टीकरण में बीत जाता है। सारा समय उन्हें मनाने और केन्द्रीय दलों को भेजने में व्यर्थ हो जाता है। उनके पास ऐसे ज्वलंत विषय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को बुलाने का समय नहीं है। वे रोम के राजा के समान हैं, जब रोम जल रहा था तब नीरो संगीत वादन कर रहा था। वे सारंगी वादन कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है। कम से कम संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक योजना को तो आरंभ किया था जो कि 50 प्रतिशत मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बहुत अच्छी योजना थी।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं?

सभापति महोदय : पहले ही आप पच्चीस मिनट बोल चुके हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे बहस आरंभ करनी है।

सभापति महोदय : ठीक है, मैं जानता हूं। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अभी मूल समस्या पर तो पहुंचा ही नहीं हूं।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई थी। इसका गुप्त एजेंडा या ज्ञात एजेंडा, जिसे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा कहते हैं, में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। क्या उन्होंने एक अच्छी योजना को जारी रखने के बारे में कुछ कहा है?

यह बहुत ही अच्छी योजना थी और हमारे आग्रह पर इसे आरंभ किया गया था। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनके पूर्ववर्ती भी अच्छी तरह जानते थे कि वामपंथी दलों द्वारा जोर दिए जाने के कारण संयुक्त मोर्चे ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 50 प्रतिशत मूल्य पर गेंहू और चावल जैसे खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को आरंभ किया था। अब वे उस योजना को खत्म करने पर तुले हैं।

वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट करना चाहते हैं। 1980 से हम मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय हमने एक अच्छा सुझाव दिया था। हमने एक ज्ञापन दिया था। वह सुझाव क्या था? वह कम दामों पर आम आदमी को 14 आवश्यक वस्तुएं वितरित करने का था। इसका गणित क्या था? उस समय हमने हिसाब लगाया था कि 850 करोड़ रुपये खर्च करने पर हमारे 20 करोड़ से 25 करोड़ लोगों को कम मूल्यों पर कम से कम 14 आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जा सकता था। परंतु यह योजना स्वीकार नहीं की गई।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम पर संयुक्त मोर्चा सरकार से पहले ही सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने की ठान ली थी। वर्तमान सरकार भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने पर तुली हुई है। इसके विस्तार की पर्याप्त संभावना है। अब समय आ गया कि इस बात पर विचार किया जाए कि हमारे देश के आम आदमी को किस प्रकार आवश्यक वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध करायी जाएं।

हमारे उद्योग बन्द हो रहे हैं। कई उद्योग बंद हो चुके हैं। हर दिन मुझे पांच से छह टेलीफोन पूरे देश से आते हैं कि पिछले दो या तीन महीनों से मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिला है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। इस उपक्रम के रूपनारायणपुर और हैदराबाद के लगभग 4,500 श्रमिकों को पिछले दो-तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। जब से यह सरकार आई है तब से श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा है। एम. ए. एम. सी. भी केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है। पिछले चार महीनों से एम. ए. एम. सी. के श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। यह सरकार न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना चाहती है अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी बंद करना चाहती है। उन्होंने सरकार के 100 प्रतिशत अंश में कटौती की भी घोषणा की है .....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया विषय पर आइए हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सार्वजनिक क्षेत्र मूल्य स्थिरता से जुड़ा है। नियंत्रित मूल्यों संबंधी एक श्वेत-पत्र पर चर्चा हुई थी, जिसे वर्ष 1986 में सभा में प्रस्तुत किया गया था। अपने बजट भाषण में डा. मनमोहन सिंह ने कहा था और मैं उद्धरित करता हूं : "नियंत्रित मूल्यों का मुद्रास्फीति की स्थिति पर प्रभाव इस विषय पर देश में एक लाभप्रद बहस चल रही है। जब सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं तो नियंत्रित मूल्यों में भी बढ़ोतरी आवश्यक और अपरिहार्य है। परंतु सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि जहां तक संभव हो सके महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता होनी चाहिए।" ....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : 30 मिनट हो गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : 50 मिनट हो जाएं, आपको क्या है? भाव बढ़ा रहे हैं और बोलने भी नहीं दे रहे हैं।....(*व्यवधान*) आप महंगाई बढ़ा रहे हैं हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं।....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप बोलिये। आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आधा घंटा क्या, हम तो एक घंटा बोलेंगे। हम तैयारी करके आए हैं। बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है।.... (*व्यवधान*) क्या करें, हमारी मजबूरी है। ....(*व्यवधान*) ऐसी सरकार आ गई है। हमारी मजबूरी है। ....(*व्यवधान*)

अपराह्न 3.30 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ठीक है। अब हमारे भूतपूर्व खाद्य मंत्री आ गए हैं। आप जरा धीरज से हमारी बातें सुनिये।

सभापति महोदय : मूवर को 10-15 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्या कानून देख रहे हैं। आप भी पैनल में हैं, हम भी पैनल में हैं। थोड़ा तो होगा ही। ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : पैनल वाले को तो नियम का ज्यादा पालन करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : नियम का पालन करेंगे मगर दूसरों से थोड़ा ज्यादा समय लेंगे। सईद साहब बहुत कम बोलते हैं लेकिन वह भी जब बोलेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे।....(*व्यवधान*) हमारा तो पूरा समय ही राजवीर सिंह जी ने ले लिया।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है :

"इसमें शामिल मुद्दों को स्पष्ट करने और उचित दृष्टिकोण पर खुली बहस शुरू करने के लिए सरकार प्रशासनिक मूल्यों के बारे में एक नीति पत्र संसद में प्रस्तुत करेगी।"

उन्होंने यह प्रस्तुत किया था और इस पर राष्ट्रव्यापी बहस हुई थी। मुझे उसके बारे में जानकारी है। मैं इस प्रतिवेदन का अन्तिम पैरा उद्धृत करना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"इसमें शामिल मुद्दे जटिल हैं और सरकार को आशा है कि इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा से ऐसी नीतियां शुरू की जाएंगी जो मुद्रा स्फीतिजन्य दबाव को कम करने में मदद करेगी"।

[हिन्दी]

कहां चले गए इनफ्लेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर .... (*व्यवधान*) उनको पसंद नहीं आया।

[अनुवाद]

उन्हें यह पसंद नहीं आया। यह सरकार की गंभीरता को बताता है।

इसमें आगे कहा गया है और मैं उसे उद्धत करता हूं :

"जो अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने में सहायता करेगा और साथ ही विकास के लिए पर्याप्त संसाधन सृजित करेगा।"

दो मुद्दे हैं, एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का है। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान कम से कम मुद्रास्फीति नियंत्रण में थी, इस सरकार के 106 दिनों के कार्यकाल में इसकी वास्तविक तस्वीर क्या है ? प्रतिदिन मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है।

1985 में चक्रवर्ती समिति गठित की गई थी जिसने मुद्रा स्फीति की मात्रा के बारे में सिफारिश की है। इस समिति ने सिफारिश की है कि मुद्रास्फीति 15 प्रतिशत तक सीमित हो आज क्या स्थिति है? मुद्रा पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा की गई सिफारिश से कहीं अधिक है। सरकार मुद्रा स्फीति पर काबू नहीं कर पाई है और वह निर्यात की अनुमति दे रही है।

मैं नहीं जानता कि क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री उस बारे में इस सभा को सूचित कर पाएंगे जो मैं पूछने जा रहा हूं। क्योंकि इसके लिए वाणिज्य मंत्री की सहायता की आवश्यकता भी है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है, दालों के निर्यात की अनुमति दी गई है। मैं मांग करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आजकल मिर्च के भाव क्या हैं? आजकल पस्तू के भाव क्या हैं? बंगला में हम कसकस को पस्तू कहते हैं। बंगाली परिवार कसकस या पस्तू का सेवन प्रतिदिन करते हैं।

दिल्ली और कलकत्ता में इसके भाव क्या हैं? रघुवंश जी यह 225 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है?

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : पश्चिम बंगाल में तो मंहगाई नहीं होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी सरकार है, मंहगाई नहीं होगी, क्या ऐसा हो सकता है। आपके पास सब है, आप नीति तय कर रहे हो, आप गद्दी पर बैठे हो, अगर भाजपा गद्दी पर बैठेगा और ट्रेडर्स, ब्लैकमार्केटियर्स, होर्डर्स ये सब लोग ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : शांति रखिये, बैठे-बैठे टोका-टोकी से बाधा पड़ती है।

श्री थावरचन्द गहलोत : सभापति जी, यह राज्य सरकार का मामला है इसे आप स्वीकार क्यों नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को पेश करते समय सारे विपक्ष ने इसका विरोध किया था। उनके सहयोगी दलों ने भी इसका विरोध किया था।

[हिन्दी]

....(*व्यवधान*) प्रभुनाथ सिंह जी तो हैं, वह लड़ने वाले हैं, आज थोड़ा सा लड़े भी थे। लेकिन उनके नेता ने उन्हें बैठा दिया, क्या करेंगे। एक पार्टी में दो राय होती है, यह तो हमने नहीं देखा। एक मैम्बर कुछ बोलता है, दूसरा मैम्बर कुछ बोलता है, ऐसा होता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी पार्टी में राय हो आप उसके लिए परेशान मत होइये, लेकिन अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : जिस समय आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलियेगा।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : वे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश

[श्री बसुदेव आचार्य]

करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि उनके राज्य पंजाब में 2000 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए। और उनमें से कितनों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए? केवल 200 से 300 व्यापारियों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए। कितने व्यापारियों को दंडित किया गया? केवल 12 व्यापारियों को दंडित किया गया। सैंकडों व्यापारियों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए किंतु केवल 12 व्यापारियों को दंडित किया गया। सरकार चीनी को विनियंत्रित करना क्यों चाहती है? वे चीनी को विनियंत्रित इसलिए करना चाहते हैं कि उन्होंने चीनी मिल मालिकों से करोड़ों रुपए लिए हैं, सरकार चीनी का अविनियमितीकरण करना चाहती है और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटाना चाहती है। वे चीनी मिल मालिकों और व्यापारियों को किसी भी कीमत पर चीनी बेचने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने व्यापारियों, कालाबाजारियों और सट्टेबाजों से पैसा लिया है, इसीलिए खासकर जब यह सरकार सत्ता में आई सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, केवल एक, दो या तीन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। सभी आवश्यक वस्तुओं, जिनमें चीनी, सरसों का तेल और खाद्य तेल शामिल हैं, की कीमतों में वृद्धि हुई है।

कल मैं मंत्री महोदय के साक्षात्कार को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वे अब 1.5 मिलियन टन खाद्य तेल के आयात के बारे में सोच रहे हैं। सरकार क्या कर रही थी?

[हिन्दी]

कान में कड़वा तेल डालकर सो रही थी, अब जागी है।

[अनुवाद]

अब त्योहारों के मौसम के कारण सरकार ने खाद्य तेल के आयात का निर्णय किया है किंतु मैं नहीं जानता कि वह इंडोनेशिया या थाईलैंड या मलेशिया कहां से खाद्य तेल का आयात कर रही है। वे पाम आयल का उत्पादन कर रहे हैं। हम प्रस्ताव करते रहे हैं कि श्री मनोरंजन भक्त के निर्वाचन क्षेत्र में पाम आयल का उत्पादन बढ़ाएं। मैंने वहां की यात्रा की और जब मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सभापति था तो मैंने सिफारिश की थी कि यदि संभव हो तो सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा केरल में भी पाम आयल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब कनक्लूड कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : कैसे कनक्लूड करेंगे, अभी तो शुरूआत है, अभी तो चलेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार इतने लम्बे समय तक क्या कर रही थी। हमारे खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो रही है। खाद्य तेलों के उत्पादन में भी कमी हो रही है। हम आयात की अनुमति दे रहे हैं? दरवाजा खोल दिया, ओ. जी. एल. लिस्ट में कितना आ गया है। कितनी मदों के लिए? 345 मदें हैं।

[हिन्दी]

सिंदूर भी बाहर से मंगाना पड़ेगा। मिर्च बाहर से आएगी स्वदेशी सरकार, स्वदेशी बजट।

[अनुवाद]

उन्होंने सीमा शुल्क को कम किया है, उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। श्री यशवंत सिन्हा, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? वित्त मंत्री महोदय आप भी उन्हीं पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आप उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जिसकी शुरूआत 1991 में हुई थी। उस समय आपने उदारीकरण की नीति का विरोध किया था। आपने सुधारों की नीति का विरोध किया था। आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खोलने की नीति का विरोध किया था अब आपने दरवाजा खोल दिया है। थोड़ा सा बंद था लेकिन अब पूरा खोल दिया ....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु मल्टी नेशनल्स को लाए या नहीं, यह बताइए।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : नीति यहां निर्धारित की जाती है, पश्चिम बंगाल संप्रभु देश नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : गांव का पानी पैप्सी कोला कंपनी ले लेती है और किसानों को पानी नहीं मिलता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : एक मंत्री, मंत्री बनने से पूर्व खुलेआम घोषणा करता हूं कि वह मंत्री पद को स्वीकार नहीं करेगा। किंतु उसने इसे स्वीकार किया। उन्होंने वह घोषणा की जो उन्होंने 1977 में किया था....(*व्यवधान*) उन्होंने जनता पार्टी सरकार को समर्थन दिया था। वे पुन: 'कोका-कोला' और 'पेप्सी कोला' को बाहर फेंकने की पुनरावृति करते हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वे अपने मंत्रालयों में कोका-कोला और पेप्सी कोला का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक नेता का फोटो देखा। वह दो दिन तक अनशन पर बैठा था। ....(*व्यवधान*) किंतु फोटो में मैंने उन्हें

एक बड़ा केला - खाते देखा - छोटा नहीं। वह अनशन पर बैठा था किंतु खूब फल खा रहा था और दूध पी रहा था अन्न नहीं खा रहा था। यदि उसे उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में फल और दूध मिलता रहता तो वह अपना अनशन जारी रख सकता था।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : महीनों तक.

श्री बसुदेव आचार्य : हां, महीनों तक। हम एक दिन नहीं रोज एकादशी कर सकते हैं।

यह किसके विरुद्ध था। यह उनकी अपनी दिल्ली सरकार के विरुद्ध था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार दिल्ली के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अक्षम, अकुशल और अयोग्य है! मैंने अखबारों में यह खबर भी पढ़ी है कि चलते फिरते वाहनों से सस्ती दरों पर प्याज वितरित किए जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में पूछताछ की है। आप एक कुशल खाद्यमंत्री हैं।

[हिन्दी]

वह भेजना पड़ेगा, रांची भी है, आगरा भी है, दो जगह हैं.... (*व्यवधान*)

रांची भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी।....(*व्यवधान*)

रांची अनपार्लियामेंटरी है, हमारा अनपार्लियामेंटरी है? .... (*व्यवधान*)

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : आपने पहले जो बोला, वह है।

श्री राजवीर सिंह : बसुदेव आचार्य जी का रिश्ता बरेली से है। इनको तो बरेली सूट करता है।....(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने बोला, आगरा भी है, रांची में है। क्या अनपार्लियामेंटरी बात करते हैं। आपके रांची में है।

[अनुवाद]

उन्हें यह समझना चाहिए। दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है, उन्होंने अपनी ही सरकार के विरुद्ध अनशन किया है, वे एक सामान्य सदस्य नहीं है। वे एक महत्वपूर्ण नेता हैं, वे अपनी पार्टी के महासचिव हैं।

[हिन्दी]

श्री पी. एस. गढ़वी : रांची बोला, कराची बोला ....(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : इसी को लोकतंत्र कहते हैं यह तानाशाही नहीं है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय मेरे विचार से श्री बसुदेव आचार्य ने महंगाई पर चर्चा शुरू की थी किंतु अब पता नहीं वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हाथ में लेकर क्या खिला रहे थे, जैसे बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे हाथ में लेकर खिला रहे थे। ... (*व्यवधान*)

मैं प्रांसगिक बातों को ही बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाक्को (इदुक्की) : श्री के. एल. शर्मा महंगाई के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे थे। श्री आचार्य जी जो भी कह रहे हैं वह इस मामले में प्रासंगिक है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर विरोध जता रहे थे, उनका अनशन अपनी ही सरकार के विरुद्ध था, चोले हमारी पार्टी में यही लोकतंत्र है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : कृपया इस वाद-विवाद को मजाक मत बनाइएए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे खुराना जी आ गये, वे भी साथ में फास्ट करेंगे, फल, मूल, दही, दूध हर चीज खाएंगे। खुराना जी भी छन, छेना....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाये।

(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : इनको गंभीरता से बात करनी चाहिए, किसी चीज को इनको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वह तो गांधी जी को तरीका है, यह आप लोगों को नहीं सिखाया है, हम लोगों को सिखाया है। हम तो किसी चीज के लिए, किसी डिमांड के लिए बहुत फास्ट करते हैं, ऐसी किसी बात को इस तरह नहीं देखना चाहिए....(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : इनको हिन्दुस्तान की प्रेरणा है ही नहीं, इनकी प्रेरणा तो रूस से है।....(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने गांधी जी के....* साथ हाथ मिलाया है, आप गांधी जी की बात मत बोलिये।....(*व्यवधान*)

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : ....* गांधी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, यह कैसे हो गया? वे कहते हैं कि गांधी जी के..... (*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, पाइंट आफ आर्डर। माननीय बसुदेव आचार्य जी ने अभी तक आपत्तिजनक आरोप लगाया है कि..*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मेरा कहना यह है कि हमारे ऊपर यह बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। क्षमा करें, किसी भी अदालत ने हममें से ही....(*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य : यह तो साबित हो चुका है।....(*व्यवधान*)

श्री राजबीर सिंह : यह इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही है। यह शब्द कार्यवाही में से निकाला जाना चाहिए। इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : यह शब्द आप कार्यवाही में से वापस लेने का आदेशित करें। ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : जो आपत्तिजनक बात है, वह प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी। शांति! हमने आदेश दे दिया।....(*व्यवधान*)

डा. शकील अहमद : गांधी जी का* ....(*व्यवधान*) बंधुओं का हाथ था, यह सारी दुनिया जानती है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आचार्य जी 1945 में गांधी जी को * किसने दी थी? ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यह बहस मूल्य वृद्धि पर है, उसके घेरे में रहना चाहिए। अब समाप्त किया जाये।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सी. आई. आई. की अद्यतन संक्षिप्त रिपोर्ट में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 106 दिनों की छोटी सी अवधि में सरकार ने भारत को साम्राज्यवाद और बहुराष्ट्रीय निगमों के दबाव से अधिक कमजोर बना दिया है। वे इस देश के आम लोगों पर नए-नए और भारी बोझ डाल रहे हैं।

यह इस सरकार द्वारा अपनायी गई नीति की आवश्यकता है जो कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में भी प्रतिबिम्बित हुई है। इससे मूल्य वृद्धि हुई है। चूंकि स्थिति गंभीर है और लोग आन्दोलन कर रहे हैं इसलिए हमें भी इस सत्र के दूसरे चरण के प्रथम दिन से ही धरने पर बैठना पड़ा। मैंने स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है क्योंकि मैं इसे इस अक्षम और असमर्थ सरकार की भर्त्सना का सही मुद्दा मानता हूं जो कि आम लोगों मध्यम वर्ग, कर्मचारी वर्ग, कृषि कामगार, किसान तथा उच्च मध्यम वर्ग, को आवश्यक वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने में भी समर्थ नहीं है। चूंकि स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि तत्काल मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाये, जिसमें मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य वृद्धि को रोकने की दिशा में उपायों पर चर्चा की जाए।

सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना चाहिए। केरल राज्य में आदर्श सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में न केवल सुधार लाना है बल्कि इसका विस्तार करना है और इसे मजबूत भी बनाना है। लेकिन एक बार सुधार के नाम पर पुनः सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बरबाद नहीं करिए। केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही अच्छी है। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना चाहिए और सभी आवश्यक वस्तुए इसके माध्यम से वितरित की जानी चाहिए।

मूल्य वृद्धि का क्या कारण है? ऐसा समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने के कारण होता है इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए समर्थन मूल्य से वृद्धि के संबंध में निर्णय लेने से पहले सरकार को इसके कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर भी विचार करना चाहिए।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि सरकार को आयात करना है तो यह कार्य इतना पहले किया जाना चाहिये ताकि सट्टेबाजों, जमाखोरों एवं कालाबाजारियों द्वारा अवरोध उत्पन्न न किया जा सके। पंडित नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद इन काला बाजारियों सट्टेबाजों और जमाखोरों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। यह सरकार व्यापारियों और कालाबाजारियों की सहायता से चल रही है। हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता का उल्लेख कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

बंगाली में एक कविता है, **जूता आविष्कार**, जो कि जूते के आविष्कार के बारे में बताती है। कविता में एक राजा की कहानी बतायी गयी है जो कि अपने पांवों को धूल से बचाना चाहता है। उसने अपनी इच्छा के संबंध में चर्चा के लिए अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। उन्नीस टन नसवार खत्म हो गई लेकिन मंत्री यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि राजा के पांव को धूल से कैसे बचाया जाए। अन्ततः सड़कों से सारी धूल हटा दी गयी। उस समय वहां कोई पक्की सड़कें नहीं थी। लोगों ने सड़कों से मिट्टी हटानी शुरू की। जिसके परिणामस्वरूप पूरे नगर में धूल के बादल छा गए। दिन में भी अंधेरा हो गया। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर, वहां एक विनम्र मोची आया और उसने राजा को सुझाव दिया कि वह अपने पांव चमड़े के एक टुकड़े से ढक लें। इससे पूरी समस्या ही सुलझ गई।

इस सरकार के 106 दिनों तक सत्ता में रहने के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पड़ोसी देशों से तनावपूर्ण संबंध बहुत बढ़ गए हैं। इस सरकार को अवश्य जाना चाहिए। केवल तभी समस्याएं सुलझ सकती हैं। इस सरकार के सत्ता में रहते हुए हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मेरा नाम सूची में है।

सभापति महोदय : मैं नाम पुकार चुका हूं। आपको अभी मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। क्रम से मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। एक साथ मूवर बोले, ऐसा नियम नहीं है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : महोदय, मैं सबसे पहले अपने नाम को सही कराना चाहती हूं। मेरा नाम श्रीमती सूर्यकांता पाटील है, लेकिन कभी-कभी श्री सूर्यकांत पाटील आ जाता है।

महोदय, प्रस्तुत गंभीर चर्चा के शुरूआत में हुए भाषण को मैं सुन रही थी। देश के करोड़ों-करोड़ों लोग आज इस चीज से पिसे जा रहे हैं। मैं उस आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ी हुई हूं। आम आदमी, आम इंसान, सर्वहारा, झोंपड़ी में रहने वाला, दूसरे-तीसरे और चौथी श्रेणी में काम करके सरकार को टैक्स देने वाला वह गरीब आदमी आज अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करे, इस चिंता में डूबा हुआ है। इस चर्चा की गंभीरता इस देश के उस घर में है, जिस घर में रोटी पर नमक नहीं मिल रहा है, नमक के साथ मिर्च नहीं मिल रही है। आलू और प्याज उस आम घर की रोज की डिश है। उस घर की चिंता जताने के लिए मैं उस घर की ओर से इस देश के सर्वोच्च सदन में बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, आप मेरी बात गंभीरात से सुनें। आप भी उसी गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं भी उसी गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करती हूं। लाखों मतों से जीतने वाला सांसद भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज सारा देश आचम्भित होकर देख रहा है कि मेरे घर के जलते हुए चूल्हे का धुआं क्या किसी की आंख में चुभ रहा है। इस गरीब आदमी की चिंता का वहन इस सर्वोपरि सदन में बैठने वाला सांसद, इस सर्वोपरि सदन को चलाने वाली सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा, जो उन लोगों के मतों को लेकर यहां पहुंची है। क्या कभी हम गरीब आदमी की बात सोचते हैं।

महोदय, मैं बड़े दुखी हृदय से कहना चाहूंगी- मैं हारवर्ड में पढ़ी हुई नहीं हूं, एक सामान्य किसान के घर की बेटी थोक मूल्य सूचकांक की बात नहीं कर सकती, मुद्रा स्फीति और इनफ्लेशन के बारे में भी नहीं बोल पाएगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद आज हम यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी की बात यहां रख कर उन मूल्यों को कम नहीं करना चाहती, अगर दलगत नीति से हट कर हम इस समस्या पर सोचें तो शायद इस देश में रहने वाले गरीब आदमी की बात करने का मौका मुझ जैसी किसान की बेटी को मिल जाए, अन्यथा हम एक-दूसरे की टांग खींचने में लग रहेंगे। हम इस देश में रहने वाले गरीब आदमी की हालत को भूलते जा रहे हैं।

महोदय, हम जब अपने-अपने क्षेत्रों में, अपनी-अपनी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे तो इस देश के कॉमन मैन को हमने एक वायदा किया था - चाहे वह वायदा भाजपा ने किया हो, कांग्रेस ने किया हो, सीपीएम या सीपीआई ने किया हो, राष्ट्रीय जनता दल ने किया हो या ममता जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया हो, लेकिन चुनाव में एक वायदा कॉमन था और वह वायदा यह था कि हम आपके जीवनयापन की चीजों के मूल्यों को निर्धारित करेंगे, उनके ऊपर हम अंकुश रखेंगे, हम जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठायेंगे, देश में पूंजीवाद को हटायेंगे, गरीब आदमी को जीने का अधिकार प्रदान करेंगे - लेकिन अल्पमत की सरकार यह सब करने में नाकामयाब रही है और इन सब बातों को उठाने में शायद हम सब ने भी बहुत देर की है। आज अगर आसमान को छूती हुई मंहगाई को देखें, मूल्यों को देखें तो हम देखेंगे कि मजबूर आदमी, औरत और बच्चे भूख से सिसक रहे हैं। उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती। ए बी और सी विटामिन तो बड़ों की बात होती है, लेकिन जिनके घर में रोटी पर नमक नहीं है, जिनकी रोटी में नमक के साथ मिर्च नहीं है उन लोगों को आपका एबीसीडी मालूम नहीं है। आप जिस भी सस्ती से सस्ती सब्जी को खरीदने के लिए जाइए - चाहे करेला हो या कोई और सब्जी हो, गरीबों का जलपान जो नींबू होता है वह भी महंगा हो गया है। बिहार में आलू की बहुत खपत होती है, बिहार के लालू जी से सब परिचित हैं लेकिन आलू की कीमत का किसी को पता नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगी - जुलाई, 1997 में जहां इस आलू की कीमत दो रुपये 98 पैसे किलो थी।

मई 1998 में आलू की कीमत 4.21 पैसे थी और आज भी जुलाई को आलू 16 रुपये किलो है, देसी आलू 12 रुपये किलो है और हिमाचली आलू 18 रुपये किलो हैं।

टमाटर हर सब्जी में डाला जाता है जिसकी कीमत 1997 में 12 से 14 रुपये किलो थी। मई 1998 में इसकी कीमत 16 रुपये से 18 रुपये हो गयी और अच्छा बढ़िया टमाटर 22 रुपये किलो था। बजट के बाद इसकी कीमत 35 रुपये से 40 रुपये के बीच हो गयी है।

प्याज आप लोग काटते नहीं है लेकिन अगर सब्जी में प्याज न हो तो सब्जी खाते समय आंख में पानी आता है और सब्जी उसके बिना अच्छी नहीं लगती है। वर्ष 1997 में प्याज की कीमत 2.38 पैसा थी जो मई 1998 में 10 रुपये हो गयी और आज जुलाई 1998 में प्याज की कीमत 15-16 रुपये किलो है।

विटामिन-सी की चर्चा मैं बाद में करूंगी। आप देश के किसी भी भाग में चले जाएं तो आपको नींबू पानी जरूर दिया जाता है। बच्चों को विटामिन-सी की कमी पड़ती थी तो नींबू पानी दिया जाता था। नींबू गरीब आदमी के लिए फल था। बद से बदतर हाल में भी जीने वाले आदमी के लिए जिसने कभी कोल्ड ड्रिंक न पी हो, पैप्सी कोला न पीया हो, उसने नींबू पानी अवश्य पीया था। आज उस नींबू की कीमत तीन-चार रुपये है। दस पैसे, बीस पैसे या चार आने में मिलने वाले नींबू की कीमत आज 60 से 90 रुपये किलो हो गयी है। एक किलो में 25-30 नींबू चढ़ते हैं। इस तरह से एक नींबू 3-4 रुपये का पड़ता है। आज नींबू बड़े लोगों के घरों की शोभा बन गया है, गरीब का बच्चा

[श्रीमती सूर्यकांता पाटील]

नींबू चूस भी नहीं सकता है। अब ऐसा समय आने वाला है कि नींबू का शरबत भी गरीब लोगों के घरों में नहीं मिलेगा।

आज चाहे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, उसकी कीमत क्या है? जो गोभी वर्ष 1997 से 8-10 रुपये किलो था वह मई 1998 में 20 रुपये किलो था और आज उसकी कीमत 40-50 रुपये किलो है और मुम्बई में तो उसकी कीमत 47 रुपये किलो है।

ग्रीन-पीज जो अमीर लोगों की सब्जी कही जाती है और सीज़नल सब्जी समझी जाती है हर सीज़न में चाहे कमी के दिन हों या अधिकता के, 20-22 रुपए किलो मिलती थी उसकी कीमत हमने 20-22 रुपये से अधिक नहीं देखी थी। लेकिन आज उसकी कीमत 65-70 रुपये किलो है।

लाल मिर्च का जहां तक सवाल है, अगर लाल मिर्च सब्जी में न हो तो आदमी के जीवन में रस ही निकल जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो – बड़ा हो या छोटा हो, किसान हो या मजदूर हो, अगर रोटी पर नमक के साथ मिर्च न हो तो उसे कोई विटामिन नहीं मिलता है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है । देहात में अगर खाने में मिर्च न हो तो आदमी घरवाली को डांटता है कि मूर्ख कहीं की, मिर्च भी नहीं है। ऐसी कौन-सी गरीबी इस देश में आ गयी कि मिर्च का दाम 70 रुपये किलो हो गया है। मैं ये आंकड़े बाजार में घूम-घूम कर लाई हूं। मैं छपी हुई दरों को यहां नहीं पढ़ रही हूं।

इसके बाद अनाज आता है। मैं बासमती चावल की बात नहीं करूंगी। यह बड़े लोगों का खाद्य पदार्थ है। वह जहां मिलता है, उसे बेचारे खा लेते हैं। वे नसीब वाले हैं। मैं परमल चावल की बात नहीं करना चाहती। मोटा चावल जो मेरी बहनें हांडी में पकाती हैं, कांच की क्रॉकरी में नहीं, उसके दाम 1997 में 6 रुपये 75 पैसे थे।

यह बड़ी दुकानों या डिमार्टमेंटल स्टोर के आंकड़े नहीं है। यह फेयर प्राइस शाप्स के आंकड़े हैं जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। मई 1998 में वही सादा चावल नौ रुपये था। आज मोटा चावल 14-15 रुपये बिक रहा है।

हमारे महाराष्ट्र में ज्वार होती है जिसे हम स्टैपल फूड कहते हैं। हम गेंहू नहीं खाते। हम ज्वार खाते हैं। जो ज्वार दो-तीन रुपये किलो मिलती थी, आज उसके दाम 11 रुपये किलो हो गए हैं। मैं किलो के आंकड़े बता रही हूं जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए। महाराष्ट्र में गरीब किसान के घर वालों को और हमारे जैसे मझोले परिवार को ज्वार की रोटी नसीब नहीं होगी। अब हमें बरनाला साहब के प्रांत से आने वाले गेंहू पर निर्भर रहना पड़ेगा।

अब मैं दालों के बारे में बताना चाहती हूं।

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड करिए।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : यह अहम मुद्दा है। मैंने अभी शुरूआत की है। आप हौंसला रखिए। आपको सुन कर तकलीफ हो रही है। जो बहनें और घर इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी हालत कितनी गम्भीर और खराब होगी, यह आप खुद भी जानते होंगे। आप भी उस परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए आप हौंसला रखिए और मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए।

अब मैं दालों पर आती हूं। छिलके वाली मूंग की दाल जिस में विटामिन होते हैं, वह गरीब आदमी खाता है। मैं राजमा, मिसी रोटी की बात नहीं कर रही जो फाइव स्टार होटल्स में मिलती है। आम बहनें जब काम करके लौटती है तो जल्दी से पकने वाली यह दाल बनाती हैं। वह 1997 में 12 रुपये किलो थी। 1998 में 13 रुपये किलो हो गई। वह अभी 28 रूपये किलो हो गई है। उड़द की दाल 1997 में 14 रुपए थी। 1998 में 12 रुपये हो गई। अभी 25 रुपए 25 पैसे है। मसूर की दाल का भी यही हाल है। राजमा 35 रुपये किलो हो गए हैं। चीनी, मीठी शक्कर बहुत कड़वी नजर आने लगी है। सबको डायबेटिज हो जाए तो अच्छा होगा क्योंकि वह 19 रुपए 50 पैसे में मिल रही है। गुड़ गरीब आदमी खाता था। जब चीनी और नीबू पानी नहीं था तब गुड़ और पानी देहातों में ऑफर किया जाता था। मेरे कोकण के भाई इसे सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा यह हमारी प्रथा थी। गुड़ का भाव 1997 में आठ रुपए था। मई 1998 में 9 रुपए 45 पैसे था। वह आज 15 रुपए में बिक रहा है।

अब मैं तेलों की बात करूंगी। मैं फास्ट फूड या चाइनीज खाने की बात नहीं कर रही। मैं उन तेलों की बात कर रही हूं जहां रेती से तेल निकलने की ताकत रखने वाला देश खाने के लिए तेल मुहैया नहीं कर पा रहा है।

अभी हमारे साथी ने कहा कि1997 में ग्राउंडनट ऑयल 36 रुपए था। मई 1998 मे 42 रुपए 48 पैसे था। आज वही ग्राउंडनट 65 रुपए किलो बिक रहा है। मस्टर्ड ऑयल उत्तर भारत में बहुत खाया जाता है। वह अचार में इस्तेमाल होता है। वह आज 48 रुपए से 60 रुपए तक बिक रहा है। हरियाणा और पंजाब के लोगों को तो देसी घी नसीब हो जाता है लेकिन जिन्हें देसी घी नसीब नहीं होता, हम लोग वह वनस्पति खाकर मोटे हो जाते हैं।

शायद उसकी व्यवस्था बरनाला साहब और सिन्हा साहब ने की है। आज वनस्पति 48.50 रुपये किलो मिल रहा है, 1997 में 38.50 रुपये था और मई, 1998 में 38.20 रुपये रहा जबकि बजट के बाद यह 50 रुपये से बढ़कर 55 रुपये किलो हो गया है। मैंने पहले स्पष्ट किया था कि मैं कोई अर्थविद् नहीं हूं लेकिन जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां पर भेजी गई हूं, वह आम आदमी, वह गरीब जनता और वह बहिन अपने घर में सिसकती हुई हम लोगों के न व्याख्यान सन सकती है और न ऐसे व्याख्यान दे सकती है, इसलिये मैं उसके सवाल पर यहां चर्चा कर रही हूं। हम लोग अनेक इक्नामिक सर्वे पढ़ते हैं और बहुत सारे अजूबे इस सदन में देखते हैं लेकिन जिस गरीब आदमी की दुहाई देकर हम लोग यहां आते हैं, उस गरीब आदमी की हालत न घर

की है और न ही घाट की है। उस गरीब आदमी के विषय में सोचने की किसी को फुरसत नहीं है।

सभापति महोदय, आज अगर सत्ताधारी दल यह समझता है कि वह पूरा जनमत लेकर यहां आया है तो वह भुलावे में है। मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूं। उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है लेकिन सभी एलाईज को संभालने से देश की अहम बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देश की मंहगाई को छुपाने के लिये, देश की इन जरूरतों को छिपाने के लिये हमारे प्रधानमंत्री जी को कभी पोखरण में विस्फोट करना पड़ता है, कभी अखबारों में छापना पड़ता है कि इन विस्फोटों से मंहगाई आने वाली नहीं है। इसका मंहगाई से उतना ही संबंध है जितना मन्दिर और मस्जिद का है। देश के गरीब लोगों की भूख नहीं मिटाई, गरीबों को पहनने के लिये कपड़ा नहीं दिया, उनको रहने के लिये घर नहीं दिया लेकिन विस्फोट कर दिया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, गरीब मतदाताओं का ध्यान उनकी मूल समस्याओं से हटाने के लिये कभी मन्दिर-मस्जिद का विवाद छेड़ा जा रहा है।

सभापति महोदय : आप कनक्लूड कीजिये।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : सभापति महोदय, अंतिम क्षण में मेरी प्रार्थना है कि हम महिलाओं को क्या-क्या नहीं सहन करना पड़ता है। मैं तब से यहां चुनकर आ रही हूं जब 33 प्रतिशत तो क्या 3 प्रतिशत भी आरक्षण नहीं था। मैं 1974 से चुनकर आ रही हूं। कभी-कभी मेरी पार्टी के लोग मुझे घर पर बैठाते रहे हैं लेकिन जब भी चुनाव के लिये खड़ी होती हूं तो लोग मुझे यहां चुनकर भेजते रहे हैं।

सभापति महोदय, आम आदमी के सवालों से उसका ध्यान हटाना इस सरकार का प्राथमिक कार्य है। मेरा सरकार को सुझाव है कि वह ऐसा न करे। माननीय प्रधानमंत्री जी स्व-रक्षा के लिये हथियार रखते हैं लेकिन आने वाले लोग हथियार उठाने की कोशिश करेंगे। देश के विवादो, महंगाई छिपाने के लिये, देश के गरीब आदमी का उनके सवालों से ध्यान हटाने के लिये जब-जब आपको इन झूठे आसरों को लेना पड़ेगा तब-तब महंगाई बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। आप पूंजीपतियों का साथ लेकर देश के सामने खड़े हैं। आज आप कटघरे में खड़े हैं। आम आदमी आपसे पूछ रहा है कि यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी।

सभापति महोदय : आपकी अंतिम बात हो गई ।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मान्यवर, महिला होने की दया की भीख नहीं मांग रही हूं। यह मेरा अधिकार है। जो कुछ देश में हो रहा है, उसे कहने का अधिकार है। उस अधिकार की मांग कर रही हूं। वह अधिकार आपको देना होगा। मैं कहने जा रही थी कि इन सारी प्राथमिकताओं को एक तरफ रखकर हम कहां से कहां आ गये। हमें कहां जाना था और हम कहां आ गये? कभी विस्फोट पर अटकते हैं, कभी मंदिर पर अटकते हैं और कभी मस्जिद पर अटक जाते हैं।

एक छात्र नेता के रूप में 1972 में मैं राजनीति में आई थी। उस समय अटल जी की एक कविता हमें बड़ी प्यारी लगी थी। मैं खद्दर के कपड़े में पैदाइशी कांग्रेसी, लेकिन हृदय कवि का है। अटल जी की कविता अपनी बात समाप्त करते हुए मैं सुनाना चाहती हूं। अटल जी ने कहा था-

"सब कुछ अपने देश में है, रोटी नहीं तो क्या।
वादे तन से लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या।"

चुनाव में किये गये वादे तन पर लपेटकर सिसकती हुई जनता, ममता, समता, जयललिता और बरनाला से यह सवाल पूछती है कि क्या कहकर हमको आपने जिताया था और किस कगार पर इस देश को लाकर आपने खड़ा किया है, जवाब दो। और अगर वह जवाब नहीं देगें और मंहगाई को रोक नहीं पाएंगे, साधारण आदमी को जीने का अधिकार नहीं देगें तो याद रखिये यह वही जनता है....और आपको आखिर में यही कहना पड़ेगा कि -

"हम कहां थे और कहां से कहां आ गए।"....(*व्यवधान*)

अटल जी की उन दो पंक्तियों को पकड़कर राजनीति के 25 वर्ष हम राजनीति में गरीब आदमी की बात करते रहे। राजनीति में 25 वर्ष में यह गरीब किसान की लड़की आजादी के आंदोलन में जिसने अपना पिता खोया, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, गरीब की कोख में पली हुई गरीब किसान की बेटी आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती है कि आजादी की लड़ाई में मरने वाले लाखों शहीदों की यह कीमत है? आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपना खून-पसीना बहाया, हम जैसे करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, जिन्हें समाज ने पाला और संभाला। उन सबका प्रतिनिधि होने की हैसियत से मैं सरकार से पूछती हूं, कि आपको क्या चाहिए था और आपने क्या पाया? मैं आपकी मजबूरी को समझ रही हूं। जनता, समता, ममता और जयललिता के बीच में फंसे हुए अटल जी शायद मेरे सवालों का जवाब न दें पाएं, लेकिन बरनाला जी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शहीद भगत सिंह की मिट्टी से आप आए हैं। अगर आप इन जमाखोरों, पूंजीवादी लोगों के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो यह पोखरन के विस्फोट आपको बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, आज नियम 193 के अंतर्गत श्री बसुदेव आचार्य ने आवश्यक वस्तुओं की बेतहाशा बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि पर सदन में चर्चा प्रारंभ की है। इस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर कि कौन सरकार में है और कौन विपक्ष में है, चिंतन करना होगा। बातों का सही मूल्यांकन करना होगा। लेकिन जैसी चर्चा उन्होंने प्रारंभ की, इतने वरिष्ठ सांसद होने के कारण मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वह उस विषय पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे, लेकिन उनका पूरा भाषण राजनीतिक भाषण था और राजनीति से ओत-प्रोत था और 57 मिनट के भाषण के बाद अंत में तत्व कुछ नहीं

[श्री जगतवीर सिंह द्रोण]

निकल सका। जहां श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के बीच में ऐसा लग रहा था और सामने बैठे हुए हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य एवं अन्य सदस्य इतने ठहाके मार-मारकर बात-बात पर हंस रहे थे कि विषय की गंभीरता को समाप्त करते जा रहे थे, वहां मैं श्रीमती सूर्यकांता पाटील को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे अपने भाषण से सदन को कम से कम उस लीक पर लाईं और हम आवश्यक मूल्यों तक ही केन्द्रित रहकर भाषण करने की ओर अपने को प्रवृत्त कर सके।

मैं सरकारी पक्ष में हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो वास्तविकता है, उसको नकार दूं। हम सभी को मालूम है कि वर्तमान में जो आवश्यक वस्तुएं हैं चाहे उनके मूल्य यहां पर बसुदेव आचार्य जी या सूर्यकांता पाटील जी ने बढ़ा-चढ़ाकर बताए हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गरीब ही नहीं, सामान्य व्यक्ति की पहुंच से भी बाहर होते जा रहे हैं। इस पर मुझे भी चिंता है, आपको भी चिंता है और चिंता करना स्वाभाविक है। सभापति जी, पिछले 11 सप्ताह में इस देश का होलसेल प्राइस इंडैक्स 2.3 बढ़ा और उससे इनफ्लैशन जो पिछले मार्च 5.3 था, वह बढ़कर 6.65 हो गया। यह चिंता का विषय है लेकिन जब हम इस समस्या का गूढ़ अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि आवश्यक वस्तुओं में सब्जियां और फल जो खास मौसम में पैदा होती हैं, उनके ही मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति इतनी अधिक हुई है। इस सरकार ने मार्च में चार्ज संभाला था। आंकड़े यहां पर हैं। मई, 1997 में सरकार किसकी थी, किसके समर्थन पर थी, यह हम जानते हैं। अगर आज हमें आलू की आवश्यकता थी, आज हमें प्याज की आवश्यकता थी, आज हमें फलों की या सब्जियों की आवश्यकता थी जो हमारे घर-परिवार के लिए आवश्यक होती हैं, जीने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, तो हमें योजना पहले बनानी चाहिए थी।

सभापति जी, आप पिछली सरकार में खाद्य एवं संसद मंत्री थे। फरवरी के माह में जब हम चुनावों की ओर जा रहे थे, आपका ही एक वक्तव्य प्याज के बारे में आया था, वह मैं यहां पर दोहराना चाहता हूं– 'नवंबर, दिसंबर 1997 में जो बेमौसम वर्षा हुई थी, उससे राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज की फसल नष्ट हो गई थी। जो विलंब से फसल बोई गई थी वह विलंब से बाजार में आने की संभावना थी।' उसकी चिंता उस समय वर्तमान सरकार कर नहीं सकती थी और यह भी स्वाभाविक है कि जो सरकार में होता है, उसको विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ता है । जब हम पिछली बार वहां बैठे थे, तो मुझे याद है सुषमा जी ने महंगाई पर भाषण दिया था तो प्याज का उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि आम आदमी जिसको सब्जी मयस्सर नहीं होती और वह प्याज को मुट्ठी से तोड़कर रोटी के साथ खा लेता है, उसको प्याज खाने के लिए नहीं है। इस चीज को देखने के लिए हमें चिंता करनी पड़ेगी कि आज आलू कम क्यों हैं। किसान ने इसका उत्पादन क्यों नहीं किया। क्या सदन भूल सकता है कि पिछली बार किसान को अपने आलू को खेतों में सड़ाना पड़ा था। खेत-खेत में आलू पड़े-पड़े सड़ गया था। कोल्ड स्टोरेज वालों ने आलू नहीं लिया था और वह सड़ गया था। 2.58 रुपये प्रति किलो मई 97 में आलू था, लेकिन जब किसान को उसका मूल्य नहीं मिला, तो उसने इस वर्ष आलू नहीं बोया। प्याजी की फसल नष्ट हो गई। जो आवश्यक वस्तुएं है जिनका उल्लेख आपने किया है, उनमें एक बात निकलकर सामने आती है कि फल और सब्जियां ये सब उपभोक्ता की चीजें जिनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, ये चूंकि मौसमी होती हैं अत: इनमें प्राकृतिक आपदाओं का, बेमौसम बरसात का और किसान को उत्पाद न करने की सरकार की जो नीतियां होती हैं, उनके कारण इनकी पैदावार में गिरावट आती है और वह गिरावट आने वाले समय में जैसा आज हो रहा है, समस्याएं उत्पन्न करती हैं, मूल्य की वृद्धि करती हैं और वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई है, यह सत्य है, लेकिन इस मंहगाई के लिए सरकार को कुछ समय दिया जाना चाहिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह सरकार जिसने 19 मार्च को चार्ज लिया है, तो उसके बाद यह सरकार इतने कम समय में कुछ उगा नहीं सकती और सामान्य आदमी की कमियों को पूरा नहीं कर सकती। फलों और सब्जियों की ऊपर से लेकर नीचे तक में सूची गिना सकता हूं, परंतु उसमें अधिक समय लगेगा और मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन यह वास्तविकता है कि सरकार का इसमें सीमित हस्तक्षेप होता है। सरकार इनको उगाकर जनता के बीच नहीं भेज सकती है, चूंकि उसके लिए समय नहीं है। ये मौसमी फल और सब्जियां हैं। दूसरी बात यह है कि इनका आयात करके इनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे - गेंहू, चावल, चीनी और खाने के तेल, इनमें से कुछ के ऊपर अगर हम चिंतन करे तो गेंहू का मूल्य चाहे हम बढ़ा-चढ़ाकर कुछ भी कहें, पूरे वर्ष स्थिर ही रहा है। कम से कम इस सरकार के कार्यकाल में साढ़े छ: रुपये किलो तक ही रहा है। किसी एक विशेष स्थान का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वस्तुओं के मूल्यों में कैसे-कैसे अंतर होता है। मैं दिल्ली का उल्लेख करता हूं यहां 26 जून को फल और सब्जियों के रेट इस प्रकार थे। किसी एक स्थान से खरीदा तो क्या रेट था और दूसरी जगह क्या रेट था, वह मैं बताना चाहता हूं कि आलू खान मार्केट में 16 रुपये था, मदर डेयरी में 12 रुपये था, पहाड़ गंज में 13 रुपये था। प्याज- खान मार्केट में 16 रुपये, मदर डेयरी में 14 रुपये और पहाड़गंज गंज में 10 रुपये यानी स्थान-स्थान में अंतर है। श्रीमती पाटील हम कहां से मूल्य जांचते हैं, उसका उल्लेख करना आवश्यक होता है। टमाटर का मूल्य खान मार्केट में 40 रुपये, मदर डेयरी में 26 रुपये और पहाड़गंज में 30 रुपये किलो था।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : कल, मैंने पहाड़गंज से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर खरीदे..(*व्यवधान*)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : महोदया, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। मैं भारत के बहुत ही अधिकृत समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस से उद्धरित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैं 8 जुलाई की बात कर रही थी।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : माननीय सदस्या, मैंने यह नहीं कहा कि आप गलत कह रही हैं, मैंने केवल यह कहा कि आपने मूल्य कहां जांचा है। यह दिल्ली की ही बात बता रहा हूं।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप खुद घूमकर जांच लीजिए।..(*व्यवधान*)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : बिहार में चलकर जांचेंगे।.......(*व्यवधान*)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आपकी सरकार है, आप रेट पता करिये।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : सभापति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भूरिया जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं किसी भी सदस्य के बोलते समय बीच में नहीं बोलता, इस सदन में सब जानते हैं, यह मेरा तृतीय सत्र है, मैं कभी किसी को नहीं टोकता। आप अपने स्वभाव से विवश होंगे। .....(*व्यवधान*) जब आपने यह तय कर लिया है कि आप लोग समझदारी की बात समझना ही नहीं चाहते हैं तो मैं प्रयास नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री द्रोण, आप आसन को एड्रेस कीजिए।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : यह मेरा स्वभाव है कि मैं बीच में टोका-टाकी नहीं करता जबकि इनका स्वभाव है कि यह टोका-टाकी किये बिना नहीं रहते। पत्ता गोभी जिसको अंग्रेजी में कैबेज कहते हैं उसका रेट खान मार्केट में 30 रुपये, मदर डेयरी में 12 रुपये और पहाड़ गंज में 12 रुपये था। ये रेट्स मैं पूरे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन स्थान-स्थान पर कैसे भाव अलग होते हैं, मैं यही बता रहा हूं। दिल्ली में तीन भाव हैं। पी. डी. एस. को केन्द्र सरकार नियंत्रित करती है, मानीटर करती है। लेकिन असली काम राज्य सरकारों के द्वारा लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को समय पर और सस्ते मूल्य पर पहुंचाने का होता है, यह उनका कर्त्तव्य है। दिल्ली की सरकार ने प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली सरकार ने पाया कि आवश्यक वस्तुएं यहां बहुत महंगी हो गई हैं, लोग परेशान हैं, तो राज्य सरकार ने 48 वैन्स चलाईं जो पूरी दिल्ली में घूम-घूमकर आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचायेगी जिससे कि बढ़ी हुई दर पर उन्हें वस्तुएं न खरीदनी पड़ें। केन्द्र सरकार का सब्जियों और फलों में ज्यादा हस्तक्षेप होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। खाने के तेल के बारे में सत्य है, पिछले साल की तुलना में चाहे मोटे अनाज हों, चाहे गन्ना हो या तेल हो, इन चीजों की पैदावार कम हुई है। यह मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। 1997-98 में, उससे पहले के वर्ष की अपेक्षा उत्पादन गिरा था। वैसे भी विगत वर्ष हम खाने के तेल की आपूर्ति, आयात करके, उनका संतुलन बनाकर ही करते रहे हैं।

इस बार निश्चित रूप से उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है और उसका कारण है। पामोलीन आयल मलेशिया से मंगाते थे। इस बार मलेशिया में फ्री ऑन बोर्ड जो मूल्य रहे हैं, दिसम्बर 1997 में, उनके सप्ताह-सप्ताह में मूल्य बदले हैं, अंतिम सप्ताह में 567 रुपये था, जनवरी में 595 रुपये था, फरवरी में 641 रुपये था, मार्च 1998 में 671 रुपये था, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में 704 रुपये था, मई 1998 में 732 रुपये था, 3 जून 1998 को 652.50 रुपये था और 18 जून को 645 रुपये से लेकर 662 रुपये की रेंज में था। जहां से हम मंगाते हैं, निश्चित रूप से जब वहां किन्हीं कारणों से उन्होंने मूल्य वृद्धि की है तो उसके आधार पर ही हम उन चीजों को मंगा सकते हैं। लेकिन मूल्य वृद्धि हुई है और यह स्वागत योग्य नहीं है। लेकिन विवशता है क्योंकि हमारे यहां खाद्यान, आयल सीड्स की पैदावार उतनी नहीं हुई जिससे हम अपने देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

आलू, प्याज, चाय, खाने का तेल, मछली जैसा श्री आचार्य उल्लेख कर रहे थे, मिर्च के बारे में श्रीमती सूर्यकांता पाटील ने कहा कि 70 रुपये किलो हो गई है। यह सामान्य आदमी के लिए आवश्यक होती है। मेरी भी आदत है कि मैं हरी मिर्च और एक सब्जी से खाना खाता हूं। हरी मिर्च न हो तो जो आपने कहा था, उस टोन में तो नहीं लेकिन अपनी पत्नी से निश्चित रूप से शिकायत करता हूं कि एक हरी मिर्च भी नहीं मिल सकती तो क्या होगा। ये आवश्यकता की चीजें हैं, कठिनाई से उपलब्ध हो पा रही हैं, मूल्य वृद्धि हो गई है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह मूल्य वृद्धि केवल मौसमी है। जैसे फलों में आम की अब से 15 दिन पहले जो कीमत थी, अब फसल आने के बाद उसके मूल्य नीचे गिरने आरंभ हो गए हैं। यह सामयिक है कि सीजन के बाद, जितनी भी वस्तुओं के कारण मूल्य वृद्धि हुई है, उनका असर समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ काल खंड तक देशवासियों को उस महंगाई से जूझना पड़ेगा और हमें उसकी चिंता करनी होगी कि भविष्य में ऐसी क्या योजनाएं बनाएं जिसके द्वारा इसकी पुनरावृत्ति न हो, पुनः हमारे देशवासी और गरीब लोग इसके आर्थिक कष्ट से अपने आपको उबार सकें।

मूल्य वृद्धि की बात हो रही थी तो अप्रैल-जून 1998 में अनाज के मूल्य सामान्य रूप से स्थिर रहे, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। सब्जियों में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपने शायद 30-32 प्रतिशत कहा, सत्य है। खाने के तेल में इन ग्यारह सप्ताहों में 10.7 प्रतिशत, चाय में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके कारण रहे हैं चीनी, दाल, मोटा अनाज, आयल सीड्स का उत्पादन कम रहा है, जैसा मैं पहले उल्लेख

[श्री जगतवीर सिंह द्रोण]

कर चुका हूं और उसकी कमी के कारण इसके मूल्यों पर एक दवाब जैसा सामान्य रूप से बनता है, वह हो गया है। एक बात का बीच में उल्लेख करना चाहूंगा जो श्री बसुदेव आचार्य ने कही, श्रीमती पाटील ने भी अभी उल्लेख किया कि बजट और पोखरन के कारण मूल्यों की वृद्धि हुई है। मैं समझ नहीं सकता, जिस समझ के लोग यहां बैठे हुए हैं, बजट प्रावधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है....(*व्यवधान*)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैंने यह कहा था कि बढ़ती हुई महंगाई पर से ध्यान हटाने के लिए या गरीब आदमी के रोटी, कपड़ा और मकान, जो उसकी प्राथमिकता है, से ध्यान हटाने के लिए पोखरण विस्फोट आपको बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : पोखरण का विस्फोट 11 मई को हुआ था और हम जुलाई में बात कर रहे हैं। आपने स्पष्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आज हम 9 जुलाई को बात कर रहे हैं, दो माह का काल खंड है और केवल इन चीजों से जनता का ध्यान हटाया जाए, उसके लिए हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, यह आपके सोचने की बात है, दूसरा श्री यशवंत सिन्हा ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसी बात थी जिसके कारण इन आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि हुई। हां, मेरा एक सुझाव यहां है कि हम लोग ओपन जनरल लाईसेंस के अंतर्गत खाने का तेल, दाल, चीनी या टूटे हुए चावल, जो हम फ्लोर मिल्स के लिए मंगाते हैं।

उनमें जो आपकी डयूटी की दरें हैं, मुझे लगता है कि तेल के भावों में जैसी वृद्धि हुई है, उसमें सीमा शुल्क जो 25 परसेंट वर्तमान में हम लेते हैं, उस पर सरकार का पुर्नविचार करना चाहिए कि किस तरह से इसको कम करके इसको कम कीमत पर आयात किया जा सके।

शेष जनवरी, 1998 से जो मूल्य वृद्धि है, चीनी स्थिर है, 16 रुपये की 16 रुपये है। आंकड़े मेरे पास प्रतिमाह के प्रस्तुत है। मूंगफली का तेल, जिसे हम ग्राउंड नट आयल कहते हैं, वह 50 रुपये गया है, इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरसों का तेल 47 रुपये प्रति किलो है, जिसमें 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो सामान्य चावल हैं, जिसको परमल चावल भी कहते हैं, उसमें भी 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह 12 रुपये पर अंकित है। गेंहू में स्थिरता रही है, हां केवल मुंबई में किन्हीं-किन्हीं कारणों से वहां पर 30 प्रतिशत तक की वृद्धि गेहूं के मूल्यों में कुद कालखंड के लिए आई थी।

जहां तक लोगों के आक्रोश और चिंता का प्रश्न है, अभी इसी 24 जून, 1998 को पश्चिम बंगाल की विधान सभा में वहां के खाद्य मंत्री के गले में वहां के विधायकों ने सब्जियों की माला पहनाई थी। यह स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल में लोग कितने चिन्तित हैं। उनकी कीमतों की वृद्धि किस हिसाब से चल रही है।.....(*व्यवधान*) मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : आप कृपया अंग्रेजी में बोले क्योंकि मैं हिन्दी में आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : समाचार पत्र की रिपोर्ट में निम्न प्रकार कहा गया है :-

> "24 जून 98 को पश्चिम बंगाल विधान सभा में कांग्रेस सदस्य आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से इतने व्याकुल थे कि उन्होंने खूब हल्ला-गुल्ला किया और वे सभा पटल के निकट पहुंच गए और उन्होंने खाद्य मंत्री को सब्जियों का हार पहनाया।"
> यह रिपोर्ट थी जिससे चिंता हुई।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी पहनायें? आप ऐसा चाहते हैं?.....(*व्यवधान*)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : यह इस बात का परिचायक है कि लोगों में इसके प्रति कितना आक्रोश है, कितनी चिंता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, आज यहां के सदस्यों ने 193 के अंतर्गत इसकी चर्चा कराई, अपने विचारों को रखने का और जिससे कुछ सुधार हो, ऐसी चिंता प्रकट की है, बिल्कुल उचित है।

केवल देश में ही नहीं, अभी फरवरी में इंडोनेशिया में भी बड़ा हिंसक काम हुआ। महंगाई सब तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती कि अन्य देशों में भी महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हम भी अपने देश में महंगाई को बढ़ाये। हमें उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि किस तरह से इस पर अकुंश लग जाये। केन्द्र सरकार से मैंने आग्रह किया है..... (*व्यवधान*) मैं आग्रह कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में बोलूंगा। वैसे भी एक शब्द भी मैं फालतू नहीं बोलता।

एक तो मैं वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जो खाद्य तेल है, उन पर जो इम्पोर्ट डयूटी इस समय आपकी 25 परसेंट है, उसको कुछ कम करें, क्योंकि भविष्य में आपको मुझे लगता है, जैसा एस्टीमेट है कि पहले जो आप 1.5 मिलियन टन मंगाने वाले थे, अब आपको 30 हजार टन और एक्सट्रा मंगाना पड़ेगा, जिससे कि देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, एक सुझाव मेरा यह है। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास स्टोरेज की, भंडारण की क्षमता देश में नहीं है। अनेक बार इसको उजागर किया है, चाहे शासक दल में रहे हों, चाहे विरोध में रहे हों, सदा सर्वदा अपने प्रांत से हमने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि ऐसी चीजों का भंडारण, जिनको कुछ कालखंड तक हम मौसम में, जब वे पैदा होती है, भंडारण की उचित व्यवस्था कर ले तो आगे आने वाले समय में उसका अभाव नहीं होगा और बिना उपयुक्त भंडारण विधि के वे जो नष्ट हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती हैं, उसको बचाया जा सकेगा। मेरा यह भी आग्रह है कि और यह सुझाव है कि इस तरह की

भंडारण व्यवस्था अन्य वस्तुओं के लिए, जो एक बार पैदा होती हैं और पूरे वर्ष भर इस्तेमाल होती हैं और आवश्यकता पड़ती है, उस पर भी चिंता करें।

दूसरा जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वितरण व्यवस्था है, इसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि समय से अच्छी क्वालिटी का, गरीब लोगों के लिए वहां उचित मूल्य पर जो हम खाद्य वस्तुएं देते हैं, ये उचित मूल्य पर मिलें। केन्द्र सरकार का उसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं हैं, मैं मानता हूं, लेकिन प्रान्तीय सरकारों में अनेक स्थानों पर ऐसी दुर्दशा है कि यह सिस्टम पूरा का पूरा वहां पर अनुपयुक्त और अनुपयोगी हो गया है। इसकी भी थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता हैं ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत भी चिंता करनी पड़ेगी। जब मलेशिया में कुछ मूल्य बढ़े तो ओ. जी. एल. के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के लिए हमने व्यवस्था की है, तो इस बार उन्होंने अपने आप को पीछे क्यों रखा। आखिर जब मुनाफा कमाने की बात होती है तो यही लोग बाहर से ओ. जी. एल. के तहत मंगाकर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अब वहां कीमत बढ़ी तो इन बढ़ी हुई कीमतों पर क्यों नहीं मंगाया, इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देने से पहले सदन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मेरी बात को शांति के साथ और गंभीरता से सुना और मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मेरे मित्रों ने बहस के दौरान किन चीजों के कितने दाम बढ़े हैं, इसके कुछ किताबी और अखबारी आंकड़े पेश किए। लेकिन मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां 28 जून को मेरे दोस्त के यहां शादी थी। मेरी मौजूदगी में जो सामान खरीदा गया, उस तारीख को उस छोटे से कस्बे में टमाटर की कीमत 40 रुपये किलो थी, हरी मिर्च की कीमत 52 रुपये किलो थी, प्याज की कीमत 16 रुपये किलो थी और अरहर की दाल की कीमत 36 रुपये किलो थी। जिस व्यापारी के यहां से सामान खरीद गया, उसने कहा कि महाराष्ट्र में नासिक से मैंने 4 जून को चार ट्रक प्याज खरीदा। उस दिन 7 जून को जिस तारीख को हमने खरीदा, नासिक में उसकी कीमत चार रुपये किलो थी। देवरिया लाकर मैंने उसको 16 रुपये किलो बेचा और कुल चार ट्रक पर मुझे 1 लाख 35 हजार रुपये का मुनाफा हुआ। उसी दिन आकर मैंने महंगाई के ऊपर बहस के लिए नोटिस आपकी सेवा में दिया, जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं। दाम बढ़ रहे हैं, वित्त मंत्री के बयान अखबारों में आए। इन्होंने वही उत्तर दिया जो आज की तारीख में बहस करते हुए सरकारी पक्ष की ओर से द्रोण जी कह रहे थे कि यह सीजनल वेल्यूएशन है, मौसम की वजह से ऐसा होता है। चार दिन के बाद आम बाजार में सस्ता हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चार दिन के बाद आम बाजार से खत्म होने वाला है, आने वाला नहीं है। इसलिए उसकी कीमत तो वैसे ही शून्य हो जाएगी, क्योंकि वह बाजार में ही नहीं रहने वाला। बाजार में सामान की अनुपलब्धता नहीं है। हमारी शिकायत यह नहीं है कि सामान नहीं है, वह उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ रही है। मुझे सरकार से यह शिकायत है कि किसी भी मंत्री ने यह बयान नहीं दिया कि बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है और कड़ी कार्रवाई करेगी। कड़ी कार्रवाई करने की बात तो दूर है, यह संदेश भेजने की कोशिश हुई कि राम नाम की लूट है- लूट सके तो लूट, यदि लूटोगे तो खुली छूट है। क्योंकि हमने जितने भी कड़े कानून थे, उनको ढीला कर दिया है। इसके लिए व्यापारियों के बीच में सम्मेलन करके हमने इतना बड़ा काम किया और सोने तथा चांदी के मुकुट प्रदेश के मुख्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन व्यापारियों से पहनने लगे, मुझे शिकायत इसी से है।

मुझे इस बात की शिकायत है कि बजट में चाय पर उत्पाद कर बढ़ाया गया है। दाम बढ़ाने के बाद क्या सरकार ने इस बात को सोचने और खोजने की कोशिश की कि जितना दाम आपने बजट में बढ़ाया है, रिटेलर उपभोक्ता से उतना ही दाम वसूल रहा है। दस रुपए के ऊपर 80 पैसे चाय के ऊपर आपने टैक्स बढ़ाया है, लेकिन दस रुपये के ऊपर चाय बेचने वाले ने पांच रुपये दाम बढ़ा दिए। क्या आपने एक बार भी यह बयान दिया कि टैक्स के जरिए जो बढ़े हुए दाम हैं, इसके ऊपर जो मुनाफाखोरी करेगा, हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी - हमारी शिकायत इस बात की है। इसी प्रकार पेट्रोल की कीमत पर सदन में एक स्वर से हल्ला हुआ और आपने रातो-रात इन्तजाम किया कि पेट्रोल की कीमत तीन रुपए नहीं, एक रुपया ही रहे। इस तरह का निर्देश जारी किया। क्या यह सही नहीं है, आप ही के दल की सरकार ने पेट्रोल को जो दाम बढ़े हैं, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया? उत्तर प्रदेश में एक रुपया 20 पैसे प्रति लिटर पेट्रोल का दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ा दिए। उन्होंने बिक्रीकर में दाम बढ़ाए हैं। आप क्या समझते हैं कि डीजल में जो दाम बढ़ा है उससे वस्तुओं के दामों पर प्रभाव नहीं होगा? हमारी शिकायत इस बात की है कि सरकार इन बढ़ते हुए दामों को एक मौसमी उतार-चढ़ाव मानकर विश्राम करने लग गई और दामों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश सरकार की ओर नहीं की गई। लोगों का आंकलन है कि मुद्रा की कीमत घटी। कोई भी अर्थशास्त्री इस स्थिति को समझ सकता है कि जब मुद्रा की कीमत घटेगी, तो आयातित तेल के दाम बढ़ेंगे। इन बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया। आप ही की दल की दिल्ली की सरकार ने, जिसको अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला है, कहा है कि हम सब्जियां सस्ते दामों पर लोगों को बेचेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बाजार से महंगे रेट पर खरीदेंगे और अपनी दुकानों से लोगों को सस्ते रेट पर देंगे। मैं पूछता हूं, इसका मतलब क्या है? आपने नियम बनाया हुआ है कि खाद्य पदार्थों पर जिस प्रकार से सब्सिडी बढ़ रही है, उस पर हम रोक लगायेंगे। क्या राज्य सरकारें इस तरह की व्यवस्था से सब्सिडी देने के लिए मजबूर नहीं है? इसलिए जरूरी है कि सरकार तन्त्र, नीति और प्रयास के जरिए, इन

[श्री मोहन सिंह]

बढ़ते हुए दामों को रोके। लेकिन मैं इस बात की निन्दा करना चाहता हूं कि यह सरकार इसमें पूरी तरह से विफल हुई है।

दूसरी बात, हमारे पड़ोस में सारी सीमायें खुली हुई हैं। आपको इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से, बिहार की सीमा से जो भी आवश्यक वस्तुयें हैं, चाहे चावल हो या चाहे गेंहू हो, नेपाल को जाती है। पूर्वी बंगाल से बंगलादेश को जाती हैं और वहां से भूटान को जाती हैं तथा तिब्बत के इलाके में जाती हैं। भारत सरकार को बिना कोई टैक्स दिए हुए, हमारे देश में उपलब्ध चावल, हमारे देश में उपलब्ध गेंहू और खाद्य तेल की व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है। इसको रोकने के लिए कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया है। एक प्रश्न अतारांकित प्रश्न के रूप में दिया हुआ है, यह जानने के लिए कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है, लेकिन कोई वक्तव्य सरकार की ओर से इस सिलसिले में नहीं आया है और हमारे देश के खाद्यान्न की अनावश्यक रूप से व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है। मुझे इस बात की शिकायत है कि उस तस्करी में तमाम राजनीति करने वाले लोग, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है, व्यापक पैमाने पर इस काम मे लगे हुए हैं और तस्करी व्यापक ढंग से हो रही है। इसका कोई आंकलन, कोई कोशिश भारत सरकार द्वारा नहीं की गई है।

महोदय, आप कहते हैं कि हम जितने दिन संसद की कार्यावधि रहती है उतने दिन सांसद को 200 रुपए भत्ता देते हैं। आज शुद्ध घी का भाव बाजार में 170 रुपये किलो है, यानी सांसद एक किलो घी एक दिन के भत्ते से खरीद सकता है। संगठित क्षेत्र के आदमी की, भारत सरकार में सेवारत कर्मचारी के महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाती है, जो भी प्राइस इंडेक्स बढ़ता है उसी के अनुपात में आपके नियम हैं। संगठित क्षेत्र का आदमी उस व्यापक पैमाने पर महंगाई की मार से प्रभावित नहीं होता और उसी की बोलचाल समाज में है। इसमें महंगाई का कितना प्रभाव हमारे समाज के कमजोर और गरीब आदमी के ऊपर है, हमको उसकी मार सताती नहीं, परेशान नहीं करती। इस देश के असंगठित क्षेत्र का मजदूर आज आलू के बिना अपना भोजन करने के लिए तैयार है। नमक के दाम व्यापक पैमाने पर बढ़ रहे हैं। नमक के दामों का लेकर भारत में आंदोलन हुआ था, उस समय गांधी जी के नेतृत्व में बढ़े हुए दामों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ महाआंदोलन हुआ था और आज नमक के दाम बढ़ रहे हैं। जो फुटपाथ पर काम करने वाला दैनिक वेतन भोगी मजदूर है, जिन 35 करोड़ व्यक्तियों के लिए आप कहते हैं कि हमने उसके लिए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम वेतन का नियम निर्धारित किया हुआ है, वह न्यूनतम वेतन का नियम जुलाई में कितना हो गया। क्या इस बारे में सरकार ने कभी सोचने की कोशिश की?

महोदय, जो असंगठित क्षेत्र का आदमी है, बेरोजगार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला आदमी है, उसके दर्द और संवेदन से हमारी सरकार पीड़ित और परेशान हो, यह मैं संवेदनशील सरकार से अपेक्षा करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि यह सरकार संवेदन शून्य हो गई।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह सरकार कुछ सक्रिय हो और इस उतार-चढ़ाव को, जो कि केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं है, क्योंकि अब आंकलन सारी पत्रिकाओं में आ रहे हैं कि हमारा इनफ्लेशन नौ फीसदी पर पहुंचने वाला है। हमारा जो होल सेल प्राइस इंडेक्स तैयार करने का आपका तरीका है वह वैज्ञानिक नहीं है, उसके तैयार करने के जो हर तरह के एहतियात बरतने चाहिए वे नहीं हैं और इसी कारण सरकार के कान खड़े नहीं होते, चौकन्ने नहीं होते। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं। आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि कीमतें स्थिर हैं। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए जो न्यूनतम दाम निर्धारित कर खाद्यान्न मुहैया करने का कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह के कार्यक्रमों की सरकार शुरूआत करे और जो होर्डर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो दामों को मनमाने ढंग से बढ़ाने का काम करते हैं उन पर सरकार अंकुश लगाने की कोशिश करे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ सरकार की अकर्मण्यता की तीव्र निन्दा करते हुए, घोर भर्त्सना करते हुए और इस सरकार को गरीब विरोधी सरकार की संज्ञा देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा. सरोजा वी. (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, संसद में यह मेरा प्रथम भाषण है जबकि तमिलनाडु विधान सभा में मैंने एक विधायक के रूप में अनेक बार बोला है। आरंभ में मैं रासीपुरम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तथा पार्टी के कार्यकर्त्ताओं का धन्यवाद करती हूं। जिनके सहयोग तथा समन्वय के बिना मैं बारहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में यहां आपके साथ न होती। मैं अपनी पार्टी की नेता इदाया देवाम पुरातची थल्लवी डा. जयललिता का आभार व्यक्त करती हूं। जो कि न केवल मेरे लिए बल्कि सभी अन्नाद्रमुक कार्यकर्त्ताओं के लिए शक्ति स्तंभ है। तमिलनाडु के लोगों के प्रति उनके निश्छल समर्पण ने आज यह साबित कर दिया है और लोगों ने मतदान द्वारा अपनी प्रशंसा व्यक्त की है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसके साथ ही, मैं मूल्य वृद्धि के संबंध में अनेक भाषण सुन रही थी। मैं इस समस्या के लिए केवल कुछ सकारात्मक सुझावों तथा समाधानों की उम्मीद कर रही थी। यह केवल सत्तारूढ़ दल की समस्या ही नहीं है। यह जनता के प्रति विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। मुझे हैरानी है कि अभी तक कोई सुझाव नहीं आए हैं। इसलिए दलगत नीति से परे मैं विपक्षी दलों के नेताओं से प्रार्थना करूंगी और उनसे उम्मीद करूंगी कि वे भी मूल्य वृद्धि का कोई स्थायी हल निकालें।

मैं इस संकट से निपटने के लिए सरकार को तीन रणनीतियां

अपनाने के लिए बधाई देती हूं। अब तक सभी माननीय सदस्यों ने केवल मूल्य वृद्धि के बारे में ही बोला है। अधिकतर भाषणों में एक ही बात को दोहराया गया था और मुझे हैरानी है कि सभी ने उस समाचार के बारे में कुछ नहीं कहा है कि जो कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है। उसमें कहा गया है कि सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं।

इस सरकार ने जो पहला सकारात्मक कदम उठाया है वह है गैर मौसम सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना ताकि कीमतों में मौसमी भिन्नता को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा, गैर परंपरागत क्षेत्रों में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी हैं ताकि वर्ष भर उनका वितरण किया जा सके। अन्ततः लंबी अवधि के लिए सब्जियों का भंडारण करने के प्रयास करने पड़ेंगे।

मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 लाख टन सब्जियों का भंडारण करना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक मूलभूत ढांचे का भी सृजन करना होगा। मैं माननीय खाद्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह कृषि विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ परामर्श करके सब्जियों को 60 से 90 दिन तक भंडारण करने के लिए सार्थक कदम उठायें। नौंवी योजना में 15 लाख टन सब्जियों के भंडारण का जो प्रस्ताव था, उस पर शीघ्रता से अमल किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी, जो यहां उपस्थित हैं, कि वह सब्जियों के भंडारण के लिए अधिक राशि प्रदान कर सभी संभव सहायता दें ताकि कुछ हद तक इसका हल निकाला जा सके।

दिल्ली में वैन के जरिए सब्जियां वितरित करने का प्रस्ताव है। इससे यह समस्या अस्थायी तौर पर हल होगी। जब तक हमें कोई स्थायी हल नहीं मिल जाता, यह कदम मददगार साबित होगा। अतः मैं इस कदम का स्वागत करती हूं।

मैं, तमिलनाडु की संसद सदस्य होने के नाते, अपना भाषण तमिल में जारी रखूंगी क्योंकि हमने यह घोषणा की है कि तमिल को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

* माननीय सभापति, कृषक समुदाय और किसानों के कृषि संबंधी उत्पादों के मूल्य उसी स्थान पर निर्धारित किये जाने चाहिए जहां उन्हें प्राप्त किया गया हो। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उनके कृषि संबंधी सभी उत्पादों को उसी समय और वहीं पर खरीद लिया जाए। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करती हूं कि सभी ऐसे कृषि संबंधी उत्पादों को उसी स्थान पर खरीदने के लिए, जहां उनकी खेती की जाती है, आवश्यक उपाय करने चाहिए। उत्पादकों और खेती बाड़ी करने वाले किसानों को उसी स्थान पर खरीद मूल्य मिल जाना चाहिए जिस स्थान पर खरीद की जाती है। तैयार उत्पादों का गोदाम में भंडारण करने के बजाय सभी कृषि संबंधी उत्पादों–चाहे वह गेंहू हो अथवा सब्जियां अथवा फल अथवा हरी पत्तेदार सब्जियां इन सब को खेतों से ही किसानों से खरीद लेना चाहिए। उपज को भंडारण करने के बजाय उत्पाद का भंडारण करना बेहतर होगा। कृषि संबंधी गतिविधि चल रही है वहीं पर इस कार्य को करने के लिए सरकारी खरीद तालुक स्तर पर दी जानी चाहिए। मैं पुनः दोहराती हूं कि राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक तालुक स्तर पर भी जानी चाहिए। किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य तत्काल और उस स्थान पर मिलना चाहिए। राजस्व प्रशासन इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित शीत भंडारणगृह और गोदाम स्थापित करे।

अपने परमाणु अनुसंधान के तहत जब हम परमाणु विस्फोट करने के पश्चात् आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो कृषि उत्पाद को खेतों से ले जाने के समय उनकी खरीद और भंडारण की आवश्यकता के बारे में हमें अत्यंत गंभीरता से सोचना चाहिए।

कृषि संघीय विषय नहीं है। यह राज्य विषय है। संघ सरकार ही इस मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं विपक्षी दलों के नेताओं से अनुरोध करूंगी कि वे हमें बताए कि उन्होंने राज्यों में अपने शासन काल के दौरान क्या किया है। राज्य स्तर पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है क्योंकि यह राज्य का विषय है।

सरकार क्या कर रही है? इस मूल्य वृद्धि के लिए हमारा उत्तरदायित्व और जबावदेही है। सत्ता पक्ष पर उंगली उठाना उचित नहीं है। कल वे शासन कर रहे थे और आज वे विपक्ष में बैठे हैं। हम यह करने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही समझनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले उन्हें दो बार सोचना चाहिए।

यदि हमें इस मूल्य वृद्धि की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना है तो हमें बिचौलियों को समाप्त करना चाहिए। हमें बिचौलियों को दूर रखना है तो हमें उपयुक्त कानून बनाना चाहिए। बिचौलियों के कारण मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इन बिचौलियों को हटा कर मूल्य वृद्धि को रोकना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करें।

उदाहरण के लिए मेरे बागान से 2 रुपये की दर से खरीदा आम बाजार में 5 रुपये अथवा 10 रुपये तक बेचा जाता है मुझे अपने आम का यह मूल्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैंने जिसमें दिन रात मेहनत की है उसे वह लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन इतना लाभ किसे मिलता है। बिचौलिये जिसने खेतीबाड़ी के लिए आवश्यक उपस्करों पर कुछ नहीं किया, उपभोक्ताओं पर बढ़ा हुआ मूल्य का भार डालते हैं। उपभोक्ता अथवा ग्राहक उसे वहन करता है। मैं यह बताना चाहती हूं कि केवल बिचौलिये ही बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं।

इन बिचौलियों से बचने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। राजनैतिक दलगत भावना को छोड़कर सभी नेताओं को

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मोहन सिंह]

चाहे वे विपक्ष के हो अथवा सत्ता पक्ष के हों, मिलकर बैठना चाहिए और इन बिचौलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए निर्णय लेना चाहिए। हमें सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए ताकि मूल्य वृद्धि की इस बढ़ती हुई समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जा सके।

माननीय सभापति, मैं खेतीबाड़ी करने वाले समुदाय और किसान समुदाय के लाखों लोगों की ओर से यह मामला उठा रही हूं। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हमें किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि हमें किसानों की सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। भारतीय किसान अलाभप्रद खरीद मूल्य, ढुलमुल खरीद पद्धति, खुले बाजार में लाभप्रद मूल्य न मिलना उरर्वक, राजसहायता की अनुपलब्धता, ऋणों और देनदारियों का असहयनीय बोझ जिससे कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं बिजली की अपर्याप्त पूर्ति जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन सभी के परिणामस्वरूप लागत मूल्य में वृद्धि और मूल्य वृद्धि होती है।

किसानों की स्थिति सुधारने के लिए न केवल सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। हम सभी को कृषक समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ एक जुट होकर संघर्ष करना चाहिए। किसान की प्रत्येक मांग को सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा पता लगाना जाना चाहिए। राज्य सरकारों में किसानों की समस्याओं और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए वचनबद्धता और तहेदिल से अन्तर्ग्रस्तता होनी चाहिए। तभी वह खाद्यान्न और अन्य कृषि संबंधी उत्पाद की पैदावार कर सकते हैं। तभी हम आत्म निर्भर हो सकते हैं।

यदि हम इस माननीय सदन में एकजुट होकर मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

हमारे जोखिम भरे परमाणु परीक्षणों के पश्चात् हम अधिक विदेशी निवेश का लाभ उठाने से वंचित होने वाले हैं। हमारे समक्ष आसन्न आर्थिक संकट है।

इस परिस्थिति में प्रत्येक राज्य सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार और अनुक्रियाशील होना पड़ेगा। सम्बद्ध राज्य सरकारों को अपने राज्य के किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें केन्द्र से सहायता मांगनी चाहिए और कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन पर भी नजर रखनी चाहिए। उन्हें किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। इसके मूल्य वृद्धि को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

तमिलनाडु में, जब हमारी प्रिय (क्रांतिकारी नेता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर 1991-96 तक थीं तो चावल जैसी आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों और खुले बाजारों में भी सस्ते दामों पर बेची जाती थीं। अच्छे किस्म का चावल खुले बाजार में 5 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध होता था। उचित मूल्य की दुकानों पर चावल 2.50 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जाता था। अब उसी चावल का मूल्य बढ़कर 16 रुपये अथवा 18 रुपये प्रति किलो हो गया है हमारी राज्य सरकार ने मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और मद्यनिषेध को भी लागू नहीं किया है। स्थानीय प्रशासनिक निकायों का चुनाव कराने के पश्चात् भी अभी तक आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका है। तमिलनाडु सरकार को इन समस्यओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। वहां पर सत्ताधारी दल ने अपने दल के चुनाव घोषणा पत्र के माध्यन से किसानों को आश्वासन दिया था कि गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि की जाएगी और इसे 100.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाएगा। लेकिन वह इसे लागू करने में असफल हुए हैं और अपना वायदा भी पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस सरकार को हटाए जो किसानों और कृषक समुदाय द्वारा झेली समस्याओं को पूरा नहीं कर सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री मोहन सिंह जी ने नियम 193 के तहत इस बहस को लाकर इस देश के सर्वहारा वर्ग, मध्यमवर्गीय परिवारों पर उपकार किया है, जिनके सामने महंगाई का संकट पैदा हुआ है। मंहगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आज कीमत का सवाल नहीं क्योंकि आज कुछ दाम है तो कल कुछ और होगा। कीमतें कहीं भी स्थिर नहीं है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को, चाहे इस पक्ष के हों और चाहे उस पक्ष के हों, इसकी तह में जाना चाहिये क्योंकि सीधे सांसद ही जिम्मेदार है। मंत्री लोग तो सरकार में रहेंगे, हटेंगे और निकलेंगे लेकिन देश की अवाम इस सवाल को हम लोगों से पूछेगी।

सभापति महोदय, आज एक कागजी नींबू 2 रुपये का हो गया है, आलू का दाम 55 रूपये पंसेरी हो गया है, प्याज की बात मत पूछिये। आज मांस खाने वाले लोगों को प्याज नहीं मिल रहा है। कड़वा तेल राजस्थान की किसी कनौड़िया फैक्टरी में ज्यादा निकलता है। बरनाला साहब को मालूम है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग जो पंजाब में रहते हैं, कड़वा तेल खाते हैं। इसका संबंध किसी पार्टी से नहीं है। एक बार लोकनायक जय प्रकाश नारायण से आचार्य विनोबा जी ने कहा था जब इन्सान थक जाये तो रात को बिस्तार पर जाने से पहले कड़वा तेल सिर पर लगवाना चाहिये तो बाडी रिलैक्स हो जाती है। हम जब पैदा हुये और आज भी सर्वहारा वर्ग की बेटा-बेटी सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों की मालिश करने के लिये हर अंग पर वही कड़वा तेल ही लगाया जाता है। आप लोगों ने आज क्या हालत पैदा कर

दी है? आज कड़वा तेल भी प्योर नहीं मिलता है। चारो तरफ तबाही मची हुई है।

सभापति महोदय, अभी सदन में श्रीमती पाटील नहीं हैं, शायद चली गई है। मुझे उनकी बात सुनकर खुशी हुई कि वे स्टूडेंट लीटर थीं। मैं भी अपने समय में स्टूडेंट लीडर था और प्रेजीडेंट था। महिलाओं पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ी है क्योंकि सारे घर का भार उन्हीं के ऊपर है। वे घर चलाती हैं। इस सरकार को आये हुये तीन महीने हुये हैं और सीमेंट के दाम 40 रुपये प्रति बोरा बढ़ गये हैं। इन्दिरा आवास योजना में गरीब को 20,000 रूपये मिलते हैं लेकिन सीमेंट के बेतहाशा बढ़ते दामों ने उनको मार दिया है। इस बात को सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। पहले लोग बोला करते थे – रोटी, कपड़ा और ईंट का काम। वह 1100 से 1600 हो गई है। यह स्थिति क्यों हैं? इस देश के मुनाफाखोर, गल्ला चोर और जमाखोर सिंडीकेट को मालूम है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी हुई है। एक कहावत हम सुना करते थे – 'सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का' अब ये कोतवाल हैं और यही देखने वाले हैं। इनके मन से डर, भय समाप्त हो गया है। चारों तरफ लूट मची हुई है। गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है इसलिए अब इस चीज को कौन देखेगा? उस दिन चर्चा हो रही थी किसी प्रश्न पर कि एक्सपोर्ट में और छूट मिलनी चाहिए। भारत सरकार को असेसमेंट करना चाहिए कि हमको अपने देश में कितने सामान की जरूरत है। चाहे सब्जियां हों, ग्रेन्स हों, चावल हों या बासमती चावल हो, छुहारा हो, काजू किशमिश या गरम मसाला हो या अचार हो, इस देश में इनकी कितनी खपत है यह सरकार को देखना चाहिए। आज चावल का दाम ही नहीं, सब्जियों का दाम भी इतना बढ़ गया है कि लोग बड़े पैमाने पर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज गरीबों को पाव भर दूध नहीं मिलता है, हरी सब्जी नहीं मिलती है, अंडा नहीं है, मांस नहीं है, मछली नहीं है। हमारी बहु-बेटियां जो गर्भवती होती हैं, वह जो भोजन करती है उससे ही उनके बच्चे का शरीर और खून बनता है आज हिन्दुस्तान में कुपोषण और महंगाई की मार की वजह से जब हिन्दुस्तान को भोजन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, मूंग और अरहर की दाल नहीं मिलेगी तो कैसा भारत हम पैदा करना चाहते हैं? और हम मुकाबला करने चले हैं चीन का? हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम अणुबम विस्फोट करके बोल रहे है कि मुकाबला करेंगे। आज महंगाई की वजह से चारों तरफ जो मार पड़ रही है, उससे दुबले-पतले, कमजोर और लंगड़े, गूंगे, विक्लांग पैदा होंगे। कौन देखेगा इन चीजों को? यह प्राइस इंडेक्स और महंगाई रोकने का काम करना पड़ेगा। सरकार ने कुबूल किया है कि मंहगाई बढ़ी है और दिल्ली पुलिस को या दूसरे अफसरों और कर्मचारियों को आप 40,000 रुपये तक तनख्वाह दे रहे हैं। जब आपने कुबूल किया है कि महंगाई बढ़ी है और उसी अनुरूप में आपने वेतन में महंगाई भत्ता बढ़ाया है तो मार्केट तो सभी के लिए एक ही है। कैबिनेट सैकेटरी जिसकी तनख्वाह 40,000 उसका नौकर प्याज खरीदने जाता है और एक आदमी, गरीब रिक्शा ठेला चलाने वाला बाजार में जाता है तो वह कैसे खरीदेगा? कैसे आप समतामूलक समाज बनाएंगे, कैसे भेदभाव को मिटायेंगे? इसलिए मेरा सुझाव है कि जो हमने उस दिन सैलेक्ट कमेटी में रेंफर करवाया, ब्लैक मार्केटयर्स को सात साल सजा नहीं, दस साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए और उनको कड़े से कड़ा दंड देने का प्रावधान यह सरकार करे। आप हम लोगों से जो सहयोग लेना चाहते हैं। हम देंगे। महंगाई की मार से आज गरीब और आम आदमी तबाह है। आप कहेंगे कि आपसे क्या होगा, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। जब माननीय सांसद चुनावों में जाएंगे या अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो देखिये कि अखबार में क्या छपता है, किस चीज का क्या रेट है। आप अपने क्षेत्र में चले जाइए, मीटिंग कर लीजिए। पूछ लीजिए उनसे कि सब चीज मिल रही है आराम से, तो आपका हार्दिक अभिनन्दन माला से किया जाएगा। चाहे हम लोग हैं या कोई भी आदमी है, आप कुछ घूमकर देखें। आप यह न देखें कि हमारी सरकार बन गई और हम बैठ गए। क्या पता कल सरकार होगी या नहीं होगी।

इसलिए हमने तय किया है मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। हम लोग उन वर्गों और गरीबी के बीच से आते हैं और उन पर पड़ी रही मार को हम देखते हैं, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, लुंगी वाले, गंजी वाले, थैले वाले, बैलगाड़ी वाले जो सर्वहारा वर्ग है, उनका खून चूसा जा रहा है। महंगाई से चारों तरफ तबाही मची हुई है। इसलिए आपको सोचना चाहिए, महंगाई रोकने के लिए आप कौन-सा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने आपको कहा, यही संसद में सवाल किया, लेकिन आप नहीं सुनते हो। सारा देश मानता है कि कमरतोड़ महंगाई है, जब से बी. जे. पी. आई है, गरीबों की कमर टूट रही है। इसलिए हमने फैसला किया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को पाटलिपुत्र में और तीन अगस्त को लखनऊ में 'रोको महंगाई बंद होगा, नहीं तो होगा चक्का जाम, हम लोगों ने फैसला लिया है कि जेल भरेंगे, लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं। इसलिए अगर संभलना चाहते हो तो संभल जाइये, नहीं तो 'रोको महंगाई बंद होगा, नहीं तो होगा चक्का जाम'। जब से बी. जे. पी. आई है, कमरतोड़ महंगाई है, इन चीजों से आप बच नहीं सकते। सबको मालूम है कि आपकी सरकार मुनाफाखोरों, ब्लैकमार्केटयर्स, बड़े-बड़े टेर्डस को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। इसलिए आप संभल जाइयें इनमें जो स्वाभिमानी सांसद है वहां से निकलकर इनके खिलाफ आंदोलन को ज्वाइन करियें। आप वहां से मुक्ति ले लीजिए, जल्दी मुक्ति ले लीजिए। आशा से मत बैठे रहिये.. ..(*व्यवधान*) इनको मालूम है, यहां माननीय सांसद बराबर बैठे रहते हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं बी. जे. पी. में जो माननीय सांसद सदस्य अभी बैठे हैं, ये बराबर बैठे रहते हैं। ये सिनियर हैं। यहां बैठकर बजाओ तंबूरा, बजाओ बाजा, कोई बोले तो बजाते रहो। इनको बताया गया है कि आप लोग यहां बोलते रहे, जो विपक्ष से बोले उसके खिलाफ बोले। लालू यादव को दबाओ, श्री मुलायम सिंह जी को मत बोलने दो, श्री शरद पवार और बसुदेव आचार्य को मत बोलने दो। विस्तार होगा तो तुमको हम मंत्री बनाने पर विचार करेंगे। यह आशा मत करिये, इस

[श्री लालू प्रसाद]

आशा में बैठे-बैठे रह जाओगे। हम भी बहुत दिन तक बैठे रहे, हम भी बहुत दिन तक आशा लगाये रहे। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक रिवोल्ट नहीं करोगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तबला बजाते रह जाओगे और फिर दो तिहाई हारकर आ जाओगे। इसलिए आप लोग महंगाई के सवाल पर सोचिये। इस देश का सर्वहारा वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटा पत्रकार, हैलमेट लगाकर स्कूटर चलाने वाला आदमी जब झोला लेकर जाता है तो सारा पैसा दाल, सब्जी और दूसरी चीजों में चला जाता है। एक्सपोर्ट बंद करिये। जो जरूरत है, उसको रोककर आप एक्सपोर्ट करिये, वरना एक्सपोर्ट बंद करिये। चोरी और मुनाफाखोरों को रस्सा बांधकर जिस दिन आप जेल के सींखचों में बंद करेंगे, तब हम समझेंगे कि आपकी नीयत ठीक है, यही मेरा सुझाव है। श्री मुलायम सिंह जी और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम इस देश को और देश के गरीबों को इन हाथों भूखों मरते देखना नहीं चाहते हैं इसलिए हम याचना नहीं अब जंग करेंगे, अब जंग होगा, युद्ध होगा, जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग इनको रणक्षेत्र में पछाड़ेंगे और परास्त करेंगे। इस डेमोक्रेटिक देश की जनता महान है। गरीब महान है। हम पब्लिक सर्वेंट हैं। मोहन सिंह जी ने यहां बैठकर बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने नियम 193 में इस सवाल को रेज करके सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। हम आशा करते है। कि गरीब वर्ग के प्रति सांसदों को चिंता होगी। बीजू बाबू के सुपुत्र माननीय मंत्री उधर बैठे हुए हैं, आपको तो कम से कम उड़ीसा के गरीबों और ट्राइबल्स की जो हालत है, उसकी चिंता करनी चाहिए। जो सोमालिया की हालत है, वैसी वहां होने वाली है। आप जैसे लोगों को वहां ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, इस सवाल को लेकर आपको वहां से निकल जाना चाहिए और महंगाई के सवाल पर आपको आना चाहिए। धन्यवाद।

श्री नवीन पटनायक (आस्का) : आजादी को तकरीबन पचास साल हो चुके हैं तब से कांग्रेस ही सत्ता में बैठी हुई थी...... (*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : श्री बीजू पटनायक 25-30 साल कांग्रेस में थे....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय अब मेरी बारी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महंगाई के बारे में बोलने का मौका दिया। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैंने भी नोटिस दिया था और सोचा था कि इस समस्या पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होगी और कोई तरीका निकलेगा जिससे आम आदमी की समस्या का कुछ हल निकले। लेकिन मुझे दुख हुआ। जब किसी ने कहा कि समता, बीजू जनता दल, ममत चूंकि सब एक साथ हैं इसलिए मंहगाई बढ़ी किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सवाल है। कोई नहीं बोल सकता कि हम प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा सुझाव नहीं दे सकता जिससे इस समस्या का हल हो सके और मैं जरूर सुझाव दूंगी लेकिन उसके पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि समता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बी.जे.पी. ए. आई. ए. डी. एम. के. जो भी ऐलाइज़ हैं, हम एक साथ रहेंगे, हमारे टुकड़े करने की कोई कोशिश न करे, उसमें कोई कामयाब नहीं होगा....(*व्यवधान*) महंगाई बढ़ रही है, यह बात सच है। यह सच है कि आज आम जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। हर राज्य में ऐसा है लेकिन उसमें सिर्फ केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। क्यों आज ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, उसके जरूर कुछ कारण होंगे। आम जनता की दिक्कत यही है कि वह किसी कारण को नहीं समझती, वास्तविकता की ओट में क्या होता है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है। यह बात सच है कि अभी मार्किट प्राइस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अलग-अलग मार्किट में अलग-अलग प्राइस है। क्यों? बिहार में आप एक मार्किट में जाईए, अलग ढंग का प्राइस है।

[अनुवाद]

यदि आप उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश कहीं भी जाएं सब जगह आपको एक ही वस्तु की कीमतों में अंतर मिलेगा, विभिन्न स्थानों पर बाजार मूल्य में कोई एकरूपता नहीं है, कोई एक समान प्रणाली नहीं है

[हिन्दी]

ऐसा क्यों हुआ है मैं राजनीति आधार पर नहीं बोलना चाहती, आम जनता की ओर से बोलना चाहती हूं।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : आपका सुझाव क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपको अपने सुझाव के बारे में बताना चाहती हूं।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहती हूं कि आज किस तरह प्राइस का डीवैल्यूएशन हुआ है, इन्फ्लैशन बढ़ रहा है, उसमें भी ऐसेन्शियल कमोडिटीज का प्राइस बढ़ने का एक खास कारण है। किसी ने पोखरण के बारे में कहा लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी हमारे देश में न्यूक्लियर टैस्ट हुआ था। देश की सिक्यूरिटी की ओर किसी के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन कभी-कभी देश में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब सरकार को अपोजीशन के साथ बैठकर एक राय लेनी पड़ती है।

मैंने उसके लिए पहले दिन ही कहा था कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि आपको चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग बुलानी चाहिए। यह मीटिंग नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी हो सकती है।

[अनुवाद]

उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए। केन्द्र सरकार मंहगाई को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायो के बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर सकती है केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम बना रखा है। किंतु यह राज्यों में लंबित पड़ा है। केन्द्र सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों से एक प्रतिवेदन क्यों नहीं मांग सकती है? ऐसा कर उसे पता लग सकेगा कि कौन सी राज्य सरकारें इस अधिनियम को कार्यान्वित कर रही है और कौन सी ऐसा नहीं कर रही है, कितने कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक जमाखोरी के कितने मामलों का पता चला है।

[हिन्दी]

अगर आप डीहोर्डिंग नहीं कर सकते, ब्लैक-मार्केटिंग को नहीं रोक सकते तो आपको इस समस्या को हल करने में कोई आसानी नहीं होने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप डीहोर्डिंग कीजिए और जो ब्लेकमार्केटिंग है, जो जैन्युइन है, मैं इसके खिलाफ इसलिए कहना चाहती हूं कि कभी-कभी मार्केट में आर्टीफीशियल क्राइसिस भी हो सकता है इसमें अगर गवर्नमेंट की विजिलेंस नहीं रहेगी तो यह बढ़ती जायेगी। यह गवर्नमेंट को फेल करने के लिए एक पैरेलल इकोनोमी की तरह से हो सकती है। जो आर्टीफिशीयल क्राइसिस क्रिएट करते हैं, ऐसा है कि नहीं, यह भी देखना चाहिए।

नम्बर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके इस चीज को देखना चाहिए कि हर स्टेट में मंहगाई एक समान रहे। क्यों हर स्टेट में महंगाई एक जैसी नहीं। हमारे बंगाल में देखिये। ये तो 106 दिन की बात करते हैं, वहां एक सरकार है, जो 7700 दिन की बात करती है, उसके यहां क्या प्राइस राइज है। यहां मिर्च 35 रुपये है तो हमारी स्टेट में 110 रुपये किलो हैं। अगर मिर्च और नमक के दामों में मंहगाई इतनी बढ़ जाती है तो एक गरीब आदमी क्या खाता है। गरीब आदमी को अगर कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा मिर्च, नमक देकर पोटेटो बाइल करके वह चावल खाता है, लेकिन आज उसका भी कोई तरीका नहीं है।

जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, क्या वे केवल गैट के लिए हैं, क्या डब्लू. टी. ओ. के लिए है या पेटेंट लॉ के लिए है। आप लाइफ सेविंग ड्रग्स देखिये, उनके बाजार में कितने भाव बढ़ गये। हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज गरीब आदमी को हास्पीटल्स में कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिल रही है। मैंने बहुत स्टोरी सुनी है कि एक लाइफ सेविंग ड्रग के लिए कैसे-कैसे आदमियों को रोना पड़ता है, इसमें भी आप ध्यान दीजिए। यह भी हमारी जिंदगी की एक बड़ी जगह है। यह बात सच है कि अगर 110 रुपये में आदमी एक किलो मिर्च खरीदेगा, अगर एक आदमी की इन्कम 1000 रुपये है तो वह क्या करेगा, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहती हूं। अभी ऐसा क्यों हुआ है। जो डिमांड और सप्लाई का रेश्यो हैं, इसको आप देखिये। हमारी कण्ट्री में एसेशियल कमोडिटीज की जो डिमांड है, लेकिन उसके मुकाबले जो सप्लाई हो रही है, उसमें बहुत ही फर्क है। फर्क इसलिए है कि हमें जान-बूझकर पहले से प्लान तैयार करना चाहिए। जब हमारा में खाद्यान्न में सैल्फ सफीशिएंट हुआ था तो एक दिन में नहीं हुआ, हमें उसी तरह प्लान करना चाहिए था। इसलिए मैं कहती हूं कि जब गांव-गांव में, जिसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर एक पर आलू का प्रोडक्शन होता है, हमारे बंगाल में आलू प्रोडक्शन नम्बर दो पोजीशन पर है। लेकिन लास्ट ईयर में हमने देखा कि 50 पैसे किलो किसान ने आलू बेच दिया। उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रिक्योरमेंट सिस्टम नहीं है। अगर प्रिक्योरमेंट सिस्टम नहीं रहेगा तो किसान को आलू और वैजीटेबल प्रोडक्शन करके उसकी 50 रुपये में फेंक देना पड़ेगा। उसको कोई प्राइस नहीं मिलता, उसके प्रिक्योरमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की तरफ, प्रिक्योरमेंट करने की तरफ सरकार ध्यान दें।.....(*व्यवधान*) मैं हर वेजीटेबल के लिए बोलती हूं। मुझे सब मालूम है, उसी के लिए बोल रही हूं। मैंने देखा है कि किसान कैसे रो रहा था, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, नासिक से हमारी स्टेट में प्याज आता है, लेकिन आज क्या हुआ। आज यही हुआ कि डाक्टर मरीज की मौत के बाद आता है अगर शुरूआत में आप कुछ नहीं करते तो बाद में कुछ नहीं होता है, इसलिए शुरूआत में हमारी गलती हो गई है, हमारी कण्ट्री में जो प्रिक्योरमेंट सिस्टम है, जो कोल्ड स्टोरेज है, हमारा जो प्लान है, इसमें इनको ज्यादा प्रायरिटी देनी चाहिए और गवर्नमेंट को अगर पैसे की प्राब्लम है तो उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री यहां उपस्थित है। हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनमें से एक आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना है। वी. डी. आई. एस. का मतलब है कालाधन बाहर निकालना, यानी जिसके पास कालाधन है वह स्वेच्छा से टैक्स देकर उसे घोषित करे, यह आपका प्रपोजल था। वी. डी. आई. एस. के मुताबिक बहुत सा रुपया राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के पास इकट्ठा हुआ था। हमारे राज्य से भी 800 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए थे। उसमें से काफी पैसा राज्य सरकार को दिया जाएगा। अगर उस पैसे का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज आदि बनाने में खर्च किया जाए तो इसमें प्राइस राइज की कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। इस पैसे से हम प्रोक्योरमेंट सिस्टम को भी अलग कर सकते हैं। साल भर में जितना उत्पादन होता है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होने के कारण जनता को दिक्कत आती है और आवश्यक चीजों के दाम बढ़ते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नाईंथ प्लान में कोल्ड स्टोरेज पर ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। किसान की जो वेजीटेबल कल्टीवेशन नॉनट्रेडिशनल एरिया में होता है उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल ठीक से होता है या नहीं, यह भी देखा जाना चाहिए। डीहोर्डिंग सिस्टम को चालू करना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मीटिंग

[कुमारी ममता बनर्जी]

करनी चाहिए। बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को आवश्यक सामान वितरित करने की योजना संयुक्त मोर्चा सरकार ने शुरू की थी।

[अनुवाद]

कार्यक्रम अच्छा है किंतु इसका कार्यान्वयन बहुत खराब है मेरे राज्य में ऐसी खबरें हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले नहीं मिलते हैं।

[हिन्दी]

दो कार्ड ग्रीन और रेड बने थे, लेकिन आदमी नहीं मिलता उस स्कीम का रुपया वैसे ही पड़ा रहा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है।

[अनुवाद]

यदि आप किसी उचित दर की दुकान पर जाते हैं तो आप पाएंगे कि उस दुकान में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। उचित दर की दुकानों पर वस्तुएं समय पर क्यों नहीं पहुंच रही है?

[हिन्दी]

उसको भी देखना चाहिए और सब्जियों के साथ-साथ चीनी, खाद्य तेल और बेबी फूड के भी भाव बढ़ गए हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमने जो 14 वस्तुएं एसेशियंल कमोडिटीज में शुमार की हैं, उनके बारे में सोच-विचारकर कुछ कर सकते हैं तो अधिक उपयुक्त होगा। हमारे देश में बहुत सारी जनता गरीब है जिसके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन हम लोग उसको लेकर राजनीति करते हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तीन महीनें में क्या हुआ है, यह सबको मालूम है, लेकिन राजनीति करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर एक कार्य योजना के बारे में निर्णय करने तथा उसकी रूपरेखा बनाने के लिए बैठक करनी चाहिए ताकि यथासंभव शीघ्र मूल्य वृद्धि को रोका जाए।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें विचार करना चाहिए। इसमें भी एक प्लान आफ एक्शन तैयार करने की जरूरत है। विजिलेंस सिस्टम को थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। प्राइस राइज के लिए केन्द्र में अस्थिरता का भी योगदान रहता है। देश में अगर स्थाई सरकार नहीं होगी और रोज सरकार बदली जाएगी कि सुबह एक सरकार है और रात को दूसरी सरकार बन गई तो इससे भी महंगाई पर असर पड़ता है। इसलिए हमारे देश में स्थिरता बहुत जरूरी है। अस्थिरता से लोगों में गलत मैसेज जाता है।

[अनुवाद]

हम चाहते हैं कि यह सरकार दृढ़ और अधिक प्रभावी हो और देश के लिए कुछ करे, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मामले की पूरी जांच कराएं और सख्त कदम उठाएं ताकि जनता में कोई गलत संदेश न जाए कि यह सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी में संलिप्त है। यही विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है, हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस कार्य को प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए ताकि देश में यह संदेश जाए कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे दंडित किया जाएगा। किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्तियों के कारण जनता को परेशानी न हो।

[हिन्दी]

हम लोगों की आदत हर चीज में पोलिटिक्स करने की है, लेकिन आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं भारत सरकार को कहना चाहती हूं कि अन्य सभी कामों को छोड़ दीजिए और इस काम में फर्स्ट प्रायोरिटी देकर बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सभी दलों, मुख्य मंत्रियो की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाये और विभाग से कोआर्डिनेशन करके कोई फैसला लें, जिससे आम जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के 106 दिनों में हमारी बुरी आशंकाएं सच साबित हुई हैं। क्योंकि यह सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखने और आम आदमी को राहत देने में सक्षम नहीं है।

महोदय, हमने पाया कि मंहगाई का सबसे बुरा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ा है तथा आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियां, खाद्य तेल और खाद्यान्नों तथा लोगों के दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे आलू, प्याज, टमाटर, खाद्य तेल, दाल आदि के मूल्यों के मामले में वे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में पूर्व वक्ता पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। इसलिए मुझे उसकी पुनरावृति करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु बात यह है कि इससे न केवल निर्धन वर्ग प्रभावित हुआ है अपितु मध्यम वर्ग भी प्रभावित हुआ है जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों को इतने ऊंचे दामों पर नहीं खरीद सकता है। इसके बजाय में तोरी, घीया आदि जैसी सस्ती सब्जियां खरीद रहे हैं, आलू और प्याज जैसी आम वस्तुएं सामर्थ्य से बाहर की हो गई हैं और मिर्च बहुमूल्य वस्तु बन गई है जिसका भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।

मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि मंहगाई के इस दौर में औसत खपत कितनी कम हुई है और गरीबी की अद्यतन परिभाषा को किस प्रकार ध्यान में रखा जाएगा। गरीब लोगों द्वारा खपत कम की गई है और

गरीबी की परिभाषा खपत के कारकों के आधार पर दी गई है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि यदि खपत कम हो जाए तो क्या इसे ध्यान में रखा जाएगा या नहीं।

सरकार मूल्य वृद्धि का कारण खराब मौसम के कारण फसलों को नुकसान आदि बताती है। किंतु मेरा कहना है कि इसके संकेत पहले से मिल चुके थे और सरकार को इसके दबाव का पूर्वानुमान लगाया चाहिए था और उस दबाव को दूर करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने मुद्रा स्फीति के खतरे को नजरअंदाज किया हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि नए वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न चीनी आदि की संभावित कमी को दूर करने के लिए आपूर्ति प्रबंधन के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होगी।

यदि सरकार अर्थव्यवस्था में लेशमात्र भी स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है तो मुद्रास्फीति प्रबंधन होना चाहिए।

क्षोभकारी बात सरकार का कार्यकरण और फुटकर व्यापारियों के स्तर पर मूल्यों में हेराफेरी और बड़े व्यापारियों के स्तर पर आपूर्ति को जानबूझकर मंदा करने से निपटने की आवश्यता के प्रति उसकी पूर्ण उदासीनता है। अधिकतर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम नहीं कर रही है, दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिकों, जिनमें से कई खाद्यान्न व्यापारी है, ने उचित दर की दुकानों के लिए की गई आपूर्ति को अपने गोदामों में भेजकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मजाक बना दिया है।

महोदय, महंगाई को रोकने की सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति समाप्त हो चुकी है तथा लोगों को बाजार की दया पर छोड़ दिया है। इस समस्या का कारण निश्चित तौर पर वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों में है, पेट्रोल पर लगाया गया अधिभार मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा तथा डिब्बाबंद चाय जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाए गए नए शुल्कों से वेतनभोगी उपभोक्ता के मासिक बिल पर भार पड़ेगा।

विगत 14 महीनों में फुटकर मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति दर पहली बार दोहरे अकों में पहुंचकर 10.5 प्रतिशत हो गई है, यह सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए प्रस्तावित मुद्रास्फीति की 6.5 प्रतिशत की औसत दर व चार से पांच प्रतिशत तक की विकास दर के तहत काफी अधिक है। यदि मुद्रास्फीति के साथ उच्चतर विकास दर भी होती तो वह बात समझ में आ सकती है, किंतु हम देख रहे हैं कि धीमी विकास दर और स्थिर आय के समय मंहगाई बढ़ रही है जिससे उपभोक्ताओं और संपूर्ण देश के लिए दोहरी कठिनाई हो रही है, इस बात की भी चिंता है कि आर्थिक प्रतिबंधों से लोगों की आर्थिक कठिनाईयां और बढ़ेंगी, मई माह के अद्यतन आंकड़े बताते हैं कि मई 1997 की तुलना में इस वर्ष इस माह में उपभोक्ता मूल्य 10.5 प्रतिशत अधिक है और अप्रैल 1998 की तुलना में यह 8.2 प्रतिशत अधिक है, जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो उसमें एक चेतावनी थी कि यह मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला बजट होगा, इसके कई कारण दिए गए थे। अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एक कारण यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन के साथ खाद्यान्न उत्पादन में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसका प्रभाव यह रहा कि प्राथमिक वस्तुओं और खाद्य उत्पादों के थोक मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में अप्रैल 1998 में आलू की कीमत में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फुटकर स्तर पर इसका प्रभाव दैनिक जरूरत की वस्तुओं जैसे फलों, सब्जियों, खाद्य तेलों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के रूप में पड़ा है।

दूसरा, आयात अधिकतर और उत्पाद शुल्क में वृद्धि ने अभी कीमतों पर अपना प्रभाव डालना है।

तीसरा, मुद्रापूर्ति लक्षित दर 15 से 15.5 प्रतिशत की दर से अधिक 17 प्रतिशत है।

चौथा, इस वर्ष के लिए सरकार के भारी ऋण लक्ष्य स्पष्टत: ब्याज दरों में वृद्धि के लिए दबाव डाल रहा है। पंचसवा रुपये का अवमूल्यन निश्चित रूप से आयात के मूल्य को बढ़ाएगा। इस सब का मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान 4.5 प्रतिशत थी जो 20 जून को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई है। ऐसी स्थिति में जमाखोर और सट्टेबाज वस्तुओं की कमी को और बढ़ाकर निश्चित-तौर पर फायदा उठायंगे।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार इस कमी का पूर्वानुमान लगाने और आयात की व्यवस्था करने में विफल क्यों रही। सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार की अच्छी स्थिति के दावे को देखते हुए यह एक स्पष्ट समाधान होना चाहिए था। किंतु खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले चार माह से अधिक समय में वृद्धि हो रही है और इस अवधि के दौरान सरकार कुल मिलाकर एक मूकदर्शक बनी रही। सरकार ने काफी समय के बाद हाल ही में स्थिति से निपटने के उपाय शुरू किए हैं और राज्य सरकार व्यापार निगम को पामोलीन का आयात करने के लिए कहा है।

हम महंगाई को लेकर काफी उत्तेजित हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार इस स्थिति से कैसे निपटने की सोच रही है और आसमान छूते मूल्यों को यथासंभव शीघ्र नियंत्रित करने के लिए उसका क्या इरादा है।

मेरा सुझाव है कि इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, महंगाई को रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार के पास भरपूर बम्पर स्टाक होना चाहिए जिसमें से वह उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों को पर्याप्त मात्रा में सामग्री या वस्तुओं को उपलब्ध करा सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इसे विशेष रूप से गरीब लोगों और किसानों की मदद करनी चाहिए। हमारे किसान साल भर बखूबी सब्जियां उगा सकते हैं। हमें पहले फूलगोभी

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

केवल सर्दियों में ही मिलती थी। लेकिन, अब वे पूरे साल फूलगोभी को पैदा कर रहे हैं। परंतु समस्या केवल भंडारण की हैं। हमारे पास अधिक संख्या में शीत भंडार नहीं है। निजी पार्टियां भी किसानों के हित में आगे आकर शीत भंडार नहीं बना रही है। इनका निर्माण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और सरकार को निजी पार्टियों को ज्यादा राजसहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे वे आगे आकर शीत भंडारों का निर्माण कर सकें।

मैं समझती हूं कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जिससे सरकार मूल्य वृद्धि की स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इससे निपट सके।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : वह जो कुछ भी कृषि की स्थिति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कह रही है, सही नहीं है। ...(*व्यवधान*)

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : माननीय सदस्या क्या बोल रही है? वह उड़ीसा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूल्य वृद्धि के बारे में बोलें ....(*व्यवधान*)

श्रीमती जयंती पटनायक : मूल्य वृद्धि केवल उड़ीसा में ही नहीं हुई है यह दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी हुई है। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, इस समय हम देश में बढ़ती हुई आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के संबंध में चिंता प्रकट कर रहे हैं। यह सही है कि कुछ हद तक कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन यह कोई असाधारण बात नहीं है, जिसके बारे में केवल उस सरकार को दोषी ठहराया जाए जिसे पदभार ग्रहण किए हुए तीन महीने ही हुए हों। यह तो जब तक प्रभावी दूरगामी उपाय नहीं होते एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं पिछली सरकार का उदाहरण दूं तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि पिछली सरकर की आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप देश के अंदर आर्थिक संकट खड़ा हुआ और आर्थिक संकट के चलते उस समय भी जिस तरह से कीमतों में वृद्धि हुई और इसी सदन में उस पर चर्चा भी हुई थी। फिर चाहे वामपंथी दल हों या दूसरे दल हों। उन्होंने चिंता प्रकट की और कहा कि इस तरह की बेतहाशा वृद्धि उचित नहीं है। इसको रोका और ठीक किया जाना चाहिए। इसमें कई बातें सामने आती हैं। बजट प्रस्तुत करते समय कई बार स्पैकुलेशन के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। उसका सामान्य बाजार पर असर पड़ता है। सरकार के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि दूरगामी परिणामकारक होते हैं। चाय के मूल्यों में वृद्धि आज नहीं हुई है। यह पिछली सरकाार के समय हुई थी। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि पिछली सरकार के समय हुई लेकिन उसके दूरगामी परिणाम आज दिखायी दे रहे हैं। इसके लिए सरकार को दोष देना कदापि उचित नहीं है।

मेरे पास कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय 86 वस्तुओं के दामों में भारी तेजी आई थी। मैं 18 अक्टूबर 1997 के, राष्ट्रीय सहारा' अखबार से कुछ कोट करना चाहता हूं :

> "चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों, कमीजों और नारियल की जटा से बने धागों समेत 86 वस्तुओं की कीमतों में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। महंगी हुई 86 वस्तुओं में से 53 वस्तुओं के दाम 5 प्रतिशत से अधिक बढ़े। 22 वस्तुएं 5 से 10 प्रतिशत के बीच मंहगी हुई। चार वस्तुओं के दामों में 10 से 15 प्रतिशत और दो वस्तुओं के दामों 15 से 20 प्रतिशत की तेजी आई। एक वस्तु के दाम 20 से 25 प्रतिशत, 3 वस्तुओं के दाम 25 से 30 प्रतिशत और एक के दाम 35 से 40 प्रतिशत बढ़ गए।"

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस सरकार के कारण हुआ है। मैं फिर 18 अक्तूबर के पत्र को उद्धृत करना चाहता हूं।

> "पिछली तिमाही में तेजी के दौरान जो चीजें मंहगी हुई, वे 30 परसैंट से ज्यादा महंगी हुई। निर्मित वस्तुओं के समूह में खाद्य वस्तुओं का सूचकांक 6.3 अंक से बढ़ कर 325.6 अंक पर पहुंच गया।"

ऐसी स्थिति में यह बात कहना कि अत्यधिक महंगाई के लिए यह सरकार दोषी है, गलत होगा। यह बात ठीक है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कीमतों पर नियंत्रण करना आवश्यक है और किया भी जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री विचार करेंगे।

मेरे पास 27 नवंबर 1997 को 'पायनियर' पेपर है। मैं उसमें से इसलिए कोट करना चाहता हूं कि जो बिना सोचे-समझे कह देते हैं। कि यह सरकार दोषी है।

[अनुवाद]

मंत्री ने नियम की अवमानना की है। वामपंथी दलों ने तेल के मूल्यों को बढ़ाए जाने पर वित्त मंत्री की तीखी आलोचना की। मंगलवार को वामपंथी दलों ने पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि का संकेत देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री की आलोचना की है।

[हिन्दी]

महंगाई उस समय भी बढ़ी थी। कहा गया कि परमाणु परीक्षण के कारण महंगाई बढ़ी। इसको परमाणु परीक्षण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और न ही किसी अन्य बात से जोड़ा जाना चाहिए। जब इनफ्लैशन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। इन बातों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और चिंता करनी चाहिए।

मैं 22 सितंबर 1997 के 'राष्ट्रीय सहारा' पेपर से कुछ कोट करना चाहता हूं। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। इसमें साफ बताया

गया है कि :

"उक्त सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर से शून्य दशमलव 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी फलों एवं सब्जियों अंडा, रागी, अरहर, मूंग और मसूर आदि के महंगा होने के फलस्वरूप दर्ज की गई।"

अभी यहां अरहर, मूंग और मसूर की चर्चा हो रही थी। आचार्य जी ने मछली की चर्चा की। उनकी सरकार अर्थात् जिस सरकार को उनका समर्थन था के समय 38 प्रतिशत तक सूचकांक बढ़ा था। चिंता होना स्वाभाविक है। महंगाई को रोका जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह चिंता का विषय है। बाजार में चीजें आसानी से सुलभ होनी चाहिए। ममता जी ने इसके लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिया की पी. डी. एस. सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे सुचारु किया जा सकता है। उसकी दशा कैसे सुधारी जा सकती है ताकि आम उपभोक्ता को वस्तुएं ठीक से मिलें।

अपराह्न 6.00 बजे

इन भावों पर नियंत्रण के लिये पिछले दिनों बरनाला साहब का एक वक्तव्य आया था, जिसे मैंने देखा था। उन्होंने कहा था कि हम चीनी का अतिरिक्त स्टाक रखेंगे लेकिन बाहर से आयात नहीं करेंगे। खाद्य तेल की भी यही स्थिति है अभी यहां कहा गया कि सरकार बाहर से आयात करना चाहती है लेकिन हम बाहर से आयात नहीं करना चाहते हैं। हम अपने यहां व्यवस्था को ठीक करके लोगों को ठीक दाम पर चीनी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तेल भी उपलब्ध होगा।

अभी कहा गया कि चाय के दाम डेढ़ दो गुना हो गये हैं। ये दाम इस सरकार के समय में नहीं बढ़े हैं। यहां पर आलू-प्याज के दामों के बारे में चर्चा की गई है। इन सब चीजों के दाम निश्चित रूप से पिछली सरकार के समय में बढ़े हैं इनमें कुछ वृद्धि जरूर हुई है। इन चीजों के उत्पादन पर चिंता प्रकट की गई....(*व्यवधान*) मैंने प्रारंभ में कहा था कि यदि सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि होती है तो यह सब के लिये चिंता की बात है। इसके लिये ठोस उपाय किये जाने चाहिये। आज इस सरकार को दोषी ठहराने की बात की जा रही है जिसका उत्तर देने के लिये मुझे ये सब बातें कहनी पड़ीं। वामपंथी और कांग्रेसी मित्रों ने जो कुछ भी कहा। लेकिन मैं तब की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं, जो उस समय 'बिजनैस स्टेंडर्ड' में छपा था :

[अनुवाद]

वर्ष 1995-96 वित्त वर्ष में थोक सूचकांक की गणना में आने वाले 447 वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है और लगभग 100 वस्तुओं के मूल्यों में दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

ऐसा तब भी हुआ था। इसलिये मैंने कहा था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में देखें। अभी जो अंतर खड़ा हुआ है.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : सब की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाये।

श्री राजो सिंह : आप हर दिन कितना बढ़ाते जायेंगे? यहां आप समय बढ़ाते जायें, उधर रोज दाम बढ़ते जायें।

सभापति महोदय : बिजनैस एडवायजरी कमेटी का निर्णय है कि सदन की कार्यवाही 8 बजे तक चलेगी।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, चाहे आठ बजे हों या कुछ भी समय हो, सभी दलों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हम सब को इसके बारे में चिंता है। हम अपनी व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। हम बाजार पर नियंत्रण करने की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। किंतु इन सबके परिप्रेक्ष्य में किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : सभापति जी, इनका भाषण समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही चलने दें।

सभापति महोदय : यह बी.ए.सी. का फैसला है। बहुत सी पार्टियों के नेता लोग बोल नहीं पाये हैं। मेरे पास 30 माननीय सदस्यों के नामों की सूची है और मुझे लगता है कि 8 बजे तक ही सब हो पायेगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हम सब इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, अत्यधिक चिन्तित है और चाहते हैं कि कीमतों पर निश्चित रूप से नियंत्रण पाया जाना चाहिये ताकि सब को उपभोक्ता वस्तुयें ठीक दाम पर उपलब्ध हो सके। मैं इस संदर्भ में पिछली सरकार के प्रधानमंत्री के आदेश को उद्धृत करना चाहता हूं :

"प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल के आदेश पर प्याज की कमी पर काबू पाने के लिये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) को प्याज खरीदने और राजधानी के सुपर बाजार के केन्द्रों और अन्य दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। केन्द्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी प्याज जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।"

जब भी कीमतें बढ़ी थी और तब ही बाजार के अंदर प्याज अनुपलब्ध था। इसलिये हम व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। इसमें कैवल सरकार को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। जहां व्यवस्था में गड़बड़ी है, उसके बारे में जहां प्रकाश डाला गया है, उसको ठीक करने की

[डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय]

आवश्यकता है। उसके लिये अभी जो आर्थिक नीति हम लोगों ने लागू की है, उससे निश्चित रूप से इन कीमतों पर अंकुश लगाया जायेगा। अंकुश लगाने से ही व्यवस्था ठीक की जायेगी। आज अभाव-अभाव कहकर हम संग्रहकों की मनोवृत्ति को और जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूंगा क्योंकि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, कुछ में वामपंथी दलों की सरकारें हैं, कई जगह दूसरी सरकारें भी हैं। अभी ममता जी कह रही थीं कि बंगाल में क्या हुआ। उड़ीसा में क्यों कंट्रोल नहीं रहा, मध्य प्रदेश में क्यों कंट्रोल नहीं रहा? इसके क्या कारण हैं? इसलिए जो सिस्टम है, उसके अंतर्गत हम जिन व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं, उनको सुधारना चाहिए। इन सारी बातों के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिवर्तनों का भी कीमतों पर असर होता है, हुए मैं कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया और थाईलैंड में क्या हुआ- वहां पर सरकार बदलने की नौबत आ गई। वहां मंहगाई के चलते लोग सड़कों पर आए। यह ऐसा मामला है कि जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार से हम व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं वह लाना चाहिए। मगर अभी इस प्रकार का कोई संकट नहीं है जिस प्रकार का संकट खड़ा करने और दिखाने का प्रयत्न किया गया और निर्मूल आशंकाओं से लोगों को भयभती करने की चेष्टा की जा रही है। बाजार में चीजें उपलब्ध हैं और सभी ऐसा कोई संकट नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सारा देश और देश की आम जनता आज दो पाटों के बीच पिस रही है।......(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपने मन की बात नहीं बोलनी चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : सभापति महोदय, भाजपा द्वारा स्थायी और स्वच्छ सरकार प्रदान करने के अपने सामर्थ्य का दावा विस्फोट में उड़ गया है। मैं किस तरह इस सरकार का वर्णन कर सकता हूं? भाजपा के नेतृत्व वाली इस बहुमुखी सरकार के शासन में मुझे सर्वत्र अस्थिरता और अक्षमता दिखाई देती है। इस सरकार द्वारा एन. ए. जी. शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में मूल्यों के स्थिरता का भी एक वादा किया गया था। जिस तरह मूल्य वृद्धि हो रही है वह अप्रत्याशित है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मूल्य वृद्धि ही इस देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की एक विलक्षण घटना रही है क्योंकि विकास के लिए कुछ हद तक पूंजीवादी पथ को चुना गया और यह विकास के इस विशेष पथ से उठाई जा सकने वाली बुराई है। परंतु आजकल जो मूल्यवृद्धि हो रही है। वह अभूतपूर्व है क्योंकि मूल्य वृद्धि में ऐसी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई थी।

मई 1997 से उपभोक्ता मूल्यों में अभी तक 10.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लगभग प्रत्येक वस्तु और दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे गेंहू, दाल, खाद्य तेल, आलू, प्याज, जीवन रक्षक दवाइयां या कपड़े की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में हम पाते हैं कि अप्रैल 1998 में मुद्रास्फीति कुल मिलाकर 4.58 प्रतिशत थी। माननीय डा. पांडेय, पिछली सरकार का उल्लेख कर रहे थे। यह अप्रैल 1998 में 4.58 प्रतिशत थी और 20 जून 1998 को 6.98 प्रतिशत थी। पूरा देश यह मानता है कि 18 महीनों के संयुक्त मोर्चा के शासन की एक प्रमुख विशेषता मूल्य स्थिरता रही है। गेंहू की कीमत तथा और भी कई वस्तुओं की कीमत में गिरावट आई थी। यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थों और बिजली के निर्यंत्रित मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी। फिर भी मूल्य स्थिरता थी। इसके बावजूद, सकरार ने अत्यधिक गरीब वर्गों को भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आधी कीमत पर खाद्यान्नों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया था।

इसे केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए जाने से पहले यह पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका था।

महोदय पिछली सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि की स्थिति पर नियंत्रण किए जाने के संबंध में डा. पांडेय द्वारा उल्लेख किया गया था। इसीलिए मैं इसका संदर्भ अवश्य ही दूंगा। क्या यह सरकार स्थिति से अनभिज्ञ थी? मैं आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। मई के महीने में ही आर्थिक सर्वेक्षण में एक चेतावनी दी गई थी कि आवश्यक वस्तुओं की कमी होगी और सरकार को मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि की मार से आप आदमी को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। इस सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह चेतावनी दी गई थी। परंतु अपने स्वयं के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दी गई चेतावनी के विरुद्ध सरकार ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की। इस चेतावनी पर ध्यान देने के बजाय सरकार द्वारा बजट में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई; विशेष अधिशुल्क लगाया गया और खाद्य उत्पादों, चाय, ब्राण्डेड उत्पादों, कृषि उत्पादों इत्यादि दैनिक जरूरत की लगभग प्रत्येक वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाने जैसे कई कदम उठाए गये। इस का कुल परिणाम यह हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई चेतावनी के बावजूद मुद्रास्फीति और बढ़ी।

वित्तीय घाटा, सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे कर्ज लिया जाना, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव रुपये के मूल्य में गिरावट, प्रतिबन्धों का लगाया जाना और अस्थिरता, इन सब चीजों के सम्मिलित प्रभाव से यह स्थिति उत्पन्न हुई। परंतु यह दिशाहीन सरकार अपनी बेकार ढुल-मूल नीति के कारण देश की गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। वास्तव में बम पोखरण में नहीं फूटा था, बल्कि यह मूल्य वृद्धि के रूप में फूट रहा है और सरकार अपने लिए खतरा मोल लेकर ही इसकी उपेक्षा कर सकती है।

महोदय इस सरकार ने वादा किया था कि वह मूल्य वृद्धि के संबंध में सजग रहेगी। परंतु क्या यह सजग रही? यदि सरकार पिछले

छह-सात सप्ताह में उत्पन्न हुई परिस्थिति से अवगत रहती तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। सरकार ने जानबूझकर मूल्य वृद्धि की ऐसी भयानक परिस्थिति पैदा करने में योगदान दिया। कुछ सदस्य जमाखोरी, काला बाजारी, मौसम, फसल अच्छी न होना इत्यादि बातें कह रहे थे। निस्संदेह, ये भी कुछ कारण थे। परंतु इस समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की जानबूझकर ऐसी भूमिका रही है जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है।

महोदय, इस बात पर जोर देने के लिए फतवे जारी किए गए कि ऐसी बात नहीं है और कुछ माननीय सदस्य मिर्च प्राप्त करने में हुई अत्यधिक कठिनाईयों का उल्लेख कर रहे थे। उनके लिए सब चीजों को छोड़कर मिर्च ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और उसकी जो कीमत बताई गई वह भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य कई शहरों की तुलना में पश्चिम बंगाल में चीजें सस्ती है। वे कह रहे थे कि मूल्यों को नियंत्रित करने में राज्य सरकारें भी अपनी भूमिका निभा सकती हैं। परंतु सरकार क्या करने का विचार कर रही है? वे आवश्यक वस्तु विधेयक के जरिये काला बाजारियों और जमाखोरों को इनाम देने जा रहे हैं। इन लोगों को सरकार ने संकेत दिया है कि वे उनके मित्र हैं, वे परेशान न हों और वे सजा को कम या माफ और सब कुछ कर देंगे। परंतु सौभाग्यवश विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा और आवश्यक वस्तु विधेयक को वापस लेकर संयुक्त प्रवर समिति को सौंपना पड़ा।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : सभापति महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है जो यह कह रहे हैं, यह सत्य से परे बात कर रहे है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, आवश्यक वस्तु विधेयक का इस विषय से गहरा संबंध है।

महोदय, इस सरकार के सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जिनके चलते मूल्य वृद्धि को रोकने में गंभीर असफलता हाथ लगी। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है। यह बात बिल्कुल सही है परंतु आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? चारों ओर ठहराव की स्थिति है। आयात अधिशुल्क और उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है परंतु अभी इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। परंतु यदि सरकार इस वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो इसका प्रभाव वित्त विधेयक को मंजूर किए जाने के पश्चात् दिखाई देगा। इसीलिए, ऐसी परिस्थिति में सरकार को उत्पाद शुल्क और चुनिन्दा सीमा शुल्क लेवी में बढोतरी को जारी रखने वाले कई जन विरोधी प्रावधानों को वित्त विधेयक में से हटा लेना चाहिए।

मुद्रा की आपूर्ति भी ज्यादा हो रही है जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य 15.5 प्रतिशत था परंतु यह पहले ही इसके भी आगे जा चुका है। यह 17 प्रतिशत के करीब है। सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे बड़ी मात्रा में कर्ज लिया गया। इससे क्या होगा? इससे ब्याज लागत पर दबाव बढ़ेगा और उत्पादन लागत बढ़ेगी। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें उद्योग-धन्धे चौपट हो रहे हैं, और मुद्रा स्फीति और अन्य कारक बढ़ रहे हैं, सरकार की नीतियों के कारण ही उत्पन्न हुई है।

रुपये के अवमूल्यन के संदर्भ में ऐसा लगता है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार, विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य पर पड़ रहे प्रभावों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बहुत ज्यादा अन्तर है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 4.8 से बढ़कर 6.8 हो गई है।

अब मैं कुछ सुझाव दूंगा। मेरा सुझाव है कि यदि सरकार थोड़ी बहुत भी गंभीर है तो इसे वित्त विधेयक वापस लेना चाहिए। जो कि इस सरकार के विचाराधीन है। ऐसी सभी लेवियों को, जैसे उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क जो कि मूल्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं को कम करना चाहिए। जब पेट्रोल को चुना गया तो हमने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इससे कीमतों में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। उनका तर्क है कि उन्होंने डीजल की कीमत नहीं बढ़ायी। यह एक ऐसे वकील के तर्क के समान होगा जो न्यायालय में एक ऐसे व्यक्ति का पक्ष रख रहा है जिस पर आरोप है कि उसने छोटे भाई की तो हत्या कर दी परंतु उसने बड़े भाई को छोड़ दिया। डीजल को मूल्य वृद्धि से अलग रखा गया। यह सरकार का तर्क है। विश्व में सब जगह तेल की कीमत घट - रही है। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए सरकार को ऐसी बढ़ोतरियों को वापस लेना चाहिए।

मुद्रा की आपूर्ति के संबंध में सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। फिर जमाखोरों और कालाबाजारियों का प्रश्न आता है। अब विधेयक प्रवर समिति के पास है। मैं इस बीच आए कतिपय सुझावों से सहमत भी हूं।

यह सरकार इसकी जांच करेगी। राज्य सरकारें, राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न उपभोक्ता मंच तथा अन्य संबंधित एजेंसियां राष्ट्र, गरीबों तथा औद्योगिक कामगारों को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रही हैं।

अंत में, अगर यह सरकार जरा भी चिंतित है तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कार्यक्रम बनाना चाहिए। परंतु सरकार इसे शिथिल बनाने की कोशिश कर रही है। वे चीनी की बिक्री खुले बाजार में करने तथा इस पर से राजसहायता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक काफी प्रभावी कार्यक्रम बनाया था परंतु वे इसे पूरी तरह लागू नहीं कर सके। क्योंकि उन्हें इसका अवसर नहीं मिला और वे सत्ता में नहीं रहे।

[श्री रूपचन्द पाल]

इसलिए मेरा यही सुझाव है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तथा विशेषकर निम्न मध्य वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम बनाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, सदन में चर्चा आज अति महत्वपूर्ण विषय पर चल रही है और सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य लगभग इस बात से सहमत हैं कि महंगाई बढ़ी है और इस महंगाई का असर गांव पर तो है ही, लेकिन शहर भी इससे वंचित नहीं है। हम लोग भी इससे वंचित नही हैं। तीन महीने, साढ़े तीन महीने गठबंधन सरकार को इस देश में शासन करते हुए और तीन, साढ़े तीन महीनें के अंदर में जिस ढंग से महंगाई आये दिन बढ़ रही है, यह एक इतिहास अपने आप में बनता जा रहा है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि महंगाई के इतना बढ़ने का कारण क्या है। सरकार की कोई नीति गलत है या इस देश में उत्पादन कम हो रहा है या किसी सुनियोजित तरीके से, किसी साजिश के तहत यह महंगाई बढ़ रही है, यह बात समझ में नहीं आती है। मैं यह मानता हूं कि इस देश में उत्पादन कम नहीं हो रहा है, अगर बहुत पहले से तुलना की,

अपराह्न 6.22 बजे

(श्री पी. सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए*)

जाये तो उत्पादन दिन प्रतिदिन इस देश में बढ़ रहा है। हो सकता है कि जितनी मात्रा में उपलब्धि होनी चाहिए, उतनी मात्रा में उत्पादन बढ़ने में उपलब्धि नहीं होती हो, चाहे वह कृषि में सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं हो या कभी-कभी प्राकृतिक विपदा के कारण भी किसानों की फसल मारी जाती है, लेकिन यह तो निश्चित है कि उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने के बाद भी महंगाई आसमान छूती जा रही है। हर सामान के दाम माननीय सदस्यों ने बताया है, उसी बात को दोहराना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक ऐसी भी सरकार इस देश में बनी थी, जो मोरारजी देसाई सरकार के नाम से जानी जाती है, जिस सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्री के रूप में और हमारे खाद्य मंत्री जी भी शायद उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। जिस सरकार की चर्चा आज भी गांवों में होती है, लेकिन गांव के लोग दो उपलब्धि कभी नहीं भूलते। गांव के लोग कहते हैं कि उस सरकार में जो सड़कें टूटी हुई थीं, जो गड्ढे थे, वे कम से कम मिट्टी से भरे गये। उस सरकार में मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाया गया और सस्ते दाम पर अनाज गांवों में मिलता था। हम अपने खाद्य मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आखिर वह कौन सा नुस्खा था, अगर खाद्य मंत्री जी उस नुस्खे में से कुछ झटककर पास में रखे हों तो उस नुस्खे का इस्तेमाल करिये और उस नुस्खे को इस्तेमाल करके जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, इस पर आप नियंत्रण पाइये। देखिये यश और अपयश मैं नहीं जानता कि किस परिस्थिति में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे गांवों में इस पर काफी तेजी से चर्चा चल रही है कि जब वे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से महंगाई बढ़ रही है। यह चर्चा है, हालांकि इसके लिए मात्र केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है। राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से अपने को अलग नहीं कर सकती। मैं किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई बात नहीं कहना चाहता, इसलिए यह सुझाव अच्छा आया है कि राज्य सरकारों को बुलाकर एक बैठक कराई जाये और मूल्य पर कैसे नियंत्रण किया जायेगा, इस पर एक नये सिरे से विचार कर गंभीरता से सोचकर इस पर निर्णय किया जाये।

इसी सदन में एक बिल आया था और व्यावसायियों पर जो पहले से अंकुश लगाने के लिए कानून बने थे, उन कानूनों में ढिलाई बरतने के लिए मैं नहीं समझता कि आखिर नीयत क्या है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ गांव के लोग इस महंगाई से पीड़ित हैं, परेशान हैं और खासकर वह तबका जो मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय हैं, इस महंगाई की मार से बेचैन हैं। दूसरी तरफ कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने के बदले उन पर ढिलाई बरतेंगे तो मूल्य नियंत्रण कैसे होगा। इसलिए मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता हो, वह बनाएं और इस महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सदन भी आपके साथ है, सरकार भी आपकी है इसलिए आप कालाबाजार करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। क्योंकि इन्हीं की बदौलत महंगाई बढ़ रही है।

अभी लालू जो बोल रहे थे कि जो स्वाभिमानी लोग हों, वे दल से अलग चले आएं। उन्होंने ठीक कहा, उनको अनुभव भी है, समता पार्टी का जब निर्माण हुआ तो उसमें दो ही तरह के लोग आए, एक तो वे जिनको लालू जी ने निकाल दिया और दूसरे वे जो लालू जी की तानाशाही को ठोकर मारकर चले आए। बिहार में जो स्वाभिमानी लोग हैं, उन्होंने इनकी पार्टी से निकल कर समता पार्टी के नाम से दल बनाया और उसी रूप में अब जाने जाते हैं। सभापति जी, मैं यह बता देना चाहता हूं कि वे स्वाभिमानी लोग अभी इस गठबंधन से अलग होने वाले नहीं हैं। अगर किसी दिन होंगे भी तो लालू जी आपके साथ नहीं आएंगे, बल्कि एक तीसरी शक्ति के रूप में बिहार और भारत में जाने जाएंगे। लालू जी कह रहे थे कि हम आगामी 29 तारीख को पटना में महंगाई के विरोध में गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं। और कोई जाने या न जाने, लेकिन हम जानते हैं कि वह रैली किस नीयत से हो रही है। पहले ही कानून को धमकी दी जा रही है कि हम जन सैलाब लेकर आ रहे हैं, हमें हाथ लगाया या फिर जेल भेजा तो हम चक्का जाम कर देंगे। देश में चक्का ही नहीं रहा तो जाम क्या करेंगे। इस सदन में सिर्फ राजनीतिक बातों को बोलकर एक साजिश की जाती है, हकीकत को कहने से लोग परहेज करते हैं।

सभापति जी, अब मैं व्यवस्था की तरफ आपका कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ बिंदुओं पर दोहरी नीति के चलते भी मेरी समझ से महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। पिछली सरकारों ने

चीनी का दोहरा मूल्य तय किया। एक तो पी. डी. एस. की दुकानों पर एक मूल्य और दूसरा फ्री सेल के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी का दूसरा मूल्य तय किया। इसी तरह केरोसीन आयल का भी दोहरा मूल्य निर्धारित किया गया। एक तो पी. डी. एस. की दुकानों पर सस्ता तेल बेचा गया और दूसरा खुले बाजार में महंगा तेल बेचा गया। इनके मूल्यों में बहुत अंतर है इसलिए दो मूल्यों के रहने के कारण कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। हम चाहेंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करें और जिन-जिन सामानों को दोहरा मूल्य पूर्व की सरकारों ने तय किया है, जिसके चलते कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है और महंगाई बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए मूल्य नियंत्रित किया जाए और एक मूल्य रखा जाए। जो सामान पी. डी. एस. के माध्यम से बिकता है, वही बाजार में ज्यादा कीमत पर बिकता है। आप इनको फ्री कर दें और दाम निर्धारित कर दें, महंगाई अपने आप रुक जाएगी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसका मतलब पी. डी. एस. खत्म कर दिया जाए?

श्री प्रभुनाथ सिंह : पी. डी. एस. में जो बिकता है और फ्री सेल में जो बिकता है, दोनों का मूल्य एक कर दीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : फिर तो गेंहू और चावल का भी करना पड़ेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं चीनी और केरोसीन आयल की बात कर रहा हूं। मैं पी. डी. एस. को खत्म करने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। जिनका दोहरा मूल्य है उनका मूल्य एक करके निर्धारित कर दें। अगर बाजार में खुला बिकवाया जाए तो मूल्य अपने-आप नियंत्रित हो जाएंगे। सरकार को परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम यह सुझाव दे रहे हैं।

महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। पी. डी. एस. की दुकानों के माध्यम से जो सामान बिक्री किए जाते हैं, उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता हैं, लेकिन राज्य सरकारें सही ढंग से सामानों का वितरण नहीं कर पाती हैं। राज्य सरकारें उन सामानों को वितरित करने में अक्षम होती हैं और उपभोक्ता को सही मूल्य पर सामान नहीं मिल पाता। इसके चलते वह सामान फ्रीसेल की दुकानों से कालाबाजार में बेच दिया जाता है। अगर इस पर नियंत्रण कर दिया जाए, तो जो गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। प्रांतों में लाल कार्ड के जरिए सामान दिया जा रहा है, लेकिन वह सामान गरीबों को नहीं मिलता है और कालाबाजार में बेचा जा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए अगर कोई कानून में प्रावधान करने की जरूरत है, तो उस दिशा में कदम उठाइए और निगरानी कराइए। जब सामान उपभोक्ता को नहीं मिल पाता तो उपभोक्ता में बैचेनी पैदा होती है और सरकार की नीयत पर शंका होने लगती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस स्थिति पर अंकुश लगाइए, जिससे निश्चित तौर पर जो मूल्य वृद्धि हो रही है, वह रुक सके।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति जी, नियम 193 के अधीन आवश्यक वस्तुओं की वृद्धि से संबंधित चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने मूल्य वृद्धि के बारे में बहुत सी बातें बताई और आंकड़े भी पेश किए हैं। मैं सदन में आपके माध्यम से खुले दिल से यह कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों, लेकिन मूल्य वृद्धि समय-समय पर बराबर होती रही है। यह बात सही है कि किसी शासनकाल में कम मूल्य वृद्धि हुई है और किसी से ज्यादा हुई है। मौसम की मार कहकर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में चाहे कमी रही हो या किसी दैवी आपदा के कारण फसलें नष्ट हुई हों, ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हुई हों, चाहे अनाज हो जो सब्जी हो या फल हो, लेकिन उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रही है। प्रदेशों में हम किसानों को कितनी सुविधायें दे पाते हैं, उन्हें उन्नतशील बीज, खाद, पानी और बिजली कितनी मुहैया करा पाते हैं, इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि सभी दलों के लोगों को एक साथ बैठकर सोचना चाहिए कि मूल्य वृद्धि कहां से आई है और क्यों हुई है। इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरे विचार से एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। माननीय मंत्री की सदन में बैठे हुए हैं, मैं उनके विभाग से संबंधित एक बात कहना चाहता हूं। हम देहात और शहर की जनता के बीच भेदभाव बराबर बरतते रहे हैं। उनमें सभी वर्गों के लोगों को, चाहे मजदूर हो या किसान हो, हम एक कार्ड पर दो किलो गेंहू देते हैं, भले ही उनके परिवार में चार-पांच व्यक्ति हों। उसी तरह शहर में भी हम प्रति यूनिट दो किलो अनाज उपलब्ध कराते हैं लेकिन देहात में आवश्यक वस्तुयें नहीं पहुंच पाती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मैं इसे पहले भी सदन में उठा चुका हूं, इसलिए मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं का वितरण हमें सही रखना है और आवश्यक उपभोक्ता अधिनियम का कड़ाई से पालना करना है, ताकि आवश्यक वस्तुयें लोगों को सही मूल्य पर मिल सकें, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, बजट प्रस्तुत करते ही मूल्यों में जबर्दस्त वृद्धि आई है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है। इस समय केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं जानता हूं कि चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो, उसकी एक मजबूरी होती है। उससे एक वर्ग जुड़ा होता है जिससे वह प्रभावित होती है। सरकार ने 8 प्रतिशत शुल्क लगा कर पैकेट बंद चाय, बांड युक्त मक्खन, पनीर, घी या बांड युक्त मसालों के दाम महंगे किए हैं, यह अच्छी बात नहीं हुई है। अगर दाम बढ़ाने थे तो थोड़े बहुत बढ़ाते, लेकिन इनके दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। महंगाई .

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

की वजह से, सांप्रदायिक तनाव से हमारी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इससे हम कही भी अपने को अछूता नहीं पाते हैं, आज देश के सामने यह समस्या है।

महोदय, आज बिजली, पानी, सफाई, परिवहन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं मुहैया कराने में केन्द्र सरकार और प्रदेशों की सरकारें बिल्कुल असफल रही हैं। मान्यवर, एक ऐसा दौर चला है कि जब हम हर समस्या के लिए बहाना बना देते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है जिससे हमें आर्थिक तौर पर वे सुविधाएं नहीं मिल पातीं, हम वे चीजें मुहैया नहीं करा पाते, इसलिए भी मूल्यों में वृद्धि होती है। इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस बात को और आगे नहीं टालना चाहिए। रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुएं आटा, चावल, आलू, प्याज, सब्जी, तेल, घी आदि के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसे सम्मानित सदस्यों ने बड़े विस्तार से सदन के सम्मुख रखा है। गरीबों की मिठाई गुड़ चीनी के भाव पर मिल रहा है। अगर गुड़ और चीनी में अंतर न रहा तो रोजमर्रा की जिन्दगी में जो हमारे गरीब किसान मजदूर हैं उनका हम कैसे भरण-भोषण कर सकते हैं। मोटे अनाज के भाव भी बढ़ रहे हैं, मोटे अनाज को गरीब आदमी ही खाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में राशन की दुकानों पर अनाज उपलब्ध नहीं है। जब अनाज उपलब्ध नहीं होता तो गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल पाता और उसे दूसरी चीजें खानी पड़ती हैं। इस प्रकार की तमाम दिक्कतें हैं।

महोदय, हमारे बहुत से गरीब ऐसे हैं जो सब्जी और रोटी के सहारे अपना जीवनयापन करते हैं, लेकिन अब सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस ओर भी हम विशेष ध्यान दें। बढ़ती कीमतों से गरीब व्यक्ति को जीवनयापन करना दूभर हो गया है। थोक बाजार में हरी सब्जियों का न मिलना बहुत चिंता का विषय है जो खुदरा दुकानदार हैं वे थोक दुकानदारों से सहमत नहीं हैं, एक-दूसरे में विरोधाभास है। खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं, इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना है। रोजमर्रा की जिन्दगी में खाद्य तेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उस ओर भी विशेष ध्यान देना है।

महोदय, अभी लालू जी ने कहा कि जिस नींबू और खीरे का हम सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनके भी दाम बढ़े हैं। सरकार ने मदर डेरी की योजना चलाई है। जिससे आसान दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें लेकिन वहां भी दाम बढ़े हैं, इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इलाहाबाद से चुनकर आया हूं जहां फल के उत्पादन के मामले में अमरूद प्रमुख है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है वहां एक सूखा अमरूद होता है, जिसका अत्यधिक उत्पादन होता है। वह गुणों में सेब से कम नहीं होता। वह देखने में बहुत खूबसूरत होता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद में खाद्य संस्करण संस्थान या रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर स्थापित करें ताकि उस अमरूद उत्पादन का वहां अध्ययन किया जा सके। उसके उत्पादन को बढ़ाकर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे देश को अच्छा लाभ मिल सकेगा और हम एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में भी आगे बढ़ सकेंगे।

किसान मुख्यत: फलों, सब्जियों, दालों और दूसरी फसलों पर निर्भर करता है जिनका वह उत्पादन करता है। इनके बारे में हमें सोचना होगा। दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना होगा कि पंजाब और आंध्र प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या क्यों की? हम उन्हें ऋण तथा कृषि में काम आने वाली चीजें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएं, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। कृषि मंत्रालय ने कृषि भवन में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, यह एक अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव दूंगा कि ऐसा कक्ष दिल्ली में खोलने से ही मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा बल्कि राज्य और जिला स्तरों पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए और ऐसे नियंत्रण कक्ष हर राज्य में स्थापित होने चाहिए। साथ ही साथ वस्तुओं के भाव सब जगह एक से होने चाहिए। दिल्ली में एक ही वस्तु तीन भावों में तीन जगह बेची जाती है। चाहे फल हो या सब्जी हो एक ही जगह पर उसका मूल्य निर्धारित न हो। एक राज्य में, एक जिले में उसका मूल्य निर्धारित किया जाए।

मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि कालाबाजारियों, जमाखोरों पर सरकार का सख्ती से नियंत्रण होना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आज हालत यह है कि हमारे पूरे के पूरे बाजार को आढ़तिये ही नियंत्रित करते हैं चाहे जमाखोरी की बात हो, कालाबाजारी की बात हो या मूल्य वृद्धि की बात हो, आढ़तियों का इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए खासतौर से आढ़तियों पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उनपर वे उचित ध्यान दें और मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, मंहगाई से देश की जनता पीड़ित है, परेशान है और सदन में इस महंगाई पर चर्चा हो रही है। बसुदेव आचार्य ने नियम 193 के तहत यह चर्चा इस सदन के अंदर शुरू की और बाद में विपक्ष की ओर से श्रीमती सूर्यकांता पाटील जी का भाषण हुआ। उन्होंने बहुत जोशीला भाषण महंगाई पर वहां किया। विपक्ष में बैठने के कारण उनका भाषण बहुत जोशीला हुआ। उन्हें जनता को विपक्ष में बैठाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं 11वीं लोक सभा का सदस्य था और 12वीं लोक सभा का भी सदस्य हूं और हर बार लोक सभा में महंगाई पर चर्चा होती है। जब 11वीं लोक सभा में मंहगाई पर चर्चा हुई तब मैं विपक्ष में था और इसी महंगाई पर उस समय भी मैंने अपने विचार प्रकट किये थे। आज मैं सत्ता पक्ष में हूं और महंगाई पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सदन में जब महंगाई पर चर्चा होती है तो सरकार और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं और महंगाई का राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश होती है। सूर्यकांता पाटील जी ने यहां पर बड़ा जोशीला भाषण किया लेकिन अब वह पूरा एरिया खाली पड़ा

हुआ है और हमारे सुलतानपुरी जी ही यहां पर बैठे हुए हैं। राजनीतिक लाभ उठाने के अलावा और चर्चा करने के अलावा कोई ठोस सुझाव महंगाई को रोकने के लिए नहीं दिए जाते। आज महंगाई से आम आदमी परेशान है। मंहगाई की मार सभी को सहन करनी पड़ती है। हर महीनें की पहली तारीख को मेरा और मेरी बीबी का झगड़ा होता है। हमारा हर महीने बजट फेल हो जाता है। हमें भी महंगाई की मार सहन करनी पड़ती है। जब एक तारीख आती है तो मेरे सामने लिस्ट आ जाती है। जो दाम पिछले महीने होते हैं, उन सभी के दाम अगले महीने बढ़ होते हैं। ऐसे में हर महिला के घर का बजट बिगड़ जाता है। जब घर का बजट बिगड़ जाता है तो घर की शांति भी खत्म हो जाती है। हर आदमी पर इस महंगाई की मार पड़ रही है। इस महंगाई को कैसे रोकें, यह हमें सोचना चाहिए। हमें इस बारे में कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हम महंगाई को रोकने में कामयाब हो सकें।

मैं महाराष्ट्र से आता हूं। वहां शिव सेना और भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि जीवन की पांच आवश्यक वस्तुओं के दाम स्थिर रहेंगे। वे पांच वस्तुएं गेहूं, चावल, शक्कर, तेल और अरहर या चने की दाल थी। वह घोषणा अमल में लाई जा रही है। आज भी उनकी दरें कायम हैं। यह बात सही है कि वे चीजें पी. डी. एस. की दुकानों में सही समय पर नहीं मिलतीं। सरकार को हर साल 240 करोड़ रुपए का बोझ सहन करना पड़ता है। इनकी पांच साल के लिये दरें स्थिर की गई हैं।

मुझे याद है जब यहां विश्वास मत का प्रस्ताव आया तो प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारी सरकार पीने के पानी को प्राथमिकता देगी और कोशिश करेगी कि पांच साल में देश के हर गांव और हल्के में लोगों को पीने का पानी मिले। जिस तरह पीने का पानी को प्राथमिकता दी गई है, उसी तरह महंगाई को रोकने के बारे में प्राथमिकता दी जाए। आज महंगाई दिनोदिन बढ़ती जा रही है। सरकार चाहे किसी की हो, इस महंगाई को रोकना आज आसान नहीं है। यह सरकार के हाथ से बाहर हो गई है और चाहे केन्द्र में या राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो। हम इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और टीका-टिप्पणी करते हैं। मंहगाई का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इस कारण हम महंगाई को रोक नहीं पाते। सत्ता और विपक्ष को एक होकर महंगाई के खिलाफ लड़ना होगा और इसका कोई उपाय निकालना होगा। जब राज्य सरकारें जनता को सुविधा देने की कोशिश करती हैं तो केन्द्र को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार सहयोग नहीं देगी तो राज्य सरकार अपने काम में कामयाब नहीं होंगी। जब राज्य सरकार कोई सहूलियत देने की घोषणा करती है तो केन्द्र को अवश्य सहयोग देना चाहिए।

हमें कुछ आवश्यक वस्तुओं के भाव निश्चित करने चाहिये कि सामान्य आदमी क्या चाहता है? सामान्य आदमी फल नहीं खाता। सामान्य मजदूर सूखी रोटी, दाल और चावल खाता है। यदि उसकी हैसियत है तो सब्जी अन्यथा प्याज के साथ अपना गुजारा चला लेता है। सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि गरीब आदमी को जीने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता है, उनके दाम स्थिर हों। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि इस देश के हर नागरिक को कम से कम दो वक्त का खाना मिल सके, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला हो, उसे खाना मिलना चाहिये। गरीब आदमी सलाद नहीं खाता। वैसे सब्जियों के दाम हर साल सीजन के मुताबिक बढ़ते हैं। सरकार को ऐसा करने चाहिये कि जो किसान सब्जी पैदा करता है, उसे उसका उचित मूल्य मिल जाए। आज टमाटर 40 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन किसान को 4 रुपये किलो भी नहीं मिलता है। सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि कम से कम 4 रुपये किलों के स्थान पर उसे 8 रुपये या 12 रुपये के दाम तो मिलने चाहिये। इसके अलावा किसान अनाज, फल पैदा करता है, इनका मूल्य भी उसे नहीं मिलता लेकिन बाजार में उनके भाव बढ़ जाते हैं। हमें इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिये। इसके लिये आपको राज्य सरकारों से सहयोग लेना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को भी सतर्क रहना चाहिये। जो बीच के दलाल हैं, वे कृत्रिम कमी पैदा कर सकते हैं। सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिये कि कृत्रिम अभाव पैदा न होने दे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ तो हर नागरिक ने सोचा था कि अब उसे दो वक्त का खाना मिल जायेगा लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती चल गई। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पक्ष और विपक्ष सबको राजनीति से ऊपर उठकर महंगाई रोकने में सही कदम उठाना चाहिये और सरकार को सही दिशा प्रदान करना चाहिये।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय मैं विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का ब्यौरा नहीं दूंगी क्योंकि इस संबंध में अन्य माननीय सदस्य विस्तार से बता चुके हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहती हूं। मूल्यों में कभी भी इतना अधिक उछाल नहीं आया था जितना इतने कम समय में आया है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में लोगों के मन में इसी बात को रोष पैदा हो रहा है।

इसके मुख्य कारण क्या हैं? इस तथ्य के बावजूद कि खराब मौसम के कारण उत्पादन में कुछ हानि हुई है, सरकार की कुछ नीतियां भी इस प्रकार की मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार हैं और यह मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ ही रही है। मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ रही है। इकोनोमिक टाइम्स में कहा गया है कि मुद्रा स्फीति दो अंको से अधिक बढ़ गई है और 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है; 14 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुद्रा स्फीति इतनी अधिक हो गई है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

सभी गणनाओं के अनुसार मुद्रा स्फीति अधिक ही हो रही है। इसके अलावा भारी वित्तीय घाटा भी हुआ है और प्रत्यक्ष कर आधार में विस्तार के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। यह अन्य रास्ता है। विस्तृत प्रत्यक्ष कर आधार का अर्थ है कि अधिक मूल्य वृद्धि होगी। विशेषकर गरीब किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। काला बाजारी रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा गलत बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब मूल्य इस दर से बढ़ रहे थे ऐसे में मूल्यों में वृद्धि को कम करने के लिए उपायो के बजाय नाभिकीय विस्फोट को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार निरंतर और चिंताजनक रूप से मूल्यों में वृद्धि के ये कुछ मुख्य कारण हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। पहला सुझाव यह है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कमी करने को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा वस्तुओं की बढ़ रही कीमतों के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ेगी और प्रगति रुक जाएगी। यह प्राथमिकता न केवल खाद्य उत्पादन विभाग द्वारा बल्कि सभी सरकारी विभागों, जो ऐसा कर सकते हैं, द्वारा दी जानी चाहिए। इस संबंध में पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। इसके बाद आप खाद्य उत्पादों सहित ब्रांडेड खाद्य उत्पादों तथा चाय इत्यादि जैसे अन्य खाद्य उत्पादों पर लगाया गया उत्पाद शुल्क या तो समाप्त करें या इसे कम कर दें। इसे प्राथमिकता देते हुए वित्त विधेयक की पुन: जांच की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए आणविक अनुसंधान के लिए इतना अधिक धन क्यों आबंटित किया गया था? उस राशि का एक बड़ा भाग तुरंत ही खाद्य सब्सिडी के लिए क्यों नहीं लगाया जाता जिससे मूल्य कुछ हद तक कम किए जा सकें?

सभापति महोदय : आपको पाकिस्तान से मिलने वाली धमकी की कोई चिंता नहीं है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप इस बारे में काफी कुद कर चुके हैं। इसके अलावा आपने स्वयं ही स्थगन की घोषणा की है। आप यही कहते रहे हैं। फिर भी यह परीक्षण किए गए हैं। यदि यह स्थिति होगी तो किस मद को प्राथमिकता दी जाएगी? आणविक अनुसंधान को या मूल्यों में कमी को? आप गंभीरता से सोच सकते हैं।

सभापति महोदय : अगर राष्ट्र को धमकी मिलती है तो गरीब किसान भी दुख पाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : फिर सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि उन्होंने परीक्षण के लिए स्थगन की घोषणा की है? आप दोनों ही रास्ते नहीं अपना सकते। वे परस्पर-विरोधाभास वाली बातें हैं। मैं यहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति से कम देशभक्त नहीं हूं। मुझे यहां यह स्पष्ट करने दें। 1939 में काफी छोटी उम्र में मैं राजनीति में आयी थी। मैं उच्च मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित हूं परंतु मैं गांवों में वहां के लोगों के साथ रही। मैंने कई हफ्ते बिना कुछ खाए गुजारे हैं। मुझे देश भक्ति सिखाने की जरूरत नहीं। मुझे खेद है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

सभापति महोदय : मैं देशभक्ति नहीं सिखा रहा हूं। मैं वास्तविकता बयान कर रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां, अगर वास्तविकता यही है कि हम सभी आणविक हथियारों की होड़ में लग जाएंगे तो जरा सोचिए हम अपने आपको कहां पाएंगे?

सायं 7.00 बजे

मैं नहीं समझती कि इसकी उच्च प्राथमिकता हो सकती है। राशनिंग प्रणाली को हर जगह मजबूत बनाया जाए और बिना विलंब उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही जहां भी को-आपरेटिव स्टोर और सुपर बाजार हों वहां उनके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए।

इसके अलावा, सभी बड़े शहरों और गांवों में जमाखोरी रोकने संबंधी अभियान तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। गांवों में भी वस्तुओं की जमाखोरी होती है इसे सर्वदलीय नागरिक समितियों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। अकेली सरकार तब तक जमाखोरी दूर नहीं कर सकेगी जब तक वह सभी दलों और उस क्षेत्रों के सभी लोगों को इस कार्य के लिए गंभीरता से प्रेरित नहीं करती। इसीलिए नागरिकों की समिति का प्रश्न उठता है।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में केन्द्र से दूर वाले राज्यों और क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मणिपुर को ही लें। मैंने अपने एक सहयोगी से सुना था कि वहां न केवल जीवन रक्षक दवाइयों की कमी है बल्कि उपलब्ध ही नहीं हैं। इसलिए कुछ सुदूर क्षेत्रों में, कई कारणों से आपूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इससे वहां मूल्य बढ़ जाते हैं। इसलिए उड़ीसा के एक भाग की तरह ही उन क्षेत्रों की ओर जो काफी दूर हैं और किसी न किसी कारण काफी निर्धन है, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्र होंगे। इसलिए इन क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसे कि सभी ने कहा है इस खास बात पर चर्चा करने के लिए तत्काल अंतर-राज्य विकास समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है जिससे ऐसी बातों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में आपसी सहयोग बढ़ सकता है। इस संबंध में, मैं पश्चिम बंगाल के संबंध में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। दुर्भाग्यवश कुछ समय पहले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चीनी और चावल के भंडार होने के बावजूद राशन की दुकानों में चीनी नहीं भेजी गई थी। चावल को भी रोक लिया गया था। यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में यह वस्तुएं उपलब्ध थीं। परंतु ये चीजें नहीं भेजी गई। इस तरह की बातें तुरंत रोकी जानी चाहिए।

मैं एक और बात कहना चाहूंगी। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग की मांग की थी। निदेशालय को किसी न किसी तरह यह पता था कि कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में जमा की गई वस्तुएं कहा रखी गई हैं। यह स्वाभाविक है कि हमारी सरकार सभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग मांगा है।

यह काम प्रर्वतन निदेशालय द्वारा हमारी राज्य सरकार के साथ मिलकर करना था। परंतु दुर्भाग्यवश, प्रवर्तन निदेशालय ने सहयोग नहीं दिया। मैं कारण नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि वे ऐसा करने से विमुख क्यों थे? इसमें जरूर कोई बात होगी। इसीलिए, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी बातों के लिए जिम्मेवार लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि अब लोग मूल्य वृद्धि से बुरी तरह तंग आ चुके हैं और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए तुरंत प्रयास किए जाने चाहिए।

श्री एच. पी. सिंह (आरा) : सभापति महोदय, पहले फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के गोडाउन होते थे उनमें चीनी, गेहूं और चावल आदि सभी सामान रहता था, लेकिन सस्ता और अच्छा राशन दिलाने के लिए जबसे सरकार ने खाद्य निगम बनाया है, तबसे इसका बहुत बंटधार हो गया है और व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। वैस्ट बंगाल में इस काम को एजेंट कर रहे है। एजेंट का ही गोदाम होता है, एजेंट की ही दुकान होती है, एजेंट की ही गाड़ी होती है और एजेंट ही चलाने वाला होता है जबकि सारे हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता है। हमारे भूतपूर्व फूड मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उनसे जानकारी ली जा सकती है, उनके ऊपर दबाव डाला गया था सारी सप्लाई का काम, फूड कार्पोरेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए। लेकिन अलग करके, उसको चलाने के लिए 228 करोड़ रुपया दे दिया गया.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इन चीजों के बारे में अवश्य कहेंगे। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या आपको सरकार की ओर से उत्तर देने का कार्य सौंपा गया है?.....(*व्यवधान*) आप इस प्रकार कहने वाले कौन हैं? क्या आपको यह कार्य सौंपा गया है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : मूल्य वृद्धि संबंधी इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किये जाने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, यह चर्चा देश की स्थिति और सब्जियों और फलों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के बारे में जनता की चिंता को प्रबलता से प्रतिबिम्बित करती है। इस माननीय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने इसके बारे में समान रूप से चिंता व्यक्त की है और इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान जब से इस सरकार ने पदभार ग्रहण किया है, तब से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

सायं 7.04 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, जब यह मामला पहले ही दिन इस माननीय सदन में उठाया गया तो मैंने बताया था कि इस सदन में चर्चा कराने के लिए अनुमति देना ही सरकार के लिए पर्याप्त नहीं है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को विशेषकर इस सम्माननीय सदन के सदस्यों और सामान्य रूप से इस देश को विश्वास में लेना चाहिए कि सरकार अपने कर्तव्य का पालन करेगी और मूल्यों को नीचे लाने का प्रयास करेगी। सरकार तभी मूल्यों को नीचे ला सकेगी जब वह उन ताकतों और कारणों, जो इस मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लेगी।

महोदय, जब समाचार पत्रों ने मूल्यों में वृद्धि के बारे में लिखना आरंभ किया और इस सदन में इस मामले के बारे में बताया गया तो मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को पुन: एकबार पढ़ने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए करने को कहा गया था क्योंकि तब किसी के मन में अचानक यह विचार आया था कि हो सकता है सरकार द्वारा कुछ किया गया हो अथवा कुछ नई नीतियों की घोषणा की गई हो अथवा कुछ नए प्रस्ताव किए गए हों। जिससे मूल्यों में वृद्धि हुई हो। लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया है। जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई हो। यदि कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था, यदि किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई थी तो ऐसा क्यों हुआ? आश्चर्य जनक तथ्य यह है कि इस सत्र के आरंभ में इस सदन में देश के विभिन्न भागों में किसानों जिन्होंने अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्राप्त न होने के कारण आत्महत्या कर ली थी, की दुर्दशा के बारे में चर्चा की गई थी। एक तरफ तो हम जानते हैं कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है चूंकि उन्हें अपने माल का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है और दूसरी ओर, हमें अब बताया जा रहा है और हम इसे स्वयं देख भी रहे हैं कि उपभोक्ता भी कुछ कठोर कदम उठाने की सीमा तक पहुंच गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वह भी वही कदम उठायेंगे जो किसानों ने उठाए हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उपभोक्ता को वस्तुएं उचित मूल्य पर नहीं मिल रही हैं। फिर, सारे लाभ को बीच में कौन हड़प कर रहा है? मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त हो रहे धन को कौन ले जा रहा है?

मैं पहले भी कह चुका हूं कि मूलत: सरकार की नीतियों में मुझे कोई खामी नजर नहीं आती है। मुझे वित्त मंत्री जी के भाषण में कोई ऐसा प्रस्ताव नजर नहीं आया जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो। तो इसके

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

लिए कौन जिम्मेदार हैं? मैं सत्तापक्ष को दोष नहीं देना चाहता, विशेषकर जब इस मंत्रालय का नेतृत्व श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी कर रहे हैं जो स्वयं कृषक हैं। वह उस राज्य से आते हैं जो देश का प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन, महोदय मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस सरकार की छवि बिचौलियों-मित्र की है। इस सरकर की छवि जमाखोर-मित्र और व्यापारियों के मित्र की है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने किसी नीति की घोषणा नहीं की है जिससे इस मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन मिला हो। लेकिन व्यापारियों, जमाखोरों और बिचौलियों को पता है कि इस देश की सरकार का रवैया उनके प्रति मित्रतापूर्ण है। इसीलिए वे ही लोग देश पर आज राज कर रहे हैं। निःसंदेह मंत्री जी को, जो इस मंत्रालय के प्रभारी हैं, यह पता नहीं होगा - मैं नहीं कह रहा हूं कि वह यह नहीं जानते हों। वह स्वयं किसी भी चीज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। वह स्वयं किसान हैं। उन्हें किसान विरोधी और उपभोक्ता विरोधी बातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन मैं कुल मिलाकर सरकार की छवि की बात कर रहा हूं।

मैंने माननीय सदस्यों, विशेषकर सरकार के सहयोगी दलों के सदस्यों के भाषण सुने हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि सदस्यों ने खुलकर बोलने का साहस किया है। उनकी अन्तरात्मा उन्हें झकझोरती है लेकिन उनके पास पर्याप्त विवेक शक्ति न होने के कारण वे सरकार को मजबूर नहीं कर पाते कि वह बिचौलियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय सदस्य श्रीमती पाटील ने माननीय प्रधान मंत्री की कविताओं में से एक कविता का जिक्र किया था कोई भी श्री वाजपेयी की केवल एक ही कविता का वर्णन क्यों करे? मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के सभी भाषण.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद, मूल्य वृद्धि का क्या हुआ? आपने तो मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मूल्य वृद्धि पर बोलते हुए ही कहा गया था। यदि आप चाहते हैं तो मैं आरंभ में माननीय सदस्यों द्वारा उद्धृत आंकड़ों को दोहराना शुरू कर सकता हूं। मूलरूप से, महोदय, प्रश्न यह है कि इस मूल्य वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है?

जहां तक मूल्यों में वृद्धि का संबंध है तो यह जीवन की वास्तविकता है। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहने का प्रयास किया कि चूंकि पिछले वर्ष किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिला था। इसलिए उत्पादन में गिरावट आई है। लेकिन मेरे पास एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार है जो सरकारी रिपोर्ट पर आधारित है। यह आंकड़े दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एकत्र किये गए थे जिसमें बताया गया है कि मूल्यों में 200 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि आपूर्ति में कमी लगभग 17 प्रतिशत की हुई है। इसलिए इसके बचाव में कही जा रही बात यथार्थ पर आधारित नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें उन ताकतों की पहचान करने में समर्थ होना चाहिए जो इस मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी नीतियों की घोषणा की है अथवा ऐसे प्रस्तावों को तैयार किया है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं तो यह कर रहा हूं कि मूल कारण उसकी छवि ही है। वे अपनी छवि के बारे में संदेह दूर नही कर सकते हैं। उनकी छवि बिचौलियों के मित्र; जमाखोरों के मित्र और लाभ कमाने वालों के मित्र की है। यही कारण है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि माननीय सदस्या श्रीमती पाटील द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी की कविताओं में से एक कविता के बारे में कहा गया था। मै कहता हूं कि केवल एक ही कविता क्यों? यदि कोई उनके सभी भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़े तो कोई भी दुख के साथ कह सकता है कि ये भाषण इस दृढ़ निश्चय के साथ दिये गए थे कि उन्हें कभी भी सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जायेगा और उन्हें वह सब नहीं देना पड़ेगा जिसका वह वायदा कर रहे हैं। यही कारण है कि वे आकाश तक देने का वायदा कर रहे थे। वे स्वर्ग देने का वायदा कर रहे थे, लेकिन अब जब वे इस उत्तरदायी पद पर आसीन हो गए हैं तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ है। सत्ता पक्ष की ओर से यह दलील दी जा रही है कि मूल्य नियंत्रित न करने के कारणों में से एक कारण यह है कि हर कोई इस मूल्य वृद्धि का राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यदि वे अपनी बिचौलियों की मित्र वाली छवि को छोड़ दें, यदि वे जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करें, यदि वे लाभ कमाने वालो के खिलाफ कार्यवाही करें, तो कोई कारण नहीं कि मूल्यों में गिरावट न आए। और यदि मूल्यों में गिरावट आएगी तो कोई भी उसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं करेगा। इस देश के आम लोगों द्वारा लाभ उठाया जाएगा। आम आदमी उनसे कम से कम यही अपेक्षा करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के बारे में टिप्पणी करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं - "बहुत हो चुका है। आपने पिछले तीन महीने में मूल्यों में वृद्धि होने दी। अब भगवान के लिए कार्यवाही करें और मूल्यों को नीचे लायें। उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें जो इस मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार हैं। अन्यथा इस मूल्य वृद्धि के शिकार लोगों के पास केवल यह कहने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा कि वे मूल्य वृद्धि के शिकार हैं और मूल्य वृद्धि का कारण आप ही हैं।"

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि संबंधी चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? यह आपूर्ति और मांग के बीच बड़े अंतराल के कारण हो सकती है, यह उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हो सकती है अथवा

यह अनियंत्रित वित्तीय घाटे के कारण मुद्रा स्फीति में हुई वृद्धि के कारण परिणामस्वरूप भी हो सकती है। मैं जल्दी से आवश्यक वस्तुओं के प्रति किलो मूल्यों को बताता हूं। यह इस प्रकार है: आलू 15 रुपये किलो प्याज 14 रुपये किलो, हरी मिर्च 40 रुपये, टमाटर 40 रुपये, निम्न दर्जे का चावल 17 रुपये, जींगली तेल 75 रुपये, तुगार दाल 35 रुपये। कोई भी हरी सब्जी ले लीजिए। उसके मूल्य 18 से 25 रुपये प्रति किलो के बीच है। चाय का मूल्य 75 रुपये प्रति किलो, काफी का मूल्य 200 रुपये प्रति किलो है। ....(*व्यवधान*)

श्री सी. गोपालन (अर्कोनम) : क्या ये मूल्य तमिलनाडु के है या दिल्ली के हैं?

श्री टी. आर. बालू : मैं पूरे देश भर के मूल्यों का वर्णन कर रहा हूं।

जब आप मई, 1997 से तुलना करते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चावल के मूल्यों में 7 प्रतिशत, गुड़ में 9 प्रतिशत, वनस्पति में 25 प्रतिशत, मूंगफली तेल में 10 प्रतिशत, सरसों के तेल में 28 प्रतिशत, सोयाबीन तेल में 30 प्रतिशत, काली मिर्च में 75 प्रतिशत, लाल मिर्च में 53 प्रतिशत, हल्दी में 20 प्रतिशत, धनिया में 9 प्रतिशत और सोंठ में 28.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मेरा विचार है कि खाद्य पदार्थों, सब्जियों, खाद्य तेलों, फलों और दालों के मूल्य आकाश को छू रहे हैं। लेकिन सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठा रही है। बजट में सरकार ने मुद्रास्फीति की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जबकि आर्थिक सर्वेक्षण ने काफी पहले ही मुद्रास्फीति के बारे में चेतावनी दे दी थी। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा यह चेतावनी मिल गई है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादन में हुई दो प्रतिशत कमी के कारण खाद्य तेलों, खाद्यानों की सम्भावित कमी से बचने के लिए आपूर्ति प्रबंध में विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। सरकार प्रतिदिन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य कर रही है। वर्तमान में, भा.ज.पा. सरकार का ध्यान उसके सहयोगी दलों की ओर है, अपने सहयोगी दलों की चापलूसी करने और उनसे समझौता करने तथा वार्तालाप करने की ओर है। सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य दैनिक गतिविधियों के आधार पर चल रहे हैं। वर्तमान स्थिति में मुझे हैरानी नहीं होगी यदि अपने सहयोगी दलों से समझौता करने और उनकी चापलूसी करने के लिए एक मंत्री नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए केवल एक आवश्यकता अथवा पूर्व अपेक्षित योग्यता पर होनी चाहिए कि जिस मंत्री की नियुक्ति की जाए वह केवल अपने मतलब की बात ही याद न रखे बल्कि सभी को साथ लेकर चले।

अमेरिका और जापान द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के फलस्वरूप सरकार ने मुद्रा स्फीति के बारे में कोई उपाय नहीं किए हैं। इस बजट में 91,000 करोड़ के वित्तीय घाटे की बात की गई थी। सरकार ने यूरिया के मूल्य में वृद्धि वापस ले ली है जिसका हम स्वागत करते हैं। सरकार ने शुल्क में चार प्रतिशत की कटौती की है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन, इसके साथ ही सरकार 6.5 प्रतिशत मुद्रा-स्फीति की उम्मीद करती है। यहां, मैं सहमत नहीं हूं। प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के अनुसार 9 प्रतिशत तक मुद्रास्फीति होने की संभावना है। लेकिन विपक्ष का यह अनुमान है और मेरा भी यही अनुमान है कि मुद्रास्फीति का प्रतिशत दहाई के अंक में होगा। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति का ध्यान रखा गया। मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत से अधिक नहीं थी। यदि आप संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के रिकार्डों की जाँच करे तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 वर्षों 1992 से 1997 की तुलना में मुद्रास्फीति बहुत कम थी।

बजट के हिसाब की गणना करते हुए आपने देखा होगा कि डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य 36 रु. था। अब, डॉलर में रुपये का क्या मूल्य है? यह 43 रु. है। वित्त मंत्री ने 75000 करोड़ रु. ऋण का अनुमान लगाया है। अब वर्तमान मूल्य 43 रु. प्रति डॉलर के हिसाब से यह राशि बढ़ कर 87000 करोड़ रु. हो जाएगी। 12000 करोड़ रु. के ऋण भुगतान का बढ़ता हुआ दबाव है। मैं कहूंगा कि एफ. सी. एन. आर. खाता जमा के अंतर्गत उनको यह धनराशि अवधि पूरी होने पर वापस करनी होगी। यदि आप डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य लें तो आप देखेंगे कि संसाधनों की काफी कमी है। इन सब बातों को देखते हुए, मुद्रास्फीति में निश्चय ही वृद्धि होगी। यह न तो 6.5 प्रतिशत होगी और न ही 9 प्रतिशत, यह दहाई के अंक में होगी।

उत्पादन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि उत्पादन कम है। हमारे कृषक सही अनुपात में उर्वरक के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। कृषकों को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट का एक खास प्रतिशत इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हमारे कृषक इन फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटेशियम को सही अनुपात में इस्तेमाल करने के स्तर पर प्रशिक्षित नहीं हैं। कृषकों को सही अनुपात में उर्वरक के इस्तेमाल के लिए सही तरीके से सूचित किया जाना चाहिए।

सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में फसल बीमा का आरम्भ किया है लेकिन इसके साथ ही चावल, गेहूं, ज्वार, तिलहन इत्यादि का बीमा करने पर प्रतिबंध है और यह सभी वस्तुओं के लिए नहीं है। यह केवल ऋण की राशि को ही पूरा करता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के लिए यह नहीं है। यह कीड़े-मकोड़ों से हुए नुकसान के लिए भी नहीं है। अपने कृषकों को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे रसायन का इस्तेमाल सही अनुपात में कर सकें।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं कुछ सुझाव

[श्री टी. आर. बालू]

देना चाहूंगा। खाद्य वस्तुओं का आपूर्ति प्रबंध आवश्यक है। शुल्कों में अत्यधिक वृद्धि को पुन: निर्धारण किया जाना चाहिए। और इन्हें कम करना चाहिए। कम से कम 10,000 करोड़ रु. तक राजस्व व्यय को कम करना चाहिए। फिलहाल आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना चाहिए। कृषकों को उर्वरकों का प्रयोग उचित अनुपात में करने की सलाह देनी चाहिए तथा 67 प्रतिशत बंजर भूति को सिंचित किया जाना चाहिए।

अन्तत:, मेरी प्रिय बहन डा. सरोजा ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि वे गन्ना उत्पादकों को प्रति टन एक हजार रु. का भुगतान करें। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जबकि हमारे नेता डा. कालैगनार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार 1000 रु. प्रति टन गन्ने का मूल्य दिया जाएगा और तमिलनाडु सरकार और पांच वर्ष अर्थात् 2001 तक सत्ता में रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अन्नाद्रमुक, जो कि दैनिक आधार पर भा.ज.पा. सरकार को समर्थन दे रही है, वह इस सरकार को हमेशा समर्थन नहीं देगी........ ..(*व्यवधान*) मैं भा.ज.पा. सरकार को अन्नाद्रमुक से सावधान करता हूं कि वे किसी भी समय अपना समर्थन वापस ले सकते हैं......(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री विक्रम देव केशरी बोलेंगे।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री देव के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ नहीं शामिल किया जाएगा।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री विक्रम देव केशरी (कालाहांडी) : महोदय, आरम्भ में, मैं आपको इस प्रस्ताव को नियम 193 के अन्तर्गत स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया क्योंकि यह प्रस्ताव आज देश के समक्ष विद्यमान ज्वलन्त समस्या पर, चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस देश के लोग इस चर्चा की सराहना करेंगे चूंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भा.ज.पा. सरकार भी इस चर्चा के लिए सहमत हुई है।

यह देखा गया है कि इस सरकार ने मूल्य-वृद्धि की समस्या का संजीदगी और गंभीरता को समझा है। इसलिए, हम अभी भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें उन कारणों के बारे में जानना है कि यह मूल्य-वृद्धि क्यों हुई है। यदि आप गहराई में जायें तो आप देखेंगे कि मूल्य वृद्धि केवल आज उठाया गया मामला नहीं है। यह काफी समय से चला आ रहा मामला है। यह देखा गया है कि फिलहाल मूल्य वृद्धि हुई है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्णत: विफलता मिली है।

आप देखेंगे कि इस वर्ष कृषकों पर प्रकृति का प्रकोप रहा जिससे फसल की हानि हुई है, धान की हानि हुई है, सब्जियों की फसल की हानि हुई है, और बागवानों की हानि हुई है। महोदय, आप देखेंगे कि इस वर्ष आम की फसल नहीं हुई है।

इस वर्ष, आलू की फसल नहीं हुई । यह लोगों की एक आम सब्जी है। इसलिए, एक दूरगामी कृषि नीति बनानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5.8 प्रतिशत बजट प्रावधान उपलब्ध करवाया है। इससे यह स्पष्ट है कि यह सरकार कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजनाएं लागू करने के बारे में गम्भीर है जिससे कि किसानों व ग्रामीणों की पिछड़ी तथा कमजोर आर्थिक स्थिति को दूर किया जा सके। अत: इस विषय के बारे में सरकार विचारशील है।

आप जानते है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 अच्छा नहीं था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की दर धीरे-धीरे ऊपर जा रही है। आलू तथा प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों में 34 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की असाधारण वृद्धि हुई है जो कि बाजार में भी दिखाई दी है। इसके लिए, आप भा.ज.पा. सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। हम केवल तीन महीने पहले सत्ता में आये है। फसल को बोने की तारीख से पैदावार तक तीन महीने का समय लगता हैं। इसलिए, आप सरकार से तत्काल मूल्य नियंत्रित करने की उम्मीद कैसे रखते हैं? सभी उत्पादक बाजार में नहीं आए है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में शीत गृह और खाद्य संरक्षण संयंत्रों की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कि उड़ीसा में कृषि विभाग ने किसानों की पूर्णतया अनदेखी की है। उड़ीसा में कृषि विभाग मुख्य मंत्री के नियंत्रणाधीन है। वहां 200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आप कृषकों से अच्छे उत्पादन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कृषकों को घटिया धान के बीजों की आपूर्ति की गई है। कृषकों को अभी पैदावार नहीं मिली। अत: मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार निश्चय ही असाधारण मूल्य-वृद्धि की समस्या को सुलझा लेगी जिसने सरकार को हैरानी में डाल दिया है।

एक नई कृषि नीति शीघ्र ही घोषित होने वाली है। उस पर यहां पहले ही बातचीत हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री ने सदन में इसका उल्लेख किया है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णत: असफल रही है। डी.आर.डी.ए. सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 80 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार यह भाग 46 प्रतिशत है। गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों की प्रतिशतता के आधार पर उड़ीसा राज्य को भेजे जाने वाले धान अथवा चावल और अन्य वस्तुओं की मात्रा पर्याप्त नहीं है। हमेशा इस बात की दुहाई दी गई है कि उड़ीसा राज्य को गरीबी की

रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भेजी जाने वाली वस्तुएं डी.आर. डी.ए. सर्वेक्षण के आधार पर भेजी जानी चाहिए। डी.आर.डी.ए. सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं।

मूल्य-वृद्धि का एक अन्य कारण समर्थन वापस लेने की प्रक्रिया भी है। यह देखा गया है कि कांग्रेस सरकार ने दो बार सरकारों से समर्थन वापस लिया। श्री आई. के. गुजराल के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने समर्थन वापस लिया और एक अन्य चुनाव के लिए रास्ता तैयार किया। निश्चय ही इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस देश को अस्थिर करना चाहती है। इस अस्थिरता के कारण, मंहगाई बढ़ रही है। इसलिए इसके लिए भा.ज.पा. पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन देने वाले दल हैं जो कि भा.ज.पा. पर आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री विक्रम देव केशरी : कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं एक पिछड़े हुए राज्य उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता हूं। कृपया मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दीजिए। मैं कालाहांडी का प्रतिनिधित्व करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जिला के.बी.के. जिलों में एक है जो कि देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए जिले हैं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस वर्ष, सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा। भविष्य में मंहगाई की समस्या अवश्य हल होगी। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि इस बारे में एक समिति गठित की जाए ताकि वह वास्तविक मूल्य वृद्धि समस्या का अध्ययन कर सके जिससे सारा देश त्रस्त है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल) : आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सम्बन्धी श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर हमारे विचारों को व्यक्त करने की मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

परसों आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनकारी विधेयक को सभा में सर्वसम्मत निर्णय द्वारा नए सिरे से मूल्यांकन के लिए प्रवर समिति को सौंपे जाने की सिफारिश की गई; और इस प्रकार सभा ने भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। आज नियम 193 के अन्तर्गत हुई चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण भाषणों को सुना और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस बीच हुई अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के दुष्प्रभाव देशवासियों के घरों की रसोई तक सीमित नहीं हैं। यह सरकार की आर्थिक नीति की असफलता को दर्शाते हैं और बाजार प्रणाली को नियंत्रित करने में सरकारी तंत्र की असफलता की ओर इंगित करते हैं।

कल जब मैं टेलीविजन देख रहा था तो उस पर हमारे माननीय मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के प्रभाव पर बोल रहे थे। उनका विचार था कि प्राकृतिक आपदाएं जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां और खाद्यान्नों की कमी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के प्राथमिक और मूल कारण रहे हैं। मैं उनके वक्तव्य से असहमत हूं। मौसमी परिस्थितियां और खाद्यान्नों की कमी आवश्यक वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि के कारण नहीं हैं। यह तो हमारी समाजिक आर्थिक प्रणाली है जिसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

मैं अर्थशास्त्र का कुशल अध्येता नहीं हूं। परन्तु हमारे माननीय वित्त मंत्री अर्थशास्त्र के अच्छे अध्येता हैं। वे यहां पर उपस्थित नहीं है। परन्तु यह बात उन्हें भलीभांति पता है कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि का प्रमुख कारण बाजार अर्थव्यवस्था है। हम अत्याधुनिक महानगरीय पूंजीवाद के युग में रह रहे हैं। यह एक अन्तरराष्ट्रीय परिघटना है और यह पूंजीवादी परिघटना हमें बाजार व्यवस्था का केवल संक्षिप्त विवरण ही ज्ञात कराती है। बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी लाभ कमाना है और हम बाजार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत लाभार्जन के शिकार हैं। हमें हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिचौलिए पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें जमाखोरों पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें पूरी तरह बेईमान व्यापारी वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है।

इसका अन्तिम समाधान क्या है? इस समस्या का अन्तिम समाधान है राज्य व्यापार निगम की स्थापना करना। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य व्यापार निगम की स्थापना के बारे में सोचा नहीं था। इसी कारण हम पर परिस्थितियों की मार पड़ रही है। हम बाजार अर्थव्यवस्था की प्रणाली से पीड़ित हैं और इसके परिणामस्वरूप मूल उत्पादक या मूल किसान को उत्पाद की पूरी कीमत नहीं मिल पाती और हम उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के नियत मूल्यों का लाभ नहीं मिल पाता। केवल बिचौलिए को, केवल जमाखोर को, या फिर केवल सटोरियों को लाभ मिल पाता है और वे इस बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से लाभान्वित होते हैं।

आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा द्वारा 29.05.98 को दिए अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के उत्तर का संदर्भ देना चाहूंगा। मूल्य नियंत्रित कर सकने वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। परन्तु सरकार मुद्रास्फीति को रोकने और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तैयार न कर सकी।

यहां मेरे पास 29 मई, को माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य अथवा उत्तर उपलब्ध है। प्रश्न था कि "क्या हाल ही में, विशेषकर मई, 1998 के महीने में मुद्रास्फीति की दर में तीव्र वृद्धि हुई है?"

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

इस प्रश्न के उत्तर में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था। वह उत्तर क्या था, आप जानते हैं? मैं उद्धरित करता हूं :-

> "वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई माह में 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत होकर एक प्रतिशतांक बढ़ी है जो मुख्यत: सब्जियों, विशेषत: आलू और प्याज, फलों, चाय और कुछ हद तक खाद्य तेलों में असमान्यत: उच्च मौसमी वृद्धि के कारण है।"

माननीय वित्त मंत्री द्वारा 29 मई को यह उत्तर दिया गया था। तब से अभी तक सरकार क्या कर पाई? तबसे अभी तक पैतींस-चालीस दिन बीत गए हैं लेकिन सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि की मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित नहीं कर पाई है।

पुन: मैं प्रश्न के उत्तर के (ग) और (घ) भाग उद्धरित करता हूं :-

> "सरकार विशेषत: आवश्यक वस्तुओं यथा चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल तथा दालों के सम्बन्ध में मूल्य स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र तथा राज्यों सरकारों द्वारा संचालित मुख्य मूल स्थिरीकरण प्रणाली है।"

क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षण और निगरानी की है? इसका उत्तर होगा 'नहीं'। यही मुख्य कारण है और यह बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में सरकार की असफलता है और यही आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि का कारण है। इसका यहां उल्लेख करना दुर्भाग्यपूर्ण है.....(*व्यवधान*) मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

हमने निजीकरण और भूमण्डलीकरण के सिद्धान्तों के बारे में सुना है। हमने स्वदेशी और सर्वसम्मति से सुशासन के बारे में सुना है। परन्तु मैं आपकी अनुमति से एक संदर्भ उद्धरित करना चाहता हूं यद्यपि मैं कभी समाचार पत्र से उद्धरण नहीं देता हूं। यह सूचना 'आब्जर्वर' में दी गई है और इसमें मूल्य वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। उन्होंने मूल्यवृद्धि पर 1 जून को एक अध्ययन किया था और पुन: उसी महीने में 29 जून को मूल्यवृद्धि का अध्ययन किया। आप जानते हैं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई? यह मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। 1 जून को गेंहू के एक क्विंटल का मूल्य 527 रुपए था और तीन सप्ताह के ही भीतर 23 जून को गेंहू के एक क्विंटल का मूल्य 671 रुपए हो गया था। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार स्थिति से निपटने में पूरी तरह असफल रही है। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें 1 जून से 29 जून तक हुई मूल्य-वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन के सम्बन्ध में आब्जर्वर से उद्धरित किया जा सकता है।

इन समाचार पत्रों या मीडिया टिप्पणियों के अलावा हम कह सकते हैं कि मूल्य वृद्धि में सहायक दूसरा महत्वपूर्ण घटक बजट मुद्रास्फीति है। क्या सरकार इस बात को झुठला सकती है कि बजट स्वयं ही मुद्रा स्फीति को बढ़ाने वाला बजट है। यदि बजट ही मुद्रा स्फीति को बढ़ाने वाला है तब तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तो और ऊपर उठेंगी ही। मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला बजट परमाणु विस्फोट, आयात-निर्यात नीति और रुपये का अवमूल्यन मूल्य-वृद्धि में सहायक है। इस बात को कोई भी नकार नहीं कर सकता। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि हम एशियाई रुपये के निरन्तर अवमूल्यन के युग में जीवन-यापन कर रहे हैं। एशियाई पतन के इस समय में सरकार और भारत के लोग डालर और विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में रुपये के निरन्तर अवमूल्यन से पीडित हैं। क्या आप कह सकते हैं कि क्या इस सरकार ने ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ किया है। क्या यह सरकार कुछ कर सकती है? आयात-निर्यात नीति भी डालर और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में रुपये के अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार है। सभा में वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय इन सब बातों को कहा जा सकता है।

ऐसे कई कारण हैं कि जिन्हें आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि का समर्थक या जिनके कारण इन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि हुई इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परन्तु यहां पर कुछ सुझाव या टिप्पणी की जा सकती है। हमने माननीय मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला के राज्य पंजाब में हरित क्रांति के बारे में सुना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : जी हां महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदय हमने हरित क्रांति के बारे में सुना है। हमने गुजरात में श्वेत क्रांति अर्थात् अधिकतम दुग्ध उत्पादन के बारे में सुना है। परन्तु हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद भी देश आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से पीड़ित है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सहकारी कृषि नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे यहां सहकारी व्यापार प्रणाली नहीं है, ऐसा इस बात के चलते है कि हमारी व्यापार प्रणाली में से या हमारी बाजार अर्थव्यवस्था में बिचौलियों की मध्यस्थता को समाप्त नहीं किया गया है। इसीलिए मैं सरकार से परिवर्द्धित राशनिंग प्रणाली के माध्यम से नियत मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं; 14 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं। मैं सरकार से राज्य व्यापार प्रणाली को लाने या लाने का प्रयास करने का आग्रह करता हूं। मैं सरकार से भूमि सुधारों सहकारी खेती और सहकारी व्यापार के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर महोदय आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ती

महंगाई को देखते हुए आज जिस गंभीर समस्या पर चर्चा हो रही है, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि देश में जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठा रही है जिससे इस मंहगाई पर रोक लग सके। सरकार द्वारा ऐसी कोई कोशिश हो भी नहीं रही है। इस सरकार को सत्ता में आये 106 दिन हुये हैं और इन दिनों में जीवनावश्यक चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गये है कि देश की जनता को कई तरह की परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस सारी महंगाई का निर्माण इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल 2-4 बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि हमारे सम्माननीय सदस्यों ने कीमतों की वृद्धि के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। इनमें सब्जियों, दालों, अनाज, चावल का जिक्र विशेष रूप से किया गया है। क्या कारण है कि सरकार बढ़ती कीमतों को रोक पाने में असमर्थ है? ऐसी बात नहीं कि पहले मंहगाई नहीं बढ़ी। लेकिन आज जो सरकार सत्ता में है, उसके सत्ता में आने के बाद महंगाई इस कदर बढ़ी है कि उसको देश के लोगों को चिंता हो रही है। अब देखने की बात यह है कि इस देश की सरकार को कौन चला रहा है मुनाफाखोर चला रहे हैं, कालाबाजारी करने वाले चला रहे हैं या मिलावट करने वाले चला रहे हैं, कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले चला रहे हैं या श्री अटल बिहारी वाजपेयी चला रहे है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि आज मार्केट प्राइस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं इन सारी चीजों का बार-बार नाम लेकर आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, जो महंगाई बढ़ रही है, हमारे कुछ साथियों ने उस पर सरकार का समर्थन करने की कोशिश भी की है। हमारे वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एक कविता की पंक्तियां कही थीं। उन्होंने कहा था कि -

"मैंने चांद और सितारे की तमन्ना की थी।

मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला।"

इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हमारे देश के गरीब लोगों को दिन में भी तारे नजर आने लगे हैं। इस बात का हमें अफसोस है और यह बहुत गंभीर बात है। चूंकि सरकार अस्थिर है इसलिए कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार को फिक्र है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह से जोड़े रखना चाहिए। इसलिए बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अपनी सरकार को बचाने में ही सारा समय वे गंवा रहे हैं और इसलिए बढ़ती कीमतों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है।

मैं आपके जरिये एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर मुनासिब लगे तो उस बात पर अमल करने की कोशिश की जाए। हमारे देश में जो गरीब तबका है, गरीबी रेखा से नीचे हमारे देश के 55 प्रतिशत लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे में पी. डी. एस. दो तरह का होना चाहिए। जिसकी मासिक आय 7000 रुपया है, वह भी 14 रुपये किलो के आलू लेता है और जो महीने के 400 रुपये कमाता है, उसको भी 14 रुपये *किलो आलू लेना पड़ता है क्या यह अन्याय नहीं है? इसलिए सरकार को* सुझाव देना चाहता हूं कि डबल प्राइस सिस्टम होना चाहिए। एक पी. डी. एस. के तहत गरीब लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको कम मूल्य पर जीवनावश्यक वस्तुएं फेयर प्राइस शॉप द्वारा दिया जाए और जिनकी आय बहुत ज्यादा है, उनको दूसरे तरीके से फ्री मार्केट से लेने की छूट दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द कवाडे : जैसे ममता जी ने कहा कि जो 14 ऐसेन्शियल कमॉडिटीज हैं, इनको लिस्ट किया जाए कि किसी भी कीमत पर ऐसी कमॉडिटीज जो एसेन्शियल हैं, जो जीवनावश्यक हैं, उनके दाम किसी भी कीमत पर बढ़ने न दिये जायें। अगर यह फैसला सरकार कर ले तो मैं समझता हूं कि कोई ताकत इस देश में नहीं है कि सरकार को रोक सके। जो सरकार पोखरण में अणु बम विस्फोट करा सकती है, क्या वह महंगाई को रोक नहीं सकती। हमारा दावा है कि अगर सरकार मुनाफाखोरों की दलाली करने वाली सरकार नहीं है, होर्डिंग करने वालों की दलाली करने वाली सरकार नहीं है तो सरकार इस बात का फैसला कर ले कि वह मंहगाई को रोकेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. मल्लिकार्जुनयया।

प्रो. जोगेन्द कवाडे : जाते-जाते मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि -

"मैंने चांद और सितारे की तमन्ना की थी।

मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला।"

इसके अलावा मैं इतना कहना चाहता हूं कि -

है तुम्हारा अंधेरों से शिकवा गलत, तुम्हीं ने तो शमां की रोशनी बेच दी,

अब बहारों में फूल खिलेंगे नहीं, बागवां ने फूलों की हंसी बेच दी।

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक दवाइयों का संबंध है उनके मूल्य बहुत अधिक हैं। साधारण आदमी के लिए दवाइयां खरीदना बहुत कठिन है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार

[श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या]

को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और विनिर्माताओं के साथ परामर्श कर दवाइयों के मूल्यों में संशोधन करना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है।

दूसरा, जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं का संबंध है उन्हें खाद्यान्नों और सब्जियों में विभाजित किया जा सकता है।

जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है फसल कटाई मौसम के दौरान किसानों के पास खाद्यान्न भंडारण क्षमता नहीं होती है और वे उनके अच्छे दाम मिलने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्हें खाद्यान्नों को मंडी ले जाना पड़ता है और उन्हें कम दामों पर बेचना पड़ता है। व्यापारी वर्ग खाद्यान्नों को खरीदता है, उनकी जमाखोरी करता है और बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा करता है, इसलिए सरकार का इन बातों पर नियंत्रण होना चाहिए।

हमारे राज्य में इस समय वर्षा ऋतु है और धान 300 रुपये प्रति क्विटंल की दर पर बेचा जाता है व्यापारी कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं और कम दामों पर थोक में इसे खरीद लेते हैं तथा जमाखोरी करते हैं और बाद में अधिक दामों पर बेचते हैं। हमारे क्षेत्र में, विशेष रूप से तुंगभद्रा क्षेत्र में यह आम बात है। इसलिए सरकार को गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। किसान अपनी उपज का भंडारण करने, तथा उसे गिरवी रखकर अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए पैसा धन प्राप्त करने की स्थिति में होने चाहिए।

जहां तक उचित दर की दुकानों का संबंध है वे राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं और राज्य सरकारें ही उनका प्रबंधन करती हैं। जब भी राज्य सरकारों को चावल, तेल या अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है केन्द्र सरकार उन्हें उन वस्तुओं की आपूर्ति करती है और वहां उसका कार्य खत्म हो जाता है, किंतु खाद्य सामग्री का समुचित वितरण राज्य सरकारों का क्षेत्र है।

जहां तक सब्जियों का संबंध है किसानों के पास परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हैं हमारे क्षेत्र में सब्जियां खूब उगाई जाती हैं किंतु अच्छे बाजार के उपलब्ध न होने से किसान उन्हें कम दामों पर बेच देते हैं। इसलिए, किसानों को शीतागारों और परिवहन साधनों की सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए ताकि मूल्य स्तर बनाया रखा जा सके। साथ ही किसानों को सभी वस्तुओं के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने होंगे क्योंकि अक्सर बाजार में मूल्य में अन्तर होता है। कभी उसे अपनी उपज के अच्छे दाम मिल जाते हैं और कभी बहुत कम दाम मिलते हैं, इसके परिणामस्वरूप किसान सब्जियों और अन्य मदों के उत्पादन से ऊब जाता है। जब अधिकतर किसान सब्जियों को उगाना बंद कर देते हैं तो बाजार में उनके दाम बहुत ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए सरकार का इस बात पर नियंत्रण होना चाहिए तथा एक विनियमित प्रणाली होनी चाहिए कि कौन सी सब्जियां उगाई जाएं और समाज की आवश्यकता क्या है यदि ऐसा विनियमन हो तो शायद मूल्यों पर नियंत्रण रहेगा।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरे विचार से सरकार के लिए इस ओर कदम उठाना आवश्यक हो गया है कि मुद्रा स्फीति न हो और मूल्यों में वृद्धि न हो, सरकार को यह कहने की अनुमति कोई नहीं देगा कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। किंतु यदि सरकार का कोई मंत्री खड़ा होता है और कहता है कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हैं देश में पर्याप्त संसाधन हैं किंतु साथ ही यदि ये खाद्यान्न स्वीकार्य मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध न हो रहे हों तो सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, इसलिए यदि सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभाती है तो हर कोई कहेगा कि उसने इन बातों को पूर्वानुमान नहीं लगाया और उसने आवश्यक वस्तुओ की कीमतों में इतनी वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं कि या इस बारे में सोच विचार कर कदम नहीं उठाए हैं।

महोदय जब हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे समक्ष मुख्य मुद्दा जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। वह जनसंख्या नियंत्रण का है। किंतु हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आजकल अनेक पर्यावरणीय आपदाएं होती हैं और जब ऐसी पर्यावरणीय आपदाएं आती हैं तो उन्हें मूल्य वृद्धि के बारे में भी सोचना चाहिए।

रात्रि 8.00 बजे

मूल्य वृद्धि के संबंध में, बेरोजगारी एक अन्य प्रश्न है जिस पर ध्यान देना होगा। वास्तव में मूल्य वृद्धि निर्धन लोगों और देश की संपूर्ण जनसंख्या को प्रभावित करता है। इस समस्या को हल करने के लिए किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें पर्याप्त ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन आजकल ऋण सुविधाएं जमाखोरों को अधिक दी जा रही हैं। इसीलिए देश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। विभिन्न राज्यों में सामान की ढुलाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। परिवहन मंत्री, रेल मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच समन्वय होना चाहिए, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों और अन्य सामग्रियों की ढुलाई के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि वस्तुएं और सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं कुछ लोग उनकी जमाखोरी कर रहे हैं। वे उनकी जमाखोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस संबंध में समुचित कानून नहीं है उन्हें दोषी नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसे अपराध नहीं समझा जाता है। इसीलिए वे धनका देने का दुस्साहस कर रहे हैं और इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं और जमाखोरी बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि जमाखोरों को बैंक ऋण दिया जा रहा है, उन्हें ये सुविधाएं देना बंद किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें किसानों को उर्वरक

उपलब्ध कराने में सुविधाएं देनी चाहिए। किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्हें नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उन्हें उनकी उपज के लाभकारी मूल्य भी दिए जाने चाहिए। सरकार को ऐसी चीजें रोकने के लिए अग्रिम उपाय करने चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और परिवहन प्रणाली में समन्वय होना चाहिए। मेरे विचार से इस सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय सभा का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया था। अब समय और बढ़ाना होगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय इस विषय पर चर्चा पूरी होने तक के लिए पुन: बढ़ाया जाता है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, संपूर्ण देश में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के बारे में इस सम्माननीय सभा में बहुत गंभीर चर्चा की गई है। मैं यहां दो बातों को उठाना चाहता हूं। इतनी अल्प अवधि में मूल्यों में इतनी वृद्धि का क्या कारण है? मुद्रा स्फीति दर लगभग दो अंकों में पहुंच रही है, इस समस्या के समाधान के सुझाव क्या हैं? इस संदर्भ में मुझे फ्रांसीसी इतिहास में रानी मैरी एंटोनेट की याद आती है, रानी ने लुईस सोलहवें को निलम्बित किया था जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रत्यक्षत: जिम्मेदार था जब लोग भूखों मर रहे थे तो वे राजमहल में यह शिकायत लेकर पहुंचे कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मैरी एंटोनेट का उत्तर था कि यदि आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खा सकते हैं। इस सरकार ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। इस सरकार के 106 दिनों के शासनकाल में यह संतुलन बनाने का कार्य कर रही है, मुझे एक सर्कस के तम्बू की याद आती है जहां पर कलाबाज ऊपर लगे झूले में जाता है और हर कोई चुपचाप हाथ पर हाथ रखे रहता है और यह देखता है कि कोई गिरने जा रहा है। इसलिए यह सरकार इस प्रकार के शासन के संतुलन कार्य को कर रही है, इस मूल्य वृद्धि के लिए प्रत्यक्षत: यह कार्य जिम्मेदार है। जैसा कि श्री आरिफ मोहम्मद ने कहा है, संशय के इन दिनों में, जब इस देश में कलाबाजी का संतुलन कार्य चल रहा है, जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है, हो यह रहा है कि कालाबाजारी, मुनाफाखोर, और जमाखोर इस देश में समानान्तर सरकार चला रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि मूल्य इस तरीके से बढ़ रहे है। सत्ता पक्ष के सदस्य भी सहमत हैं कि 106 दिनों में मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, मुझे आशा है कि आप 19 मार्च के दिन या महत्व समझते होंगे। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि इसका क्या महत्व है क्योंकि आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं।

उस दिन से एक दल राष्ट्र को धोखा दे रहा है। गठबंधन में सहयोगी दल वास्तव में देश का अपहरण (हाईजैक) कर रहे हैं जो हमें केवल हवाई जहाज का देखने को मिलता है। प्रत्येक दल, सरकार और संपूर्ण देश को धोखा दे रहा है, इस अवधि के दौरान मूल्यों में वृद्धि हुई है और यह खेल जारी है। ऐसी स्थिति में, स्वाभाविक है कि सरकार कुछ भी कर पाने में असमर्थ होगी। मैं जानना चाहता हूं कि कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। यह बात प्रश्नकाल के दौरान भी पूछी गयी थी और मूल्य वृद्धि के बारे में कई उत्तर दिये गए थे। इस तथ्य के बावजूद कि यह सरकार सभी इन बातों से *अवगत है उसने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है।*

मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यहां तक कि साधारण नमक, जो बहुत सस्ता है। पूरे देश में भी मिल पाता है। इस सरकार के एक प्रहार के साथ साधारण नमक जिसका मूल्य दो रुपये से कुछ ज्यादा था, अब इस देश को लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साधारण नमक के मामले में भी मूल्य आकाश को छू रहे हैं। क्यों? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी पूरी क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने को कहने के लिए इस सरकार ने पहले से अर्थात् 27 मई से इसके तुरंत प्रभावी होने के साथ ही साधारण नमक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार से जीवन के नमक से भी लोगों को वंचित होना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि लोग इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे यह तो शुरूआत है और हर स्थान पर हम यही चर्चा कर रहे हैं कि मूल्यों को कम करने के लिए यह सरकार क्या करने जा रही है।

मेरा विचार है यह सरकार महाजन समिति की सिफारिशें लागू करने वाली है इसका तात्पर्य है कि चीनी नियंत्रण मुक्त हो जाएगी और चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा। समयाभाव के कारण मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं जिन्हें मैंने कल और परसों एकत्रित किया था और इनका उल्लेख सदन में किया भी जा चुका है।

सत्ता पक्ष से एक सुझाव आया था और कुमारी ममता बनर्जी भी यह कह रही है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को विश्वास में लेना चाहिए। क्या इस सरकार का राज्य सरकारों को विश्वास में लेने का कोई ऐसा विचार है? यदि ऐसा है तो सरकार को ग्यारहवें वित्त आयोग की घोषणा राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना इस प्रकार से नहीं करनी थी। राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना माननीय वित्त मंत्री ने ग्यारहवें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की है। इन सब बातों के बावजूद यह सरकार सभी राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा करती है। मैं अन्य राजनीतिक मामलों पर नहीं जा रहा हूं और मैं इस पर राजनीतिक भाषण भी कहीं देने जा रहा हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आम लोगों की परेशानियों की ओर ध्यान दे। यह सरकार स्वामी विवेकानंद के शब्दों को सम्मान देगी। मुझे विश्वास है आप मेरे शब्दों का नहीं बल्कि उनके शब्दों का आदर करेंगे। जो इस प्रकार है "पेट के माध्यम से भूखे और गरीब व्यक्ति के दिल अथवा दिमाग में घूमने का सर्वोत्तम तरीका है।" इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को याद करने के लिए यह बहुत अच्छा तरीका है।

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

जहां तक सुझावों का सवाल है केरल राज्य का अनुरकरण करना भी ठीक रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए केरल में एल. डी. एफ. सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के भीतर एक हजार आवश्यक स्टोरों का गठन किया गया था यहां आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप ब्यौरे चाहते हैं तो में आपको दे सकता हूं। यदि आप इस बात का पता लगाए कि केरल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार कार्य कर रही है किस प्रकार इसे मजबूत बनाया जा रहा है तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मूल्यों को आप किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? यदि यह आवश्यक है तो मैं केरल और दिल्ली के मूल्य स्तर को दे सकता हूं। दिल्ली में मूल्य केरल से कहीं ज्यादा है और याद रखिए यह उपभोक्ता राज्य है। हम दूसरे राज्यों से वस्तुएं प्राप्त करते हैं लेकिन सरकार फिर भी राजसहायता दे रही है। एक वर्ष पहले सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपये दिये थे। वर्तमान सरकार ने आरंभ से ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती दर पर चावल दिये। केन्द्र सरकार इन उदाहरणों पर चल सकती है। वह राज्य सरकार को विश्वास में लेकर इन उपायों को लागू कर सकती है जिससे निश्चित रूप से मूल्यों में कमी आएगी।

अंत में, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम पर आता हूं। मैं इसका उल्लेख किये बिना समाप्त नहीं कर सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम एक धोखा है। इसको आरंभ करना ही एक धोखा है। वास्तव में इस अधिनियम का उद्देश्य मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों और जमाखोरों की सहायता करना है। हालांकि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जा रहा है और मुझे आशा है कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हित में होगा। प्रवर समिति सुझाव देने से पहले दो बार सोचेगी। आयात कोई समाधान नहीं है। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने इस बात को रखा है। सरकार आयातित माल से तथा डालर के मुकाबले रुपये के वर्तमान मूल्य के रहते कीमतों को किस प्रकार नीचे लाएगी। इसमें मूल्यों में वृद्धि होगी। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं। यह तो सरकार पर निर्भर करता है कि वह कौन से उपचारात्मक उपाय करती है। यदि आप इस देश के आम आदमी, गरीब और भूखे आदमी के बारे में सोचते हैं तो हम सभी उसका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, दो मिनट।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। फूड कारपोरेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया का 1970 में बना था। इसके पहले कलकत्ता में इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि मक्का का आटा 6-7 रुपये किलो बिका था। फूड कारपोरेशन की स्थापना सस्ता राशन देने, स्वच्छ और बढ़िया राशन देने के लिए हुई थी। वहां पर इसको विभाजित कर दिया गया। फूड कारपोरेशन के रहते हुए स्टोरिंग एजेंट बना दिये गये, जो प्राइवेट होते हैं और व्यक्तिगत मिल्कियत में होते हैं। ट्रक का मालिक, राशन शॉप का मालिक, स्टोर का मालिक, ट्रांसपोर्ट का मालिक, तब उसमें मिलावट और ब्लैक मार्केट करना उनका काम हो जाता है। दूसरे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बहुत सस्ता पड़ता है। फूड कारपोरेशन के गोडाउन में माल रखकर जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चल रहा है, वह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, बंगाल गवर्नमेंट ने उसे अपने हाथ में ले लिया है। हमारे पूर्व फूड मिनिस्टर रघुवंश बाबू हैं, उन्होंने उस समय दबाव डालकर स्टेट फूड कारपोरेशन के नाम पर वहां बनाकर 228 करोड़ रुपया ले गये, लेकिन कितनी खरीद हुई, कितनी बिक्री हुई? फिर अभी हलचल मच गई कि नहीं, फूड कारपोरेशन के गोदाम से माल दिया जाये। जब फूड कारपोरेशन काम करेगा तो इसको फुल प्रायरटी दी जाये और एक किलो से लेकर पांच किलो, 10 किलो के सारे पैकेट्स बनाकर स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे जायें।

अभी हमारे वरिष्ठ नेता कृष्ण लाल शर्मा जी को बिजली और राशन के मामले में अनशन पर बैठना पड़ा। जहां बड़े-बड़े कारपोरेशन के हाथ में जायेगा तो वहां कालाबाजारी होगी और झुग्गी झोपड़ी वाला वहां पहुंचता है तो उसको सामान मिलता ही नहीं है। यदि 500 लोगों की झोपड़ियां है तो उसी के अन्दर बेकारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उन लोगों के अन्दर से ही राशन के पैकेट्स देकर उसको चलाने का काम दिया जाये। इस पर हमारे सभी साथी सहमत हैं, उधर के भी सहमत है।

महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ने का कारण गल्ले की कमी नहीं है। फूड कारपोरेशन में प्रचुर मात्रा में माल है, लेकिन सस्ता राशन, अच्छा राशन सारे लोगों को नहीं मिल रहा है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

डा. रवि मल्लू (नगरकुरनूल) : मैं केवल दो मिनट लूंगा। आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब माननीय मंत्री जी अपना भाषण देंगे। माननीय मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : डा. रवि मल्लू आपके दल के कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : अध्यक्ष जी, यह बड़ा अच्छा विषय था और इस पर बड़ी अच्छी बहस हुई है। इस पर बहुत से लोगों को बोलने का मौका मिला है। सभी पार्टियों के कई आनरेबिल मैम्बर्स इस पर बोल गये हैं और बड़ी अच्छी बहस हुई।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जो मैं देख रहा था, कन्संसस यह रही कि सवा एक-दो को छोड़कर किसी ने अनाज के बारे में नहीं कहा कि व्हीट की शार्टेज है या प्राइसेज एकदम बढ़ गई। राइस की प्राइसेज एकदम बढ़ गई या शार्टेज है, शुगर की प्राइसेज़ बहुत बढ़ गई या शार्टेज है, ऐसी बात नहीं कही गई। प्राइमरी आइटम्स के बारे में बात नहीं हुई, सिवाय एक दो माननीय सदस्यों ने कहा। उन्होंने भी वैसे ही कहा। मैं देख रहा था, उन्होंने यह कहना शुरू किया कि शुगर की प्राइस साढ़े 19 रुपये किलो हो गई है, यह कहीं भी नहीं है, आज बाजार में चीनी 16 रुपये किलो बिक रही है, कहीं पर 50 पैसे ज्यादा है तो कहीं पर 50 पैसे कम है। इसी तरह गेहूं की प्राइस भी स्टेबल चल रही है, चावल की भी यही हालत है, चाहे मोटा चावल हो या दूसरा चावल हो। लेकिन जिक्र आया दूसरी आइटम्स का, ज्यादातर सब्जियों की बात हुई, प्याज और आलू की बात हुई।

एक माननीय सदस्य : नमक के भी दाम बढ़ गए।

अध्यक्ष महोदय : नमक ज्यादा मत खाओ।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : कुछेक सदस्यों ने बहुत अच्छी बात कही कि यह सवाल सप्लाई और डिमांड का है। सप्लाई कम हो गई, डिमांड कुछ बढ़ी हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, यह भी ठीक है, इस पर कोई रोक नहीं है। आबादी धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सप्लाई कम हुई है। जहां तक वेजीटेबल का ताल्लुक है, वह पेरीशेबल आइटम है, उसको ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। कोई-कोई सब्जी है जो सात दिन निकाल जाती है, वरना अन्य तो दो-तीन रोज ही निकालती है। सब्जियों की सप्लाई क्यों कम हुई, यह भी माननीय सदस्य जानते हैं। इस दफा बहुत गर्मी पड़ी है। मेरी काफी उम्र हो गई है, अन्य माननीय सदस्य भी जो काफी उम्र के हैं, वे जानते हैं कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। उड़ीसा जैसे राज्य में तो लू से सैकड़ों लोग मर गए। जो पहाड़ से आते हैं, वे जानते हैं कि वहां सर्दी भी खूब पड़ी। जब चुनाव हो रहे थे, मुझे याद है जनवरी का महीना था, हमारे यहां आलू बहुत होता है, आलू की सारी की सारी फसल कोहरे के कारण वहां तबाह हो गई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे हमारे यहां आलू तीन रुपये किलो बिक रहा है। उनकी बात ठीक है, लेकिन वही आलू जब यहां आता है तो 12-13 रुपये से लेकर 16 रुपये किलो हो जाता है। वह महंगा हो जाता है, कुछ बीच में मुनाफा भी खा जाते हैं। इस तरह दो मौसमों की वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ गई और फसल कम भी हुई। किसी मित्र ने कहा कि यह जो कारण हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बात ठीक है। पांच-दस या दो महीने में सब्जियां नहीं होती, किसी ने कहा कि आपने कम बोई इसलिए फसल कम हुई। यह कंटीन्युंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ी राजनीति आ गई, हर बात में जैसे सियासत की जाती है, करनी भी चाहिए, आखिर बैठे किसलिए हैं, लेकिन उसको ज्यादा कर दें और सियासत की नजर से ही देखें तो यह नहीं होना चाहिए। इसको सियासत से बाहर देखना चाहिए। यह फिनोमिना है, किसी साल कम हो गई तो किसी साल ज्यादा हो जाती है। गई लोक सभा में जब हम उधर बैठते थे तो हम भी विरोध करते थे और उधर वाले जब पहले इधर बैठते थे तो कहते थे कि मंहगाई हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी आप कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका समाधान निकालना चाहिए। हमारे यहां कुछ आइटम्स हैं जो कम पैदा होती है। जैसे दाल है। दालों में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। मैं पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूं, किसान और मंत्री के नाते मुझे दिलचस्पी भी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दालें थोड़ी-बहुत बढ़ती हैं, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए, उतनी पैदावार नहीं हो रही है। दालों में अभी भी हमारे यहां 40 लाख टन की कमी है। कहां से आए? दाल कहीं से ज्यादा इम्पोर्ट नहीं होती है, सिर्फ चार-पांच लाख टन ही इम्पोर्ट हो सकती है। इससे ज्यादा दाल मिलती नहीं है। बहुत से देश दाल ज्यादा पैदा नहीं करते हैं, इसलिए मिलती भी नहीं है और कमी होती रहती है। दाल एक ऐसी क्राप है, जो वाकिफ हैं वे जानते हैं कि बहुत श्योर क्राप नहीं है। श्योर क्राप नहीं है और इसमें बीमारी लग जाती है। मौसम की बीमारी लग जाती है, बारिश से भी नुकसान होता है। यही स्थिति तिलहन की है और तिलहन भी कोई श्योर क्राप नहीं है। इसमें भी जब बिजली चमकती है, तो उससे फूल मर जाता है। सरसों का फूल बहुत ही टैंडर होता है, बिजली की चमक और गरज से फूल को नुकसान हो जाता है। श्योर क्राप नहीं होने की वजह से किसान सोचता है कि मैं इस फसल को क्यों लूं। मैं चावल बीज लूंगा, गेंहू बीज लूंगा, धान बीज लूंगा। इस प्रकार इसकी भी कमी हो जाती है। इस दफा भी तिलहन की कमी हुई, जिसकी वजह एडिबल आयल कम हुआ। 14 लाख टन एडिबल आयल देश में कम है। अब प्रश्न यह आया कि एडिबल आयल कहां से आए। सरसों का तेल कहीं से नहीं मिलता है। मेरे मित्र कह रहे थे कि सरसों का तेल जरूरी है, अगर नहीं मिलेगा तो मछली कैसे खायेंगे, लालू प्रसाद जी कह रहे थे कि जब तक पांव पर मालिश नहीं करवायें, तब तक नींद नहीं आती है। अलग-अलग जरूरतें हैं। हम बच्चों की मालिश भी करते हैं। सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहते हैं और इसकी देश में बहुत जरूरत है। लेकिन कहीं से ज्यादा मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाए, तो मिल जाए, लेकिन बहुत इम्पोर्ट नहीं होता है। हम इसके स्थान पर पाम-आयल लेते हैं। सस्ता होने की वजह से लोगों को पाम-आयल मिल जाता है और वे पसंद भी करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को शौक है कि मस्टर्ड आयल मिलना चाहिए अपनी-अपनी पसंद है। केरल में अपनी पसंद है और वैस्ट बंगाल में अपनी जरूरत है और हमारे यहां कुछ और है। हमारे यहां तो घी खाकर खुश रहते हैं। किसी न किसी तरह से कहीं से मिल जाए, [illegible] घी मिल जाए। अलग-अलग अपनी अपनी पसंद है। एक स्थिति यह भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में पाम-आयल की कमी हो गई है। सरसों का तेल दो देशों, इंडोनेशिया और मलेशिया, से आता है। इंडोनेशिया की अंदरूनी हालत खराब हो गई है। वहां हालात ठीक नहीं है। उन्होंने

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

एक्सपोर्ट भी बन्द कर दिया। पाम-आयल एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसकी वजह से मलेशिया की प्राइस बहुत बढ़ गई और इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर चला गया। जब इंडोनेशिया की हालत ठीक हुई और उसने एक्सपोर्ट खोला, लेकिन 35 परसेंट की ड्यूटी लगा दी। वहां के मार्केट खुलने से बहुत फायदा नहीं हुआ। पाम आयल ओजीएल है, कोई भी उसको मंगा सकता है, इम्पोर्ट कर सकता है। लेकिन बहुत इम्पोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऊंची थी, चढ़ी हुई थी। 35 परसेंट ड्यूटी लगाने से हालात बहुत ठीक नहीं हुए। मैं आपको परसों की बात बता रहा हूं कि इंडोनेशिया ने 35 परसेंट ड्यूटी के बजाए 55 परसेंट ड्यूटी कर दी। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें और क्या न करें, स्थिति यह हो गई। अब परेशानी यह है कि अगले चार महीने फैस्टिवल्स के हैं और पाम-आयल की जरूरत होगी। हमने सभी राज्यों से इसकी मांग मंगाई, तो पता लगा कि मांग एक लाख 49 हजार टन है। मैंने कहा कि एक लाख 50 हजार टन मंगा लेते हैं। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि इस पर जो 25 परसेंट ड्यूटी लगा रखी है, इसको कम कर दें। आहिस्ता- आहिस्ता बात होती रही, लेकिन वे मेरी बात से सहमत नहीं थे।....(*व्यवधान*) वे मुझे ये कागज देकर चले गए हैं कि मैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट पढ़ दूं।

[अनुवाद]

"उपर्युक्त मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने नारियल तेल और बीड़ी ताड़ के तेल, ताड़गिरि तेल और खाद्य श्रेणी के खुले अथवा बंद ताड़ तेलों को छोड़ कर वनस्पति तेलों के आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

शुल्क में कटौती 10 जुलाई से प्रभावी होगी। इन तेलों का जब व्यापार के लिए आयात किया जाएग तो इन्हें 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क की छूट भी प्राप्त होगी। इस संशोधन को प्रभावी करने के लिए एक अधिसूचना उचित समय आने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।"

[हिन्दी]

उनकी तरफ से मैं हाउस को बता रहा हूं कि उन्होंने हमारी बात मान ली है और दस प्रतिशत ड्यूटी भी कम कर दी है। हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको बाहर से मंगा कर थोड़ा-बहुत ठीक करें, यह पोजिशन चल रही है। इसके साथ-साथ हमने कुछ कोशिश और की है, मैं बता रहा था कि एडीबल आयल का प्रोडक्शन कम हुआ है। ग्राउंडनट आयल 16 लाख टन पिछली बार से कम हुआ है। रेपसीड मस्टर्ड आयल सात लाख टन कम हुआ। सनफ्लावर आयल चार लाख टन कम हुआ, आयल सीड सारा का सारा कम हुआ। सोयाबीन में भी कमी हुई है। ये सारा काम होने की वजह से हमारे एडीबल आयल का प्रोडक्शन कम रह गया, जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें बाहर से पामोलीन वगैरह मंगवाना पड़ा है, इसलिए प्राइस बढ़ी हैं। यह किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें दूर की बात सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हर बार यह मुसीबत न आए, क्योंकि कोई भी सरकार हो यह मुसीबत आ जाती है, ऐसा नहीं कि अब आई है। कांग्रेस सरकार के टाइम में भी कई प्राइस राइज हुए, कोई भी सरकार आई उस वक्त ही ऐसा हुआ। मुझे याद है जब मोरारजी भाई देसाई जी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय पहली बार प्राइस कम हुए थे, नहीं तो हमेशा देखने में आया कि प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती हैं और अक्सर उन दिनों में होती है जब पार्लियामेंट का सत्र हुआ करता है तो बहस कराने के लिए यह बढ़ जाती हैं।

वेजीटेबल्स के लिए हमने कुछ कोशिश की है वह मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए हम सुपर बाजार के जरिए यहां दिल्ली में जितना कर सकते थे, उतना किया है और यह प्राइस कम हुई है। मैं आपको नौ तारीख की प्राइस बताना चाहूंगा, नया आलू नौ रुपये मंडी में आया है, प्याज 16 रुपये से 11 रुपये में आज बिका, हमने 200 के करीब आउटलेट्स बनाए हैं। 25-30 या 40 के करीब मोबाइल वैन्स चला रहे हैं। जो ऐसी जगह हैं, जहां झुग्गी झोंपड़ियां हैं, वीकर सैक्शन के लोग हैं वहां भी लेकर जाएं। बहुत सी चीजों के प्राइस गिरे हैं। बैंगन की प्राइस 20-25 रुपए से छह रुपए पर आ गई है। थोड़ी बहुत मार्केट प्राइस गिर रही है, यह मैं आज के प्राइस बता रहा हूं। लोकी की प्राइस सात रुपए है।.......(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : यह दिल्ली का मार्केट प्राइस है लेकिन, और जगहों पर ये सब प्राइस नहीं है, वहां बढ़े हुए हैं। इसके लिए पालिसी डिसीजन के मुताबिक एक मीटिंग करनी चाहिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आप इसको सुन लीजिए, फिर आपकी बात मान लेंगे। टींडे 16 रुपये से 11 में आज बिके हैं। पालक 11 रुपये से आठ रुपये में आया है। शिमला मिर्च का प्राइस बहुत बढ़ गया है। कई लोग शिमला मिर्च बहुत शौक से खाते हैं, यह 50 रुपये से 40 रुपए में आ गई है। अरबी 16-17 रुपए से 15 रुपए पर आ गई है। बीन्स का प्राइस भी गिर रहा है। कागजी नींबू भी आज 50 रुपए से 32 रुपए में बिक रहा है। मिर्च भी आज 16-17 रुपए से दस रुपए पर आ गई और टमाटर का भी कुछ बंदोबस्त किया है।...... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना जाए, उनको भाषण पूरा करने दिया जाए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : यह दिल्ली के रेट बता रहे हैं, यह कोई दिल्ली की विधान सभा नहीं है।.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप कृपया करके अपने-अपने आसन ग्रहण कीजिए और मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि एक स्टोर खोला जाए और यह मूल्य सूची लगाई जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों का भाषण माननीय मंत्री जी धैर्यपूर्वक सुनते रहे हैं, इसलिए उनके भाषण को भी आप ध्यान से सुनिये। जो मुद्दे उठाये गये हैं वे उत्तर दे रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिये।

[अनुवाद]

डा. रवि मल्लू : कीमतों संबंधी यह चर्चा पूरे देश की कीमतों के बारे में है। हम दिल्ली की कीमतों के बारे में चिन्तित नहीं हैं। दिल्ली में पृथक विधान सभा है। जो इसका ध्यान रख सकती है। संसद में, हम पूरे देश में कीमतों की स्थिति के बारे में चिंता करते हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा बतायी गयी कीमतों से पूरे देश में व्याप्त कीमतों के बारे में पता नहीं चलता है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आज सुबह ही मैंने 20 रुपये किलो बैंगन खरीदें हैं.....(*व्यवधान*)

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिये। आप लोग अच्छी-खासी बहस करते-करते खड़े हो जाते हैं।....(*व्यवधान*) कुछ सुनने में आया कि पोखरण की वजह से आलू-प्याज महंगा हो गया। आलू-प्याज पोखरन में नहीं चढ़ा है और न ही यह पोखरण की वजह से हुआ है। इसका कारण है कि जो हमारी काश्त करने की पॉलिसी है वह ठीक नहीं है और उसी वजह से यह कम बोया गया और अगर बोया गया तो किसान को उसके ठीक पैसे नहीं मिले। नासिक के इलाके में अभी प्याज तीन रुपये किलो मिल रहा है। नासिक वह इलाका है जहां सबसे ज्यादा प्याज होती है। वैसे प्याज दूसरी जगहों पर भी होती है, पूना में होती है, अहमदनगर में भी होती है। लेकिन नासिक की प्याज बहुत बढ़िया किस्म की मानी जाती है। वहां पर तीन रुपये किलो प्याज मिल रही है और यहां पर 16 रुपये किलो प्याज है।.....(*व्यवधान*)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आप मिडिलमैन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ बोलिये।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले साल आलू की फसल अच्छी हुई, लेकिन किसान को उसका पैसा ठीक नहीं मिला। किसान को उसकी कीमत 50 पैसे मिल रही थी, इसलिए वह उसे मंडी में छोड़कर आ जाता था। जब किसान को एक साल उसकी फसल का पैसा ठीक नहीं मिलता है तो अगले साल किसान वह फसल नहीं बोता है। आपने गन्ने में देखा। एक साल गन्ना अच्छा हो जाए तो किसान की मारा-मारी हो जाती है।

सभापति महोदय : किसानों का आलू फिर से खराब न हो, इसके लिए क्या कार्यवाही हो रही है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं अभी बता रहा हूं कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं? आप स्वयं कृषि महारथी रहे हैं। किसान का आलू खराब न हो, उसे कम कीमत पर बेचना न पड़े, इसके लिए यह कोशिश हो रही है कुछ और कोल्ड स्टोरेज बनें। जहां मौके पर किसान अपने सामान को रख सके और उसका माल मंडी में आ जाए। उपभोक्ता और किसान को पूरे पैसे मिलने चाहिए।

सभापति महोदय : सी. डब्ल्यू. सी. पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज बना सकता है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : अगर किसान को पूरे पैसे मिलते रहे तो पैदावार की हमारे देश में कमी नहीं होगी लेकिन ऐसा होता नहीं है।

बार-बार कई वक्ताओं ने कहा कि बिचौलिए, ब्लैकमार्किटियर्स और बैड एलिमेंट्स पैसे खा जाते हैं, इसलिए महंगाई हो जाती है। यह बात काफी हद तक सही है। उसके लिए कानून बना हुआ है।.... (*व्यवधान*) उसके नीचे क्या हो रहा है। लालू जी बैठे नहीं है। मैं उनसे कहता कि बिहार में उनकी सरकार है, वहां कानून बना हुआ है, बिहार में इसके तहत अभी तक कितने लोगों को अरैस्ट किया है और कितनों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं? महंगाई पटना और दूसरी जगहों में भी है। मैं बंगाल के साथियों से कहना चाहूंगा कि वहां यह कानून है लेकिन इसको कैसे अमल में लाया गया? ....(*व्यवधान*) शोर करने से कुछ नहीं होगा। इसे अमल किया जाएगा तो बात होगी। जो प्राफिटियर्स हैं, जो ब्लैकमार्किटियर्स हैं, हमारी पॉलिसी यह है कि अगर वे कालाबाजारी करते हैं या गलत धंधा करते हैं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इसमें किसी का कोई लिहाज नहीं होगा। देश को नुकसान हो रहा हो और कोई होर्डिंग करें, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। इसके लिए कानून मौजूद है। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। जो अलग-अलग स्टेट्स से आते हैं, वे अपनी-अपनी स्टेट में इस बात की जिम्मेदारी संभालें। कहीं एक पार्टी का राज है और कहीं दूसरी पार्टी का राज है।

श्री रूप चंद पाल : आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के मुताबिक कितने लोगों को गिरफ्तार किया?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं आप से पूछ रहा था कि आपने इस मामले में क्या किया? मैंने आपको पहले भी बताया कि पंजाब में मैं इस काम को देखता था। मैं इस प्रोफेशन में रहा हूं। इसलिए मुझे मालूम है। हमारे यहां एक साल में 40000 केस पकड़े गये। हर साल तकरीबन ऐसे चलता रहा। हमारे साथ हरियाणा है। हरियाणा में 500 रेड हुए। 40,000 रेड्स में 200 आदमी गिरफ्तार हुए। उनमें से 10 आदमियों के खिलाफ केस चला। एक आदमी को सजा हुई।.... (*व्यवधान*) मैंने सारी स्टेट्स के फैक्ट्स देखे हैं। सारी स्टेट्स में यह हाल है। बैड एलिमेंट्स लाभ उठाने के लिए कालाबाजारी करते हैं। वह करने नहीं दी जानी चाहिए। होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

रोकने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। इसके लिए कानून मौजूद है। कानून को सब स्टेट्स में अमल में लाना होगा। प्रोडक्शन की कोई कॉम्प्रीहैंसिव पालिसी बनानी होगी जब तक तिलहन, दालों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तब तक यह दिक्कत आती रहेगी। हमें सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के लिए और प्रयास करने होंगे। जैसे कि मेरे यहां के एक मित्र बता रहे थे। वह स्पीच में बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि इस प्रोसैस से सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। किसान को सब्जियों का पूरा पैसा मिलता रहे, फिर सब्जी की देश में कमी होने वाली नहीं है। हमें इस पर नेशनल कनसैंसस बनाना चाहिए। यह दिक्कत किसी एक पार्टी की नहीं है। सब लोगों की दिक्कत है। इसमें किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिये। खपतकार की तरफ ध्यान रहना चाहिये। कंज्यूमर के साथ-साथ प्रोडयूसर का भी ध्यान रखना चाहिये। इसके अलावा तीसरी बात आ जाती है जिसके बिना काम नहीं चल सकेगा। मैं कितना भी दुकानदार के खिलाफ रहूं लेकिन उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। मैंने देखा है कि हाउस में बहस हुई और यहां क्लास बना दी, जैसे खपतकार और दुकानदार क्लासवाईज हो जाता है। यहां दुकानदार को ट्रेडर का नाम दे दिया गया। ट्रेडर तो छोटा दुकानदार नहीं होता लेकिन जो छोटा दुकानदार होता है, वह कहीं से चीजें लाकर दुकान खोल लेता हैं उससे सब लोग चीजें लेते हैं। उसका प्राफिट बहुत थोड़ा सा होता है। वह जमाखोरी नहीं कर सकता। वह बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। उसको आइजोलेट भी नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रोडयूसर्स, कंज्यूमर्स और सेल्जमैन को भी आइजोलेट नहीं करना चाहिए।

सभापति जी, हमने पंजाब में एफर्ट्स किये हैं। टाईम बहुत हो गया है लेकिन मैं मंडी सिस्टम के बारे में ब्रीफ में बताना चाहूंगा। वहां पर भी मंडी सिस्टम के तहत दिन का दिन में किसान का सारा अनाज बिक जाता है किसान अपना गेहूं, चावल मंडी में ले जाते हैं जहां उसे एक जगह दे दी जाती है। सुबह आता है और शाम को पैसे लेकर चला जाता है। इस सारे सिस्टम में टाईम लगा है। इसमें एफर्ट्स बहुत किये गये हैं। मंडी से बाहर कोई चीज सेल नहीं होती है कोई ट्रेडर बाहर नहीं खरीद सकता। इस बार 12.6 मिलियन टन प्रोक्योर किया गया जिसमें सिर्फ 6.5 लाख ट्रेडर्स ने लिया है और शेष एफ. सी. आई. तथा अन्य एजेंसीज ने लिया है। ट्रेडर्स ज्यादा लेने में इंट्रेस्टेड थे या नहीं, मुझे पता नहीं। पंजाब में सब्जियों को भी मंडी सिस्टम में लाने का प्रयास किया गया है। सिस्टम में बिचौलिये नहीं है क्योंकि किसान अपनी ट्राली लाकर मंडी में एक जगह खड़ी कर देते हैं जहां ग्राहक खुद आकर सब्जी ले जाता है। इससे किसान को थोड़े बहुत पैसे की बचत हो जाती है। यहां भी इस सिस्टम से किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिल सकता है वरना बिचौलिया बीच में पैसा खा जायेगा।

सभापति जी, अभी आलू, प्याज को पी. डी. एस. में लाने की बात की जा रही थी। यह कहां से आयेगा, और कहां से आया जायेगा? अनाज तो ले जाया जाता है जिसको पी. डी. एस. पर पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन आलू, प्याज को पहुंचाने में इतने दिन लग जायेंगे तो वे सड़ जायेंगे। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज ही बनाये जा सकते हैं। इसके लिए मार्केट सिस्टम होना चाहिये। राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझकर बनायें।

सभापति महोदय, यहां आज बहुत अच्छी बहस हुई है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्राइसेज कम हों और सब लोगों को सही दाम पर चीजें मुहैया हों।......(*व्यवधान*)

रात्रि 8.43 बजे

(इस समय श्री रूप चंद पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल से बाहर चले गए।)

....(*व्यवधान*)

रात्रि 8.44 बजे

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब आवश्यक वस्तु (*संशोधन*) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20, अर्थात् :

1. श्री अमरीक सिंह आलीवाल
2. श्री एन. डेनिस
3. श्री अब्दुल गफूर
4. श्री सत्य पाल जैन
5. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
6. श्री भुवनेश्वर कालिता
7. श्री विजय कुमार खंडेलवाल
8. प्रो. अजित कुमार मेहता
9. श्री श्याम बिहारी मिश्र
10. श्री एस. मुरूगेसन
11. श्री अजित कुमार पांजा
12. श्री हरिन पाठक